

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
विषय-सूची	३
चित्र-सूची	१२
निवेदन	१३
प्रारम्भिक शब्द	१५
समर्पण	१६

पहला भाग

अध्याय १—विषय प्रवेश	१७
----------------------	----

१. प्रस्तावना । २. प्राचीन काल । ३. सामन्त पद्धति और पवित्र रोमन साम्राज्य । ४. क्रूसेड । ५. चर्च की स्थिति । ६. मध्य काल में यूरोप की दशा । ७. यूरोप का पुनः जागरण और धार्मिक सुधारणा । ८. नये प्रदेशों की खोज । ९. शक्तिशाली और निरङ्कुश राजा ।

अध्याय २—राज्यक्रान्ति से पूर्व फ्रांस की दशा	४८
अध्याय ३—क्रान्ति की भावना का प्रादुर्भाव	६४
अध्याय ४—सेलह्वे लुई क शासन	७४
अध्याय ५—क्रान्ति का द्योगणेश	८०
अध्याय ६—राज्यक्रान्ति की प्रगति	८६
अध्याय ७—राजसत्ता का अन्त	९६
अध्याय ८—क्रान्ति के विरुद्ध जिहाद	११३
अध्याय ९—फ्रांस का राज्य	१२१
अध्याय १०—डाइरेक्टरी का शासन	१३७

अध्याय ११—नैपोलियन का अभ्युदय	...	१४७
अध्याय १२—प्रधान कान्सल के रूप में नैपोलियन का शासन	...	१५५
अध्याय १३—सम्राट् नैपोलियन का शासन	...	१६७
अध्याय १४—नैपोलियन का पतन	...	१८४
अध्याय १५—नैपोलियन का इतिहास में स्थान	...	१९५
अध्याय १६—नैपोलियन के बाद यूरोप की समस्याएँ	...	२०६
अध्याय १७—वीएना की कांग्रेस	...	२११
अध्याय १८—यूरोप में शान्ति स्थापना के प्रयत्न	...	२२३
अध्याय १९—प्रतिक्रिया का काल	...	२२८
अध्याय २०—राज्यक्रान्तियों का पुनः प्रारम्भ	...	२४२
१. प्रतिक्रिया के काल का अन्त । २. स्पेन की राज्य- क्रान्ति । ३. अन्य देशों में क्रान्ति का प्रारम्भ । ४. फ्रांस की द्वितीय राज्यक्रान्ति । ५. १८३० की क्रान्ति का यूरोपियन देशों पर प्रभाव ।		
अध्याय २१—व्यावसायिक क्रान्ति	...	२८१
१. आर्थिक परिवर्तन । २. कृषि की उन्नति । ३. वैज्ञानिक आविष्कार । ४. व्यावसायिक क्रान्ति के परिणाम ५. अन्य देशों में व्यावसायिक क्रान्ति ।		
अध्याय २२—राष्ट्रीयता की भावना का विकास	...	३०५
१. राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव । २. १८१५ के बाद राष्ट्रीयता की भावना । ३. नये शासन विधानों का निर्माण		
अध्याय २३—क्रान्ति की तीसरी लहर	...	३११
१. फ्रांस की तृतीय राज्यक्रान्ति । २. आस्ट्रियन साम्राज्य में क्रान्ति का प्रारम्भ । ३. जर्मनी में क्रान्ति का प्रभाव । ४. इटली में क्रान्ति की लहर । ५. अन्य देशों पर क्रान्ति का प्रभाव ।		

अध्याय २४—नैपोलियन तृतीय का साम्राज्य	...	३४६
१ सम्राट् नैपोलियन तृतीय का अभ्युदय । २ लुई नैपोलियन का शासन । ३. विदेशी युद्ध और पतन ।		
अध्याय २५—इटली की स्वाधीनता	...	३६१
१. इटली की स्वाधीनता । २. स्वाधीनता-संग्राम का प्रारम्भ । ३ राष्ट्रीय एकता की स्थापना ।		
अध्याय २६—जर्मनी का संगठन	...	३८०
१ राष्ट्रीय एकता का प्रादुर्भाव । २. बिस्मार्क का अभ्युदय । ३ डेन्मार्क के साथ युद्ध । ४ आग्नि प्रशियन युद्ध और उत्तरीय जर्मन राज्यसंघ का निर्माण । ५ फ्रेंको-प्रशियन युद्ध और जर्मन साम्राज्य की स्थापना ।		
अध्याय २७—इङ्ग्लैण्ड में सुधार का काल	...	४०६
१ पुराना इङ्ग्लैण्ड । २ शासन में सुधार ३. इङ्ग्लैण्ड की शासन पद्धति । ४ अन्य सुधार । ५ धार्मिक स्वतन्त्रता और शिक्षा प्रसार । ६ मजदूरों की दशा में सुधार । ७ व्यापारिक नीति ।		
अध्याय २८—आस्ट्रिया-हंगरी का संगठन	...	४४५
अध्याय २९—फ्रांस में तृतीय रिपब्लिक का शासन	...	४५३
१ फ्रांस में रिपब्लिक की स्थापना । २ रिपब्लिक का शासन । ३ चर्च का राज्य से पृथक् होना । ४. फ्रेंच साम्राज्य का विस्तार । ५ रिपब्लिक का शासन विधान और राजनीतिक दल ।		
अध्याय ३०—जर्मन साम्राज्य की प्रगति	.	४६१
१ जर्मन साम्राज्य का शासन विधान । २ बिस्मार्क का कार्य काल । ३ विलियम द्वितीय का शासनकाल ।		
अध्याय ३१—इटालियन राष्ट्र की प्रगति	...	५२०

अध्याय ३२—रशिया में नवयुग का प्रारम्भ ... ५३२

१. एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन । २. सुधारों का प्रारम्भ । ३. स्वाधीनता के लिये घोर संघर्ष । ४. रशिया में वैध राजसत्ता का विफल प्रयत्न ।

अध्याय ३३—टर्की और बाल्कन प्रायद्वीप के विविध राज्य ५६०

१. उन्नीसवीं सदी के शुरू में टर्की की दशा । २. बाल्कन राज्यों में राष्ट्रीय जागृति का प्रारम्भ । ३. बाल्कन प्रायद्वीप में अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रारम्भ और प्रीमियन युद्ध । ४. बाल्कन राज्यों की स्वाधीनता । ५. टर्की की विविध समस्याएँ । ६. टर्की की राज्यक्रान्ति और बाल्कन युद्ध ।

अध्याय ३४—साम्यवाद की नई लहर ... ६०५

१. सामाजिक संगठन सम्बन्धी नये विचार । २. साम्यवाद की प्रारम्भ । ३. कार्ल मार्क्स । ४. अराजकवाद ।

अध्याय ३५—पुराणा और नया साम्राज्यवाद ... ६२०

१. यूरोप का मध्यकालीन साम्राज्यवाद । २. नवीन साम्राज्यवाद का प्रारम्भ । ३. ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार । ४. उपनिवेश—कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिणी अफ्रीका । ५. ईजिप्ट । ६. ब्रिटिश साम्राज्य का एक संघ बनाने की समस्या

अध्याय ३६—आयरलैंड की स्वाधीनता ... ६७०

१. आयरलैंड की समस्या । २. धार्मिक स्वतन्त्रता । ३. भूमिसम्बन्धी सुधार । ४. स्वराज्य के लिए संघर्ष ।

अध्याय ३७—यूरोप का विस्तार ... ६६५

१. यूरोप और एशिया । २. यूरोपियन जातियों का चीन में प्रवेश । ३. चीन में नये जीवन का सञ्चार । ४.

जापान का उत्कर्ष । ५. रशिया और जापान का युद्ध ।
 ६. यूरोप के अन्य देशों में यूरोपियन साम्राज्यवाद । ७.
 यूरोपियन जातियों का अफ्रीका में प्रवेश ।

अध्याय ३८—महायुद्ध से पहले की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ७३८
 १. त्रिगुट का निर्माण । २. फ्रांस और रशिया का
 गुट । ३. जर्मनी और इङ्ग्लैण्ड ।

दूसरा भाग

अध्याय ३९—महायुद्ध के कारण ७५३
 १. आधारभूत कारण । २. संघर्ष का श्रीगणेश ।
 ३. युद्ध का तात्कालिक कारण ।

अध्याय ४०—महायुद्ध का इतिवृत्त ७७८
 १. युद्ध का इतिवृत्त । २. महायुद्ध की प्रगति । ३.
 महायुद्ध का दूसरा वर्ष । ४. अमेरिका का महायुद्ध में प्रवेश ।
 ५. महायुद्ध के आखिरी दो वर्ष । ६. महायुद्ध का अन्त ।

अध्याय ४१—शान्ति की स्थापना ८०७
 १. शान्ति सम्बन्धी समस्याएँ । २. युद्ध के मध्य में
 शान्ति के प्रयत्न । ३. पेरिस की शान्ति परिषद् । ४. वसिय
 की सन्धि । ५. सैं जर्मे की सन्धि । ६. न्वीय्ही की सन्धि ।
 ७. सेब्र की सन्धि ।

अध्याय ४२—महायुद्ध के परिणाम ८२६
 १. जन और धन का विनाश । २. राजनीतिक
 परिणाम । ३. राष्ट्रसंघ । ४. महायुद्ध के आर्थिक व
 सामाजिक परिणाम ।

अध्याय ४३—जर्मनी का पुनःनिर्माण ८५६
 १. जर्मनी में क्रान्ति । २. जर्मनी का नया शासन-

विधान । ३. जर्मनी में रिपब्लिक का शासन । ४. लोकानों की सन्धि ।

अध्याय ४४—यूरोप के नये राज्य ... ८६८

१. आस्ट्रिया-हंगरी का अन्तःपतन । २. हंगरी ३. चेको-स्लोवाकिया । ४. युगोस्लाविया । ५. रूमानिया ६. पोलैण्ड । ७. फिनलैण्ड । ८. एस्थोनिया । ९. लैटविया । १०. लिथुएनिया । ११. युक्रेनिया ।

अध्याय ४५—रशिया की राज्यक्रान्ति ... ९०४

१. क्रान्ति से पूर्व रशिया की दशा । २. क्रान्ति के कारण । ३. पहली राज्यक्रान्ति । ४. बोल्शेविक पार्टी । ५. बोल्शेविक क्रान्ति । ६. गृह-क्रान्ति । ७. बोल्शेविक सरकार ।

अध्याय ४६—बोल्शेविक रशिया ... ९४३

१. स्टालिन का उदय । २. नई आर्थिक नीति । ३. कृषिसम्बन्धी क्रान्ति । ४. व्यवसायों का संचालन । ५. पंचवार्षिक योजनाएँ । ६. बहिष्कार का अन्त । ७. शासन विधान । ८. विरोधियों का विनाश । ९. रशिया की उन्नति । १०. रशिया में धर्म का स्थान ।

अध्याय ४७—टर्की का अभ्युदय ... ९८०

१. सल्तनत का अन्त । २. कमालपाशा । ३. टर्की में राज्यक्रान्ति । ४. राज्यक्रान्ति की प्रगति । ५. लोजान और मोन्त्रो की संधियाँ ।

अध्याय ४८—ब्रिटिश साम्राज्य के आन्तरिक परिवर्तन ... ९९४

१. साम्राज्य विस्तार । २. आयरलैंड की स्वाधीनता । ३. मिश्र से संघर्ष । ४. भारत में स्वराज्य आन्दोलन । ५. ब्रिटेन का शासन ।

- अध्याय ४९—फ्रांस का उत्कर्ष ... १०१७
- अध्याय ५०—इटली में फैसिज्म का प्रारम्भ ... १०२५
१. फैसिज्म से पूर्व इटली की दशा । २. मुसोलिनी ।
३. फैसिस्ट शासन । ४. फैसिस्ट सिद्धान्त । ५. नई आर्थिक
व्यवस्था । ६. फैसिज्म की प्रगति ।
- अध्याय ५१—नाजी जर्मनी ... १०४३
१. हिटलर का उदय । २. नाजीज्म की सफलता के
कारण । ३. नाजी व्यवस्था । ४. जर्मनी का उत्कर्ष ।
- अध्याय ५२—अन्य देशों पर फैसिज्म का प्रभाव ... १०५६
१. स्पेन में राज्य-क्रान्ति । २. फ्रांको का उत्कर्ष । ३.
अन्य राज्यों में फैसिस्ट प्रवृत्तियाँ ।
- अध्याय ५३—आर्थिक संकट ... १०६८
१. हरजाने की समस्या । २. अन्य आर्थिक समस्याएँ ।
३. आर्थिक संकट का प्रादुर्भाव ।
- अध्याय ५४—अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या ... १०८५
१. राष्ट्रमंडल की विफलता । २. सुरक्षा के साधनों की
सोज । ३. निश्चिन्ता की समस्या ।
- अध्याय ५५—अन्तर्राष्ट्रीय मात्स्यन्याय ... ११०६
१. जापान और चीन । २. इटली का साम्राज्य-
विस्तार । ३. आस्ट्रियन रिपब्लिक का अन्त । ४. चेको
स्लोवाकिया का अन्त । ५. अल्बेनिया पर इटली की
पञ्जा ।
- अध्याय ५६—मिश्रसंग्राम का श्री गणेश .. ११२८
१. युद्ध की तैयारी । २. नई गुट-बन्धियाँ । ३. युद्ध
का श्रीगणेश । ४. युद्ध के कारण ।

अध्याय ५७—विश्वसंप्राम का इतिवृत्त ... ११४४

१. पोलैण्ड का अन्त । २. फिनलैण्ड पर रशियन आक्रमण । ३. नार्वे और डेनमार्क का अन्त । ४. दालैण्ड और बेल्जियम का अन्त । ५. फ्रांस की पराजय । ६. ब्रिटेन पर आक्रमण । ७. यूगोस्लाविया और ग्रीस का अन्त । ८. अफ्रीका पर आक्रमण । ९. सीरिया, ईराक और ईरान । १०. रशिया पर आक्रमण । ११. जापान और अमेरिका का युद्ध में प्रवेश । १२. पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व । १३. पश्चिम में विश्वसंप्राम की प्रगति । १४. रशिया में घमासान युद्ध । १५. चारता की दुर्घटना । १६. इटली का पतन । १७. स्मार्तंय आन्दोलन । १८. पूर्वी एशिया की लड़ाइयाँ ।

अध्याय ५८—विश्वसंप्राम का अन्त ... ११६४

१. फ्रांस की स्वाधीनता । २. जर्मनी का अंतिम प्रयत्न । ३. जर्मनी की पराजय । ४. जापान की पराजय । ५. अमानुषिक युद्ध । ६. नाजी शक्ति की पराजय के कारण । ७. विश्वसंप्राम के परिणाम और यूरोप की नई राजनीति ।

अध्याय ५९—शान्ति की स्थापना और यूरोप की नई व्यवस्था ... १२१६

• १. समस्याएँ । २. सहायक संस्था । ३. नई व्यवस्था के आदर्श । ४. सयुक्त राज्य संघ की स्थापना । ५. परास्त देशों से संधियाँ । ६. जर्मनी की नई व्यवस्था । ७. आस्ट्रिया की व्यवस्था । ८. जापान की व्यवस्था । ९. पूर्वी यूरोप । १०. रशिया । ११. कामिन्धर्म । १२. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दमे । १३. मार्शल योजना । १४. ब्रिटिश

साम्राज्य । १५. फ्रांस और हालैण्ड के साम्राज्य । १६.
अर्थसंकट का प्रारम्भ ।

अध्याय ६०—वर्तमान यूरोप ... १२८७

१. फ्रांस में चतुर्थ रिपब्लिक का शासन । २. ग्रेट ब्रिटेन की प्रगति । ३. रशिया । ४. रशिया का प्रभाव-क्षेत्र ।
५. चीन में कम्युनिस्ट प्रभाव । ६. नई गुटबन्धियाँ ।
७. वर्तमान जर्मनी । ८. अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष का नया क्षेत्र । ९. संयुक्त राज्यसंघ और अन्तर्राष्ट्रीय समस्यायें ।
१०. उपसंहार ।

चित्र सूची

पहला भाग

	पृष्ठ
(१) यूरोप में विचारों की क्रान्ति के प्रधान प्रवर्तक न्यूटन, दिदरो, वाल्टेयर और रूसो	... १६
(२) फ्रांस में राज्यक्रान्ति का श्रीगणेश (श्री. देसमोला जनता के बीच में)	... ८०
(३) गेरीवाल्डी	... ३६८
(४) प्रिंस विस्मार्क	... ४००
(५) वीएना की कांग्रेस के बाद १८१५ में यूरोप का मानचित्र (नकशा)	... २२४
(६) यूरोप का एशिया में विस्तार (नकशा)	... ७०४

दूसरा भाग

(७) लेनिन	... ६१२
(८) कमाल पाशा	... ६८०
(९) अडोल्फ हिटलर	... १०५६
(१०) श्री. जीरो, राष्ट्रपति रूजवेल्ट, जनरल द गॉल और श्री. चर्चिल	... १२१६
(११) १६१४-१८ के महायुद्ध से पूर्व का यूरोप (नकशा)	... ७६८
(१२) १६१४-१८ के महायुद्ध के बाद का यूरोप (नकशा)	... ८३२

निवेदन

स्वतन्त्र भारत के शासन-विधान में यह बात स्वीकृत कर ली गई है, कि हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है, और अधिक से अधिक पन्द्रह सालों में भारत की संघ सरकार अपने प्रायः सभी कार्य हिन्दी में करने लगेगी। भारतीय संघ के अन्तर्गत अनेक राज्य हिन्दी को अपनी राज-भाषा स्वीकार कर चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा भी हिन्दी के माध्यम द्वारा दी जाने लगी है। अब हिन्दी को वह गौरव-पूर्ण व उच्च स्थान प्राप्त हो गया है, जिसके लिए देश के राष्ट्रसेवक पिछली आधी सदी से यत्न कर रहे थे।

इस दशा में हिन्दी के लेखकों व प्रकाशकों पर विशेष उत्तरदायित्व आ गया है। अब यह आवश्यक हो गया है, कि इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, रसायन, भौतिक विज्ञान आदि सभी आधुनिक विषयों पर उच्च से उच्च ज्ञान हिन्दी में उपलब्ध हो। हिन्दी का साहित्य-भण्डार विविध वैज्ञानिक व आधुनिक विषयों की उच्च कोटि की पुस्तकों से इतना अधिक परिपूर्ण हो जाय, कि किसी को यह कहने का अवसर न रहे, कि साहित्य की कमी के कारण हिन्दी को उच्च शिक्षा की माध्यम बनाने व सरकारी कार्यों के लिए प्रयोग करने में रुकावट होती है।

हमारा प्रयत्न यह है, कि विविध विषयों पर उच्च कोटि की पुस्तकें हिन्दी में तैयार कराके उन्हें प्रकाशित करें। 'यूरोप का आधुनिक इतिहास' इसी मार्ग पर हमारा पहला कदम है। हमें आशा है, कि यह ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य की एक भारी कमी को पूर्ण करेगा।

सरस्वती सदन
नैनीताल

इतिहास पढ़ाया जाता था। अपने देश के इतिहास की अपेक्षा भी इंग्लैंड के इतिहास को अधिक महत्त्व दिया जाता था। यह हमारे देश का दुभाग्य था। हम ब्रिटेन के साम्राज्य के अधीन थे, अतः यदि ब्रिटिश लोग हमें अपने देश का इतिहास पढ़ा कर अपनी उत्कृष्टता का भिक्का हमारे दिमागों पर जमाने का प्रयत्न करते, तो इसमें आश्चर्य की क्या था ? यह ठीक है, कि केवल अपने देश के इतिहास को जानने से काम नहीं चल सकता। हमें दूसरे देशों का भी इतिहास पढ़ना चाहिए। आजकल प्रवृत्ति यह है, कि ससार के इतिहास को समग्र रूप से पढ़ा जाय, ससार एक है, मनुष्य जाति एक है, एक देश का दूसरे देश के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। यही कारण है, कि माननीय उन्नति की कथा को भी समग्र रूप से ही पढ़ना उचित है। अपने देश का इतिहास तो विस्तार के साथ पृथक् रूप से पढ़ना ही चाहिए। पर अपने देश के इतिहास के साथ-साथ ससार के इतिहास को भी समग्र रूप से पढ़ना आवश्यक है। यूरोप और अमेरिका के उन्नत देशों में आजकल यही दग भरता जाता है। वहाँ स्कूलों तक में इतिहास के नोट्स का निर्माण इसी दृष्टि से किया जाता है। पर भारत में स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के बाद भी अभी कालिजा तक में 'इंग्लैंड का इतिहास' पढ़ाया जा रहा है। यूरोप व समग्र ससार के इतिहास को पढ़ने की प्रवृत्ति अभी इस देश में बहुत कम है।

इसमें सन्देह नहीं, कि इंग्लैंड के इतिहास में अनेक उपयोगी अंश हैं। विशेषतया, पार्लियामेंट द्वारा शासन का विनाम और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार—ये दो बातें ऐसी हैं, जो इंग्लैंड के इतिहास की विशेषताएँ हैं, और जिनके सम्बन्ध में यथोचित जानकारी अत्यन्त इतिहास प्रेमी के लिए आवश्यक है। पर इंग्लैंड के इतिहास का और बहुत सी घटनाएँ ऐसी हैं, जिनका दूसरे देशों के लिए कोई विशेष उपयोग नहीं है। मेरी सम्मति में, आजकल भारत के स्कूलों और

कालिजों में जो स्थान इंगलैण्ड के इतिहास को प्राप्त है, वह यूरोप के इतिहास को मिलना चाहिए। इंगलैण्ड के इतिहास की मुख्य घटनाएँ, पार्लियामेंट द्वारा शासन का विकास और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार—यूरोप के इतिहास में आ ही जाती हैं। यूरोप का इतिहास पढ़ने से फ्रांस, जर्मनी, रशिया आदि अन्य देशों के इतिहास की भी उन बहुत सी घटनाओं का बोध होता है, जिन्हें जाने बिना संसार की वर्तमान प्रगति का परिचय नहीं हो सकता। मुझे आशा है, हमारे देश के शिक्षा-विज्ञ इस तरफ ध्यान देंगे, और यूरोप के आधुनिक इतिहास को पढ़ने की ओर हिन्दी पाठकों की रुचि अधिकाधिक बढ़ेगी। भारत में अब स्वराज्य स्थापित हो गया है। राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ-साथ हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक क्षेत्रों में भी स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति बढ़ रही है। नये विचार प्रवेश कर रहे हैं, और पुरानी रूढ़ियों व विश्वासों के विरुद्ध एक प्रकार की प्रतिक्रिया व क्रान्ति की प्रवृत्ति प्रबल हो रही है। ऐसे समय में यूरोप के आधुनिक इतिहास का अनुशीलन और भी अधिक उपयोगी है। यूरोप में ये प्रवृत्तियाँ हम से पहले आ चुकी हैं, और उसका अनुभव हमारे लिए मार्ग-प्रदर्शन कर सकता है।

यद्यपि यह पुस्तक यूरोप का आधुनिक इतिहास है, पर इसमें अन्य देशों का वृत्तान्त भी संक्षेप से आ गया है। जापान, चीन, ईरान, टर्की, अमेरिका आदि अन्य देशों के आधुनिक इतिहास की बहुत सी शतव्यवृत्तों का समावेश प्रसंगवश इस पुस्तक में हुआ है। इससे इस पुस्तक की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई है। मुझे आशा है, कि इस इतिहास से हिन्दी-प्रेमियों को मन्तोष होगा।


सत्यकेतु विद्यालंकार

पहला भाग

(१७८९ से १९१४ तक)



न्यूटन



दिलरो



वाल्टेयर



रूसो

यूरोप में विचारों की क्रांति के प्रधान प्रवर्तक

यूरोप का आधुनिक इतिहास

पहला अध्याय

विषय प्रवेश

१. प्रस्तावना

फ्रांस में राज्य क्रान्ति को हुए ग्रभो डेढ सो वर्ष के लगभग हुए हैं। डेढ सदी के इस ंडे से समय में यूरोप ने जो असाधारण उन्नति की है, उसे देखकर आश्चर्य होता है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक—सभी क्षेत्रों में यूरोप में एक युगान्तर उपस्थित हो गया है। अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग में, फ्रेंच राज्यक्रान्ति के श्रीगणेश के समय, यूरोप में एक भी देश ऐसा नहीं था, जहाँ लोकतन्त्र शासन हो। प्रायः सब देशों में बशकम से आये हुए एकतन्त्र स्वैच्छाचारी निरहुरा गजा राज्य करते थे। उनका शासन सम्यन्धी मुख्य सिद्धान्त यह था—“हम पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, और हमारी इच्छा ही कानून है।” समाज में ऊँच नाच का भेद विद्यमान था। कुछ लोग ऊँचे समझे जाते थे, न्यायिक थे कुलीन वर्ग में पैदा हुए थे। दूसरे लोग नीचे समझे जाते थे, क्याकि वे जन्म से नीचे थे। फल कारखानों का

लाजों गज कपड़ा तैयार करती हैं। कल कारखानों के विकास ने रोप के आर्थिक जीवन को विलकुल बदल दिया है। स्वतन्त्र कारीगरों का स्थान आज पूँजीपति और मजदूर ने ले लिया है। स्त्रियाँ अब स्वाधीन हो चुकी हैं। उन्हें सब क्षेत्रों में अब पुरुषों के बराबर अधिकार मिल गये हैं। स्त्रियों की स्वाधीनता के कारण यूरोप के सामाजिक और आर्थिक जीवन में भारी परिवर्तन आ गया है। धर्म के क्षेत्र में राज प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है। धर्म के कारण आज कोई व्यक्ति किसी अधिकार से वञ्चित नहीं रहना।

यह महान् परिवर्तन किस प्रकार आ गया, यही हम इस इतिहास में स्पष्ट करेंगे। पर यह ध्यान में रखना चाहिए, कि यह परिवर्तन एकदम नहीं हुआ। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई परिवर्तन अकस्मात् एकदम नहीं होता। मानव शरीर के समान मनुष्य जाति भी एक जीती जागती चेतन सत्ता है। उसमें उन्नति और हास दोनों धीरे धीरे होते हैं। हमने १७८६ से यूरोप के आधुनिक इतिहास को शुरू किया है। इस वर्ष फ्रांस में राज्य क्रान्ति का धीमगोश हुआ था। पर यह नहीं समझना चाहिये, कि १७८६ में ये सब महान् परिवर्तन यूरोप में अकस्मात् शुरू हो गये थे। ये परिवर्तन देर से धीरे धीरे हो रहे थे। १७८६ के बाद भी ये धीरे धीरे होते रहे। पर सुगमता के लिये हमने १७८६ के साल को आधुनिक यूरोपियन इतिहास का प्रारम्भ करने के लिये चुन लिया है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में बाल्य, यौवन और बुढ़ापा—तीनों अवस्थाएँ क्रमशः आती हैं। हम यह नहीं बता सकते कि किस दिन बाल्यकाल समाप्त हुआ और यौवन का प्रारम्भ हुआ, या यौवन का अन्त हो बुढ़ापा शुरू हुआ। पर यह निश्चित है, कि किसी समय बाल्य के बाद यौवन और यौवन के बाद बुढ़ापा आ जाता है। हम केवल सुगमता के लिये यह मान लेते हैं, कि २५ वर्ष की आयु में यौवन और ५० वर्ष में बुढ़ापा शुरू हो जाता है। इसी तरह मनुष्य जाति के इतिहास में परिवर्तनों के धीरे धीरे

होने का कारण यह नहीं कहा जा सकता, कि कब मध्यकाल समाप्त हुआ और आधुनिक काल का प्रारम्भ हुआ। पर इतिहास लेखक अपना सुगमता के लिये कोई निश्चित वर्ष चुन लेते हैं, और हमने इस इतिहास में फ्रांस का राज्यक्रान्ति का भीगणेश के वर्ष—सन् १७८९ को आधुनिक यूरोपियन इतिहास को शुरू करने के लिये चुना है।

१७८९ से १९४९ तक लगभग डेढ़ सदी के इस काल में यूरोप ने न आश्चर्यजनक उन्नति की है, उसी पर हम इस ग्रन्थ में प्रकाश डालेंगे। पर यूरोप का आधुनिक इतिहास को शुरू करने से पूर्व यह जरूरी है, कि हम प्राचीन और मध्यकालीन यूरोप के सम्बन्ध में भी कुछ विचार करें। पुराने यूरोप को जाने बिना नवीन यूरोप को समझ सकना कठिन है।

२. प्राचीन काल

यूरोप का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। आज से ढाई हजार वर्ष यूरोप का उत्तम भाग जङ्गला से आच्छादित था। जहाँ आज फल इङ्गलैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, नार्वे, स्वीडन, आस्ट्रिया आदि के सम्य और समृद्ध राज्य हैं, वहाँ उस समय प्रायः जंगली और असभ्य लोग बसते थे। उस समय यूरोप में केवल दो देश ऐसे थे, जहाँ सभ्यता का विकास हो रहा था। वे देश हैं, ग्रीस और रोम। आज से ढाई हजार वर्ष पहले ग्रीस अच्छा उन्नत और सभ्य देश था। वहाँ के लोग सुन्दर मकानों में रहते थे, खेती करते थे, मसालों के बूटों पर विचार करते थे, और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा कर देहलास और परलोक में सुखी होने का प्रयत्न करते थे। राजनीतिक दृष्टि से ग्रीस एक राज्य नहीं था। उसमें बहुत से छोटे छोटे राज्य थे, जिन्हें हम नगर राज्य (सिटी स्टेट) कहते हैं। विभिन्न नगर राज्यों के निवासी आपस में निरन्तर लड़ते रहते थे, और एक दूसरे को अधीन कर अपना 'साम्राज्य' बनाने का यत्न करते थे। कुछ नगर राज्यों में बशकम से चाहे राजा शासन

थे। रोम का छोटा-सा गणराज्य इस विशाल साम्राज्य पर शासन कर रहा था।

यद्यपि रोम की कांया बहुत बढ़ गई थी, पर उसके शासन में निरन्तर हास होता जा रहा था। रोम के नागरिकों के लिये इस विशाल साम्राज्य पर शासन करना निरन्तर कठिन होता जाता था। इसी कारण रोम के गण शासन का अन्त हुआ, और सीजर, जो पहले रोम का एक सफल सेनापति था, अपनी सेना के बल से रोम का सम्राट् बन गया। सीजर से (२७ ई० पू०) रोम में राजसत्ता का प्रारम्भ हुआ, और आगे कई सदियों तक वहाँ एकतन्त्र राजा ही शासन करते रहे। रोम के राजाओं में से बहुत से एकतन्त्र, स्वैच्छाचारी, क्रूर और अत्याचारी थे। धार्मिक दृष्टि से वे बड़े अनहिष्णु थे। ईसाइयों पर वे घोर अत्याचार करते थे। ईसाई प्रचारकों को जीति जी आग में जलवा देना उनके लिये बड़ी मामूली बात थी।

कई रोमन सम्राट् बड़े प्रतापी हुए। उन्होंने अपना साम्राज्य और अधिक विस्तृत किया। सम्राट् ट्राजन (१०० ई०) के समय में रोमन साम्राज्य का अधिकतम विस्तार हुआ। उसके समय में इङ्ग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, र्हाइन और डैन्यूब नदियों तक जर्मनी, अस्ट्रिया और हंगरी, ग्रीस, दल्गेरिया, रूमानिया, एशिया माइनर, आर्मीनिया, सीरिया, पैलेस्टाइन, ईजिप्ट, और उत्तरी अफ्रीका का भूमध्यसागर के साथ साथ का सारा प्रदेश रोमन-साम्राज्य के अन्तर्गत था। यहाँ इङ्ग्लैंड, फ्रांस आदि जो नाम हमने दिये हैं, वे उस समय इन देशों के नहीं थे। ये नाम बाद में हुए। केवल सुगमता के लिये ये नाम हमने दिये हैं।

रोम का यह साम्राज्य देर तक कायम नहीं रह सका। रोमन-साम्राज्य के उत्तर में बहुत सी जङ्गली जातियाँ निवास करती थीं, इन्हे ऐतिहासिक लोग जर्मन जातियाँ कहते हैं। तीसरी सदी में इन जर्मन जातियों ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण शुरू किये। इस समय तक रोमन सम्राट्

निर्बल होने शुरू हो गये थे। वे राजकार्य से विमुक्त हो भोग विलास में पसने लगे थे। इन निर्बल सम्राटों के लिये सम्भव नहीं था, कि इन शक्तिशाली जर्मन जातियों की बाढ़ को रोक सकें। गाथ, फ्रंक्रू, वैन्डल, लाम्बार्ड आदि विविध जर्मन जातियाँ कई सदियों तक निरन्तर आक्रमण करती रहीं और इनके आक्रमणों से रोमन साम्राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया।

पहले रोमन साम्राज्य दो भागों में विभक्त हुआ पूर्वी साम्राज्य और पश्चिमी साम्राज्य। पूर्वी साम्राज्य की राजधानी कान्स्टेन्टिनोपल थी और पश्चिमी साम्राज्य को रोम। कान्स्टेन्टिनोपल का पूर्वी साम्राज्य पन्द्रहवीं सदी तक कायम रहा। पर रोम का पश्चिमी साम्राज्य पाँचवीं सदी में नष्ट हो गया। जर्मन जातियों ने रोमन साम्राज्य के भस्मावशेष पर अपने स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना की। ऍंगल जाति ने इङ्गलैंड, फ्रेंक जाति ने फ्रान्स, लाम्बार्ड जाति ने लाम्बार्ड—इसी प्रकार अन्य विविध जातियों ने अपने अपने विविध राज्य कायम किये। ये जातियाँ विजेता अवश्य थीं पर सभ्यता की दृष्टि से रोमन लोगों से बहुत पीछे थीं। यही कारण है, कि रोमन साम्राज्य को विजय करके भी भाषा, सभ्यता, धर्म, संस्कृति आदि के क्षेत्र में ये जर्मन जातियाँ रोमन लोगों से पराभूत हो गईं। इन्होंने रोमन लिपि, रोमन धर्म (उस समय तक रोमन लोग ईसाई हो चुके थे) रोमन सभ्यता तथा रोमन कला को स्वीकृत किया।

हमने अभी ईसाई धर्म का जिक्र किया था। इस धर्म का प्रारम्भ रोमन साम्राज्य के एक दूरवर्ती प्रांत पैलेस्टाइन में हुआ था। पैलेस्टाइन में यहूदों या हिब्रू लोग बसते थे। इनमें जीम्स नाम के एक सुधारक का -न्म हुआ, जिसने यहूदियों के प्राचीन धर्म में सुधार कर एक नये धार्मिक आन्दोलन का प्रारम्भ किया। इसी को ईसाई धर्म कहते हैं। रोमन सम्राट् इस नये धार्मिक आन्दोलन को नहीं सह सके। इसका कारण यह था, कि जीम्स रोमन सम्राट् को 'देवी' नहीं मानता था। उस समय के रोमन लोग सम्राट् को देवता समझ कर उसकी पूजा करते थे। पर

जीसस इसका विरोध करता था। ईसाई लिये उसे प्राण-दण्ड दिया गया और उसके अनुयायियों पर घोर अत्याचार किये गये। पर ईसाई धर्म का प्रचार इन अत्याचारों से रुका नहीं। सर्व साधारण लोग ईसाई धर्म के उदात्त मिदान्तों तथा उसके प्रचारकों की कुबानियों से प्रभावित हो बड़े वेग से उसकी और आकृष्ट हो रहे थे। अन्त में सम्राट् कान्स्टन्टाइन (३०६ ई०) ने जब ईसाई धर्म को स्वीकार कर उसे राजधर्म बना लिया, तब उसका प्रचार और भी तेजी से हुआ और धीरे-धीरे रोमन साम्राज्य के सब निवासी ईसाई हो गये। रोम, कान्स्टेन्टिनोपल आदि साम्राज्य के बड़े नगरों में बड़े बड़े ईसाई मठ कायम हुए, और इनके महन्त अपने ईसाई भक्तों से बहुत ना धन ऐश्वर्य भेंट उपहार आदि के रूप में प्राप्त करने लगे।

जर्मन जातियों के आक्रमणों से रोमन साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। यूरोप की राजनीतिक एकता नष्ट हो गई थी। पर ईसाई धर्म के कारण धार्मिक एकता अब भी विद्यमान थी। फ्रेंक, इङ्गलिश, स्पेनिश, लाम्बार्ड आदि सब राज्यों के निवासी राजनीतिक दृष्टि से पृथक् होते हुए भी धार्मिक दृष्टि से एक थे और अपने को एक समझते थे। रोम की राजनीतिक शक्ति नष्ट हो गई थी, पर उसका रोच अब भी कायम था। रोम के रोच के साथ वहाँ के ईसाई मठ का रोच भी विद्यमान था, और क्योंकि विविध यूरोपियन राज्यों के निवासी एक ईसाई धर्म के अनुयायी थे, इसलिये वे गौरवशाली रोम के ईसाई महन्त (पोप) का रोच भी मानते थे। रोम के सम्राट् नष्ट हो चुके थे, पर रोम के पोप तो विद्यमान थे। राजनीतिक दृष्टि से लोग चाहे अपने अपने राजा की अधीनता स्वीकार करते हों, पर धार्मिक दृष्टि से सब लोग रोम के पोप को अपना स्वामी समझते थे। रोम का राजनीतिक साम्राज्य नष्ट हो जाने के बाद भी उसका धार्मिक साम्राज्य जारी था। रोम का पोप विविध देशों में अपने प्रतिनिधि नियत करता था। ईसाई चर्च की सारी सम्पत्ति पोप व

उसके प्रतिनिधियों के अधीन थी। पादरी और पुरोहित लोग अपने को पोप के अधीन समझते थे। पोप एक धार्मिक चक्रवर्ती के समान सम्पूर्ण क्रिश्चियन सभार (क्रिश्चियन्डम) पर शासन करता था।

३. सामन्त पद्धति और पवित्र रोमन साम्राज्य

इस समय यूरोप में कोई एक राज्य नहीं था। दस बीस नहीं, सैकड़ों नहीं, अपितु हजारों छोटे बड़े राज्य इस समय यूरोप में कायम थे। छठी और सातवीं सदी—यूरोप के इतिहास में अव्यवस्था और अराजकता की सदियों थी। जिन जर्मन जातियों ने आक्रमण कर रोमन साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया था, उनके सैकड़ों सरदारों ने भिन्न भिन्न स्थानों पर अपने स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिये थे। उनके अतिरिक्त, जो प्रदेश जर्मन आक्रमणों से बच गये थे, उन पर पुराने रोमन युग के जमींदार या राजकर्मचारी स्वतन्त्रता के साथ राज्य करने लगे थे। कोई कोई प्रदेश ईसाई महन्तों के हाथ में थे, और वहाँ बड़े व्यापारिक नगरों में व्यापारियों के समूह स्वतन्त्रता के साथ राज्य करते थे। मतलब यह है, कि यह काल राजनीतिक दृष्टि से सर्वथा अराजकता से पूर्ण था। जिनके पास शक्ति थी, वही अग्नी सत्ता कायम निये हुए था, सर्वसाधारण लोगों की जान और माल इस समय तब तक सुरक्षित नहीं थे, जब तक वे किसी शक्तिशाली व्यक्ति के संरक्षण में अपने को न ले आते। इसी परिस्थिति में सामन्त पद्धति का जन्म हुआ।

उन अव्यवस्था और अराजकता के युग में इस पद्धति द्वारा धीरे धीरे व्यवस्था का विकास हुआ। जिन प्रदेशों पर कोई विजेता सरदार अपना अधिकार स्थापित करता था, वहाँ वह जीते हुए प्रदेश को अपने साथियों में बाँट देता था। यदि उस विजेता सरदार को हम राजा कहें, तो उसके इन साथियों को हम सामन्त कहना चाहिये। ये सामन्त यद्यपि अपनी जागीर राज्य से प्राप्त करते थे, पर अपने प्रदेश के पूरे स्वामी

होते थे। राजा के साथ उनका यह सम्बन्ध था, कि जब राजा को ग्राह्य शक्ति हो, वे अपने सैनिकों के साथ उसकी सहायता करते थे। वीन सामन्त कितने सैनिक लावे, इसकी सख्खा रिवाज द्वारा निश्चित होती थी। इसके अतिरिक्त, विशेष विशेष अवसरों पर ये सामन्त राजा की सेवा में तरह तरह के उपहार भेज करिया करते थे। यह निश्चित टैक्स इन्हें नही देना पड़ता था। जब तक ये राजा के विरुद्ध विद्रोह न करें, और उसके प्रति अनुरक्त रहें, जागीर पर इनका और इनकी सन्तान का अधिकार रहता था। सामन्त लोग भी अपनी जागीरों पर अपने साधियों में आँते थे। इस प्रकार सामन्तों के भी सामन्त हाते थे। उनका सम्बन्ध अपने स्वामी से ठाक वैसा ही होता था, जैसा बड़े सामन्त का अपने राजा से।

विभिन्न प्रदेशों पर किसी विजेता सरदार ने अधिकार नहीं किया था, वहाँ पर भी इसी ढङ्ग की सामन्त पद्धति का प्रसार हो गया था। वहाँ क निर्मल लोगों ने अपने प्रदेश को शक्तिशाली व्याक्त के साथ, और इन शक्तिशाली लोगों ने उस प्रदेश को और अधिक प्रबल व्यक्ति के साथ इसी पद्धति से सम्बन्ध कर लिया था। सामन्तपद्धति एक पिरामिड के समान थी, जिसमें सबसे ऊपर एक प्रबल प्रतापी राजा हाता था, उसके नीचे कुछ बड़े बड़े सामन्त, उनके नीचे बहुत से रायराजा और सबसे नीचे अनगिनत छोटे छोटे जागीरदार हाते थे।

सामन्तपद्धति के समय विविध राजाओं में परस्पर संघर्ष चलता रहता था। जो राजा हार जाता था, वह प्रायः विजेता का सामन्त बन जाता था। अनेक प्रतापी सामन्त अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर अपने को स्वतन्त्र राजा बनाने का उद्योग करते रहते थे। इस प्रकार सामन्तपद्धति के युग में शांति का व्यवस्था नश्यत नही रह सकती थी। सामन्तपद्धति के विकसित होने पर भी यह व्यवस्था और अराजकता का युग था।

विविध सामन्तों और राजाओं के इस संघर्ष में सबसे अधिक सफलता चार्ल्स मार्टल को हुई। यह चार्ल्स मार्टल सम्पूर्ण फ्रांस, बेल्जियम,

हालेण्ड, जर्मनी और आस्ट्रिया का अधिपति था। यह मतलब नहीं, कि इन विस्तृत प्रदेशों का यह एकच्छत्र सम्राट् था। इन प्रदेशों पर अनगिनत छोटे बड़े सामन्त राज्य करते थे, पर उन सब पर इस चार्ल्स मार्टल का आधिपत्य था। इसका समय ७२१ ईस्वी से शुरू होता है। चार्ल्स मार्टल के बाद उसका लड़का पेपिन (७५१) और उसके बाद शार्लमेगन (७६८) इन विस्तृत प्रदेशों का अधिपति बना। शार्लमेगन ने अपने प्रदेशों को और अधिक विस्तृत किया। पहले उसने उत्तरी इटली को विजय किया और उसके बाद ७७५ ईस्वी में रोम को भी जीत लिया।

अब शार्लमेगन फ्रांस, जर्मनी, हालेण्ड, बेल्जियम, आस्ट्रिया और इटली का स्वामी था। रोम उसके अधीन था। उसका साम्राज्य पुराने रोमन साम्राज्य का स्मरण दिखाता था, रोमन साम्राज्य की स्मृति अभी तक जीवित थी। रोम का राजनीतिक साम्राज्य यद्यपि नष्ट हो गया था, तथापि रोम का धार्मिक साम्राज्य अभी विद्यमान था। रोम के धार्मिक साम्राज्य ने रोम के राजनीतिक साम्राज्य की कल्पना को भा जीवित रखा हुआ था। शार्लमेगन द्वारा इसी कल्पना को मूर्तरूप धारण करने का अवसर अब प्राप्त हुआ।

७६५ ईस्वी में पोप के प्रभावशाली पद पर लिथो तृतीय आरूढ हुआ। रोम में लिथो तृतीय के विरोधी बहुत अधिक थे। ७६६ ईस्वी में जब रोम में एक जुलूम निरूढ रहा था, लिथो पर हमला हुआ और उसे राहित होकर रोम से भागना पडा। उस समय इटली का अधिपति शार्लमेगन था, अतः स्वाभाविक रूप से लिथो ने अपनी रक्षा के लिये शार्लमेगन से शरण ली। शार्लमेगन की सहायता में ८०० ईस्वी में लिथो तृतीय ने फिर रोम में प्रवेश किया और पोप की गद्दा को प्राप्त किया।

८०० ईस्वी में क्रियमस के दिन एक बड़ी महत्त्वपूर्ण घटना हुई। जिस समय शार्लमेगन सेण्टपीटर के गिरजे में प्रार्थना कर उठ रहा था,

पोप लिओ तृतीय ने उसके सिर पर राजमुकुट धर उने 'सीजर' और 'आगस्टस' के रूप में सम्बोधित किया। 'साजर' और 'आगस्टस' प्राचीन रोमन सम्राटों की उपाधियाँ थीं। शालमगन को साजर और आगस्टस बना कर लिओ तृतीय ने रोमन साम्राज्य का पुनरुद्धार किया। क्योंकि ये नये सम्राट पोप से अभिषिक्त हा सम्राट पद को प्राप्त करते थे और पोप क धामक प्रभुत्व का मानते थे, इसी लिये इन्हें 'पवित्र रोमन सम्राट' और इनके साम्राज्य का पवित्र रोमन साम्राज्य (होली रोमन एम्पायर) कहते हैं।

४७६ ई० में रोमन साम्राज्य का अन्तिम रूप से विनाश हुआ था—जब याठवा और नवीं शताब्दियाँ के सन्धिकाल में ८०० ईस्वी के निममस के दिन उसका पुनरुद्धार हुआ। यद्यपि कहने से यह रोमन साम्राज्य था, पर इसकी शक्ति का केंद्र इटली न होकर चमनी था। ये नये रोमन सम्राट् एकतन्त्र प्रतापी सम्राट् न थे, इनकी शक्ति उन अनगिनत सामन्तों पर आश्रित थी, जो सदा विद्रोह और स्वच्छाचार के लिये उत्पन्न रहते थे। पवित्र रोमन सम्राट् का पद भी शालमगन के वशवाचक सदा स्थिर नहा रहा। जब जय राजपश अधिक प्रचल हो गये, और जय राजाओं व सामन्तों का अपनी प्रभुता स्वीकृत कराने में समर्थ हुए, तो पवित्र रोमन सम्राट् भी उसी वश क टाने लगे।

शालमगन की मृत्यु ८१४ ईस्वी में हुई। उसके बाद उसका वंशधरों ने परस्पर लड़ाई प्रारम्भ कर दी। शालमगन का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। उसमें भाषा, संस्कृति आदि की बहुत भिन्नता थी। उसका जो प्रदेश पहले रोमन साम्राज्य में रह चुका था— उसकी भाषा, सभ्यता आदि पर रोम का बड़ा प्रभाव था। जो प्रदेश पुराने रोमन साम्राज्य में नहा रहे थे, उन पर रोमन प्रभाव नया था। जय कारण रडान्न नदी के पश्चिम और पूरु के प्रदेशों में मौलिक भिन्नता था। शालमगन के वंशधरों के पारस्परिक झगड़ों के कारण ये दोनों प्रदेश एक दूसरे से

पृथक् हो गये। रूहाइन के पश्चिम में फ्रांस का प्रदेश पवित्र रोमन साम्राज्य से निकल गया। ८४० ईस्वी के बाद फ्रांस का विकास एक पृथक् राज्य के रूप में होने लगा और रूहाइन के पूर्व में विविध राजा व महाराजा पवित्र रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत रहते हुए निरन्तर एक दूसरे के साथ संघर्ष में व्याप्त रहे।

४. क्रूसेड

छठी शताब्दि के अन्त में अरब के मरुस्थल में एक महान् नेता तथा सुधारक का जन्म हुआ। इसका नाम था मुहम्मद। मुहम्मद ने पूर्व अरब में बहुत सी छोटी-छोटी जातियाँ थीं, जो निरन्तर आपस में लड़ती रहती थीं। अरब लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, और अनेक विधि-विधानों तथा पूजापाठ द्वारा उन्हें संतुष्ट करते थे। मुहम्मद ने अरब के इस पुगने धर्म में सुधार किया। ईश्वर एक है, सब मनुष्य उस एक ईश्वर के पुत्र हैं, सब परस्पर भाई हैं—इन सिद्धान्तों का प्रचार मुहम्मद ने किया। इतना ही नहीं, मुहम्मद ने अरब की विविध जातियों को संगठित कर उसे एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में परिवर्तित किया। इसके बाद अरब लोगों ने बड़ी उन्नति की। देखते-देखते अरब का साम्राज्य पूर्व में सिन्धु नदी तक और पश्चिम में स्पेन तक विस्तृत हो गया। सिन्ध, बिलोनिसनान, पर्शिया, ईराक, आर्मेनिया, काशगर, तुर्किस्तान, एशिया माइनर, पेलेस्टाइन, ईजिप्ट, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन—ये सब प्रदेश अरब साम्राज्य के अन्तर्गत थे। सभ्यता के क्षेत्र में भी अरब लोगों ने बड़ी उन्नति की। गणित, ज्योतिष, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में इन अरबों ने बहुत सो नई खोज की। अरब लोग धार्मिक क्षेत्र में भी सहिष्णु थे। ईसाइयों की धर्म भूमि पेलेस्टाइन उनके साम्राज्य के अन्तर्गत थी—पर वहाँ तार्थ करने के लिये आनेवाले ईसाई यात्रियों पर वे अत्याचार नहीं करते थे।

पृथक् हा गये। रूहाइन के पश्चिम में फ्रांस का प्रदेश पवित्र रोमन साम्राज्य से निकल गया। ८४० ईस्वी के बाद फ्रांस का विकास एक पृथक् राज्य के रूप में होने लगा और रूहाइन के पूर्व में विभिन्न राजा व महाराजा पवित्र रामन साम्राज्य के अन्तर्गत रहते हुए निरन्तर एक दूसरे के साथ संपर्क में व्याप्त रहे।

४. क्रूसेड

छठी शताब्दि के अन्त में अरब के मरुस्थल में एक महान् नेता तथा सुधारक का जन्म हुआ। इसका नाम था मुहम्मद। मुहम्मद से पूर्व अरब में बहुत सी छोटी छोटी जातियाँ थी, जो निरन्तर आपस में लड़ती रहती थी। अरब लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, और अनेक विधि विधानों तथा पूजापाठ द्वारा उन्हें सन्तुष्ट करते थे। मुहम्मद ने अरब के इस पुराने धर्म में सुधार किया। ईश्वर एक है, सब मनुष्य उस एक ईश्वर के पुत्र हैं, सब परस्पर भाई हैं—इन सिद्धान्तों का प्रचार मुहम्मद ने किया। इतना ही नहीं, मुहम्मद ने अरब की विभिन्न

लगा सकता था—पर चर्च के टैक्सों से कोई वञ्चित नहीं था। चर्च के अपने कानून थे, अपने न्यायालय थे, अपनी पुलिस थी, ग्रीग अपनी दरद व्यवस्थाये थी। चर्च का सगठन टीग राज्यों का सा था। चर्च की अपनी सरकार हाती थी। प्रत्येक व्यक्ति चर्च को सरकार के अधीन था, चाहे वह पुरोहित हो या सामान्य मनुष्य। पर चर्च के आदमिया पर राजा का कानून नहीं लगता था—उन्हें राजगौर न्यायालय दण्ड नहीं दे सकते थे।

चर्च की स्थिति सग राज्यों व राजाग्रा से ऊपर थी। प्रत्येक राजा उसके अधीन होता था। यदि चर्च चाहे, तो किसी भी राजा को पदच्युत कर सकता था। अपनी आजा को मनाने के लिये चर्च के पास दो बडे साधन थे—

१ धर्म-अधिकार—यदि कोई राजा व अन्य मनुष्य चर्च की बात न माने, तो चर्च उस धर्म बहिष्कृत कर देता था। आजकल धर्म से बहिष्कृत हो जाना बडी बात नहीं है। पर उस समय के यूरोपियन लोग धर्मप्राण होते थे। धर्म अधिकार उन्हें बाध करने के लिए बडा उत्तम साधन था।

२ धार्मिक हठतालि—यदि कोई राजा धर्म बहिष्कार से बाध न आवे, तो चर्च उसके राज्य में हठतालि कर देता था। पादरी अपना काम करना बन्द कर देते थे। उच्चों का उपतिस्मा नहीं होता था। मृतकों का संस्कार नहा हो सकता था। चर्च के घण्टे नहीं सुनाई देते थे। पादरी लाग श्रद्धालु भक्ता से पाप श्रवण करना बन्द कर देते थे। धर्मप्राण जनता बिन्ताकुल हो किर्तव्यविमूढ हो जाती थी। सारे राज्य में हाहाकार मच जाता था।

अनेक बार पाप राजा को पदच्युत कर उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के राजा बनने की उद्घोषणा करता था, और धर्म भक्त प्रजा को आज्ञा देता था, कि पदच्युत राजा का साथ छोड़कर नये राजा का

अनुगमन कर । उस समय ही यूरोपियन जनता पाप की आजाग उल्लंघन नहीं कर सकती थी ।

मध्यकाल में पाप और चर्च की यह मजान् शक्ति थी । उनके ये आजागधारण अधिकार थे ।

पर धीरे धीरे चर्च में विकार आने लगा । पाप और अन्य पादरी लाग अपने कर्तव्यों में विमुक्त हो भाग तिलास में मस्त रहने लगे । पाप एन वैभवशाली सम्राट की तरह अपना जीवन व्यतीत करता था—उसके त्रिशप और एरट बड़े बड़े मामन्तां और मनसबदारों के समान आराम की जिन्दगी व्यतीत करते थे । सम्पत्ति के बढ़ने के साथ साथ पादरियों में अनेक दोष तथा बुराइयां आने लगी थीं । धर्मगुरु का अछली कार्य सेवा, परोपकार और सन्मार्ग का प्रदर्शन है । पर यूरोप के मध्यकालीन धर्मगुरु पदा के लिये आपस में लड़ते थे, आमोद प्रमोद में मस्त रहते थे और स्वार्थ का जीवन व्यतीत करते थे । इन कारणों से चर्च का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा । लोग सोचने लगे, कि क्या चर्च की यह अपार सम्पत्ति और भोगविलास क्रिश्चियन धर्म के अनुकूल है ।

यही कारण है, कि तरहना मर्दा में यूरोप में अनेक एस आचाय उत्पन्न होने शुरू हुए, जिन्होंने चर्च की शक्ति और वैभव के विरुद्ध आवाज उठाई । बाल्टा, जान स्त और त्रिक्लिफ इनमें प्रमुख हैं । इन आचायों ने यत्न किया, कि ईसाइ धर्म का सुधार किया जाव और चर्च अपने कर्तव्य का पालन करे । पर पाप की सम्पत्ति में ये लोग माफिर और धर्मद्रोही थे । इनके विरुद्ध क्रूसेड उद्घाषित किया गया । गारटा के अनुयायी बाल्डेन्सियन लोग दांतणी फ्रांस में बुरी तरह कतल किये गये । बोरेमिया में हस्त र अनुयायियों के विरुद्ध साकायदा मेनायें भजी गईं । स्त का जीते जी आग में तलाया गया । त्रिक्लिफ की हड्डियों को तगर से निकाल कर अग्नि में भस्म किया गया ।

चर्च के विरुद्ध केवल जनता में ही अस-तोप नहीं था। राजा लोग भी चर्च की शक्ति तथा वैभव का इया की दृष्टि से देखने लगे थे। अनेक आत्माभिमानी राजा चर्च के इशारे पर नाचने के लिये तैयार नहीं थे। उन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। ग्रेगोरि कैडरिक द्वितीय (१२२०-१२५०) इनमें मुख्य हैं। पर चर्च की शक्ति इस समय बहुत अधिक थी। जिस तरह चर्च वालडो और हंस का राज में मिला सक्त था, वैसे ही कैडरिक द्वितीय का भी साममर्दन कर सकता था। तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दिया में कितने ही राजाओं और सम्राटों ने पप के विरुद्ध विद्रोह किया, पर वे सफल न हो सके।

६ मध्यकाल में यूरोप की दशा

सामन्त पद्धति, पवित्र रोम साम्राज्य और शक्तिशाली चर्च-मय कालीन यूरोप की ये तीन प्रमुख विशेषताएँ हैं। पर इस काल में जनता की क्या दशा थी? मध्यकालीन यूरोप में शिक्षा का प्रचार बहुत कम था। समाधारण जनता सवथा अशिक्षित और निरक्षर थी। उड़े राजा, महाराजा, सामन्त और ग्रामीर उमंग उस समय प्रायः निरक्षर होते थे। विद्या अगर कहीं थी, तो केवल क्रिश्चियन मठों में। उस समय यूरोप के शिक्षणालय केवल मठा और पादरिया के अधीन होते थे। मठा में जो शिक्षा उस समय दी जाती थी, वह मुख्यतया धार्मिक हाता थी। बाइबल और उसके विविध भाष्य उस समय अध्ययन की मरुके उत्कृष्ट सामग्री थे। चर्च के गुरु और शिष्य लेटिन के अध्यापन और अध्ययन में व्यस्त रहते थे। लेटिन के व्याकरण की बड़ी सूक्ष्मता में पढा जाता था। फिर लेटिन ग्रन्था की कण्ठस्थ करने का जारी आर्त थी। स्वतन्त्र विज्ञानों का विकास उस समय तक नहीं हुआ था। लोग में स्वतन्त्र विचार की प्रवृत्ति का सवथा अभाव था। अपनी बुद्धि में काम लेना गुनाह समझा जाता था। बाइबल और उसके भाष्यों में,

प्राचीन सत्य शास्त्रों में जो कुछ लिखा है, उसको पढ़कर कण्ठस्थ कर लेना उस समय की सबसे बड़ी विद्वत्ता थी। अंग्रेजी, फ्रेञ्च, जर्मन, इटालियन आदि भाषाये उस समय अशिक्षित जन-साधारण की भाषायें थीं, न इनमें कोई साहित्य था और न विद्या। उस समय के विद्वान् केवल लेटिन व ग्रीक भाषा पढ़ते थे। साधारण लोक भाषाओं को तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था।

उस समय यूरोप कृषि प्रधान था। अधिकांश जनता देहातों में बसती थी। भूमि पर बड़े जमींदारों का अधिकार था। सर्व साधारण लोग दासों के समान जीवन व्यतीत करते थे। जिस भूमि पर वे खेती करते थे, उस पर उनका कोई भी अधिकार नहीं था। जमींदार जब चाहें उन्हें बेदरल कर सकता था। देहात प्रायः गन्दे और मैले होते थे। मामूली हिमान अपने पशुओं को अपने ही साथ कच्चे मकानों में रखते थे। शहरों की संख्या बहुत कम थी। शहरों की गलियाँ बहुत तङ्ग तथा टेढ़ी-मेढ़ी हांती थीं। लोग छोटे छोटे और तंग घरों में निवास करते थे। शहर के एक मुहल्ले में बड़े कुलीन लोग, दूसरे मुहल्ले में अमीर व्यापारी लोग और तीसरे हिस्से में व्यवसायी लोग बसते थे। गरीब मजदूर शहर से बाहर मैले कुन्नेले कोपड़ों में निवास करते थे। शहर के अमीर लोग इन्हें अछूत और अपवित्र समझते थे।

यूरोप के इतिहास में मध्यकाल को अन्धकार और अज्ञान का युग कहा जाता है। इस समय लोगों में तरह-तरह के अन्धविश्वास प्रचलित थे। बीमारी का इलाज दवाई से कराना लोग पाप समझते थे। उनका न्याय था, कि रोग ईश्वर के क्रोध का परिणाम है। अतः उससे बचने का उपाय केवल प्रार्थना और पूजा है। विज्ञान का उस समय सर्वथा अभाव था। लोग समझते थे, जमीन स्थिर है, सूर्य उसके चारों ओर घूमता है। जमीन गोल नहीं, अपितु चपटी है। नक्षत्रों के सम्बन्ध में आम लोगों का विचार था, कि ये जीवित जागृत चेतन प्राणी हैं।

भूगोल का ज्ञान लोगों को बहुत कम था। ईंग्लैण्ड के पश्चिम में अटलांटिक सागर में परे क्या है? अफ्रीका कितना विशाल है? भारत-वर्ष कहाँ है? ये सब बातें लोगों को नहीं मालूम थीं। चीन और भारत का नाम कुछ लोग जानते थे, पर उन्हें भी यह ज्ञान नहीं था, कि ये देश किस 'जगत्' पर स्थित हैं।

लोग अपने अज्ञान में सन्तुष्ट थे। उनमें जरा भी जिज्ञासा नहीं थी। वे अपनी हालत से सर्वथा सन्तुष्ट हो एक निद्रामयी जिन्दगी व्यतीत कर रहे थे। इसी काल में अरब, मगोलिया, भारत तथा चीन की दशा यूरोप से बहुत उत्तम थी। इन देशों के मुकाबले में यूरोप उस समय एक 'अर्ध-मन्य' देश था।

७. यूरोप का पुनः जागरण और धार्मिक सुधारण

पर धीरे धीरे यूरोप की दशा में परिवर्तन आना शुरू हुआ। वहाँ एक नई लहर शुरू हुई, जिसे हम पुनः जागरण की लहर कहते हैं। इसका प्रारम्भ निम्नलिखित कारणों व परिस्थितियों से हुआ—

(१) हम पहले कह चुके हैं, कि जिस समय यूरोप में अविद्या-बन्धकार छाया हुआ था, तब अरब में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित था। अरब लोगों का साम्राज्य स्पेन तथा उत्तरी अफ्रीका में भी विस्तृत था। यहाँ अरबों के अनेक बड़े बड़े विद्यापीठ विद्यमान थे, जिनमें ज्योतिष, गणित तथा अन्य विज्ञानों के अतिरिक्त प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों के ग्रन्थों का भी स्वाध्याय होता था। यूरोपियन लोग इन विद्यापीठों के सतर्ग में आकर नवीन ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हुए। अरब पंडित बड़े स्वतन्त्र विचारक तथा उदार होते थे। इनके संसर्ग से यूरोप में भी स्वतन्त्र विचार की प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई।

(२) यूरोप में अनेक ऐसे विचारक उत्पन्न हुए, जो चर्च के प्रमूखवाद को मानने के लिये तैयार न थे, जो स्वतन्त्र विचार और वैज्ञान-

फ्रेंक रोज के पक्षपाती थे। उदाहरण के लिये राजर्षि ब्रूकन (१२१०-१२६३) को लीजिये। उसने इस बात पर बड़ा जोर दिया, कि हमें पुरानी लकीर का फकीर न होकर अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिये। हमें पुराने ग्रन्थों को बगैरस्य करने के स्थान पर वैज्ञानिक परीक्षणों पर जोर देना चाहिये। सत्य जानने का यह तरीका नहीं है, कि हम प्राचीन शास्त्रों की पत्तियाँ लगायें, अपितु सत्य ज्ञान का सर्वात्तम साधन यह है, कि हम परीक्षण करें। रोजन ब्रूकन इस युग का एक प्रतिनिधि हैं। उसी के समान अन्य बहुत से विचारक इस समय यूरोप में उत्पन्न हुए, जो बुद्धि स्वातन्त्र्य के पक्षपाती थे, और मनुष्य के दिमाग को प्रमाणवाद की जंजीरों से मुक्त करने का आन्दोलन कर रहे थे।

(३) बुद्धि स्वातन्त्र्य के आन्दोलन के पाठ्यक्रमस्वरूप अनेक विचारकों ने सत्य की खोज के लिये परीक्षण शुरू किये। पहले यूरॉपियन लोगों का यह विश्वास था, कि जो चीज राम म सो गुनी होगी, वह सौ गुने वेग से नीचे गिरेगी। यह विश्वास ठीक है या नहीं इस पर लोग शान्तीय विचारों को रखा करते थे, पर इसके लिये परीक्षण करने का कष्ट नहीं उठाते थे। गैलिलियो (१५६४-१६४२) ने पहले पहल परीक्षण करके इस विश्वास को असत्य सिद्ध किया। कोपर्निकस (१४७३-१५४३) ने पहले पहल इस सत्य का पता किया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। इसी तरह के अन्य बहुत से विचारक अब यूरोप में उत्पन्न होने लगे, जो परीक्षणों द्वारा सत्य की खोज कर नये नये तथ्यों का पता लगा रहे थे। उस समय के विद्वान् इनका केवल उपहास ही नहीं करते थे, अपितु इन्हें 'धर्मद्रोही' और 'काफिर' समझते थे। उन्हें भयङ्कर दण्ड दिये गये। अनेक का जाते जो याग में जलाया गया। वस्तुतः ये लोग विज्ञान के लिये शहीद हो रहे थे। चर्च के सब अत्याचारों के बावजूद भी बुद्धि स्वातन्त्र्य और वैज्ञानिक खोज की यह

प्रवृत्ति रुकी नहा। आज ससार ने जो ग्रसाधारण उन्नति की है, उसमें यह प्रवृत्ति बहुत बड़ा कारण है।

(४) इसा समय यूरोप में कागज और छापेराने का प्रवेश हुआ। पहले यूरोप में लिखने के लिये बकरी की खाल प्रयोग में आती थी। कागज का आविष्कार सबसे पूर्व चीन में हुआ था। चीन से यह मंगोल लोगों ने सीखा, मंगोलों से अरबों ने और फिर अरबों द्वारा कागज का प्रवेश यूरोप में हुआ। चौदहवीं सदी में पहले पहल यूरोप में कागज का निर्माण शुरू हुआ था। अगली सदी में छापेराने का भी प्रवेश हुआ और यूरोप में पुस्तकें अच्छी तथा सस्ता छपने लगीं। जनता में ज्ञान-विस्तार के लिये पुस्तकों का प्राचुर्य तथा सस्ता होना बहुत आवश्यक है। कागज और छापेराने का प्रवेश यूरोप के पुन-जागरण में बहुत सहायक हुआ।

इसके साथ ही पोप और चर्च के विरुद्ध असन्तोष की जो लहर प्रारम्भ हो रही थी, वह बड़ी तेजी के साथ यूरोप में एक नई जागृति सी उत्पन्न कर रही थी। हम ऊपर वाल्डो, हस्त तथा विक्लिफ का नाम दे चुके हैं। धीरे धीरे चर्च के विरुद्ध यह असन्तोष उग्र रूप धारण करता जा रहा था। पन्द्रहवीं सदी के अन्त में जर्मनी में एक सुधारक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम लूथर (१४८३-१५४६) था। उन दिनों पोप को रोम के गिरजे के लिये रुपये की आवश्यकता थी। रुपया इकट्ठा करने का एक सरल उपाय पाप मोचन-पत्र जारी करना था। उस समय क्रिश्चियन लोग यह विश्वास करते थे, कि धर्म-मन्दिर बनवाने आदि सत्कर्मों से पाप मुक्त हो सकते हैं। इसलिये पाप समय समय पर लोगों को यह अवसर प्रदान करते थे, कि मन्दिर निर्माण में हाथ बटा कर पापों से मुक्त होने का मौभाग्य प्राप्त कर। इसके लिये वे पाप मोचन पत्र जारी किया करते थे, जिन्हें धर्मप्राण क्रिश्चियन लोग पड़ी उत्सुकता से खरीदा करते थे। सन् १५१७ में पोप का एक एजेण्ट इन पाप मोचन-पत्रों द्वारा क्रिश्चियन लोगों

को पार्षो से मुक्त करता हुआ विटनबर्ग पहुँचा, जहाँ लूथर अध्यापन का कार्य करता था। लूथर एक पुराने ढंग का पादरी था, और धार्मिक प्रश्नों पर शास्त्रीय दृष्टि से विचार किया करता था। बाइबल तथा अन्य क्रिश्चियन शास्त्रों का वह बड़ा गम्भीर विद्वान् था। उसने अनुभव किया कि पाप-मोचन पत्रों की व्यवस्था शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। अतः उसने इसके विरुद्ध एक निबन्ध प्रकाशित किया। यह निबन्ध सर्वमाधारण जनता के लिये नहीं था। इसे लेटिन में लिखा गया था और केवल विद्वानों के सम्मुख अपने विचार प्रकट करने के उद्देश्य से ही लूथर ने इसे प्रकाशित किया था।

पर राजाओं और जनता में चर्च के विरुद्ध जो असन्तोष की अग्नि निचमान थी, वह इस घटना से प्रदीप्त हो गई। छापेखाने का प्रवेश इस समय तक यूरोप में हो चुका था। चर्च के विरोधियों ने अपने विचार छाप छाप कर प्रकाशित करने शुरू किये। लूथर इनका नेता बना। अनेक राजाओं ने इस आन्दोलन का साथ दिया। वे चर्च के वैभव तथा शक्ति को ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे। चर्च की सम्पत्ति को जन्त कर अपनी शक्ति बढ़ाने का यह सुवर्णावसर उन्हें प्राप्त हुआ था। देखते देखते चर्च और उसके विरोधियों की बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई। इस समय यूरोप दो भागों में विभक्त हो गया। एक भाग वह, जो पोप और चर्च के प्रभुत्व को पूर्ववत् स्वीकार करता था और दूसरा भाग वह जो पोप के विरुद्ध विद्रोह कर उसके प्रभुत्व का विरोध करता था। पहले भाग को 'रोमन कैथोलिक चर्च' और दूसरे भाग को 'प्रोटेस्टेन्ट चर्च' कहते हैं।

जहाँ पोप के विरुद्ध विद्रोह कर पृथक् चर्च की स्थापना हो रही थी, वहाँ भी यस्तुतः चर्च स्वतन्त्र नहीं हुआ था। वहाँ प्रायः चर्च के अधिपति राजा लोग हो रहे थे, जो चर्च की सम्पत्ति तथा जायदाद को जन्त कर अपने कान्धू में करते जाते थे। उत्तरी जर्मनों के विविध राजा महा राजाओं ने इसी तरह चर्च की सम्पत्ति जन्त कर अपने अधीन कर ली

थी और अपने अपने राज्य में स्वयं चर्च के आधिपति बन गये थे। इङ्ग्लैण्ड में भी हेनरी अष्टम (१५३०) ने अपने एक स्वार्थ को पूर्ण करने के लिये पोप के विरुद्ध विद्रोह किया और इङ्गलिश चर्च को पोप की अधीनता से मुक्त कर राजा के अधीन कर दिया। वही दशा अन्य अनेक देशों में भी हुई। आभिप्राय यह है, कि जो प्रोटेस्टेण्ट आन्दोलन इस समय यूरोप में चल रहा था, उसका उद्देश्य केवल धार्मिक मुधार नहीं था। उसमें अनेक राजाओं के निज स्वार्थ भी कार्य कर रहे थे। पर इसमें सन्देह नहीं, कि इस आन्दोलन ने यूरोप में एक नई जागृति उत्पन्न करने में अवश्य सहायता की। इसमें रोमन कैथोलिक चर्च में भी नवजीवन का सञ्चार हुआ। प्रोटेस्टेण्ट लोगों का विरोध करने के उद्देश्य से रोमन कैथोलिक लोगों में अनेक ऐसे सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, जो बड़े सर्तक और जीवित जागृत थे। जैसुएट सम्प्रदाय इनमें प्रमुख है। इस सम्प्रदाय की स्थापना इग्नेटियस लोयोला (१५३६) ने की थी। लोयोला स्पेन का निवासी था। जैसुएट सम्प्रदाय आगे चर्च-कर बहुत ही शक्तिशाली हुआ। दूर-दूर देशों में ईसाई धर्म के प्रसार के लिये इस सम्प्रदाय के पादरियों ने बड़ा भारी कार्य किया।

प्रोटेस्टेण्ट और रोमन कैथोलिक लोगों का पारस्परिक मर्म बड़ा ही विभक्त और प्रचण्ड था। जहाँ के राजा प्रोटेस्टेण्ट थे, वे रोमन कैथोलिक लोगों पर घोर अत्याचार करते थे। जहाँ के राजा रोमन कैथोलिक थे, वे प्रोटेस्टेण्ट लोगों को जीने नहीं देते थे। रोमन कैथोलिक राज्यों में पोप की मर्यादा में एक विशेष धार्मिक न्यायालय (इन्क्वीजिशन कोर्ट) का निर्माण हुआ था। जिन लोगों पर जरा भा संदेह होता था, कि वे चर्च के विरुद्ध सम्मति रखते हैं, उन्हें इस न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाता था। वहाँ उन्हें कठोर दण्ड दिये जाते थे। मुख्य दण्ड यह था, कि ऐसे लोगों को जीते जी आग में जला दिया जावे। एक-एक राजा के शासनकाल में एक-एक देश में इस ढंग में

हजारों आदमियों को केवल इसलिये प्राणदण्ड दिया गया, क्योंकि वे धार्मिक क्षेत्र में स्वतन्त्र शामिल रहते थे। यूरोप के इतिहास में यह धार्मिक असहिष्णुता सचमुच बड़ी वीभत्स है।

पर इन सब अत्याचारों और सघर्षों के होते हुए भी धीरे धीरे यूरोप में एक नवयुग का प्रारम्भ हो रहा था। लोग स्वतन्त्रता के साथ विचार करने लगे थे। वे अपनी सम्मति और विचारों के लिये प्राणों की उलि देने लगे थे।

८. नये प्रदेशों की खोज

पन्द्रहवीं सदी तक यूरोप के लोगों को बाहरी दुनिया का बहुत कम परिचय था। उस समय समुद्र में जो जहाज चलते थे, वे चप्पुओं में खेये जाते थे। दिग्दर्शक यन्त्र का प्रवेश भी तब तक यूरोप में नही हुआ था। ऐसे समय में उन जहाजों व नौकाओं से महासमुद्रों को पार करना नितान्त कठिन था। पर पन्द्रहवीं सदी में दिग्दर्शक यन्त्र का प्रवेश पहले पहल यूरोप में हुआ। यह यन्त्र भी कागज के समान अरब होता हुआ चीन से यूरोप में आया था। इसके साथ ही अब जहाज पहले की अपेक्षा बड़े और मजबूत बनने लगे। चप्पुओं के साथ साथ पाल का भी प्रयोग शुरू हुआ। पाल से चलनेवाले जहाजों से यह सम्भव था, कि अनुकूल वायु के साथ महासमुद्र को पार किया जा सके।

उस समय यूरोप और एशिया का व्यापारिक मार्ग लालसागर में ईजिप्ट होता हुआ भूमध्यसागर पहुँचता था। एक दूसरा मार्ग एशिया की खाड़ी से बसरा बगदाद होता हुआ एशिया माइनर के बन्दरगाहों पर जाता था। पहले इन व्यापारिक मार्गों पर अरबों का अधिकार था। अरब लोग सम्य थे और व्यापार के महत्त्व को भली भाँति अनुभव करते थे। पर पन्द्रहवीं सदी में तुर्क लोग इन प्रदेशों के स्वामी हो गये और एशिया व यूरोप के व्यापारिक मार्ग रुद्ध होने लगे। मन् १५५३ में

जब तुर्क विजेता मुहम्मद द्वितीय ने फान्स्टेन्टिनापल को भी जीत लिया, तब तो यूरोप के लोगों के लिये इन पुगने मार्गों से व्यापार कर मकना अत्यन्त कठिन था।

अब यूरोपियन लोगों का नये मार्ग ढूँढ निकालने की चिन्ता हुई। उस समय यूरोप का भारत आदि प्राच्य देशों से घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध था। विशेषतः, मसाले बहुत बड़ी मात्रा में पूर्व की तरफ से यूरोप में आते थे। इस व्यापार से लाभ उठाने के लिये अब नये मार्गों की खोज प्रारम्भ हुई। इस कार्य में पोर्तुगाल और स्पेन ने विशेष तत्परता प्रदर्शित की। पोर्तुगीज लोगों ने साबित किया कि अफ्रीका का चक्कर काटकर पूर्व में पहुँचा जा सकता है। इसी दृष्टि से अनेक पोर्तुगीज मल्लाहों ने समुद्र तट के साथ साथ यात्रा प्रारम्भ की। अक्टूबर, १४९८ में वास्कोडिगांमा नामक पोर्तुगीज मल्लाह एक नवीन मार्ग से पहले पहल भारत पहुँचने में समर्थ हुआ।

अफ्रीका का चक्कर काटकर एशिया पहुँचने का यह नया मार्ग इस प्रकार आविष्कृत हुआ। पर इसी समय कोलम्बस नामक एक इटालियन मल्लाह के मन में एक नई कल्पना उत्पन्न हुई। पृथिवी गोल है, यह बात उस समय तक ज्ञात ही चुकी थी। कोलम्बस ने सोचा कि यदि अटलांटिक सागर में निरन्तर पश्चिम की ओर चलते जावें, तो जमीन के गोल होने के कारण भारत पहुँचा जा सकता है। कोलम्बस के इस विचार का इटली में किसी ने स्वागत नहीं किया। पर स्पेन के राजा ने उसका सहायता की और १४९२ में वह अपनी कल्पना का क्रिया में परिणत करने के लिये चल पड़ा। उसके साथ छोटी छोटी तीन जहाजें थी, जिनमें मल्लाहों की कुल संख्या ८८ थी। अटलांटिक सागर में पश्चिम की तरफ चलते चलते ११ अक्टूबर १४९२ को जर्मनी के टर्शेन हुए। कोलम्बस ने समझा, कि भारतवर्ष आ गया। वस्तुतः वह भारत नहीं था—वह एक नया महाद्वीप था, जो अब अमेरिका के नाम से प्रसिद्ध है।

कोलम्बस को जो महाद्वीप अन्वानक ही प्राप्त हो गया था, वह अत्यन्त विशाल था। उसके अधिकांश प्रदेश में जंगली और असभ्य जातियाँ निवास करती थीं। पर दो प्रदेश ऐसे भी थे, जहाँ अच्छे उन्नत सभ्य लोग बसते थे। ये प्रदेश थे मैक्सिको और पेरू। मैक्सिको में एजटेक सभ्यता और पेरू में मय सभ्यता का विकास उस समय हो रहा था। कोलम्बस स्पेन के राजा की सहायता से समुद्र-यात्रा के लिये निकला था, अतः स्वाभाविक रूप से अमेरिका पर स्पेन का अधिकार हुआ। स्पेनिश लोगों ने बड़ी निर्दयता से अमेरिका के निवासियों को नष्ट किया। न केवल वहाँ के जंगली असभ्य लोगों को, अपितु एजटेक और मय लोगों का भी क़तरा से संहार किया गया। यूरोप के लोग तब तक बारूद का प्रयोग जान चुके थे। वे बन्दूक चलाना सील चुके थे। बन्दूक की मार के सामने अमेरिकन लोग न ठहर सके और कुछ ही समय में उन लोगों का विनाश हो गया। स्पेनिश लोगों ने इस विशाल भूखण्ड में अपने उपनिवेश बसाने प्रारम्भ किये। यह प्रदेश खनिज पदार्थों की दृष्टि से बड़ा समृद्धि था। सोने चाँदी की खानों से आकृष्ट हो स्पेनिश लोग बड़ी सख्या में अमेरिका जाने लगे। इन नये प्राप्त हुए प्रदेशों से स्पेन की समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। स्पेन की होड़ में अन्य यूरोपियन राज्य भी अमेरिका जाकर बसने के लिये प्रयत्नशील हुए। दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश लोग बस रहे थे, वहाँ पर उनका कब्जा हो चुका था। अतः फ्रांस, ब्रिटेन आदि ने उत्तरी अमेरिका में बसना शुरू किया। जहाँ आजकल संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ ब्रिटेन के तथा जहाँ अब कनाडा है, वहाँ फ्रांस के उपनिवेश बसने शुरू हुए। अमेरिका के वित्तृत प्रदेशों पर अधिकार करने के लिये इन यूरोपियन राज्यों में परस्पर सघर्ष का भी प्रारम्भ हुआ।

अफ्रीका का चकर काटकर पहले पहल पोर्तुगीज लोग भारत आये थे। उन्होंने इन नये मार्ग में दूरियाँ देशों के व्यापार को हस्तगत करना

शुरूकिया। इस व्यापार से पातुगीज लाग बंड समृद्ध हो गय। उनसी देगा देसी फिर अन्य यूरोपियन राज्य भी इसी दक्षिण मार्ग मे एशिया जाने लगे। नलैण्ड फ्रांस, ब्रिटेन आदि म पर्वा व्यापार को हस्तगत करने के लिये कम्पनिया गठी की गई। ये कम्पनिया पूर्वी देशों के विविध बन्दरगाह पर अपनी काठिया कायम करनी थीं, और अधिक से अधिक व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का उद्योग करती थीं।

पर ये यूरोपियन जातियाँ केवल व्यापार से ही सन्तुष्ट नहीं रहीं। एशिया के विविध राज्या की दशा उस समय उत्तम नहीं थी। भारत का ही लीनिये। अठारहवीं सदी में मुगल साम्राज्य क्षीण हो गया था, और विविध राजनीतिक सत्ताय शक्ति के लिये परस्पर मर्द करने लगी थी। यही दशा उस समय जावा, सुमात्रा, मलाया आदि देशों की थी। यूरोपियन लोग ने इस राजनीतिक दुर्दशा का लाभ उठाया और व्यापार के साथ साथ अपनी राजनीतिक सत्ता भी स्थापित करनी शुरू की।

अमेरिका की प्राप्ति तथा पूर्वी व्यापार के दक्षिणी मार्ग की खोज से यूरोप के उत्कर्ष में बहुत सहायता मिली। जिन यूरोपियन लोग का पहले यह भी ज्ञात नहीं था, कि भारत कहाँ है, और अमीका कितना विशाल है, वे अब सार भूमण्डल की परिचया करने लगे। वस्तुतः, यूरोप का अब पुन जागरण हो गया था।

६ शक्तिशाली और निरंकुश राजा

यूरोप में सम्यता का पुन जागरण हो गया था। सब ओर नवजावन और स्फूर्ति के चिह्न प्रगट हो रहे थे। पर राजनीतिक क्षेत्र में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। राजा पहले की ही तरह निरंकुश और स्वेच्छाचारी थे। पोप की शक्ति कम हो जाने के कारण उनका प्रभाव और भी बढ़ गया था। वे बड़े वैभव के साथ राजप्रासादों में निवास करते थे और आमोद प्रमोद में अपना जीवन व्यतीत करते थे।

मध्यकाल के प्रारम्भ में सैकड़ों हजारों राजा, महाराजा और सामन्त यूरोप के विविध प्रदेशों पर शासन करते थे। हम पहले जाता चुने हैं, कि ये आपस में निरन्तर लड़ते रहते थे। कोई किसी की प्रभुता स्वीकार नहीं करता था। पर धीरे धीरे इन बहुत से राजा महाराजा के बीच में कुछ शक्तिशाली राजाओं का विकास शुरू हुआ, जिन्होंने अपने सामन्तों को पूरी तरह कानून में ला अपना एकतन्त्र शासन स्थापित किया। सामन्त लोग उनके प्रतिद्वन्द्वी न हो उनके पूर्णतया वशवर्ती हो गये। वे आपस के झगडा को लडाई से निपटाने के स्थान पर उस शक्तिशाली राजा से न्याय कराने लगे। अपनी अपनी जागीरों में स्वतन्त्र राजा के समान रहने के स्थान पर वे उस एक राजा के शानदार दरबार में रहना अलग सम्मानास्पद समझने लगे। यह स्थिति यूरोप में एकदम नहीं आ गई। इसे आने में भी बहुत समय लगा। सत्रहवीं सदी तक यूरोप के अधिकांश देशों में यह स्थिति आ चुकी थी। इसे आने में बारूद का प्रवेश बहुत सहायक हुआ। सामन्तों की शक्ति का आधार मुख्यतया उनके पृथक् पृथक् दुर्ग थे, जो प्रायः मट्टी के बने होते थे। जब तक बारूद नहीं थी, सामन्त अपने इन दुर्गों में सर्वथा अजेय थे। पर तोपों और बारूद के सम्मुख मट्टी के दुर्ग देर तक नहीं टहर सकते थे। यही कारण है, कि जब बारूद की मार से दुर्ग नष्ट होने लगे, तो सामन्तों की शक्ति भी क्षीण होनी शुरू हुई। इसके अतिरिक्त चौदहवीं पन्द्रहवीं सदियों में यूरोप के प्रायः सभी देशों में बड़े भयङ्कर युद्ध हुए। ये युद्ध विविध राजवंशों और विविध सामन्तों में परस्पर हो रहे थे। इनके कारण बहुत से राजकुल नष्ट हो गये और विविध सामन्तों की शक्ति क्षीण हो गई। इस का परिणाम हुआ, कि कुछ शक्तिशाली राजाओं के लिये उत्कर्ष का मार्ग साफ हो गया और स्वेच्छाचारी निरंकुश राजाओं का विकास हुआ।

फ्रांस, इङ्ग्लैंड, स्पेन, रूस आदि सभी देशों में यही प्रक्रिया हुई थी। इस प्रक्रिया का प्रदर्शन कर सकना यहाँ सम्भव नहीं है, पर सत्रहवीं सदी तक इन सब देशों के शक्तिशाली राजाओं ने अपने अपने सामन्तों को पूरी तरह काबू कर अपनी सत्ता का पूर्णतया विकास कर लिया था। इङ्ग्लैंड का राजा हेनरी अष्टम (१५३०), फ्रांस का राजा लुई १४ वाँ (१६४३), स्पेन का राजा फिलिप द्वितीय (१५५८), रूस का राजा पीटर (१६८६), सब इसी प्रकार के शक्तिशाली निरंकुश राजा थे। वे अपने को पृथिवी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे। उनकी इच्छा ही कानून थी। उनका वैभव अपरम्पार था। सारी प्रजा और सामन्त उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। उनके देरी होने में किसी भी भाव सन्देह नहीं था।

निरंकुश शासन के इस युग में भी कोई नई म्यान ऐसे थे, जहाँ जनता के शासन का धीरे धीरे मृतपान हो रहा था। स्विटजरलैंड की पहाड़ी घाटी के निवासी चौदहवीं सदी में ही अपना शासन अपने आप करने लगे थे। होलैंड के निवासियों ने स्पेन के स्वेच्छारी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर १६४८ में स्वतन्त्रता प्राप्त की थी। स्वतन्त्र होने के बाद होलैंड में जो सरकार कायम हुई थी, उसमें जनता का प्रयास हाथ था। पर लोक सत्तात्मक शासन के लिए सबसे प्रबल संघर्ष इङ्ग्लैंड में हुआ। अठारहवीं सदी में स्टुअर्ट वंशी राजाओं के स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध इङ्ग्लैंड में जो क्रान्ति हुई, उस पर हम आगे चल कर प्रकाश डालेंगे। पर इन थोड़े से अपवादों को छोड़कर अठारहवीं सदी तक यूरोप के सभी देशों के शासक पूर्णतया स्वेच्छाचारी रहे।

पर यूरोप में सर्वत्र जो पुनः जागरण हो रहा था, जो युग परिवर्तन हो रहा था, उसका प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र पर न पड़े, यह असम्भव था। कुछ समय बाद ही अठारहवीं सदी के अन्त में फ्रांस में राज्यक्रान्ति हुई। इस क्रान्ति के साथ यूरोप के राजनीतिक क्षेत्र में एक नवीन प्रवृत्ति का

प्रारम्भ हुआ। आज वह प्रवृत्ति पूर्णतया सफल हो चुकी है। सब देशों में एकतन्त्र शासनों का अन्त हा लाकर तन्त्र शासना का स्थापना हो गई है। यूरोप के आधुनिक इतिहास में हम इन्हीं महान् परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे।

यूरोप के पुन जागरण का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। जब एक बार मनुष्यों ने पुरानी रूढ़ियों और अन्धविश्वासों का परित्याग कर अपनी बुद्धि में काम लेना प्रारम्भ किया, तब उनके बन्धन निरन्तर टूटते गए। प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति का मार्ग उनके लिए खुलता गया। न केवल राज नीतिक क्षेत्र में, अपितु सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी यूरोप ने असाधारण उन्नति की। हम इस इतिहास में इसी चौमुग्री उन्नति पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे।

हमने १७८६ तक यूरोप का इतिहास बहुत सक्षेप से यहाँ दिया है। इसे क्रमबद्ध इतिहास कहा जा सकता है, इस बात में भी हम सन्देह है। हमने यहाँ केवल उन बातों का लिखा है, जिनका जानना आधुनिक यूरोपियन इतिहास को समझने के लिये अनिवार्य है। कुछ बातें जो आवश्यक थीं, हमने जान बूझ कर यहाँ नहीं लिखा। उन्हें यूरोप के आधुनिक इतिहास में विविध प्रकरणों को स्पष्ट करते हुए दिया गया है। उनका वहाँ देना अधिक उपयुगी है।

दूसरा अध्याय

राज्यक्रान्ति से पूर्व फ्रांस की दशा

एकतन्त्र राजा—राज्यक्रान्ति से पूर्व फ्रांस में स्वेच्छाचारी एकतन्त्र राजा राज्य करते थे। ये राजा वंशक्रमानुगत होते थे और अपने को ईश्वर के सिवा किसी अन्य के सम्मुख उत्तरदायी न समझते थे। इनकी इच्छा ही कानून थी। ये जिसे चाहते, राजकीय पद पर नियत करते। जिसे चाहते पद-च्युत करते। राजा अपनी इच्छा से जनता पर कर लगाता था और राजकीय आमदनी को अपनी इच्छानुसार ही खर्च करता था। सन्धि और विग्रह का अधिकार केवल राजा को था। वह अपनी इच्छा से, प्रजा से किसी भी प्रकार की सलाह बिना लिये, किसी राजा व देश में लड़ाई शुरू कर सकता था। वह जिसे चाहे केंद्र कर सकता था। जिसे चाहे सजा दे सकता था। लुई १६वाँ अभिमान से कहा करता था—“यह कानून है, क्योंकि मेरी ऐसी ही इच्छा है। राज्य की प्रभुत्व शक्ति मुझमें निहित है। कानून बनाने का हक केवल मुझे है, इसके लिये मुझे किसी पर आश्रित रहने व किसी का सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं।” फ्रांस के राजाओं का शासन-सम्बन्धी मूल सिद्धान्त यह था, कि राजा पृथिवी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वह राजा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे राजा बनाया है। जिस प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पर परमेश्वर ब्रह्माण्ड के विविध प्राणियों की किसी भी प्रकार

सम्मति बिना लिये स्वेच्छा से शासन करता है, उसी प्रकार राजा अपने राज्य में प्रजा की सम्मति पर जरा भी आश्रित हुए बिना अपनी इच्छा से शासन करता है। यदि राजा दयालु है, प्रजा का सीभाग्य है। यदि राजा अत्याचारी है, तो किसान का क्या बस है। परमेश्वर के शासन में आधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, महामारियाँ फैलती हैं, भूकम्प आते हैं—इन सब ईश्वरीय विधानों के सम्मुख मनुष्य क्या कर सकता है? कुछ नहीं। अपने पापों का फल समझ कर चुप रह जाने के सिवा मनुष्य की गति ही क्या है? इस प्रकार, यदि राजा अत्याचार करता है, तो जनता को पीड़ित करता है, निरपराधियों को शूली पर चढ़ाता है, तो इन राजकीय विधानों के सम्मुख मनुष्य का क्या बस है? मनुष्य को यह सब राजकीय प्रकोप भी चुपचाप सहना ही चाहिये? और हो ही क्या सकता है?

फ्रान्स के राजा इसी पुराने सिद्धान्त को माननेवाले थे। अधिकांश जनता भी यही विश्वास रखता थी। जनता का सम्पूर्ण जीवन राजा पर आश्रित था। राजा बड़ी शानशोकत से, हजारों पार्श्वचरों और अनुचरों के साथ वर्साय के राजप्रासाद में निवास करता था। पेरिस से १२ मील दूर राजा और उनके दरबारियों के भोग विलास का केन्द्र यह वर्साय नगर विराजमान था। इसकी कुल आबादी ८० हजार थी। यदने लोग राजा और उनके दरबार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये ही इस सुन्दरी नगरी में एत्रित थे। राजा का महल तीस करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था। यह विपुल धनराशि जनता से कर के रूप में वसूल की गई थी। राज दरबार में १५ हजार आदमी थे। अकेली रानी के नोकरों की संख्या ५०० से ऊपर थी। राजा के उर्च का कोई हद न थी। राजा की अपनी पुडसाल पर ही सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च आता था। ५० लाख के लगभग रुपये खर्च करने में उठा दिये जाते थे। राजा के आमोद प्रमाद, शान शौकत और

विविध करों से जो ग्रामदानी होती थी, राजा उनका उपयोग अपनी इच्छा से करता था। राजा के निजी खर्च और राज्य के खर्च में कोई भेद न था। राजा जितना चाहे, खर्च कर सकता था। वह जो विल बना दे, राजकर्मचारियों को शॉख मीच कर उसे स्वीकार करना पड़ता था। वे कोई आपत्ति न कर सकते थे।

लोक सभाओं का अभाव—फ्रांस में कानून बनाने के लिये या राजकीय विषयों पर विचार करने के लिये कोई ऐसी लोक-सभाएँ न थीं; जिनमें जनता के प्रतिनिधि एकत्रित हो सके। निस्सन्देह, पुराने समयों में फ्रांस में भी एक इस प्रकार की सभा थी, जिसे 'एस्टेट्स जनरल' कहते थे, पर सन् १६१४ के बाद उसका एक भी अधिवेशन नहीं हुआ था। लोग यह भी भूल गये थे, कि इस 'एस्टेट्स जनरल' के क्या संगठन और नियम थे। अथ तो फ्रांस पर राजा का अवाधित शासन था। उसने अपनी मदद के लिये कुछ सभाएँ बनाई थीं, पर ये राजा की अपनी सृष्टि थीं। ये राजा के सम्मुख उत्तरदायी थीं, उसकी इच्छा पर अवलंबित थीं, इनका प्रयोजन यही था, कि राजा अपने सामान्य राजकीय कार्यों से भी निश्चिन्त हो सके, वह सब चिन्ताओं से मुक्त होकर मौज से अपने कृपापात्रों के साथ आमोद प्रमोद में विलीन रह सके।

राष्ट्रीयता का अभाव—फ्रांस पर एक राजा का अवाधित शासन था, इसमें ऊपर से देखने पर तो यह मालूम होता था, कि फ्रांस एक देश है—एक राष्ट्र है। पर वास्तविकता यह नहीं थी। फ्रांस में राष्ट्रीयता का अभी उदय नहीं हुआ था। जनता में एक राष्ट्र की भावना का सर्वथा अभाव था। भिन्न भिन्न प्रदेशों के लोग अपने को फ्रांसीसी न समझकर उस उन प्रांत का निवासी समझते थे। पुराने जमाने में फ्रांस में अनेक राजाओं व सामन्तों का शासन था। फ्रांस अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। अथ ये विभिन्न राज्य नष्ट हो चुके थे, पर उनकी स्मृति मौजूद थी। यह स्मृति केवल मनुष्यों के हृदयों में ही नहीं थी, अपितु

देश के कानूनों और विविध सस्थाओं में भी विद्यमान था। अब तक भा इन प्रदेशों में से बहुतों की सीमा पर आयात और निर्यात पर लगते थे। अगर कोई व्यापारी फ्रांस के दक्षिणी समुद्र तट से माल लाद कर उत्तर में जाना चाहे तो रास्ते में अनेक स्थान पर उसके माल की तलाशी होती थी, अनेक स्थान पर उसे चुगी देना पड़ती थी। ये आयात और निर्यात पर स्पष्ट रूप में यह जताता था, कि फ्रांस अब भी एक देश नहीं है, अनेक देशों का समूह है। इन विविध प्रदेशों में टैक्स वसूल करने के नियम तथा ढंग भी एक दूसरे से पृथक् थे।

फ्रांस अभी एक राष्ट्र नहीं बना था, इसका सबसे अच्छा प्रमाण यह है, कि उसका कानून की कोई पद्धति प्रचलित नहीं थी। दक्षिणीय फ्रांस में विशेषतया रोमन कानून का प्रचार था। पर उत्तरीय, पश्चिमीय और पूर्वीय फ्रांस में १८५५ किसिम के कानून प्रयाग में आ गये थे। ये विविध कानूनों फ्रांस के मध्यकालीन विभेदों के अग्रशेष थे। इन विभिन्न कानूनों के रहते हुए फ्रांस में एक राष्ट्र की भावना कैसे उत्पन्न हो सकती थी ?

उस समय फ्रांस में केवल कुछ विचारकों के दिमागों में ही था, क्रिया में नहा।

फ्रांस की जनता का हम तीन श्रेणियों में बाँट सकते हैं—कुलीन श्रेणी, पुरोहित श्रेणी और सर्वसाधारण जनता। इसमें से कुलीन और पुरोहित श्रेणियाँ विशेष अधिकार से युक्त थी, ऊँची समझी जाती थी, और मन्व्या म बहुत कम होने पर भी बहुत अधिक प्रभाव रखती थी। सर्वसाधारण जनता की उनके मुनासिले में न कोई स्थिति थी और न कोई अधिकार।

फ्रांस की सम्पूर्ण भूमि का एक चौथाई भाग कुलीन श्रेणी की सम्पत्ति था। ये कुलीन लोग मध्यकालीन सामन्त पद्धति के अवशेष थे। इनकी साम्राज्यिक स्थिति अब जाण हा चुकी थी, पर सामाजिक और आर्थिक अधिकार वैसे ही नायम थे। राज्य, सेना और चर्च के सब उच्च पद इन्हीं के लिये सुरक्षित थे। ग्रन्थ प्रसार के टैक्सों से ये परी थे। ये समझते थे, हमें रुपये पैसे के रूप में टैक्स देने की क्या जरूरत है? हम तो अपना टैक्स तलवार से देते हैं। जो कुलीन लोग शमीर होते थे, वे परी शान शौकत के साथ राज दरबार में राजा के इर्द गिर्द निवास करते थे। वहाँ इनके भोग विलास की कोई सीमा न थी। इनका पेशा केवल मौज उठाना ही नहोता था, अपितु दरबार की साजिशा से भी इन्हें फुरसत न मिलनी थी। इनकी जमीन किसान लोग जोतते थे। जमीन की फिर करने का इन्हें कोई जरूरत न थी। राज्य के बड़े बड़े पद, खास तौर पर ग्राम दनीवाले पद—नीताम हुआ करते थे और ये कुलीन लोग उन्हें परी देने के लिये सदा उत्सु रहते थे। ये पद इनकी शान को बढ़ाते थे, और साथ ही ग्रामदनी को बढ़ाने में भी सहायक होते थे, क्योंकि उस समय के फ्रांस के शासन में रिश्ततपोरी का राजार बहुत गरम रहता था।

परन्तु कुलीन श्रेणी के सभी लोग शमीर न थे। बहुत से कुलीन लोग नृण, शरान तथा इमी प्रकार के अन्य व्यक्तियों में पैसे रहने के

कारण ऋणी होकर तयाह हो गये थे। एक कुलीन के मरने पर उसकी सम्पत्ति का दो तिहाई हिस्सा सबसे बड़े लड़के को मिलता था, बाकी तिहाई हिस्सा छोटे लड़कों में बाँट दिया जाता था। विरासत के इस कायदे से भी बहुत से कुलीन लोग गरीब हो गये थे। पर भरीब होने पर भी इनके अधिकारों में कोई कमी न आती थी। इनका रहन सहन मामूली किसानों का सा ही था। अनेक कुलीनों की आमदनी साधारण किसानों से भी कम थी—पर इनके अधिकार अच्युत थे। लोग इन्हें मजाक में कहा करते थे कि ये 'कबूतर खाने या जोहड़ के महान् और शक्तिशाली सामन्त हैं।'

पुराने कुलीन लोगों में से बहुतों की इस प्रकार दुर्दशा हो रही थी। दूसरी तरफ राजा की कृपा ने अनेक कुलीन लोगों को श्रीमन्त बना दिया था। स्वेच्छाचारी एकतन्त्र राजाओं की कृपा कटाक्ष से बहुत से साधारण आदमी कुलीनों की श्रेणी में पहुँच गये थे। सर्वसाधारण लोगों में ऊँचे घरानों के लिये एक विशेष प्रकार का आदर भाव होता है। वे उन्हें अपने से अच्छी स्थिति में देखने के लिये अभ्यस्ता होते हैं। उन कुलीनों के विशेष अधिकारों का उपभोग करना उन्हें नहीं चुभता। पर जब कोई उन्हीं की तरह का मामूली आदमी विशेष अधिकारों का प्राप्त कर लेता है, तब वह उन्हें असह्य हो जाता है। फ्रांस की जनता की दृष्टि में राजा की कृपा से कुलीन बने हुए इन मामूली लोगों के विशेष अधिकार काँटे की तरह से चुभते थे। इसी प्रकार, कुलीनता के रोव को कायम रखने के लिये आर्थिक समृद्धि अत्यन्त आवश्यक होती है। गरीबों की हालत में कुछ समय तक तो खानदान का रोव काम करता रहता है, पर कुछ समय बाद ही वह काफूर की तरह उड़ जाता है। फ्रांस के गरीब कुलीनों का रोव भी इसी प्रकार निरन्तर क्षीण हो रहा था। पर कुलीनता के सब विशेष अधिकार इन्हें प्राप्त थे और जनता को ये सह्य न थे।

धार्मिक सुधारणा का युग इस समय समाप्त हो चुका था, पर फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च का ही अर्थात् आधिपत्य था। वह चर्च राज्य के अन्दर एक दूसरे राज्य के समान था। इसकी अपनी सरकार थी और अपने राजकर्मचारी थे। फ्रांस को बहुत सी भूमि चर्च की मल्लिक्यत थी। किसी किसी प्रदेश में तो ४० फी सदी जमीन चर्च की सम्पत्ति थी। इस जमीन से चर्च को भारी आमदनी थी। इसने मिया चर्च मर लोगों से कर वसूल करता था। जमीन की उपज का दसवा हिस्सा चर्च को कर रूप में जाता था। हिसाब लगाया गया है, कि चर्च की कुल आमदनी तीस करोड़ रुपये वार्षिक के लगभग थी। चर्च की जमीनों और सम्पत्ति पर राज्य कोई कर न लेता था। चर्च जो टैक्स वसूल करता था, वह केवल रोमन कैथोलिक लोगों से ही नहीं, अपितु प्रोटेस्टेन्ट और यहूदी लोगों से भी लिया जाता था। इन सब कारणों से चर्च के प्रभाव और शक्ति की कोई सीमा न थी। राज्य के बाद उसी का स्थान सर्वोच्च था। इस अत्यन्त प्रभावशाली चर्च के संचालकों का महत्त्व उस समय में कितना अधिक होगा, इसका अनुमान कर सग्ना कठिन नहीं है।

चर्च का संचालन करनेवाली पुरोहित श्रेणों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं—उच्च पुरोहित और सामान्य पुरोहित।

अपने विश्वासों के अनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक धार्मिक कृत्यों तक को करने का अधिकार नहीं था। जब भी धार्मिक स्वतन्त्रता के लिये फ्रांस में बंशिश की गई, पुरोहितां ने उसका विरोध किया।

एक तरफ जय फ्रांस के कानून के अनुसार धार्मिक स्वतन्त्रता को पूर्णतया रोक दिया गया था, दूसरी तरफ नास्तिकता की प्रवृत्ति बढ़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी। सर्वसाधारण जनता में ही नहीं, पुरोहितां और उच्च पुरोहितां में भी नास्तिकता की लहर बढ़ी तेजी से चल रही थी।

इन कुलीन और पुरोहित (निस्सन्देह, उच्चपुरोहित) श्रेणियों के विशेषाधिकार अनेक प्रकार के थे। अपनी अपनी जमींदारियों से कई किसम की ग्रामदानी गिवाज के आधार पर प्राप्त करते थे। विषाह आदि विशेष अवसरों पर किसी खास खर्च के आ पड़ने पर, ये बड़े जमींदार अपने आसामियों तथा अपनी जमींदारी के निवासियों से तरह तरह के नजराने बसूल करते थे। जो माल इनके इलाके में आता था, उस पर वे कर लेते थे। स्वतन्त्र किसानों से उनकी उपज का खास हिस्सा प्राप्त करते थे। इनके इलाकों में कई किसम के कारोबार, जैसे आटे की चक्की, शराबखाना आदि इनके सिवा दूसरा न कर सकता था, और सब लोगों के लिये आवश्यक था, कि उन कामों को इन्हीं के कारखानों में करावें। जमीन के क्रय विक्रय के समय में उसकी कीमत का पाँचवाँ हिस्सा ये बड़े जमींदार प्राप्त करते थे। शिकार इनका खास अधिकार था। इसके लिये बहुत सी जमीन सुरक्षित रखी जाती थी, ताकि जानवर सख्या में खूब बढ़ सकें। नजदीक के किसान शिकार के इन जानवरों को किसी किसम का नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे, चाहे वे भेतों को तनाह ही क्यों न कर दें। जमींदारों के कबूतर खानों में पहले हुए हजारों कबूतर किसानों के खेतों को उजाड़ते फिरते थे, पर किसी का क्या हिम्मत थी जो उन्हें उड़ा भी दे। तरह तरह के जानवर—जिनका शिकार खेला कर जमींदार खानन्द प्राप्त करता था, खेतों में

साथ दिया। क्रान्ति में इन्हें स्पष्ट रूप से अपनी इस दुस्वस्था के अन्त होने की सम्भावना नजर आ रही थी।

शहरों के मजदूरीपेशा लोगों की सराया २५ लाख रु लगभग थी। शहरों का व्यावसायिक जीवन उस समय या तो आर्थिक श्रेणियों (Guilds) में संगठित था, या छोटे छोटे कारखानों में। जो मजदूर इन श्रेणियों के सदस्य थे, उनकी हालत बहुत बुरी न थी। पर श्रेणियों के कटेकायदे उनकी स्वतन्त्रता के मार्ग में सबसे बड़ा रुकावट थे। जो मजदूर कारखानों में काम करते थे, उनकी दशा बहुत खराब थी। उन्हें बहुत थोड़ा वेतन मिलता था उन्हें बहुत अधिक समय तक काम करना पड़ता था। उनकी मेहनत बहुत ही धरनेवाली तथा अप्रत्यक्ष होती थी। इन मजदूरों का किसी प्रकार संगठन नहीं था। ये अपनी हालत में बहुत असन्तुष्ट थे। जब गण्यक्रान्ति हुई, तो यही मजदूरी पेशा लोग थे—जो बड़े उत्साह के साथ सब तरह की अव्यवस्था और दगा मचाने के लिये उसमें शामिल हो गये। क्रान्ति में इन्होंने अपना कुछ नहीं था। क्रान्ति में उनकी मौज ही मौज थी। बिना किसी नुकसान के क्रान्ति के समय ये उससे बहुत अधिक प्राप्त कर सकते थे, जितना कि इन्हें मजदूरी से मिलता था।

देहातों के किसानों की संख्या दो करोड़ रु लगभग थी। ये कुल जनता के अस्सीपीसदी भाग थे। पर इनकी हालत सबसे अधिक खराब थी। ये ग्रामों में कुलीन श्रेणी के जमादारा की जागीरों में निवास करते थे। आधे के करीब किसान अभी तक 'भूमिदास' थे 'अर्धदास' थे, जो अपनी इच्छानुसार अपने मालिक की जमीन को छोड़कर कहीं गहर नहीं जा सकते थे। इन्हें बाधित होकर अपने मालिक का जमीन को जोतना पड़ता था पर शेष आधे किसान स्वतन्त्र थे। ये जहाँ चाह आना सकते थे, और जमीनों पर अपने हक को बेच व खरीद सकते थे। जमीन पर इनका हक मान लिया गया था, और बहुत से किसान अपनी

जमीन के मालिक भी बन गये थे । परन्तु किसान चाहे अभी भूमि-दास की दशा में हों, चाहे स्वतन्त्र हों और चाहे अपनी जमीन के स्वयं मालिक हों, विविध किसम के टैक्सों से दबे हुए थे । ऐसे किसानों को ही लीजिये, जो अपनी जमीन के आप मालिक थे । राजा उनसे टैक्स लेता था, जमींदार उनसे नजराने लेता था और चर्च उनसे ग्रामदानी का दसवाँ हिस्सा वसूल करता था ।

यह नहीं समझना चाहिये, कि फ्रांस के किसानों की दशा इस समय में असाधारण रूप से खराब थी । वास्तविकता तो यह है कि उनकी दशा अन्य देशों के किसानों की दशा से बहुत काफी अच्छी थी । क्रान्ति के लिये यह जरूरी नहीं है, कि लोग बहुत पददलित हों, बहुत अत्याचार पीड़ित हों । जनता भयङ्कर से भयङ्कर अत्याचारों से सताई हुई रह सकती है, और हो सकता है कि उसको अपनी स्थिति से जरा भी असंतोष न हो । हजारों माल तक मनुष्य जाति का अधिकांश भाग दास-प्रथा का शिकार रहा है । दास की दशा में लोग भयङ्कर से भयङ्कर अत्याचारों को देवीय विधान समझकर सहन करते रहे हैं । क्रान्ति के लिये जन साधारण की दशा ऐसी होनी चाहिये, कि वे अत्याचारों को अनुभव कर सकें, अपनी दुर्दशा को समझ सकें । फ्रांस में क्रान्ति सफलता से हो सकी, इसका कारण ही यह था, कि सर्वसाधारण लोगों की हालत इस हद तक उन्नत हो गई थी, कि वे अपने ऊपर किये गये अत्याचारों को—अपनी दुर्दशा को अनुभव कर सकते थे । ज्यों-ज्यों उनकी दशा सुधरती गई वे अपने जमींदारों को डाकू समझने लगे, चर्च के दशाशंकर को लूट समझने लगे और राजा के अनुत्तरदायी शासन को अनुचित बताने लगे । यूरोपियन देशों में फ्रांस ही सबसे पहले अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह करने के लिये अग्रसर हुआ; इसका प्रधान कारण यही था, कि वहाँ के जन साधारण की दशा पर्याप्त अच्छी थी ।

वह मर होते हुए भी यह न भूलना चाहिये कि फ्रांस के अधिकांश किसान भूखे, नंगे और गरीब थे। जमींदारों के शिकार के विशेषाधिकार जहाँ एक तरफ उनके खेतों को उजाड़े बिना नहीं छोड़ते थे, वहाँ दुर्भिक्ष अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि आदि अप्राकृतिक विपत्तियाँ भी उनकी तगाही करने में किसी प्रकार की कसर नहीं रहने देती थीं। फ्रांस के किसानों पर विविध प्रकार के करों का बोझ इतना अधिक था, कि उनके पास यदि अपने गुजारे के लिये भी अनाज बच जावे, तो उसे वे बड़ी भारी गनीमत समझते थे।

व्यापार और व्यवसाय—फ्रांस के व्यापार और व्यवसाय इस काल में धीरे धीरे, परन्तु निरन्तर उन्नति कर रहे थे। व्यापारिक और व्यवसायिक क्रान्ति का अभाव यूरोप के सभी देशों में दृष्टिगोचर होना शुरू हो गया था। इन क्रान्तियों के सम्बन्ध में हम पृथक् रूप से विस्तार से प्रकाश डालेंगे। परन्तु यहाँ इतना बताना आवश्यक है, कि फ्रांस में ऐसे लोगों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही थी, जो आन्तरिक और बाह्य व्यापार द्वारा धनी होते जा रहे थे। उस समय में आन्तरिक शक्ति से चलने वाले यानों का आविष्कार नहीं हुआ था। इसीलिये पेरिस से मार्सेय तक जाने में ११ दिन लगते थे। जलमार्ग द्वारा पेरिस से रूआँ (Rouen) तक १८ दिन लगते थे। पर इसमें सन्देह नहीं, कि जल और स्थल दोनों प्रकार के मार्गों को उन्नत करने का उस समय में पर्याप्त प्रयत्न किया जा रहा था। सन् १७८८ में ३६ हजार मील सड़क बन चुकी थी। करोड़ों रुपया सड़कों और पुलों के लिये खर्च किया जा रहा था। इन्जीनियरों को तैयार करने के लिये फ्रांस में एक विद्यालय की भी स्थापना हो चुकी थी। इन सब प्रयत्नों का परिणाम था, कि फ्रांस का व्यापार काफी अच्छी गति से निरन्तर उन्नति कर रहा था। परन्तु इस व्यापारिक उन्नति में फ्रांस का एक देश न होना सबसे बड़ी बाधा थी। जगह जगह पर चुगी देना तथा

माल को खोलना व्यापारी के लिये बहुत कष्टप्रद होता है, और उसे आन्तरिक व्यापार की उन्नति में बड़ी रुकावट होती है।

व्यावसायिक क्रान्ति के कारण पुराने जमाने की आर्थिक भेदियों (Guilds) का स्थान कारखाने ले रहे थे। इन कारखानों में पूँजीपतियों की अधीनता में बहुत से मजदूर काम करते थे। आर्थिक उत्पत्ति का सारा काम ये मजदूर करते थे, पर व्यवसाय पर इनका कोई हक नहीं था, ये मशीनों की तरह पूँजीपति के हित के लिए काम करते थे। बदले में इन्हें मजदूरी मिलती थी, जिसकी दर बहुत कम होती थी। इन कारखानों की वजह से एक इस प्रकार की श्रेणी उत्पन्न हो रही थी, जो शहरों में रहती हुई, नई लहरों से जानकारी रखती हुई और आर्थिक उत्पत्ति का सारा कार्य करती हुई भी सर्वथा असहाय थी। इन श्रेणी के लोगों को अभी अपनी शक्ति और महत्त्व का ज्ञान नहीं हुआ था। पर फिर भी वे अपने हितों को कुछ कुछ समझने लगे थे और दसरी का परिणाम था, कि यद्यपि फ्रांस की राज्यक्रान्ति राजनीतिक स्वाधीनता की स्थापना के लिये विशेष रूप से प्रयत्न कर रही थी, तथापि आर्थिक समस्या की कुछ झलक उसमें विद्यमान थी।

तीसरा अध्याय

क्रान्ति की भावना का प्रादुर्भाव

अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप के सभी देशों में लगभग वही हालत थी, जिसका हमने ऊपर वर्णन किया है। इस पुराने जमाने के खिलाफ सबसे पहले राज्यक्रान्ति फ्रांस में हुई, इसका कारण यह नहीं है, कि फ्रांस का देश अन्य देशों से अधिक उन्नत था। वस्तुतः फ्रांस की देशी अन्य देशों से वहाँ अच्छी थी। क्रान्ति सबसे पहले फ्रांस में हुई, इसका प्रधान कारण वह क्रान्ति की भावना है, जो अनेक विचारकों द्वारा फ्रांस में उत्पन्न की जा रही थी। इस समय तक यूरोप के दिमाग पुराने अंध विश्वासों की जकड़ से बहुत कुछ छुटकारा पा चुके थे। लोग अपने दिमाग से स्वच्छन्दतापूर्वक विचार करने लग गये थे। वे किसी बात पर इसीलिये विश्वास नहीं कर लेते थे क्योंकि बहुत सी सदियों से मनुष्य वैसे ही मानते आये हैं, या धार्मिक ग्रंथ में वैसा लिखा है, अपितु अपनी बुद्धि की बसौटी पर कस कर सच या झूठ का फैसला करने की प्रवृत्ति उनमें पैदा हो चुकी थी। इसी का परिणाम था, कि अनेक विचारकों ऐसे उत्पन्न हुए, जिन्होंने मनुष्य जाति के हजारों सालों से चले आ रहे विश्वासों को आगे प्रशात्मक चिह्न लगाया और नये विचार जनता के सम्मुख पेश किये। फ्रांस में भी इसी प्रकार के बहुत से विचारक थे, जो क्रान्ति की भावना को जनता में उत्पन्न कर रहे थे। ये

विचारक कोन थे, और इनके क्या विचार थे, इस विषय पर हम संक्षेप से प्रकाश डालते हैं—

मान्टस्क—इसका काल सन् १६८६ से १७५५ तक है। यह स्वयं कुलीन श्रेणी का था। इसने राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धान्त के खिलाफ आवाज उठाई। मान्टस्क का कहना था कि राजा ईश्वरीय विधान की कृति नहीं है, वह इतिहास की रचना है, घटनाओं के विकास ने राजमंस्था का प्रादुर्भाव किया है। मान्टस्क ने फ्रांस के शासन विधान के मुकाबले में इंग्लैंड के शासन विधान की बहुत अधिक प्रशंसा की। वह कहता था, कि इंग्लैंड का शासन संसार में सर्वोत्तम है, क्योंकि उसमें नागरिकों की स्वतन्त्रता सुरक्षित है। मान्टस्क ने ही सबसे पहले राज्य की विविध शक्तियों को पृथक् पृथक् रखने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। राजशक्ति को हम तीन भागों में बाँट सकते हैं—शासन, व्यवस्थापन (कानून निर्माण) और न्याय। मान्टस्क का सिद्धान्त था, कि ये तीनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में न होकर पृथक् पृथक् हाथों में रहनी चाहिये। यह सिद्धान्त राजशासन के प्रमुख सिद्धान्तों में से एक है, और वर्तमान काल में सब लोग इसे मानने हैं। पर अठारहवीं सदी के लिये यह सिद्धान्त एक नई चीज थी। फ्रांस के एकतन्त्र श्वेच्छाचारी शासन में मान्टस्क का यह सिद्धान्त किसी भी तरह लागू नहीं हो सकता था।

वाल्टेयर—वाल्टेयर कुलीन श्रेणी का न होकर मध्य श्रेणी का था। अपने समय के अत्याचारों और अन्यायों का उसे प्रत्यक्ष अनुभव था। वह अच्छी तरह जानता था, कि जब कोई कुलान सरदार गुरसे में आकर मारने पीटने लगता है, तो उसकी मार कितनी भयङ्कर होती है। वह अच्छी तरह समझता था, कि वास्तीय को जेल में एक वर्ष व्यतीत करना कितना कष्टप्रद होता है। कुछ समय तक वाल्टेयर राजदरबार में रहा। पर वह देर तक वहाँ न रह सका। उसे फ्रांस छोड़कर प्रशिया और

इङ्गलैंड भागना पना। वाल्टयर का पुराने जमाने के अन्याय और भ्रम मत्ता क खिलाफ प्रारम्भ प्रस्था थी। उसका विश्वास था, कि इस पुराने जमाने का जड़ से उखाड़ देने में ही भला है। वह किसी किम्वद के मम भीते को समन नहा कर समता था। वह कहता था, हम नया युग की आधार शिला तभी स्थापित कर सकेंगे, जब कि पुराने जमाने का नाम का भी पृथिवी से मिटा दिया जायगा। इसलिये पुराने जमाने के विकृत प्रारम्भ को ही उसने अपना मुख्य कार्य बनाया। उसने चर्च और राज्य दाना की बुराइयाँ के ऊपर चरदस्त हमले किए। उसका शली बहुत जोरदार था। व्यङ्ग लिखने में वह सिद्धहस्त था। वाल्टयर लाङ्कतन्त्र शासन का पक्षपाती नहा था, वह कहा करता था कि सौ चूड़ा की राजा एकाशेर का शासन मुझे अधिक पसन्द है। यदि वह लाङ्कतन्त्र शासन का पक्षपाती नहा था, तो एकतन्त्र शासन का तो जना भारा दुश्मन था। चर्च और राज्य क दोषों के विरुद्ध उसने जो पुस्तकें लिखी, उनका कारण लोगों का ध्यान इन बुराइयों की तरफ आकृष्ट हुआ, और लोग इन दोषों का नाट कर एक नवीन युग की कल्पना करने लग।

रूसो—जाति का भावना को प्रादुर्भाव करने में सबसे प्रधान स्थान रूसो का है। रूसो कबल दोष प्रदर्शन का ही कार्य नहीं करता था वह नवीन युग का कल्पना का विधायक था, वह माननीय समाज का एक नवीन संगठन चाहता था। उसका विचार में मनुष्य जाति का भूतकाल बहुत ही उज्ज्वल था। एक समय ऐसा था, जब सब लोग स्वतन्त्र थे, कोई किसी का दास न था, कोई पराधीन न था, सब एक दूसरे के बराबर थे। न उस समय में लोगों का टक्स देने पन्ते थे, न लडाइयाँ होती थीं, न कोई राजा था, न कोई प्रजा थी। यह सुवर्णयुग समय सदा के लिये स्थिर न रह सका। जिसे आजकल 'सभ्यता' कहा जाता है, उसने प्रादुर्भाव के साथ मनुष्यों में वैयक्तिक सम्पत्ति का उत्पत्ति हुई, और इस वैयक्तिक सम्पत्ति के पैदा होते ही मनुष्य में लोभ, मोह आदि प्रगट होने

लगे, वह सुनगाय युग समाप्त हो गया और विपमता, अत्याचार व पराधीनता का युग आ गया। अपना प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक समय (Social Contract) का प्रारम्भ उसने इन शब्दों से किया है—

“मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न होते हैं, पर वह सर्वत्र जजीरां में जड़ड़े हुए पाये जाते हैं। कुछ लोग अपने का दुमरा का मालिक समझते हैं पर उस्तुत ने दूसरा भी अपना भी अधिक गुलाम होते हैं, यह परिवर्तन उसे आ गया मैं नहा जानता। इस परिवर्तन को किस प्रकार न्याय और समुचित कहा जा सकता है? मेरा विश्वास है कि इस प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूँ।”

रूसो ने इस प्रश्न का उत्तर यह दिया है, कि मानवीय समाज व राज्य में जनता की इच्छा ही सर्वापरि है, सरकार का न्याय्यता इसी जनता की इच्छा पर आश्रित है। जनता शासन करने के लिये किसी एक आदमी को—जैसे राजा—निर्वात कर सकती है, पर उस आदमी की सत्ता जनता की इच्छा पर ही निर्भर है। जनता अपनी इच्छा को कानून की शकल में प्रगट करती है, जिसके अनुसार राजा का शासन करना चाहिये।

यह विचार अठारहवीं सदी के लोगों के लिये भयानक क्रान्तिकारी विचार था। जनता की इच्छा कानून है, राजा की इच्छा कानून नहा है, यह भाव प्राप्त की राज्यक्रांति में प्रधान रूप से काम कर रहा था। रूसो की विचार सम्पत्ती के अनुसार राज्य का निमाण जनता के आपस के समय (Contract ठीका) द्वारा हुआ, अतः राज्य में लाफ मत ही सर्वापरि होना चाहिये। वह शासन पद्धति सर्वोत्तम है, जिसमें बहुमत के अनुसार शासन होता है। रूसो के ये सिद्धान्त एक नये सदेश के समान सम्पूर्ण यूरोप में व्याप्त हो गये। प्राप्त के क्रान्तिकारियों के लिये रूसो के विचार ‘धार्मिक सिद्धांत’ का सा महत्त्व रखते थे। रूसो ने कवल पुराने जमाने की आलाचना ही नहा की, अपितु नवीन युग का चित्र भी लोगों के सम्मुख उपस्थित किया। जनता ने अनुभव किया, कि यह नवीन चित्र बहुत ही सुन्दर है। वे उसका अनुयायी हो गये।

दिदगे—क्रांति का भावना का जन्म देनेवाले प्रचारका में दिदरो भा बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। दिदरो ने एक विलास विश्वकोश का प्रकाशित करने की याचना की थीर इसके लिये बहुत से वैज्ञानिक और विद्वानों का अपने साथ एकत्रित किया। इस विश्वकोश का उद्देश्य यह था कि उस समय के सम्पूर्ण ज्ञान को सरल भाषा में उपस्थित किया जाय, ताकि पढ़े लिखे लोग सुगमता से उन सब विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकें, जो वे जानने का उन्हें अन्यथा अवसर नहीं मिलता। दिदरो और उसका साथी क्रिया पर आक्षेप नहीं करना चाहते थे, उनका विचार था कि जहाँ तक भी हो सके, दूसरा के विरोध से बचा जाय। परन्तु ज्ञान का चाहे जिसने ही सरल स्वरूप में पेश किया जावे, वह बहुत सारा काम लिये आपत्तिजनक हो ही जाता है। राज्य क्या चीज है, चर्च का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, जनता के क्या अधिकार हैं—इत्यादि विषयों पर यदि अन्धरी तरह प्रकाश डाला जावे, तो एतन्त्र राजाओं व निगपाधिपति प्राप्त पुरोहिता को यह सब किस प्रकार सह्य हो सकता है ? अतः, सत्य ज्ञान को सरल रूप में पेश करना ही अन्धविश्वास और अज्ञान पर आश्रित लोगों के लिये सबसे अधिक कष्टप्रद होता है। विश्वकोश के इन लेखकों ने ज्ञान को जिस प्रकार जनता के सम्मुख उपस्थित करना प्रारम्भ किया, वह राजा तथा चर्च को सह्य न हो सका। इस विश्वकोश द्वारा जनता का विचार करने के लिये सामग्री मिल रही थी। वे इस ग्रन्थ का पढ़कर स्वयं यह सोच सक्ते थे, कि किस सहायक क्या गुण के दाप हैं ? इस प्रकार विश्वकोश की यह योजना क्रांति की भावना को प्रादुर्भूत करने में बहुत ही सहायक थी। १७५२ में इस विश्वकोश के प्रथम दो ग्रन्थ प्रकाशित हुए। प्रकाशित होते ही राजा के मंत्रियों ने उद्घोषित किया कि, ये ग्रन्थ राजसत्ता तथा धर्म के खिलाफ हैं, अतः इन्हें नहीं पढ़ना चाहिये। पर इतने उद्घोषणा के बावजूद भी विश्वकोश के अन्य सदस्य

अपने तेजी से प्रकाशित होते गये। ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और विश्वकाश का प्रचार तेजी से होना शुरू हुआ। पर साथ ही विरोध भी बढ़ता गया। विरोधी रहने लगे, कि यह विश्वकोश माननीय समाज और धर्म की जड़ पर कुत्साराघात करनेवाला है। राजशक्ति ने फिर हस्तक्षेप किया। विश्वकोश का अर्थ तब सात गण्ड निकले थे, उनमें विक्रय को रोक दिया गया और अगले सत्रहवाँ का प्रकाशित करने का लाइसेंस वापिस ले लिया गया। पर विद्रोह ने अपना काम बन्द नहीं किया। दस साल बाद उसने विश्वकाश का दस सत्रहवाँ और निकाले। और इस प्रकार अपने महान् ग्रन्थ को पूर्ण कर दिया। सरकारी विरोध के होने पर भी विश्वकोश की पिकी बन्द नहीं हुई।

इस विश्वकोश में एकतन्त्र गणतन्त्र, धार्मिक असाहिष्णुता, दास प्रथा अन्याययुक्त टैक्स, सामन्तपद्धति, फौजदारी कानून आदि सभी विषयों पर विस्तार से विचार किया गया था और इस विचार का दृग इस प्रकार का था, कि इन सबके दोष पाटका का सम्मूलन आ जाते थे। क्रान्ति की भावना के लिये यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी था।

अक्सने—अक्सने लुई १५ व का राजपूत था। इसने उन बहुत से विद्वानों को अपने पास आश्रय दिया था, जिन्हें 'अर्थशास्त्री' कहा जाता है। ये 'अर्थशास्त्री' व्यापार व्यवसाय और आय व्यय आदि अर्थिक विषयों पर विचार करते थे और अपने समय की आर्थिक बुराई का विरोध कर सुधार की योजनाय पेश करते थे। इनका प्रधान सिद्धान्त यह था, कि आर्थिक जगत् में 'खुला छाँट दा' का नीति का अनुसरण करना चाहिये। प्रवृत्ति के अन्य क्षेत्रों का तरह आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत से स्वाभाविक नियम काम करते हैं। मनुष्य को चाहिये, कि उन्हें पता लगाये और उन्हें का अनुसार अपने कार्य का मयादित करे। यह स्पष्ट है, कि मनुष्यों का आर्थिक कार्य में यदि राजा का तरफ से हस्तक्षेप होगा, तो वह प्राकृतिक नियमों का प्रातङ्गल होगा। अतः राजा

को चाहिये कि 'सुला छोड़ दो' की नीति का अवलम्बन करे। उस समय का राजा आर्थर क्षेत्र में अनेक प्रकार के हस्तक्षेप करता था, उस समय में व्यापार के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएँ थीं, श्रमियों के सगठनों के लिये अनेक प्रकार की कड़ावटें थीं। 'अर्थशास्त्री' लोग इन सबका जोरदार तरीके से विरोध कर रहे थे।

छपी हुई पुस्तिकाएँ—इन सुप्रसिद्ध लेखकों और विचारकों के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से लोग थे, जो अपने समय के प्रश्नों और समस्याओं पर गम्भीरता के साथ विचार करने लगे थे। इस काल में समाचार पत्र प्रकाशित नही होते थे। वर्तमान काल में लोकमत को उत्पन्न करने तथा जनता को मार्ग प्रदर्शित करने का काम प्रधानतया समाचार-पत्र करते हैं। उस समय तब समाचार-पत्रों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, पर छोटे छोटे मैगज़ीन व पुस्तिकाएँ बड़े परिमाण में छपने व प्रकाशित होने लग गई थीं। छापाखाना यूरोप में प्रवेश कर चुका था, और हजारों की तादाद में छपे हुए पत्र-पत्रों के बाजारों में दृष्टिगोचर होने लगे थे। ये पत्रें लोगों की आँखें खोलने लग गये थे। लोग इन्हें शौक से पढ़ते थे, और इन पर चर्चा करते थे। उन सब बातों पर विचार होना अब प्रारम्भ हो गया था, जिन्हें अब से पहले विचार करने के लायक ही नहीं समझा जाता था। यह परिवर्तन द्रान्ति की भावना को उत्पन्न करने के लिये बड़ा भारी कार्य कर रहा था।

न्यायालयों के अधिकार—लोकमत इन छपे हुए पत्रों से केवल प्रगट ही नहीं होता था, अपितु शासन पर भी उसका प्रभाव पडना शुरू हो गया था। यद्यपि उस काल में कोई ऐसी लोक सभाएँ नहीं थीं, जिनमें जनता के प्रतिनिधि लोकमत को प्रगट करने का अवसर प्राप्त कर सकें, पर ऐसे साधनों का सर्वथा अभाव भी न था, जिनसे राजा के स्वैच्छाचार को रोका जा सके। इस प्रकार के साधनों में सर्वप्रथम वे 'न्यायालय' थे, जिन्हें 'पार्लामेंट' कहा जाता था। इनका नाम ही इन्हें

लैंड की 'पार्लियामेण्ट' से मिलना है, स्वरूप नहीं। ये न्यायालय सरघा में १३ थे, जिनमें सर्वप्रथम पोरस का न्यायालय था। इनमें केवल मुन्दमों का निर्णय ही नहीं होता था। इनका यह भी दावा था, और यह दावा सर्वथा उपयुक्त था, कि राजा जब किसी नये कानून का निर्माण करे, तो उसे पहले इनके पास रजिस्टर्ड करने के लिये भेजे, क्योंकि जब तक कोई कानून इनके रजिस्टरी में दर्ज न होगा, तब तक ये उसका प्रयोग ही किस प्रकार कर सकेगे? यद्यपि कानून बनाने का एहसास हर राजा को ही था, पर यदि ये न्यायालय किसी कानून को पसन्द न करते हा, तो उसे अपने पास दर्ज करने के स्थान पर उसके विरुद्ध एक आवेदन राजा की सेवा में भेज देते थे। इन आवेदनों को वे केवल राजा की सेवा में ही नहीं भेजते थे, अपितु, उसकी हजारों प्रतियाँ छपवा कर जनता में वितरित भी कर देते थे। इन छपी हुई प्रतियाँ से जनता को यह भली भाँति ज्ञात हो जाता था कि पार्लिमा ने राजा के किस कानून का और किन आधारों पर विरोध किया है।

जब राजा पार्लिमा द्वारा भेजा हुआ इस प्रकार का आवेदन प्राप्त करता था, तब उसके सम्मुख तीन मार्ग होते थे। या तो वह पार्लिमा के विरोध को स्वीकार कर अपने कानून को वापिस ले ले, या उसमें उचित परिवर्तन कर दे, या पार्लिमा की बैठक को अपने सम्मुख बुला कर अपने ही श्रोमुख से उसे हुक्म दे कि उस कानून को रजिस्टर्ड कर लें। इन दशा में पार्लिमा के पास अन्य कोई मार्ग न था। उसे राधित होकर उस कानून को अपने पास दर्ज करना होता था। अन्त में राजा की इच्छा ही विजयी होती थी।

पर धीरे धीरे पार्लिमा ने अपनी शक्ति बढानी शुरू की। उसने यह भा दावा करना शुरू किया, कि उसकी इच्छा के विरुद्ध जो कानून दर्ज कराये जाते हैं वे वस्तुतः न्याय्य नहीं समझे जा सकते। न्याय करना तो

पार्लामां के हाथ में ही था, अतः वे मजे से किसी कानून की उपेक्षा कर सकती थीं ।

पार्लामां की इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ, कि सर्वसाधारण जनता राजकीय मामलों में बहुत दिलचस्पी लेने लगी । लोकमत को विकसित करने में पार्लामां द्वारा प्रकाशित आवेदन-पत्रों ने बहुत बड़ा काम किया । लोग इस बात पर विचार और बहस करने लगे, कि राजा ने जो कानून जारी किये हैं, वे उचित हैं या नहीं, वे न्याय हैं या नहीं ।

अमेरिकन क्रांति का प्रभाव—काम में क्रांति की भावनाओं की उत्पन्न करने में कुछ अन्य घटनाओं ने भी बहुत सहायता की । मन् १६७६ में अमेरिकन स्वाधीनता का संग्राम लड़ा गया था । अमेरिका ने इंग्लिश आधिपत्य के विरुद्ध स्वतन्त्रता प्राप्त की थी । ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त होकर अमेरिका ने अपने देश में लोकतन्त्र शासन का विकास किया था । क्रांति की भावनाओं की इस स्थूल मूर्तिमान् विजय ने सब जगह क्रान्तिकारियों के हृदयों को उत्साह से भर दिया था । अमेरिकन स्वाधीनता संग्राम में सहायता पहुँचाने के लिये हजारों की संख्या में फ्रांसीसी युवक स्वयंसेवक बनकर गये थे । वे लोग अपनी आँखों से अपने स्वप्नों को क्रिया में परिणत होते देखकर अपने देश में वापिस आये थे । इनके हृदय स्फूर्ति में परिपूर्ण थे । पुराने जमाने का अन्त कर नवीन युग की स्थापना के लिये इन्हें बड़ा उत्साह था । अमेरिका की स्वाधीनता से फ्रांस में भी नवीन भावनाएँ बढ़ी तेजी से हिलोरें लेने लग गई थीं ।

उस समय के राजा इन नई प्रवृत्तियों ने सर्वथा बेफिक्र ही, यह बात नहीं थी । वे खुली हुई आँखों से इन नवीन लहरों को देख रहे थे । पर इनके वास्तविक महत्त्व को समझने की क्षमता उनमें नहीं थी । उनका विचार था, कि कुछ मामूली में परिवर्तनों से काम चल जायगा । उन्होंने अनेक सुधार किये भी । कुलीन और पुरोहित श्रेणियों के

अधिकारों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये भी गये। कानूनों का भी सशोधन हुआ। पर वह सब अल्पकाल था। इन सबसे तो क्रान्ति की भावना और भी जलवती होती गई। इन थोड़े से परिवर्तनों से जनता सन्तुष्ट कैसे हो सकती थी इन्होंने तो उसकी हिम्मत को और भी आगे बढ़ा दिया। क्रान्ति की जो भावना विचारकों द्वारा प्रारम्भ की गई थी, वह निरन्तर बढ़ती ही गई और अन्त में राज्य-क्रान्ति के रूप में फूट पड़ी। जिस समय सुधार तथा परिवर्तन जनता की माँग [व आवश्यकताएँ] से बहुत पीछे रह जाते हैं, उस समय क्रान्ति के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहा रहता।

वातावरण में हुई थी। उसे शिकार खेलने तथा आभोद-प्रमोद में मस्त रहने से बड़ा आनन्द मिलता था। अपनी कमजोरियों तथा अयोग्यताओं के बावजूद भी वह एक भलामानस युवक था। उसका दिल अन्ध था। यदि वह अधिक उद्योगशील तथा मजबूत होता, तो अवश्य ही अपनी प्रजा का कुछ भला कर सकता।

चौथा अध्याय

सोलहवें लुई का शासन

सन् १७७४ में पन्द्रहवें लुई की मृत्यु हुई। उसके शासन काल में जो असफल युद्ध लड़े गए थे, उनका वर्णन करने की हमें आवश्यकता नहीं है। पर इतना ध्यान में रखना चाहिये कि इनसे फ्रांस को कोई लाभ तो हुआ नहीं था, अपितु बहुत से प्रदेश उसकी अधीनता से निकल गए थे। इतना ही नहीं, इन युद्धों में खर्च इतना अधिक हुआ था, कि फ्रांस का राजकोश सर्वथा दिवालिया हो गया था। लोगों पर टैक्सों का बोझ पहले ही इतना अधिक था कि नये टैक्स नहीं लगाये जा सकते थे। ऐसे समय में राज्य को दिवालिया होने से बचाने का केवल एक ही उपाय था, वह यह कि खर्च में कमी की जाय। पर फ्रांस की सरकार का इस ओर जग भी ध्यान नहीं था। उसे प्रति वर्ष सवा दो करोड़ के लगभग घाटा हो रहा था। राजकीय मामलों का संचालन दरवारी कर रहे थे, शासन में वेश्याओं का बड़ा हाथ था। राजा के कृपापात्र खुले हाथ कोश को लुटा रहे थे। इस भयानक दशा में फ्रांस को अनाथ छोड़कर १५वाँ लुई इस लोक से सदा के लिये विदा हो गया और उसकी जगह पर उसका लड़का सोलहवाँ लुई राजगद्दी पर बैठा।

राजा १६वाँ लुई—राज सिंहासन पर बैठते समय १६वें लुई की आयु केवल १६ वर्ष की थी। उसकी शिक्षा राज दरबार के विद्वत

वातावरण में हुई थी। उसे शिफार खेलने तथा आमोद प्रमोद में मस्त रहने से बड़ा आनन्द मिलता था। अपनी कमजोरियों तथा अयोग्यताओं के बावजूद भी वह एक भलामानस युवक था। उसका दिल अच्छा था। यदि वह अधिक उद्योगशील तथा मजबूत होता, तो अवश्य ही अपनी प्रजा का कुछ भला कर सकता।

उसकी रानी—लुई का विवाह मेरी आतोप्रात नाम की राजकुमारी से हुआ था उस समय में बहुत से विवाह राजनीतिक उद्देश्य से किये जाते थे। उस समय में राजा और राजवशा के विवाह का मतलब था, राज्या का विवाह या सन्धि। इसी किसम की एक सन्धिको—१७५६ में हुए आष्ट्रिया और फ्रांस की सन्धि—मुहब्द करने के लिये आष्ट्रियन राजकुमारी मेरी का विवाह १६वें लुई से कर दिया गया था। वह मरी आतोप्रात बहुत ही उथली तथा आरामपसन्द स्त्री थी। उसे प्राण व्ययहार का कोई ख्याल न था। राजदरबार के रीति रिवाज तक उसकी दृष्टि में कोई महत्त्व न रखते थे। उसके दिमाग में जो आता, वही वह करती। राजा से उसे स्नेह नहीं था, वह उसके भारी तथा प्रालम्बी तन में घृणा करती थी। उसके बहुत से कृपापान तथा स्नेहपान थे। उन्हें सहानुता देने के लिये वह जो चाहती थी, करती थी। उसे उचित अनुचित का कोई विचार न था।

टूर्जे (१७५४-१७७६)—राजगद्दी पर बैठते ही १६वें लुई ने टूर्जे को अपना प्रधान मन्त्रा बनाया। वह टूर्जे फ्रांस का सबसे योग्य अर्थशास्त्री था। वह केवल विद्वान् ही नहीं था, उसे शासन का क्रियात्मक अनुभव भी था। अपने कार्य को संभालते ही टूर्जे ने सबसे पहले मित व्ययिता पर ध्यान दिया। वह अच्छी प्रकार अनुभव करता था कि फ्रांस को दिवानिया होने से बचाने तथा टैक्स के बोझ को हलका करने का एकमात्र उपाय मितव्ययिता है। मितव्ययिता का सबसे उत्तम उपाय यह था, कि राजदरबार में मन्त्र व्यय को कम किया जावे। बर्साय

थी, परन्तु ये हिने किसी भां प्रस्ताव का स्वागत करने के लिये उत्पन्न न थे, निम्ने उन पर जरा भी आच आती हा। इन लोगों ने सब तरफ से नेकर का विरोध करना शुरू किया। उसे विदेशों रहकर बदनाम किया गया। उसे प्रोटेस्टेंट रहकर विपरीत बताया गया। गनी ने उसको पर्याप्त करने के लिये उदात्त चार दिया। परिणाम यह हुआ कि नेकर का भी उमी राह पर जाना पडा, जिम पर टूर्जे गया था। पर जाने मे पहते वह एक महत्त्वपूर्ण कार्य कर गया। उसने राजा को एक आवेदन पत्र लिखा, जिसम प्राप्त की आर्थिक दशा का ठीक ठीक विवरण दिया गया था। इन आवेदन पत्र की अस्ती हजार प्रतियाँ छपाई गई। खनता ने इमे उठे उल्हाह तथा शोक से पटा। पहली बार उन्हें प्रामाणिक रूप से यह जानने का अवसर मिला, कि आर्थिक दृष्टि से राज्य की वितनी दुर्दशा हो गई है।

कैलोन—नेकर के बाद उसने महत्त्वपूर्ण पद पर कैलोन को अधिष्ठा किया गया। कैलोन एक दरबारी था। आर्थिक क्षेत्रमें उसका एक ही असूल था और वह यह कि राजकीय व्यय के लिये वित्तने धन की आवश्यकता हो, उसे ऋण लेकर प्राप्त कर लिया जावे। राजा और उसके दरबारियों को मौज उटाने के लिये रुपये की जरूरत थी। टैक्स से इतना करया प्राप्त नहीं होता था, कि सब आवश्यकतायें पूर्ण की जा सकें। एक उपाय और था, वह यह कि कर्ज लिया जाये। कैलोन ने इसी का आश्रय लिया। चार सालों में उसने ६० करोड़ रुपये कर्ज लिये। पर कर्ज की भी कोई हद होती है। इससे अधिक कर्ज भी न मिल सका। लोग इतने बेवकूफ न थे, कि इस प्रकार कर्ज देते जावे। आखिर, कैलोन को भी सुधार की सूझी। उसने राजा को सूचना दी कि प्राप्त के दिनालिया होने में अब अधिक विचम्न नहीं है। यदि इस निष्पत्ति परिस्थिति से प्राप्त की रक्षा करनी हो, तो उसने लिये उठे महत्त्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है कैलोन की सम्मति में सबने अधिक

महत्वपूर्ण सुधार यह था, कि कुलीन और पुरोहित श्रेणियों पर भी भूमि कर लगाया जावे। अत्र तक ये श्रेणियाँ इस कर से प्रायः मुक्त थीं। वेलोन चाहता था, कि सब लोगों पर भूमि कर पर समान रूप से लगाया जावे। इसलिये उसने राजा को मलाह दी कि कुलीन श्रेणियों और चर्च के प्रमुख व्यक्तियों को बुलाया जावे और उनके सम्मुख ये सुधार विचार के लिये उपस्थित किये जावे।

प्रमुख लोगों की सभा (१७८६)—राज्य और चर्च के प्रमुख व्यक्तियों की सभा बुलाई गई। इस सभा में सर्वसाधारण जनता के प्रतिनिधि नहीं बुलाये गये थे। केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोग इसमें आये थे। इस सभा के सम्मुख वेलोन ने मास की वास्तविक दशा का चित्र रीच कर अपने सुधार प्रस्तावित किये। वेलोन ने बताया कि फ्रांस को १२ करोड़ रुपया वार्षिक घाटा हो रहा है। राष्ट्रीय ऋण की मात्रा २४ करोड़ बढ़ गई है। अधिक सिफायत नहीं की जा सकती। रिक्तनी भी सिफायत की जाय, घाटा दूर नहीं हो सकता। नया ऋण भी ग्रहण नहीं मिलता। अब क्या किया जाय ? सर्वसाधारण जनता पहले ही टैक्सों के बोझ से लदी हुई है, उस पर नये टैक्स नहीं लगाये जा सकते। हाँ, एक उपाय है। टैक्स की पद्धति के दोषों को दूर किया जाय, तो समस्या हल हो सकती है। बहुत से लोग टैक्स से मुक्त हैं, बहुत से लोग विशेषाधिकार प्राप्त हैं। हाँ, यदि इनसे भी टैक्स वसूल किये जावे, यदि टैक्स का कानून सब प्रदेशों तथा सब लोगों पर एक समान रूप से लागू हो, तो आर्थिक पहली सुलझाई जा सकती है। वेलोन ने बड़ी निर्भयता से अपने कार्यक्रम को—अपने सुधारों को पेश किया। पर प्रमुख लोगों की इस सभा को वेलोन पर विश्वास न था, वे उसके सुधारों को स्वीकृत करने के लिये तैयार न थे। वेलोन बर्सास्त कर दिया गया और उसके साथ ही प्रमुख लोगों की यह सभा भी बर्सास्त कर दी गई !

आर्थिक समस्या को हल करने के लिये राजा ने स्वयं कुछ सुधार प्रस्तावित किये। इसके लिये राजा ने दो नये टेक्स लगाने का निश्चय किया था। सामान्य रीति से इन टेक्सों को दर्ज करने के लिये पेरिस के न्यायालय (पार्लामा) के पाम भेजा गया। पर इस बार पेरिस के न्यायालय ने असाधारण मार्ग का अवलम्बन किया। उसने इन नये टेक्सों को दर्ज करने से ही इन्कार नहीं किया, पर साथ ही यह भी उद्घोषित किया कि किसी नये स्थिर टेक्स को लगाने की अनुमति देने का अधिकार 'एस्टेट्स जनरल' में एकत्रित जनता को ही है, अन्य किसी को नहीं। इस उद्घोषणा के कुछ दिन बाद ही पेरिस के न्यायालय ने राजा से प्रार्थना की, कि राज्य के 'एस्टेट्स जनरल' के अधिवेशन को बुलाया जाय।

राजा के लिये अब एक नई समस्या उपस्थित हो गई थी। न्यायालय उसके नये टेक्सों को दर्ज नहीं करते थे। उन्हाने खुल्लम खुल्ला राजा तथा उसके सहायकों के कार्य का विरोध करना शुरू कर दिया था। राजा ने पेरिस के न्यायालय को रद्दास्त कर दिया, और न्याय की नई पद्धति की स्थापना की। पर स्थिति अब उसके काबू से बाहर हो चुकी थी। क्रान्ति की भावना लोगों में गहरा स्थान प्राप्त कर गई थी। आखिर, उसे मजबूर होकर 'एस्टेट्स जनरल' के अधिवेशन को बुलाने के लिये सहमति देनी पड़ी।

पाँचवाँ अध्याय क्रान्ति का श्रीगणेश

एस्टेट्स जनरल—'एस्टेट्स जनरल' के अधिवेशन के साथ ही क्रान्ति का श्रीगणेश हो जाता है। राजा की यह प्रथम पराजय थी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा था, कि वह अकेला अपनी इच्छा से—चाहे साक्षात् परगायमा ने ही उसे राज्य करने के लिये नियुक्त किया हो—फ्रांस की आर्थिक समस्या का हल नहीं कर सकता। उसे जनता की गहायता को आवश्यकता को स्वीकार करना पड़ा था। क्रान्ति के सिद्धांत को यह मारी विजय थी।

एस्टेट्स जनरल क्या चीज थी, उसका निर्माण किस प्रकार होता था और उसके क्या नियम थे—इन बातों को जाननेवाला उस समय कोई न था। इस सभा का १७५ सालों से कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। सभी लोग इसकी चर्चा तो करते थे, पर इसका ठीक ठीक परिधान किसी को न था। परिणाम यह हुआ, कि यह कार्य विद्वानों के सुपुर्द किया गया। अखिरकार, फ्रांस के विद्वानों ने बड़े अनुसन्धान के अनन्तर यह पता लगाया कि एस्टेट्स जनरल का क्या स्वरूप था।

त्रिन दिनों फ्रांस में सामन्तपद्धति (Feudal system) प्रचलित थी, तब इस सभा के अधिवेशन हुआ करते थे। इसका निर्माण सामन्त-पद्धति की परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर हुआ था। यह सभा तीन विभागों



काल में राज्यक्रान्ति का आगणश (श्री देसमोला जना के बीच में)

नहीं निराल दिया जावेगा। यह मिरापो सर्वसाधारण जनता का प्रमुख और प्रभावशाली नेता था।

जनता की विजय—ग्रन्थ में राजा की पराजय हुई। उसे जनता की माँग स्वीकार करनी पटी। उसने आगा प्रकाशित का, कि तीनों विभागों का अधिवेशन एक साथ हो, मुल्कीन और पुरोहित श्रेणियाँ के जो सदस्य अभी तक तृतीय श्रेणी के साथ राष्ट्रीय महासभा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, वे सम्मिलित हो जायें। आगिर सर्वसाधारण जनता अपने महत्त्व को प्रदर्शित करने में सफल हुई। मुल्कीन और पुरोहित श्रेणियों पर उसकी विजय हुई।

दरवार की साजिश—सर्वसाधारण जनता जिस ढंग से शक्ति प्राप्त करती जा रही थी, वह राजदरवार के लोगों को सह्य न था। वे अच्छी तरह जानते थे, कि उनकी भलाई इसी में है, कि राजा का एकतन्त्र स्वच्छाचारी शासन कायम रहे। ये लोग सुधार के जानी दुश्मन थे। वे अपने विशेषाधिकारों का किसी भी प्रकार छोटने के लिये तैयार न थे। वे यह भी सहन नहीं कर सकते थे कि राजा की स्थिति वैध शासक की हो जावे। प्रास के शासन में जनता का हाथ हो जाने पर उन्हें मौजूद उठाने का अवसर कैसे मिलेगा? राना इन दरबारियों का हृदय से समर्थन कर रही थी। राजा का छोटा भाई आर्तोआ का काउन्ट भी उनका प्रबल पक्षपोषक था। ये लोग सर्वसाधारण जनता की हरकतों को बहुत ही खतरनाक तथा शैतानियत से भरी हुई समझते थे, और उन्हें कुचलने के लिये सब प्रकार के उपाय का अवलम्बन करने के पक्ष में थे। इन्होंने साजिश की, कि राष्ट्रीय महासभा को तोड़ दिया जायें। पर ये यह भी जानते थे, कि जनता इसे सहन न कर सकेगी, वह गदर के लिये तैयार हो जावेगी। इसलिये इसका प्रयत्न वे पहले से ही कर देना चाहते थे। उन्होंने गदर को कुचलने के लिये विदेशी सैनिकों का प्रयोग करने का निश्चय किया। उस समय म वेतन की

वेशन करने का आदेश दिया था, पर तृतीय श्रेणी के प्रतिनिधि इससे मानने के लिये उत्प्रत न थे। वे निरन्तर अन्य दोनों विभागों को इस बात के लिये निमन्त्रित कर रहे थे, कि वे उनके साथ मिल कर एक सभा के रूप में राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करें। पर अन्य विभागों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। आखिर, जब तृतीय श्रेणी के लोग अन्य विभागों के व्यवहार से सर्वथा निराश हो गये, तो उन्होंने एक बड़े साहस का कार्य किया। १७ जून को तृतीय श्रेणी के विभाग के सम्मुख यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया, कि क्योंकि वे ६५ फीसदी जनता के प्रतिनिधि हैं और क्योंकि वास्तविक शक्ति यह सर्वसाधारण जनता ही है, अतः निश्चय किया जाता है, कि जनता के ये वास्तविक प्रतिनिधि राष्ट्रीय महासभा का रूप धारण कर लें। इस प्रस्ताव के पक्ष में ४६१ वोट आये और विपक्ष में ६०। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 'एस्टेट्स जनरल' के तृतीय श्रेणी के प्रतिनिधियों ने अपने को राष्ट्रीय महासभा के रूप में परिवर्तित कर लिया। कुलीनों और पुरोहितों की सर्वथा उपेक्षा कर दी गई।

जब राजा और उसके दरबारियों को यह समाचार मिला, तो उनमें होश आई। राजा ने आज्ञा दी कि तीनों विभागों का अधिवेशन एक साथ किया जाये, यह स्वयं सभापति बनेगा। ऐसा ही किया गया। 'एस्टेट्स जनरल' के तीनों विभाग एक सभा के रूप में एकत्रित हुए राजा सभापति बना और उसने अपने श्रीमुख से अनेक सुधार प्रस्तुत किये। जब यह सब हो चुका, तो राजा ने बड़ी गम्भीरता से आज्ञा दी कि अब तीनों विभाग पृथक् पृथक् चले जावें और अपने अपने अधिवेशन करें। पुरोहित और कुलीन श्रेणियों के अधिकांश सदस्य आज्ञा का पालन कर उठकर चले गये। शेष सदस्य चुपचाप बैठे रहे। वे देर रहे थे, कि अन्त क्या होता है। एक बार फिर राजकीय आज्ञा दोहराई गई मिराबो ने इसका प्रतिवाद किया। उसने निबड़क होकर कहा कि वे तब तक वहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक कि बन्दूक के कुन्दों से उन्हें बाहर

नहीं निकाल दिया जावेगा। यह मिराबो सर्वसाधारण जनता का प्रमुख और प्रभावशाली नेता था।

जनता की विजय—अन्त में राजा की पराजय हुई। उसे जनता की माँग स्वीकार करनी पड़ी। उसने आजा प्रकाशित की, कि तीनों विभागों का अधिवेशन एक साथ ही, कुलीन और पुरोहित श्रेणियों के जो सदस्य अभी तक तृतीय श्रेणी के साथ राष्ट्रीय महासभा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, वे सम्मिलित हो जावें। आगिर सर्वसाधारण जनता अपने महत्त्व को प्रदर्शित करने में सफल हुई। कुलीन और पुरोहित-श्रेणियों पर उनकी विजय हुई।

दरवार की साजिश—सर्वसाधारण जनता जिस टंग से शक्ति प्राप्त करती जा रही थी, वह राजदरवार के लोगों को सह्य न था। वे अच्छी तरह जानते थे, कि उनकी भलाई इन्हीं में है, कि राजा का एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन कायम रहे। ये लोग सुधार के जानी दुश्मन थे। वे अपने विशेषाधिकारों को किसी भी प्रकार छोड़ने के लिये तैयार न थे। वे यह भी सहन नहीं कर सकते थे कि राजा की स्थिति वैध शासक की हो जावे। फ्रांस के शासन में जनता का हाथ हो जाने पर उन्हें मौजू उड़ाने का अवसर कैसे मिलेगा? रानी इन दरबारियों का हृदय से समर्थन कर रही थी। राजा का छोटा भाई आर्तेशा का काउन्ट भी उनका प्रबल पक्षपोषक था। ये लोग सर्वसाधारण जनता की हरकतों को बहुत ही खतरनाक तथा शैतानियत से भरी हुई समझते थे, और उन्हें कुचलने के लिये सब प्रकार के उपाय का अवलम्बन करने के पक्ष में थे। इन्होंने साजिश की, कि राष्ट्रीय महासभा को तोड़ दिया जाय। पर ये यह भी जानते थे, कि जनता इसे सहन न कर सकेगी, यह गदर के लिये तैयार हो जावेगी। इसलिये इसका प्रबन्ध वे पहले से ही कर देना चाहते थे। इन्होंने गदर को कुचलने के लिये विदेशी सैनिकों का प्रयोग करने का निश्चय किया। उस समय में वेतन की

सातिर बहुत से सैनिक दूसरे देशों में नौकरी किया करते थे। विशेषतया स्विटजरलैण्ड और जर्मनी के वीर योद्धा यूरोप के अनेक राजाओं के पास सैनिक की नौकरी करते थे। इन्हें केवल अपनी नौकरी से मतलब था। अपने मालिक के हुकम से ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। दरबार का गुट चाहता था, कि इन सैनिकों की एक सेना को बुलाकर पेरिस में तैनात कर दिया जाय, ताकि यदि राष्ट्रीय महासभा के बर्खास्त करने पर जनता विद्रोह करे, तो उसे कुचल दिया जावे। उनकी यह भी इच्छा थी कि नैकर को—जो सर्वसाधारण जनता से सहानुभूति रखता था—पदच्युत कर दिया जावे।

राजा इस साजिश से सहमत हो गया। स्विस और जर्मन सैनिकों की सेनायें पेरिस में तैनात कर दी गईं। जब पेरिस की जनता को ये समाचार मिले, तब वह भड़क उठी। एक उद्यान में बहुत से लोग एकत्रित थे और इस विषय पर बातचीत कर रहे थे। कैमिल देसमोलाँ नाम का एक नवयुवक अम्बवारनवास उनके बीच में पहुँचा और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा कि शीघ्र ही स्विस सिपाही 'देशभक्तों' को कतल करते हुए दिखाई देंगे, अतः हमें चाहिये कि अपने को शस्त्रों से सुसज्जित कर सगठित करें, ताकि दरबारी गुट से अपनी रक्षा की जा सके। देसमोलाँ का आन्दोलन काम कर गया। मारी रात लोग पेरिस की गलियों में चक्कर लगाते फिरे। जितने भी हथियार मिल सके, एकत्रित किये गये। लूटमार मच गई।

वस्तीय का पतन—कुछ ही दिनों बाद पेरिस के लोग फिर इकट्ठे हुए। उन्हें हथियारों की खोज थी। वे देशभक्ति का कोई महत्त्वपूर्ण कार्य करना चाहते थे। लोगों की एक भीड़ वस्तीय की तरफ निकल गई। यह एक पुराना किला था, जो अब जेलखाने के तौर पर इस्तेमाल होता था। लोगों को इससे विशेष घृणा थी। उनका खयाल था कि फ्रांस की सरकार के क्रूर अत्याचारों का यह एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र है।

उन्हें पूर्ण आशा थी कि यहाँ बहुत से हथियार इकट्ठे ही मिल जावेंगे। प्रस्तीय्य का कितोदार लौनी नाम का एक महानुभाव था। उसने किले को खोलने से इकार कर दिया। बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो गई। दोनों तरफ से कहा सुनी होने लगा। पता नहीं किस प्रकार प्रस्तीय्य की सेना ने भीड़ पर गाली चला दी। सो देशभक्त मरकर गिर पड़े। लोगों में जोश फैल गया। हमला होने लगा। आखिर, लौनी को मजबूर होना पड़ा कि कितो के दरवाजे खोल दे। कुछ जनता अन्दर घुस गई। कैदियों को खनन से मुक्त कर दिया गया। लौनी और उसके सम्पूर्ण सैनिकों के मिग धड़ से अलग कर दिये गये। इन सब सिरों को लाठियों और परछों की नोक पर लटका कर सारे पेरिस में जुलूस निकाला गया। प्रस्तीय्य को घबसा कर दिया गया। यह घटना १४ जुलाई सन् १७८६ के दिन हुई थी। इस घटना का उदा महत्त्व है। फ्रांस में आज भी १४ जुलाई का दिन प्रधान राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। निस्सन्देह, पुराने युग के एकतन्त्र शासन पर यह प्रथम आघात था। इस घटना में भली भाँति स्पष्ट हो गया कि क्रान्ति अन्न हुए बिना न रहेगी। कुलीन श्रेणी के बहुत से लोग इसी समय से फ्रांस छोड़कर और देशों में जाने लग गये। सारे देश में अव्यवस्था फैल गई।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना—स्थिति इतनी गिगड चुकी थी, कि उसे संभाल सकना राजा की शक्ति के बाहर था। जब किसी देश में अव्यवस्था फैलने लगती है, शासनशून्य ढीला पड़ता है, तो बदमाशों और लफड़ों की इन आती है। पेरिस की भी अब वही दशा थी। सारे शहर महानगर की सख्या में भूखे नगरे लोग तनाही मचाते फिरते थे। वे जिस पर चाहते हमला कर देते, जिस दूकान को चाहते लूट लेते। इस अव्यवस्था में पेरिस के लोग अपनी जान और माल की रक्षा करने के लिये राष्ट्रीय नेताओं ने एक 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना' का संगठन किया। लड़ायत इसका सेनापति बनाया गया। पेरिस में शान्ति और व्यवस्था कायम

रखने में राष्ट्रीय सेना को पूरी सफलता प्राप्त हुई। राजा को वह बहाना बनाने का अवसर नही दिया गया, कि इस अव्यवस्था की सम्भावना को दृष्टि में रखकर ही उसने विदेशी सैनिकों को सेना को बुलाया था।

नागरिक सभा—इतना ही नहीं, पेरिस के नागरिक शासन को भी नये ढंग में सगठित किया गया। राजा और उसकी सरकार की नयेथा उपेक्षा कर जनता ने स्वयं पेरिस की नगर सभा का निर्माण किया। राष्ट्रीय महामन्त्र के एक सदस्य को ही इस नगर सभा का अध्यक्ष नियत किया गया। फ्रांस के अन्य बड़े नगरों ने भी पेरिस का अनुसरण किया। तब नवीन नगर सभाओं का रचना की गई। राष्ट्रीय स्वयमेवक सेनाओं सगठित की गईं।

देहाता में भी अव्यवस्था फैल गई। किसानों ने जमादारों के मकानों पर हमले शुरू कर दिये। टैक्स बसूल कर रफना असम्भव हो गया। यस्तीय के घबस के साथ जिस लहर का प्रादुर्भाव हुआ था, वह पैरिस तक ही सीमित नहीं रही, उसने बड़ा शीघ्रता से सम्पूर्ण फ्रांस को व्याप्त कर लिया।

एक दिन राजा १६वाँ जुई दिन भर शिकार से थककर जब सान्न को अपने बिस्तर पर लेटने लगा, तो उसे यह समाचार दिये गये। समाचार सुनकर राजा ने चकित होकर पूछा—‘हैं! क्या कोई दगा हो गया है?’ सगर लानेवाले ने जवाब दिया—‘नहीं मालिक! दगा नहीं व्रान्ति हो गई है।’

वस्तुतः, अत्र राज्यक्रान्ति का श्रीगणेश हो चुका था।

छठा अध्याय

राज्यक्रान्ति की प्रगति

राजा का दरबार—क्रान्तियों में जिस प्रकार अव्यवस्था और अशासन फैल रही थी, उससे १६वाँ जुलाई वस्तुतः चिन्तित था। राजा अपने आप में सुरक्षित नहीं था। उसका दोष यही था कि वह कमजोर था, इरादों का पकड़ नहीं था। उसके सलाहकार उसका लिये सबसे अधिक हानिकारक थे। यदि १६वाँ जुलाई इन सलाहकारों के अभाव में चल सकता, तो निस्सन्देह क्रांति की दिशा कुछ और ही होती। जब उसे अस्तीत्य के अन्त में समाचार मिला, तब अगले ही दिन वह राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशन में उपस्थित हुआ। वहाँ उसने प्रतिज्ञा की कि विदेशी सैनिकों की सेनाओं का वापिस भेज दिया जायगा और नैज़र का फिर प्रधान मन्त्री बनाया जायगा। इसके बाद वह २०० प्रतिनिधियों (राष्ट्रीय महासभा के सदस्यों) के साथ पेरिस गया, ताकि जनता का शान्त कर सके। पेरिस में जाकर राजा ने क्रांतिकारियों के तिरंगे झण्डे का भी नमस्कार किया। क्रान्तियों में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे, राजा ने उनके सम्मुख सिर झुका देने में ही अपना अत्यास समझा। निस्सन्देह, वह ठीक मार्ग पर चल रहा था। पर उसके सलाहकार ? उसका दरबारी ? वे उस दिन नई प्रजातन्त्रों को उचल देने के लिये उत्सुक रहे थे। अतः, राजा ने गत दिन अपने पास पास रहनेवाले इन दरबारियों के कहने का मान लिया। १६वें

प्रकार की अफवाह से गरम हो गया। ठीक वही हालत हो गई, जो कि प्रतीत्य के पतन से पहले आन थी। इसी समय खबर आई कि फ्लान्स से एक फौज बसाय पहुँच गई है। राजा का अग्रदूत केने ने उसका रानी धूमधाम से स्वागत किया है। इस फौज का खर सह भोज दिया जा रहा था तो रानी भी वहाँ उपस्थित थी। वह भी सुना गया है, कि सना के अफसरा ने जोश में भरकर नाति में तिरंग नए के पेरा में चुचला है। इस प्रकार का अफवाह से जनता में जोश लहरें मारने लगा। पेरिस में भूखा नड्डा की क्या क्या था। गुण्डे और उदमाश भी ऐस मोरा का प्रतीक्षा में रहते हैं। भूख गुण्ड, उद माश, देशभक्त, व्रान्तिफारा—सब तरफ के लाग कामकाज छाडकर वानारा में निकल आये। गपशप उडने लगी। जरा सी देर में लोग का एक जुलूस बन गया। हजारों और हजारों मर्द पेरिस की गलियों में जुलूस बनाकर फिरने लगे। तिधर भी ये गये लोग साथ होते गये। पेरिस में चकर फाट इस जुलूस ने बसाय की तरफ—जहाँ राजा रहता था—प्रस्थान किया। लफायत अपनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक सना को लेकर जुलूस के पीछे पीछे ही लिया। उसे फिर थी कि कहा दड्डा न हो पाय। स्थिति का नाबू में रखने के लिए वह पेरिस का इस भी के माथ माथ बसाय गया था। यह घटना ५ अक्टूबर को हुई।

लिया। राजप्रामाद के झटके पर लडे हाकर राजा, रानी और राजकुमार ने जनता को दर्शन दिया। पर लोग इतने से भी सतुष्ट न हुए। वे आग्रह करने लगे कि राजा को उनके साथ पेरिस चलना पड़ेगा। उन्हें विश्वास था कि राजा ही सब सुख समृद्धि का मूल हैं। उसे पेरिस में अपने साथ रखकर वे समझते थे कि उनकी सब समस्याओं का हल हो जावेगा। फ्रांस की जनता अब तक भी हृदय से राजभक्त थी। रिपब्लिक की कल्पना अब तक भी उत्पन्न नहीं हुई थी।

पुराने जमाने का मातमी जुलूस—६ अक्टूबर को दिन के एक बजे जुलूस ने बसाय से पेरिस के लिये प्रस्थान किया। पुराने जमाने का यह मातमी जुलूस था। मरे हुए सन्तरिया के फटे तिर परछिया पर टाँग लिये गये थे और लोग उन्हें हाथ में लेकर आगे आगे चल रहे थे। राष्ट्रीय महासभा के सदस्य को भी साथ ले लिया गया था। राजा रानी और राजकुमार बाधित होकर जुलूस के साथ साथ जा रहे थे। भूखा नगी जनता आनन्द के आदेश में चिंहाती जाता थी—‘रोगीमाला, रोगीमाला और रोगीवाला का लडका’। ये लोग समझ रहे थे, कि राजा हमारे साथ है, उसके पास रोटिया का अक्षय भण्डार है, अब उन्हें रोटियों की कमी नही रहेगी।

राजा और राष्ट्रीय महासभा को बर्साय से पेरिस ले आया गया। यह घटना फ्रेञ्च राज्यक्रान्ति के इतिहास में बहुत महत्त्व रखती है। अब राज्यक्रान्ति की प्रगति पर पेरिस की जनता का प्रभाव बहुत अधिक पड़ गया। पेरिस के लोगों की इच्छा क्रान्ति के स्वरूप को परिवर्तित करने लगा। पेरिस के आम लोग सुमगठित न थे। वहाँ भूखों, नङ्गा, गुलामी और वदमाशा की प्रचुरता थी। इनके अतिरिक्त गेर जिम्मेदार, नष्ट नष्ट कर बात बनानेवाले लोग पेरिस में बड़ी संख्या में मौजूद थे। इन सब लोगों की सम्मतिथियाँ—सम्मतिथियाँ नहीं, क्षणिक मानसिक आवेश राष्ट्रीय महासभा के निर्णयों पर असर करने लगे। फ्रांस की राज्यक्रान्ति जनता

की इच्छा को सर्वोपरि करना चाहती थी। यह तो हो गया। पर जनता का इच्छा अनेक बार ऐसे विरुद्ध रूप में प्रकट हुई, कि उसकी उपादेयता में ही लोगों को सन्देह होने लगा। राजा को दुश्चरी क राजप्रानाद में रखा गया। वहाँ उस पर जनता का कण निरीक्षण था। उसका स्थिति कैदी से बहुत अच्छी नहीं रह गई थी।

मनुष्यों के आधारभूत अधिकार—जिस समय ये सब घटनायें हो रही थीं, राष्ट्रीय महासभा देश के लिये नवीन शासन विधान का निर्माण करने में लगी थी। उसकी एक उपसमिति शासन विधान का स्वरूप तैयार कर रही थी। उसने अपना कार्य समाप्त कर दिया। जहाँ नया शासन विधान बनाया गया, उसमें सबसे पहले जनता के आधारभूत अधिकारों की उद्घाटन की गई। इन अधिकारों में से मुख्य मुख्य निम्नलिखित थे—(१) सब मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न होते हैं, और उनके अधिकार एकसमान हैं। सामाजिक भेद का आधार सर्वजनित उपयोगिता के सिवा अन्य कुछ नहीं है। (२) राज्य की स्वाभिव्यक्ति जनता में निहित है। (३) स्वतन्त्रता का अभिप्राय यह है, कि प्रत्येक मनुष्य का वह सब कुछ करने का अधिकार है, जिससे कि किसी दूसरे का हानि पहुँचाने की सम्भावना न हो। (४) सरकार का प्रयोजन मनुष्यों के आधारभूत अधिकारों को सुरक्षित रखना है। (५) जनता की सामाजिक इच्छा ही कानून है। प्रत्येक नागरिक को अधिकार है, कि स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा कानून का निर्माण करने में हाथ डेटावे। (६) प्रत्येक मनुष्य के लिये कानून एक ही होना चाहिये। (७) प्रत्येक मनुष्य तब तक निरपराधी समझा जायगा, जब तक कि कानून के अनुसार जाने हुए न्यायालय उसे अपराधी समित नहीं कर देंगे। कानून के प्रतिकूल किसी मनुष्य को न वैद किया जा सकता है, न अपराधी कहा जा सकता है, और न सजा दी जा सकती है। (८) किसी भी मनुष्य को अपनी सम्मतियों के कारण—चाहे वे सम्मतियाँ

धार्मिक मामलों के सम्बन्ध में भी हों, सजा नहीं दी जावेगी, बशर्ते कि वे सम्मतियाँ सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालनेवाली न हों। (६) अपने विचारों और सम्मतियों को स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट कर सकना मनुष्यों के सपने अधिक बहुमूल्य अधिकारों में से एक है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार है, कि वह स्वतन्त्रता के साथ भाषण कर सके, लिख सके और मुद्रण कर सके। परन्तु यदि वह इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करेगा—दुरुपयोग जिस प्रकार होता है, यह जानून स्पष्ट करेगा—तो जिम्मेवारी उसी की होगी। (१०) प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है, कि वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा इस बात का निश्चय करने में हाथ बटावे कि सार्वजनिक कोष के लिये कितने धन की आवश्यकता है, इस धन का खर्च किस प्रकार किया जाये, और इस धन को प्राप्त करने के लिये कौन कौन से टैक्स लगाये जावें, ये टैक्स किस प्रकार से वसूल किए जावें और कितने समय के लिये कायम रहें। (११) जनता को एक है, कि प्रत्येक राजस्वकारि से उसके कार्य का व्यौरा ले सके। (१२) सम्पत्ति पर वैयक्तिक अधिकार एक पवित्र तथा अनुलङ्घनीय अधिकार है।

इन आधारभूत अधिकारों को जनता के सम्मुख प्रकाशित करते हुए राष्ट्रीय महासभा ने निस्सन्देह यह ठीक दावा किया था, कि सदियों से मनुष्यों के इन अधिकारों का अपमान किया जाता रहा है। अतः हम फिर इन अधिकारों की स्थापना करते हैं, और हमारी यह विजति अत्याचारियों के विरुद्ध एक शाश्वत युद्ध घोषणा का काय करती रहेगी।

शासन विधान—आधारभूत अधिकारों की यह उद्घोषणा शासन विधान की प्रस्तावना मात्र थी। शासन विधान का निर्माण प्रधानतया दो सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर किया गया था—(१) राज्य में जनता ही है, जिसमें कि स्वामित्व शक्ति निहित रहती है। (२) सरकार के शासन, कानून निर्माण तथा न्याय—ये तीनों विभाग पृथक् पृथक् रहने

चाहिये। इन सिद्धान्तों को आधार में रखकर जो शासन विधान बनाया गया था, उसका ढाँचा निम्नलिखित है—

राजा का इस शासन विधान में स्थान दिया गया था। पर उसकी स्थिति को एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजा से परिवर्तित कर वैध तथा शासन विधान का अङ्गभूत बना दिया गया था। अब वह केवल परमेश्वर की कृपा में ही राज्य नहीं करता था, पर उसकी सत्ता जनता की इच्छा पर भी आश्रित थी। राज्य के कानून को अन्दर और अर्धीन रहना उसने लिये आवश्यक था। वह मन्त्रिणा को नियुक्त और पर्याप्त कर सकता था, पर वह मन्त्री व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी थे। व्यवस्थापिका सभा में जो प्रस्ताव व विधान स्वीकृत होते थे, उनके प्रयोग में आने से पूर्व राजा की स्वीकृति भी आवश्यक थी। पर यदि राजा किसी प्रस्ताव का स्वीकृति न करे, और व्यवस्थापिका सभा उसे तीस बार निरन्तर पास करती जाये, तो राजा की स्वीकृति के बिना भी वह लागू हो जाता था। इस प्रकार राजा किसी प्रस्ताव का निषेध नहीं कर सकता था, वह केवल स्थगित ही कर सकता था। पर राष्ट्रीय विषयों का संचालन उसी के हाथ में रखा गया था, सेना का प्रधान अधिकारी भी उसे ही बनाया गया था। पर वह न सन्धिक अधिकार रखता था और न विग्रह के। वह जनता की इच्छा का दास था, पर जनता की इस इच्छा के निमाण में उसका कोई हाथ न था। जनता राजा की इच्छा को सर्वथा उपेक्षा कर सकती थी, पर राजा जनता की इच्छा को किसी भी दशा में उपेक्षा नहीं कर सकता था।

कानूननिमाण का कार्य एक व्यवस्थापिका सभा का दिया गया था। इस सभा के ७४५ सदस्य होते थे। इस सभा का निर्वाचन दो साल के लिये होता था। प्रत्येक पुरुष (मो नहा) नागरिक, जो अपनी तीन दिन की आमदनी के प्रसार धनराशि राजा को कर के रूप में दे, इस सभा के निर्वाचन के लिये वोट देने का अधिकार रखता

था। इस व्यवस्थापिका सभा की शक्ति बहुत विस्तृत थी। कानून निर्माण करना इस सभा का ही कार्य था।

मध्य काल में सामन्त पद्धति के समय में फ्रांस जिन विभागों में विभक्त था—जिनका आधार मध्यकालीन सामन्तों के छोटे उड़े और ग्रस्वाभाविक राज्य थे—उन्हें अलग उड़ा दिया गया था और उनके स्थान पर कुल ८३ प्रान्त बनाये गये थे। इन प्रान्तों को जिलों, ताल्लुकों और परगना में बाँटा गया था। इन विविध विभागों में स्थानीय शासन की व्यवस्था की गई थी और राज कर्मचारियों की नियुक्ति निर्वाचन द्वारा करने का तरीका जारी किया गया था।

चर्च में परिवर्तन—राष्ट्रीय महासभा ने चर्च के सम्बन्ध में भी उड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। इनसे चर्च के संगठन और स्वरूप में बड़ी भारी क्रान्ति हो गई। चर्च के पुराने दशाश कर का तो ४ अगस्त के दिन ही उड़ा दिया गया था और आधारभूत अधिकारों की घोषणा करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धान्त का भी स्वीकृत कर लिया गया था। अगले राष्ट्रीय महासभा ने और आगे कदम बढ़ाया। २ नवम्बर १७८६ के अधिवेशन में चर्च की सारी जायदाद जप्त कर ली गई। जप्त की हुई चर्च का जागीरों का बेच दिया गया और उसकी कीमत को राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया गया। इससे पहले फ्रांस में ११७ मठ थे, अगले ८३ मठ कर दिये गये। प्रत्येक प्रान्त में एक मठ रखा गया। इन मठों के पादरियों के बारे में यह तय किया गया, कि राजकर्मचारियों की तरह उनका भी निर्वाचन किया जावे। इस निर्वाचन में न केवल रोमन कथोलिक लोग ही भाग लें, पर प्रोटेस्टेण्ट, ज्यू, और नास्तिकों तक को इसके निर्वाचन में वोट देने का अधिकार दिया गया। अपने पद पर नियत किये जाने से पूर्व प्रत्येक पादरी से यह शपथ ली जाती थी, कि वह राष्ट्रीय शासन विधान का भक्त बना रहेगा। नाममात्र को रोमन पोप का चर्च पर स्वामित्व स्वीकृत किया गया, पर

वस्तुतः चर्च राज्य के अधीन हो गया। यह मंत्र्या स्वभाविक ही था, कि पोप, विशप तथा अन्य पुरोहित श्रेणी के लोग इन मुधारों का विरोध करें। जिस समय राष्ट्रीय शासन विधान के प्रति भक्ति की शपथ लेने का ग्रन्थ उत्पन्न हुआ, तो दो तिहाई पादरियों ने यह शपथ लेने से इन्कार कर दिया। जिन लोगों ने शपथ लेने से इन्कार किया, उन्हें सार्वजनिक शान्ति और व्यवस्था का घातक समझा गया। उन्हें अपने पदों से पृथक् कर दिया गया। परिणाम यह हुआ, कि उच्च पुरोहित श्रेणी के अधिकांश लोग असन्तुष्ट कुलीन जमींदारों के साथ मिल गये। ये लोग भी क्रान्ति को कुचलने के लिये भरसक कोशिश करने लगे। केवल यही नहीं सर्वसाधारण जनता, जो कि क्रान्ति के अन्न सब कार्यों को सहानुभूति की दृष्टि से देख रही थी, चर्च के प्रति इस व्यवहार ने बहुत असन्तुष्ट हो गई। सर्वसाधारण जनता में धर्म, चर्च तथा पुरोहित श्रेणी के प्रति अन्ध की भावना बहुत गहरी रही है। उसके प्रति इस व्यवहार को इन सर्वसाधारण लोगों ने सहानुभूति की दृष्टि से नहीं देखा।

पत्रमुद्रा—राज्य के पास धन की जो कमी थी उसे पूर्ण करने के लिये राष्ट्रीय महासभा ने पत्रमुद्रा (Assignat) प्रकाशित करने का निश्चय किया। महासभा को यह विश्वास था, कि चर्च की जागीरों ने राज्य को जो आमदनी होगी, वह इस पत्रमुद्रा के लिये अमानत का काम करेगी और इसके मूल्य को गिरने न देगी। इसी आशा से बहुत बड़े परिमाण में पत्रमुद्राएं प्रकाशित की गईं, जो कि 'एसिना' के नाम से प्रसिद्ध हैं। पर शीघ्र ही इनका मूल्य गिरना शुरू हो गया। राज्यक्रान्ति के आगामी वर्षों में इनकी कोई भी कीमत नहीं रह गई थी।

मातर्वो अध्याय

राजसत्ता का अन्त

क्रान्ति की विरोधी शक्तियाँ—राष्ट्रीय महासभा अपना कार्य समाप्त कर रही थी। फ्रांस के स्वरूप में उठा भारी परिवर्तन आ गया था। सामन्त पद्धति का अन्त हो गया था, श्रेण्डिमेद नष्ट कर दिया गया था, चर्च के विशेषाधिकार उड़ा दिये गये थे। राजा का स्वेच्छाचारिता को हटाने उसकी वैध सत्ता स्थापित कर दी गई थी। फ्रांस की राज्य क्रान्ति अपना कार्य कर चुकी थी। पर पुराने जमाने की शक्तियाँ इतनी आसानी से दब जानेवाली नहीं थीं। वे क्रान्ति को कुचलने के लिये चुपचाप कोशिश में लगी हुई थीं। जो जुलीन लोग क्रान्ति के प्रारम्भ होते ही फ्रांस छोड़कर विदेशों में भाग गये थे, वे शान्त नहीं बैठे थे। वहाँ जाकर वहाँ के एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजाओं तथा जुलीनों की सहायता प्राप्त करना तथा अपनी शक्ति को सगठित करना उनका एक मान लक्ष्य था। उस जमाने में राष्ट्रियता का तन्त्र विकसित नहीं हुआ था। फ्रांस का जुलीन जमींदार अपने देश के किसान व मजदूर में कोई भी समता व एकता अनुभव नहीं करता था। जर्मनी के जुलीन जमादार के साथ उसे अधिक सादृश्य नजर आता था। फ्रांस के वे जुलीन लोग विदेशी राजाओं के दरबार में आश्रय पाकर उदला लेने की तयारी में लगे हुए थे। इनकी आशावादी थी, कि फ्रांस की नई सरकार के निकट युद्ध

उद्घोषित कर दिया जावे। इस कार्य में यूरोप के अन्य राजाओं तथा कुलीनों का सहायता का इन्हें पूरा भरोसा था। फ्रान्स के बाहर ही नहीं, अपितु अन्दर भी ये कुलीन लोग अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये कोशिश में लगे हुए थे। राजा को बहुत से कुलीन लोग हर समय घेरें रहते थे। राजा परी तरह उनके प्रभाव में था। ये लोग वैध राजसत्ता का सहन करना तो दूर रहा, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इनकी समझ में ही नहीं आता था, कि राजा भी कानून के अधीन रह सकता है। राजा की यह नवीन कल्पना इनके विचार से बिल्कुल दूर थी। ये लोग राजा को निरन्तर उकसाते रहते थे। फ्रान्स से बाहर भागे हुए कुलीन लोग भी उसे हमेशा सन्देश भेजते रहते थे। एक पूरा षडयन्त्र तैयार हो रहा था। इन लोगों ने साजिश की, कि राजा अपने परिवार के साथ चुपचाप पेरिस से भाग निकले। फ्रान्स की उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक सेना तैयार कर दी गई थी, जो कि राजा के वहाँ पहुँचते ही उसका स्वागत करे। इन कुलीनों का यह खयाल था कि यदि राजा किसी तरह क्रान्तिकारियों के प्रभाव तथा कब्जे से निकल कर बाहर चला आवे, तो यूरोप के अन्य राजाओं से सहायता प्राप्त करना और भी अधिक सुगम हो जायेगा। विशेषतया, १६वें सदी की रानी मेरी आंतोय्यात के भाई लियोपोल्ड द्वितीय से, जो कि इस समय जर्मन सम्राट् था, उन्हें बहुत आशाएँ थीं। निश्चय यह किया गया था कि राजा के फ्रान्स से चले आने पर एक शक्तिशाली सेना फ्रान्स पर आक्रमण करेगी और क्रान्ति को कुचलकर फिर यथापूर्व एकतन्त्र स्वैच्छाचारी राजसत्ता की स्थापना कर देगी।

राजा का भागने का प्रयत्न—साजिश पूर्णरूप से तैयार हो गई। १७९१ का साल था और जून का महीना। एक रात राजा, रानी, राजकुमार और उनके दो एक साथी चुपचाप टुलरी के राजमहल से बाहर निकले। ग्यारह बजे चुके थे। पेरिस की गलियों में शान्ति

थी। सत्र तरफ़ अंधियारा छाया हुआ था। अपनी जिन्दगी में शायद पहली बार राजा और रानी चुपचाप पेरिस की गलिया में पेदल चलने लगे। उनके हृदय धड़क रहे थे। अपने ही राज्य में वे चोरा और गन्दग लगानेवाला की तरह डरते डरते चले जा रहे थे। एक अंधेरे मोड़ पर एक घोड़ागाड़ी तैयार खड़ी थी। बिना कुछ बोले वे उस पर बैठ गये। गाड़ी चल पनी। गाड़ी में बंठे हुए राजा और रानी के दिल में क्या खयाल था रहे थे? उस कुछ दूर और। उस पहाड़ी के पार— सत्र ठीक है। वहाँ पहुँचने की देर है, मेनिक सलाम करेंगे। अफसर पर चूमेंगे। राजभक्ति कितनी मधुर चीज है, कम से कम उस आदमी के लिये जो राजा हो, या अगर राजा न हो, तो कम से कम दरबारी तो हो। कुछ देर वहाँ खूब धूमधाम होगी। बहुत दिना बाद पुराने नजारे देखने को मिलेंगे। और उसके बाद? इस राजभक्त फोन के साथ पेरिस की तर्फ प्रस्थान होगा। थोड़ा बहुत गोलाबारी हो जायगी। कुछ लोग फाँसी पर चढ़ा दिये जावेंगे, कुछ गोली से उड़ा दिये जावेंगे। बस, सत्र शाश्वत हो जायगा। फिर कैलोन प्रधान मन्त्री बनेगा, रुपया जुटाने में उसकी अरुण खूब चलती है। शकी कुलीन लोग भी वापिस चले आवेंगे। वर्साय को वे गहारें, वे नाचरङ्ग—उस दो चार दिनों की ही तो बात है।

सुनह हो चुकी थी। राजा और रानी उसी प्रकार सुमधुर कल्पनार्थें करते हुए चले जा रहे थे, कि वारेन नाम के नगर में पुल पर खड़े हुए कुछ सन्तरिया ने अकस्मात् पूछ लिया—“आपके पासपोर्ट?” सुखद कल्पनाओं का सारा महल मिट्टी में मिल गया। राजा पकड़ लिया गया। उसे दलदल-सहित पेरिस वापिस ले आया गया। लोगों ने चुपचाप बिना एक भी शब्द कहे, राजा और रानी को इस प्रकार वापिस आते हुए देखा। दुदलरी के महल पर कृपापहरा पिठा दिया गया। राजा पहले तो केवल नजरबन्द था, अब तिलकुल बंद ही हो गया।

रिपब्लिक के पक्षपातियों का अभ्युदय—राज्यक्रान्ति के इतिहास में इस घटना का बहुत महत्त्व है। इसने क्रान्ति के स्व को बिलकुल बदल दिया। अब तक फ्रांस के क्रान्तिकारी राजसत्ता का अन्त नहीं करना चाहते थे। कोई भी महत्त्वपूर्ण दल इस प्रकार का नहीं था, जो राजा को हटाकर रिपब्लिक की स्थापना करने को तैयार हो। पर इस घटना के बाद से लोगों की प्रवृत्ति बदलनी शुरू हुई। अनेक लोग साफ साफ यह कहने लगे कि राजा की क्या आवश्यकता है? रिपब्लिक क्यों न कायम की जाय? एक ऐसा दल उत्पन्न हो गया, जो कि राजसत्ता का विरोधी और रिपब्लिक का पक्षपाती था। परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि अब भी इस दल की शक्ति बहुत कम थी। राष्ट्रीय महासभा ने राजा के भागने की बात को दबाने की कोशिश की। उसकी तरफ से यह प्रकाशित कर दिया गया कि राजा भागा नहीं था। पर कुछ लोग राजा को पेरिस से बाहर ले गये थे। राजा के भागने की घटना के कुछ ही दिन बाद जुलाई के महीने में ही पेरिस में एक सभा की जा रही थी, जिसमें कि राजा को च्युत कर देने के लिये प्रार्थना-पत्र पेश कर देने का विषय उपस्थित था। इस सभा को बर्खास्त होने का हुक्म दिया गया। गोली चलाई गई और बहुत से आदमी गोली खाकर गिर गये। अर्थात् तक भी फ्रांस की जनता में रिपब्लिक का भाव प्रबल नहीं हुआ था। लोग राजसत्ता को ही कायम रखना चाहते थे। पर इसमें भी सन्देह नहीं, कि ऐसा दल निरन्तर शक्ति प्राप्त करता जा रहा था, जो राजसत्ता को नष्ट कर देने के पक्ष में था। इस दल के प्रबल होने का मुख्य श्रेय राजा, उसके दरवारी तथा बाहर भागे हुए कुलीन लोगों के कारनामों को ही प्राप्त है। इनके कृत्यों के कारण ही जनता की सहानुभूति रिपब्लिक के पक्षपातियों की तरफ बढ़ती गई। राजसत्ता को कायम रखनेवाला पक्ष निर्बल होता गया।

रिपब्लिकन दल के नेता—इस नये रिपब्लिकन दल के नेता कौन थे ? राजसत्ता के विरोधी दल का सर्वप्रधान नेता डा० मरट था। डा० मरट बहुत ही विद्वान् व्यक्ति था। इंगलिश, स्पेनिश, जर्मन और इटालियन भाषाओं का उसे अच्छा ज्ञान था। उसने अनेक वर्ष इंग्लैंड में व्यतीत किये थे। इंग्लैंड के एक शिक्षणालय ने उसके सम्मान के लिये उसे एम० डी० की उपाधि प्रदान की थी। उसने वैज्ञानिक विषयों पर अनेक ग्रन्थ लिखे थे। विशेषतया, चिकित्सा शास्त्र का वह बड़ा पण्डित था। बैजमिन फ्रैंकलिन तथा गेटे जैसे विद्वान् उसके भौतिकशास्त्र विषयक ग्रन्थ को उड़े शीर्ष से पढ़ते थे। डा० मरट ने अपने साहित्यिक और वैज्ञानिक जीवन का परित्याग कर राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया था। इन दिनों में वह “लोक मित्र” नाम के एक समाचार पत्र का सम्पादन कर रहा था। इस समाचार पत्र द्वारा वह कुलीनो तथा उच्च मध्य श्रेणी के लोगो पर भयङ्कर रूप से आक्षेप कर रहा था और साधारण जनता का शासन स्थापित करने के लिये जोर दे रहा था।

रिपब्लिक के दल का दूसरा नेता कैमिय देशमोलाँ था। यह भी एक समाचार पत्र का सम्पादक था। इसी देशमोला ने पेरिस की जनता को विदेशी मेनिकों से अपनी रक्षा करने के लिये तैयार होने को भड़काया था, जिसके कारण लोग हथियारों की राज में निकल पड़े थे और प्रतियोग के धंस की घटना हुई थी। एक अन्य नेता टेन्टन था, जो अपने जाशीले व्याख्याना के कारण प्रसिद्ध था। यह कबालत का पेशा करता था और पेरिस की जनता का बहुत प्रिय था। ये तथा अन्य बहुत से नेता उस समय राजसत्ता के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे। इनकी राय में राजसत्ता इतनी विकृत हो चुकी थी, कि उसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता सम्भव न था। ये पूर्ण लोकतन्त्र रिपब्लिक के पक्षपाती थे।

बंध राजसत्ता का पक्षपाती दल और उसके नेता—बंध राजसत्ता के पक्षपातियों के प्रधान नेता लफायत तथा मिरात्रो थे। लफायत स्वयं

कुलीन श्रेणी का था, पर उसमें स्वतन्त्रता की भावनाएँ विद्यमान थी। अमेरिकन स्वतन्त्रता के युद्ध में वह स्वयंसेवक के रूप में सम्मिलित हुआ था। फ्रांस की राज्यक्रान्ति में उसका शुरू से ही प्रधान भाग था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना का संगठन उसी के द्वारा हुआ था। मिराबो भी कुलीन श्रेणी का था। राज्यक्रान्ति का वास्तविक नेता वही था। एस्टेट्स जनरल ने तीनों विभागों की बैठक एक साथ होनी चाहिये और प्रत्येक विभाग का एक वोट न होकर सदस्यों के बहुमत से निर्णय किया जाना चाहिये—इस आन्दोलन का प्रधान नेता मिराबो ही था। जिस समय राजा ने तीनों विभागों को पृथक् पृथक् बैठक करने का आदेश दिया, तब मिराबो ही था जिसने विनिर्भय होकर इसका विरोध किया था। मिराबो बहुत ऊँचे किस्म का राजनीतिज्ञ था। वह बहुत दूरदर्शी तथा साफ दिमाग का आदमी था। राष्ट्रीय महासभा का सारा काम उसी कनेक्शन में हुआ था। फ्रांस के लिये जो नया शासन विधान बना था, वह बहुत अर्थों में उसी की कृति थी। राजा तथा गनी पर भी उसका बहुत प्रभाव था। वे उसे बहुत मानते थे। जेद वही है, कि मिराबो देर तक न जी सका। राजा के फ्रांस से भागने के लिये प्रयत्न करने से पूर्व ही २ अप्रैल १७९१ के दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु वैध राजसत्ता के पक्षपातियों के लिये एक भारी क्षति थी। यदि वह जीवित रहता, तो शायद राजा को अनेक भयंकर भूला से बचाये रखने में समर्थ होता। पर उसकी मृत्यु ने राजसत्ता के पक्ष को बहुत कमजोर कर दिया।

व्यवस्थापिका सभा—राष्ट्रीय महासभा न ३० सितम्बर १७९१ को अपना काम समाप्त कर दिया। इसने कुल मिलाकर २५०० कानून पारित किये। इसमें सन्देह नहीं कि राष्ट्रीय महासभा ने जना महत्त्वपूर्ण काम किया था इसके नवीन विधानों ने फ्रांस के मध्य का सर्वथा परिवर्तित कर दिया था। फ्रांस का नवीन शासन विधान तैयार हो चुका था।

अपने उभरे अनुसार कार्य प्रारम्भ हुआ। नये शासन विधान में मुख्य शक्ति व्यवस्थापिका सभा को दी गई थी। इसका निर्वाचन हो गया था और अपने इसकी प्रथम बैठक १ अगस्त १७६१ के दिन हुई। व्यवस्थापिका सभा के कुल सदस्यों की संख्या ७४५ थी। इनमें प्रधानतया दो दल थे। (१) वैध राजसत्तावादी—इसकी संख्या बहुत अधिक थी। बहुमत इन्हीं का था। इनका विचार था कि राज्यक्रान्ति का कार्य अपने समाप्त हो चुका है। राजा की एकतन्त्र स्वेच्छाचारी सत्ता का अन्त हो गया है, और उसके स्थान पर जनता का अधिकार स्थापित हो गया है। यह पर्याप्त है। अपने प्राप्त का भला इसी में है, कि १७६१ के शासन विधान के अनुसार कार्य को और नवीन युग के सुख का उपभोग किया जाय। (२) रिपब्लिक के पक्षपाती—इनकी संख्या २४० थी। इस प्रकार व्यवस्थापिका सभा में ये अल्प संख्या में थे। इनका मन्थाल था कि राज्यक्रान्ति अर्थात् पूर्ण नहीं हुई, अभी कुछ और आगे बढ़ने की जरूरत है। राजसत्ता का सवथा अन्त होना चाहिये। राजसत्ता को उखाड़ कर रिपब्लिक की स्थापना इनका प्रधान लक्ष्य था।

जेकोबिन क्लब—यह रिपब्लिकन दल दो भागों में विभक्त था, जेकोबिन और जिरोदिस्ट। इन दोनों विभागों में क्या भेद था और इनके मुख्य विचार क्या थे—इस बात पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। जिस समय राजा को बर्साय से पेरिस लाया गया, तब राष्ट्रीय महासभा भी पेरिस ही चली आई थी। इनके अधिवेशन पेरिस में ही होने लगे थे। इस राष्ट्रीय महासभा के कुछ सदस्यों ने—जिनके विचार आपस में मिलते जुलते थे, महासभा के मजान क नजदीक ही एक उड़ा मजान किराये पर लिया हुआ था। ये सदस्य उस मजान में अपनी सभा किया करते थे और आपस में विचार के अनन्तर यह निश्चय किया करते थे, कि राष्ट्रीय महासभा में उन्हें किस नीति का अनुसरण करना चाहिये। शुरु शुरु में इन सदस्यों का संख्या एक सौ थी, पर धीरे धीरे

और सदस्य इस सभा में शामिल होने लगे और इसे बहुत महत्व प्राप्त हो गया। किसी दल में यह मकान जेकोब का गिरजा था, अतः इस मकान में इन सदस्यों के क्लब को जेकोबिन क्लब कहने लगे। धीरे धीरे यह क्लब अधिक अधिक महत्व पकड़ता गया। पहले इसकी बैठकें गुप्त होनी थीं, जनता शामिल नहीं हो सकती थी। पर अक्टूबर सन् १७९१ में जनता को भी यह अवसर दिया गया, कि यह क्लब की बहस में शामिल हो सके। परिणाम यह हुआ कि लोगों की दिलचस्पी इस क्लब में बहुत बढ़ गई। यह क्लब पेरिस के राजनीतिज्ञों का अखाड़ा बन गई। इसमें गूब गरमागरम बहसे होने लगीं। जो लोग सबसे आगे बढ़े होते थे, जो कोई नई बात कहते थे, जो कोई नया परिवर्तन प्रस्तावित करते थे, वे इस क्लब में ऊंचा स्थान प्राप्त करते थे। डा० मरट, डेंटन और देसमोलाँ इसके प्रमुख सदस्य थे। जब अभी वैध राजसत्ता के विरुद्ध भावना उत्पन्न नहीं हुई थी, तब भी इस क्लब में रिपब्लिक की गूँज सुनाई दे जाती थी। पर जब कि वैध राजसत्ता का पतन कमजोर पड़ रहा था, तब तो यह क्लब बहुत ही आगे बढ़ गई थी। पुराने जमाने का सर्वनाश कर सत्तार का नये सिरे से निर्माण करना इसका आदर्श बन गया था। पेरिस के अतिरिक्त अन्य नगरों में भी इस क्लब की शाखाएँ खुली हुई थीं। जून १७९१ में इसकी शाखाओं की संख्या ४०६ तक पहुँच गई थी। व्यवस्थापिका सभा के निर्वाचन में जेकोबिन क्लब तथा उसकी शाखाएँ ने बड़ा हिस्सा लिया। इनके प्रयत्नों का ही परिणाम था, कि २०० के लगभग प्रतिनिधि इस दल के निर्वाचित हो गए।

जिरोँदिस्ट दल—जिरोँद एक प्रदेश का नाम है, जो मिफ्राम के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इसके प्रधान नगर का नाम है, बोर्डियो। यहाँ से जो प्रतिनिधि व्यवस्थापिका सभा में निर्वाचित हुए थे, वे भी राजसत्ता का अन्त कर रिपब्लिक की स्थापना करना चाहते थे। इनके प्रधान नेता का नाम वर्जिनियो था। यह एक होशियार वकील

था और इसके बहुत से साथी भी बकालत का पेशा करनेवाले थे। ये लोग भी पेरिस में एक साथ मिलते रहते थे और अपनी क्लब रखते थे। जिराद के अतिरिक्त फ्रांस के देहातों के अनेक ग्रन्थ सदस्य भी इस क्लब में सम्मिलित हुआ करते थे। रिपब्लिक के पक्षपाती होते हुए भी ये लोग बहुत गरम नहीं थे। ये जैकोबिन दल की जल्दबाजी तथा गरम मनोवृत्ति का नापसन्द करते थे और राजसत्ता को नष्ट करने के तरीका का सम्बन्ध में मतभेद रखते थे। जैकोबिन क्लब पेरिस की मनोवृत्ति का प्रतिनिधि था और जिरादिस्ट दल देहाता का।

व्यवस्थापिका सभा के सम्मुख विद्यमान समस्याएँ—व्यवस्थापिका सभा ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। उसका कार्य सुगम न था। फ्रांस का विशद आशा में विपत्ति के डरावने बादल मँडरा गये थे। भागे हुए बुलीन लोग अपना कार्य जोर शोर से कर रहे थे। फ्रांस का अन्दर भी समस्याएँ कम नहीं थीं। पादरी लोगों की बहुसंख्या चर्च की नई व्यवस्था को मानने के लिये तैयार नहीं थी, वे लोग अपने सम्पूर्ण प्रभाव का - और उस समय में फ्रांसीसी लोगों पर धर्म का आतङ्क कम नहीं था, नान्ति के विरुद्ध प्रयुक्त कर रहे थे। राजा और उसके दरबारा चुपचाप गुप्त तरीके से विदेशों राजाओं से पत्र व्यवहार कर रहे थे। उस विप्लव परिस्थिति का व्यवस्थापिका सभा का सामना करना था। फ्रांस में राज्य नान्ति का समाचार सुनते ही यूरोप के अन्य राजाओं का खतरा लग गया था। उन्हें भय था। कि वहाँ उनकी प्रजा भी फ्रांस का अनुसरण न करे। इसलिये वे अपना भला इसी में समझते थे, कि फ्रांस में नान्ति को कुचल दिया जावे। नान्ति भा छूत का रोग है। इसे फलते हुए देर नहीं लगती। जय जमन सम्राट् लिओपोल्ड द्वितीय ने मुना कि फ्रांस का राजा १६वां लुइ अपनी राजा सहित वारेन के नगर में पकड़ लिया गया, तो उसके क्रोध की कोई सीमा न रही। उसने कहा कि सम्पूर्ण राजाओं का सम्मान और मारी सरकार का सुरक्षितता

क्रिया, कि क्याकि फ्रांस का असला राजा षेठवाँ लुइ जनता द्वारा बंद कर लिया गया है, अतः वह स्थानापन्न राजा के तौर पर कार्य करेगा। क्रान्ति के विरुद्ध प्रवृत्तियाँ बस्तुतः चाहे बहुत बलवती न हों, पर इन समाचारों से लोग सावधान हो गये। समाचार पत्रों में जोश से भर हुए भड़कीले लेख निकलने लगे। १७८६ के बाद फ्रांस में बाकायदा अखबार निकलने लगे थे। ग्रन्थेन क्रांतिकारी अखबार इन समाचारों का पूरा पायदा उठाकर लोगों का राजसत्ता के विरुद्ध भड़का रहे थे। जेफोत्रिन क्लब में इसका बड़ी चर्चा रहती थी। महीनों तक यही हालत रही। जनता में भयङ्कर उत्तेजना फैली हुई थी। लोग स्वतन्त्रता का लाल टापिया पहनने में शान समझते थे। मजदूरों के से लम्बे पाजाम पहनने का लोगो को शौक हो गया था, समझा जाता था कि यह स्वतन्त्रता और भ्रातृभाव की निशाना है।

आफ्रिया के विरुद्ध युद्ध की उद्घोषणा—यह परिस्थिति थी जब कि २० एप्रिल १७६२ के दिन व्यवस्थापिका समा में आफ्रिया के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित कर देने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया। सदस्यों में युद्ध के लिये बड़ा उत्साह था। कुल सात आदमी थे, जिन्होंने युद्ध के खिलाफ वोट दिया। तिन लोगो ने युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनमें रोगस्पियर प्रमुख था। रोगस्पियर कट्टर रिपब्लिकन था, वह जेफोत्रिन क्लब का प्रमुख सदस्य था, पर इस युद्ध के विषय में उसका खयाल था, कि इससे गरीबों का सरासर नुकसान होगा। इससे फायदा पहुँचेगा, ता केवल अमीर लोगों को। जो लोग शांति के पक्ष में थे, उन्हें कहा गया कि यह युद्ध आत्मरक्षा के लिये है, विजय करने के लिये नहीं। यह युद्ध अत्याचारी एकतन्त्र राजाओं के खिलाफ है, जनता के खिलाफ नहीं। यह युद्ध एक स्वतन्त्र राष्ट्र के अधिकारों का रक्षा के लिये है। निस्सन्देह यह युद्ध फ्रांस के नये युग और यूरोप के पुराने जमाने के बीच में था। इसमें स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृ

भाव की प्रवृत्तियों स्वेच्छाचारी शासन, मिशेपाधिकार और अन्याय-युक्त विपमता के साथ सघर्ष कर रही थीं। इसी युद्ध का परिणाम यह हुआ, कि फ्रांस के क्रांतिकारी विचार यूरोप के अन्य देशों में भी फैल गये। क्रांति केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही, वह यूरोप भर में फैल गई।

राजा व्यवस्थापिका सभा के इस निश्चय को स्वीकृत करने के लिये तैयार न था, पर उसे बाधित होकर इस पर हस्ताक्षर करने पड़े। परन्तु फ्रांस की सेना युद्ध के लिये सुसज्जित न थी। सेना के सब अफसर पहले कुलीन लोग हुआ करते थे, उन्हें ही मैन्य सञ्चालन का अनुभव था। पर प्रायः सभी कुलीन सैनिक अफसर इस समय फ्रांस छोड़ कर विदेशों में भाग चुके थे। राष्ट्रीय स्वयसेवक सेना आन्तरिक व्यवस्था को दबाने में तो काम आ सकती थी, पर विदेशों की अनुभवी तथा सुसज्जित सेनाओं का मुकाबिला करने का सामर्थ्य उसमें नहीं था। यही कारण है, कि जब आस्ट्रिया की सेना का मुकाबिला करने के लिये पहले पहल फ्रेंच सेना भेजी गई, तब वह सामना नहीं कर सकी।

व्यवस्थापिका सभा के प्रस्ताव और राजा द्वारा उन्हें बीटो किया जाना—जिस समय में फ्रांस की सेनायें विदेशों शत्रुओं का मुकाबला करने के लिये सीमा की तरफ प्रस्थान कर रही थीं, उसी समय व्यवस्थापिका सभा देश में व्यवस्था कायम रखने तथा युद्ध के लिये साधन जुटाने की फिरक में लगी थी, इसीलिये उसने यह कानून पार किया, कि जो पादरी लोग चर्च की नई व्यवस्था मानने को तैयार न हों, वे एक महीने के अन्दर अन्दर फ्रांस छोड़कर चले जावें। जब यह कानून राजा के पास स्वीकृति के लिये भेजा गया, तो उसने इस पर अपनी सहमति देने से इन्कार कर दिया। इसी प्रकार व्यवस्थापिका सभा में एक प्रस्ताव पार किया गया, कि राजधानी की रक्षा करने के लिये २० हजार स्वयसेवकों की एक छावनी पैरिस के समीप ही डाली जावे। राजा ने इस प्रस्ताव को भी बीटो कर दिया।

राजप्रासाद पर आक्रमण—राजा की इस कार्रवाई का यह परिणाम हुआ, कि उसके विरुद्ध भावनाएँ और भी अधिक प्रबल हो गईं। लोगों में राजा और रानी की बहुत बदनामी होने लगी। रानो को घृणा के साथ 'ग्रास्ट्रियन औरत' और 'श्रीमती बीटो' कहा जाने लगा। लोगों का खयाल था, कि रानी फ्रांस के दुश्मनों से मिली हुई है और उसने ग्रास्ट्रिया के पास फ्रांस पर आक्रमण करने की एक योजना तैयार करके भेजी है। इन अपवाहों को सुनकर जनता के जोश की कोई सीमा नहीं रही। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जुलूस तैयार हो गया। पेरिस की गलियों में चकर लगाकर इस जुलूस ने दुईलरी के राजप्रासाद की तरफ प्रस्थान किया। अनेक 'देशभक्त' राजप्रासाद में घुस गये। ईंट और पत्थर फेंके जाने लगे। भीड़ कावृ से बाह्य हो गई। ऐसे समय में राजा ने बड़ी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की। उसने नातिमारियों की लाल शोपी को सिर पर पहन तथा छोटे से तिरगे झण्डे की छाती पर लगाकर एक झरोखे से जनता को दर्शन दिये। राजा को इस प्रकार क्रान्ति के चिह्नों से युक्त देखकर लोगों का जोश कुछ ठरड़ा पड़ गया। राजप्रासाद के इस आक्रमण का कोई विशेष अन्त नहीं हुआ।

ब्रुन्स्विक के ड्यूक की उद्घोषणा—पर जिन समय इस घटना का समाचार यूरोप के अन्य राजाओं ने सुना, तो उन्हें इस बात में जग भी सन्देह नहीं रहा, कि फ्रांस के क्रान्तिकारी अराजकता चाहते हैं। प्रशिया के राजा फ्रेडरिक ने उद्घोषित किया, कि वह भी फ्रांस के विरुद्ध लड़ाई में आश्रिया का साथ देगा। प्रशिया की सधी हुई और शक्तिशाली सेना ने ब्रुन्स्विक के ड्यूक के सेनापतित्व में फ्रांस की तरफ प्रस्थान किया। फ्रांस को सीमा पर पहुँचकर ब्रुन्स्विक के ड्यूक ने एक उद्घोषणा प्रकाशित की। इसमें कहा गया कि ग्रास्ट्रिया और प्रशिया फ्रांस पर इसलिये हमला कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर अराजकता का अन्त कर पिर से राजा के न्याय्य अधिकारों की स्थापना की जावे।

फ्रांस के जो कोई आदमी आस्ट्रिया और प्रशिया की सेनाया का सामना करने का प्रत्यन करेंगे, उन्हें युद्ध के कठोरतम नियमों द्वारा भयकर से भयकर सजा दी जावेगी और उनके घरों को अग्नि में भस्म कर दिया जावेगा। यदि पेरिस के लोगों ने राजा व रानी का जरा भी अपमान किया और फिर दुइलरी के राजप्रासाद पर हमला किया, तो सारे पेरिस नगर को पूर्णतया तनाह कर दिया जावेगा।

इस उद्घोषणा का परिणाम—इस उद्घोषणा से लोगों में उत्तजना और भी अधिक बढ़ गई। यह विश्वास बढ़ गया कि राजा और रानी फ्रांस के दुश्मनों से हार्दिक सहानुभूति रखते हैं। रिपब्लिक के पक्षपातियों ने राजसत्ता का अन्त करने का निश्चय कर लिया। पेरिस की एक भीड़ ने फिर दुइलरी के राजप्रासाद पर हमला किया। यह हमला १० अगस्त १७९२ का हुआ था। राजा, रानी और राजकुमार बड़ी कठिनता से जान बचाकर निम्नल सके। उन्होंने व्यवस्थापिका सभा के भवन में आश्रय लिया। सवाददाताओं की गैलरी में उन्हें स्थान दिया गया। आज राजा का अपनी रक्षा के लिये व्यवस्थापिका सभा का आश्रय लेने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था।

राजा की पदच्युति—अगले ही दिन व्यवस्थापिका सभा में प्रस्ताव पेश किया गया कि राजा को राज्यच्युत कर फ्रांस में रिपब्लिक की स्थापना की जावे। यह प्रस्ताव पास हो गया। १६वाँ जुई अतः फ्रांस का राजा नहीं रहा। परन्तु अतः देश का शासन किस प्रकार हो ? अतः तब जो शासन विधान विद्यमान था, वह वैध राजसत्ता के सिद्धान्त पर आधारित था। अतः निश्चय किया कि नया शासन विधान तैयार करने के लिये एक कान्फेन्शन किया जावे। कान्फेन्शन के लिये व्यवस्थापिका सभा की समाप्ति कर दी गई। देश का शासन करने के लिये सामयिक रूप से जिस सरकार का निर्माण किया गया, उसका मुखिया टेन्टन बना।

आठवाँ अध्याय

क्रान्ति के विरुद्ध जिहाद

पेरिस की नागरिक सभा—सोलहवें जुई के शासन-व्युत् किये जाने के अनंतर फ्रांस का शासन करने के लिये कोई व्यवस्थित सरकार नहीं थी। राजा के बिना शासन-विधान का स्वरूप तैयार करने के लिये जो कान्फेन्शन बुलाया गया था, उसने अभी अपना कार्य प्रारम्भ ही किया था। इसमें सन्देह नहीं कि एक सामयिक सरकार का संगठन कर दिया गया था, जिसका मुखिया डेन्टन था, परन्तु शासन की वास्तविक शक्ति पेरिस की नागरिक सभा के हाथ में आ गई थी। यह नागरिक सभा बहुत व्यवस्थित तथा संगठित थी और स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव बहुत अधिक था। पेरिस का शासन इसके हाथ में था और क्योंकि राज्यक्रान्ति का नेतृत्व पेरिस द्वारा हो रहा था, अतः पेरिस की नागरिक सभा ही सम्पूर्ण देश में राज्यक्रान्ति का संचालन कर रही थी।

कान्फेन्शन का अधिवेशन—२१ सितम्बर सन् १७९२ के दिन कान्फेन्शन का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। कुल सदस्यों की संख्या ७८२ थी। कान्फेन्शन में अधिक संख्या उन लोगों की थी, जो राजसत्ता के विरोधी और रिपब्लिक के पक्षपाती थे। जिरोदिस्ट दल के सदस्य सबसे अधिक थे। इस दल का विचार था कि क्रान्ति का संचालन कानून और व्यवस्था के अनुसार करना चाहिये। यह दल खून-खराबी के

जावें। दिनों के नाम नरुत्रों और पुराने सन्तों के नामों पर रखने के उपाय पालतू पशुओं, वनस्पतियों और कृषि के उपकरणों के नामों पर रखने का प्रस्ताव किया गया। यह क्रान्ति की भावना थी, जो मजहबों में अपने को प्रगट कर रही थी।

क्रान्ति के विरुद्ध जिहाद—इधर जिन समय कान्बेन्शन के लिये नवीन शासन विधान तैयार करने के कार्य पर लगा था, इधर यूरोप के विविध राजा क्रान्ति के विरुद्ध जिहाद कर रहे थे। अगस्त के समाप्त होने से पूर्व ही प्रशियन सेना फ्रांस में प्रवेश कर चुकी थी। २ सितम्बर को बेर्डून का किला जीत लिया गया था। ऐसा प्रतीत होता था, कि शीघ्र ही पेरिस को घेर लिया जायगा। ऐसे विफट समय में फ्रेञ्च सेनापति हमरे ने पार्लमी नामक स्थान पर प्रशियन सेना से मोरचा लिया। वहाँ पर फ्रांस की सेना की बहुत सफलता हुई। प्रशियन सेना का आक्रमण रुक गया, और सेनापति हमरे इन आक्रान्ताओं को फ्रांस में बाहर खदेड़ने में समर्थ हुआ। इतना ही नहीं, फ्रेञ्च सेनाओं ने जर्मनी के प्रदेश पर आक्रमण किया और रूइन नदी के प्रदेश के अनेक दुर्गों को जीतकर अपने आधीन कर लिया। हमरे के मैजिक नगे पैर थे, उनके पास सैनिक बर्दियाँ और शानदार हथियार नहीं थे। वे नये भर्तों किये हुए रैगल्ट थे, पर उनमें क्रांति की भावना थी, वे किसी उद्देश्य से—किसी भावना से युद्ध कर रहे थे। लड़ना उनका धरा नहीं था। इन सैनिकों ने नीदरलैंड पर आक्रमण किया। यह प्रदेश उस समय में आस्ट्रिया के आधीन था। आस्ट्रिया की सेनायें परास्त हो गई और नीदरलैंड पर फ्रांस का कब्जा हो गया। यह मैन्व-सञ्चालन व समरनीति की विजय नहीं थी, यह क्रान्ति की भावना की विजय थी।

२, ३ सितम्बर के बीभत्स कत्ल—इन जुद्धों के प्रारम्भ होने के समय पेरिस की क्रान्तिकारी सरकार ने बहुत से लोगों को सन्देश में

गिरफ्तार कर लिया था। इसमें सन्देह नहीं, कि उस समय प्रायः म ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो क्रान्ति के विरोधी थे और जो अपना सम्पूर्ण शक्ति क्रान्ति को कुचलने के लिये लगा रहे थे। क्रान्तिकारियों ने बहुत से आदमियों का इस सन्देह में बंद किया हुआ था। इनकी संख्या तीन हजार के लगभग थी। युद्ध के गुरु होने पर २ और ३ सितम्बर को इन सब बंदियों का कत्ल कर दिया गया। इसके लिये जो कारण पेश किया गया था, वह यह था कि हम लोग बेफिकर होकर शत्रुओं का मुकाबला करने के लिये कैसे प्रस्थान कर सकते हैं, जब कि तीन हजार शत्रु हमारी अपनी जेला में बन्द हैं, और जो किसी भी क्षण जेल तोड़कर बाहर निकल सकते हैं, और हमारी लियों और उचा का संहार कर सकते हैं। निस्सन्देह, यह एक बड़ा ही बीभत्स और क्रूर कत्ल था। एक लाख तीन हजार आदमियों का कत्ल—वह भी सन्देह के कारण न्याय का उपहास करने—कितनी बीभत्स बटना है! स्वतन्त्रता और न्याय के नाम पर पुरानी राजसत्ता का अन्त किया गया था। परन्तु नये युग का यह श्रीगणेश कितना अन्यायपूर्ण, अत्याचार मय और बीभत्स था! रिपब्लिक और क्रान्ति की रक्षा के नाम पर, स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृभाव की स्थापना के लिये इन तीन हजार आदमियों की बलि दी गई थी।

कान्फेन्शन की क्रान्तिकारी उद्घोषणा—प्रास ने आक्रान्ताओं को परास्त कर जर्मनी और आस्ट्रिया के अनेक प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अब कान्फेन्शन ने निश्चय किया कि सम्पूर्ण यूरोप में क्रान्ति की भावनाओं का प्रसार किया जावे। प्रास के क्रान्तिकारी नेता इस बात को खूब अच्छी तरह समझते थे कि उनके अपने देश में क्रान्ति तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक कि उनके चारों ओर सम्पूर्ण यूरोप में एकतन्त्र स्वेच्छाचारी सरकारें कायम हों। अतः वे सर्वत्र क्रान्ति का प्रसार करने के लिये उत्सुक थे। कान्फेन्शन ने

१६वाँ लुई चाहता, तो क्रान्ति के बाद भी इङ्गलैण्ड के राजाओं की तरह अपनी शानदार और सम्मानास्पद स्थिति रख सकता। पर १६वाँ लुई बहुत कमजोर व्यक्ति था। वह अपने अदूरदर्शी दरबारियों के प्रभाव से कभी ऊपर नहीं उठ सका। उसका अन्त इस प्रकार दुःख के साथ हुआ, इसमें उसकी अपनी गलतियाँ प्रधान हेतु हैं।

राजा के कत्ल का प्रभाव - १६वें लुई का कत्ल यूरोप के स्वेच्छाचारी राजाओं को खुला चैलेञ्ज था। इन्होंने इस चैलेञ्ज को स्वीकार करने में जरा भी देर नहीं की। इङ्गलैण्ड के राजा जार्ज तृतीय ने फ्रांस के राजदूत को अपने देश से निकल जाने का हुक्म दिया। प्रधान मन्त्री पिट ने पार्लमेण्ट में भाषण देते हुए कहा, फि सम्पूर्ण मानवीय इतिहास में १६वें लुई के कत्ल समान वीभत्स और अमानुषिक कार्य अन्य कोई नहीं हुआ है। शायद, पिट इङ्गलिश राज्यक्रान्ति में चार्ल्स के कत्ल को भूल गया था। फ्रांस और इङ्गलैण्ड में सामुद्रिक प्रतिस्पर्धा विद्यमान थी ही, इङ्गलैण्ड ने समझा कि अपने प्रतिस्पर्धी को कुचलने का यह सुवर्णीय अवसर उपलब्ध हुआ है, इसको हाथ से न जाने देना चाहिये। पिट ने पार्लमेण्ट में प्रस्ताव किया, कि इङ्गलैण्ड को भी फ्रांस के खिलाफ आस्ट्रिया और प्रशिया की सहायता करनी चाहिये।

फ्रांस के विरुद्ध जिहाद—उधर फ्रांस में कान्वेन्शन के सम्मुख भी यह विषय पेश हुआ। इङ्गलैण्ड का राज्यक्रान्ति के प्रति जो रुख था, उसे दृष्टि में रखते हुए कान्वेन्शन ने उचित समझा कि इङ्गलैण्ड के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित कर दिया जाये। एक फरवरी सन् १७६३ के दिन इङ्गलैण्ड और फ्रांस में लड़ाई घोषित कर दी गई।

आस्ट्रियन नीदरलैण्ड की विजय के बाद फ्रांस की सीमा हालैण्ट से जा लगी थी। हालैण्ट फ्रांस की इस समृद्धि तथा सफलता को नहीं सह सकता था। दूतों के शक्तिशाली राज्य का अपनी सीमा तक आ

पहुँचना उसे सह्य नहीं था। परिणाम यह हुआ कि हालैएड ने भी फ्रांस के विरोधियों का साथ दिया।

फ्रेञ्च राज्यक्रान्ति के शत्रुओं की संख्या निरन्तर बढ़ रही थी। आस्ट्रिया, प्रशिया, इंग्लैण्ड और हालैएड उसके विरुद्ध युद्ध उद्घोषित कर चुके थे। अगस्त मार्च १७९३ में स्पेन और पवित्र रोमन साम्राज्य भी फ्रांस के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो गये। फ्रांस अपने सारे पड़ोसियों ने अकेला लड़ाई लड़ रहा था। उसे विकट परिस्थिति का सामना करना था। यूरोपियन राज्यों की सदियों की सधी हुई सेनायें उसके विरोध में थीं। उसके अपने कुलीन तथा उच्च पुरोहित श्रेणियों के लोग उसके विरुद्ध सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार थे। फ्रांस की क्रान्तिकारी सेनायें युद्ध-नीति में निष्णात नहीं थीं। यही कारण है, कि १२ मार्च के दिन नीर विन्डन नामक स्थान पर आस्ट्रियन सेना ने फ्रेञ्च सेनापति टूमरे को बुरी तरह परास्त किया और नीदरलैण्ड फ्रांस के हाथ से निकल गया। इस पराजय के बाद सेनापति टूमरे फ्रांस का पक्ष छोड़कर शत्रुओं से जा मिला। लफायत इससे कुछ दिन पहले ही शत्रुओं ने मिल गया था। ये दोनों महानुभाव राज्यक्रान्ति के प्रमुख नेता थे। एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजसत्ता को नष्ट करने में इनका कर्तृत्व बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। पर राजा को प्राणदण्ड मिलना इनकी दृष्टि में अक्षम्य अपराध था। ये क्रान्ति के पथ पर इतनी दूर नहीं जाना चाहते थे। क्रान्ति को अपने काबू से बाहर जाते देख इन्होंने यही उचित समझा, कि शत्रुओं से मिलकर क्रान्ति को कुचला जाय। राष्ट्रीयता की भावना उस समय तक उत्पन्न नहीं हुई थी। राष्ट्रीयता के इस युग में इन्हें देशद्रोही कहा जावेगा, पर उस जमाने में देश या राष्ट्र ने मनुष्यों के विचारों में वह स्थान प्राप्त नहीं किया था, जो अद्य कर लिया है। राष्ट्रीयता की भावना भी, इसी प्रकार की अन्य अनेक भावनाओं की तरह, इतिहास की उपज है !

शत्रुओं का सुख-स्वप्न—नीदरलैण्ड फ्रांस के कब्जे से निकल गया, इस बात से क्रान्ति के विरोधियों की हिम्मत बहुत बढ़ गई। उन्होंने आपस में सलाह करनी शुरू की, कि फ्रांस को जीत कर परस्पर वाँट लिया जाये। अब से कुछ दिन पहले सन् १७६३ में ही पोलैण्ड को जीत कर रशिया, आस्ट्रिया और प्रशिया ने आपस में विभक्त कर लिया था। अब फ्रांस को भी इसी प्रकार वाँट खाने का स्वप्न लिया जाने लगा। आस्ट्रिया की धार्मिक प्रांत के उत्तरीय प्रदेशों पर थी। इंग्लैण्ड उपनिवेशों को हटाने की सोच रहा था। स्पेन पिरेनीज की पर्वतमाला को पार कर दक्षिणोय फ्रांस में अपना हिस्सा लेने की फिरक में था। इस प्रकार राज्यक्रान्ति के मर विरोधी फ्रांस को लूट खाने का सुख-स्वप्न ले रहे थे। निस्सन्देह, फ्रांस के लिये यह विकट परिस्थिति थी। उसने जिस हिम्मत और बहादुरी ने इसका मुकाबला किया, वह इतिहास में वस्तुतः अद्वितीय है।

नवौं अध्याय

आतङ्क का राज्य

शक्तिशाली सरकार का संगठन—फ्रांस के लिये नवान शासन विधान बनाने का कार्य कान्वेन्शन कर रहा था। पर इस समय देश की मुख्य आवश्यकता शासन विधान का निर्माण नहीं थी। इस समय राष्ट्र और आन्तरिक शत्रुता से रक्षा करना ही प्रधान कार्य था। इसी बात को दृष्टि में रखकर ४ जनवरी १७९३ के दिन कान्वेन्शन ने एक 'मामान्य रक्षा-समिति' का निर्माण किया था। इस समिति का कार्य फ्रांस में शान्ति और व्यवस्था कायम रखना था। पर इस समय स्थिति इतनी गम्भीर और विकट होती जाती थी, कि एक अत्यन्त मजबूत और शक्तिशाली सरकार की जरूरत थी। युद्ध या विद्रोह के समय लोकतन्त्र शासन के सिद्धान्तों को क्रिया में परिणत कर सकना सम्भव नहीं रहता। उस समय आवश्यकता होती है, कि किसी व्यक्ति व व्यक्ति समूह का सारे अधिकार दे दिये जायें। फ्रांस में विद्रोह भी हो रहे थे और युद्ध भी जारी थे। इस दशा में कान्वेन्शन के लिए यह सम्भव नहीं था, कि वह एक लोकतन्त्र रिपब्लिक का स्थापित कर सके। कान्वेन्शन शासन विधान निर्माण करने का अपना मुख्य कार्य करता गया, पर उसने सामयिक रूप से शासन करने के लिये एक ऐसा समिति का निर्माण कर दिया, जिसे कि शासन और व्यवस्थापन सम्बन्धी सार अधिकार प्राप्त थे। इस समिति का नाम 'मात्रावधि-व्यवस्था समिति'

था, और इसका निर्माण ६ एप्रिल के दिन हुआ था। एक क्रान्तिकारों के अनुसार "राजाओं के स्वेच्छाचारी शासन का अन्त करने के लिये स्वतन्त्रता का स्वेच्छाचारी शासन स्थापित करना आवश्यक है", और इसीलिये इस समिति का निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त एक 'क्रान्तिकारी न्यायालय' की भी स्थापना की गई थी। क्रान्ति के विरोधियों को इस न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाता था, और वहाँ उन्हें कठोर दण्ड दिये जाते थे। यह शक्तिशाली और सब राजकीय अधिकारों से युक्त सरकार अपने शासन में जनता के वोटों की परवाह नहीं करती थी। उस समय यह सम्भव भी नहीं था। इस सरकार ने विदेशी आक्रमणों से फ्रांस की रक्षा करने के लिये भारी कोशिश की। मत्र लोगों के लिये सैनिक सेवा करना आवश्यक कर दिया गया। लाखों की संख्या में सिपाही भर्ती किये गए। यूरोप और अमेरिका के विविध देशों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की गई, पर इसमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। उस समय के लोग फ्रांस की राज्यक्रान्ति को बड़े आतङ्क और घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। उनकी सम्मति में फ्रांस में ऐसी घटनाएँ हो रही थीं, जो न्याय और औचित्य से सर्वथा शून्य थीं। किसी भी नई लहर को लोग पहले पहल इसी दृष्टि से देखते हैं। फ्रांस को वहाँ से भी सहायता प्राप्त नहीं हुई। परन्तु अकेले फ्रांस ने इन विकट परिस्थितियों में जो कार्य कर दिखाया, वह वस्तुतः आश्चर्यजनक था। इसका प्रधान कारण फ्रांस के लोगों में क्रान्ति की भावना थी। उन्हें अपने सिद्धान्तों पर अटल विश्वास था। उनमें बड़ा जोश था, जो कि किसी नये धर्म के प्रचारकों में होता है। वे क्रान्ति के लिये मर मिटने को तैयार थे।

जिरोदिस्ट दल का पतन—कान्बेन्थान में पहले जिरोदिस्ट दल का बहुमत था। यह दल रिपब्लिक तथा क्रान्ति का प्रबल पक्षपाती होते हुए भी इस समय की विकट परिस्थिति का सामना करने के लिये

उपयुक्त न था। इस दल के लोग कानून और व्यवस्था को बहुत महत्त्व देते थे। पर शायद इस समय फ्रांस में कानून और व्यवस्था की अपेक्षा ताकत और प्रत्युत्पन्नमतिता की अधिक आवश्यकता थी। फ्रांस एक अत्यन्त भयङ्कर परिस्थिति में फँसा हुआ था और इसका मुकाबला करने के लिये जिस हिम्मत और अदीर्घसूत्रता की आवश्यकता थी, वह जिरोंदिस्ट लोगों में मौजूद न थी। परिणाम यह हुआ, कि उनका विरोध बढ़ता गया। जेफ़ोविन दल प्रबल होता गया। जेफ़ोविन दल का क्या स्वरूप था, और उसमें किस प्रकार क्रान्ति के अत्यन्त गरम नेता सम्मिलित थे, इस पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। पेरिस की नगर सभा—जो फ्रांस के शासन सूत्र का अनेक अंशों में सञ्चालन कर रही थी, जेफ़ोविन क्लब के साथ थी। जिरोंदिस्ट दल पेरिस की नगर-सभा के सख्त खिलाफ था। वह समझता था, कि इस नगर-सभा ने फ्रांस के शासन में अनुचित रूप से बहुत अधिक स्थान प्राप्त किया हुआ है। इसलिये उनकी तरफ से कान्वेन्शन में प्रस्ताव उपस्थित किया गया, कि पेरिस की नगर सभा को तोड़ दिया जावे और कान्वेन्शन के अधिवेशन पेरिस के स्थान पर किसी अन्य नगर में किये जावें, ताकि पेरिस की जनता का अनुचित प्रभाव कान्वेन्शन पर न रहे। जेफ़ोविन दल ने इन प्रस्तावों का घोर विरोध किया। उनका कहना था, कि पेरिस का प्रभुत्व निर्विवाद है, अन्य प्रदेशों को राजधानी का अनुसरण करना ही चाहिये। इस समय फ्रांस और विशेषतया पेरिस की जो मनोवृत्ति थी, उसमें कानून और कायदों का बाकायदा अनुसरण करना सम्भव नहीं था। चाहिये तो यह था, कि इन प्रस्तावों पर वाकायदा वोट लिये जाते और बहुमत से जो फैसला होता, उसे क्रिया में परिणत किया जाता। पर कानून-कायदों को तोड़ कर अपनी ताकत से काम करने की प्रवृत्ति जब एक बार उत्पन्न हो जाती है, तो उसका प्रयोग वहीं तक सीमित रहे, यह नहीं होता। पेरिस के

लाग निरादिष्ट दल के गिलाप उठ पड़े हुए। ७ नून १७६३ के दिन कान्वेन्शन का बंद लिया गया। निरादिष्ट दल के सर नेता रैंडर र निके गये। यह सर सार्य फ्रिंस की मन्त्रशक्तिमान नगर सभा के आदेश से हुआ था।

अन कान्वेन्शन म जेसामिन दल का प्रमुख निर्दिवाद हा गया। जेसामिन दल पेरिस के लोगों पर आश्रित था। अत यू कहना चाहिये कि पेरिस के लोग ही अन कठपुतली की तरह कान्वेन्शन को नचाने लगे। पेरिस की नगर सभा जो चाहती, वहा करा लेती। उसका निरोध करनेवाला अन कोई नफा रश था।

विद्रोह की अग्नि भड़क उठी—निरादिष्ट दल का कान्वेन्शन मे अहिष्कृत कर दिया गया, इस बात का परिणाम अच्छा नहीं हुआ। इस दल म फ्रांस के दक्षिणीय प्रदेशों के बहुत से प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इन्होंने विद्रोह करने का निश्चय किया। सभमे पृवं निराद— यहाँ के प्रतिनिधियों के कारण ही इस दल का नाम निरादिष्ट पडा था—के प्रमुख नगर बोर्डियो में विद्रोह हुआ। बोर्डियो का अनुसरण मासेन्य ने किया और धीरे धीरे यह विद्रोहाग्नि दक्षिणीय फ्रांस के बहुत से प्रदेशों में व्याप्त हो गई। लायन्स नामक नगर रेशम तथा इसी प्रकार की अनेक विध भोगविलास की वस्तुएँ बनाने का उडा भारी केन्द्र था। इनकी वस्तुओं की सफल सवमाधारण जनता में नहीं हो सकती थी। इनके सरीदार कुलीन वा उच्च श्रेणी के लोग ही होते थे। पर अन राज्यक्रान्ति के कारण फ्रांस के वे उच्च श्रेणी के लोग विदेशों म भाग गये थे और लायन्स के सारे व्यवसाय और व्यापार तबाह हो गये थे। यहाँ के लोगों को क्रान्ति से उड़ी घृणा थी। इन्होंने भी विद्रोह का झण्डा सजा कर दिया। इसी प्रकार ब्रिटेनी के निवासी क्रान्ति के विरुद्ध इस विद्रोह में सम्मिलित हुए। यहा के निवासी और विशेषतया किसान लोग राजसत्ता के कठर पक्षपाती थे। देहात के

लोगों में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आता है, वे जमाने में बहुत पीछे पड़े जाते हैं। ब्रिटेनी के निवासों अभी तक मान्ति की भावना से प्रायः अपरिचित थे। वे अब तक भी राजसत्ता की पसन्द करते थे, पुरोहितों को पूजते थे और कुलीन जर्मांशुओं का रोय मानते थे। जिरोन्द, ब्रिटेनी, लायन्स और मासैय्य के इन विद्रोहों ने फ्रांस की सामयिक सरकार का कार्य बहुत कठिन बना दिया। उसे केवल विदेशी आक्रान्ताओं का ही मुकाबला नहीं करना था, अपितु इन आन्तरिक विद्रोहों की भी व्यवस्था करनी थी। क्रान्ति के लिये वह अग्रिपरीक्षा का अवसर था।

शत्रुओं के आक्रमण—विदेशी आक्रान्ता अपने आक्रमणों में निरन्तर सफलता प्राप्त कर रहे थे। आस्ट्रियन और इङ्गलिश सेनाये फ्रांस की भूमि पर पदार्पण कर चुकी थीं, और एक के बाद एक दुर्ग को जीतती जाती थीं। शत्रुओं की सेना पेरिस से कुल १०० मील दूर रह गई थी। साफ दिखाई दे रहा था, कि शीघ्र ही पेरिस पर हमला कर दिया जायगा और ब्रुन्स्विक के ड्यूक की उद्घोषणा निया में परिणत हो जायेगी।

नवीन सरकार—ऐसी विकट परिस्थिति में स्थिति को संभालने का एकही उपाय था। वह यह कि सरकार को और भी मजबूत किया जाय। लोकतन्त्र रिपब्लिक के उदात्त सिद्धान्तों को कुछ समय के लिये ताक में रखकर, स्वेच्छाचारी मजबूत सरकार की स्थापना की जाय। नेशनल कान्वेन्शन ने रिपब्लिक के सिद्धान्त का अनुसरण कर जो नया शासन-विधान बनाया था, वह यँ ही रखा रह गया। १७९३ में फ्रांस के लिये जो शासन-विधान तैयार किया गया था, वह क्रिया में नहीं आ सका। उस समय की परिस्थिति उसके लायक नहीं थी। उस समय शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता थी, और सामयिक आवश्यकता ने उसे धीरे-धीरे स्वयं उत्पन्न कर दिया था। इस सरकार का स्वरूप क्या था? यह शासन के लिये स्वेच्छाचारिता और आतङ्क का प्रयोग करती

थी। इसके तरीके वही थे, जो पुराने ग्रेजुआचारी एकात्र राजशाही के होते थे। तरीके पुराने थे, पर उद्देश्य नवीन था। इस नई सरकार के स्वरूप को संक्षेप से इस बात को इस प्रकार प्रगट किया जा सकता है --

(१) सार्वजनिक व्यवस्था समिति—सावजनिक व्यवस्था समिति के कुल १० सदस्य होते थे। इन्हें राज्य के सब शासन और व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार प्राप्त थे। इस समिति का निवासस्थान राजा का पुराना प्रासाद था। गण्यभक्ति का प्रास्तविक मन्त्रालय इसी के हाथ में था। आतङ्क के विविध साधनों का उपयोग भी मुख्यतया इसी के द्वारा होता था। यही समिति राजस्व आगम्य प्रभाषित किया करती थी। इसी के हुक्म से हजारों आदमियों को प्राणदण्ड दिया जाता था। जनता में भ्रष्टाचार की भावना को निरन्तर ताजा तथा गरम बनाये रखना इसी समिति का काम था। यह समिति न्यतः नता के नाम पर काम करती थी, पर इसके इधियार जुल्म, अन्याय अत्याचार और आतङ्क के बने हुए थे।

(२) सामान्य रक्षा समिति—सामान्य रक्षा समिति का प्रमुख राज्य प्रांत में शान्ति और व्यवस्था कायम रखना था। इसके सदस्यों की संख्या २१ थी। यह शान्ति और व्यवस्था के नाम पर निम्न आदमी को चाहती गिरफ्तार करती, जेल में डालती या न्यायालय के सम्मुख पेश कर सकती थी।

(३) भ्रान्तिकारी न्यायालय—भ्रान्तिकारी न्यायालय का नामाण देशद्रोहियों तथा भ्रान्ति के गिलाफ साजिश करने वालों के मामलों का फेमला करने के लिये हुआ था। इसके न्यायालयों की नियुक्ति मान जनिन व्यवस्था समिति की तरफ से होती थी। इनके पास काय की बहुत अधिकारता थी। भ्रान्ति के दुश्मनों के सब अभियोग इसी के सम्मुख पेश होते थे और इसके निर्णयों के गिलाफ अपील नहीं की जा सकती थी। कार्य की अधिकता के कारण इस न्यायालय का चार भागों में बाँट दिया

गया था। फिर भी कार्य का बोझ कम नहीं हुआ और यही कारण है कि इसके पैसले बहुत जल्दबाजी के साथ किये जाते रहे।

(४) विशेष प्रतिनिधि—इस समय फ्रांस में जो विमट परिस्थिति थी, उसमें यह जरूरी था, कि विशेष विशेष कार्यों के लिये ऐसे कर्मचारी नियत किये जायें, जिन्हें अपनी सम्मति के अनुसार कार्य करने के पूरे अधिकार प्राप्त हों। इनकी नियुक्ति सार्वजनिक व्यवस्था समिति द्वारा की जाती थी, और नेशनल कान्वेन्शन के सदस्यों को ही इस महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया जाता था। ये लोग कानून की परवाह बहुत कम करते थे। ये एक प्रकार के स्वैच्छाचारी राजा होते थे, जोकि अपनी शक्ति का निरंकुश रूप से प्रयोग करने में जरा भी सकोच नहीं करते थे।

(५) जेकोबिन क्लब—जेकोबिन क्लब की शाखाएँ फ्रांस भर में व्याप्त थीं। इनका संगठन बहुत निस्तृत तथा व्यापक था। उस अव्यवस्थित तथा अनिश्चित दशा के समय में इस देशव्यापी संगठन का प्रयोग बहुत उत्तम रीति से किया जा सकता था। सार्वजनिक व्यवस्था समिति ने इन जेकोबिन क्लबों का पूर्ण रीति से उपयोग किया और इनसे वे बहुत से काम लिये, जो किमी सरकारी महत्त्व में लिये जाने चाहिये थे।

विद्रोहों का दमन—इस शक्तिशाली सरकार ने बड़ी योग्यता और तमता से क्रान्ति के बाह्य और आन्तरिक दोनों प्रकार के गनुओं का मुखाग्रता किया। आन्तरिक विद्रोहों को बुरी तरह कुचला गया। लायन्स के विद्रोह को शान्त करने के लिये बाकायदा फौज भेजी गई। शहर का घेरा डाल दिया गया। गोलाबारी की गई, और लायन्स को आत्मसमर्पण करने के लिये विवश किया गया। लायन्स के लोगों के साथ बड़ा भयकर बर्ताव हुआ। दो हजार के लगभग आदमी कत्ल किये गये। सार्वजनिक व्यवस्था समिति का यह खयाल था, कि इस

नगर को पूर्णतया भस्मसात् कर दिया जाय, पर सौभाग्यवश यह निश्चय क्रिया में परिणत नहीं हो सका। पर हममें सन्देह नहीं कि लायन्स के हम पराजय ने फ्रांस की जनता के सम्मुख यह भली भाँति स्पष्ट कर दिया कि क्रान्ति के विरुद्ध विद्रोह करना हँसी मजाक नहीं है। क्रान्तिकारी विद्रोहियों से भयकर बदला लेते हैं। बोर्डियो और मासैय्य के विद्रोही लायन्स की दुर्दशा देखकर ध्वरा गये। उन्हें विश्वास हो गया, कि वे क्रान्ति का मुकाबला सफलतापूर्वक नहीं कर सकेंगे। इसलिये उन्हें परास्त करने में विशेष कठिनता नहीं हुई। दोनों नगरों में चार चार सौ के लगभग विद्रोहियों को कत्ल किया गया और दक्षिणीय फ्रांस का विद्रोह मुगमता के साथ शान्त हो गया।

ब्रिटेनी प्रदेश में विद्रोह ने बहुत व्यापक और प्रचण्ड रूप धारण किया हुआ था। विशेषतया वेन्डी के लोग क्रान्ति का सर्वनाश करने के लिये तुले हुए थे। विदेशी लोग भी इन्हें गुप्त रूप से सहायता पहुँचा रहे थे। क्रान्ति की सेनाओं को इनके साथ बाकायदा युद्ध लड़ने पड़े। सार्वजनिक व्यवस्था समिति ने इस विद्रोह को शान्त करने के लिये जो विशेष प्रतिनिधि नियत किया था, उसने अपना कार्य बड़ी निर्दयता से किया। यहाँ पर भी दो हजार के लगभग विद्रोहियों का क्रूरतापूर्वक घात किया गया।

विद्रोहों को कुचलने में सार्वजनिक व्यवस्था समिति को पूर्ण सफलता हुई। पर विद्रोह की भावना अभी नष्ट नहीं हुई थी। क्रान्तिकारी नेताओं को हमेशा भय बना रहता था, कि क्रान्ति के विरोधी लोग कहीं विद्रोह न कर बैठें। फ्रांस में क्रान्ति के विरोधियों की कमी नहीं थी। बहुत से लोग क्रान्ति के खुल्लमखुल्ला विरोधी थे, पर अधिक संख्या उन लोगोंकी थी, जो क्रान्ति की प्रगति को पसन्द नहीं करते थे। क्रान्ति के विरोध में जो कुछ भी सम्भव हो, उसे ये गुप्त रूप से करने को तैयार रहते थे। जनता की सहानुभूति या लोकमत भी एक महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ

हैं। यदि लोगों की सम्मति किसी बात के खिलाफ हो, यदि लोगों की सहानुभूति किसी बात के विरोध में हो—तो वह स्वयं एक महत्त्वपूर्ण ताकत होती है। फ्रांस के क्रान्तिकारी नेता इस बात को खूब समझते थे। इसीलिये वे क्रान्ति की विरोधी भावनाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिये तुले हुए थे। उनका खयाल था, कि क्रान्ति की सफलता के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है, कि जिन पर क्रान्ति का विरोधी होने का सन्देह हो, उन्हें भी क्षमा नहीं करना चाहिये। कोई आदमी क्रान्ति का पक्षपाती है, या कम से कम विरोधी नहीं है, यह जानने के लिये इतनी बात काफी नही है, कि उसने क्रान्ति के विरोध में कोई काम नहीं किया है। इसके लिये यह भी जरूरी है, कि उसने क्रान्ति के पक्ष में कोई कोशिश की है। यदि कोई आदमी आज उदासीन है, क्रान्ति का जोरदार तरीके से पक्षपाती नहीं है, तो क्या भरोसा है, कि वह वह विरोधी न बन जायगा? जब क्रान्ति के नेता ही शत्रुओं से मिल जाते हैं, तो उदासीना का तो भरोसा ही क्या? इन सब दृष्टियों से फ्रान्सेन्शन ने निश्चय किया, कि विरोधियों के हृदयों पर आतङ्क जमा दिया जाय, क्रान्ति का सिक्का पैठा दिया जाय, ताकि कोई आदमी क्रान्ति का विरोध करने की हिम्मत न कर सके। इसी नीति का परिणाम हुआ, कि फ्रेंच राज्यक्रान्ति के इतिहास में वह काल प्रारम्भ हुआ, जिसे 'आतङ्क का राज्य' कहा जाता है। यह काल कब से कब तक रहा, यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। पर मोटे तौर पर हम कह सकते हैं, कि सितम्बर १७९३ से जुलाई १७९४ तक—दस मास के लगभग फ्रांस में 'आतङ्क का राज्य' रहा।

आतङ्क का राज्य—क्रान्ति के विरोधियों को प्राणदण्ड या अन्य भयंकर दण्ड देने के लिये व्यवस्था पहले भी विद्यमान थी, 'क्रान्तिकारी न्यायालय' पहले भी कार्य कर रहा था। पर १७ सितम्बर १७९३ के दिन एक भयङ्कर कानून पास किया गया। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था

की गई, कि जो लोग अपने व्यवहार व क्रिया द्वारा, अपनी सम्मति व विचारों के प्रगट करने से अथवा अन्य किसी प्रकार से क्रान्ति का विरोध करें, उन सबको प्राणदण्ड दिया जाय। यह कानून अत्यन्त व्यापक था। क्रान्ति के विरुद्ध या क्रान्ति के किसी भी कार्य के विरुद्ध सम्मति प्रकाशित करना भी अपराध था और उसके लिये प्राणदण्ड की व्यवस्था की गई थी। प्राणदण्ड के लिये इस काल में एक नवीन उपकरण का आविष्कार किया गया था, जिसे गुलेटिन कहते हैं। इसका आविष्कारक टा० गुलेटिन नाम का आदमी था और उसी के नाम के कारण इसे गुलेटिन कहते हैं। इस उपकरण में दो स्तम्भों के बीच में एक बहुत बड़ा फलका लटक रहा होता था, जिसे रस्मी द्वारा ऊपर या नीचे ले जाया जा सकता था। अपराधी को इन दो स्तम्भों के बीच में लेटा कर फलके की रस्सी ढीली कर दी जाती थी और वह भारी फलका बड़े धेग और शब्द के साथ नीचे गिरकर अपराधी के सिर को धड़ से अलग कर देता था। इस उपकरण को दो पहियेवाली गाड़ी पर रखकर जहाँ चाहें, ले जा सकते थे। इस काल में पेरिस की गलियों में ये गुलेटिन सर्वत्र नजर आते थे। आतंककाल उठने पर इनका शब्द सुनाई पड़ता था। एक बड़े पैमाने पर क्रान्ति के विरोधियों का घात किया जा रहा था। इस बीमत्स और भयङ्कर कत्ल के कारण ही इस काल का नाम 'आतङ्क राज्य' रखा गया है।

रानी मेरी का कत्ल—अक्टूबर १७९३ में १६वें जुई की रानी मेरी आतोआन्त पर मुकदमा चलाया गया। उसे क्रान्ति का विरोधी पाया गया। गुलेटिन ने रानी का—जिसका सारा जीवन भोग-विलास और आमोद प्रमोद में व्यतीत हुआ था, सिर धड़ से अलग कर दिया। गुलेटिन की दृष्टि में राजा व रक सब बराबर थे। फ्रांस के क्रान्तिकारियों ने अपने कत्ल की प्रक्रिया में कुल या जाति किसी बात की परवाह नहीं की थी। रानी के साथ ही बहुत से कुलीन तथा उच्च पुरोहित धेणी

के लोग कतल किये गये । जिरोदिस्ट दल के बहुत से नेता जिन्हें पेरिस की नगर-सभा ने कान्वेन्शन की बैठक में गिरफ्तार कर लिया था—अब तरु जेलों में पड़े थे । उन सब को भी कतल कर दिया गया । मैडम रोला नाम की एक कुलीन महिला को जिस समय गुलेटिन पर कतल के लिये ले जाया गया, तो उसने चिल्लाकर कहा—‘स्वाधीनते, तेरे नाम पर क्या क्या अनर्थ किये जा रहे हैं ?’ रोला का यह कहना सर्वथा ठीक था । मनुष्य धर्म, राष्ट्रीयता, स्वार्थानता और देशभक्ति आदि उच्च भावों के आवरण से कैसे कैसे वीभत्स कार्य करता है, फ्रांस के क्रान्तिकारी निस्सन्देह एक विकट परिस्थिति का सामना कर रहे थे, उन्हें बाह्य और आभ्यन्तर—दोनों प्रकार के अनगिनत शत्रुओं का मुकाबला करना पड़ रहा था । इसलिये कुछ हद तक सख्ती की जरूरत थी । पर इसमें सन्देह नहीं, कि क्रान्तिकारी लोग औचित्य, न्याय और आवश्यकता की सीमा का उल्लंघन कर रहे थे ।

जैकोबिन दल में विरोध—शीघ्र ही जैकोबिन दल में भी मतभेद शुरू हो गये । डेन्टन का खयाल था, कि अधिक मूल्यरात्री नहीं हानी चाहिये । वह कतलों और गुलेटिन से थक गया था । दूसरी तरफ पेरिस की नागरिक सभा के नेता देवर्ट की राय थी, कि क्रान्ति को शीघ्र ही पूर्ण करना चाहिये और क्रान्ति को पूर्ण करने के एकमात्र उपाय आतङ्क और कतल हैं । देवर्ट ने यह भी प्रस्ताव किया, कि हमें ईश्वर को उड़ा देना चाहिये । ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है । ईश्वरों के स्थान पर ‘बुद्धि’ की उपासना प्रारम्भ होनी चाहिये । एक सुन्दर नटी के रूप में ‘बुद्धि’ की प्रतिमा भी बनाई गई और उसको मन्दिर में प्रतिष्ठापित भी किया गया । रोबस्पियर और सेन्टजस्ट न डेन्टन से सहमत थे और न देवर्ट से । ये दोनों नेता रूसों के कट्टर अनुयायी थे । क्रान्ति के सम्बन्ध में इनके निश्चित विचार थे । ये एक ऐसी रिपब्लिक की कल्पना करते थे, जिसमें न कोई श्रीमंति हो, न कोई गरीब हो । बच्चों को पाँच साल

की उमर में राज्य को सुपूर्द कर दिया जावे और स्पार्टन तरीक से उनका शिक्षण किया जावे। रोमस्वियर परमेश्वर का मानता था, वह बुद्धि का उपासना के खिलाफ था। उसका सिद्धान्त था - 'यदि परमेश्वर की काइ सत्ता नही है, तो हम उसका आविष्कार करना चाहिये। जैसो कि दल के विविध नेताओं में रोमस्वियर का प्रभुत्व था। डेन्टन तथा उसका अनुयायियों का इसलिये कत्ल किया गया, क्योंकि वे पूरा खराबी से भक्त गये थे। हैर्न का इसलिये कत्ल किया गया क्योंकि वह परमेश्वर का नही मानता था। इस काल में फ्रांस के क्रान्तिकारियों के पास एक ही उपाय था, अपने विरोधों के साथ व्यवहार करने का एक ही तरीका उन्हें मालूम था - कत्ल। तो हमस मतभेद रखता है, वह क्रान्ति का दुश्मन है। उसकी एक ही सत्ता है—गुलेगिन। इसी मनोवृत्ति से फ्रांस के क्रान्तिकारी नेता अपने पुराने सहयोगियों को बेधकर होकर कत्ल करते रहे। डेन्टन और हैर्न का कत्ल के बाद रोमस्वियर का कुछ समय के लिये एकाधिपत्य हा गया।

नवीन युग की सृष्टि—यह ध्यान रखना चाहिये, कि रोमस्वियर पूरा तरह इमानदार था। वह वस्तुतः समझ रहा था कि वह जो कुछ कर रहा है, क्रान्ति के, फ्रांस के कल्याण के लिये कर रहा है। रोमस्वियर के नतृत्व में 'सार्वजनिक व्यवस्था समिति' ने जो कार्य किया, वह वस्तुतः अद्भुत है। जिन समस्याओं को हल करना आन भौ मनुष्य जाति को बहुत कठिन प्रतीत हो रहा है, जिनको हल करने के लिये बड़े बड़े विद्वान आन तक परेशान हो रहे हैं, उनके लिये इस सार्वजनिक व्यवस्था समिति के पास अत्यन्त सुगम हल विद्यमान थे। क्रान्ति के जोश में, नये युग का सृष्टि करने के आवेश में क्रान्तिकारियों ने फ्रांस में बड़े बड़े परिवर्तन किये। सम्पत्ति को एक बराबर करने की कोशिश की गई। अमीरा की सम्पत्ति पर भारी टैक्स लगाये गये। बहुत से सम्पत्तिशाली लोगों की जायदादें इसलिये जब्त कर ली गईं, ताकि

गरीबों को उनसे पायदा पहुँच सके। यह व्यवस्था की गई, कि प्रत्येक आदमी अपनी स्त्री और बच्चों के साथ आराम से अपने घर में रह सके। मुनाफे को उठाने की कोशिश की गई। अर्थशास्त्रियों के लिये मुनाफा एक जटिल पहेली है। व्यापार और व्यवसाय के लिये मेहनत करने का उत्साह इससे उत्पन्न होता है। पर साथ ही इससे बहुत से लोगों को दूसरों का हिस्सा छीनकर अपने को अनुचित रूप से समृद्ध बनाने का भी अवसर मिलता है। १७६३ के पास में मुनाफे को मर्यादित करने के लिये कानून बनाये गए। सामाजिक-क्षेत्र में भी बड़े परिवर्तन किये गये। तलाक को उतना ही आसान कर दिया गया, जितना कि विवाह। जायज और नाजायज स्त्रियों का भेद सर्वथा नष्ट कर दिया गया। एक नये पञ्चाङ्ग का निर्माण किया गया। साल को तीस तीस दिन के १२ महीना में बाँटा गया। महीना के नाम कुहरा, वर्षा, वर्ष, ग्रीष्म, फूल, गर्म, पल आदि रखे गये। महीना में चार के स्थान पर तीन सप्ताह (या दशाह) रखे गए। दिन को २४ घण्टों के स्थान पर दस घण्टों में विभक्त किया गया। मुद्रापद्धति का नवीन प्रकार से निर्माण किया गया। चर्च के बगैरे घण्टिया को पिघला कर मुद्रा बनाने के काम में लाया गया। धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना की गई। कुछ लोगो की कोशिश थी, कि क्रिश्चियन धर्म को ही उडा दिया जाये। पर भेश्वर को नष्ट कर देने का प्रस्ताव तो क्रिया में भी आ चुका था, पर रोमस्पियर के विरोध से यह बात देर तक नहीं हो सकी। तोल और भार मापने के लिये नये माप चलाये गये। दशमलव की पद्धति पर तोल और भार के जिन परिमाणों को आज सारा ससार स्वीकृत करता जा रहा है, उनका आविष्कार इस 'आतङ्क के राज्य' के समय में ही हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए एक उत्तम योजना तैयार की गई। ये सब महत्त्वपूर्ण कार्य उस समय में किये गये, जब कि पास की राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना विदेशी आक्रान्ताओं से घनघोर युद्ध कर रही थी

और क्रान्तिकारी नेता क्रान्ति के विरोधियों का सर्वनाश करने के लिये गुलेटिन का बड़े पैमाने पर प्रयोग कर रहे थे। निस्सन्देह, फ्रांस के लोगों की क्षमता और कार्यशक्ति इस समय में असाधारण रूप से उठ गई थी। वे लोग न केवल नाश के कार्य में लगे थे, पर उड़ी गम्भीर तथा ईमानदारी से नये युग की सृष्टि में भी दक्षचित्त थे।

रोबस्पियर का पतन—रोबस्पियर का यह एकाधिपत्य देर तक कायम नहीं रहा। जिस प्रकार उसने डेन्टन तथा हैमर्ट को कतल किया था, उसी प्रकार वह भी कतल किया गया। उसके खिलाफ एक साजिश तैयार की गई। २७ जुलाई १७९४ के दिन जब वह कान्वेन्शन में भाषण करने के लिये खड़ा हुआ, तब इन पड्यन्त्रकारियों ने चिल्लाना शुरू किया—‘अत्याचारी हाय हाय!’ रोबस्पियर हैरान रह गया। हैरानी और डर के मारे उसके मुख से आवाज नहीं निकली। एक आदमी ने चिल्ला कर कहा—‘डेन्टन का खून इसका गला घूट रहा है।’ रोबस्पियर समझ गया, उसका अन्त भी समीप था। उस पर मुकदमा चलाया गया, उसे दोषी पाया गया। विरोधियों ने उस पर हमला किया, और गिरफ्तार कर लिया। पेरिस की नगर-सभा तथा जैकोबिन क्लब अब भी उसकी पक्षपोषिका था। जैकोबिन क्लब ने कान्वेन्शन के खिलाफ विद्रोह किया। दोनों पक्षों में खुलमखुला लड़ाई होने लगी। अखिर जैकोबिन क्लब ने रोबस्पियर को छुड़वा लिया। रोबस्पियर ने अपनी क्लब के सुरक्षित विशाल भवन में आश्रय लिया। सारे शहर में सनसना फैल गई। सब तरह के जुलूस निकलने लगे। सुबह ३ बजे कान्वेन्शन की सेनाओं ने जैकोबिन क्लब पर हमला किया। खुलमखुला लड़ाई होने लगी। पर जैकोबिन सेनापति हेन्रियट शराब पीकर मरा सा पड़ा था पेरिस की नगर सभा के सिपाही कान्वेन्शन से मिल गये। जैकोबिन क्लब अकेला रह गया। लड़ाई में रोबस्पियर के जवाब पर गोली लगी। वह बुरा तरह घायल होकर गिर पड़ा। रोबस्पियर के अगले १७ घंटे उड़ी तलवार से गुजरे। इस

बीच में वह एक शब्द भी न गोल सफा । उसका पटा हुआ जमाड़ा एक मैले ऋषडे से बाँध दिया गया था । आखिर, रोगस्त्रियर को गुलेटिन के नीचे कतल करने के लिये ले जाया गया । कतल करने से पहले उसकी पट्टी उतार दी गई थी । गुलेटिन का फलना आया और उसके सत्र ऋषा का अन्त कर गया ।

विवेचना—अनेक ऐतिहासिकों ने इस आतङ्क के राज्य का उडे बीभत्स रूप से वर्णन किया है । फ्रेञ्च राज्य क्रांति को उदनाम करने के लिये इस काल को इस रूप में पेश किया गया है, मानों इससे अधिक भयङ्कर और बीभत्स काल इतिहास में पहले कभी हुआ ही नहीं । राजसत्ता के पक्षपातियों ने इस काल का वर्णन करके यह परिणाम निकाला है, कि मानवीय प्रवृत्तियों में जो सबसे अधिक घृणास्पद तथा रौद्र प्रवृत्तियाँ हैं, राज्यक्रांति में उनका प्रकाशन हो रहा था । पर वास्तविकता क्या है, यह हमें अपना दृष्टि में रखना चाहिये । सम्पूर्ण आतङ्क के राज्य में कुल मिलाकर ४ हजार के लगभग आदमी कतल किये गये थे । यदि हम इसकी तुलना पुराने राजसत्ता के जमाने के कारनामों से करें, तो इसकी भयङ्करता बहुत कुछ कम हो जायेगी । चार्ल्स ५वें के शासन काल में नीदरलैण्ड जैसे छोटे से देश में ५० हजार के लगभग आदमियों को जीने जी आग में जला दिया गया था । सेण्ट्रायों लोमियो के दिन साल में दो हजार से अधिक निरपराध लोगों को तलवार च पाट उतार दिया गया था । राज्यसत्ता के जमाने में राजा तथा उसके अमीर उमरा मानवीय जीवन को जिस प्रकार तुच्छ और अगण्य समझकर अपनी स्वेच्छा से नष्ट करते थे—यह कौन नहीं जानता । इस आतङ्क के राज्य में तो एक विशेष सिद्धांत की दृष्टि में रखकर कुछ ग्रास विकट परिस्थितियों में थे कतल हुए थे, पर इसी काल में इङ्गलैण्ड तथा अन्य देशों के मनुष्य समाज और मानवीय जीवन की क्या दशा थी । इङ्गलैण्ड तथा अमेरिका में इसी काल में

बुच्छ बुच्छ अपराधों पर जितने आदमी कत्ल किये जा रहे थे, या जन्म भर के लिये जेलों में सजाये जा रहे थे। उतने फ्रांस में देश द्रोह के अपराध में कत्ल नहीं किये गये। परन्तु इतना ही है कि फ्रांस में गिन लोगो को मारा गया, वे राजवराने के थे, कुलीन और उच्च श्रेणियों के थे। पर अन्य देशों में जो आदमी कुत्ते की मोत मर रहे थे वे गरीब थे, नीची श्रेणियों के थे। उनका रोना रोने के उस जमाने में कोई न था पर एक कुलीन को गुलेटिन से मारने पर सारा यूरोप काप उठता था। यही कारण है, जिससे फ्रांस के इस आतङ्क के राज्य का इतना बदनाम किया गया है, परन्तु यह ध्रुव सत्य है, कि कत्ला के इस काल में भी फ्रांस की सवसाधारण जनता का जीवन अधिक सुरक्षित, अधिक सम्मानास्पद तथा अधिक सुखी था—उस समय के मुफ्रायले में जब कि पेशों राज्यवश के स्वेच्छाचारी राजा अपने कृपापात्रों व साथ वर्साय के राजप्रासादों में भाग विलास में मस्त रहते थे।

दसवाँ अध्याय

डाइरेक्टरी का शासन

ग्रातङ्क के राज्य का अन्त—रोमस्वियर की मृत्यु के बाद 'ग्रातङ्क का राज्य' समाप्त हो गया। लोगों पर अत्याचार करने के लिये, निघटक हारर अपने स्नेह्याचारी वृत्तियों से भयानक किसम का ग्रातक पेंलाने के लिये भी असाधारण हिम्मत, प्रभाव और व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। रोमस्वियर की मृत्यु के बाद क्रान्तिकारी नेताओं में कोई ऐसा नहीं था, जो उसके समान साहसी और प्रभावशाली हो। इसका अतिरिक्त जनता खूनखराबी से थक चुकी थी। ग्रातकमय शासन का न्याय और समुचित समझ करने के जो भी कारण पहले विद्यमान थे, वे भी अब धीरे धीरे हटते जा रहे थे। अन्तरिक विद्रोह बहुत कुछ शान्त भिये जा चुके थे। विदेशी आक्रान्ताओं को पराजय दिया जा चुका था। १६वें लुई के कतल के बाद विदेशी राजाओं ने भयङ्करता के साथ फ्रांस पर हमला किया था, पर अब इन आक्रमणों का जोर घट चुका था। कानों नाम के क्रान्तिकारी सेनापति ने शत्रुओं का मुफ़ाबला करने के लिये नवी भारी सेना का संगठन किया था। इसमें साठे सात लाख सैनिक थे। इन्हें १३ भागों में विभक्त कर विविध रणक्षेत्रों में शत्रुओं को परास्त कर फ्रांस से बाहर खदेड़ देने के लिये भेज दिया गया था। प्रत्येक सेना के सेनापति के साथ दो दो 'विशेष प्रतिनिधि'

रहते थे। इसका उद्देश्य यह था, कि कहीं सेनापति विद्रोह करके शत्रुओं से न मिल जावें। हमारे और लफायत के उदाहरण ने फ्रांस के क्रान्तिकारियों में सन्देह और अविश्वास की भावनाओं को बहुत प्रबल कर दिया था। जैकोबिन दल के ये 'विशेष प्रतिनिधि' न केवल सेनापतियों को विश्वासघात से रोकते थे, पर साथ ही सैनिकों में क्रान्ति के लिये असाधारण उत्साह और जोश को भी जागृत करते रहते थे। इन सैनिक प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ था, कि फ्रांस के आन्तिका परास्त हो गये थे और क्रान्तिकारी सेनायें फ्रांस की सीमाओं से आगे बढ़ कर जर्मनी और आस्ट्रिया पर आक्रमण कर रही थीं। इस स्थिति में न आन्तरिक विद्रोह और न विदेशी आक्रमण इस आतंक के राज्य को—जो कि विशेष परिस्थितियों में आवश्यक हो गया था, न्याय और समुचित बना सकते थे। परिणाम यह हुआ, कि रोयस्पियर की मृत्यु के साथ ही अपने आप इसकी समाप्ति हो गई और फ्रांस में लोकतन्त्र मिदान्तों के अनुसार रिपब्लिक स्थापित की गई।

नवीन शासन-विधान—यह नवीन शासन-विधान नेशनल कान्वेन्शन ने तैयार किया था, यद्यपि कान्वेन्शन ने विशेष परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर देश के शासन कार्य सार्वजनिक-व्यवस्था-समिति के सुपुर्द कर दिया था, पर स्थिर शासन-विधान बनाने का विचार छोड़ नहीं दिया गया था। १७९५ में यह नवीन शासन-विधान तैयार हो गया। इसमें भी सबसे पूर्व नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की उद्घोषणा की गई। व्यवस्थापन विभाग दो सभाओं द्वारा बनाया गया—पाँच सौ की सभा और बड़ों की परिषद्। बड़ों की परिषद् का सदस्य होने के लिये आवश्यक था, कि उमर ४० साल से बड़ी हो। इस परिषद् के सदस्य के लिये विवाहित व विधुर होना भी आवश्यक था। कोई अविवाहित आदमी इसका सदस्य नहीं बन सकता था। दोनों सभाओं के लिये सदस्य चुनने का अधिकार सम्पूर्ण नागरिकों को नहीं दिया गया

था। पहली बार जो शासन-विधान बना था, उसमें वोट का अधिकार सब लोगों को दे दिया गया था, पर इस बार इसके लिये टैक्स देने की शर्त लगाई गई थी। जो लोग राज्य को किसी किसम का टैक्स नहीं देते थे, उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। शासन का कार्य एक समिति को दिया गया, जिसके सदस्यों की संख्या पाँच नियत की गई। इनका निर्वाचन व्यवस्थापन विभाग द्वारा किया जाता था। इस समिति को 'डाइरेक्टरी', कहते थे। पाँचों सदस्य क्रमशः तीन तीन महीने के लिये 'डाइरेक्टरी' के अध्यक्ष होते थे। जिस की अध्यक्ष होने की बारी होती थी, वही तीन महीने के लिये फ्रांस का राष्ट्रपति समझा जाता था। इस नये शासन विधान से सब लोग सन्तुष्ट नहीं थे। विशेषतया, राजसत्ता के पक्षपाती और पूर्णतया लोकतन्त्र को स्थापना चाहनेवाले क्रान्तिकारी लोग इसे नापसन्द कर रहे थे। राजसत्ता के पक्षपाती तो इससे सन्तुष्ट ही बन हो सकते थे? लोकतन्त्र दल भी इसे अपूर्ण तथा असन्तोषजनक समझता था। कान्फेन्शन को भय था, कि नये चुने हुए सदस्य वही इस शासन विधान को अस्वीकृत न कर दें, अतः उन्होंने व्यवस्था की, कि व्यवस्थापन विभाग की दोनों सभाओं के दो तिहाई सदस्य अवश्य ही कान्फेन्शन के सदस्यों में से चुने जावें। परिणाम यह हुआ, कि कान्फेन्शन के इस हुक्म के परिणाम, नये शासन विधान से असन्तुष्ट लोगों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को शान्त करने का कार्य एक पतले मुँहड़े नौजवान मिपाही के सुपुर्द किया गया था। इसने बड़ी योग्यता और चातुर्य से इस विद्रोह को शान्त किया। इस मिपाही का नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। २६ अक्टूबर १७९५ के दिन कान्फेन्शन वसर्त हो गया और फ्रांस का शासनमूल डाइरेक्टरी के हाथ में चला गया।

डाइरेक्टरी की नई सरकार के सम्मुख सबसे बड़ा प्रश्न विदेशी युद्धों का था। विदेशी आक्रान्ताओं के हमले का पहला जोर तो अत्र

घट चुना था। १७६५ के शुरू में प्रशिया, स्पेन और हालैंड ने फ्रांस से सन्धि कर ली थी। परन्तु इंग्लैंड, आस्ट्रिया, पीटमौण्ट और प्रिन्सिप जर्मन राज्य अथ तब भी फ्रांस के साथ युद्ध में जुटे हुए थे। सेना और युद्ध की दृष्टि से फ्रांस इस समय बहुत अच्छी दशा में था। वे स्वयंसेवक लोग, जो नगे पैर और फटे कपड़े पहने हुए फ्रांस के क्रान्तिकारी सिद्धान्तों को सारी दुनिया में फैला देने के लिये सेना में भर्ती हुए थे, अथ अच्छे कुशल सेनिक बन चुके थे। उनमें कंगल सेनिक क्षमता हा नहीं थी, साथ ही असाधारण उत्साह और जाश भी था। इन सेनाओं के सेनापति भी पुराने कुलीन लोग नहीं थे। कोई भी आदमी सेनापति बन सकता था, यश कि वह अपनी क्षमता साबित कर सके। इतिहास में यह एक नई बात थी। पुराने जमाने में राजा और राजकर्मचारियों की तरह सेनापति पद भी ऊँचे कुलीन लोगों के लिये ही सुरक्षित रहते थे। पर फ्रांस के सभी क्रान्तिकारी सेनापति बहुत साधारण स्थिति के आदमी थे। मूरों एक बकील था। जोर्डन कपड़े बेचने का काम करता था। सुरेट अर्दली रह चुका था। नैपोलियन बोनापार्ट एक शराब बकील का लडका था। यह राज्य की तरह सेना भी सर्वसाधारण जनता की चीज बन चुकी थी। यह क्रान्ति का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिणाम था।

नये आक्रमणों की योजना—नई भावनाओं और उमङ्गों से भरी हुई यह जन-साधारण की सेना विदेशी युद्धों में असाधारण सफलता प्राप्त कर रही थी। डाइरेक्टरी का शासन शुरू होने से पहले ही आस्ट्रियन नीदरलैंड (बेल्जियम) को जीता जा चुका था। रूहाइन नदी के पश्चिमीय तट तक जर्मनी में विजय प्राप्त की जा चुकी थी। नीस और सेवाय पर फ्रांस का कब्जा था। ऐसी स्थिति में डाइरेक्टरी के सम्मुख प्रधान कार्य यही था, कि अन्य शत्रुओं को भी परास्त कर क्रान्ति के सिद्धान्तों की विजय निरपवाद रूप से स्थापित कर दी जाय। क्रान्ति का सबसे बड़ा दुश्मन आस्ट्रिया था। इसलिये डाइरेक्टरी ने

योजना की कि आस्ट्रिया पर दो मार्गों से आक्रमण किया जाय। एक सेना जोर्डन और मूरो के सेनापतित्व में दक्षिणीय जर्मनी के मार्ग से आस्ट्रिया पर हमला करे और दूसरी सेना नेपोलियन बोनापार्ट की अध्यक्षता में उत्तरीय इटली की जोतती हुई दक्षिण की तरफ से आस्ट्रिया पर आक्रमण करे।

नेपोलियन का सेनिक गौरव वास्तविक रूप से इसी आक्रमण से प्रारम्भ हुआ। इन आक्रमणों में नेपोलियन ने जिस असाधारण वीरता और युद्ध की क्षमता का परिचय दिया, उससे सम्पूर्ण यूरोप आश्चर्य-चकित रह गया। इन्हीं शानदार विजयों का परिणाम था, कि नेपोलियन फ्रांस का न केवल सबसे बड़ा सेनापति तथा राज्याधिकारी बन गया, पर कुछ ही समय में सम्राट पद तक पहुँच गया।

नेपोलियन के आक्रमण—उत्तरीय इटली के मार्ग से आस्ट्रिया पर आक्रमण करते हुए नेपोलियन ने सबसे पूर्व पीडमोंट के राजा पर हमला किया। पीडमोंट सुगमता से परास्त हो गया। नीस और सेनाय पर फ्रांस के अधिकार स्वीकृत करने के लिये पीडमोंट के राजा को बाधित किया गया। पीडमोंट के राजा ने इन दोनों प्रदेशों पर अपना अधिकार छानना स्वीकृत कर सन्धि कर ली। इसके बाद नेपोलियन ने उत्तरीय इटली के दो राज्य—लोम्बार्डी और मिलन पर हमला किया। दोनों प्रदेश फ्रांस के आधीन हो गये। १५ मई १७६६ को नेपोलियन ने बड़ा धूमधाम के साथ मिलन की वैभवशाली नगरी में प्रवेश किया।

कैम्पोफोर्मियो की सन्धि—अब आस्ट्रिया पर आक्रमण करने का द्वार खुल गया था। मेन्टुआ और आर्कोल के रणक्षेत्रों में आस्ट्रियन और फ्रेञ्च सेनाओं में लड़ाइयाँ लड़ी गईं। आस्ट्रिया की पराजय हुई। अक्टूबर १७६७ में कैम्पोफोर्मियो नाम के स्थान पर दोनों देशों में सन्धि हो गई, जो कि 'कैम्पोफोर्मियो की सन्धि' के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इस सन्धि के अनुसार आस्ट्रियन नीदरलैंड (बल्जियम)

पर फ्रांस के अधिकार को स्वीकृत किया गया। उत्तरीय इटली के तिन प्रदेशों पर नेपालियन ने विजय प्राप्त की थी, उन्हें समाहित कर एक रिपब्लिक के रूप में परिवर्तित किया गया। इस नई रिपब्लिक का नाम किसल्पाइन रिपब्लिक (आल्प्स पर्वतमाला की दक्षिणवर्ती रिपब्लिक) रखा गया। यह नई रिपब्लिक फ्रांस की सहायता में उसी के नमूने पर बनाई गई थी। आस्ट्रिया ने इस रिपब्लिक को भा स्वीकृत किया। इसके अतिरिक्त, रूहाइन नदी के पश्चिमी तट पर फ्रांस के अधिकार में किसी किसम की बाधा न डालने का वचन आस्ट्रिया की तरफ से दिया गया। इन सब बातों के बदले में वेनिस की प्राचीन रिपब्लिक आस्ट्रिया ने सुपुर्द कर दी गई। वेनिस की रिपब्लिक का भी नेपालियन ने तोत कर अपने अधीन कर लिया था। कैम्पोफॉर्मियो की यह सन्धि मध्य कालीन राजनीतिक सन्धियों का एक अच्छा नमूना है। जनता और देश की जरा भी परवाह किये बिना मिनी के मामूली माल की तरह राज्यों का भी उस जमाने में सौदा होता था। कैम्पोफॉर्मियो में भी नेपालियन ने आस्ट्रिया के साथ इसी तरह का सौदा किया गया था।

इधर तो नेपालियन को यह शानदार विजय प्राप्त हुई थी, उधर जोर्डन और मूरो—जिन्होंने कि दक्षिणाय जर्मनी होकर आस्ट्रिया पर हमला करना था, रूहाइन नदी के तट पर परास्त होकर वापिस लौट गये थे। एक साल के अन्दर-अन्दर ही नेपालियन ने १८ प्रदेश और ५० छोटे-बड़े लड्डे। इन युद्धों के परिणामस्वरूप उसने पाश्चिमी और आस्ट्रिया को परास्त कर फ्रांस से सन्धि करने के लिये बाधित किया। इन लडाइयों का सारा खर्च नेपालियन ने पराजित प्रदेशों से चसूल किया। इतना ही नहीं, अपना सारा खर्च निकाल कर नेपालियन ने १ करोड़ ८० लाख रुपया फ्रांस को भी भेजा। पेरिस के अद्भुतालय (म्यूजियम) को विभूषित करने के लिये वह बहुत वस्तुएँ इटली से ले गया। जब वह फ्रांस लौगा, तो लोगों ने एक भारी विजेता के रूप

में उसका स्वागत किया। निस्सन्देह, इन विजयों के कारण फ्रांस की जनता उसे महान् वीर के रूप में पूजने लग गई।

पेरिस लौटकर नैपोलियन ने कोशिश की, कि वह डाइरेक्टरी का सदस्य चुन लिया जावे। अपनी गत विजयों से उसे भरोसा हो गया था, कि वह इस महत्वपूर्ण पद को सुगमता से प्राप्त कर सकेगा। पर उसे निराशा हुई। उसने अनुभव किया कि अभी समय नहीं आया है। अपनी महत्त्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिये अभी और अधिक आश्चर्यजनक कृत्यों की आवश्यकता है। अभी मैदान भली भाँति तैयार नहीं हुआ है। इसलिये उसने एक अन्य विजय की योजना तैयार की।

विजय की नई योजना—पीडमौन्ट और आस्ट्रिया के साथ सन्धि हो जाने के कारण अब फ्रांस की लड़ाई केवल इङ्ग्लैण्ड से जारी थी। इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस में लड़ाई का कारण केवल क्रान्ति के सिद्धान्त ही नहीं थे। इन दोनों देशों में सामुद्रिक प्रतिस्पर्धा सत्रहवीं सदी से प्रारम्भ हो चुकी थी। इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस—दोनों ही अपना-अपना सामुद्रिक साम्राज्य स्थापित करने के प्रयत्न में थे। अतः इनमें सर्प का ढोना स्वाभाविक था। नैपोलियन का विचार था कि यदि ईजिप्ट को अपने अधीन कर लिया जावे, तो इङ्ग्लैण्ड के पूर्वीय देशों में निरन्तर बढ़ते हुए सामुद्रिक व्यापार तथा राजनीतिक शक्ति को सुगमता से नष्ट किया जा सकता है। यूरोप और एशिया के पारस्परिक सम्बन्ध का मार्ग ईजिप्ट से उत्तर होकर जाता है। ईजिप्ट पर जिसका अधिकार होगा, वह सुगमता से इस मार्ग का नियन्त्रण करेगा। नैपोलियन स्वप्न ले रहा था कि ईजिप्ट को जीतकर मैं भारतवर्ष पर आक्रमण करूँगा। जिस प्रकार बहुत पुराने जमाने में सिकन्दर ने भारत पर हमला किया था, उसी प्रकार मैं भी एक हाथी की पीठ पर बैठकर सारे भारत को जीत लूँगा। उन दिनों भारत में फ्रांसीसी और अङ्गरेज लोग विविध राजाओं का पक्ष लेकर, या विविध राजाओं को अपने हाथ की कटपुतली बनाकर आपस

में शक्ति के लिये सत्रप कर रहे थे। नैपोलियन ने टीपू सुलतान से भी पत्र व्यवहार किया था। भारतवर्ष की विजय पर वह पूर्वी समार का स्वामी बनना चाहता था। वह उस चामत्कारिण तथा रहस्यमय नीति को प्राप्त करना चाहता था, जिसे सिक्न्दर के बाद किसी अन्य पाश्चात्य विजेता ने प्राप्त नहीं किया था। उसका खयाल था, कि यदि इन विजयों के सिलसिले में ही फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय राज्या का कोई नया गुट बना, तो उसका मुकाबला करने की सामर्थ्य मेरे सिवा और किसी में न होगी। स्वभाविक रूप से डाइरेक्टरी मुझे फ्रांस की रक्षा करने के लिये निमन्त्रित करेगी और तब अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिये उपयुक्त अवसर आवेगा। तब फ्रांस के रक्षक के रूप में वापिस आना होगा और अपना मनोरथ सुगमता से पूर्ण हो जायगा।

ईजिप्ट पर आक्रमण—डाइरेक्टरी ने नैपोलियन की योजना को स्वीकृत कर लिया। इङ्ग्लैण्ड को परास्त करने का निस्सन्देह, यह उत्तम उपाय था ४० हजार सैनिकों और एक शक्तिशाली जहाजी बेड़े को, लेनर नैपोलियन ने ईजिप्ट के लिये प्रस्थान किया। नैल्सन के नेतृत्व में इङ्गलिश जल सेना ने फ्रांस के बेड़े को परास्त करना चाहा। पर नैपोलियन उच गया, और ८ जुलाई १७९८ के दिन ईजिप्ट के प्रसिद्ध बन्दरगाह एलेक्जेंड्रिया पहुँच गया। पहली अगस्त को नील नदी के तट पर लड़ाई लड़ी गई। ईजिप्ट परास्त हो गया। ईजिप्ट की जीतने की योजना का परिणाम जय दर्जा की सरकार का हुआ, तो उसने फ्रांस के खिलाफ युद्ध उद्घोषित कर दिया। इसीलिये ईजिप्ट की विजय कर लेने के अनन्तर नैपोलियन ने टर्ना के साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस बीच में इङ्गलिश नौसेनापति नैल्सन फ्रेंच जहाजी बेड़े को नष्ट करने में व्यग्र था। उसे अपने प्रयत्न में सफलता हुई। फ्रेंच बेड़ा पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया। नैपोलियन अपनी सेना के साथ ईजिप्ट में फ्रांस गया। अब वह सामुद्रिक मार्ग से फ्रांस वापिस नहीं जा सकता था।

मैदान तैयार हो चुका था। नेपोलियन अपनी महत्त्वादाता और सुगमता से पूर्ण कर सकता था। राज्य क्रांति की जो लहर अस्ताव्यव ध्वंस के साथ शुरू हुई थी, उसने अब एक नया स्वर स्वीकृत किया था। क्रांति का युग अब समाप्त होना लगा था—उसका स्थान ले रहा था नपोलियन—वह नेपोलियन को कि अपनी सेना का इतिहास निराश्रित रूप में छोड़ कर अपनी वैयक्तिक महत्त्वादाता को पूर्ण करने के लिए काम चापिस आता था।

ग्यारहवाँ अध्याय

नैपोलियन का अभ्युदय

नैपोलियन का कुल—नैपोलियन बोनापार्ट का जन्म १५ अगस्त १७६९ को कोर्सिका द्वीप में हुआ था। यह द्वीप १७६८ तक रिनोआ की रिपब्लिक के अधीन था। नैपोलियन के जन्म से केवल एक वर्ष पूर्व ही इस पर फ्रांस का आधिपत्य स्थापित हुआ था। नैपोलियन के माता पिता इटालियन जाति के थे। उसके पुराना सोलहवीं सदी में इटली से कोर्सिका में आ बसे थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि नैपोलियन जाति और देश—दोनों दृष्टियों से फ्रेञ्च नहीं था। उसकी जन्मभूमि फ्रांस के अधीन थी और स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये कोशिश कर रही थी। नैपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। कहने को तो यह परिवार कुलीन श्रेणी का था, पर वस्तुतः इसके पास जमीन जायदाद का सर्वथा अभाव था। अन्य बहुत से कुलीन लोगों की तरह कार्लो बोनापार्ट का परिवार भी अब गरीब हो चुका था—कुलीनता तथा उच्चता की स्मृति हो शेष रह गई थी। कार्लो बोनापार्ट वकालत का पेशा करता था। वकालत से उसे इतनी आमदनी नहीं थी, कि अपने विशाल परिवार का खर्च सुगमता से चला सके। उसकी आठ सन्तानें थीं। इतने बड़े परिवार को पाल सकना उसके लिये बहुत कठिन बात थी। इसलिये उसने दो

बड़े लडकों—जोसफ और नेपोलियन को फ्रांस में शिक्षा दिलाने का निश्चय किया। जोसफ को पुरोहिताई का पेशा सिखाया गया और नेपोलियन को ब्रीन के सैनिक शिक्षणालय में भर्ती करा दिया गया। सैनिक शिक्षा प्रारम्भ करने के समय नेपोलियन की आयु केवल १० वर्ष की थी। फ्रेंच भाषा का प्रारम्भिक ज्ञान उसने फ्रांस आकर ही प्राप्त किया था। उसकी मातृ भाषा इटालियन थी।

सैनिक शिक्षा—ब्रीन के सैनिक शिक्षणालय में नेपोलियन का जीवन बड़ी मुसीबत में गुजरा। वहाँ के सभी निद्यार्थी उच्च कुलीन श्रेणी के तथा अमीर थे। वे नेपोलियन को बहुत तग करते थे, उसकी गरीबी पर मजाफ उड़ाया करते थे। एक बार नेपोलियन ने अपने पिता को पत्र में लिखा था—‘ये बेशर्म लडके मेरी गरीबी पर जिस ढंग से मजाफ उड़ाते हैं, उससे मैं थक गया हूँ। ये लोग केवल सम्पत्ति में ही मुक्तसे ज्यादा हैं। वास्तविक योग्यता में ये लोग मेरा मुफ्तला नहीं कर सकते।’ इस शिक्षणालय में फ्रेंच विद्यार्थियों के साथ पढ़ते हुए नेपोलियन में अपनी मातृ भूमि का स्वतन्त्र कराने की भावना भी निरन्तर प्रबल होता गई।

सैनिक शिक्षा समाप्त कर लेने पर नेपोलियन को सेना में लेफ्टिनेन्ट के पद पर नियत किया गया। उसे विशेष उन्नति की कोई आशा नहीं थी। अभी तक फ्रांस में १६वें लुई का एकतरा राज्य कायम था। सब जगह कुलीना और अमीरों की पूछ थी। नेपोलियन गरीब तथा साधारण स्थिति का आदमी था। उसकी तैफारिश करनेवाला कोई प्रभावशाली आदमी न था। फिर वह उन्नति किस प्रकार कर सकता? इसी बीच में उसके पिता की मृत्यु हो गई। वह गरीब परिवार—जिसके प्रत्येक व्यक्ति में एक दिन राजा व रानी के पद तक पहुँचना था, जिसके समान सौभाग्यशाली परिवार सम्भवतः इतिहास में अन्य कोई नहीं हुआ, कालों रोनापार्ट की मृत्यु से अब सर्वथा आश्रयहीन

ने जब आस्ट्रिया पर विजय करने के लिये आक्रमण की योजना की तो डा० चैरा के प्रयत्न तथा श्रीमती बोहार्निस के प्रभाव से उसे उत्तरीय इटली होकर आस्ट्रिया पर आक्रमण करनेवाली सेना का प्रधान सेनापति नियत किया गया। इस इटालियन आक्रमण के समय नैपोलियन की आयु केवल २६ वर्ष की थी। वह ५ फीट २ इंच ऊँचा था। उसका शरीर पीला पतला सुकड़ा तथा देखने में बहुत कमजोर मालूम होता था। इस पतले सुकड़े नौजवान को जिस सेना का सेनापतित्व दिया गया था, उसके अन्य बहुत से अपसर उसकी अपेक्षा बहुत अधिक आयु के तथा अनुभवी थे। पर नैपोलियन ने इस आक्रमण में जिस वीरता तथा प्रतिभा का परिचय दिया, उससे वह अपनी सेना का हृदयेश्वर बन गया। इतना ही नहीं, सारा फ्रांस और सारा यूरोप इस नौजवान की प्रतिभा से आश्चर्य चकित सा रह गया।

इटालियन आक्रमण—नैपोलियन ने जिस प्रकार इटालियन आक्रमण में सफलता प्राप्त की, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। उसके हृदय में अभी से वे महत्वाकाङ्क्षाएँ विद्यमान थीं, जिन्होंने आगे चलकर उसे सम्राट् पद तक पहुँचा दिया। वह डाइरेक्टरी के आधीन सेनापतिमात्र बने रहने से सन्तुष्ट नहीं रह सकता था। वह सम्राट् बनना चाहता था। यही कारण है, कि जब मिलन की विजय की गई, तो नैपोलियन ने आकाशवादी दरवार लगाया, मिलन के समीप एक सुन्दर स्थान पर नैपोलियन का शानदार दरवार लगा। फ्रेंच सेना के सब सेनापति तथा नायक निश्चित वर्दी पहनकर दरवारी तराँके से एकत्रित हुए। बीच में ऊँचे सिंहासन पर नैपोलियन विराजमान हुआ। इटली के बहुत से बड़े बड़े वैभवशाली अमीर आदमी इन नौजवान विजेता के दर्शनों के लिये पधारे। नैपोलियन का एक दृष्टिपात उनके लिये अहोभाग्य की बात थी।

इस दरबार के सिलसिले में नैपोलियन ने एक बातचीत में कहा था—अब तक जो कुछ मैंने किया है, वह तो कुछ भी नहीं है। यह तो एक शानदार सफलताओं का प्रारम्भमान है। क्या तुम समझते हो, कि इटली में जो विजय मैंने प्राप्त की है, वे डाइरेक्टरी के वकीलों के लिये हैं? क्या तुम समझते हो, कि मेरा उद्देश्य वस्तुतः रिपब्लिक की स्थापना है? कैसा पिजूल खयाल है? डाइरेक्टरी मुझसे सेनापतित्व लेकर तो देखे, मालूम पड़ जायगा असली मालिन कौन है? राष्ट्र को एक स्वामी की आवश्यकता है, पर वह स्वामी राज्य शास्त्र के सिद्धांतों पर बहस करनेवाला नहीं होना चाहिये, अपितु शानदार कृत्यों से उसकी कीर्ति उज्ज्वल हुई होना चाहिये।

निस्सन्देह, नैपोलियन का यही राजनीतिक सिद्धांत था। जिस समय वह राज्यक्रांति की विजयपताका आल्प्स की पर्वतमाला पर पहरा रहा था, उस समय भी वह १६ वें लुई की तरह दरबार लगाने की फिर में था, उस समय भी वह रिपब्लिक का अंत कर स्वयं सम्राट् बनने का स्वप्न ले रहा था। कोसिका के एक गरीब वकील का लड़का इस छोटी सी उमर में न केवल प्राप्त अपितु सम्पूर्ण यूरोप का बादशाह बनने की धुन में था। उसकी यह आकांक्षा कितनी महान् थी, पर उसमें उसे सफलता भी कितने शानदार रूप में प्राप्त हुई।

उत्तरीय इटली की विजय और आस्ट्रिया के साथ सन्धि कर चुम्ने के अनन्तर नैपोलियन प्राप्त वापिस आया। पर अभी उपयुक्त समय नहीं आया था। वह ईजिप्ट चला गया। वहाँ बहुत सफलता प्राप्त नहीं हुई। एकर के मैदान में तुर्की सेनाओं ने उसे परास्त किया। पर दूर बैठे हुए फ्रेंच लोगों के लिये ईजिप्ट में वह असाधारण रूप से उज्ज्वल कारनामों कर रहा था। जब प्राप्त के विरुद्ध यूरोपियन राज्यों का नया गुट तैयार हुआ, तो नैपोलियन अपनी सेना को टुकड़ा छोड़-

कर स्वयं वापिस चला आया। जिस अवसर की वह प्रतीक्षा कर रहा था वह अब उपस्थित हो गया था।

डाइरेक्टरी का अन्त—यूरोपियन राज्यों का मुकाबला करने के लिये फ्रांस को एक योग्य सेनापति की आवश्यकता थी। डाइरेक्टरी ने वकील और भद्रपुरुष इस विकट परिस्थिति में फ्रांस की रक्षा नहीं कर सकते थे। डाइरेक्टरी का शासन भी सर्वथा असन्तोषजनक था। परिणाम यह हुआ, कि नेपोलियन के नेतृत्व में डाइरेक्टरी का अन्त करने के लिये एक पड़्यन्न तैयार किया गया। व्यवस्थापन विभाग की दोनों सभाओं में अनेक सदस्य इन पड़्यन्नकारियों के साथी तथा सहायक थे। यह निश्चय किया गया, कि नेपोलियन अपने विश्वासपात्र सिपाहियों के साथ 'पाँच सौ की सभा' पर हमला करे, और वहाँ जाकर अपने विरोधियों को बाहर निकाल दे। ऐसा ही किया गया। ६ नवम्बर १७९९ के दिन जब 'पाँच सौ की सभा' का अधिवेशन हो रहा था, नेपोलियन ने अपने सिपाहियों के साथ सभा भवन को घेर लिया। विरोधियों को एक एक करके बाहर कर दिया गया। केवल वे ही लोग बच गये, जो नेपोलियन के साथी या पक्षपाती थे। लूसियन बोनापार्ट के—यह नेपोलियन का भाई था और पाँच सौ की सभा का अन्यतम सदस्य था—सभापतित्व में 'पाँच सौ की सभा' का या उसके सख्खर का अधिवेशन किया गया और निश्चय हुआ कि डाइरेक्टरी की सरकार का अन्त कर शासनशक्ति तीन 'कॉन्सुल' के हाथ में दे दी जाय, प्रधान कान्सल नेपोलियन बोनापार्ट को बनाया जाय और ये तीनों कान्सल देश के लिये एक नवीन शासन-विधान को तैयार करें। डाइरेक्टरी का अन्त हो गया, और नेपोलियन के लिये अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का द्वार खुल गया।

नवीन शासन विधान—नवीन शासन विधान का निर्माण करने में बहुत देर नहीं लगी। यह नया विधान मुख्यतया नेपोलियन की कृति

था। इसमें चार सभाओं की रचना की गई। एक सभा का कार्य कानून प्रस्तावित करना था, दूसरी सभा उस पर सहमत करती थी। तीसरी सभा उस पर वोट देने के लिये थी और चौथी सभा यह निर्णय करती थी कि कानून शासन विधान के अनुकूल है या प्रतिफल। इन सभाओं में सबसे प्रधान स्थान पन्ती सभा को था, जिसे राज्य परिषद् कहने थे। यह केवल कानून प्रस्तावित ही नहीं करती थी, साथ ही कानून का प्रयोग करना, शासन करना, विदेशी मामला तथा सेना का प्रबन्ध करना भी उसी का कार्य था। नेपोलियन बोनापार्ट स्वयं इस सभा-सभापति बना और इसमें सब दलों के बुद्धिमान् लोगों का रखा गया। 'कौंसल' की व्यवस्था पहले के समान ही रखी गई और नेपोलियन को ही प्रधान कौंसल बनाया गया।

केन्द्रीय सरकार में इन परिवर्तनों के अतिरिक्त प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारों के स्वरूप में भी बहुत से परिवर्तन किये गये। नेपोलियन राजशक्ति को एक केन्द्र में केन्द्रित करना चाहता था। वह सारे देश का शासन पेरिस से ही सञ्चालित करना चाहता था। इसलिये उसने प्रत्येक प्रान्त में केन्द्रीय सरकार की तरफ से एक एक सभेदार को नियत करने की व्यवस्था की। इसी प्रकार प्रत्येक प्रान्त के अन्व छोटे विभागों में नायब सभेदार नियत किये गये। नगरों के मेयर तथा पुलिस के प्रधान कर्मचारी तब केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किये जाने लगे। और क्योंकि केन्द्रीय सरकार में वास्तविक शक्ति प्रधान कौंसल अथवा नेपोलियन के पास थी, अतः इन सब व्यवस्थाओं की नियुक्ति उसी के हाथों में आ गई। देश के वास्तविक शासन में लॉससत्तावाद के तत्त्व नष्ट हो गये, फिर से पुराने राजसत्ता के युग की स्थापना का मूकपात हुआ। राज्यमन्त्रि का प्रमुख तत्त्व यही था कि राज्यशक्ति को लोगों के हाथों में दिया जाय, उनका शासन कानून रहे और जिस प्रकार रहे—इसका निर्णय वे स्वयं करें। पर १७९६ के इन नये शासन विधान ने

इस सत्र पर पानी फेर दिया। प्रान्तीय और स्थानीय सभाओं का महत्त्व लुप्त हो गया। वास्तविक शक्ति इन सूबेदारों और नायक सूबेदारों के हाथ में आ गई, जो प्रधान कांसल के निम्मेवार थे, जनता के प्रति नहीं।

जनता द्वारा स्वीकृति—नेपालियन शासन के मामलों में जनता का इच्छा जो कोई महत्त्व न देता था। वह कहता था, मामूली लोग राज राज के मामलों में जानते ही क्या हैं? यहाँ तक उसमें और १६वें लुई में कोई भेद न था। पर उसका यह भी खयाल था कि शासन का प्रकार क्या हो—इस विषय में सर्वसाधारण को अपनी राय प्रकट करने का अधिकार है। यहाँ पर वह १६वें लुई से मतभेद रखता था। अपने विचारों के अनुसार उसने आवश्यक समझा, कि नये शासन विधान का जनता द्वारा स्वीकृत करा लिया जावे। जनता की सम्मति ली गई। तीस लाख से अधिक लोगों ने नये शासन विधान के पक्ष में वोट दिया। विरोध में सम्मति देनेवालों की संख्या १५६२ थी। यह नहीं समझना चाहिये, कि अधिकांश जनता इस शासन विधान से संतुष्ट था। बहुत से लोग इसमें परिवर्तन चाहते थे, पर उन्हें तो केवल पक्ष में या विपक्ष में वोट देना था। इसे सर्वथा अस्वीकृत कर देने की अपेक्षा व पक्ष में वोट देना अधिक अच्छा समझते थे। बहुत से प्रश्न ऐसे हान हैं, जिन पर 'हाँ' या 'नहीं' में सम्मति नहीं दी जा सकती। शासन विधान तो मुख्यतया इसी तरह का विषय है। नेपालियन की इस सफलता का प्रधान कारण यह है, कि लोग एक स्थिर सरकार चाहते थे। अयत्नस्था और अस्थिरता से वे ऊब चुके थे। उन्हें आशा थी कि नेपालियन जसा गहाटुर आदमी जहाँ विदेशी शत्रुओं का परास्त करने में सफल होगा, वहाँ देश में भी व्यवस्था स्थापन रख सकेगा।

नेपालियन प्रधान कोमल बन गया। वह वस्तुतः देश का राजा था पर नाम में नहीं। नेपालियन इससे संतुष्ट नहीं रह सकता था। उसकी हादक महत्त्वाकांक्षा के पूरे होने में अभी कुछ कसर था।

बारहवाँ अध्याय

प्रधान कान्सल के रूप में नैपोलियन का शासन

यूरोपियन राज्यों का नया गुट—फ्रांस के खिलाफ यूरोपियन राज्यों का जो नया गुट बना था, जिसके कारण नेपोलियन को अपने अभ्युदय का यह सुवर्णवसर मिला था; उसमें इङ्ग्लैण्ड, रशिया, आस्ट्रिया और टर्की, ये चार राज्य शामिल थे। यह नया गुट क्यों बना था, इस बात की व्याख्या की जरूरत है। इसे भली भाँति समझने के लिये डाइरेक्टरी के शासन की कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करने की आवश्यकता होगी।

नये रिपब्लिकन राज्यों की स्थापना—कैम्पो फोर्मियो की सन्धि के बाद (नवम्बर १७९७) फ्रांस यूरोप के किसी भी देश के साथ युद्ध में व्याप्त न रहा था। उस समय में भी अगर कोई शक्ति फ्रांस से सघर्ष कर रही थी, तो वह थी इङ्ग्लैण्ड। पर इङ्ग्लैण्ड के युद्धों का यूरोप से कोई सम्बन्ध न था। इस प्रकार यूरोपियन राज्यों की फ्रांस से पूर्ण सन्धि थी। पर इस बीच में भी—इस सन्धि और शान्ति के काल में भी—फ्रांस का क्रान्तिकारी सिद्धान्त समीप के अन्य देशों में क्रान्ति की भावना फैला रहे थे। फ्रेंच रिपब्लिक के नमूने पर समीप के राज्यों में नवीन शासन-विधानों की स्थापना हो रही थी। उत्तरीय इटली में फिसल्याइन रिपब्लिक की

स्थापना कर दी गई थी। नीदरलैंड से राजतन्त्र नाट कर रिपब्लिक बना दी गई थी। इस नई रिपब्लिक का नाम वैदेवियन रिपब्लिक रखा गया। फ्रांस के क्रान्तिकारों ने उत्तरा इंग्लैंड का एक अन्य प्राचीन राज्य विनोआ में क्रान्ति कराते वहाँ भी लिगुरियन रिपब्लिक के नाम से एक नये लोकतन्त्र राज्य की स्थापना की थी। नई रिपब्लिकों का सिलसिला यहाँ पर खतम नहीं हुआ। नेपालियन का भाई जोसफ बोनापार्ट रोम में फ्रांस का राजदूत था। उसने उकसाने पर रोम में विद्रोह हुआ। वहाँ के क्रान्तिकारी लोग पाप के शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए। खुल्लम खुल्ला गदर हो गया। इस गदर में एक फ्राँच सेनापति मारा गया। फ्राँच सेनापति का मारा जाना डाइरेक्टरी के लिये काफी अच्छा बहाना था। उन्होंने एक सेना रोम में पोप के शासन का अन्त कर रिपब्लिक स्थापित करने के लिये खाना कर दी। इस सेना की मदद से रोम में रिपब्लिक की स्थापना की गई। पोप का अपमान किया गया। धार्मिक तथा राजकीय चिन्हों को छीन कर उसे रोम से बाहर निकाल दिया गया। इस प्रकार रोमन रिपब्लिक स्थापित हो गई। स्विट्जरलैंड में भी इसी ढङ्ग से फ्रेञ्च नमूने पर हेल्वेटिक रिपब्लिक कायम की गई। इस देश में पहले भी राजतन्त्र शासन विद्यमान न था। स्विट्जरलैंड अनेक छोटे छोटे प्रदेशों में, जिन्हें कैण्टन कहा जाता है, विभक्त था। प्रत्येक कैण्टन को एक अलग अलग सरकार थी और कुछ कैण्टन अन्य अधिभू शक्तिशाली कैण्टनों के अधीन थे। इस प्रकार इन विविध कैण्टनों में एक विशेष प्रकार का संगठन भी बना हुआ था। शासन कुलीन धेरियों के हाथ में था। कुछ आन्तरिक झगडा से लाभ उठाकर फ्रेञ्च सेना ने स्विट्जरलैंड पर आक्रमण किया और वहाँ के शासन का अन्त कर हेल्वेटिक रिपब्लिक की स्थापना कर दी। नेपल्स में भी यही हुआ। पोप के राज्य में रिपब्लिक की स्थापना से नेपल्स का राजा बहुत भयभीत हो गया था। उसका खयाल था, कि यदि अपनी राजगद्दी को

कायम रखना है, तो रोम में फिर से पोप के आधिपत्य को स्थापित करना चाहिये। इसलिये उसने इङ्ग्लैंड के साथ मिल कर फ्रांस के विरुद्ध युद्ध चढ़ा दिया। फ्रांस की एक सेना ने नेपल्स पर आक्रमण किया। रात की रात में नेपल्स परास्त हो गया। वहाँ भी पुराने राजतन्त्र राज्य का अन्त कर एक नवीन रिपब्लिक की स्थापना की गई और उसका नाम पर्थेनोपियन रिपब्लिक रखा गया। इसके कुछ ही दिनों बाद फ्रांस की सेनाओं ने पीडमोंट पर आक्रमण किया। पीडमोंट परास्त हो गया। वहाँ का राजा भाग कर सार्डिनिया के द्वीप में चला गया। पीडमोंट पर भी फ्रांस का आधिपत्य कायम हो गया।

ये सब घटनायें डार्रेक्टरा के शासन काल में हुई थीं। इनका परिणाम यह हुआ, कि फ्रांस की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और सम्पूर्ण इटली पर फ्रांस का आधिपत्य हो गया। ये जो नई रिपब्लिक बनी थीं, वे पूर्णतया फ्रांस के प्रभाव में थीं। फ्रांस सर्वत्र विजयी हो रहा था।

नये गुट का निर्माण—फ्रांस की यह असाधारण सफलता अन्य यूरोपीय राज्यों को सहन न हुई। इसके अतिरिक्त, क्रान्तिकारी सिद्धान्तों का इस प्रकार विस्तार एकतन्त्र राजाओं के लिये भयंकर खतरा था। यही कारण है कि इङ्ग्लैंड अन्य अनेक राज्यों को फ्रांस के खिलाफ लड़ने के लिये मुगमता से तैयार कर सका। रशिया का जार पाल (राज्यारोहण काल १७६६ ई०) क्रान्ति का कट्टर दुश्मन था। इङ्ग्लैंड के चतुर प्रधान मन्त्री पिट ने इस शक्तिशाली सम्राट को फ्रांस के खिलाफ लड़ने के लिये तैयार कर लिया। निश्चय हुआ, कि जार अपनी सेनायें फ्रांस से युद्ध करने के लिये भेजेगा और उनका खर्च इङ्ग्लैंड देगा। फ्रांस को कुचलने के इस भगीरथ प्रयत्न में सहायता देने में आस्ट्रिया को हार्दिक खुशी थी। वह भी इङ्ग्लैंड और रशिया के साथ सम्मिलित हो गया। नेपोलियन

के इंग्लिशियन युद्धों के कारण टर्की के सुलतान ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध उद्घोषित कर दिया था—इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इस प्रकार टाइरेक्टरी के शासनकाल में ही इन चार राज्यों का नया गुट फ्रांस के विरुद्ध बन गया था। इसी गुट का मुकाबला करने में टाइरेक्टरी की असमर्थता पाकर नैपोलियन ने पट्यन्त्र किया था और अब प्रधान कौन्सल के पद पर अधिष्ठित होकर नैपोलियन को सबसे पहले इसी का मुकाबला करना था।

युद्ध का प्रारम्भ—यूरोपियन राज्यों का यह नया गुट फ्रांस के लिये बहुत हानिकारक मिड हुआ। एक दम परिस्थिति ने पलटों रखा। जो फ्रांस पहले सर्वत्र विजयी और सफल हो रहा था, वह अब सब तरफ से आक्रान्त हो गया। आस्ट्रियन सेनाओं ने फ्रांस को दक्षिणीय जर्मनी में परास्त किया। रशियन सेनापति सुवेराफ ने आस्ट्रिया की सहायता में उत्तरीय इटली से फ्रेंच सेनाओं को निकाल बाहर कर दिया। इटली ने फ्रांस का कब्जा उठ गया। इसके बाद सुवेराफ ने स्विट्जरलैंड पर हमला किया। उसे आशा थी, कि एक अन्य रशियन सेना जो उत्तर की तरफ से स्विट्जरलैंड को फ्रेंच अधीनता से मुक्त करने के लिये आक्रमण कर रही थी उसकी सहायता उसे प्राप्त हो जावेगी और ये दोनों रशियन सेनाएँ मिलकर स्विट्जरलैंड को स्वतन्त्र करा देंगी। पर उसे निराश होना पड़ा। जिस रशियन सेना ने उत्तर की तरफ से हमला किया था, वह फ्रेंच लोगों द्वारा परास्त की जा चुकी थी। सुवेराफ बहुत भयंकर कठिनाइयों का मुकाबला कर स्विट्जरलैंड पहुँचा था। उसे आल्प्स पर्वतमाला के विकट दरों को लाँघना पड़ा था। इतनी कठिनाइयों का मुकाबला कर जब उसे निराश होना पड़ा, तो रशिया का जार पवरा गया। उसने समझा कि आस्ट्रिया को बेईमानों और साजिशें रशियन सेना की असफलता की हेतु हैं। उसने आस्ट्रिया से मब सम्बन्ध विच्छिन्न कर दिया और सुवेराफ को वापिस बुला लिया।

नेपोलियन द्वारा सन्धि का प्रयत्न—इसी बीच में फ्रांस में डाइरेक्टरी का पतन हुआ और नेपोलियन के एकाधिकार का सूत्रपात हुआ। प्रधान कौन्सल नेपोलियन ने इङ्ग्लैंड के राजा ज्यार्ज तृतीय और आस्ट्रियान सम्राट फ्रांसिस द्वितीय को वैयक्तिक व पत्र भेजे। उसने लिखा—युद्ध करने से क्या लाभ है। यूरोप के पवित्र और धार्मिक सम्राट् आपस में क्यों लड़ें? व्यापार, व्यवसाय, सुख समृद्धि और शान्ति के महान् लाभों को क्यों गले बड़प्पन के लिये क्यों कुर्बान किया जाय? नेपोलियन के इस सन्देश पर इङ्गलैण्ड ने कोई ध्यान नहीं दिया। प्रधान मन्त्री पिट ने उत्तर में लिखा, कि युद्ध की वास्तविक उत्तरदायिता फ्रांस पर है। यदि फ्रांस को सचमुच शान्ति की इच्छा है, तो उसका एकमात्र उपाय यह है कि फ्रांस से बोंबों राजवंश का एकच्छत्र शासन स्थापित किया जाय। आस्ट्रिया का उत्तर भी इसी प्रकार निराशाजनक था। नेपोलियन ने शान्ति के लिये जो हाथ बढ़ाया था, इन दोनों राज्यों ने उसे घृणापूर्वक टुकरा दिया। परिणाम यह हुआ, कि नेपोलियन ने युद्ध के लिये बड़े जोर से तैयारी शुरू कर दी।

आस्ट्रिया की पराजय—आस्ट्रिया पर दो तरफ से आक्रमण करने की योजना की गई। सेनापति मूरो को रूहाइन की तरफ से आक्रमण के लिये भेजा गया। नेपोलियन ने स्वयं आल्पस की विकट और दुर्गम पर्वत-माला को पार कर सीधा आस्ट्रिया पर हमला करने का निश्चय किया। आस्ट्रिया पर हमला करने का यह बहुत ही विकट मार्ग था। सम्भवतः, प्रसिद्ध कायेंजियन सेनापति हैनीवाल के बाद किसी अन्य सेनापति ने इस मार्ग का अवलम्बन करने का साहस नहीं किया था। उस समय में आल्पस की पर्वतमाला पर कोई सड़क विद्यमान नहीं थी। इसलिये मोटे मोटे बूतों के तनों को गोमला कर उनमें तोपों को बन्द किया गया, और इस प्रकार बूतों के तनों को लुढ़गा लुढ़गा कर आल्पस को पार किया गया। आस्ट्रियन लोगों को न्यून में भी सम्भावना नहीं थी,

कि आल्पस की दुर्गम पर्वतमाला को पार कर कोई सेना उन पर आक्रमण कर सकती है। जब नैपोलियन आस्ट्रिया के मैदान में अपनी सेना सहित प्रवेश कर गया, तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। मनास नामक रणक्षेत्र में १४ जुलाई सन् १८०० के दिन भयङ्कर लड़ाई हुई। नैपोलियन की विजय हुई। आस्ट्रियन सेना बुरी तरह परास्त हो गई। दूसरी तरफ सेनापति मूरो भी निरन्तर आगे बढ़ रहा था। होहनलिएटन नामक स्थान पर उसने आस्ट्रियन सेना का परास्त किया। इन दो पराजयों का परिणाम था, कि आस्ट्रिया को सन्धि के लिये प्रार्थना करने को बाधित होना पड़ा। अक्टोबर ६ परवरी १८०१ को फ्रांस और आस्ट्रिया में सन्धि हो गई। यह सन्धि लूनविल की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें प्रधानतया कैम्पोफीर्मियो की सन्धि की शर्तों को ही फिर से दुहराया गया। आस्ट्रियन नीदरलैंड पर फ्रांस का अधिकार स्वीकृत किया गया। वेंटे-मियन, हेल्वेटिक, लिगूरियन, और फिसलवाइन रिपब्लिकों को पुनः सगठित किया गया और इनकी फ्रांस के अधीन सत्ता को आस्ट्रिया ने स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त, रूहाइन नदी के दायें तट पर भी फ्रांस के अधिकार को स्वीकृत किया गया। लूनविल की इस सन्धि से फ्रांस की स्थिति बहुत ऊँची हो गई। यूरोपियन राज्यों के दूसरे गुट ने उस को कुछ नुकसान पहुँचाया था, वह सब दूर हो गया।

आर्मीन की सन्धि—आस्ट्रिया के साथ सन्धि हो जाने पर अन्य राज्यों से सन्धि का मार्ग साफ हो गया। रशिया तो पहले ही आस्ट्रिया से नाराज होकर युद्ध से पृथक् हो गया था। इङ्गलैंड की शक्ति विशेष रूप से समुद्र में थी। इंग्लैंड में विद्यमान फ्रेञ्च सेना को (वह सेना जिसे लेकर नैपोलियन इंग्लैंड की विजय के लिये गया था, और जिसे निराश्रय छोड़कर वह स्वयं टाइरेक्टरी का अन्त करने के लिये फ्रांस चला आया था) इङ्गलिश जहाजी बेड़ा परास्त कर चुका था। अंग और अधिन युद्ध जारी रखना निरर्थक था। फ्रांस और इङ्गलैंड में भी

आखिरकार सन्धि हो गई, जो कि आमीन की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। फ्रांस और इङ्ग्लैण्ड में आठ साल से निरन्तर युद्ध जारी था। दोनों राज्य अपनी सामुद्रिक प्रभुता तथा साम्राज्य विस्तार के लिये संघर्ष कर रहे थे। पिट फ्रांस का कट्टर शत्रु था। वह फ्रांस के पतन में ही इङ्ग्लैण्ड का अभ्युदय देखता था। १८०२ में पिट प्रधानमंत्री न रहा। उसने पतन के अनन्तर ही फ्रांस के साथ सन्धि सम्भव हो सकी। आमीन का इस सन्धि के अनुसार इङ्ग्लैण्ड ने फ्रांस की नवीन सरकार की सत्ता को स्वीकार किया। सीलोन और ट्रिनिडाड के अतिरिक्त अन्य सब फ्रेञ्च उपनिवेश जो कि पिछले युद्धों में इङ्ग्लैण्ड ने फ्रांस से जीत कर अपने आधीन कर लिये थे—फ्रांस को वापिस दे दिये गए। लूनविल की सन्धि की सब शर्तों को इङ्ग्लैण्ड ने स्वीकार किया। फ्रांस की राज्यक्रांति के बाद अब पहला अवसर था, जब कि यूरोप में लड़ाई रुक कर शान्ति की स्थापना हुई थी।

नेपोलियन का विधायक कार्य—यूरोपियन राज्यों से युद्ध की समाप्ति के पश्चात् नेपोलियन ने अपनी शक्ति का उपयोग फ्रांस में व्यवस्था और शान्ति का स्थापित करने के लिये किया। नेपोलियन केवल अनुपम योद्धा और विजेता ही नहीं था, विधायक कार्यों में भी उसकी असाधारण शक्ति और क्षमता प्रकट हुई थी। क्रांति के कारण फ्रांस में पुराने जमाने का तो अन्त हो गया था, पुरानी संस्थाएँ नष्ट हो गई थी, पर नवीन रचना और नवयुग की स्थापना का कार्य अभी तक नहीं किया जा सका था। रिपब्लिक के समय में भी इसके लिये प्रयत्न किया गया। पर आन्तरिक और बाह्य युद्धों के कारण क्रांति कारियाँ का इसके लिये उपयुक्त अवसर नहीं प्राप्त हो सका। अब इतने समय बाद इन युद्धों का अन्त हुआ था। अब इस बात का अवसर आया था, कि नये युग की स्थापना की जाय। इसमें सन्देह नहीं, कि नेपोलियन ने यह कार्य पर्याप्त सफलता के साथ सम्पन्न किया। नेपोलियन

बाहर से यही प्रदर्शित करता था, कि वह राज्य क्रांति के सिद्धांतों को ही क्रिया में परिणित कर रहा है। स्वाधीनता, गमानता, और भ्रान्तभाव—के उदात्त सिद्धान्तों का ही उससे अनुसरण करना है। क्रांति की नई कृतियों—रिपब्लिक, मनुष्यमात्र को मताधिकार, सामाजिक समता आदि को उससे अक्षुण्ण रखना है। पर मुँह से यह कहते हुए भी वस्तुतः नेपोलियन राजनीतिक स्वाधीनता की जड़ पर कुटाराघात कर रहा था। वह शासन और व्यवस्थापन की सम्पूर्ण शक्ति को अपने ही हाथों में रखना चाहता था। और तो और रहा, न्यायालय भी वस्तुतः उसी के कब्जे में थे। पुलिस भी उसके इशारों पर नाचती थी। कानूनों का इस ढङ्ग से प्रयोग किया जा रहा था, मानों फ्रांस में पौजी कानून जारी हो। परन्तु बाहर से लोकतन्त्र शासन के सम्पूर्ण टाँचे को कायम रखा गया था। बाहरी शरीर लोकतन्त्र और रिपब्लिक का था। पर असली शासन एक व्यक्ति की इच्छा पर आश्रित बन गया था। नेपोलियन का विश्वास था, कि फ्रांस को एक शक्तिशाली और मजबूत शासन की जरूरत है, जो कि देश में व्यवस्था और शान्ति स्थापित कर सके। निस्सन्देह, नेपोलियन का यह विचार ठीक था। पुराने मदभेद, पार्टीबन्दी और झगड़ों का अन्त करने के लिये उसने सब दलों के लोगों को एक समान रूप से राजनीतिक पद दिये। देश से बहिष्कृत कुलीन श्रेणी के तथा उच्च पुरोहित श्रेणी के लोगों को फिर से वापिस आने की अनुमति दी। एप्रिल १०८२ में क्रांति के विरुद्ध अपराध करनेवालों को एक सार्वजनिक उद्घोषणा द्वारा क्षमा प्रदान की गई, और इसके परिणामस्वरूप ४० हजार से अधिक परिवार फ्रांस वापिस लौट आये। क्रांति के समय की बहुत सी बातों को हटा दिया गया। अब प्रत्येक आदमी के लिये यह आवश्यक नहीं रह गया, कि वह दूसरे को 'नागरिक'—इस शब्द से ही सम्बोधन करे। अब कुल और स्थिति के अनुसार 'श्रीमान्', 'हज़ूर' आदि शब्दों का पुनः प्रयोग होने लगा। नेपोलियन के

रहन सहन में भी अन्तर आने लगा। दुर्दलरी के राजप्रासाद में फिर रौनक, शानशौकत और धूमधाम नजर आने लगी। बोर्बों वंश के राजाओं का स्थान कोर्मिका के गरीब वकील के लड़के ने ले लिया। कलेवर दूसरा था, पर आत्मा वही थी। नये रूप में फिर से बोर्बो डंग का एकतन्त्र राज्य फ्रांस में स्थापित हो गया। फ्रांस ने क्रांति की ओर जो पग बढ़ाया था, वह मार्ग में ही रुक गया। निस्सन्देह, फ्रांस जहाँ पहले विद्यमान था, वहाँ से आगे बढ़ गया था। पर उसने जो ऊँची उड़ान उड़नी चाही थी, उसमें वह असफल रहा था। वह तेजी से आगे बढ़ा था—पर अपने उद्देश्य तक न पहुँच कर रास्ते में ही रह गया था। मानवीय उन्नति का यही डंग है। मनुष्य जाति छलांग मारकर उन्नति नहीं करती है, वह धीरे धीरे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ती है। 'आतङ्क के राज्य' में रोवस्पियर और हैबर्ट फ्रांस को जहाँ तक खींच ले गये थे, वहाँ वह टिक नहीं सका। वह पीछे लौट आया—पर इसमें सन्देह नहीं, कि वह लौटकर उस जगह तक नहीं गया; जहाँ कि लुई १६वें के समय में विद्यमान था। नया समुत्तुलन स्थापित हो गया—पर पुराने और नये के बीच में, बोर्बो शासन और रिपब्लिक के मध्यवर्ती स्थान पर।

नेपोलियन विधान—नेपोलियन के विधायक कार्यों में सबसे मुख्य स्थान उसके 'विधान' का है। यह नेपोलियन-विधान के नाम से प्रसिद्ध है। क्रांति से पूर्व फ्रांस में बहुत प्रकार के विधान प्रचलित थे। क्रांति ने इस सबको नष्ट कर सम्पूर्ण फ्रांस में एक ही कानून को प्रचलित करने का प्रयत्न किया था। इसी उद्देश्य से क्रांतिकारी सरकारों ने अनेक नये कानूनों का निर्माण किया था। परन्तु ये सब कानून किसी एक विधान में संगठित नहीं थे। इसलिये नेपोलियन ने एक कमिशन नियत किया, जिसको कि इन सम्पूर्ण कानूनों को संगृहीत कर एक व्यवस्थित विधान तैयार करने का कार्य सुपुर्द किया गया। नवीन विधान के

मसजिदों को राज्यपरिषद के सम्मुख पेश किया गया। कुछ परिवर्तनों के साथ यह स्वीकृत हो गया। फ्रांस के वर्तमान कानून का मुख्य आधार यह नेपोलियन विधान ही है। केवल फ्रांस में ही नहीं, परन्तु होलैण्ड, बेल्जियम, पश्चिमी और दक्षिणी जर्मनी, इटली और लुईसियेना के राज्या में भी प्रचलित कानून इसी विधान पर मुख्यतया आश्रित हैं। इसका कारण यह है, कि उस समय में इन देशों पर भी फ्रांस का आधिपत्य था और इनमें भी वही विधान प्रचलित किया गया था। यूरोप के अन्य देशों पर भी इस विधान का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।

धार्मिक नीति—नेपोलियन का अपना धर्म कोई न था। वह ईजिप्ट में मुसलमान था, और फ्रांस में रोमन कैथोलिक। वह जानता था, कि फ्रांस की अधिकांश जनता कैथोलिक धर्म को माननेवाली है। इसलिये बुद्धिमत्ता इसी में है कि स्वयं भी कैथोलिक धर्म का अनुसरण किया जावे। क्रान्ति के समय में चर्च में पूर्णतया अव्यवस्था मच गई थी। नेपोलियन समझता था कि जनता की सहानुभूति को प्राप्त करने के लिये उनके धार्मिक विश्वासों का सम्मान करना आवश्यक है। इसीलिये उसने वैद में पड़े हुए पादरियों को स्वतन्त्र कर दिया। निन्द्य देश निकाला दिया गया था, उन्हें फिर से फ्रांस लौट आने की अनुमति दी। रविवार को फिर से महत्त्व दिया गया। क्रान्ति के समय में जो नई लुट्टियाँ चली थीं, उन सबको हटा दिया गया। केवल १४ जुलाई, जो कि प्रतियोग्य के जेल के घस का दिन था, तथा २२ सितम्बर को—जोकि रिपब्लिक की स्थापना का दिन था, साधजनिक लुट्टी के तौर पर कायम रखा गया। क्रान्ति के समय की शेष सब लुट्टियों को हटाने पर फिर से पुरानी धर्म पर आश्रित लुट्टियों को जारी किया गया। यह सब जनता का सहानुभूति को प्राप्त करने के लिये था।

कान्कार्डेट—रोमन कैथोलिक चर्च की पुनः स्थापना करने के लिये

सितम्बर १८०१ में पोप से श्राक्यायदा सन्धि की गई। यह सन्धि कान्का-
 डेंट' के नाम से प्रसिद्ध है। इस कान्काडेंट में उद्घोषित किया गया
 कि फ्रांस की अधिकांश जनता रोमन कैथोलिक धर्म को माननेवाली
 है। अतः फ्रांस में इसी धर्म को राजकीय धर्म स्वीकृत किया जाना
 चाहिये। बिशप तथा चर्च के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रधान
 कान्सल द्वारा की जायेगी, पर उसके लिये पोप से स्वीकृति लेनी आव-
 श्यक होगी। बिशप तथा अन्य पुरोहितों को राज्य की तरफ से
 वृत्ति दी जायेगी। सब पुरोहितों के लिये आवश्यक होगा कि वे रिप-
 ब्लिक के शासन विधान के प्रति भक्ति की शपथ लें। चर्च की सम्पूर्ण
 सम्पत्ति क्रान्ति के समय में राज्य ने छीन ली थी। निश्चय हुआ कि जो
 सम्पत्ति अभी बेची नहीं गई है, वह चर्च के सुपुर्द कर दी जाय। पर जो
 सम्पत्ति किसी व्यक्ति को बेच दी गई है, उसको न छेड़ा जाय। इस
 सन्धि के अनुसार राज्य और चर्च को पृथक् नहीं रहने दिया गया।
 चर्च भी एक प्रकार से राज्य के ही नीचे आ गया। यद्यपि नाममात्र
 का पोप का आधिपत्य कायम रखा गया था, और बिशप आदि की
 नियुक्ति के लिये भी पोप की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था—पर
 ये सब बातें नाम की ही थीं। वस्तुतः चर्च पर प्रधान कान्सल का—
 राज्य का ही अधिकार कायम हो गया था। इस प्रकार यद्यपि ऊपर से
 रोमन कैथोलिक चर्च का ढंग क्रान्ति से पहले जमाने का सा ही था—पर
 असल में उसमें भारी परिवर्तन आ गया था। अब न चर्च के न्यायालय
 रहे थे, न चर्च के पृथक् टैक्स। अब चर्च राज्य का प्रतिद्वन्द्वी न था,
 अब वह राज्य के अधीन एक सस्थामात्र था। सम्भवतः, नैपोलियन
 चर्च के इस पुनरुद्धार का भी पक्षपाती नहीं था। पर जनता की सहा-
 नुभूति प्राप्त करने के लिये इसकी आवश्यकता थी और इसीलिये उसने
 निरस्तदोष भाव से इसे पुनः स्थापित किया।

शिक्षा प्रसार—शिक्षा के प्रसार के लिये भी नैपोलियन ने विशेष

रूप से प्रयत्न किया। प्रत्येक नगर में शिक्षणालयों की स्थापना की गई। शिक्षकों को राज्य की ओर से वेतन दिया जाने लगा। शिल्प और व्यवसाय के लिये विद्यालय खोले गये। पेरिस के विश्वविद्यालय का पुनः संगठन किया गया। सब शिक्षणालयों में राजभक्ति की शिक्षा देने के लिये विशेषरूप से जोर दिया गया। विद्या और शिक्षा के प्रसार के लिये भरसक कोशिश की गई।

इस प्रकार नेपोलियन निरन्तर फ्रांस को समृद्ध तथा व्यवस्थित करने में प्रयत्नशील रहा। परन्तु उसका वास्तविक ध्यान अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में था। वह एक गिब्लिन के प्रधान कान्सल के पद से सतुष्ट नहीं हो सकता था। वह सम्राट् होना चाहता था और अपनी इस आकांक्षा को पूर्ण करने में उसे देर नहीं लगी।

तेरहवाँ अध्याय

सम्राट् नैपोलियन का शासन

नैपोलियन का सम्राट् बनना—नैपोलियन सम्राट् बनना चाहता था। वस्तुतः प्रधान कान्सल के रूप में भी नैपोलियन की शक्ति, अधिकार, और शानशौकत सम्राटा से कम नहीं थी, पर उसे रिपब्लिक का ढाँचा भी सह्य न था। इसीलिये उसके आदेश से शासन विधान में इस प्रकार के परिवर्तन किये गये, जिनसे वह पूर्णरूप से सम्राट् पद पर अधिष्ठित हो गया। पहले नैपोलियन को दस वर्ष के लिये कान्सल बनाया गया था। १८०२ में उसे जन्म भर के लिये कान्सल बना दिया गया। इसके बाद उसे यह भी अधिकार दिया गया, कि वह अपना उत्तराधिकारी भी स्वयं चुन सके। १८०४ में यह प्रस्ताव पेश किया, कि नैपोलियन को फ्रेञ्च जनता का सम्राट् बना दिया जावे। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। यह प्रस्ताव नैपोलियन की प्रेरणा से ही पेश किया गया था और उसी की कौशिश से पास हुआ था।

राज्याभिषेक—२ दिसम्बर १८०४ के दिन नैपोलियन का राज्याभिषेक नडी धूमधाम के साथ हुआ। उसका अभिषेक-समारोह पुराने बोर्बो राजाओं के राज्याभिषेक को भी मात करता था। इस महत्त्वपूर्ण अवसर पर पोप भी उपस्थित था। परन्तु अभिमानी नैपोलियन यह नहीं सह सका, कि पोप उसके सिर पर राज्यमुकुट रखे। इससे पहले कि

पोप राज्यमुकुट को उठाये, उसने स्वयं उसे उठाकर अपने सिर पर रख लिया। नैपोलियन कहा करता था—‘मैंने फ्रांस के राजमुकुट को धूल में पड़ा पाया, और तलवार की नोक से उठाकर अपने सिर पर रख लिया।’ निस्सन्देह, नैपोलियन का यह दावा ठीक था। वह इसलिये सम्राट् नहीं बना था, क्योंकि वह किसी सम्राट् का लड़का था। वह अपनी तलवार के जोर पर इस गौरवमय पद पर अधिष्ठित हुआ था।

पुरानी रजसत्ता का प्रारम्भ—सम्राट् बनकर नैपोलियन ने राज दरवार, अग-रक्तक, अनुचर, पार्श्वचर आदि का फिर से संगठन किया। नये दरबारियों को दरबार के ढग और कायदों को सिखाने के लिये सेजूर—जो कि एक भागा हुआ कुलीन श्रेणी का आदमी था, और मदाम डि सापेन को, जो कि पहले मेरी आतोय्रांत की पार्श्वचर थी, नियत किया गया। नैपोलियन के परिवार के आदमियों को सबसे ऊँचे पद दिये गये। एक विशाल अङ्गरक्तक सेना का संगठन किया गया। नये सिरे से लोगों को सिखाव दिये जाने लगे। इस प्रकार एक नवीन कुलीन श्रेणी का निर्माण किया गया। यह नवीन कुलीन श्रेणी नैपोलियन की कृति थी। इसकी सत्ता एक आदमी की इच्छा पर आश्रित थी।

सम्राट् बनकर नैपोलियन निरन्तर अधिक अधिक स्वेच्छाचारी तथा क्रूर होता गया। अब वह सार्वजनिक समालोचना को नहीं सह सकता था। प्रधान कान्सल बनते ही उसने समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता में बाधा डालनी प्रारम्भ कर दी थी। अनेक राजनीतिक पत्र बन्द कर दिये गये थे। नये पत्रों का प्रकाशन सर्वथा रोक दिया था। पर सम्राट् बनने पर नैपोलियन ने समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता का अपहरण करने में कमाल ही कर दिया। यह व्यवस्था की गई, कि सब समाचार सरकार की तरफ से पहुँचाये जावें। समाचार भेजने का कार्य पुलिस के सुपुर्द किया गया। पुलिस उन सब समाचारों को रोक देती थी, जो सरकार

के खिलाफ जाते थे। नेपालियन की अपनी इच्छा तो यह थी, कि सन समाचार-पत्रों को बन्द कर दिया जावे। केवल एक ही पत्र सरकार की तरफ से प्रकाशित हो। जनता को समाचार ही तो चाहिये, और ये समाचार एक पत्र द्वारा भी सुगमता के साथ दिय जा सकते हैं।

नवीन युद्धों का प्रादुर्भाव—यूरोप के विविध राजाओं ने नेपालियन के इस उत्कर्ष को बहुत आतङ्क तथा आशङ्का की दृष्टि से देखा। निस्सन्देह, नेपालियन सम्राट् था, पर साथ ही, वह क्रांति की वृत्ति था। यूरोप के राजा अच्छी तरह समझते थे, वह उनके ढंग का सम्राट् नहीं है। वह एक प्राचीन राजवंश के खण्डहर पर, क्रांति के गम्भीर समुद्र मथन से, जनता की इच्छा और सहमति से सम्राट् बना है। उसके हाथ में तलवार है, जो उनके राजसिंहासनों पर लुब्ध क्रूर दृष्टि से देख रही है। बेशक, फ्रांस में फिर से राजसत्ता की स्थापना हो गई है, पर पिछले १० वर्षों की उथल पुथल ने इस देश में महान् शक्ति का सञ्चार कर दिया है, इसे आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। यह नवीन शक्ति, यह नवान राष्ट्र पुराने ढंग की राजगदिया और दरगारा के लिये भारी सतरे का कारण है। नेपालियन के व्यक्तित्व ने इस नई शक्ति में नवजीवन का ही सञ्चार किया है। नेपालियन के सम्राट् बन जाने से फ्रांस में इतना ही परिवर्तन आया है, कि क्रांति और परिवर्तन की शक्तियाँ और भी अधिक सगठित तथा नियन्त्रित हो गई हैं। परिणाम यह हुआ, कि यूरोप के विविध राजे महाराजे इस नये सतरे के विरुद्ध तैयारी में व्यग्र हो गये। उधर नेपालियन भी युद्ध के लिये उत्सुक था। उसके वैयक्तिक अभ्युदय के लिये आवश्यक था, कि फ्रांस अपनी सैनिक क्षमता को निरन्तर प्रदर्शित करता रहे। १८०२ में राज्यपरिषद् के सम्मुख भाषण करते हुए उसने एक बार कहा था—‘यदि यूरोपियन राज्य फिर से युद्ध प्रारम्भ करना चाहते हैं, तो लड़ाई जितनी जल्दी शुरू हो, उतना ही अच्छा है। जितना समय गुजरता जाता है, उनके

शासकों के आधीन थे, पूर्णतया उसकी सहायता कर रहे थे। स्पेन को भी इङ्ग्लैंड के विरुद्ध सहायता करने के लिये नैपोलियन ने तैयार कर लिया था। इस प्रकार हैनोवर से लेकर इटली तक सम्पूर्ण समुद्रीय तट नैपोलियन के कब्जे में था, और इस परिस्थिति का प्रयोग इङ्गलिश व्यापार को नष्ट करने के लिये किया गया। हैनोवर से लेकर इटली तक इङ्गलिश माल का आना सर्वथा रोक दिया गया। सर गन्दरगाह इङ्गलिश माल के लिये बन्द कर दिये गये। इतना ही नहीं, इङ्ग्लैंड पर हमला करने के लिये धूमधाम से तैयारी की गई। पोलोन में डेट लारस सैनिकों की एक विशाल सेना एकत्रित की गई। नैपोलियन इस बड़ी सेना के साथ अग्रश्रेणी ही प्रिटेन पर आक्रमण करता, परन्तु दो मारणों से उसे अपनी योजना का परित्याग करने के लिये बाधित होना पड़ा। इङ्ग्लैंड का जहाजी बेड़ा इस योजना की सफलता में बड़ी रुकावट था और इसके अतिरिक्त यूरोपियन राज्यों का एक नया गुट फ्रांस के साथ युद्ध करने के लिये संगठित हो गया था।

फ्रांस के विरुद्ध नवीन गुट का निर्माण—यह नया गुट किस प्रकार बना था, इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इङ्ग्लैंड का शासन-सूत्र इस समय फिर पिट के हाथ में आ गया था। पिट फ्रांस और नैपोलियन का पुराना दुश्मन था। आर्मीन की सन्धि टूट जाने पर युद्ध का संचालन करने के लिये पिट को प्रधान मन्त्री बनाया गया था। पिट अपनी नीति तथा धन के रत्न से रशिया और आस्ट्रिया को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित करने के लिये तैयार करने में सफल हुआ। एप्रिल १८०५ में रशिया के जार अलेक्जण्डर प्रथम ने फ्रांस के खिलाफ इङ्ग्लैंड से सन्धि कर ली। इस सन्धि का उद्देश्य यह था कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली और हैनोवर से फ्रांस को निम्नलिखित बाहर किया जावे। अलेक्जण्डर प्रथम नैपोलियन से उद्धृत नाराज था, उसकी नाराजगी का एक मुख्य हेतु यह था, कि उसने नोर्वेन बंश के एक व्यक्ति

एन्फीन के ड्यूक को इसलिये प्राणदण्ड दिया था, क्योंकि उस पर राजद्रोह का अभियोग लगाया गया था। आस्ट्रिया भी १८०५ में ही इस नये गुट में शामिल हो गया। आस्ट्रिया फ्रांस के विरुद्ध बनाये गये किसी भी गुट में शामिल होने के लिये हमेशा उत्सुक रहता था। फ्रांस के अभ्युदय से सबसे अधिक नुकसान आस्ट्रिया को ही पहुँचा था। प्रशिया को भी इस गुट में सम्मिलित होने के लिये प्रेरित किया गया, उसके राजा को यह भी लालच दिया गया, कि हैनोवर का प्रदेश उसे दे दिया जायगा, परन्तु प्रशिया का कमजोर राजा फ्रेडरिक विलियम तृतीय इतने पर भी इस गुट में सम्मिलित होने के लिये तैयार नहीं हुआ।

फ्रेंच वेडे की पराजय—इस नये गुट ने नेपोलियन की इङ्ग्लैंड पर आक्रमण करने की योजना को मिट्टी में मिला दिया। वोलोन में जो भारी सेना एकत्रित की गई थी, उसे एक दम आस्ट्रिया का मुकाबला करने के लिये दक्षिणी जर्मनी की तरफ भेज दिया गया। २१ अक्टूबर १८०५ के दिन इङ्ग्लैंड के नौ सेनापति नेल्सन ने ट्रफल्गर के अन्तरीप के समीप फ्रेंच और स्पेनिश वेडे को बुरी तरह परास्त किया। इसके अनन्तर इङ्ग्लैंड समुद्र में अजेय हो गया। फ्रांस ने जल में इङ्ग्लैंड का मुकाबला करने का विचार छोड़ दिया। नेपोलियन ने अपना सम्पूर्ण ध्यान स्थल में शक्ति का विस्तार करने के लिये लगा दिया। आस्ट्रिया और रशिया के साथ जो युद्ध अब प्रारम्भ हुए, उनसे नेपोलियन की सैनिक कीर्ति अब अधिक बढ़ गई।

आस्ट्रिया के साथ युद्ध—आस्ट्रिया के साथ युद्ध में नेपोलियन को असाधारण सफलता प्राप्त हुई। तीन सप्ताह में फ्रेंच सेनायें वीएना पहुँच गईं। २ दिसम्बर १८०५ के दिन उसने आस्ट्रालिड्ज नामक स्थान पर रशिया और आस्ट्रिया की सम्मिलित सेनाओं को परास्त किया। इस पराजय के बाद रशियन सेनायें अपने देश को लौट गईं और आस्ट्रिया को सन्धि करने के लिये बाधित होना पड़ा।

प्रसवुर्ग की सन्धि—२६ दिसम्बर १८०५ को प्रसवुर्ग में सन्धि कर ली गई। यह सन्धि आस्ट्रिया के लिये बहुत महंगी पड़ी। कैम्पोफोर्मियो की सन्धि के अनुसार वेनिस के (उत्तरीय इटली में) जिस प्रदेश को आस्ट्रिया ने प्राप्त किया था, वह उससे ले लिया गया। जर्मनी के अनेक राज्यों ने गत युद्ध में फ्रांस से सहानुभूति प्रगट की थी। आस्ट्रिया को नुकसान पहुँचाकर उन सबको इनाम दिया गया। वाटन और ववेरिया के राज्यों की सीमा में वृद्धि की गई। आस्ट्रिया का राजा पवित्र रोमन साम्राज्य होता था। इस स्थिति में जर्मनी के ये विविध राज्य उसके आधीन थे। पवित्र रोमन सम्राट् की स्थिति में आस्ट्रियन राजा को इस बात के लिये बाधित किया गया, कि ववेरिया और बुर्टम्बर्ग के शासकों को प्रशिया और आस्ट्रिया के राजा के समान 'राजा' की स्थिति तक पहुँचा दिया जावे। नेपल्स ने फ्रांस के शत्रुओं से सहानुभूति प्रदर्शित की थी, अतः वहाँ के बोर्बो राजवंश के राजा को राज्यच्युत कर दिया गया और वहाँ पर शासन करने के लिये नैपोलियन के भाई जोसफ बोनापार्ट को नियत किया गया। ववेरियन रिपब्लिक (हॉलैंड) को भी राजतन्त्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और वहाँ का राजा लुई बोनापार्ट नियत किया गया। नैपोलियन की बहनों को भी शासन करने के लिये राज्य प्रदान किये गये।

रूहाइन के राज्य संघ का सूत्रपात—प्रसवुर्ग की सन्धि एक अन्य दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनेक जर्मन राज्यों को पवित्र रोमन साम्राज्य से वृथक् कर नैपोलियन ने अपनी आधीनता में रूहाइन के राज्य संघ का निर्माण किया। इस संघ में ववेरिया, बुर्टम्बर्ग, वाटन, तथा अन्य १३ जर्मन राज्य सम्मिलित हुए। यह संघ फ्रेंच सम्राट् की संरक्षा में बना था और इसकी वही स्थिति थी, जो कि हॉलैंड की थी। आवश्यकता पड़ने पर फ्रांस के लिये यह भी उसी प्रकार काम

या सकृता था, जैसे हार्लैंड, स्ट्रुवरलैंड किसलमाइन रिपब्लिक आदि आधीनस्थ राज्य । यह व्यवस्था नी गई, कि यह सब अपने सरदर नैपोलियन को ६६ हजार सिपाही प्रदान करेगा और फ्रेंच सेना पति इन्हें संगठित करेंगे ।

पवित्र रोमन साम्राज्य का अन्त—प्रथम अगस्त १८०६ के दिन पवित्र रोमन साम्राज्य की महासभा के सम्मुख नैपोलियन ने उद्घोषित किया, कि क्योंकि मैंने रूहान के राज्य सभ के सरदर के पद को स्वीकृत कर लिया है, अतः अब मैं पवित्र रोमन साम्राज्य की सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकता । यह साम्राज्य अब नाममात्र को ही रह गया था, इसके आधीनस्थ अनेक राज्य अब स्वतन्त्र स्थिति को प्राप्त हो चुके थे । इसकी सत्ता अब पारस्परिक झगड़ों का ही कारण बनी हुई थी । नैपोलियन की इस उद्घोषणा का परिणाम यह हुआ, कि इस प्राचीन साम्राज्य का अन्त हो गया । आस्ट्रिया का राजा, जो एगरी, रोहेमिया रोट्टिया, गैलिसिया आदि अन्य भी बहुत से राज्या का राजा था और साथ में पवित्र रोमन सम्राट् के गौरवशाली पद को भी प्राप्त किया हुआ था, अब इस पद से विरहित हो गया । ६ अगस्त १८०६ के दिन उसने स्वयं इस पद का परित्याग कर दिया । १८ सदियों से जो सम्मानित पद चला आ रहा था, उसका इस ढंग से अन्त हुआ । पवित्र रोमन सम्राट् अब केवल आस्ट्रिया का राजा ही रह गया ।

प्रशिया से युद्ध—रूहान के राज्य सब के निर्माण से जर्मनी में नैपोलियन का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था यह बात प्रशिया कभी सहन नहीं कर सकता था । प्रशिया के राजाओं की बहुत समय से यह महत्वाकांक्षा रही थी, कि जर्मनी में अपने प्रभुत्व और प्रभाव को कायम रखा जाय । इसमें नैपोलियन का रूहान का राज्यसभ सबसे बड़ी बाधा थी । आखिर, फ्रेडरिक विलियम तृतीय ने यही उचित समझा, कि फ्रांस के खिलाफ गुट में शामिल होने से ही प्रशिया का

भला है। प्रशिया ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित कर दिया। आस्ट्रिया आस्टरलिट्ज के युद्ध में परास्त होकर फ्रांस से सन्धि कर चुका था। उसका स्थान अब प्रशिया ने ले लिया।

जेना का युद्ध—परन्तु प्रशिया को परास्त करने में नैपोलियन को देर नहीं लगी। १४ अक्टूबर १८०६ को जेना के रणक्षेत्र में प्रशिया की बुरी तरह पराजय हुई। दस दिन बाद नैपोलियन ने प्रशिया की राजधानी बर्लिन में प्रवेश किया। वहाँ जाकर उसने महान् फ्रेडरिक की तलवार को विजयोपहार के रूप में पेरिस भेजा। प्रशिया से बहुत बड़े परिमाण में हरजाना लिया गया। इतना ही नहीं, प्रशिया से कुछ प्रदेश लेकर वेस्टफेलिया के राज्य की सृष्टि की गई और उसका राजा नैपोलियन के छोटे भाई जेरोम बोनापार्ट को बनाया गया।

रशिया का पराजय और टिलसिट की सन्धि—प्रशिया को परास्त करने के बाद रशिया पर आक्रमण किया गया। बात की बात में रशिया भी परास्त कर दिया गया। नैपोलियन की विश्वविजयिनी सेनाओं का मुकाबला करना किसी के लिये भी सम्भव नहीं था। फ्रीड लैंड के रणक्षेत्र में १४ जून १८०७ के दिन रशिया और फ्रांस का भयंकर युद्ध हुआ। रशिया की पराजय हुई। आखिर, रशिया और फ्रांस में सन्धि हो गई। यह टिलसिट की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। इस सन्धि के द्वारा फ्रांस के विरुद्ध यूरोपियन राज्यों का गुट सर्वथा टूट गया। आस्ट्रिया पहले ही गुट से अलग हो गया था। प्रशिया को जेना के युद्ध में बुरी तरह परास्त कर दिया गया था। अब रशिया ने भी सन्धि कर ली। शेष बचा केवल इङ्ग्लैण्ड, जो निरन्तर ४० वर्ष तक फ्रांस से लड़ता रहा और जिसके ही अनवरत परिश्रम का परिणाम था कि नैपोलियन को अन्त में पराजय हुई।

टिलसिट की सन्धि में फ्रांस और रशिया में युद्ध ही मन्द नहीं हुआ था, इससे नैपोलियन और जार अलेक्जेंडर प्रथम ने आपस में एक

गुप्त समझौता भी किया था। इस समझौते के अनुसार यूरोप के इन दो शक्तिशाली सम्राटों ने यह फैसला किया था, कि नेपोलियन को पश्चिमी यूरोप में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता हो। और जार की पूर्वी यूरोप में। जार अलकजैण्डर प्रथम ने नेपोलियन से बातचीत में कहा था—‘यूरोप क्या है ? मैं और तुम ही तो यूरोप हैं।’ निस्संदेह, इन दोनों सम्राटों की यही धारणा थी। इस गुप्त समझौते में अलकजैण्डर ने इङ्ग्लैंड के विरुद्ध फ्रांस की सहायता करने का भी वचन दिया था।

टिलसिट की सन्धि से महत्त्वपूर्ण परिवर्तन—रशिया और प्रशिया के पराजय के अनन्तर यूरोप के राजनीतिक नक्शे में जो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उनमें वेस्टफेलिया और वारसा के राज्य सत्रसे प्रमुख हैं। वेस्टफेलिया का जिक्र पहले किया जा चुका है। पोलैण्ड का प्रदेश प्रधानतया पहले प्रशिया और रशिया के अधीन था। इस समय नेपोलियन ने पोलैण्ड के अधिकांश प्रदेश को लेकर अपनी सरहद्दा में वारसा के राज्य का निर्माण किया और इसका शासन सेक्सनी के राजा को नियत किया। सेक्सनी जर्मनी का एक राज्य था। उसके राजा के साथ नेपोलियन की बड़ी दोस्ती थी। वारसा, सेक्सनी और वेस्टफेलिया—ये तीनों राज्य रूहान के राज्य सत्र में सम्मिलित कर लिये गये और इनके सम्मिलित हो जाने से रूहान के राज्य सत्र का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया।

इङ्गलिश प्रतिरोध—फ्रांस के विरुद्ध यूरोपियन राज्यों का गुप्त इस समय पूर्णतया टूट चुका था। परन्तु इङ्ग्लैंड के साथ अब भी युद्ध जारी था। नेपोलियन को स्थलीय युद्धों में असाधारण सफलता प्राप्त हुई थी। पर समुद्र में इङ्ग्लैंड की शक्ति अजेय थी। इङ्ग्लैंड में व्यावसायिक क्रान्ति के कारण जिस अपूर्व क्षमता तथा शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा था, अन्य यूरोपियन राज्यों में उसका सर्वथा अभाव था। इङ्ग-

लैंड के कारखाने इस समय इतनी तेजी के साथ आर्थिक उत्पत्ति कर रहे थे, कि मसार का अन्य कोई भी देश इस क्षेत्र में उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। एक ऐतिहासिक ने लिखा है, कि नैपोलियन को चाटलू के रणक्षेत्र में परास्त नहीं किया गया था; उसकी वास्तविक पराजय मास्टर के बन्दे के कारखानों तथा बरमिन्गहम की लोहे की भट्टियों में हुई थी। इस कथन में बहुत कुछ सचार्द है। इंग्लैंड अपने व्यापार और व्यवसाय के जोर पर ही नैपोलियन का इतनी व्यग्रता के साथ मुकाबला कर सका था। नैपोलियन भी इस बात को भली भाँति समझता था। वह जानता था, कि इंग्लैंड पर किसी सेना द्वारा आक्रमण कर सकना तब तक असम्भव है, जब तक उसका जहाजी बेड़ा कायम है। इसलिये उसने इंग्लैंड के व्यापार को तबाह करने का निश्चय किया। नैपोलियन को पूर्ण निश्चय था, कि जब इंग्लैंड के व्यापार और व्यवसाय को धष्टा लगेगा, तब यह “दूकानदारों की कीम” अपने आप सन्धि के लिये याचना करने को तैयार हो जावेगी। इस नीति को क्रिया में परिणत करने के लिये नैपोलियन ने निश्चय किया, कि इंग्लैंड का कोई भी माल यूरोप में न आने पावे। नवम्बर १८०६ में बर्लिन से एक उद्घोषणा प्रकाशित की गई, जिसमें कि इंग्लैंड तथा उसके सम्पूर्ण उपनिवेशों के साथ सब प्रकार का व्यापारिक सम्बन्ध निषिद्ध कर दिया गया। यह उद्घोषित किया गया, कि कोई भी इंग्लिश जहाज यूरोप के किसी भी बन्दरगाह पर न आने पावे। फ्रांस तथा नैपोलियन के सरक्षित राज्यों में यदि कोई श्रेण्ड पाया जावे, तो उसे कैदी समझा जावे तथा उसके माल को जप्त कर लिया जावे। इंग्लैंड में किसी आदमी को कोई पत्र तथा पैकेट तक न भेजा जावे। यदि किसी पत्र पर श्रेण्ड भाषा में पता लिखा हो, तो उसे भी जप्त कर लिया जावे। नैपोलियन इन सब आज्ञाओं द्वारा इंग्लैंड का यूरोप से पूर्ण बहिष्कार कर देना चाहता था। उसकी इस नीति को ‘इंग्लिश’ प्रतिरोध के नाम से कहा जाता है।

इस नीति को क्रिया में परिणित करने के लिये नैपोलियन ने कोई भी उपाय उठा न रखा। यूरोप के बड़े भाग पर उसका कब्जा था। आस्ट्रिया और रशिया उसके साथ सधि कर चुके थे। रशिया के साथ सधि के परिणामस्वरूप उत्तरी आर्कटिक सागर से इटली के समुद्रतट तक नैपोलियन का अधिकार था। यूरोप के देशों को वह अपनी इङ्गलिश प्रतिरोध की नीति का अनुसरण करने के लिये बाधित कर सकता था। यदि कोई देश उसकी उपेक्षा करने का साहस करे, तो उसे उपयुक्त सजा देने के लिये नैपोलियन के पास पर्याप्त शक्ति विद्यमान थी।

व्यापारी युद्ध—इस नीति का इङ्गलैण्ड ने यह जवाब दिया, कि उसने भी फ्रेञ्च साम्राज्य के सम्पूर्ण बन्दरगाहों को 'प्रतिरुद्ध' उद्घोषित कर दिया। साथ ही इङ्गलैण्ड ने एक और बुद्धिमत्ता का कार्य किया। वह यह, कि उदामीन राज्यों को अपने साथ व्यापार करने की अनुमति देदी। परन्तु नैपोलियन के पास इसका इल ज मौजूद था। दिसम्बर १८०७ में उसने मिलन (उत्तरी इटली का एक प्रसिद्ध नगर) से एक उद्घोषणा प्रकाशित की, जिसमें यह उद्घोषित किया गया, कि जो कोई देश इंग्लैण्ड के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रखेगा, उसके जहाजों को लूट लिया जायगा, तथा उसे हर तरह से मुकसान पहुँचाने की कोशिश की जायगी। संसार के आधुनिक इतिहास में यह व्यापारी युद्ध बहुत महत्त्व रखता है। वर्तमान युग के युद्ध मुख्यतया व्यापार और व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा के कारण हुए हैं। इस ढंग के युद्धों में फ्रान्स और इङ्गलैण्ड का यह युद्ध बहुत महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है।

'इंगलिश प्रतिरोध' की नीति का सख्ती से प्रयोग—यूरोप के जिस देश ने भी नैपोलियन की 'इङ्गलिश प्रतिरोध' की नीति का उल्लंघन करना चाहा, उसे मर्त दण्ड दिया गया। स्वीटन ने बर्लिन की उद्घोषणा को मानने से इंकार किया। परिणाम यह हुआ, कि नैपोलियन ने रशिया को फिनलैण्ड का प्रदेश स्वीटन से छीन लेने के

लिए प्रेरित किया। जब इससे भी स्वीडन कायू में नहीं आया, तो वहाँ के राजा को राजगद्दी छोड़ने के लिये बाधित किया गया और नैपोलियन ने अपने एक सेनापति बर्नेदो को स्वीडन का राजा नियत किया। हालैंएड का राजा लुई बोनापार्ट—जो नैपोलियन का भाई था, मदा अपने भाई से विमुख रहता था। उसने भी 'इंग्लिश प्रतिरोध' की नीति को अमल में लाने में आनाकानी की। नैपोलियन ने उसे भी राज्यच्युत कर दिया और हालैंएड को फ्रांस के साथ मिला दिया गया। रोम के पोप ने इस मामले में उदासीन रहना चाहा, पर नैपोलियन यह कब्र सह सकता था। उसने पोप के राज्य को छीन लिया और इटली के अन्तर्गत कर दिया। पोप अपना क्रोध एक ही तरफ से प्रगट कर सकता था। उसने नैपोलियन को धर्म बहिष्कृत कर दिया। पर नैपोलियन की तलवार के सम्मुख पोप की क्या ताकत थी। नैपोलियन ने उसे कैद कर लिया। कई सालों तक पोप कैद में पड़ा रहा। पोर्तुगाल के बन्दरगाहों में इंग्लिश जहाज आते जाते थे। नैपोलियन ने हुक्म दिया कि पोर्तुगाल इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध उद्घोषित कर दे और जितने भी अंग्रेज उस देश में हों, उन सबको कैद कर उनकी सम्पत्ति को जब्त करले। पोर्तुगाल ने इस आज्ञा को मनाने से इकार किया। परिणाम यह हुआ, कि नैपोलियन ने सेनापति जूनो को पोर्तुगाल पर हमला करने का आदेश दिया। बड़ी ही सुगमता से जूनो ने सम्पूर्ण पोर्तुगाल को जीत लिया। राजकीय परिवार ने पोर्तुगाल से भागकर ब्राजील में आश्रय लिया। विजयी जूनो ने बड़ी धूमधाम से लिस्बन में प्रवेश किया। इस प्रकार बड़ी मस्तू तथा व्यग्रता से नैपोलियन 'इंग्लिश प्रतिरोध' की नीति को अमल में ला रहा था। हजारों आदमियों को इसलिये सख्त सजायें दी गई थी, क्योंकि उन्होंने धोखे से इंग्लिश माल को मँगाने की कोशिश की थी।

स्पेन पर कब्जा—इस प्रकार नैपोलियन निरन्तर अधिभ्रं अधिभ्रं

शक्तिशाली होता जाता था। सम्पूर्ण यूरोप में उसका यातन सा छाया हुआ था। यूरोप के सब राजा उसकी उँगली के इशार पर नाचते थे। पोर्तुगाल को अपने अधीन कर लेने के अनन्तर नेपोलियन को स्पेन के राज्य को भी हस्तगत करने का सुवर्णावसर प्राप्त हुआ। वहाँ के राज्य परिवार में कुछ झगड़े चल रहे थे। नेपोलियन ने इसका उपयोग कर वहाँ के राजा चार्ल्स चतुर्थ तथा युवराज फर्डिनेण्ड को इस बात के लिए मजबूर किया, कि वे दोनों स्पेन की राजगद्दी से अपने दात्रे का परित्याग कर दें। ६ जून १८०८ को नेपोलियन ने अपने भाई जोसफ बोनापार्ट को स्पेन का राजा नियत किया। जोसफ पहले नेपल्स का राजा था। उहाँ पर शासन करने के लिये मेनापति मूरे का नियत किया गया। मूरे नेपोलियन का बहनोई भी था। इस प्रकार स्पेन भी नेपोलियन के पूर्णतया अधीन हो गया। स्पेन पहले भी फ्रांस का मित्र तथा आजाकारी था, परन्तु अब तो वहाँ की राजगद्दी पर भी नेपोलियन का कब्जा हो गया।

स्पेनिश जनता ने नेपोलियन के इस कृत्य को सहन नहीं किया। वे विद्रोह करने के लिये तैयार हो गये। रोमन कैथोलिक पादरिया तथा भिक्षुओं ने यह कहकर लोगों को नेपोलियन के खिलाफ भड़काना शुरू किया, कि वह पोप तथा धर्म का दुश्मन है। युवराज फर्डिनेण्ड इस विद्रोह का नेता बना। फ्रेंच सेना परास्त कर दी गई और जोसफ का मेडिड से बाहर निजाल दिया गया। पर शीघ्र ही नेपोलियन ने एक विशाल सेना के साथ स्वयं स्पेन पर आक्रमण किया। इस सेना में दो लाख सैनिक थे। स्पेनिश सेना परास्त हो गई। ४ दिसम्बर १८०८ का मैडिड पर फिर नेपोलियन का अधिकार हो गया। स्पेन के आन्तरिक सुधार के लिये नेपोलियन ने अनेक प्रयत्न किये। एक महीने के लगभग स्पेन में रहकर वह फ्रांस वापिस चला गया और अपने भाई जोसफ बोनापार्ट की सहायता के लिये अच्छी बड़ी सेना स्पेन में छोड़ गया।

आस्ट्रिया के साथ युद्ध और वीएना की सन्धि—जिस समय नैपोलियन अपने दो लाख सैनिकों के साथ स्पेनिश विद्रोह को शान्त करने में व्यग्र था, उस समय आस्ट्रिया को अपने पुराने शत्रु फ्रांस से लड़ाई शुरू करने का अच्छा मौका हाथ लग गया। नैपोलियन की बढ़ती हुई शक्ति से आस्ट्रिया बहुत चिन्तित था। रशिया से लेकर इटली तक उसका प्रभाव स्थापित हो चुका था। यूरोप का 'शक्ति समतुलन' इस समय नष्ट हो चुका था और फ्रांस की शक्ति इतनी अधिक बढ़ चुकी थी, कि कोई भी यूरोपियन राज्य वह गुट उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। एसी दशा में स्पेनिश लोगों का विद्रोह आस्ट्रिया के लिये एक सुवर्ण अवसर था। अप्रिल १८०६ में आस्ट्रिया ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध उद्घोषित कर दिया। परन्तु अगले फिर नैपोलियन विजयी हुआ। उसने एक दम वीएना पर हमला किया। ५ जुलाई १८०६ को वीएना के समीप वाग्रम नामक स्थान पर आस्ट्रियन सेना बुरी तरह परास्त हुई। आस्ट्रिया को सन्धि की याचना के लिये बाधित होना पड़ा। अक्टूबर १८०६ में सन्धि हो गई, जो कि वीएना की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। इस सन्धि के अनुसार आस्ट्रिया को अपने राज्य का छूटा हिस्सा, जिसके निवासियों की संख्या ४० लाख थी, नैपोलियन को अर्पित कर देना पड़ा। यह भी व्यवस्था की गई, कि आस्ट्रिया की सेना १॥ लाख से अधिक न बढ़ने पावे।

नैपोलियन का विवाह—आस्ट्रिया के प्रधान मंत्री मेटर्निक को अगले विश्वास हो गया था, कि नैपोलियन अजेय है, उसे परास्त नहीं किया जा सकता। अतः उसने इसी बात में अपने देश का कल्याण समझा, कि नैपोलियन के साथ स्थिर रूप से सन्धि कर ली जाय। अतः उसने भरपूर कोशिश की, कि नैपोलियन का विवाह आस्ट्रिया की राजकुमारी मेरिया लुइसा से हो जाय। नैपोलियन की पहली स्त्री जोसेफाइन की कोई सन्तान नहीं थी। नैपोलियन सन्तान न

लिये उत्सुङ्ग था। साथ ही, वह यह भी चाहता था कि यूरोप के सत्र से प्राचीन, राजपश से उसका सम्बन्ध स्थापित हो जाय। हाप्सबुर्ग वंश की राजकुमारी को प्राप्त कर लेना कार्सिका के गरीब बर्नील के लड़के के लिये कितने गौरव तथा अभिमान की बात थी। नैपोलियन इस विवाह में अपनी एक अत्यन्त ऊँची महत्वाकांक्षा की पूर्ति का अनुभव करता था। अत्र वह असल में 'सम्राट्' बन जायगा। कुल की दृष्टि से भी उसे कौन हीन समझ सकेगा ? जोसेफाइन को तलाक दे दिया गया। मेरिया लुइसा के साथ नैपोलियन का विवाह हो गया। १८११ में इस दम्पति के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। नैपोलियन ने इसे 'राम का नदशाह' इस उपाधि से विभूषित किया।

अत्र नैपोलियन की शक्ति अपनी चरम सीमा तक पहुँच गई थी। प्रायः सम्पूर्ण पश्चिमी और मध्य यूरोप उसके अधीन हो चुका था। मारी दुनिया में नैपोलियन की नृती बोल रही थी। रशिया उसका दास्त था। प्रशिया की क्या ताकत थी, जो उसे किसी भाँति किस्म का नुकसान पहुँचा सके। आस्ट्रिया बार बार पराजित होकर संधि रास्ते पर आ गया था। स्पेन, पोर्तुगाल, इटली, हार्लैण्ड, स्विटजरलैण्ड, स्वीडन—सब नैपोलियन के अधीन थे। पर इस समय भी एक देश नैपोलियन की शक्ति के खिलाफ अकेला युद्ध कर रहा था—वह देश था इङ्गलैण्ड। किस प्रकार इङ्गलैण्ड कोर्सिका के इस गरीब हिम्मती सिपाही को, जिसने इतिहास में एक चमत्कार कर दिखाया था, परास्त करने में समर्थ हुआ, इस पर आगे प्रकाश डाला जावेगा।

चाँदहवाँ अध्याय

नेपोलियन का पतन

साम्राज्य की कमजोरियाँ—नेपोलियन का साम्राज्य अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुका था। परन्तु यह विशाल साम्राज्य किसी सुदृढ़ आधार पर, आश्रित न था। इसमें अनेक कमजोरियाँ थीं। इन्हीं का यह परिणाम हुआ कि यह साम्राज्य देर तक कायम नहीं रह सका। ये कमजोरियाँ निम्नलिखित हैं:—

(१) यह साम्राज्य एक आदमी की प्रतिभा द्वारा बना था। यह एक व्यक्ति की कृति थी। अतः इसकी सत्ता और स्थिति उस एक आदमी के जीवन तथा शक्ति पर निर्भर थी।

(२) शासित जनता की सहमति और सद्दानुभूति इस साम्राज्य के साथ नहीं थी। लोग इसे नहीं चाहते थे। यह जनता को इच्छा पर कायम न होकर सैनिकशक्ति तथा पाशविक बल पर आश्रित था। सैनिकशक्ति पर आश्रित साम्राज्य देर तक कायम नहीं रह सकते। जब कोई अन्य सेना तथा शक्ति बलवती हो जाती है, तो ऐसे साम्राज्य नष्ट हुए बिना नहीं रहते। नेपोलियन के साम्राज्य में लोकमत तथा लोक-तंत्र शासन को कोई स्थान नहीं था, वह एक व्यक्ति की इच्छा पर आश्रित था। यह बात समय की प्रवृत्ति के प्रतिकूल थी।

इङ्गलिश सेना एक तरफ थी और नैपोलियन की सधी हुई फ्रेञ्च सेना दूसरी तरफ। यह युद्ध बहुत देर तक जारी रहा। नैपोलियन की तीन लाख सेना तथा बहुत से योग्यतम सेनापति इन युद्धों में फसे रहे। इन युद्धों का मुख्य परिणाम यह हुआ, कि नैपोलियन स्पेन की तरफ से कभी निश्चिन्त नहीं हो सका। अन्य देशों के साथ युद्ध करते हुए वह कभी भी अपनी सम्पूर्ण शक्ति का उपयोग नहीं कर सका। स्पेन में उसे हमेशा एक भारी सेना रखने की आवश्यकता बनी रहती थी। नैपोलियन के पिछले युद्धों में उसकी असफलता का एक मुख्य कारण यह भी है।

रशिया के साथ युद्ध—यूरोप में देर तक शान्ति कायम नहीं रह सकी। सम्पूर्ण यूरोप में रशिया ही केवल ऐसा राज्य था, जो नैपोलियन के कब्जे से बाहर होने की हिम्मत कर सकता था। रशिया इङ्गलिश प्रतिरोध की नीति से सतुष्ट नहीं था। जार अलक्जेंडर प्रथम इस बात के लिये तो तैयार था, कि इङ्गलिश जहाजों को अपने बन्दरगाहों पर न आने दे, पर उसे यह उचित नहीं मालूम होता था, कि मिलन की उद्घोषणा के अनुसार इङ्ग्लैंड से व्यापार करनेवाले अमेरिका आदि उदासीन राज्यों के जहाजों का भी बहिष्कार किया जावे। इसके अतिरिक्त, रशिया इङ्गलिश व्यापार का पूर्णरूप से बहिष्कार करके काम नहीं चला सकता था। टिलसिट के समझौते के अनुसार रशिया को पूर्वी यूरोप में स्वेच्छाचार करने का अधिकार दिया गया था। परन्तु नैपोलियन, बाल्कन प्रायद्वीप तथा टर्की के समन्वय में रशिया की नीति में हस्तक्षेप किये बिना नहीं रह सकता था। दूसरी तरफ, नैपोलियन भी रशिया के गर्व का चूर्ण करने के लिये उत्सुक था। वह सोचता था, एक रशिया को हरा दिया जाये, तो सारा यूरोप अपना है। यूरोप भर में एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित करने में केवल एक ही तो बाधा है, और वह है रशिया। यदि उसे परास्त कर अपना आधिपत्य स्थापित

कर लिया जावे, तो मैदान माफ है ! ये कारण थे, जिन्होंने टिलसिट की सन्धि को समाप्त कर दिया। नैपोलियन ने रशिया पर आक्रमण करने के लिये तैयारी प्रारम्भ कर दी। १८१२ में उसने अनुमान किया, कि तैयारी पूर्ण हो गई है। उसके अनेक मलाहकारों ने उसे सावधान भी किया, कि रशिया पर आक्रमण करने में बहुत से खतरें हैं। पर नैपोलियन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। ६ लाख सैनिकों की एक विशाल सेना एकत्रित करी गई। एक हजार तोपें साथ ली गईं। नैपोलियन के सम्पूर्ण साम्राज्य से इस आक्रमण के लिये सैनिक एकत्रित किये गये थे।

रशियन आक्रमण—रशिया के इस महान् तथा साहसपूर्ण आक्रमण का इतिहास बहुत ही भयङ्कर तथा करुणामय है। नैपोलियन का विचार था, कि तीन साल में सम्पूर्ण रशिया को जीतकर अपने आधीन कर लिया जावेगा। नैपोलियन निरन्तर आगे बढ़ता गया, रशियन लोग पीछे हटते गये। रशियन लोगों ने युद्ध किया ही नहीं। वे चाहते थे, कि नैपोलियन उनके देश में बहुत अधिक आगे बढ़ जावे। आखिर, ७ सितम्बर १८१२ को बोरोडिनो नामक स्थान पर रशियन सेना ने नैपोलियन का मुकाबला किया। रशियन लोग हार गये, पर रशिया की भयङ्कर मौसम, प्रतिकूल परिस्थिति तथा युद्ध का परिणाम था कि जब विजयी नैपोलियन ने मोस्को में प्रवेश किया, तब उसके साथ केवल एक लाख सैनिक रह गये थे। नैपोलियन की सेना को अपने भरण-पोषण के लिये अनाज तथा आश्रय न मिल सके, इसलिये रशियन लोगों ने मोस्को को पहले ही अग्निदेव के अर्पण कर दिया था। रशियन लोगों का यही तरीका था। वे ज्यों ज्यों पीछे हटते जाते थे, त्यों त्यों अपने देश को उजाड़ते जाते थे, ताकि नैपोलियन को किसी भी किस्म की मदद न पहुँच सके। नैपोलियन ने मोस्को पर कब्जा तो कर लिया, पर उसे स्थिर रूप से अपने आधीन रख सकना सम्भव नहीं था। सर्दियों

मौसम आ गई थी। रशिया की सर्दों अत्यन्त भयङ्कर होती हैं, सब और बरफ ही बरफ हो जाती है। एक ऐसे सुदूरवर्ती प्रदेश में—जहाँ मनुष्य और प्रकृति दोनों ही दुश्मन हों, रह सकना नैपोलियन के लिये सम्भव न रहा। उसने वापिस लौटने का निश्चय किया। वापस लौटते हुए फ्रेञ्च सेना ने बड़े बीभत्स कष्ट सहे। भयङ्कर सर्दों, भोजन का अभाव और रशियन लोगों के आक्रमणों ने इस सेना की बुरी हालत कर दी। सैनिक इतिहास में नैपोलियन की यह वापसी बहुत ही दुःखपूर्ण घटना है। जब वापिस लौटा, तो उसके साथ केवल २० हजार सैनिक रह गये थे।

नये गुट का निर्माण—इस भयङ्कर दुरवस्था से भी नैपोलियन निराश नहीं हुआ। उसने फिर सेना एकत्रित की। बाधित रूप से सैनिक सेवा की व्यवस्था कर वह एक बार फिर ६ लाख सैनिक एकत्रित करने में समर्थ हुआ। पर इसी समय नैपोलियन के विरुद्ध यूरोपियन राज्यों का एक अन्य गुट सगठित हुआ। इस नये गुट में ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और स्वीडन सम्मिलित हुए। वद्यपि यह गुट राजाओं ने संगठित किया था, पर जनता की सहानुभूति इसके साथ थी। इस समय न केवल राजा, पर जनता भी राजकीय मामलों में दिलचस्पी लेने लग गई थी। राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो रही थी, और इस नवीन भावना के कारण जनता की शक्ति नैपोलियन का मुकाबला करने के लिये सन्नद्ध हो गई थी। इस नवीन गुट ने अपना उद्देश्य यह उद्घोषित किया, कि हम एक अत्याचारी के पजे से जनता को—अधीन राष्ट्रों को स्वतन्त्र कराने का उद्योग करेंगे। अलैक्जण्डर प्रथम या फ्रेडरिक विलियम तृतीय चाहे इस उद्देश्य को केवल जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिये कह रहे हों, पर इसमें सन्देह नहीं कि यह बहुत हद तक ध्रुव सत्य था। वस्तुतः ही नैपोलियन का साम्राज्य राष्ट्रीयता और स्वाधीनता के सिद्धान्तों की जड़ पर कुटाराघात था। इस नये गुट ने इस अस्वा-

आर्थिक साम्राज्य का अन्त कर सचमुच ही जनता के हित का सम्पादन किया।

सब राष्ट्रों का युद्ध—लाइपज़िग के रणक्षेत्र में प्रशियन और रशियन सेनाओं ने मिलकर नेपोलियन का मुकाबिला किया। इससे कुछ समय पूर्व आस्ट्रिया भी फ्रांस के विरुद्ध गुट में सम्मिलित हो गया था, और उसकी सेनायें भी लाइपज़िग में मौजूद थीं। १६—१६ अक्टूबर १८१३ को यह भयङ्कर युद्ध लड़ा गया, जो कि इतिहास में 'सब राष्ट्रों का युद्ध' के नाम से मशहूर है। इसमें नेपोलियन की पराजय हुई। इस युद्ध में एक लाख बीस हजार से अधिक सैनिक या तो मारे गये या बुरी तरह घायल हुए। पराजित होकर नेपोलियन अपनी अवशिष्ट सेना के साथ रूहाइन नदी पार कर फ्रांस वापिस चला आया। उसके वापिस आते ही रूहाइन का राज्य-सब नष्ट-भ्रष्ट हो गया।

साम्राज्य का अन्त—जर्मनी में पवित्र रोमन साम्राज्य का अन्त कर नेपोलियन ने जिस मध का निर्माण किया था, वह सैनिक शक्ति पर आश्रित था। इस सैनिक शक्ति के निर्बल होते ही वह सह छिन्न भिन्न हो गया। यही नहीं, हालैण्ड और बेस्टफेलिया से भी फ्रेञ्च शासन का अन्त हो गया। जेरोम बोनापार्ट बेस्टफेलिया का परित्याग कर वापिस भाग आया। डच लोगों ने फ्रेञ्च अफसरों को हालैण्ड में निकाल बाहर किया। उधर सर आर्थर वेल्सली (वेलिङ्गटन का ज्यक) स्पेन में फ्रेञ्च सेनाओं से निरन्तर युद्ध कर रहा था। १८१३ के अन्त तक उसने फ्रेञ्च लोगों को स्पेन में बाहर निकाल दिया।

नेपोलियन का राज्यच्युत होना—यूरोपियन राज्यों के गुट की यह इच्छा नहीं थी, कि नेपोलियन को सर्वथा नष्ट कर दिया जावे। वे उसे फ्रांस की राजगद्दी पर विराजमान रखने के लिये उद्यत थे। फ्रांस का अभिप्राय वे उत्तर में रूहाइन नदी, उत्तर पश्चिम में आल्पस की पर्वतमाला और दक्षिण में पिरेनीज पर्वत से लेते थे। जुई १४वें की

महत्वाकांक्षा इसी सीमा को प्राप्त करने की थी। नेपोलियन का इस विशाल प्रांत का राज्य प्रस्तुत किया गया। परन्तु वह इतने से सन्तुष्ट नहीं रह सकता था। उसने प्रांत की सीमा का नियमित करने से सवथा इन्कार कर दिया। उसे अपनी तलवार का भरोसा था। वह किसी भी रिस्म के समझौते के लिये तैयार नहीं था। आखिर, १८१४ के प्रारम्भ में रशिया, प्रशिया और आस्ट्रिया की ४ लाख सेना ने उत्तम क्राम पर आक्रमण किया। उधर बेलिङ्गटन का शत्रु दक्षिण का तरफ से प्रांत पर आक्रमण कर रहा था। उसने साथ इंग्लिश सेनाया के अतिरिक्त स्पेन और पोर्तुगाल की भी सेनायें थीं। नेपोलियन का सम्मुख विपुल समस्या उत्पन्न हो गई। ३१ मार्च १८१४ के दिन पैरिस पर कब्जा कर लिया गया। नेपोलियन का राज्य छोड़ने के लिये बाध्यत हुआ पड़ा। नेपोलियन ने भरपूर काशिश की, कि वह मुनाफिला कर। पर अंत क्या हो सकता था। आखिर, उसे स्वीकार करना पड़ा, कि उसका तथा उसके परिवार का क्षेत्र राजगद्दी पर कोई अधिकार नहीं है। उसकी ज्ञान रखने के लिये उसकी 'मन्नाट' की पदवी राज्यमन्त्री गद्दी और १२ लाख रुपया वार्षिक पेंशिन दे दी गई। साथ ही, एल्याक छोटे से द्वीप में उसका अबाधित अधिकार स्थापित कर लिया गया।

द्योगों राजवश का पुनरुद्धार—विजेता राष्ट्राँ के सम्मुख अंत यह प्रश्न आया, कि प्रांत की राजगद्दी के विषय में क्या निर्णय किया जाय। इस समस्या का हल करने में देर नहीं लगी। फिर से नारा राजवश का पुनरुद्धार कर दिया गया। लुई १६वें के भाइ का लुई लुई के नाम से राजगद्दी पर बिठाया गया। नेपोलियन का मामला यथा किस प्रकार नियंत्रित किया जाय, इस बात पर विचार करने के लिये पीणना में एक कांग्रेस बुलाई गई। इस कांग्रेस के सम्बन्ध में हम आगे चलकर विचार करेंगे।

नेपोलियन का वापिस लौटना—इस बीच में नेपोलियन पुनः

चाप नहीं बंधा था। एल्वा के अग्ने 'साम्राज्य' में क्रेदी की तरह रहता हुआ यह महान् 'सम्राट्' फ्रांस के आन्तरिक परिवर्तनों तथा वीएना की कांग्रेस को बड़े ध्यान से देख रहा था। फ्रांस की जनता १८वें लुई के शासन से सतुष्ट नहीं थी। उसके विरुद्ध असन्तोष निरन्तर बढ़ता ही जाता था। उधर वीएना में एकत्रित राष्ट्र नैपोलियन के साम्राज्य के बटवारे के सम्बन्ध में आपस में खूब लड़-झगड़ रहे थे। नैपोलियन ने देखा, समय आ गया है। अस्मात् वह एल्वा से भाग निकला और १ मार्च १८१५ के दिन फ्रांस जा पहुँचा। सेना अब भी उसकी भक्त थी। उसने उसका साथ दिया। खून का एक भी कतरा गिराये बिना नैपोलियन एक बार फिर फ्रांस का सम्राट् बन गया। नैपोलियन में एक अद्भुत चामत्कारिक व्यक्तित्व था। वह लोगों को अपने पीछे लगाना जानता था। लोग वीरता तथा अद्भुत कार्यों के पीछे भागते हैं। नैपोलियन सचमुच वीर था। वह और मीचकर छल्लांग मार सकता था। उसके व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार का जादू था। उसने लोगों से कहा—मैं तुम्हारी कुलीनों, जमींदारों और विपमताओं से रक्षा करने के लिये आया हूँ। जो सबसे बड़ा साम्राज्यवादी और स्वैच्छाचारी था, वह अपने को फिर साम्राट् बनाने के लिये अब लोकतन्त्रवादी तथा क्रान्तिकारी बन गया। नैपोलियन की यही विशेषता थी, वह मौके के अनुसार अपने को बदलना जानता था। दुनिया में ऐसे लोग आसानी से सफल हो जाते हैं।

वाटर्लू का युद्ध—१८वाँ लुई नैपोलियन के प्रगट होते ही फ्रांस छोड़कर भाग गया। सम्पूर्ण यूरोप में तनसनी सी फैल गई। वीएना के कांग्रेस के सम्मुख एक भयानक समस्या उत्पन्न हो गई। सारा यूरोप युद्ध की दुन्दुभी में प्रतिध्वनित हो उठा। फिर से सेनायें संगठित की जाने लगी। वेलिङ्गटन का ट्यूक एक लाख सैनिकों के साथ प्रशिया की एक लाख तीस हजार सेना को मिलने के लिए ब्रुसल्स की तरफ चल

पना। उसका ख्याल था, कि इङ्गलिश और प्रशियन सेना मिराफर नैपालियन का परास्त करेगी। ग्रास्टिया की सेनायें भी रूहाइन नदी की तरफ चला पना। इस परिस्थिति में नैपालियन के लिये आवश्यक था कि वह भी तैयारी करे। जल्दा जल्दी में उसने दा लारा सैनिक एक पत्रित किए और उनको लेकर उत्तर की तरफ चल पना। उसका विचार था कि इङ्गलिश, प्रशियन और ग्रास्टियन सेनायें परस्पर न मिलन पावें, एक एक करके तोना का परास्त कर दिया जावे। १८ जून १८१५ के दिन वाटर्लू के रणक्षेत्र में उसने अपने जीवन की अन्तिम लड़ाई लड़ी। सम्भवत, वह बेलिङ्गटन के ड्यूक की इङ्गलिश सेना का परास्त कर देता, पर सेनापति ब्लूचर की प्रशियन सेना ठीक मौके पर आ गई। उसकी सेना के घेर उस ड गए। नैपोलियन हार गया। वाटर्लू का युद्ध सभार के इतिहास में अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसने इस बात का अन्तिम रूप से फैमला कर दिया, कि राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद के सिद्धान्त में से किसकी विजय होती है, एक सैनिक सभार का शासन करने में सफल हो सकता है या नहीं।

सेन्ट हेलेना में कैद—वाटर्लू में परास्त होकर नैपोलियन परिम वापिस आया। परन्तु वहाँ लफायत के नेतृत्व में पार्लमण्ट ने शासन सूत्र को अपने हाथ में सम्हाल लिया था। उस राजगद्दी प्राप्त करने की नाइ सम्भावना न रही। उसने निश्चय किया कि अपने लड़के के लिये स्वयं राजसिंहासन का परित्याग कर स्वयं फ्रांस से भाग जाय। उसे स्वयं शात नहा था कि फ्रांस से भागकर वहाँ पहुँचा जाय। सम्भवत उसका ख्याल अमेरिका जाने का था। परन्तु ब्रिटिश जहाजी बेडा फ्रांस के समुद्र तट पर उडे ध्यान से पहरा दे रहा था, वह नैपालियन को कैद करना चाहता था। अखिर नैपालियन ब्रिटिश लोगों के हाथ पड गया। नैपोलियन चाहता था, कि उसका साथ एक परास्त राजनीतिज्ञ और पदच्युत सम्राट् का सा व्यवहार किया जाय। पर ब्रिटिश लोग इस बात के लिये

उद्यत न थे। वे उसे भयङ्कर आदमी समझते थे। एलगा के द्वीप से जिस तरह वह भाग आया था, उसे दृष्टि में रखते हुए यह सुरक्षित नहीं था, कि उस पर कड़ी निगाह न रखी जाये। ब्रिटिश लोग उसे दुनिया के लिये एक भयङ्कर उत्पात समझते थे। उसे ससार की दृष्टि से परे रखने में ही मूल्याण था। इसलिये निश्चय किया गया, कि उसे दक्षिणीय अटलांटिक सागर के एक छोटे से द्वीप सेंट हेलेना में ले जा कर कैद कर दिया जावे।

सेण्ट हेलेना में नेपोलियन ६ वर्ष के लगभग रहा। उस पर नडा पहरा रखा जाता था। उसने अपनी समय मुख्यतया इतिहास तथा अपने जीवन के सस्मरण लिखने में व्यतात किया। नेपोलियन के लिखे ये इतिहास और सस्मरण आत्मप्रशंसा और मूल्यित विचारा में भरे हुए हैं। उसने अपने को भ्रान्ति का पक्षपाती तथा भ्रान्ति के विचारा का प्रसारक लिखा है। वह लिखता है, कि मैं शान्ति का पक्षपाती था। मैं पददलित राष्ट्रा को स्वतन्त्र कराना चाहता था। परन्तु यूरोपियन राज्यों और विशेषतया इङ्ग्लैण्ड ने मेरे प्रयत्न का संभव नहीं होने दिया। उसने लिखा है, कि मैं सम्पूर्ण यूरोपियन राज्यों को अमेरिकन कांग्रेस की तरह एक सगठन में सगठित करना चाहता था और मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरा यह विचार अत्यन्त ही किया में परिणत होकर रहेगा।

अन्त—५ मई १८२१ के दिन यह महान् विजेता अपने गौरवमय कृत्या की रंगभूमि से बहुत दूर एक छोटे से द्वीप में अपनी जावन लीला को समाप्त कर गया। उसका मृतक सस्कार वहीं हुआ। २० वर्ष बाद १८४० में उसके मृतशरीर के अवशेषों को बड़े सम्मान के साथ परिग ले आया गया, और वहाँ पर एक नयी शानदार समाधि में उसके भोक्ति अवशेषों को स्थापित कर दिया गया।

पन्द्रहवाँ अध्याय

नैपोलियन का इतिहास में स्थान

संसार के इतिहास में बड़े बड़े विजेताओं और आक्रान्ताओं को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है। इतिहास की साधारण पुस्तकों में अलेक्जेंडर, सीजर, महमूद गजनवी, पाञ्जु, हैनीबाल और नैपोलियन को जितना अधिक स्थान दिया गया है, उतना बड़े-बड़े धर्म प्रवर्तकों, वैज्ञानिकों तथा विचारकों को नहीं दिया गया। जिसने इतिहास का अक्षर भी पढ़ा है, वह सिकन्दर, महमूद और नैपोलियन का नाम जानता है। इतिहास में इन्हें 'महान्' की उपाधि दी गई है और सामान्य पाठक इन्हें महापुरुष समझते हैं। लोगों को ये विजेता और आक्रान्ता बहुत ही बड़े, असाधारण और अद्वितीय व्यक्ति प्रतीत होते हैं। नैपोलियन के सम्बन्ध में हजारों पुस्तकें लिखी गई हैं, इतिहास में उसे बड़ा गौरवपूर्ण स्थान मिला है। नाटक, कविता, उपन्यास—सब में नैपोलियन एक अत्यन्त उज्ज्वल, महान् और सुवर्णीय सत्ता प्रतीत होता है।

परन्तु संसार के इतिहास में नैपोलियन का वास्तविक स्थान क्या है? इस विषय पर लिखते हुए ऐतिहासिक को बड़ी कठिनता का मुकाबला करना पड़ता है। आप यदि नैपोलियन-सम्बन्धी साहित्य को पढ़ें, तो दो प्रकार के लेखक मिलेंगे। एक वे जिन्होंने नैपोलियन को

बहुत ऊँचा चढा दिया है दूसरे वे, जो उसे अत्यन्त नीच तथा पशु तुल्य समझते हैं। उसका जापन माल म लोग नैपोलियन को एक आश्चर्यजनक विजेता समझते थे। उसका अद्भुत वीर गाथाओं से सम्पूर्ण यूरोप व्याप्त हो गया था। फ्रांस के लिये वह अनुपम विजेता था। उसकी तलवार ने फ्रांस का शक्ति का रशिया की गर्भ से आच्छादित घाटियाँ और ग्राप्स को दुर्गम पर्वतमाला से भी परे बहुत दूर तक विस्तृत कर दिया था। फ्रेञ्च लोग क्या न उसको पूजते ? उसी का काम था, कि ईजिप्ट और सीरिया की रहस्यमय अद्भुत वस्तुओं से पेरिस का शिल्पशाला परिपूर्ण हो गया था। इटली, हालैंड और स्पेन से करोड़ों रुपये फ्रांस का भजे गये थे। फ्रांस की जनता उसके जादू भरे कृत्यों से चकित हुई थी। निस्सन्देह, वह उसके इशारे पर नाचती थी। उसकी मृत्यु के बाद जन प्राम की दुखवस्था शुरू हुई—फ्रांस का विशाल साम्राज्य बालू की भीत की तरह नष्ट हो गया—तब वहाँ के लोग उसका स्मरण कर आश्चर्य से चकित हो जाते थे। उनकी दृष्टि में एक जादूगर आया था— जो फ्रांस को इतनी दूर—इतने ऊँचे स्थान पर खींच ले गया था। पर उसका जादू का महल उसके साथ ही समाप्त हो गया। फ्रेञ्च लोगों की दृष्टि में नैपोलियन ने वह गौरवपूर्ण स्थान फ्रांस दिया, जो सम्भवतः अन्य किसी व्यक्ति को नहीं मिला। फ्रेञ्च इतिहास, साहित्य और काव्य में नैपोलियन सबसे अधिक उज्वल, शानदार और पूजनीय व्यक्ति बन गया। पर फ्रांस के शत्रुओं की दृष्टि में ? नैपोलियन एक भयङ्कर राक्षस था। जो सत्कार की शान्ति और व्यवस्था को नष्ट करने के लिये उत्पन्न हुआ था। उन्होंने उसे बदनाम करने के लिये जो कुछ भी बन सका, किया। उसके पतन के बाद भी उसके विरुद्ध भावना प्रचलित रही। इङ्गलिस ऐतिहासिकों ने नैपोलियन को कभी भी सहानुभूति की दृष्टि से नहीं देखा। न केवल इङ्गलिस पर अन्य यूरोपियन ऐतिहासिक भी उसे घृणा की दृष्टि से देखते रहे।

पर आज नैपोलियन को अपनी जीवन-लीला समाप्त किये एक सदी से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। अब उसके सम्बन्ध में ठीक विचार बना सकना असम्भव नहीं रहा है। वस्तुतः नैपोलियन क्रांति की उपज था। फ्रेञ्च राज्यक्रान्ति ने जो असाधारण और अद्भुत शक्ति उत्पन्न की थी, वही नैपोलियन की शानदार विजयों में मुख्य कारण थी। यह नहीं समझना चाहिये, कि नैपोलियन कोई अलौकिक पुरुष था। इतिहास में कोई भी व्यक्ति अलौकिक नहीं होता। सब अपनी परिस्थितियों की कृति होते हैं। क्रांति ने एक अद्भुत शक्ति, एक अद्भुत लहर उत्पन्न की थी, जो यूरोप के अधिकांश देशों को व्याप्त कर रही थी। नैपोलियन तो इस लहर में तैरते हुए दूर से नजर आनेवाले एक बड़े लकड़ के समान था। यह लहर नैपोलियन की कृति नहीं थी। उसे जो कुछ भी सफलता हुई, उसने जो कुछ भी विजय प्राप्त की, वह उसकी अलौकिक शक्ति का परिणाम नहीं था। उसमें कोई ऐसी असाधारण शक्ति नहीं थी—जिसने आस्ट्रिया, प्रशिया, स्पेन और रशिया को उसके सम्मुख घुटने टेक देने को विवश कर दिया। वह अद्भुत शक्ति तो उन नई प्रवृत्तियों में—नवीन भावनाओं में थी; जिन्हें फ्रेञ्च राज्यक्रान्ति ने जन्म दिया था, नैपोलियन तो उन प्रवृत्तियों के हाथ में एक कठपुतली की तरह काम कर रहा था। यदि इस बात को हम अपनी दृष्टि में रखें, तो हम नैपोलियन के सम्बन्ध में ठीक ठीक सम्मति बनाने में समर्थ हो सकेंगे। जहाँ तक उसके गौरवमय असाधारण कृत्यों का सम्बन्ध है, वहाँ तक यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये, कि यह उसके किसी जादू—किसी अलौकिक प्रभाव के परिणाम नहीं थे। वे सब हमले, वे सब विजय क्रान्ति द्वारा प्रादुर्भूत जनता की शक्ति के परिणाम थे। जिस प्रकार पैगम्बर मुहम्मद के कार्य से अरब की जनता में एक अद्भुत शक्ति प्रादुर्भूत हुई थी और उसने अपने समय के सम्पूर्ण सभ्य सभार को व्याप्त कर लिया था—अरब लोगों के विविध सेनापति तो उस

शक्ति के प्रतिनिधि मात्र थे। इसी प्रकार फ्रेञ्च राज्यक्रान्ति से भी अतुल्य शक्ति उत्पन्न हुई थी, वह सम्पूर्ण यूरोप को व्याप्त कर रही थी। नेपोलियन, मूरो आदि सेनापति तो उसके प्रतिनिधि—निशान—उपलक्षण मान थे। नेपालियन अपनी सैनिक प्रतिभा से उनमें अधिक सफल तथा अधिक प्रसिद्ध हो गया, पर वह शक्ति उसकी अपनी वृत्ति नहीं थी।

नेपालियन की वैयक्तिक योग्यता व सम्बन्ध में अपनी सम्मति बनाने का अवसर हमें तब प्राप्त होता है, जब वह घटनाचक्र से—जटिल परिस्थितियों से, फ्रेञ्च रिपब्लिक का प्रधान कान्सल बन गया था, जब राज्यक्रान्ति का सबसे प्रमुख नेता वही था। प्रधान कान्सल के पद पर अधिष्ठित होने पर नेपालियन का एक ऐसा अद्भुत अवसर मिला था, जैसा कि उससे पूर्व शायद किसी अन्य व्यक्ति का नहीं मिला। पुराने तमामे का अन्त हो रहा था, नवान युग की सृष्टि हो जा रही थी। विपमता, अन्याय, अत्याचार और सभ्यता पर आश्रित मध्य कालीन सभ्यताएँ नष्ट हो रही थीं, और उनके स्थान पर एक ऐसी नई दुनिया का प्रादुर्भाव हो रहा था, जिसमें सब लोग समान हों, कोई किसी पर अत्याचार करनेवाला न हो। सब एक दूसरे का भाई भाई समझें। फ्रांस में यह नया युग बहुत कुछ प्रादुर्भाव हो चुका था और आस पास के राज्य अक्सर मीचकर उसका अनुसरण कर रहे थे। सारा यूरोप एक नये युग का स्वप्न देख रहा था। अब इस सम्पूर्ण प्रवृत्ति, इस सारी लहर का नेता था—नेपोलियन। निस्सन्देह, नेपोलियन इस महत्त्वपूर्ण उच्च स्थान पर पहुँच गया था। सारा फ्रांस उसके कब्जे में था—उसकी इच्छा ही वहाँ कानून थी। इसलिये नहीं, कि इश्वर ने उसे इस पद पर पहुँचाया था, बल्कि इसलिये कि जनता ने उसे यह गौरवपूर्ण सम्मान प्रदान किया था। इस स्थिति का प्रयोग ससार में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने के लिये भी किया जा सकता

था। नैपोलियन नये युग का सस्थापक भी बन सकता था। पर उसने अपने गौरवपूर्ण असाधारण पद का प्रयोग किस काम के लिये किया? क्या कान्ति का स्थिर और व्यवस्थित करने के लिये? क्या मादस्क और रूमो के सिद्धन्तों का एक क्रियात्मक सत्य बना देने के लिये? क्या सम्पूर्ण यूरोप के सम्मुख कान्ति के विधायक और उज्ज्वल रूप को प्रगट करने के लिये? नहीं, इसके लिये नैपोलियन ने कुछ नहीं किया। फिर उसने क्या किया? वह १४वें जुई के पीछे चलना चाहता था। उसे टुदलरां का राजप्रासाद में दरबारियां की सगति में रहने में आनन्द अनुभव हाता था। उसने अपना असाधारण शक्ति और स्थिति का प्रयोग काम में फिर से एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजसत्ता का पुनरुद्धार करने का निय किया। उमरु प्रयत्न से फिर राजदरबार का उद्धार हुआ, लोगों में ऊँच नीच के भाव उत्पन्न हुए, भाषण, लेखन और मुद्रण की स्वतन्त्रता छीन ली गई। कान्ति ने जो कुछ किया था, उस पर पाना फेरने के लिये—नेपालियन के इन कार्यों का कितना असर हुआ।

वह सागर का अनुसरण करना चाहता था। रोमन इतिहास उसे बहुत आकर्षित करता था। 'कान्सल' शब्द उसने रोमन इतिहास से ही लिया था। प्राचीन रोमन रिपब्लिक के प्रधान को 'कान्सल' कहते थे, सीजर भी पहले कान्सल बना था। नैपोलियन भी पहले कान्सल बना। फिर सीजर सम्राट् बन गया। नेपालियन ने भी उसका अनुसरण किया। वह भी 'कान्सल' से 'सम्राट्' बन गया। चाहिये तो यह था कि वह राज्यकान्ति द्वारा उत्पन्न 'गिपब्लिक' को स्थिर और व्यवस्थित करता। यह न कर उसने सम्राट् बनने में ही गौरव समझा। इसके बाद उसने जा कुछ भी काय किया—वह अपनी 'सम्राट्' की स्थिति को दृढ़ करने के लिये ही किया। फ्रांस के ग्राहकतुलीन लोगों को उसने फिर वापिस बुला लिया। रोम के पोप के साथ उसने समझौता किया। किस लिये?

क्या उसे स्वयं रामन कैथोलिक धर्म में धडा थी ? क्या वह धर्म का मनुष्यों के लिये उपयोगी समझता था ? नहीं । उसका विचार था कि पोप के पक्ष में हो जाने से उसकी स्थिति बहुत दृढ़ हो जायेगा । धर्म की भाय लिये बिना उसकी राजसत्ता कायम नहीं रह सकेगी—ऐसा उसका विचार था । उसने एक बार कहा था—“धर्म के बिना राज्य में व्यवस्था कैसे रह सकती है ? विषमता के बिना समाज कायम नहीं रह सकता और विषमता रखने के लिये धर्म आवश्यक है । जब एक आदमी भूख के मारे तड़प तड़प कर प्राण दे रहा हो और दूसरे के पास इतनी अधिक सम्पत्ति हो, कि वह यह भी न जानता हो कि वह उसका क्या करे, इस हालत में वह भूखा मरता हुआ मनुष्य कैसे सतुष्ट रह सकता है, जब तक कि धर्म आकर उसे यह न समझावे—कि परमात्मा की ऐसी ही इच्छा है । ससार में गरीब और गरीब दोनों ही रहने चाहिये परन्तु परलोक में यह भेद न रहेगा ।” नेपोलियन का खयाल था, कि लोगों को सतुष्ट रखने के लिये धर्म के बिना काम नहीं चल सकता । धर्म एक ऐसी उत्तम वस्तु है, जो गरीब, दुखा और अत्याचार पीड़ित लोगों को अपनी दुर्दशा में भी सन्तोष और शान्ति सिखाती है, अपनी दुर्दशा को परम कृपालु महान्तरूप भगवान की इच्छा जताकर लोगों को दुखी और दलित रहने के लिये राहित करती है । नेपोलियन चाहता था, कि इस अत्युत्तम पदार्थ का अपनी महत्ताकांक्षा का पूर्ति के लिये प्रयोग करे । पहले जब वह कैथोलिक दल का सदस्य था, तब धर्म की अत्यन्त हानिकारक समझता था और हमेशा उसके खिलाफ रहता था, पर अब अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिये धर्म का पक्षपाती बन गया था ।

अपनी राजनीतिक महत्ताकांक्षा को पूर्ण करने के लिये ही नेपोलियन ने ईसाई धर्म का विदेशों में प्रचार करने का सफल किया था । उसने लिखा था “मैं चाहता हूँ कि ईसाई भिक्षुओं का फिर से सगठन

क्रिया जावे। रशिया, अफ्रीका और अमेरिका में ये ईसाई मिशनरी मेरे लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। ये जहाँ भी जावेंगे, देशों का ठीक ठीक परिज्ञान प्राप्त कर पावेंगे। उनकी पोशाक को देखकर कोई उन पर सन्देह नहीं करेगा। कोई यह नहीं जान पावेगा कि वे राजनीतिक और व्यापारी दृष्टि से खोज कर रहे हैं।” धर्मप्रचार में भी नैपोलियन का उद्देश्य राजनीतिक और व्यापारिक था।

शिक्षा के क्षेत्र में भी नैपोलियन के विचार बहुत सर्कीर्ण थे। १७६२ में फ्रांस के क्रान्तिकारियों ने बाधित और मुफ्त शिक्षा की स्कीम तैयार की थी। उनका विचार था, कि एक भी फ्रेञ्च पुरुष व स्त्री ऐसी नहीं रहनी चाहिए, जो शिक्षित न हो। जिस उपाय का अवलम्बन सभी सभ्य देशों में उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग में किया गया, फ्रेञ्च क्रान्तिकारी उसे अठारहवीं सदी में ही प्रयोग में लाने का प्रयत्न कर रहे थे। यदि राज्यक्रान्ति के मार्ग में नैपोलियन की महत्त्वाकांक्षाएँ एक भारी विघ्न उपस्थित न कर देतीं, तो सम्भवतः फ्रांस में बहुत पहले शिक्षा का प्रसार हो जाता। पर नैपोलियन की दृष्टि में प्रारम्भिक शिक्षा का बहुत महत्त्व नहीं था। वह इस बात की कोई आवश्यकता नहीं समझता था, कि सर्वसाधारण को शिक्षित किया जावे। निस्सन्देह, उसके समय में बहुत से शिक्षालय खुले। पर ये नैपोलियन की प्रतिभा के परिणाम नहीं थे। राज्य क्रान्ति ने लोगों में शिक्षा के लिये प्रबल आकांक्षा उत्पन्न कर दी थी। नैपोलियन तो उनमें एक बाधा रूप ही था। स्त्री शिक्षा के विषय में नैपोलियन के विचार निम्न लिखित थे—मैं नहीं समझता, कि हमें लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में किसी योजना को तैयार करने के लिये अपने दिमागों को तकलीफ देने की जरूरत है। उनकी शिक्षा के लिये उनकी मातायें ही काफी हैं। सार्वजनिक शिक्षा उनके लिये किसी काम की नहीं है, क्योंकि उन्हें जनता में आने की आवश्यकता ही

प्रकार पुराने जमाने के ग्रामीर उमरा लोग अपने भाइयों, वृषापानों और आश्रितों को उचित व अनुचित सब प्रकार के तरीकों से ऊँचे पदों पर पहुँचाने की कोशिश किया करते थे, वैसे ही नेपोलियन ने भी किया। वह इस स्वाभाविक मानवीय निर्मलता से ऊँचा नहीं उठ सका। क्रान्ति का सिद्धान्त था, कि मनुष्या में ऊँच नीच का भेद कोई नष्ट है। प्रत्येक मनुष्य अपनी योग्यता से राजकाय पदा को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। पर इस शक्तिशाली, साहसी और सफल नेपोलियन के भाई गहिन केवल इसलिये बड़े बड़े राज्या के शासक और कर्त्ता बर्ता बनाये गये, क्याकि वे उसके निम्न सम्पत्ती थे। नेपोलियन उनका सुश्रुत करना चाहता था, उनकी दृष्टि में बड़ा बनना चाहता था। अपने घर में—अपने परिवार में उद्वेग प्रदर्शित करना मनुष्या के लिये कितना स्वाभाविक होता है।

और जब नेपोलियन सम्राट् बन गया ? फिर १६वें जुई का जमाना वापिस लौट आया। वही राज दरबार, वही पाशाकों, वही अनुचर और पार्श्वचर—वही सब गान शौकत और धूम धाम। रिपब्लिकन फ्रांस के ग्राम ग्रन्थ रिपब्लिकन राज्यों में भी अब राजतन्त्र शासन स्थापित किया गया और उन पर शासन करने के लिये नियत किये गये नेपोलियन के भाई गहिन। कहाँ तो फ्रांस की क्रान्तिकारी सेनायें यूरोप भर में राजसत्ता का अन्त करने के लिये सघर्ष कर रही थीं, और कहाँ यह सफल सेनापति रिपब्लिकन राज्यों में एक सत्तात्मिक शासन स्थापित कर रहा था। कितना भारी परिवर्तन था ? फ्रांस की क्रान्तिकारी भावनायें इस महान् सम्राट् के हाथ में पड़कर कितनी विस्तृत और पतित रूप वारण कर रही थीं।

नेपोलियन का तब तब सन्तोष नहीं हुआ, जब तक कि उसने आस्ट्रिया की राजकुमारी से विवाह कर अपने को यूरोपियन राजाओं का दृष्टि में कुलान साबित नहीं कर दिया। सचमुच नेपोलियन इस बात

के लिये उत्सुक था, कि लोग उसे अपने से ऊँचा, बहुत अधिक ऊँचा समझें। सब लोग यह भूल जायें, कि वह कोसोका के एक गरीब वकील का लडका है, जो ब्रॉन के सेनिक शिक्षणालय में अपने साथी कुलीन विद्यार्थियों द्वारा निरन्तर अपमानित किया जाता था। यह चाहता था, कि लोग उसे सम्राट् महान् नेपोलियन समझें, जो कि आस्ट्रिया के पतिव्रत उच्च हाप्सबुर्ग सम्राट का जामाता है, और जिसकी महारानी आस्ट्रियन राजकुमारी है। कौसा ऊँचा खयाल था ? राज्यक्रान्ति इन्हीं भावनाओं के प्रसार के लिये तो उत्पन्न हुई थी ? रशियन जार अलकज़ैण्डर के साथ टिलसिट में बैठकर उसने उसे ऊँचे भावों को प्रगट किया था ? 'यूरोप क्या है ?' 'हम यूरोप हैं।' जनता नहीं गई ? यूरोप की जनता नेपोलियन की दृष्टि में कोई स्थान ही नहीं रखती थी। इस दृष्टि से अलकज़ैण्डर और नेपोलियन—दोना मिलकुल एक जैसे विचार रखते थे।

इस स्थिति में हम नेपोलियन के सम्बन्ध में क्या सम्मति प्रगट करें ? इसमें तो कोई सन्देह नहीं, कि वह असाधारण शक्तिसम्पन्न, साहसी और जनदस्त व्यक्ति था। उसके अन्दर एक किरम की आकर्षण शक्ति थी, जिससे लोग उसके पीछे लग जाते थे। अपनी योग्यता और सामर्थ्य में ही वह अत्यन्त साधारण स्थिति से ऊँचा उठकर एक महान् सम्राट् के पद को पहुँचा था। पर इस उन्नति में उसकी योग्यता ही एकमात्र कारण नहीं है। नेपोलियन ने जो कुछ कर दिखाया, उसमें उसका अपनी योग्यता के अतिरिक्त अधिक महत्वपूर्ण कारण—बहुत अधिक महत्वपूर्ण कारण वह अद्भुत और अद्वितीय शक्ति है, जिसे प्राप्त की राज्यक्रान्ति ने उत्पन्न किया था। उसी शक्ति का सहारा लेकर नेपोलियन ने इतनी असाधारण विजय प्राप्त की। उसी शक्ति का दुरुपयोग कर वह एक उच्च सम्राट् के पद को पहुँच गया और सम्पूर्ण यूरोपियन राज्यों के लिये एक भयंकर खतरा बन गया। यदि सैनिक शक्ति और साहस

के अतिरिक्त नेपालियन में प्रतिभा, विचार और सत्कल्पना भी होती, ता वह अपना मत्त्वपूर्ण परिस्थितिया का उपयोग और ही प्रकार से करता। उस हालत में 'भय राण का युद्ध' उसके खिलाफ न लया जाता, सन राज्या की जनता भी अपने राजाओं के साथ उसका मुकाबला करने के लिये न उठ सखी होती। यूरोप भर की जनता उसे अपना रक्षक और नेता समझती और उसकी सहायता प्राप्त कर अपने को स्वाधीन बनाने का प्रयत्न करती। नेपालियन इस गौरवपूर्ण पद का प्राप्त कर सक्ता था। इसके लिये उसे कितना उत्तम अवसर प्राप्त हुआ था। पर उसने इस क्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न नहा किया। वह उह गया, उम धारा में—जो गिरावट और पतन की तरफ ले जाती थी।

नेपालियन के युद्धों में कुल मिला कर ४० लाख के लगभग मनुष्यों के जावन नष्ट हुए। इतने जीवनों का विनाश किस लिये हुआ ? एक आदमी की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिये। इससे बहुत कम, सम्भवत इसने शताश से नेपालियन सभार को नवयुग का सदेश देने का कार्य कर सक्ता था। पर उसका ध्यान ही इस तरफ नहीं था। लुई १६वें का जीवन उसे अधिक्त आदर्श प्रतीत होता था।

सोलहवीं अध्याय

नेपोलियन के बाद यूरोप की समस्याएँ

फ्रान्सि का टमन—फ्रांस की राज्यक्रान्ति का प्रारम्भ हुए एक चौथाई शताब्दि व्यतात हो चुकी थी। इस बीच यूरोप में भारी उथल पुथल मच गई थी। पुरानी सस्थाएँ टूट रहा थीं, नवीन युग का प्रादुर्भाव हो रहा था। नई और पुरानी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों में भारी संघर्ष चल रहा था। नेपोलियन परास्त हो गया था, उसके साथ ही फ्रांस का सैनिक गौरव भी मट्टी में मिल गया था। पर इससे नई प्रवृत्तियों का अन्त नहीं हो गया था। 'स्वतंत्रता ममानता और भ्रातृभाव' के निनाद से अर भी यूरोप गुँन रहा था। राष्ट्रीयता का भावना लोगों में नरनीउन उत्पन्न कर रही थी। एकतन्त्र शासन का स्थान लातन शासन ले रहा था। लोग आपस में बात करते थे, राज्य जनता का है। घाट का एक सत्रको होना चाहिये। राजा की सत्ता जनता का इच्छा पर आधारित है। ये सब प्रवृत्तियाँ क्रोड राज्यक्रान्ति ने उत्पन्न का थीं। १७६२ से लेकर १८१५ तक फ्रांस क खिलाप जितने भी गुट रने, सब इन प्रवृत्तियों के दुश्मन थे, इन्हें नष्ट करने में ही यूरोप का कल्याण समझते थे। इन गुटों का उद्देश्य क्रान्ति का कुचलना तथा एकतन्त्र शासन का फिर से स्थापित करना था। अर जब कि ये गुट अपने उद्देश्य में सफल हो रहे थे, तब इन्होंने फ्रांस को परास्त कर दिया था,

तब इनका स्वाभाविक रूप से यही प्रयत्न था, कि नई प्रवृत्तियों को सन्तथा नष्ट कर फिर से पुराने जमाने को कायम कर दिया जाये। इङ्गलैण्ड और प्रशिया में नये युग की रोशनी पहुँच चुकी थी, पर वहाँ शासक भी इस बात को अच्छी तरह समझे हुए थे कि उनका कल्याण इसी में है, कि रशिया और आस्ट्रिया के साथ मिलकर नई प्रवृत्तियों का कुचल दिया जाय। इसलिये नेपोलियन को परास्त करनेवाले विजयी राज्यों के सम्मुख पहला प्रश्न यह था, कि कौन से ऐसे उपाय किये जायें, जिनसे क्रान्ति की भावनाओं का नामोनिशान ही समार से मिट जावे।

मैटरनिस—नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप का प्रधान राज नीतिज्ञ का मैटरनिस था। प्रतिक्रिया और क्रान्ति की विरोधी प्रवृत्तियों को मैटरनिस के रूप में एक अत्यन्त योग्य नेता मिल गया था। मैटरनिस का जन्म १७७३ में हुआ था। वह रूहान नदी के तट पर स्थित कोलेन्स नामक स्थान का रहनेवाला था। उसके माता पिता कुलीन श्रेणी के व्यक्ति थे। उसका पालन पोषण कुलीन वातावरण में हुआ था। जब वह विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तब उसने फ्रांस से भागे हुए कुलीन परिवारों की दुःख गाथाओं को सुना था। इन गाथाओं तथा राज्यक्रान्ति के वृत्तान्त को सुनकर उसके हृदय में नयी प्रवृत्तियों के विकृत तीव्र भावना उत्पन्न हो गई थी। उसका पैतृक सम्पत्ति नेपोलियन ने जप्त कर ली थी, इस कारण वह क्रान्ति तथा नई प्रवृत्तियों का और भी अधिक दुश्मन हो गया था। आस्ट्रिया के प्रधान मन्त्री के परिवार में उसका विवाह हुआ था। इस कारण उसकी महत्ता तथा वैभव बहुत अधिक बढ़ गये थे। अपने स्वसुर कुल की सहायता से वह यूरोप के सभी राजनीतिज्ञ तथा राजकुलों से परिचित हो गया था। धीरे धीरे आस्ट्रिया के राजनीतिक वातावरण में उसका महत्त्व बढ़ता गया। १८०६ में उसे प्रधान मन्त्री के पद पर नियत किया

गया। इसके बाद मैटर्निख ४० साल तक निरन्तर आस्ट्रिया का प्रधान मन्त्री रहा। इस मुदीर्ध काल में उसने अपनी शक्ति को पूर्णरूप से क्रान्ति की भावनाओं को नष्ट करने तथा पुराने जमाने को स्थापित करने के लिये लगा दिया। उसका सिद्धान्त था, कि क्रान्ति एक ऐसी बीमारी है, जिसका इलाज किया जाना चाहिये। यह एक ऐसा ज्वाला-मुखी है, जिसका शमन करना आवश्यक है। क्रान्ति एक ऐसा भयङ्कर राक्षस है, जो हर समय सामाजिक व्यवस्था को निगल लेने के लिये तैयार रहता है। यह कहा करता था, कि राजाओं को यह अधिकार है, कि वे अपनी प्रजा के भाग्यो का निवटारा करें। राजा केवल ईश्वर के सम्मुख ही उत्तरदायी होते हैं, जनता के प्रति नहीं। उसका मत था, कि यूरोप को स्वतन्त्रता की जरूरत नहीं है, उसे शान्ति की आवश्यकता है। यह अपने जीवन का यही उद्देश्य समझता था, कि समाज के क्षीण होते हुए संगठन की रक्षा करने के लिये नई प्रवृत्तियों तथा क्रान्ति की भावनाओं को जड़ से नष्ट कर दिया जावे।

केवल मैटर्निख ही नहीं, यूरोप के अन्य राजनीतिज्ञ भी इन्हीं विचारों को मानते थे। उस समय के यूरोपियन वातावरण में ये ही विचार मुख्यतया प्रचलित थे। इन राजनीतिज्ञों का यही सिद्धान्त था कि जनता के अधिकारों की उपेक्षा की जाय। जनता शासन में हिस्सा चाहती है, अपने अधिकार माँगती है—कितनी फिजूल बात है। अधिकार तो राजा के हैं। दुनिया में रिपब्लिकों की जरूरत नहीं है। वैध शासन और अराजकता—एक ही बात है। यह प्रतिक्रिया का युग था। फ्रांस ने जिन नई प्रवृत्तियों को शुरू किया था, उनके विरुद्ध अब भयङ्कर प्रतिक्रिया हो रही थी। तलावार के जोर पर पुराने जमाने को स्थापित करने का उद्योग किया जा रहा था। मैटर्निख इस सम्पूर्ण प्रयत्न का प्रधान पुरोहित था। इसीलिये इस युग को 'मैटर्निख का युग' भी कहते हैं।

नैपोलियन के पतन के बाद यूरोप का पुनः निर्माण करने के लिये वीएना में जो कांग्रेस हुई, उसके सम्मुख सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय विषय यह था, कि क्रान्ति के भूत से किस प्रकार यूरोप की रक्षा की जावे, और गमाज को छिन्न-भिन्न होने से किस प्रकार बचाया जावे।

नैपोलियन के साम्राज्य की व्यवस्था—इसके अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न उनके सम्मुख यह था, कि नैपोलियन के साम्राज्य की क्या व्यवस्था की जावे। नैपोलियन की असाधारण विजयों ने यूरोप के पुराने राजवंशों को नष्ट कर दिया था। स्पेन, पोर्तुगाल, इटली, नेपल्स, स्वीडन, हालेण्ड, स्विट्जरलैण्ड, आस्ट्रियन नॉदरलैण्ड, पॉलैण्ड आदि विविध देशों के पुराने शासक नैपोलियन द्वारा नष्ट कर दिये गये थे। इन सब पर नैपोलियन के बन्धु बान्धव या सेनापति शासन करते थे। अब उसके पतन के बाद यह प्रश्न था, कि इन विविध राज्यों के शासन की क्या व्यवस्था की जावे। यह प्रश्न बहुत विकट था। क्रान्ति को कुचलने के प्रश्न पर तो सब राज्य सहमत थे, पर इस विषय में उनमें भारी मतभेद थे। यूरोप के सभी राज्य महत्त्वाकांक्षी, साम्राज्यवादी तथा स्वार्थ से परिपूर्ण थे। वे इस बात के लिये उत्सुक थे, कि इस विशेष परिस्थिति से लाभ उठाकर अपने स्वार्थ का सिद्ध किया जावे। इसके अतिरिक्त विविध व्यक्तियों के विविध राजगद्दियों के सम्बन्ध में दावों पर भी गम्भारता के साथ विचार किया जाना था। उस जमाने में राज्य भी मामूली जायदाद की हैसियत रखते थे। जिस तरह जमीन जायदाद के मामले में अनेक दावेदारी होती हैं, और उन पर कानून की बारीकियों से फैसला करना होता है, उसी प्रकार राज्यों का भी निर्णय होता था। नैपोलियन के साम्राज्य के पतन से जो बहुत से प्रदेश इस समय राजा से रहित थे, उनके दावेदारों की कमी नहीं थी। वीएना की कांग्रेस में इन सबका विचार होकर यह फैसला होता था, कि कौन राज्य किस व्यक्ति के सुपुर्द किया जावे।

चर्च की समस्या—चर्च का मामला और भी विकट था। राज्य-क्रान्ति ने न केवल फ्रांस में, अपितु पश्चिमी यूरोप के बहुत बड़े हिस्से में चर्च की व्यवस्था को सर्वथा नष्ट कर दिया था। प्रोटेस्टेण्ट और रोमन कैथोलिक चर्चों का भेद तो यूरोप में था ही, अब राज्यक्रान्ति के कारण धर्म के विरुद्ध भावना भी बलवती हो गई थी। नेपोलियन ने तो चर्च को सर्वथा राज्य की कठपुतली बना दिया था। पोप को कैद कर तथा उसके राज्य को अपने कब्जे में कर नेपोलियन ने चर्च के सम्पूर्ण रोव को ही धूल में मिला दिया था। पुराने जमाने की स्थापना में लगे हुए बीएना में एकत्रित राजनीतिज्ञों के सम्मुख चर्च की व्यवस्था का भी प्रश्न विद्यमान था।

शान्तिरक्षा का उपाय—भाय ही, ये राजनीतिज्ञ ऐसा उपाय ढूँढने के लिये भी प्रयत्नशील थे, जिससे यूरोप में युद्ध की सम्भावना कम हो जावे। २५ वर्ष के निरन्तर युद्धों से यूरोप के राज्य तग आ गये थे। इसके अतिरिक्त नेपोलियन के विरुद्ध जो अन्तिम गुट बना था, उसमें यूरोप के बहुत से प्रमुख राज्य सम्मिलित थे। अब इन राज्यों के राजनीतिज्ञों का खयाल था, कि यदि इस गुट को कायम रखा जावे, तो एक ऐसे उपाय का सुगमता से आविष्कार किया जा सकता है, जिससे भविष्य में युद्ध की सम्भावना बहुत कुछ कम हो जावे। इस उपाय की ढूँढ निकालना भी उनके सम्मुख एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या थी।

सत्रहवाँ अध्याय

वीएना की कांग्रेस

पेरिस की सन्धि—जिम समय नेपोलियन का फ्रांस से बहिष्कृत कर एल्बा के द्वीप में भेज दिया गया, और १८०६ में लुई का गद्दी पर बिठाया गया, उही समय कुछ महत्त्वपूर्ण तथा आवश्यक मामला का फैसला कर लिया गया था। ३० मई १८१४ को विजयी राज्या ने १८०६ लुई के साथ सन्धि की थी, जो कि पेरिस की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार फ्रांस पर शासन करने के लिये चारों बंश का अधिकार स्वीकृत किया गया। फ्रांस की वह सीमा निश्चित की गई, जो कि फ्रान्ति से पूर्व १ नवम्बर १७९२ के दिन थी। उस दिन जो उपनिवेश फ्रांस के आधीन थे, वे भी उस वापिस लौटा दिये गये। नेपोलियन के भग्न साम्राज्य से नीदरलैंड के राज्य का सृष्टि की गई। यह हालेण्ड और बेल्जियम का मिलान कर बनाया गया था। इस नए नए राज्य पर शासन करने के लिये हालेण्ड के पुराने आरेन्ज राजवंश के अधिकार को स्वीकृत किया गया। स्विट्जरलैंड को स्वतन्त्र कर दिया गया। जर्मनी के विविध राज्या को मिलाकर एक नवीन सन्धि की रचना की गई। इटली को विविध पुराने राज्या का पुनरुद्धार किया गया, और इस प्रकार जो विविध रिपब्लिकन राज्य फ्रान्ति द्वारा प्रादुर्भूत हुए थे, उन सबका अन्त कर दिया गया। पेरिस की सन्धि में मोटी-मोटी

वार्ता का निपटारा कर लिया गया था। शेष बातें वीएना की कांग्रेस के लिये छोड़ दी गई थी। महत्त्वपूर्ण प्रश्ना का पैगला वीएना में ही किया जाना था।

कांग्रेस के प्रतिनिधि—सितम्बर १८१४ में वीएना की कांग्रेस प्रारम्भ हुई। सभार के आधुनिक इतिहास में यह कांग्रेस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। राजनीतिज्ञों को इससे बड़ी बड़ी आशाएँ थीं। टर्की के सिवाय शेष सब यूरोपियन देशों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए थे। कुल मिलाकर ६० बड़े महाराजा और ५३ राजा—व उनका प्रतिनिधि इसमें एकत्रित थे। आस्ट्रिया का सम्राट् फ्रांसिस प्रथम अपने योग्य प्रधान मन्त्री मेटर्निस के साथ इस कांग्रेस का सम्पूर्ण प्रबन्ध कर रहा था। सब राजे महाराजे उसके अतिथि थे। रशिया का जार अलेक्जेंडर प्रथम अपने मन्त्री नेसलरोड और जर्मनी ने प्रसिद्ध नेता स्टाइन के साथ उपस्थित था। प्रणिया का राजा फ्रेडरिक विलियम तृतीय हार्डनबर्ग और फान हुम्बोल्ट् को साथ लेकर आया था। ग्रेट ब्रिटेन ने कैसलरे तथा वेलिङ्गटन के ड्यूक का अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। फ्रांस की तरफ से टेलीरां आया था, जो मृदुभाषिता और चाखाऊता में अपना सानी नहीं रखता था। पोप की तरफ से कार्डिनल गान साल्सी उपस्थित हुआ था। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और राजे महाराजे यूरोप के भाग्य का निर्माण करने के लिये वीएना में एकत्रित हुए थे। इतने महाराजों, अमीर उमरावों, सरदारों और श्रीमन्तों के उपस्थित होने से वीएना की शान का कोई ठिकाना नहीं रहा था। तरह तरह की थडिया पोशाकें सब तरफ नजर आती थीं। धूम धाम और रौनक का कोई अन्त नहीं था। प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिये आस्ट्रियन सरकार ने कोई बसर नहीं उठा रखी थी। भोज, गान, नाच, तमाशे आदि की कोई हद्द नहीं थी। यूरोप भर से नाचने गानेवाले इकट्ठे किये गये थे। प्रतिनिधियों

की आयुभंगत करते हुए आस्ट्रियन सरकार दिवालिया बन गई थी।

कार्यनीति—कांग्रेस के कार्य का कोई निश्चित ढंग न था। कोई प्रस्ताव पेश नहीं होते थे, वोट लेने की भाँव्यवस्था नहीं थी। नाचघर में राज्यों की सीमायें तय होती थीं। नाच तमाशे ट्रेपते हुए राज्यों को बढ़ाने या घटाने का फेसला हो जाता था। गम्भीर से गम्भीर राजनीतिर मामले सहभाचो, तमाशों और सगीत सम्मेलनों में तय कर लिये जाते थे। किसी ने कोई हँसी मजाक की बात नहीं, आरो को पसन्द आ गई, मान ली गई। जिन देशों के भाग्य का निर्णय हो रहा है, उनकी जनता क्या चाहती है, इसकी किसी को परवाह नहीं थी। रशिया, आस्ट्रिया, प्रशिया और ब्रिटेन के शक्तिशाली प्रतिनिधि जो चाहते थे, हो जाता था। कांग्रेस का कोई निश्चित सभापति नहीं था। मेटरनिस ही प्रधान और मन्त्री, दोनों का कार्य करता था। वह जिस ढंग से चाहता, कार्य चलाता। आस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया और ब्रिटेन-इन चार मुख्य राज्यों ने आपस में गुन रूप से फैमला कर लिया था, कि सब मामलों पर पहले आपस में फेसला कर लेंगे, फिर उसे कांग्रेस के सम्मुख पेश करेंगे। निर्मल राष्ट्रों की किसी को परवाह न थी। नेपोलियन का पतन करने के लिये जो अन्तिम गुट बना था, उसने डके का चोट के साथ उद्घोषित किया था, कि हम निर्मल राष्ट्रों को साम्राज्यवादी नेपोलियन के पजे से मुक्त करना चाहते हैं, पर अब फिजयी हो जाने के अनन्तर उन्हें अपने स्वयं साधन के अतिरिक्त अन्य किसी बात की चिन्ता नहीं थी। फ्रांस का प्रतिनिधि टेनीरा ही था, जिसे निर्मल राष्ट्रों की फिकर थी। वस्तुतः, यह इन छोटे राज्यों की सहायता से अपने देश के हितों की रक्षा करना चाहता था। वह इस बात पर ज़ोर देता था, कि कांग्रेस का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय सानून के अनुसार होना चाहिये। परन्तु प्रशियन वान हुम्बोल्ट उसे ज़राप देता था 'जिसकी लाठी

उसकी भेस', हम अन्तर्राष्ट्रीय कानून को मानते ही नहीं। इस प्रकार विजयी राज्यों के प्रतिनिधि अपनी ताकत के जोर पर मनमानी करने पर तुले हुए थे। पर उनके स्वार्थ भी आपस में टक्कर खाते थे। निर्यात राज्यों को इसी बात का भरोसा था। टेलीरा इन्हीं मतभेदों और झगड़ों का लाभ उठाकर अपने उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहा था।

विचारणीय प्रश्न—वीएना की कांग्रेस के सम्मुख प्रधानतया निम्नलिखित कार्य थे—

(१) वेल्जियम, हॉलैण्ड, रूढ़िन का राज्यसत्र, इटली के राज्य, वारसा की डची तथा स्विट्जरलैण्ड की सीमाओं को निश्चित किया जाना था। यह भी निर्णय होना था, कि इन प्रदेशों को पृथक् राज्य के रूप में रखा जावे या नहीं।

(२) नैपोलियन के जमाने में जो विविध नवोन शासन यूरोप के रग-भङ्ग पर प्रगट हो गये थे, उनका निवटारा होना था। साथ ही, पुराने राजवशों के पुनरुद्धार के विषय पर भी विचार होना था।

(३) फ्रांस फिर कभी इस प्रकार यूरोप की शान्ति और व्यवस्था के लिये खतरा नहीं बन सकेगा, इसका भी दन्तजाम आवश्यक था।

(४) जिन राज्यों ने नैपोलियन की सहायता की थी या उसकी आज्ञाओं का पालन किया था, उन्हें क्या दण्ड दिया जाये—इस बात का भी निर्णय किया जाना था।

निर्णय करने के सिद्धान्त—इन समस्याओं का निर्णय बहुत कठिन नहीं था, पर शक्तिशाली यूरोपियन राज्यों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा तथा स्वार्थ भावना ने इसे बहुत कठिन बना दिया था। जार सम्पूर्ण पोलैण्ड पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। प्रशिया की अखिल सेक्सनी पर थी। आस्ट्रिया इटली को हटप जाना चाहता था, तथा जर्मनी पर भी पूर्ववत् आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। ग्रेट ब्रिटेन की इच्छा थी, कि फ्रांस के जिन उपनिवेशों पर गत युद्धों में विजय प्राप्त

की थी, उन्हें अपने कब्जे में रखा जाय। साथ ही, समुद्र पर अपना अधिकार अक्षुण्ण बना रहे। फ्रांस अपने पुराने राज्य को कायम रखने की चिन्ता में था। छोटे राज्यों की अपनी अलग स्वीमें थी। ऐसी स्थिति में किसी भी मामले का निचटारा सुगमता से किया जा सकता सम्भव नहीं था। विजयी राज्यों का सिद्धान्त तो यह था, कि पराजितों के माल को विजेताओं में बाँट दिया जावे। इसी सिद्धान्त को लेकर वे अपना कार्य कर रहे थे। वे समझते थे, न्याय यह है, कि जितने भी राजा राज्यनान्ति से पूर्व यूरोप के देशों का शासन कर रहे थे, उन सबके वंशधरों को फिर से राजगद्दी पर बिठा दिया जाय। पर यह कर रचना सुगम नहीं था; इसलिये निश्चय किया गया, कि उन अर्न्व राजाओं को कोई न कोई जमीनें देकर सतुष्ट करने का प्रयत्न किया जाय। वीएना में एकत्रित राजनीतिज्ञों के सम्मुख 'राष्ट्रीयता' तो कोई कीमत ही नहीं रखती थी। राष्ट्रीयता की सर्वथा उपेक्षा कर वे 'परमेश्वर' द्वारा पृथिवी का शासन करने के लिये नियत किये गये, राजाओं के अधिकारों और दावों की रक्षा करने के लिये कटिबद्ध थे। आज सत्तार में 'राष्ट्रीयता' का सिद्धान्त सर्व सम्मत है, पर उस समय यह एक भयकर तथा कान्तिकारी सिद्धान्त था, जिसे राज्यनान्ति ने उत्पन्न किया था। उस समय के 'सभ्य' लोग इसे हानिकारक तथा अनुचित समझने थे।

मुख्य फैसले—वीएना की कांग्रेस ने यूरोप के राजनीतिक नक्शे में जो मुख्य-मुख्य परिवर्तन किये, उन्हें यहाँ उल्लिखित करना आवश्यक है—

(१) फ्रांस—पिछले दिनों में फ्रांस ने जिन प्रदेशों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, उनमें से बेल्जियम और लुक्सम्बुर्ग हालैण्ड के साथ मिला दिये गये और इन तीनों राज्यों पर शासन करने के लिये आरेन्ज के राजवंश को नियत किया गया। बेल्जियम और लुक्सम्बुर्ग की जनता हालैण्ड की जनता से सर्वथा भिन्न थी। परन्तु वीएना की

कांग्रेस ने इन बातों की जरा भी परवाह न कर उन्हें एक ही शासन के अधीन कर दिया। भिन्टनरलएड को फिर स्वतन्त्र सघात्मक गिपठिनक के रूप में परिणत कर दिया गया। फ्रांस में लोगों का तबकाश का पुनरुद्धार किया गया। उसकी सीमायें वे ही रखा गईं, जो कि राज्यशास्त्र से पूर्ण थीं। जब नैपोलियन एल्वा से वापिस आया था, ता फ्रांस की जनता ने उसका साथ दिया था। इस अपराध पर सेनाय ने प्रदेश को फ्रांस से छीन लिया गया। फ्रांस को यह अच्छी सजा दी गई थी। उस जमाने का ढग ही यह था।

(२) जर्मनी—नैपोलियन के आक्रमणों से पूर्व जर्मनी में कई सौ राज्य थे। इनमें से अनेक राज्य अर्ध-सम्पत्ति थे, अनेक का विस्तार एक शहर से अधिक नहा था। अधिकांश राज्य छोटे छोटे थे। नैपोलियन ने इनमें से बहुत से राज्यों का अन्त कर कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण राज्यों को संगठित कर रूढ़ान के राज्यसङ्घ का निर्माण किया था। अब यह तो असम्भव था, कि क्रांति के युग से पूर्व के सैकड़ों राज्यों का पुनरुद्धार किया जाय। वीएना के राजनीतिज्ञों ने जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों के दावा पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सब मिलाकर ३८ राज्यों को कायम रखा और उनका एक नवीन संगठन में संगठित किया। इस नवीन जर्मन राज्यसङ्घ (कॉन्फिडरेशन) का एक केन्द्रीय राजसभा बनाई गई, जिसका नेता आस्ट्रिया को निश्चित किया गया। आस्ट्रिया की अधिकांश जनता जर्मन जाति का ही है। ऐतिहासिक घटनाओं ने उसे बहुत समय तक जर्मनी से पृथक् कर रखा था। पर वस्तुतः वह प्रशिया आदि बहुत से जर्मन राज्यों में से एक था और इस काल में जर्मन राज्यों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण था। आस्ट्रिया के नेतृत्व में अब निस नवीन जर्मन राज्यसङ्घ का निर्माण हुआ था, उसमें सब राज्यों, जिनकी संख्या ३८ थी—के प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे। यह स्मरण रखना चाहिये कि ये जनता के

प्रतिनिधि न होकर राजाओं के प्रतिनिधि होते थे और उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होते थे। जर्मनों के चिन राज्यों की सत्ता को वीएना की कांग्रेस ने स्वीकृत किया था, उनकी सीमा निश्चित करते हुए बहुत कठिनता का सामना करना पड़ा था। प्रशिया को बहुत से नये प्रदेश दिये गये थे। रहाइन नदी का पश्चिमी प्रदेश, जिसका प्राप्त ने चीतकर अपने अधीन कर लिया था, अब प्रशिया को दे दिया गया। सवसनी के राज्य ने पिछले युद्धों में नेपोलियन की सहायता की थी, उसे यह सजा दी गई, कि उसका ४० प्रतिशत प्रदेश प्रशिया के अधीन कर दिया गया। पोलेण्ड और पोमेरेनिया का भी कुछ प्रदेश प्रशिया का दिया गया। नेपालियन को परास्त करने में प्रशिया का बड़ा हाथ था। अतः स्वाभाविक रूप से उसे वीएना की कांग्रेस में बहुत से प्रदेश प्राप्त हुए और वह यूरोप के प्रथम श्रेणी के राज्यों में गिना जाने लगा। प्रशिया सेना दृष्टि से तो पहले ही बहुत उन्नति कर चुका था, अब उसका प्रदेश भी बहुत काफी विस्तृत हो गया।

(३) इटली—इटली के विविध राज्यों को फिर से स्थापित किया गया। नेपल्स की राजगद्दी फिर सार्डोनिया के अधीन की गई। पोप के प्रदेश पोप के अधीन किये गये। पीडमोंट का राज्य फिर सार्डोनिया के राजा को दिया गया। तिनोत्रा की प्राचीन रिपब्लिक भी इसी राज्य के साथ सम्मिलित कर दी गई। टस्कनी और माटेना में फिर से उनके पुराने राजवंश की स्थापना की गई। परमा का राज्य नेपालियन की धर्मरत्नी मेरिया लुइसा के—जो कि आस्ट्रिया की राजकुमारी थी, सुपुर्द कर दिया गया। आस्ट्रिया का पहले वलिनियम पर जा आस्ट्रियन नीदरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, बना था। अब यह प्रदेश हालैण्ट को दे दिया गया था। अतः उसे सतुष्ट करने के लिये वलिनियम के पहले में वेनिस का प्राचीन रिपब्लिक उसे मँप दी गई। मिलान तो नेपालियन के युद्धों से पूर्व ही आस्ट्रिया के अधीन था।

अब मिलन और वेनिस—दो प्रदेश उसके कब्जे में आ गये और इस प्रकार उत्तरी इटली में एक महत्वपूर्ण प्रदेश—जो कि लोम्बार्डो-वेनेटियन राज्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, आस्ट्रिया के आधीन हो गया। इस प्रकार इटली में फिर से अनेक राज्य कायम हुए। नैपोलियन के आक्रमणों का एक बड़ा लाभ इटली के लिये यह हुआ था, कि वह प्रचानतया दो राज्यों में सगठित हो गया था—इटली का राज्य और नेपल्स। इससे इटालियन लोगों में अपनी एकता तथा राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होने लग गई थी। पर अब फिर उसे अनेक भागों में विभक्त कर दिया गया और इटली के एक सगठन में सगठित होने की सम्भावना बहुत समय के लिये दूर जा पड़ी।

(४) स्वीडन—फिनलैण्ड का प्रदेश स्वीडन से लेकर रशिया को दे दिया गया। इसी प्रकार पोमेरेनिया का प्रदेश प्रशिया के सुपुर्द किया गया। इनके बदले में नार्वे का राज्य स्वीडन को दे दिया गया। नार्वे पहले डेन्मार्क के आधीन था, पर क्योंकि डेन्मार्क के राजा ने नैपोलियन की सहायता की थी, अतः उसे यह सजा दी गई कि नार्वे उससे छीन लिया गया।

(५) पोलैंड—पोलैंड को अनेक टुकड़ों में विभक्त कर रशिया, प्रशिया तथा आस्ट्रिया ने निगल लिया। इससे पूर्व भी पोलैंड को अनेक बार इन राज्यों ने टुकड़े कर आपस में बाँटा था। इस सबका इतिहास लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतना निर्दिष्ट करना पर्याप्त है, कि वीएना की कांग्रेस ने पोलैंड का मुख्य भाग रशिया के अर्पित किया। वारमा का जो राज्य नैपोलियन के समय में बनाया गया था, वह भी रशिया को दे दिया गया। पोमर, थोर्न और डान्ट्सिग के प्रदेश प्रशिया के हिस्से में आये। दक्षिणी गेलमिया आस्ट्रिया के सुपुर्द किया गया।

(६) ग्रेट ब्रिटेन—ग्रेट ब्रिटेन ने बहुत से नवीन उपनिवेश प्राप्त किये। माल्टा, मेण्ट लूमिया, टोबेगो और मोरिशस—ये द्वीप-प्राय से लेकर

ब्रिटेन को दिये गये। ग्लिनिडाड और हाएडरस पहले स्पेन के ग्राधीन थे, वे अत्र ब्रिटेन को प्राप्त हुए। इसी प्रकार सीलोन, केप कोलोनी और गायना का कुछ प्रदेश हालएड से ब्रिटेन के हाथ लगा। ऊपर से देखने में इन प्रदेशों व उपनिवेशों का विशेष महत्त्व नहीं मालूम होता, पर वस्तुतः ग्रेट ब्रिटेन इसी काल में अपने विशाल सामुद्रिक और औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव डाल रहा था। जा द्वीप उसने वीएना की कांग्रेस में प्राप्त किये थे, वे सामुद्रिक शक्ति की दृष्टि से बहुत महत्त्व पूर्ण थे। त्रिनिदाद, माल्टा, सीलोन, केप कोलोनी और मोरीशस आदि चलकर ब्रिटेन के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए।

(७) स्पेन—स्पेन में फिर से वहा के पुराने बोशा राजवश का स्थापना का गई।

दास प्रथा का विरोध—इन विविध राजनातिक और प्रादेशिक परिवर्तना के अतिरिक्त वीएना की कांग्रेस ने अन्य भी अनेक निर्णय किये। दास प्रथा के विरुद्ध प्रस्ताव पास हुआ और यह उद्घाषित किया गया, कि यह प्रथा सभ्यता और मानवीय अधिकारों के सवथा प्रतिकूल है। परन्तु इस प्रस्ताव का क्रिया में परिणत करना प्रत्येक राज्य की अपनी इच्छा पर छोड़ दिया गया। अठारहवा सदी में दासों का व्यापार जिस क्रूरता से होता था, दासों पर जिस टग से भयङ्कर अत्याचार किये जाते थे, उसमें पाश्चात्य सभ्यता के सभ्य विचारशील लोग उद्विग्न हो उठे थे। सबसे पूर्व अमेरिका ने दास प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई, उसके बाद मार्च १८०७ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस प्रथा का नष्ट करने का प्रस्ताव पास किया। १८१३ में स्वीडन ने दास प्रथा का नष्ट किया और एक वर्ष बाद १८१४ में हालएड ने स्वीडन का अनुसरण किया। इस प्रकार वीएना की कांग्रेस में पूर्व ही दास प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार था और इस विषय में प्रस्ताव पास करना बहुत कठिन बात नहीं थी।

अन्तर्राष्ट्रीय विधान—दास प्रथा के विरुद्ध प्रस्ताव पाम करने के अतिरिक्त वीएना की कांग्रेस ने अन्तर्राष्ट्रीय विधान तैयार करने के लिये भी उद्योग किया। यूरोप की नदियों में नौकानयन के लिये विविध देशों में क्या नियम हो, समुद्र का उपयोग विविध राजा किस प्रकार करें और राज्यों के आपस में व्यवहार करने के लिये क्या नियम हो—इन सब बातों को निश्चित विधान में सगठित किया गया।

वाटर्लू के युद्ध से कुछ दिन पूर्व २ जून १८१५ तक वीएना की कांग्रेस अपने कार्य का समाप्त कर चुकी थी। सब सम्झौता को एक निश्चित विधान में एकरित कर लिया गया था और उन पर विविध राज्यों के हस्ताक्षर भी हो चुके थे।

कांग्रेस का भूलें—वीएना की कांग्रेस का यह कार्य नीसवा सदी के ऐतिहासिक को बहुत ही अद्भुत तथा विचित्र प्रतीत होगा। वीएना में एकरित राजनीतियों की दृष्टि में राष्ट्रीयता के सिद्धान्त का कोई महत्त्व नहीं था। बेल्जियम के लोगों को अपना पृथक् राज्य बनाने का हक है, नार्वे को स्वीडन के साथ नहीं मिलाना चाहिये, फिन लोग रशिया के नीचे नहीं रहना चाहते, पौलेण्ड में जो लोग बसते हैं, वे एक हैं, उन्हें तीन टुकड़ों में बाँटकर तीन लुटेरा के हाथ में नहीं सौंप देना चाहिये, इटली एक देश है, उसे एक सगठन में सगठित करना चाहिये—ये सब विचार वीएना के इन 'मशान् राजनीतिज्ञ' को बहुत ही अस्वाभाविक, अनुचित तथा क्रान्तिकारी प्रतीत होते थे। साथ ही राज्य के शासन में जनता की इच्छा का भी कोई स्थान प्राप्त है, यह बात इन राजनीतिज्ञों को समझ नहीं आती थी। जनता का भी कोई अधिकार है, यह इनकी अकल में ही नहीं समाता था। इनकी दृष्टि में यदि किसी के अधिकार थे, तो केवल उन उच्च राजवशों के, जिन्हें साक्षात् भगवान ने पृथ्वी पर अपना प्रतिनिधि नियत किया है। वीएना में जो कुछ भी हुआ, समय की प्रवृत्तियों के सर्वथा विरुद्ध हुआ,

फ्रांस की राज्यक्रान्ति में जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया गया, वे एक-देशीय नहीं रह सकती थीं। उन्होंने धीरे-धीरे सम्पूर्ण यूरोप ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण संसार को व्याप्त कर दिया था। वीएना में उन प्रवृत्तियों की उपेक्षा की गई। यह सर्वथा स्वाभाविक था, क्योंकि मानवीय जाति की एक निर्वन्तता है, वह नई बात को जल्दी नहीं समझ सकती, नई प्रवृत्तियों को सुगमता से नहीं पहचान सकती। परन्तु यह स्पष्ट है, कि वीएना में जो कुछ हुआ, वह समय को देखते हुए सर्वथा अनुचित तथा अस्वाभाविक था। यही कारण है, कि अगली एक सदी के यूरोपीय इतिहास ने वीएना की सम्पूर्ण कृति को पलट दिया। १८१५ के बाद १५ साल के अन्दर ही अन्दर वेल्लिंजियम हालैण्ड से पृथक् हो गया। ५० साल में इटली और जर्मनी का स्वरूप सर्वथा परिवर्तित हो गया। इटली एक हो गया—सम्पूर्ण इटली में एक राज्य स्थापित हो गया। जर्मनी ने आस्ट्रिया से पृथक् होकर अपने नवीन सगठन का निर्माण किया। नावें को स्वीडन से पृथक् होने में देर नहीं लगी। १६१४—१८ के यूरोपीय महायुद्ध ने तो राज्यों की सीमा को राष्ट्रीयता के आधार पर निश्चित करने में कोई भी कसर उठा नहीं रखी। पश्चिमी संसार में १६वीं सदी का इतिहास राष्ट्रीयता तथा लोकसत्तावाद के सिद्धान्तों और पुराने जमाने के पारस्परिक संघर्ष के वृत्तान्त से परिपूर्ण है। आतिरकार, इन सिद्धान्तों की विजय हुई। आज संसार राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को स्वीकार करता है, स्वभाग्य निर्णय तथा लोकसत्तावाद के सिद्धान्तों में आज किसी को भी सन्देह नहीं रहा है। आज दुनिया वीएना की कांग्रेस के वातावरण से बहुत आगे बढ़ गई है।

कांग्रेस के लाभ—परन्तु वीएना की कांग्रेस से अनेक उत्तम लाभ भी हुए। यूरोप में शान्ति की स्थापना हो गई। चौथाई सदी के निरन्तर युद्धों के बाद यूरोप को शान्ति की बहुत सख्त जरूरत थी। कम से कम इस शान्ति की स्थापना में वीएना की कांग्रेस को अग्रगण्य सफलता हुई।

इसके अतिरिक्त, यह पहला ही अवसर था, जब यूरोप के सम्पूर्ण राज्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। इससे कम से कम राज्यों को यह तो अनुभव हुआ था, कि हम मिलकर भी कार्य कर सकते हैं, आपस में बातचीत करके किसी एक समझौते पर भी पहुँच सकते हैं। राज्यों को अराजकता को नष्ट करने के लिये यह एक महत्वपूर्ण पग था। वीएना में यूरोप भर के प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे। उन्होंने मिलकर अपनी समझौतों पर विचार किया था, चाहे उनके विचार करने का ढंग कितना ही निरूत्साहक न हो, चाहे उनके विचार कितने ही पुराने तथा भद्दे क्यों न हों—पर वे एक निश्चित उद्देश्य के लिये इकट्ठे तो हुए थे और समय को देते हुए यह बात भी कम न थी।

अठारहवाँ अध्याय

यूरोप में शान्ति स्थापना के प्रयत्न

वीएना की कांग्रेस ने अपना कार्य अभी समाप्त किया ही था, कि नैपोलियन 'एल्बा' के द्वीप से निकलकर फ्रांस पहुँच गया। जिस प्रकार वाटर्लू के रणक्षेत्र में उसे सदा के लिये परास्त कर दिया गया, इसका वर्णन पहले किया जा चुका है। नैपोलियन के पतन के अनन्तर यूरोपियन राज्यों की निश्चिन्तता और सन्तोष का सांस लेने का अवसर मिला। यूरोप युद्धों से थक चुका था। केवल राजा ही नहीं, जनता भी शान्ति के लिये उत्सुक थी, लोग लड़ाई में ऊब चुके थे और वस्तुतः यूरोप को इस समय किसी ऐसे उपाय की आवश्यकता थी, जिससे युद्धों की सम्भावना एक अच्छे बड़े समय के लिये दूर हो जायें।

'पवित्र मित्रमंडल'—आस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया और ग्रेट ब्रिटेन ने आपस में मिलकर नैपोलियन को परास्त किया था। वीएना में भी ये चार राज्य ही सर्वप्रधान थे। अब इनके कंधों पर ही इस बात की भी जिम्मेवारी थी, कि युद्ध की सम्भावना को नष्ट करने के लिये उपाय करें। सबसे पूर्व रशिया के जार अलैक्जण्डर प्रथम ने यह प्रस्ताव पेश किया, कि राजा लोग मिलकर एक धार्मिक भाई-चारे का निर्माण करें, और यह मित्रमण्डल यूरोप में शान्ति स्थापित रखने की उत्तरदायिता अपने ऊपर ले। अलैक्जण्डर ने इसको 'पवित्र

मित्रमण्डल' के नाम से पुनारा और अन्य राज्यों से हममे सम्मिलित होने की प्रार्थना की। प्रशिया के राजा और आस्ट्रिया के सम्राट् ने इस प्रस्ताव का स्वीकार कर लिया और 'पवित्र मित्रमण्डल' का मसविदा दिसम्बर १८१५ में प्रकाशित किया गया। इस मसविदे में रशिया, प्रशिया और आस्ट्रिया के राजाओं ने यह उद्घोषित किया, कि वे सब आपस में एक दूसरे को भाई भाई समझेंगे और एक की विपत्ति को सब अपनी ही विपत्ति मानेंगे। अन्य राजाओं को भी इस मित्रमण्डल में सम्मिलित होने के लिये निमन्त्रित किया गया। बहुत से राज्यों ने निमन्त्रण का स्वीकार भी किया। ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं हुआ। टर्की के सुल्तान को निमन्त्रण ही नहीं दिया गया था और पोप ने इसमें सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया था। विचारशाल लोग इस मसविदे को धोखेराजी के सिवा और कुछ नहीं समझते थे। सर्वसाधारण लोगों का ख्याल था, कि जनता के अधिकारों को कुचलने के लिये यह नया गुट बनाया गया है। निस्सन्देह, इस बात में बहुत कुछ सत्यता थी।

मित्रमण्डल' के नाम से पुनरा और अन्य राज्यों से इसमें सम्मिलित होने की प्रार्थना की। प्रशिया क राजा और आस्ट्रिया क सम्राट् ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 'पवित्र मित्रमण्डल' का मसविदा दिसम्बर १८१५ में प्रकाशित किया गया। इस मसविदे में रशिया, प्रशिया और आस्ट्रिया के सम्राट् ने यह उद्घोषित किया, कि ये सब आपस में एक दूसरे को भाई भाई समझेंगे और एक की विपत्ति को सब अपनी ही विपत्ति मानेंगे। अन्य राजाओं को भी इस मित्रमण्डल में सम्मिलित होने के लिये निमन्त्रित किया गया। बहुत से राज्यों ने निमन्त्रण का स्वीकार भी किया। ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं हुआ। टर्की के सुल्तान को निमन्त्रण ही नहीं दिया गया था और पोप ने इसमें सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया था। विचारशाल लोग इस मसविदे को धाखेराजी के सिवा और कुछ नहीं समझते थे। सर्वसाधारण लोगों का खयाल था, कि जनता के अधिकारों का पुचलने के लिये यह नया गुट बनाया गया है। निस्सन्देह, इस बात में बहुत कुछ सत्यता थी।

चतुर्मुखा मित्रमण्डल—'पवित्र मित्रमण्डल' की यह स्त्री कामयाब नहीं हो सकी। इसका दो महीने बाद ही २० नवम्बर १८१५ को रशिया, प्रशिया, आस्ट्रिया और ग्रेट ब्रिटेन—इन चार राज्यों ने मिलकर एक 'चतुर्मुख मित्रमण्डल' का निर्माण किया। यह मित्रमण्डल बहुत देर तक यूरोप के राजनीतिक मामला का सञ्चालन करता रहा। १८४८ की राज्यक्रान्ति द्वारा इस गुट का विनाश हुआ। इस प्रकार यह चौथाई शताब्दि के लगभग तक यूरोप का भाग्यविधाता बना रहा। इस मण्डल का निर्माण इस उद्देश्य से हुआ था, कि यूरोप में क्रान्तिकारी विचारों को नष्ट किया जावे, नेपोलियन व उसके परिवार का कोई व्यक्ति प्राप्त व यूरोप की किसी राजगद्दी पर न बैठ सके और राजाओं के अबाधित शासन को सर्वत्र अक्षुण्ण रखा जावे। इस मण्डल की धारणा थी, कि किसी भी राज्य के आन्तरिक मामला में हस्तक्षेप किया जा

वीरणाकीकांग्रेस के बाद १९१५ में यूरोप का मानचित्र



रशिया का राज्य



हिन्द महासागर

काला सागर

उर्क्री

साम्राज्य

YOKL

तीसरा सम्मेलन लैपस में सन् १८२१ में हुआ। इस समय नेपोलन में विद्रोह हुआ था। इस सम्मेलन ने आन्टवा का यह अधिकार दिया कि नेपोलन के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप कर विद्रोह का शान्त करे। इस प्रकार हस्तक्षेप के सिद्धान्त की प्रथा में पारंगत किया गया और आन्टवा ने नेपोलन के विद्रोह का शान्त किया। इसी समय ग्रीस में टर्की के शासन के विरुद्ध आन्दोलन ने विद्रोह किया था। ग्रीस ने इस विषय में उन्नीसवीं शताब्दी, कि हम इस प्रकार के विद्रोहों का मिल जुल पसन्द नही करते और क्रांतिकारियों का सावधान करते हैं, कि वे आगे से इस प्रकार का काम कभी न करें।

१८२० में वेराना नामक स्थान पर चतुर्थ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। इस समय स्पेन तथा उसके अमेरिकन उपनिवेशों में विद्रोह हो रहे थे। इसी प्रकार पोर्टो रिको तथा आर्जेन्टीना में भी विद्रोह की आगि भट्क रही थी। पोर्टो रिको में हस्तक्षेप करने का अधिकार आन्टवा का दिया गया। स्पेन का मामला प्राप्त के तथा ग्रीस का मामला रशिया के मुपुर्द किया गया। 'पञ्चमुख मित्रमण्डल' अमेरिकन उपनिवेशों के मामले में भी हस्तक्षेप करना चाहता था। पर संयुक्तप्रान्त अमेरिका उस बात को नहीं सह सका। वहाँ की सरकार ने उन्नीसवीं शताब्दी, कि नई दुनिया (अमेरिका) के मामलों में पुराना दुनिया (यूरोप) हस्तक्षेप न करे। इसी प्रकार अमेरिका भी यूरोपियन भूगोल से काई सम्बन्ध न रखे। संयुक्तप्रान्त अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति मुनरो के नाम से यह सिद्धान्त 'मुनरो सिद्धान्त' के नाम से मशहूर है, और इसी के कारण यूरोपियन राज्य अमेरिकन राज्यों में हस्तक्षेप न कर सकें और वे स्पेन की अधीनता से स्वतंत्र हो गये।

मित्रमण्डल का पतन—निस्सन्देह, यह मित्रमण्डल यूरोप में शांति स्थापित रखने के काम में बहुत कुछ सफल हुआ। जहाँ तक शांति स्थापना का उद्देश्य था, वहाँ तक इसका उपयोगिता थी और

इसका कार्य वस्तुतः लाभदायक था। पर नई प्रवृत्तियों को कुचलने की कोशिश बहुत ही अनुचित तथा हानिकारक थी। एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन से तग्राये हुए लोग जब अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करने को उतारू होते थे, तो यह 'मिज़मण्डल' उन्हें कुचल देने के लिये यूरोप भर की सम्मिलित शक्ति को लेकर ग्राह्यता हंता था। जनता की नई भावनाओं का यह मधमे बड़ा दुश्मन था। कुछ समय तक इसे निरन्तर सफलता होती रही, पर आखिरकार इसके विरोध में भी शक्तियाँ संगठित होने लगीं। ट्रोप्पा के सम्मेलन में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने इसके सिद्धान्तों का घोर विरोध किया था। 'मुनरो सिद्धान्त' स्पष्टरूप से इसके विरोध में था। १८३० और १८४८ की क्रान्तियों ने इसे जवर्दस्त धक्के दिये थे। इन सब कारणों से यह चतुर्मुख या पत्रमुख मिज़मण्डल आखिर नष्ट हो गया और नई प्रवृत्तियों को क्रिया में परिणत होने का द्वार खुल गया।

उन्नीसवाँ अध्याय

यूरोप में प्रतिक्रिया का काल

१. फ्रांस में प्रतिक्रिया का युग

१६वें लुई का शासन—नैपोलियन के पतन के बाद १६वें लुई के भाई का १८वें लुई के नाम से फ्रांस की राजगद्दी पर बिठाया गया। क्रान्ति के प्रारम्भ होने पर जब अनेक कुलीन तथा राज-परिवार के व्यक्ति फ्रांस से भाग गये थे, तब यह भी उनमें साथ चला गया था और यूरोपियन राजाओं के साथ मिलकर निरन्तर क्रान्ति के विनाश के लिये प्रयत्न कर रहा था। १६वें लुई का प्राणदण्ड मिलने के पश्चात् यह अपने का फ्रांस की राजगद्दी का वास्तविक उत्तराधिकारी समझता था। २० वर्ष तक यह निरन्तर इसके लिये कोशिश करता रहा। क्रान्ति और उसके बाद नैपोलियन के पतन के लिये उसने भरपूर कोशिश की और आगिर वह अपने प्रयत्नों में सफल हुआ। जब वह राजगद्दी पर बैठा, तो उसका कोई पास विरोध न हुआ। फ्रांस की जनता लोगों राजवश के शासन के आधीन रहने के लिये अभ्यस्त थी। क्रान्ति उन्हें नई तथा अद्भुत सी चीज मालूम होती थी। उस जमाने में समाधारण जनता राजनीतिक मामलों में बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं लेती थी। क्रान्ति तथा उससे उत्पन्न रिपब्लिक प्रधानतया जैकोबिन दल की कृति थी। जनता का अधिकांश भाग इस बात से बेपरवाह था कि कौन

राजगद्दी पर बैठता है और पेरिस में जिसका प्रभुत्व स्थापित होता है। जज गिब्लिन का टाग फायम गसर नैपोलियन ने सम्पूर्ण शासन सूत्र को अपने हाथ में ले लिया, तो फ्रान्स की सर्वसाधारण जनता को विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। जज नेपोलियन सचमुच सम्राट् बन गया, तब भी जनता को विशेष चिन्ता नहीं हुई और अतः जज कि फिर तारों राजवंश का ६० वर्ष का बूढ़ा आदमी उनके भाग्य का विधाता बन गया—तब भी उन्होंने इसे एक सामान्य सी बात ही समझा। वास्तविक बात यह है, कि फ्रान्स की अधिकांश जनता तब भी हृदय से राजसत्ता की पक्षपाती थी। जनता में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आता है। नये विचारों को एकदम ग्रहण नहीं कर सकती। सन् १७९० से फ्रान्स में एक राजा का शासन चला आ रहा था, जनता को उसके शासन में रहने का अभ्यास था, राजसत्ता को मानने के मस्कार उसमें बहुत गहरे थे। ये आसानी से नहीं बदल सकते थे।

परन्तु राज्यक्रान्ति ने १५ वर्ष तब जो काम किया था, वह भी नष्ट नही किया जा सकता था। आगिर, क्रान्ति भी एक ध्रुव सत्य घटना थी। लारस आदमियों का खून व्यर्थ में ही नहीं गहा था। तारों वश फिर फ्रान्स की राजगद्दी पर आया, पर जमाना बहुत बदल चुका था। तारा वश के साथ पुराना जमाना वापस नहीं आया। सामन्त पद्धति अब भूतमाल की चीज हो चुकी थी। चर्च अब राज्य का मुकाबला नही कर सकता था। कुलीन और पुरोहित श्रेणियों के विशेषाधिकारों को अब स्वीकृत नहीं किया जा सकता था। कानून का दृष्टि में सब लोग बराबर हो चुके थे। 'मुद्रित पत्रों' में अब किसी का नेद नहीं किया जा सकता था। स्वतन्त्र भाषण, स्वतन्त्र लेखन और अपने विश्वास व अन्तरात्मा के अनुसार धार्मिक विधिनिधाना का अनुसरण—ये ऐसी बातें थी, जिन्हें अब बोना राजवंश नष्ट नही कर सकता था, इसलिये १८१५ लुई ने राजगद्दी पर बैठकर भी क्रान्ति के सिद्धान्तों

को कायम रखा। उसने क्रान्ति के कार्य पर पानी फेरने का प्रयत्न नहीं किया। यदि वह चाहता, तो भी यह उसके वश के बाहर बात थी। क्रान्ति को सर्वथा मिटा सनना उसके लिये असम्भव था।

जून १८१४ की घोषणा—वैध राजसत्ता की स्थापना—जून १८१४ में १८०९ लुई ने एक उद्घोषणा प्रकाशित की। इसके अनुसार फ्रांस के वैध राजसत्ता शासन स्थापित करने की घोषणा की गई। फ्रांस का शासन बनाने के लिये एक पार्लियामेंट बनाई गई, जिसमें दो सभायें थीं। एक सरदारों की सभा और दूसरी राष्ट्र प्रतिनिधि सभा। सरदारों की सभा के सदस्य राजा द्वारा मनोनीत किये जाते थे और राष्ट्र प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को जनता चुनती थी। निर्वाचन का अधिकार सब नागरिकों को नहीं दिया गया। जिनकी आयु ३० वर्ष से कम न हो और जो कम से कम १८० रु० वार्षिक टैक्स देते हों, उन्हें कोषेट का अधिकार दिया गया। इस प्रकार अमीर लोग ही निर्वाचन में हिस्सा लेते थे, राष्ट्र प्रतिनिधि सभा सर्वसाधारण जनता की प्रतिनिधि नहीं थी, यह अमीर लोगों की ही सम्मति को प्रगट कर सकती थी। परन्तु यदि इङ्ग्लैण्ड के उस समय के शासन विधान से तुलना की जाय, तो फ्रांस का यह शासन विधान निस्सन्देह अधिक लोकसत्तात्मक था। प्रतिक्रिया के काल में ही फ्रांस का यह शासन विधान यूरोप के अन्य सब देशों की अपेक्षा अधिक उन्नत था। यह राज्यक्रान्ति का ही प्रभाव था, जिसे प्रतिक्रिया का काल भी नहीं मिटा सका था। नवीन शासन-विधान के साथ १८०९ लुई ने अपनी उद्घोषणा में जनसाधारण के अधिकारों को भी घोषित किया। अधिकारों की इस घोषणा में क्रान्त के प्रायः सभी सिद्धान्तों को स्वीकृत किया गया था। कानून के सम्मुख सब मनुष्य बराबर हैं, राजकीय पदों के लिये सब मनुष्य एक समान रूप से नियत किये जा सकते हैं, टैक्स का निर्णय प्रत्येक मनुष्य की सम्पत्ति के अनुसार किया जायगा। प्रत्येक मनुष्य

को धार्मिक तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता प्राप्त है, भाषण, लेखन तथा मुद्रण की सभ्यता स्वतन्त्रता है, ये सब बातें १८२० लुई ने उद्घोषित कीं, जो कि १६२० लुई का भाई था, योंनों राजवश ना था, जिन्दगी भर क्रान्ति को कुचलने की काशिश करता रहा था और जिसे मेटर्निएल तथा क्रान्ति के दुश्मनों ने राजगद्दी पर पिठाया था।

फ्रांस के विविध दल—कट्टर राजसत्तावादी—१८२० लुई के साथ बहुत से कुलीन तथा उच्च पुरोहित श्रेणी के लोग फ्रांस वापस लौट आये थे। ये क्रान्ति के कट्टर दुश्मन थे। क्रान्ति ने इन्हें तबाह कर दिया था। इनके हृदय में बदला लेने की आग धधक रही थी। ये फिर से पुराने जमाने को वापस ले आने के लिये तुले हुए थे। इन्होंने एक पृथक् दल का रचना की, जो कि कट्टर राजसत्तावादी दल के नाम से प्रसिद्ध है। इसका नेता राजा का भाई 'आर्तोआ का काउण्ट' था। इनका कहना था, कि प्रेम का स्वतन्त्रता नहीं मिलनी चाहिये, कुतान्त की छिनी हुई सम्पत्ति उन्हें फिर वापस मिलनी चाहिये, गणना शासन स्वतन्त्र तथा स्पेञ्चाचारी होना चाहिये, और जनता का शासन में कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। अभिप्राय यह कि पिछले २५ वर्षों में जो कुछ भा कार्य हुआ है, उसको एक फेंक से उड़ा देना चाहिये। इस दल के लाग रखना में बहुत अधिक नहीं थे, पर इनका प्रभाव तथा दल बहुत अधिक था।

उदार राजसत्तावादी—राजसत्तावादी दल के सभा लोग इतने कट्टर तथा क्रान्ति के दुश्मन नहीं थे। 'आर्तोआ के काउण्ट' के दल के अतिरिक्त राजसत्तावादियों का एक और भी दल था, जो समय की गति का समझता था। ये लोग भली भाँति समझते थे कि क्रान्ति के सम्पन्न कार्य का बात की बात में नष्ट नहीं किया जा सकता। इन्हा के प्रभाव में गणना ने वह उद्घोषणा प्रकाशित की थी, जिसमें जनता के अधिकारों की रक्षा की गई थी, और नवीन शासन विधान का निर्माण

क्रिया गया था। अधिकांश लोग इसी दल से सहानुभूति करते थे। यह दल फ्रांस में इङ्ग्लैण्ड के दम परबंध राजसत्ता को स्थापित करना चाहता था।

लिवरल—तीसरा दल लिवरल कहलाता था। ये लोग राजा के विरोधी नहीं थे। राजा की सत्ता का ये शासन की स्थिरता के लिये आवश्यक समझते थे। पर इनका खयाल था, कि १८२४ की उद्देश्यपूर्णता में जनता को पर्याप्त अधिकार नहीं मिले हैं। वोट देने के लिये १८० रु० वार्षिक टैक्स देने की शर्त बहुत अधिक है, इससे बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार प्राप्त होता है। वोट का अधिकार विस्तृत किया जाना चाहिये, और राजा को पूर्णतया मन्त्रियों के आधीन होना चाहिये। मन्त्रियों का पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होना आवश्यक है।

इन तीन दलों के अतिरिक्त कुछ लोग बौद्ध बंधु के शासन के पूर्णतया विरोधी थे। ये किसी भी प्रकार १८२० लुई के शासन में समझौता करने को उत्तम नहीं हो सकते थे। इन लोगों को निम्नलिखित दलों में विभक्त किया जा सकता है—

(१) **बोनापार्टिस्ट दल**—यह दल नेपोलियन बानापार्ट को राजगद्दी पर बिठाने का पक्षपाती था। नेपोलियन के गौरवमय कृत्य इनकी आँखों के सामने मौजूद थे। ये प्रायः नेपोलियन की सेनाओं के सिपाही थे, जो अपने विश्वविजयी सेनापति को गोत्र गाथाओं को किसी भी दशा में भूल नहीं सकते थे। जब तक नेपोलियन जीवित रहा, ये उसे राजगद्दी पर बिठाने का प्रयत्न करते रहे। जब वह मर गया, तो उसके लटके 'रोम के बादशाह' को नेपोलियन द्वितीय के नाम से सम्राट् बनाने के लिये प्रयत्नशील रहे।

(२) **रिपब्लिकन दल**—इस दल के लोग बौद्धो राजप्रश और नेपोलियन—दोनों के विरोधी थे। ये फिर से फ्रांस में रिपब्लिक की स्थापना करना चाहते थे।

प्रचल हा गये। वन्ही की प्रचलता के कारण इस काल म फ्रांस ने मैत्रनिच की भावनाया का परा साथ दिया। स्पेन की जनता के विद्रोह को शांत करने के लिये फ्रेंच सेना भेजी गई और वोट देने के अधिकार का फिर स सकुचित कर दिया गया।

१०वें चार्ल्स का शासन—१८२४ म १८२५ लुई का मृत्यु हुई। उसके बाद उसका भाई 'ग्यार्ताग्रा का काउण्ट' दसवे चार्ल्स के नाम से फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। यह कट्टर राजसत्तावादी दल का प्रधान नेता था, क्रान्ति और नेपोलियन का शेर शत्रु था। इसकी उमर का उच्च भाग क्रान्ति के साथ युद्ध करने म व्यतीत हुआ था। वस्तुतः, वह १९वीं सदी का व्यक्ति नहीं था, उस १७वां सदी में उत्पन्न होना चाहिये था। राजा का देवीय अधिकार, असहिष्णु चर्च और जुलूम लोगो की स्वेच्छाचारिता ही उसकी दृष्टि म सम्यता के चिह्न थे। उसका उमर ६७ वर्ष की हो चुकी थी। इस उमर म उसम यह आशा करना कि वह अपने जन्म भर के सिद्धांत और मन्तव्या का परित्याग कर दे, उससे अन्याय करना था। नई प्रवृत्तियों का मुचलने म उसन मैत्रनिच को भी मात कर दिया। उसने स्वच्छाचारी शासन म सम्पूर्ण प्रेक्ष जनता धररा गई। यदि दसवां चार्ल्स भी अपने भाइ की तरह ममभूदार और समय की शक्ति को पहचाननवाला होता, तो शासक शक्तों वश का शासन फ्रांस म स्थिर हो जाता। पर वैधराजसत्ता उसकी दृष्टि म कोई अर्थ हा नहीं रखता था। यह राजा के देवीय अधिकार के सिद्धांत का क्रिया म परिणत करने के लिये तुला हुआ था। इनलिये उसने बहुत से कानून अपने विशेष अधिकार मे जारी किये, निम्न जनता के सम्पूर्ण अधिकारों का छीनने का प्रयत्न किया गया। वह कट्टर राजसत्तावादी दल का नेता रहे चुका था। अब उसे अवसर मिला था कि अपने सिद्धान्तों का क्रिया म पारगमन करे। उसकी नीति का परिणाम यह हुआ कि १८३० म फ्रांस

में फिर क्रान्ति हा गई। दसवे चार्ल्स को फ्रांस छोड़कर भागना पड़ा। १८३६ में आस्ट्रिया में उसकी मृत्यु हुई। यह अपने को शहीद समझता था। उसका ग्वाल था, कि जो कुछ उसने किया है, ठीक किया है। परलोक में उसे इमका पल मिलेगा।

१०वे चार्ल्स के राज्यच्युत होने के साथ फ्रांस में फिर क्रान्ति का काल प्रारम्भ हो गया। फ्रांस में नई और पुरानी प्रवृत्तियाँ का परस्पर सम्पर्क चल रहा था। पुरानी प्रवृत्तियाँ के अभेद्य दुर्ग को नष्ट करने के बिना नई प्रवृत्ति का कार्य में परिणत नहीं हो सकती थी। मनुष्य मशीन नहीं है, वह एक जीवित जाग्रत चेतन सत्ता है। इसी प्रकार मनुष्य जाति और राष्ट्र भी मशीन नहीं हैं, वे भी जीवित जाग्रत और चेतन सत्ताएँ हैं। उनमें परिवर्तन आते हैं, परन्तु धरे धार। उनमें विश्वास होता है। जो क्रेत्र जनता मरणा पर्यन्त से एक न्याय दम से रहती चली आ रहा था, उसे गजबना त एकदम कैसे बदल सकती थी? निस्सन्देह, क्रान्ति ने उसे बदला—बहुत बदला। पर उसका पूर्ण रूप से सफल होने के लिये अभी समय की आवश्यकता थी। यह वाग्गु है, कि क्रान्ति के बाद प्रतिक्रिया का काल आया। पर यही काल भी देर तक नहीं रह सका। कुछ १६ वर्ष बाद ही फिर क्रान्ति का युग प्रारम्भ हो गया।

२. अन्य यूरोपियन देशों में प्रतिक्रिया का काल

फ्रांस की राज्यक्रान्ति ने किन नई प्रवृत्तियों का जन्म दिया था, वे केवल फ्रांस तक ही नहीं रह गई थीं वे यूरोप के उड़े भाग में व्याप्त हो गई थीं। विजयवादा, फ्रांस के निकटवर्ती प्रदेशों को तो उन्हांने मरणा परिर्वान कर दिया था। इटली, हॉलैण्ड, स्विट्जरलैण्ड आदि देशों में तो युगाने एकदम शासन का अन्त होकर विपश्चिन का स्थापना हो हा गई थी। नैर लियन की विपश्चिन ने क्रान्ति की लहरों को

स्पेन, पोर्तुगाल, जर्मनी और वारसा तक पहुँचा दिया था। अब नेपोलियन के पतन के अनन्तर इन सब स्थानों पर प्रतिक्रिया का काल प्रारम्भ हुआ। पुराने राजा मिहासन पर बिठाये गये और उनके साथ ही पुरानी सस्थाओं, रीति रिवाज और विचारों के भी पुनर्जागरण का प्रयत्न किया गया।

स्पेन में प्रतिक्रिया—नेपोलियन के पतन के अनन्तर स्पेन का शासन फर्डिनेण्ड सप्तम के सुपुर्द किया गया। नेपोलियन ने स्पेन को अपने अधीन कर वहाँ की राजगद्दी पर अपने भाई जोसफ बोनापार्ट को नियत किया था। परन्तु जनता उसके शासन को स्वीकार करने में तैयार नहीं हुई। उसने विद्रोह कर दिया। बेलिज्टन का इयूरोप अर्न्त में इङ्गलिश सेनाओं के साथ उसकी सहायता करने का कटिबद्ध था। परिणाम यह हुआ कि नेपोलियन को अपने तीन लाख के लगभग सैनिक स्पेन में सन्नद्ध करने पड़े। आखिर फ्रेञ्च सेना की पराजय हुई, स्पेन स्वतन्त्र हो गया। यह घटना १८१२ में हुई थी। वहाँ का पुराना राजा फर्डिनेण्ड नेपोलियन की मरजा में फ्रांस में नजरबन्द था, वह अपने देश को वापस नहीं आ सका। इससे लाभ उठा कर स्पेनिश जनता ने एक लोकसत्तात्मक शासन का संगठन किया। पार्लियामेंट की स्थापना की गई और क्रान्ति द्वारा प्रादुर्भूत नये विचारों के अनुसार स्पेन का शासन विधान तैयार किया गया।

स्वतन्त्रता का अपहरण—१८२४ में नेपोलियन की पराजय के बाद फर्डिनेण्ड अपने देश में वापस आया। क्रान्ति की विरोधी प्रवृत्तियों पूर्णतया उसकी सहायता के लिये उद्यत थी। उसने राजगद्दी पर बैठते ही शासन विधान को नष्ट कर दिया, पार्लियामेंट बर्बाद कर दी। वैयक्तिक स्वतन्त्रता छीन ला गई, कुलान और पुरोहित श्रेणियों को विशेषाधिकार प्रदान किये गये। १८१२ के शासन विधान में जिन उदार सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया था, उन्हें फ्रेञ्च राज्यक्रान्ति —

जिस प्रदनाम करना उस समय के राजनीतिक वातावरण में फैशन सा बन चुका था—का प्रभाव बलाकर नष्ट कर दिया गया। उदार विचारों के लोगो का देश से परिष्कृत कर दिया गया या जेल में ठूस दिया गया। फिर पुराने ढंग की एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजसत्ता स्थापित की गई। स्पेन में भी यही चीजें जी आग में जला देने या अन्य बाधित दण्ड देने के लिये मामिला न्यायालय (इन्कीजीशन कोर्ट) कायम किये गये। जेमुइट सम्प्रदाय का फिर जोर हो गया। पुस्तक, अखबार—सब पर कड़ा निरीक्षण जारी किया गया। भाषण और लेख की स्वतन्त्रता वापिस ले ली गई। चर्च की सम्पत्ति यथापूर्व चर्च को दे दी गई। फर्डिनेण्ड सभ्य ने जनता के अधिकारों की रक्षा भर भा परवाह नहीं की। 'जनता के अधिकार' उसकी सम्मति में कोई अर्थ ही नही रखते थे। देश की सम्पत्ति को दरवारियों के सुखोपभोग, ग्रामोद प्रमोद और भाग विलास के लिये स्वाहा किया जाने लगा। फर्डिनेण्ड की नाति इतनी मूर्खता पूर्ण थी, कि मेटर्निस तक ने उसे उदार नीति का अनुसरण करने का परामर्श दिया।

जनता का विद्रोह—फर्डिनेण्ड के शासन का वही परिणाम हुआ, जो ऐसे शासनों का हुआ करता है। स्पेन के उपनिवेशों में विद्रोह हो गया। कुशासन के दोष सर्वत्र प्रगट होने लगे। खर्च बहुत बढ़ गया, ग्रामदानी नहीं रही। स्पेन दिवालिया हो गया। आखिर १८२० में स्पेन में विद्रोह की अग्नि भड़क उठी। फर्डिनेण्ड इसे शान्त करने में असमर्थ था। पर यरोपीय राजाओं का मित्रमण्डल उसकी सहायता करने को उत्तम था। १८२० के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में—जो कि वेरोना नामक नगर में हुआ था, स्पेनिश विद्रोह को शान्त करने का कार्य प्राप्त के सुपुर्द किया गया। ६५००० सैनिकों की एक सेना स्पेन आई और विद्रोह का शान्त करने में सफल हुई। विदेशी सहायता से फर्डिनेण्ड सभ्य अपनी राजगद्दी को कायम रखने में समर्थ हुआ।

गई। धार्मिक स्वतन्त्रता छीन ली गई। फ्रांस के प्रति इतनी अधिक क्रुधा प्रगट की गई, कि राजप्रासाद से फ्रेञ्च साज-सामान को नष्ट कर दिया गया। और तो और रहा, टूरिन के बाग में बहुत से पीदा और वृत्तों को केवल इमलिये उगवाड़ दिया गया, क्योंकि वे फ्रेञ्च लोगों द्वारा आरोपित किये गये थे। शिक्षा का कार्य फिर में चर्च के सुपर्द कर दिया गया। उदार विचारों के लोगों को राज्य के लिये अत्यन्त भयङ्कर समझा जाने लगा। जरा सा सन्देह होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और भारी दण्ड दिये जाते थे।

पोप का राज्य—नेबल पोडमौन्ट में ही नहीं, इटली के अन्य राज्यों में भी यही अवस्था थी। पोप के राज्य में १८१४ में एक उद्घोषणा प्रकाशित की गई, जिससे कि फ्रेञ्च लोगों के सम्पूर्ण बायों पर पानी फेर दिया गया। फ्रेञ्च लोगों के नामोनिशान तक को भी मिटा देने की पोप को इतनी अधिक उत्सुकता थी, कि रोम की गलियों में गैस के प्रकाश को हटा दिया गया, क्योंकि यह फ्रेञ्च क्रान्तिकारियों द्वारा जारी किया गया था। अधिक क्या, टीका लगाने की वैज्ञानिक प्रथा इसलिये हटा दी गई, क्योंकि इसका आविष्कार फ्रांस में हुआ था।

उत्तरीय इटली के विविध राज्य—लोम्बार्डी और वेनिस तो भी आस्ट्रिया के अधीन थे। वहाँ पर मैटरनिल का शासन स्थापित था। उसके समान नई भावनाओं का दुश्मन यूरोप भर में अन्य कोई था ही नहीं, फिर यह आशा कैसे की जा सकती थी, कि इन प्रदेशों में नवीन युग का कोई भी चिह्न अवशिष्ट रह सकेगा। परमा, मोटेना और टस्कनी आस्ट्रियन राजवंश के विविध व्यक्तियों के अधीन थे। इन पर आस्ट्रिया का पूरा प्रभाव विद्यमान था। ये सब मैटरनिल के सिद्धान्तों का अखिर मीचकर अनुसरण कर रहे थे।

नेपल्स की अवस्था भी अच्छी नहीं थी। वहाँ के बोनों शासक फिर से पुराने स्वर्गीय दिनों की स्थापना के लिये उत्सुक थे। सम्पूर्ण इटली में

नई प्रवृत्तियाँ के विरुद्ध भयङ्कर प्रतिक्रिया चल रही थी। राजाओं और जुलीन श्रेणियों के सम्पूर्ण प्रयत्नों के होते हुए भी इटली में क्रान्ति के दिनों में जो भारी परिवर्तन आया था, उसे सुगमता से हटाना नहीं जा सकता था। लोगों के दिमाग बदल चुके थे, वे और दृढ़ से सोचने लग गये थे। राष्ट्रीयता की भावना इटालियन नवयुवकों के हृदयों में नवीन आशा का संचार कर रही थी। वे सगठित और स्वतन्त्र इटली का स्वप्न देख रहे थे। फ्रेञ्च राज्यक्रान्ति तथा नैपोलियन की विजयों ने लोगों में सुधार और नई प्रवृत्तियों के लिये उत्कट आकांक्षा उत्पन्न कर दी थी—जो कि आगे चलकर पूर्ण रूप से क्रिया में परिणत हो गई।

स्पेन और इटली में ही नहीं, यूरोप के अन्य सभी राज्यों में यह क्रान्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का काल था। ग्रेरेन्ज का राजवंश बेल्जियम के लोगों की इच्छा के स्वभावात् प्रतिकूल 'पवित्र मित्रमण्डल' का सहायता में उन पर शासन कर रहा था। पोलेण्ड की जनता विविध स्वतन्त्र राजाओं के शासन में विभक्त थी। पोर्तुगाल में इङ्गलिश लोगों की सरकार में एकतन्त्र शासन का स्थापन किया गया था। यह था हुई उन देशों की बात जिनमें क्रान्ति की लहरें पहुँच चुकी थी। उन देशों का तो रहना ही क्या है, जो क्रान्ति के दिनों में उसकी तुलना के लिये निरन्तर युद्ध करते रहे। उन देशों में तो पुराने ढंग के एकतन्त्र शासन का पूर्ण आधिपत्य था।

बीसवाँ अध्याय

राजनीतिक क्रांतियों का फिर से प्रारम्भ

१. प्रतिक्रिया के काल का अन्त

नेपोलियन के पतन के बाद जब क्रांति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के काल का प्रारम्भ हुआ, तो लोगों ने समझा, अब क्रांति का युग हमेशा के लिये समाप्त हो गया। क्रांति के विरोधी खुशियाँ मनाने लगे। विचारकों ने समझा, क्रांति कितनी अस्वाभाविक थी। क्या कभी मंमार में सब लोग बराबर हो सकते हैं? सब लोगों का शासन—कितनी असम्भव, कितनी फिजूल बात है। सब लोगों के दिमाग एक समान नहीं होते हैं। सब लोगों की शक्ति बराबर नहीं होती है। फिर सब लोगों के अधिकार कैसे बराबर हो सकते हैं। ऊँच नीच के विचार, राजा के दीर्घ अधिकार का मिद्धान्त, पुरोहितों की उच्चता का भाव, कुलीनों की श्रेष्ठता के विश्वास लोगों में बहुत गहरे गये हुए थे। पुराने जमाने में अरिष्टोटल जैसे दार्शनिक ने लिखा था, कुछ लोग शासन करने के लिये उत्पन्न हुए हैं, और अन्य लोग शासित होने के लिये। अरिष्टोटल जैसे तत्त्ववेत्ता भी अपने समय से परे नहीं देख सकते थे। उन्हें कुछ का मालिक और कुछ का गुलाम होना स्वाभाविक प्रतीत होता था। लूथर इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था, कि किसानों को भूमिपतियों के विरुद्ध

विद्रोह करने का हक है। उससे सम्पूर्ण सुधारों के उपदेश कुर्लीन लोगों के लिये थे और वह उन्हा का काय था, कि वे अपनी जागीराम धार्मिक सुधार करें। लूथर ने क्रिमाना पर भयङ्कर से भयङ्कर अत्याचार करने के लिये जर्मनी के जर्मादारा को अपनी महमति दी थी। वह भी अपने समय से परे नहीं देस सकता था। फ्रांस का राज्यक्रान्ति के असफल होने के अनन्तर यदि यूरोपियन जनता अपने युग से परे न देख सकी हो, तो हममें आश्चर्य ही क्या है? लागा ने ममक्ता, एक भयङ्कर नृपान आया था, अब वह चला गया है। दुनियाँ में ता राजाया का एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन ही हमेशा के लिए कायम रहता है, यही ईश्वरीय विधान है, वही सदा से चला आ रहा है, यहा सदा रहेगा। कुछ समय तक मेरुनिरुप का प्रभाव निरपवाद रूप से कायम रहा। क्रान्ति की भावनाया का कुचला गया। 'स्वाधीनता, समानता और भ्रातृभाव' ये सिद्धान्त अत्यन्त, भयङ्कर ममके जाते रहे। 'जनता के अधिकारा' में विश्वास रखनेवाले लोग समाज और व्यवस्था के दुष्मन रहे जाने लगे। वैध शासन के पक्षपोतियों का एक ही स्थान था और वह था जेल। जो लोग रहते थे, जनता का शासन हाना चाहिये, वे सभ्यता के शत्रु समझे जाते थे। नये विचारा का पहले पहल इसी प्रकार स्वागत होता है। आज ससार में जो सिद्धान्त सबसम्मत और निरपवाद रूपसे स्वीकृत कर लिये गये हैं वे सभी भयङ्कर क्रान्तिकारी विचार माने जाते थे। जिन्हें आज क्रान्तिकारी और भयङ्कर ममक्ता जाता है, मम्भवत सभ्य ससार सब उन्हे सबसम्मत समझने लगेगा। इतिहास में हम नित्य निरन्तर यही क्रम दृष्टिगोचर होता है।

ससार में सबसे प्रबल शक्ति विचारा की है। तलवार और पन्दूक से इसका संहार नहीं किया जा सकता। इसे चितना ही कुचलने का प्रयत्न किया जाता है, यह उतनी ही आश्रय प्रबल हो जाता है। फ्रांस में पिन नवीन विचारा का प्रातृभाव हुआ था, उन्ही कुचल सकना

असम्भव था। वे लोगों ने दिमागों में घर कर चुके थे। क्रान्ति की चौथाई सदी ने मनुष्य जाति के सम्मुख नवान् कल्पनायें उपस्थित की थीं—एक नवान् दुनिया की सम्भावना प्रदर्शित की थी। प्रतिक्रिया के युग में वह नया चित्र लोगों की आँसों से ओझल नहीं हो गया था। एतन्त्र राजाओं के अत्याचारों से तब आये हुए लोगों के सम्मुख एक निश्चित और स्पष्ट मार्ग था, और उस मार्ग की स्मृति उनमें अभी बिलकुल ताजी थी। फ्रेञ्च राज्यक्रान्ति ने जिन नई प्रवृत्तियों का जन्म दिया था, वे अपना कार्य कर रही थीं। ससार में किसी वस्तु का विनाश नहीं होता। केवल ठोस भौतिक पदार्थ ही नहीं, विचार और सिद्धान्त भी अभी सर्वथा नष्ट नहीं होते। किसी न किसी रूप में वे कायम रहते हैं। उनका प्रभाव मनुष्यों में अमर रहता है। फिर प्राप्त की राज्य क्रान्ति ने जिस विचार सरणी की सृष्टि की थी, उसने तो प्रादुर्भूत होते ही सम्पूर्ण पाश्चात्य ससार को जड़ से हिला दिया था। उसकी शक्ति असीम थी। उसका नाश हो करना असम्भव था। पुराने युग का लोथ के समान भारी ढोके उसे दना करने में सर्वथा असमर्थ था। यही कारण है, कि वीएना की कांग्रेस के केवल पांच वर्ष बाद ही क्रान्ति का इन प्रवृत्तियों ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। सबन विद्रोह और क्रान्ति के चिन्ह नजर आने लगे। एक सदी के लगभग तक यूरोप में पुरानी और नई प्रवृत्तियाँ में सधप चलता रहा। पाश्चात्य ससार का अगला इतिहास वस्तुतः इन प्रवृत्तियों के सधर्ष का इतिहास है। आतिस, फ्रेञ्च राज्यक्रान्ति ने जिन भावनाओं को जन्म दिया था, वे सफल हुईं। सन् १८२० से १८४८ तक यूरोप का इतिहास नई प्रवृत्तियों के प्रगट होने व फूट पडने के वृत्तान्त से भरा हुआ है। १८४८ के बाद ये प्रवृत्तियाँ सर्वत्र सफल होती हुईं नजर आने लगीं। इस अध्याय में हमें इस बात पर प्रकाश डालना है कि १८४८ तक किस प्रकार इन प्रवृत्तियों ने पुराने जमाने को नाश करने का प्रयत्न किया और उन्हें कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई।

२. स्पेन की राज्यक्रान्ति

फर्डिनेण्ड के शासन से असन्तोष—फर्डिनेण्ड सतम ने किस प्रकार स्पेन में क्रान्ति की भावनाओं तथा नवीन सुधारों को कुचलने का प्रयत्न किया था, इसका वर्णन पहले किया जा चुका है। पुराने जमाने को फिर से वापस ले आने के लिये जो कुछ भी उससे बन पाया, उसने किया। परिणाम यह हुआ, कि जनता में असन्तोष की अग्नि भड़क उठी। सुधार के पक्षपाती शान्तिमय उपायों से अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ हो गये। राजा पर वे किसी भी प्रकार से अपना प्रभाव नहीं डाल सकते थे। राजा पूर्णतया कुलीन और पुरोहित श्रेणी के प्रभाव में था। आखिर, निराश होकर उन्होंने गुप्त समितियों का संगठन किया। सर्वसाधारण जनता उनके साथ थी। क्रान्ति ने जनता को जो अधिकार तथा अवसर दिये थे, उन्हें वह आसानी से नहीं छोड़ देना चाहती थी। मध्यश्रेणी के बहुत से लोग जो अपने व्यवसायों तथा व्यापार के कारण बहुत काफी उन्नत तथा समृद्ध हो चुके थे, अब इस बात को नहीं सह सकते थे, कि कुलीन लोग उनकी अपेक्षा अधिक विशेषाधिकारों का उपभोग करें। सिपाही लोग भी फर्डिनेण्ड के शासन से असन्तुष्ट थे। नेपोलियन के विरुद्ध लड़ते लड़ते राष्ट्रियता की भावनाएँ उनमें कूट-कूटकर भर गई थीं। जनता की दृष्टि के विरुद्ध इस प्रकार का एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन वे सहन नहीं कर सकते थे। विद्रोह के लिये मैदान तैयार था। १८२० में विद्रोह की अग्नि स्पेन भर में प्रचण्ड हो उठी। काडिज में सेना ने विद्रोह किया। क्रान्तिकारी लोग तो उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे ही। वे भी शामिल हो गये। विद्रोह की अग्नि सम्पूर्ण स्पेन में व्याप्त हो गई। फर्डिनेण्ड के लिये अपनी सत्ता को, संभलाना मुश्किल हो गया। आखिर, जनता को सन्तुष्ट करने के लिये उसने १८१२ के शासन विधान को फिर स्थापित

प्रयत्न किया गया। फिट्नेन्ट १८३० तक इसी प्रकार एतन्त्र और स्वेच्छाचारी रूप में शासन करता रहा। इस मुदीर काल में उसने विद्रोह मिटो करने का साहस किया जो न हुआ। उमरी सहायता करने के लिये मेटर्निय अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ उद्यत था। यूरोप के राजा अत्याचारों और क्रूरताओं के लिये उमरी पीठ टार रहे थे।

विद्रोह की प्रवृत्ति का पुनः प्रारम्भ—१८३० में जब फ्रांस में गण्यक्रान्ति हुई, तो उमरा प्रभाव स्पेन पर भी पड़ा। जनता में एक वाग फिर साहस का संचार हुआ। उदार विचारों के लोग सुधार के लिये आन्दोलन करने लगे। परन्तु उनसे सफलता नहीं हुई। लोगों में डर पैदा देने के लिये सब प्रकार के उपायों को प्रयोग में लाया गया। गुमचरों की सन्ख्या बढ़ा दी गई। फौजों न्यायालय कायम किये गये। मैट्रिड में एक विद्यार्थी को कैबल इसलिये पँसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि उसने 'स्वतन्त्रता की जय' का नारा लगाया था। एक स्त्री को इसलिये प्राणदण्ड दिया गया, क्योंकि उसने एक भन्डे पर 'स्वतन्त्रता कानून, समानता' के शब्द लिखे थे। परन्तु इन सब अत्याचारों के होते हुए भी उदार और नवीन विचारों के लोग निरन्तर प्रयत्न करते जाते थे। १८३४ में पार्लियामेंट में नवीन विचारों के लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई। फिट्नेन्ट सत्तम की पार्लियामेंट नाम की ही व्यवस्थापिका सभा थी, उसके अधिकार न के बराबर थे। उसे टैक्सों पर वोट देने तक का अधिकार प्राप्त न था। पर फिर भी पार्लियामेंट में बहुमत हो जाने के कारण नवीन विचारों के लोग राजा को शासन-सुधार करने के लिये प्रियश करने में समर्थ हुए। इन नवीन लोगों की शक्ति निरन्तर बढ़ती ही गई। १८३७ में राजा को बाधित होना पड़ा, कि १८१२ के शासन विधान के आधार पर एक नवीन शासन विधान स्पेन में जारी करे। १८३७ के इस शासन विधान से पार्लियामेंट की शक्ति पुनः स्थापित हो गई। यद्यपि यह जनता की वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थी,

क्रिया। धार्मिक न्यायालय नष्ट कर दिये गये। और अधिक सुधार करने की प्रतिज्ञा की गई। परिणाम यह हुआ, कि जनता धोके में आ गई। विद्रोह शान्त हो गया। दो वर्षों तक फर्डिनेण्ड ने नवीन शासन-विधान के अनुसार शासन किया। पार्लियामेण्ट का निर्वाचन किया गया, उदार विचारों के नेता मन्त्री नियत किये गये। परन्तु फर्डिनेण्ड की नियत माफ नहीं थी। वैध शासन की कल्पना भी उसे सह्य नहीं थी। वह विदेशी सेनाओं की सहायता से वैध शासन को नष्ट करने के लिये षड्यन्त्र कर रहा था। कुलीन और पुरोहित श्रेणियों के लोग उसके साथ थे। आखिर, फर्डिनेण्ड अपने मित्र मेटरनिस को इस बात के लिये प्रेरित करने में समर्थ हुआ, कि वह 'चतुर्विध मित्र मण्डल' की शक्ति का स्पेन में स्वेच्छाचारी राजसत्ता स्थापित करने के लिये प्रयोग करे। सन् १८२३ में वेरोना के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्पेन का मामला पेश किया गया। सब राज्य इस बात के पक्ष में थे, कि फर्डिनेण्ड की सहायता की जाय। केवल इङ्ग्लैण्ड विरुद्ध था। आखिर, यह निश्चय किया गया कि फ्रांस की सेनायें फर्डिनेण्ड की सहायता के लिये भेजी जाय। ६५ हजार फ्रेञ्च सैनिक एकसत्तात्मक राजतन्त्र की स्थापना के लिये स्पेन में प्रविष्ट हुए। फ्रांस की ये सेनायें, जिन्होंने सारे यूरोप को क्रान्ति की लहरों से व्याप्त कर दिया था, अब इतनी अधिक परिवर्तित हो गई थी, कि जनता के न्याय्य अधिकारों को कुचलने के लिये एक स्वेच्छाचारी राजा की सहायता करने में सङ्कोच नहीं करती थीं। फ्रेञ्च सैनिकों की सहायता से नई प्रवृत्तियों को सर्वथा कुचल दिया गया। पार्लियामेण्ट बर्जास्त कर दी गई। उदार मन्त्रिमण्डल पदच्युत कर दिया गया। स्पेन में फिर वही स्वेच्छाचारी राजसत्ता, वही धार्मिक न्यायालय, वही कुलीनों के लिये अधिकार, अभिप्राय यह है, कि वही पुगना जमाना स्थापित हो गया। उदार विचारों के लोगों पर भयङ्कर अत्याचार किये गये। एक प्रकार का आतङ्क सा विद्यमान

प्रयत्न किया गया। फर्डिनेन्ड १८३० तक इसी प्रकार एकतन्त्र और स्वेच्छाचारी रूप से शासन करता रहा। इस सुदीर्घ काल में उसके विरुद्ध विद्रोह करने का साहस किसी को न हुआ। उसकी सहायता करने के लिये मंत्रनिष्ठ अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ उद्यत था। यूरोप के राजा अत्याचारों और क्रूरताओं के लिये उसकी पीठ टोक रहे थे।

विद्रोहों की प्रवृत्ति का पुनः प्रारम्भ—१८३० में जब फ्रांस में राज्यक्रान्ति हुई, तो उसका प्रभाव स्पेन पर भी पड़ा। जनता में एक बार फिर साहस का संचार हुआ। उदार विचारों के लोग सुधार के लिये आन्दोलन करने लगे। परन्तु उनको सफलता नहीं हुई। लोगों में डर बैठा देने के लिये सब प्रकार के उपायों को प्रयोग में लाया गया। गुप्तचरों की संख्या बढ़ा दी गई। फौजी न्यायालय कायम किये गये। मेड्रिड में एक विद्यार्थी को केवल इसलिये फाँसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि उसने 'स्वतन्त्रता की जय' का नारा लगाया था। एक स्त्री को इसलिये प्राणदण्ड दिया गया, क्योंकि उसने एक झण्डे पर 'स्वतन्त्रता कानून, समानता' ये शब्द लिखे थे। परन्तु इन सब अत्याचारों के होते हुए भी उदार और नवीन विचारों के लोग निरन्तर प्रयत्न करते जाते थे। १८३४ में पार्लियामेंट में नवीन विचारों के लोगों की सत्या बहुत बढ़ गई। फर्डिनेन्ड सप्तम की पार्लियामेंट नाम की ही व्यवस्थापिका सभा थी, उसमें अधिकार न के बराबर थे। उसे टैक्सों पर वोट देने का अधिकार प्राप्त न था। पर फिर भी पार्लियामेंट में बहुमत हो जाने के कारण नवीन विचारों के लोग राजा को शासन-सुधार करने के लिये विवश करने में मगधे हुए। इन नवीन लोगों की शक्ति निरन्तर बढ़ती ही गई। १८३७ में राजा को बाधित होना पड़ा, कि १८१५ के शासन विधान के आधार पर एक नवीन शासन-विधान स्पेन में जारी करे। १८३७ के इस शासन-विधान से पार्लियामेंट की शक्ति पुनः स्थापित हो गई। यद्यपि यह जनता की वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थी,

क्याकि बोट वेने का अविचार बहुत कम लोगों को प्राप्त था, पर गाना भी एफतन्त्र सत्ता अब अत्यन्त नष्ट हो गई थी।

बंध राजसत्ता की स्थापना—१८३७ के शासन विधान ने स्पेन में भी बंध राजसत्ता प्रचलित हुई। पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल स्पेन का शासन करने लगा।

स्पेनिश उपनिवेशों में स्वतन्त्रता की भावना—१६वीं और १७वीं सदियों में जब यूरॉपियन लोगों ने अपने साम्राज्य साम्राज्यों का निर्माण आरम्भ किया, तो स्पेन इस क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ा हुआ था। मध्य और दक्षिण अमेरिका में स्पेन ने अनेक उपनिवेशों की स्थापना की थी। इन स्पेनिश उपनिवेशों में स्वशासन का जरा भी अस्तित्व न था। ये पूर्णतया स्पेन के आधीन थे। जब १८वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तरीय अमेरिका के इङ्गलिश उपनिवेशों में स्वराज्य के लिये आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, तो उसका प्रभाव स्पेनिश उपनिवेशों पर पड़ना संघर्षा स्वाभाविक था। इङ्गलिश उपनिवेशों को अपने प्रयत्न में सफलता हुई। वे स्वतन्त्र 'संयुक्त राज्य' अमेरिका का निर्माण करने में समर्थ हुए। जब स्पेन के उपनिवेशों ने देखा, कि उनके उत्तरीय पड़ोसी स्वाधीन हो गये हैं, तो उनमें भी स्वराज्य प्राप्त करने की उत्कण्ठा प्रयत्न हो गई। फ्रांस की राज्यक्रान्ति ने उनमें और अधिक साहस उत्पन्न किया और वे स्वतन्त्रता के लिये सग्राम करने को मन्नद हो गये। उपनिवेशों में स्पेन का शासन बहुत ही कठोर और विकृत था। स्पेनिश लोग उपनिवेशों को धन उपार्जन और अपने लाभ का साधन मात्र समझते थे। फ्रांस की क्रांति के बाद जब नेपोलियन ने स्पेन पर कब्जा कर लिया, तो इन अमेरिकन उपनिवेशों को अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिये आन्दोलन करने का सुवर्णायुग हाथ लगा। इसके अतिरिक्त अपने व्यापार को उन्नत करने का भी उन्होंने विशेष रूप से प्रयत्न किया। इससे पूर्व वे स्पेन के अतिरिक्त और किसी देश से व्यापार

नहीं कर सकते थे। उन दिनों में यूरोप की औपनिवेशिक नीति का यह एक महत्त्वपूर्ण अंग था, कि उपनिवेश मूल देश के अतिरिक्त अन्य किसी से व्यापार न कर पावें। नैपोलियन के समय की अवस्था से लाभ उठाकर स्पेनिश उपनिवेशों ने संयुक्तराज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के साथ व्यापार करना प्रारम्भ कर दिया। राजनीतिक स्वतन्त्रता की दृष्टि से इन उपनिवेशों में बहुत आन्दोलन चल रहा था। १८०४ के बाद उनमें निरन्तर विद्रोह होने लगे।

क्रान्ति का प्रारम्भ—स्पेन उस समय नैपोलियन के कब्जे में था। वहाँ स्वयं गृहकलह जारी था। स्पेन से किसी भी प्रकार की सहायता इन उपनिवेशों के विद्रोह को शान्त करने के लिये नहीं भेजी जा सकती थी। परिणाम यह हुआ, कि जो थोड़ी बहुत सेनाये उपनिवेशों में विद्यमान थी, वे परास्त कर दी गईं और वहाँ के स्पेनिश शासकों को पराजित कर बाहर निकाल दिया गया। इन विद्रोहों में संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन की सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी। यद्यपि इङ्ग्लैंड नैपोलियन के खिलाफ स्पेन को सहायता करने के लिये कटिबद्ध था, तथापि स्पेनिश साम्राज्य का भङ्ग होते देख कर उसे हार्दिक प्रसन्नता थी। अधिकांश स्पेनिश उपनिवेश इस समय स्वतन्त्र हो गये और उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका व फ्रांस के नमूने के रिपब्लिकन शासन स्थापित हुए।

मिन्न-मण्डल का हस्तक्षेप—स्पेनिश उपनिवेशों की इन सफल क्रान्तियों को यूरोप के स्वेच्छाचारी राजा सहन नहीं कर सकते थे। जनता के विद्रोह, चाहे वे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों हो रहे हों, उन्हें सह्य न थे। इसलिये वेरोना के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में (१८२३) जब स्पेनिश विद्रोह को कुचलने का कार्य फ्रांस के सुपुर्द किया गया, तब साथ ही यह भी निश्चय हुआ, कि इन उपनिवेशों के विद्रोहों को भी शान्त किया जाय और उन्हें फिर फर्डिनेण्ड सप्तम की

आर्धानता में ले आया जाय। फ्रांस की सेनायें ग्रेटी खुशी से इस महत्त्वपूर्ण कार्य को भी अपने हाथ में ले लेती, अगर् ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका इस बात का विरोध न करते।

इङ्गलैण्ड का विरोध—ग्रेट ब्रिटेन दो कारणों से इसका विरोध म था। पहला बात यह कि इससे स्पेन के साम्राज्य का पुन स्थापन होता था और दूसरी बात यह कि पिछले दिना में स्पेनिश उपनिवेशों का नाथ उमका नया नया व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुआ था। ग्रेट ब्रिटेन को इस व्यापार से बहुत आशा थी। यह निश्चित था कि यदि ये उपनिवेश फिर स्पेन के अधीन हो जाते, तो फिर पुरानी औपनिवेशिक नीति का अवलम्बन कर अन्य देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध को सर्वथा रोक दिया जाता। ग्रेट ब्रिटेन इस भारी नुकसान को सहने न लिये उद्यत नहा था, अतः उसने उद्घोषित किया, कि अमेरिका न इन स्वतन्त्र राज्यों की स्वतन्त्रता में यूरोप के राज्य यदि किसी भी प्रकार की बाधा डालेंगे, तो ग्रेट ब्रिटेन उनका पूरा विरोध करेगा और आवश्यकता पडने पर शस्त्र का भी आश्रय लेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका भी यह नहीं चाहता था, कि उसका नया नया स्थापित हुआ व्यापारिक सम्बन्ध इतनी सुगमता से नष्ट हो जावे। साथ ही वह यह भी सहन नहीं कर सकता था, कि पुरानी दुनियाँ के राज्य नया दुनियाँ के मामलों में इस प्रकार से हस्तक्षेप कर।

मुनरो सिद्धान्त—इसलिये १६२२ में ही संयुक्तराज्य अमेरिका ने कोलम्बिया, विली, अर्जेन्टाइन और मेक्सिको (य सब पहले स्पेन के उपनिवेश थे) का स्वतन्त्र राज्यों के रूप में स्वीकृत कर लिया, और अगले वर्ष १८२३ में राष्ट्रपति मुनरो ने अमेरिका कांग्रेस के सम्मुख उस प्रसिद्ध सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, जो अतः तब उसके अपने नाम से प्रख्यात है। राष्ट्रपति मुनरो ने कहा—“यूरोपियन राज्यों के पारस्परिक युद्धों में हमने अतः तक कभी भी हिस्सा नहीं लिया है। न

हमारा यह नीति ही है, कि हम यूरोप के आन्तरिक मामलों में किसी किसम का हस्तक्षेप करें। परन्तु जिस समय हमारे अधिभार पर हमला किया जाता है, या उनको गहरे तरीके से हानि पहुँचाई जाती है, तभी हम आत्मरक्षा के लिये तयारी करते हैं, या नुस्खान से अपना उबाव करते हैं। पर पृथिवी के इस भाग के आन्दोलनों और घटनाओं से हमारा अधिभार सन्निकट सम्बन्ध है, और इसका कारण कोई भी बुद्धिमान् तथा निष्पक्ष व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। यूरोप के 'मिन्मटल' की राजनीतिक पद्धति हम लोगों से इस ग्रह में सर्वथा भिन्न है। हम इस बात को उद्घोषित करना चाहते हैं, कि यदि यूरोपियन राज्यों का 'मिन्मटल' अपनी राजनीतिक पद्धति को पृथिवी के इस भाग के किसी हिस्से पर प्रयुक्त करने का प्रयत्न करेगा, तो इसे हम अपनी शान्ति और सुरक्षा के लिए सतर्कता से समझेंगे।" यही स्थापना इतिहास में 'मुनरो मिद्धान्त' के नाम से प्रसिद्ध है। यह ध्यान में रखना चाहिये, कि इस मिद्धान्त के प्रतिपादन में ग्रेट ब्रिटेन के परराष्ट्र सचिव ज्यार्ज कैनिङ्ग का भी हाथ था।

स्वतन्त्रता की प्राप्ति—राष्ट्रपति मुनरो की इस उद्घोषणा का यह परिणाम हुआ, कि यूरोपियन राज्यों के लिये कोलम्बिया आदि स्वतन्त्र हुए स्पेनिश उपनिवेशों के मामले में हस्तक्षेप करना गठित हो गया। मेटरनिग्न तथा उसके साथी राजनीतिक परेशान रह गये। प्रबल इच्छा हाते हुए भी वे उपनिवेशों को आधीन करने के लिये फर्डिनेन्ड की सहायता नहीं कर सके। फर्डिनेन्ड ने स्वयं भी कोई प्रयत्न नहीं किया। उसमें इतनी शक्ति नहीं थी, कि एक तरफ तो अपना प्रजा की स्वाधीनता की भावनाओं को कुचलता रहे और दूसरी तरफ सुदूरवर्ती अमेरिकन उपनिवेशों को भी अपने अधीन रख सके। परिणाम यह हुआ, कि स्पेन का उपनिवेशित साम्राज्य नष्ट हो गया। क्रान्ति की जो भावनाएँ फ्रांस में प्रादुर्भूत हुई थीं, वे यदि स्पेन में पूर्णतया प्रसारित नहीं हुईं,

तो कम से कम समुद्र पार के उपनिवेशों में तो अपना हाथ बंट कर ही गई।

३. अन्य देशों में क्रांति का प्रारम्भ

सन् १८२० में स्पेन के साथ ही पोर्तुगाल में भी राज्यक्रान्ति का प्रारम्भ हुआ। सन् १८०८ में नेपोलियन की सेनाओं ने पोर्तुगाल पर कब्जा कर लिया था और वहीं राजा डाम जान चतुर्थ अपने अमेरिकन उपनिवेश ब्राजील में भाग गया था। इसके बाद पोर्तुगाल फ्रांस के अधीन हो गया और राजा डाम जान चतुर्थ ब्राजील में स्वतन्त्ररूप से शासन करता रहा। परन्तु पोर्तुगाल में फ्रेंच लोगों का शासन देर तक कायम नहीं रह सका। १८०८ के अन्त में ही बेलिङ्गटन में ड्यूक ने अपनी इङ्गलिश सेनाओं के साथ वहाँ पर प्रवेश किया और फ्रेंच सेनाओं को परास्त कर पोर्तुगाल को अपने कब्जे में कर लिया। तब से लेकर १८२० तक (१८०८-१८२०) पोर्तुगाल इङ्गलिश अफसरों के शासन में था, जो कि ब्राजील भागे हुए पोर्तुगीज राजा के नाम पर राज्य कर रहे थे। पोर्तुगाल के निवासे इन इङ्गलिश लोगों के शासन को जरा भी पसन्द नहीं करते थे। फ्रेंच राज्यक्रान्ति द्वारा प्रादुर्भूत नवीन भावनाओं ने उन पर भी प्रभाव डाला था वे भी राष्ट्रीयता के भावों से प्रेरित होकर अपने देश को इङ्गलिश लोगों की हुकूमत से मुक्त कराने तथा जनता के अधिकारों का स्थापित करने के लिये उत्सुक थे। पोर्तुगाल पोर्तुगीज लोगों के लिये है, यह भावना सम्पूर्ण देश में व्याप्त हो गई। इस दशा में जब १८२० में स्पेनिश लोगों ने विद्रोह किया, तो पोर्तुगाल में भी विद्रोह की अग्नि प्रचण्ड हो गई। ब्रिटिश शासन को यह पट्ट कर दिया गया। 'धार्मिक न्यायालय' (इन्क्विजिशन) नष्ट किये गये। जुलीन और पुरोहित श्रेणियों से विशेषाधिकार छीन लिये गये। लोकसभा का संगठन कर साथ ही यह भी उद्घोषित किया गया,

कि कानून की दृष्टि में सब मनुष्य एक समान हैं, सबको लिखने, बोलने और मुद्रण की पूर्ण स्वतन्त्रता है। इस लोकसभा ने लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार देश के लिये एक नवीन शासन विधान का निर्माण किया।

पोर्तुगाल की इस क्रान्ति को यूरोपियन स्वेच्छाचारी राजा सहन न कर सके। वे हस्तक्षेप करने का विचार करने लगे। ग्रेट ब्रिटेन ने भी पोर्तुगाल के विद्रोह को कुचल देने का निश्चय किया। ब्राजील में भागे हुए राजा जान चतुर्थ को प्रेरित किया गया, कि वह अपने वास्तविक राज्य को वापस लौटकर अपनी रोई हुई राजगद्दी को संभाल ले। राजा जान ने इस सुवर्णवसर को हाथ से नहीं जाने दिया। वह पोर्तुगाल वापस लोट आया। १८२१ में पोर्तुगाल वापस आकर राजा जान ने यह उद्घोषित किया, कि मैं नवीन शासन-विधान को स्वीकृत करने के लिये तैयार हूँ। जनता इससे बहुत सन्तुष्ट हुई। उन्होंने उसे राजा स्वीकृत कर लिया। राजा जान चतुर्थ एक बार फिर पोर्तुगाल का राजा बन गया। पर जान चतुर्थ के ब्राजील से प्रस्थान करते ही वहाँ विद्रोह हो गया। इस विद्रोह का नेता जान का अपना लड़का टाम पेट्रो था। उसे ब्राजील में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने में देर नहीं लगी। जान एक देश का राजा रह सकता था, पोर्तुगाल का या ब्राजील का। दोनों देशों को संभाल सकना उसकी शक्ति से बाहर था।

पोर्तुगाल वापस लौटकर जान ने जिस उदार नीति का परिचय दिया था, उसे वह देर तक कायम नहीं रख सका। शीघ्र ही वह कुलीन और पुरोहित लोगों के प्रभाव में आ गया। उसने शासन-विधान की उपेक्षा करनी प्रारम्भ कर दी। परिणाम यह हुआ, कि एक बार फिर विद्रोह की अग्नि प्रचण्ड हो उठी। पोर्तुगाल की जनता ने विद्रोह कर दिया। राजा टाम जान चतुर्थ को भाग चलने के लिये बाधित होना पड़ा। एक ब्रिटिश जहाज का आश्रय लेकर वह अपनी जान बचाने में

समर्थ हुआ। परन्तु यूरोप के एकतन्त्र राजा और पणपतया ब्रिटेन उसकी महायत्ना करने को कल्पित थे। उन्होंने उस पर सहाय दिया। यूरोपियन 'मित्रमण्डल' का महायत्ना स राजा जान किंग पोर्तुगाल की राजगती पर आरुढ़ हुआ। उस समय में कुलीन श्रेणी और यूरोप के राजपरिवारों ने जनता के खिलाफ एक भयङ्कर पटयन्त्र किया हुआ था। जनता इस पटयन्त्र के सम्मुख सप्रथा असहाय थी।

१८०६ में राजा जान की मृत्यु हुई। उसका लड़का डाम पेडो, जो उस समय ब्राजील का राजा था, अब पोर्तुगाल का राजा बना। सन् १८३४ तक जनता और राजा में निरन्तर सधप जारी रहा। इस काल में पोर्तुगाल में एक प्रकार का गृह युद्ध सा हो रहा था। जनता अपने अधिकारों के लिये कोशिश कर रही थी और कुलीन श्रेणियों की सम्पूर्ण शक्ति उनकी न्याय्य मांगों का पाशविन्द पल का प्रयोग करके नष्ट करने में लगी हुई थी। आखिर, १८३४ में जनता को विजय हुई। राजा का एक उन्धोपगमा पत्र प्रकाशित करने के लिये बाधित होना पड़ा, जिसमें कि कुलीन और पुरोहित श्रेणियों के विशेषाधिकार नष्ट किये गये, चर्च की सम्पत्ति छीन ली गई, वैध राजसत्ता की स्थापना का गई और जनता के अधिकार स्वीकृत किये गये। पोर्तुगाल में भा राजसत्ता का पूर्णतया जनता के आधीन कर दिया गया। नान्ति की प्रवृत्तियाँ आखिरकार पोर्तुगाल में भी मकल हो गयीं।

वीएना की सन्धि के बाद इटला के विविध राज्यों की क्या व्यवस्था की गई थी, उस पर विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है। उत्तरी इटली के वेडे भाग पर आस्ट्रिया का शासन था। अनेक राज्य आस्ट्रिया के प्रभाव में थे। पीडमोंन्ट, नेपल्स, पोप का राज्य, लाम्बार्डी, स्टफनी आदि सभा राज्यों में एकतन्त्र और स्पेच्छान्वारी राजा राज्य कर रहे थे। इटला में गरीबता की भारना उत्पन्न हो चुकी थी। इटालियन नवयुवक अपने देश का एक शासन में मगठित देवना

चाहते थे, पर उनकी आकांक्षा के पूर्ण होने की कोई सम्भावना दृष्टिगोचर नहीं होती थी। चीना के गजनीतियों ने जनता की इच्छा की सर्वथा उपेक्षा कर पुराने राजवंशों का पुनरुद्धार कर दिया था। ये छोटे-छोटे राजा अपने को परमेश्वर का प्रतिनिधि समझकर मनमानी तरीके से शासन कर रहे थे। १८२० में जब स्पेन में राज्यक्रान्ति हुई, तो इटालियन लोगों में भी साहस उत्पन्न हुआ। वे भी अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करने को उद्यत हो गये। इटली में गुप्त समितियों की कमी नहीं थी। १८१५ के बाद जब प्रतिक्रिया के युग का प्रारम्भ हुआ था, तभी अनेक गुप्त समितियों का संगठन किया गया था। 'कार्बोनरी' नामक समिति के सदस्यों की संख्या साठ हजार के लगभग थी। इस सुप्रसिद्ध समिति के अतिरिक्त अन्य भी बहुत सी गुप्त समितियाँ विद्यमान थीं, जो कि अपने देश को स्वतन्त्र तथा संगठित करने के लिये प्रयत्न कर रही थीं। १८२० में इन भय समितियों को विद्रोह करने के लिये अत्यन्त उत्तम अवसर हाथ लगा। नेपल्स के लोगों ने अपने राजा फर्डिनेन्ड छठे के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उसे बाधित किया; कि वह अपने राज्य में शासन-विधान का निर्माण कर उसके अनुसार शासन करे। इसी प्रकार सिसली—जो कि नेपल्स के राजा के ही आधीन था, में भी विद्रोह हुआ। वहाँ पर भी जनता के अधिकारों को स्वीकृत करने के लिये आवाज उठाई गई। पर सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। आस्ट्रिया का प्रधान मन्त्री मेटर्निस यह सहन नहीं कर सकता था, कि इटली के लोगों में भी नवीन भावनाओं का प्रचार हो। फर्डिनेन्ड छठे की सहायता के लिये आस्ट्रियन सेनाएँ तैयार थीं। उन्होंने फेयल सिसली के विद्रोह को शान्त किया, अपितु नेपल्स की जनता को भी अच्छा पाठ पढ़ाया। नेपल्स के नये शासन विधान को नष्ट कर दिया गया। जिसने इसका विरोध करने की हिम्मत की, उसे भयङ्कर दण्ड दिये गये। आस्ट्रियन सेनाओं की सहायता से नेपल्स के राज्य में फिर

पहले के समान एकतन्त्र और स्वेच्छाचारी राजसत्ता की स्थापना हो गई।

१८२१ में पीडमोंट की जनता ने विद्रोह किया। पीडमोंट का प्रदेश फ्रांस के बहुत समाप्त था। क्रान्ति की लहरें उसे अच्छी तरह आप्लावित कर चुकी थीं। नैपोलियन उसे जीतकर फ्रांस के अधीन कर चुका था और वहाँ के निवासी स्वतन्त्रता और समानता के सिद्धान्तों पर आश्रित शासन का आस्वाद ले चुके थे। पीडमोंट के विद्रोहियों का कहना था, कि हमारे देश में भी शासन 'वधान की स्थापना होनी चाहिये, एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन का अन्त होना चाहिये, और उत्तरीय इटली से आस्ट्रिया के प्रभाव को नष्ट कर सम्पूर्ण देश को एक सूत्र में मगडित करना चाहिये। पीडमोंट का राजा विक्टर एमेनुयल प्रथम इस विद्रोह को शान्त करने में असमर्थ था। उसने राजगद्दी का परित्याग करने में ही कल्याण समझा। अपने भाई चार्ल्स फेलिक्स को राज्य देकर वह पीडमोंट छोड़कर चला गया। चार्ल्स फेलिक्स बहुत हिम्मती और जयदस्त आदमी था। उसने आस्ट्रिया और रशिया की सहायता प्राप्त कर विद्रोह को शान्त करने में सफलता प्राप्त की। विद्रोह शान्त हो गया। १८२० में क्रान्ति की जो लहर स्पेन में प्रारम्भ हुई थी, वह इटली तक पहुँचते-पहुँचते सर्वथा शक्तिहीन हो गई। इटालियन लोगों को आकाशार्थ पूर्ण नहीं हो सका। परन्तु जो नई प्रवृत्तियाँ उनमें कार्य कर रही थीं, वे सदा के लिये दबाई नहीं जा सकती थीं। चौथाई सदी के बाद ही इटली एक देश बन गया और वहाँ की जनता की महत्ताकार्थ पूर्ण हो गई। नई भावनाएँ क्रिया में परिणत हो गईं। अठारहवीं सदी के अन्त तक वालकन प्रायद्वीप के बड़े भाग पर टर्की के मुलतान का शासन था। वालकन प्रायद्वीप में अनेक जातियाँ निवास करती थीं। इन सब की भाषा, धर्म, नस्ल और जाति टर्की से भिन्न थी। फ्रांस की राज्य क्रान्ति द्वारा उत्पन्न नई प्रवृत्तियों ने इन पर भी

असर डाला और इन्होंने भी यह अनुभव करना शुरू किया, कि हमें भी स्वतन्त्र होना चाहिये। ग्रीक लोग सोचने लगे, कि ग्रीस को टर्की के आधीन नहीं रहना चाहिये। सर्व, बल्गेरियन, रूमनियन आदि लोगों में भी इसी प्रकार के विचार उत्पन्न हुए। राष्ट्रीयता की भावनाओं से प्रभावित होकर बाल्कन प्रायद्वीप की इन जातियों ने स्वतन्त्र होने का स्वप्न देखना प्रारम्भ किया। टर्की के सुलतान का शासन पूर्णतया स्वेच्छाचारी और एकेतन्त्र था। बाल्कन प्रायद्वीप के निवासी प्रधानतया ईसाई धर्म को माननेवाले थे। वे एक मुसलमान सुलतान का शासन किसी भी प्रकार नहीं सह सकते थे। जिस समय नेपोलियन का पतन करने के लिये ग्रंट ब्रिटेन, एशिया, रशिया और आस्ट्रिया ने गुट का निर्माण किया और यह उद्घोषित किया, कि हम विभिन्न जातियों को नेपोलियन के एकाधिपत्य से मुक्त कराने के लिये औरभूरा में स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रीयता की स्थापना के लिये संघर्ष कर रहे हैं, तो इन बाल्कन जातियों को बहुत आशा हुई। उन्होंने समझा कि इस शक्तिशाली गुट का सहायता कर अन्त में हम भी अपने अवस्था को उन्नत करने में समर्थ हो सकेंगे। विशेषतया, ग्रीस में नेपोलियन के विरुद्ध इस गुट की सहायता करने के लिये भारी आन्दोलन किया गया। १५ हजार के लगभग ग्रीक स्वयंसेवक इस युद्ध में सम्मिलित हुए। आगिर, जब नेपोलियन का पतन हो गया और यूरोप का पुनः निर्माण करने के लिये विभिन्न राजनैतिक योजना में एकत्रित हुए, तब इन लोगों को बड़ी आशा थी कि हमारी तरफ ध्यान दिया जायगा और हमारे उद्धार के लिये भी कोशिश की जायगी। पर वे पूर्णरूप से निराश हुए। योजना के राजनैतिक राष्ट्रीयता और स्वतन्त्रता के कट्टर दुश्मन थे। नेपोलियन के गिलाफ विभिन्न लोगों को सहायता प्राप्त करने के लिये ही इन उदात्त शब्दों का प्रयोग किया गया था। योजना से निराश होकर ग्रीक लोगों ने अपने पश्चिम पर अपने आस कन्धा लगाने का निश्चय

क्रिया। अनेक सभा-समितियाँ संगठित की गईं। विशेषतया, 'मित्र-सभा' नाम की सभा ने बड़ा भारी काम किया। इस सभा के सदस्य सम्पूर्ण बाल्कन प्रायद्वीप में फैले हुए थे। केवल कान्स्टेन्टिनोपल में ही इसके सदस्यों की संख्या १७ हजार के लगभग थी। इस सभा ने स्वाधीनता के लिये बड़ा भारी प्रचार किया। इसके आन्दोलनों का परिणाम यह हुआ कि सम्पूर्ण बाल्कन प्रायद्वीप में स्वाधीनता की भावना प्रयत्न हो गई। १८२० में जब स्पेन, पोर्तुगाल और इटली में विद्रोह की आगि धधक रही थी, तो ग्रीक देशभक्तों को भी अपने देश में स्वराज्य स्थापित करने की आशा प्रयत्न हो उठी। उनका प्रधान नेता इप्सिलान्टो बड़े आवेश में कहने लगा— टेलन भाइयों! वक्त आ गया है। अब हमें अपने धर्म और देश की स्वतन्त्रता के लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये। सारे ग्रीस में यही भाव हिलोरे मारने लगे। परिणाम यह हुआ, कि १८२१ में ग्रीस का स्वाधीनता संग्राम प्रारम्भ हो गया।

१८२१ में जब लैबरन नामक स्थान पर यूरोपियन मित्रमण्डल की अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस हो रही थी, तब उन्हें यह चिन्ताजनक समाचार सुनने को मिला, कि एक और देश ने न्याय्य और परमेश्वर के प्रतिनिधि सम्राट् के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। मेटरनिस का पक्ष था कि ग्रीक विद्रोह को शान्त करने के लिये टर्की के सुलतान को सहायता दी जानी चाहिये। सुलतान ईसाई नहीं है, तो क्या हुआ। वह सम्राट् का है। उस जमाने में जाति, नसल, धर्म आदि तत्व लोगों में एकानुभूति उत्पन्न करनेवाले नहीं थे। यूरोप भर के राजा अपने को भाई भाई समझते थे, जहाँ तक लोगों के अधिकारों को कुचलने का प्रश्न हो। फ्रांस के कुलीन अपने देश के किसान व जुलाहे को उतना 'अपना' नहीं समझते थे, जितना कि 'प्रशिया व रशिया' के कुलीन जमींदारों को। इस अवस्था में, यह सर्वथा स्वाभाविक ही था, कि टर्की के

मुसलमान सुलतान'की क्रिश्चियन ग्रीक प्रजा,को कुचलने के लिये मेटर्निस प्रस्ताव उपस्थित करता। परन्तु अन्य राजाओं ने उसका समर्थन नहीं किया। सुलतान की शक्ति बहुत कमी थी। वह भयंकर ने भयंकर उपायों का प्रयोग कर ग्रीक विद्रोह को शान्त करने का प्रयत्न कर रहा था। इस विद्रोह ने यूरोप के उदार विचारकों को एक अच्छा अवसर दिया। जनता अपने अधिकारों के लिये कहीं पर भी संघर्ष कर रही हो, उन्हें उसकी सफलता में हार्दिक खुशी होती थी। ग्रीस के लोग ईसाई धर्म को माननेवाले थे और उनका सुलतान मुसलमान था। इस बात का इन उदार लोगों ने अच्छा उपयोग किया। मुसलमान अफसरों की तरफ से जो भयंकर अत्याचार ग्रीस की ईसाई जनता पर किये जा रहे थे, उनके समाचारों को सुनकर यूरोप के ईसाई लोगों में हलचल मच गई। क्रान्ति के समर्थक उदार लोगों ने आन्दोलन करना प्रारम्भ किया कि ग्रीक लोगों के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये और मुसलमानों के पंजे से ईसाई भाइयों की रक्षा करनी चाहिये। ग्रीस के प्राचीन गौरवमय इतिहास को यूरोप के निवासी अभी भूले नहीं थे। ग्रीस की प्राचीन सभ्यता का यूरोप पर भारी प्रभाव था। इस कारण यूरोप के लोगों को ग्रीस से स्वाभाविक सहानुभूति थी। वे उसकी सहायता करने के लिये तैयार हो गये। सब स्थानों से स्वयंसेवक लोग ईसाई भाइयों की सहायता करने के लिये ग्रीक पहुँचने लगे। इंग्लैंड का प्रसिद्ध कवि लार्ड बायरन भी इस युद्ध में स्वयंसेवक के रूप में सम्मिलित हुआ। यूरोप भर में ग्रीस की सहायता के लिये चन्दा एकत्रित किया गया। सब जगह से युवक सेना में भर्ती हुए। परन्तु अब भी मेटर्निस अपनी महाशक्ति के साथ ग्रीक जनता के विद्रोह को शान्त करने की चिन्ता में व्यग्र था। आखिर, वह इस बात में कामयाब हुआ, कि आस्ट्रिया और प्रशिया को ग्रीस की किसी भी प्रकार की सहायता करने से रोके रखे। पर अन्य देशों पर उनका जादू नहीं

चला। जनता में ग्रीस की सहायता के लिये जो आन्दोलन चल रहा था, वह बहुत प्रबल था। रशिया, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ने मेटर्निक की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहाँ के लोग ग्रीस की पूर्ण सहायता करते रहे। कुछ समय बाद ही इङ्ग्लैंड को ध्यान आया कि ग्रीस की स्वतन्त्रता का परिणाम यह होगा, कि टर्की की शक्ति निर्मूल पड़ जायगी। अन्य गाल्कन जातियाँ भी ग्रीस का अनुसरण करेंगी और अन्ततोगत्ता टर्की का सर्वथा विनाश हो जायगा। इङ्ग्लैंड अपने पूर्वापेक्षित साम्राज्य की रक्षा के लिये यह आवश्यक समझता था, कि टर्की का विनाश न होने दिया जाय। यूरोप और एशिया के बीच के मार्ग पर इस समय टर्की का अधिकार था। टर्की से इङ्ग्लैंड को किसी प्रकार का खतरा नहीं था। पर यदि टर्की की शक्ति कमजोर हो जाय और इस महत्वपूर्ण मार्ग पर रशिया व किसी अन्य शक्तिशाली राज्य का कब्जा हो जाय, तो इङ्ग्लैंड के लिये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती थी। अतः इङ्ग्लैंड का कल्याण इसी में था, कि टर्की को नष्ट होने से बचाया जाय। आखिर, इस विचार से इङ्ग्लैंड ने ग्रीस की सहायता बन्द कर दी। परन्तु रशिया और फ्रांस निरन्तर उसकी सहायता करते रहे। इसका परिणाम यह हुआ, कि ग्रीस को अपने मनोरथ में सफलता प्राप्त हुई। एडियानोपल की सन्धि में (१८२६) ग्रीस की पूर्ण स्वतन्त्रता स्वीकृत कर ली गई।

ग्रीस में स्वार्थीन राज्य की स्थापना हो गई। शासन करने के लिये बवेरिया के राजकुमार थ्रोटी को—जिसकी आयु १८ वर्ष की थी, राजगद्दी पर बिठाया गया। शासन विधान का निर्माण कर वैध राजसत्ता कायम की गई। यूरोप भर के उदार लोग इस बात से बहुत अधिक प्रसन्न हुए। क्रान्ति की भावनाओं के प्रारम्भ होने के बाद ग्रीस पहला राज्य था, जिसने विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ कर स्वतन्त्रता प्राप्त की थी।

अन्य बालकन जातियों में भी ग्रीस के उदाहरण ने असाधारण साहस का संचार किया। वे सब स्वाधीनता के लिये कोशिश करने लगीं। रशिया इस प्रयत्न में उनका प्रधान सहायक था। जनता से उसे कोई सहानुभूति नहीं थी, पर टर्की की शक्ति को कमजोर कर अपने प्रभाव को विस्तृत करने की पूर्ण सम्भावना उसे दृष्टिगोचर होती थी। दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन इन जातियों की भावनाओं का प्रधान विरोधी था। ब्रिटेन को जनता से विशेष विरोध नहीं था—परन्तु टर्की के निर्वल होने से उसे अपनी हानि प्रतीत होती थी। रशिया और ब्रिटेन की इन भावनाओं ने बालकन प्रायद्वीप की समस्या को क्लिंतना जटिल बना दिया, इस बात का उल्लेख आगे चलकर किया जावेगा। यहाँ इतना लिखना पर्याप्त है, कि क्रान्ति को लहर सम्पूर्ण बालकन प्रायद्वीप में स्वतन्त्रता के लिये उत्कट आकांक्षा का प्रादुर्भाव कर रही थी।

४. फ्रांस की द्वितीय राज्यक्रान्ति

सन् १८३० में फ्रांस में द्वितीय राज्यक्रान्ति का प्रारम्भ हुआ। १७८६ की क्रान्ति ने जिन नवीन भावनाओं को जन्म दिया था, वे अपना कार्य कर रही थीं। वीएना की कांग्रेस ने इन भावनाओं को कुचलने का यथाशक्ति प्रयत्न किया था। बोर्बो राजवंश का पुनरुद्धार करके वीएना के राजनीतिज्ञों ने फ्रांस में पुराने जमाने को फिर से वापिस ले आने के लिये कोई भी कसर उठा नहीं रखी थी। पर नई प्रवृत्तियों को नष्ट कर सकना उनको शक्ति के बाहर था। १८वीं जुई के शासन से लोग बहुत अधिक असंतुष्ट नहीं हुए। उसने शक्तिभर जनता की परवाह करने का प्रयत्न किया था। पर चार्ल्स १०वाँ बहुत ही संवेच्छाचारी तथा उद्धत राजा था। वह 'सच्चे अर्थों में' राजा बनना चाहता था। वैध राजसत्ता, उसकी दृष्टि में कोई अर्थ ही नहीं रखती थी। परिणाम यह हुआ कि क्रान्ति की भावनाएँ फिर प्रवल हो गईं। चार्ल्स के

शासन से जनता असंतुष्ट थी। क्रान्ति की प्रवृत्तियाँ निरन्तर जोर-पकड़ रही थीं। इन दो कारणों ने मिल कर १८३० की द्वितीय राज्य क्रान्ति का प्रादुर्भाव किया।

चार्ल्स १०वाँ जनता के अधिकारों का घोर शत्रु था। वह पहले कट्टर राजसत्तावादी दल का नेता रह चुका था। १८वें लुई की समझौते की नीति को देख कर वह गुस्से में दाँत पीसा करता था। वह कहता था, कि इंग्लैण्ड के राजा के समान 'बैध राजा' होने की अपेक्षा तो लकड़ियाँ चीरना अधिक अच्छा है। १८२४ में जब वह फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, तब उसने निश्चय किया कि मैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार राज्य करूँगा, जनता की इच्छा से नहीं। वह पूर्ण रूप से १६वें लुई के समान स्वेच्छाचारी राजा होना चाहता था। उसका दृढ़ संकल्प था कि मैं क्रान्ति की सब भावनाओं को पूरी तरह कुचल कर वास्तविक राजा की तरह फ्रांस का शासन करूँगा। राजगद्दी पर बैठते ही चार्ल्स ने अपना कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। लेख, भाषण और प्रेस की स्वतन्त्रता छीन ली गई। कुलीन जमींदारों को हरजाने के तौर पर ६० करोड़ रुपये दिये गये। पार्लियमेंट को पुराना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कराया गया। शिक्षा का कार्य चर्च के सुपुर्द कर दिया गया। चार्ल्स ने निःसङ्कोच रूप से पुराने जमाने को स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया। इस नीति का परिणाम यह हुआ, कि फ्रांस में विद्रोह की आग्न प्रचण्ड हो गई। उदार विचारों के लोग जोर पकड़ने लगे। रिपब्लिक और क्रान्ति के पक्षपातियों को अपनी शक्ति बढ़ाने का उत्तम अवसर प्राप्त हो गया। १८३० के राष्ट्र प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में उन लोगों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई, जो नवीन प्रवृत्तियों के पक्षपाती थे और चार्ल्स दशम की नीति का विरोध करते थे। निर्वाचन के परिणाम को सुनकर चार्ल्स को बहुत क्रोध आया। २६ जुलाई सन् १८३० के दिन उसने चार विशेष कानून जारी किये। इन कानूनों में

निम्नलिखित व्यवस्थायें की गई थीं (१) प्रेम की, स्वाधीनता को रोका गया (२) नई राष्ट्र-प्रतिनिधि सभा को बरखास्त कर दिया गया । (३) निर्वाचन का अधिकार फ्रिं को हो, इस सम्बन्ध में नये नियम जारी किये गये । इन नियमों से वोट का अधिकार बहुत कम लोगों को रह गया । तान चौथाई लोग वोट के अधिकार से वञ्चित कर दिये गये । (४) राष्ट्रप्रतिनिधि सभा का नया निर्वाचन करने के लिये हुकुम जारी हुआ । चार्ल्स दशम को स्वप्न में भी खयाल नहीं था कि उसके इन विशेष कानूनों का क्या परिणाम होगा । वह तो मजे से शिकार खेलने में वक्त गुजार रहा था । परन्तु इन कानूनों के प्रकाशित होते ही फ्रांस भर में विद्रोह की ज्वालायें व्याप्त हो गईं । बोनापार्टिस्ट, रिपब्लिकन, वैध राजसत्तावादी—सब दल राजा की स्वच्छाचारिता का विरोध करने के लिये एक हो गये । स्वाधीनता के जयजयकारों से पेरिस गूँज उठा । पुराने सिपाही, विद्यार्थी, मजदूर—सब भड़क गये । पेरिस की गलियों में फ़िलाबन्दी की जाने लगी । पत्थर, ईंट, तख्ते, पुरानी मेज कुर्नियाँ—जो कुछ भी मिला, इकट्ठा कर लिया गया और उससे मोर्चाबन्दी की जाने लगी । १७८६ और १७९२ के दिन एक बार फिर दृष्टिगोचर होने लगे । सारे पेरिस में सनसनी फैल गई । लफायत के नेतृत्व में पेरिस के उदार लोग खुल्लम-खुल्ला विद्रोह के लिये निकल पड़े । पेरिस विद्रोहियों के कब्जे में आ गया । राजा की सेनाओं ने उनका मुकाबला किया । पर जनता की शक्ति का सामना नहीं कर सके । तीन दिन तक लगातार गलियों में लड़ाई होती रही । सेना की सहानुभूति विद्रोह के साथ थी । बहुत से सिपाही तो स्पष्टरूप से विद्रोह में हिस्सा ले रहे थे । प्रथम राज्य क्रान्ति ने जो भावनायें उत्पन्न की थी, वीएना की कांग्रेस ने उन्हें केवल दबा दिया था । अबसर पाते ही ये फिर एक बार फूट पड़ीं । आखिर, चार्ल्स की पराजय हुई । उसे जनता की इच्छा के सम्मुख सिर मुकाना पड़ा । अपने १० वर्षों

पोते को राजगद्दी पर बिठाकर वह स्वयं इङ्गलैण्ड भाग गया। स्वेच्छा-चारी राजसत्ता के पुनरुद्धार के लिये जो प्रयत्न उसने प्रारम्भ किया था, वह शीघ्र ही विफल हो गया।

क्रान्तिकारियों के सम्मुख अब यह समस्या पेश आई, कि शासन की क्या व्यवस्था करें। रिपब्लिक दल का पक्ष था कि अब रिपब्लिक की स्थापना करनी चाहिये। क्रान्ति के वास्तविक सञ्चालक इसी दल के थे। मजदूर, व्यवसायी और विद्यार्थी इस दल में बहुसंख्या में विद्यमान थे। ये सब रिपब्लिक के लिये उत्सुक थे। परन्तु मध्यश्रेणी के लोग—जिनका नेता थोरर था, वैध राजसत्ता के पक्षपाती थे। लफायत ने मध्यस्थ का कार्य किया और दोनों दलों में समझौता हो गया। अखिर, रिपब्लिकन लोग भी वैध राजसत्ता की स्थापना के लिये राजी हो गये। ७ अगस्त १८३० को राष्ट्र प्रतिनिधि सभा में यह विषय पेश हुआ और निश्चय हुआ कि लुई फिलिप को फ्रांस की राजगद्दी पर बिठाया जाय। लुई फिलिप बोर्बो राजवंस की एक शाखा ओर्लियनियन वंश का था, और अपने विचारों में बहुत उदार था। लोग उसे बहुत चाहते थे। १८३० की क्रान्ति पूर्णरूप से सफल हुई। जनता ने स्वयं अपना राजा चुना। जनता के अधिकारों की यह स्पष्ट विजय थी। फ्रांस का नया राजा अपनी सुवावस्था में जैकोबिन दल का सदस्य रह चुका था। उसने क्रान्तिकारी सेना में सम्मिलित होकर क्रान्ति के विरोधियों से अनेक लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। 'आतङ्क के राज्य' में जब फ्रेञ्च राज्यक्रान्ति ने बहुत उग्र रूप धारण किया, तब यह लुई फिलिप उसका विरोधी हो गया और फ्रांस से भाग गया। वीएना की कांग्रेस के बाद जब भाग्य हुए लोग अपने देश वापिस आये, तब यह भी आया। इस प्रतिक्रिया के काल में भी यह लोकतन्त्र का पक्षपाती रहा और यही कारण है, कि जनता इसे बहुत चाहती थी। वह सामान्य लोगों की तरह रुहता था। तादे रहन सहन की वजह से भी लोग उसके बहुत पक्ष में थे। १८३०

की राज्यक्रान्ति के बाद फ्रांस में रिपब्लिक की स्थापना नहीं हुई, परन्तु जनता ने अपनी इच्छा से—अपनी सम्मति से यह निश्चय किया कि उनका शासक फौन हो। इस प्रकार १८३० की क्रान्ति सत्र प्रकार से सफल हुई।

राष्ट्र प्रतिनिधि सभा के लुई फिलिप को राजा चुनने के बाद ८६ प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों से एक उद्गोपणा पत्र प्रकाशित हुआ। इसमें कहा गया था—फ्रांसीसी भादयो! फ्रांस अब स्वतन्त्र है। एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन अपना सिर ऊँचा उठा रहा था, पर पेरिस की जनता ने उसे पददलित कर दिया है। अब फिर व्यवस्था और स्वतन्त्रता की स्थापना हो गई है। लुई फिलिप हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा, क्योंकि यह अपने अधिकार हमसे ही प्राप्त करेगा।' नये शासन विधान में प्रेस की स्वतन्त्रता को स्वीकार किया गया। लोग स्वतन्त्रता से सभा कर सकें, इस अधिकार को माना गया। उन सत्र लोगों का वोट का अधिकार दिया गया, जिनकी आयु २५ साल से अधिक हो और जो अपनी जायदाद पर कम से कम १२०) ४० वार्षिक कर देते हों, या यदि वे कोई पेशा करनेवाले हों, तो कम से कम ६०) ४० वार्षिक टैक्स देते हों। इस प्रकार मध्यश्रेणी के लोगों को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। पर सर्वसाधारण जनता को—किसानों और मजदूरों को इस नये शासन विधान ने भी कोई अधिकार नहीं दिया। ६०) ४० वार्षिक टैक्स/देने वाले लोगों की संख्या भी बहुत अधिक नहीं थी। परन्तु नये मताधिकार के अनुसार वोटों की संख्या दुगने के लगभग हो गई थी और समय की दृष्टि में रखते हुए यह मामूली बात नहीं थी। इस नये शासन विधान के अनुसार यह भी निश्चय किया गया, कि रोमन कैथोलिक धर्म का राज्य के साथ कोई सम्बन्ध न रहे, सत्र लोगों को धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो। शिक्षणालय चर्च के आधीन न रहें। इस प्रकार १८३० लुई और १०वें चार्ल्स के समय में जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसे बहुत हद तक १८३० की राज्यक्रान्ति द्वारा दूर किया गया।

लुई फिलिप के मुख्य पक्षपाती मध्यश्रेणी के लोग थे। उसके विरोधियों की संख्या कम नहीं थी। जुलीन श्रेणी के लोग उसकी सत्ता को स्वीकृत करने के लिये तैयार नहीं थे। वे बोनों राजवंश के प्रिन्सी जुमार को फ्रांस की राजगद्दी पर बैसना चाहते थे, इसके अतिरिक्त बोनापार्टिस्ट दल और रिपब्लिकन दल भी उसके शासन को स्वीकृत करने के लिये उद्यत न थे। बोनापार्टिस्ट दल 'रोम के बादशाह' को फ्रांस का राज्य देना चाहता था और रिपब्लिकन लोग रिपब्लिक के आदर्श को पूर्ण करना चाहते थे। यद्यपि बहुत से रिपब्लिकन लोगों ने समझौते के तौर पर लुई फिलिप को राजा मान लिया था, पर उनकी वास्तविक अकांक्षा रिपब्लिक स्थापित करने की ही थी। मजदूर, किसान, कारीगर और अन्य सामान्य स्थिति के लोग नये शासन से असन्तुष्ट थे। इन लोगों के बड़े हिस्से को वोट का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था, अतः शासन पर उनका कोई प्रभाव नहीं था। उनमें असन्तोष फैलने लगा। लोग कहने लगे—चार्ल्स १०वें के स्वेच्छाचारी शासन का स्थान फ्रांस के अमीरों के स्वेच्छाचारी शासन ने ले लिया है। वास्तविक लोकतंत्र का फ्रांस में सर्वथा अभाव है। एफ के बाद एफ गुप्त समिति सङ्गठित की गई। मजदूर लोग अपनी हालत को अच्छा बनाने के लिये आन्दोलन करने लगे। काम करने के घण्टे कम होने चाहिये; वेतन बढ़ने चाहिये, कारखानों की दशा को अधिक स्वास्थ्यप्रद बनाना चाहिये, कारखानों में काम करने-वाली स्त्रियों और बच्चों पर सखती नहीं की जानी चाहिये तथा उनके लिये विशेष सुविधायें और नियम होने चाहिये—इस प्रकार की माँग मजदूरों की तरफ से पेश की जाने लगी। मजदूर कहते थे—क्रान्ति से हमें क्या मिला है ? चार्ल्स १०वें के शासन का अन्त हुआ, तो हमें क्या लाभ पहुँचा। क्रान्ति हमने की और उसका लाभ ले गये मध्यश्रेणी के लोग, अतः आवश्यकता इस बात की है कि क्रान्ति को पूर्ण किया जाय। देश के शासन में जनसाधारण का हाथ हो, मजदूरों और किसानों को वोट

का अधिकार प्राप्त हो। इतना ही नहीं, उनकी दशा की उन्नत करने के लिये राज्य की तरफ से प्रयत्न किया जाय।

परन्तु फ्रांस की सरकार इस आंदोलन को कुचलने के लिये तुली हुई थी। ऐसे कानून पास किये गये, जिनसे मजदूर अपने को संगठित न कर सकें। मंगठन के बिना मजदूर अपनी उन्नति कदापि नहीं कर सकते थे, और फ्रांस की उस सरकार ने जिसका प्रादुर्भाव १८३० की राज्यक्रान्ति ने हुआ था, इन्हीं संगठनों को गैर कानूनी कर दिया था। मजदूरों ने अपनी दशा को सुधारने के लिये हड़तालें कीं। राज्य ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर इन्हें तोड़ डाला। राज्य की इस नीति का परिणाम यह हुआ कि मजदूर लोग विद्रोह के लिये तय्यार हो गये। लियो के रेशम के कारखानों में काम करनेवाले मजदूर काले भूँडे लेकर निरल पड़े। विद्रोह हो गया। मजदूर लोगों की माँग थी, कि मनुष्य मात्र को वोट का अधिकार दिया जाय। इतना ही नहीं, राजनीतिक क्रान्ति के साथ-साथ वे सामाजिक क्रान्ति भी चाहते थे। उनकी माँग थी, कि आर्थिक उत्पत्ति के मुनाफे के हिस्सेदार मजदूरों को भी बनाना चाहिए। ये केवल राजनीतिक अधिकारों से सतुष्ट नहीं थे। लुई ब्लां आदि विभिन्न लेखक इस काल में आर्थिक समस्या को लोगों के सम्मुख उपस्थित कर रहे थे। सम्भवतः इतिहास में प्रथम बार जनता अनुभव कर रही थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता के अतिरिक्त आर्थिक स्वतंत्रता और समानता की भी समाज की शान्ति और सन्तोष के लिए आवश्यकता है।

इस आर्थिक असन्तोष के अतिरिक्त रिपब्लिकन के पक्षपाती लोग अनुभव करने लगे थे कि १८३० की राज्यक्रान्ति घस्तुतः सफल नहीं हुई। लुई फिलिप को राजगद्दी पर बिठाना स्वीकृत कर उन लोगों ने भारी भूल करी थी। नये शासन में सर्वसाधारण जनता की क्या दशा थी? अधिकांश लोगों को वोट तक का अधिकार प्राप्त नहीं था। मजदूरों की

शिकायतों का कोई अन्त न था। क्या इस शासन की स्वराज्य व लोक-सन कहा जा सकता था? कभी नहीं। रिपब्लिकन लिंग कहते थे—सर्व साधारण जनता को शिक्षित करना चाहिए। अमीर गरीब का भेद न करके सब लोगों को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिये। इस मनोवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि विविध सभायें संगठित की गईं। बहुत ही गुप्त समितियाँ बनाई गईं। अस्पृश्यों में आन्दोलन होने लगा। नवीन शासन का मजाक किया जाने लगा। तानों और कानूनों से लुई फिलिप और उसके मन्त्रियों की मर्जोल होने लगी।

लुई फिलिप को चाहिये था, कि असन्तोष के वास्तविक कारणों को समझ कर इस आन्दोलन को शान्त करता। पर उसने शक्ति के प्रयोग का निश्चय किया, पुराने दृढ़ के स्वेच्छाचारी राजाओं का अनुसरण कर आन्दोलन को चुचलने की फौशिश की। उद्बोधना की गई, कि सब संगठन अपनी नियमावलियाँ को सरकार के सम्मुख पेश करें और सरकारी अनुमति के बिना कोई संगठन कायम न रह सके। लोगों को स्वतन्त्रता से सभायें करने का अधिकार प्राप्त था, उसे छीन लिया गया। रिपब्लिकन सभाओं और गुप्त समितियों को नष्ट किया गया। रिपब्लिकन समाचार पत्रों को बन्द कर दिया गया, उनके सम्पादक कैद कर लिये गये। राज्य की आलोचना करना, सम्पत्ति के वैयक्तिक अधिकार का विरोध करना या राजसत्ता के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के शासन-बेधान का पक्ष लेना अपराध बना दिये गये। जो लोग इन कानूनों को तोड़ें, उन्हें दण्ड देने के लिये विशेष न्यायालयों की सृष्टि की गई। लुई फिलिप ने उदार और लोकमत्तों के पक्षपाती होने के ढोंग को छोड़ कर पूर्ण रूप से एतन्त्र और स्वेच्छाचारी शासन का प्रारम्भ कर दिया।

वस्तुतः, १८३० का राज्यक्रान्ति असफल हो गई। जनता की इच्छा और अनुमति से जो लुई फिलिप राज्यगद्दा पर बैठा था, वह भी जनता पर ही अत्याचार करने लगा। उसे फतल करने के लिये ६ बार फौशिश

की गई। पर वह बचना गया। आगिर १८४८ की राज्यक्रांति ने उसके स्वेच्छाचारी शासन का अन्त किया।

१८३० की राज्यक्रांति नई प्रवृत्तियों की सामयिक रूप से विजय थी। क्रान्ति की प्रवृत्तियाँ निरन्तर अधिक अधिक प्रबल होती जाती थीं। पर पुराने जमाने की एकदम पलट देना उनकी शक्ति के बाहर था। यही कारण है कि एक वाग जुद्ध समय के लिये सफल होकर भी वे शीघ्र ही फिर परास्त हो गईं।

५. १८३० की क्रांति का यूरोपियन देशों पर प्रभाव

क्रान्ति का प्रसार—फ्रांस की द्वितीय राज्यक्रांति अपने देश तक सीमित नहीं रही। एक ऐतिहासिक ने लिखा है, कि जिस प्रकार तालाब में पत्थर फेंकने से उसकी लहरे एक स्थान से प्रारम्भ होकर सम्पूर्ण तालाब को व्याप्त कर लेती हैं, इसी प्रकार जब फ्रांस में राज्यक्रांति होती थी, तो उसका प्रभाव सम्पूर्ण यूरोप में व्याप्त हो जाता था। फ्रांस की प्रथम राज्यक्रांति ने यूरोप के अधिकांश देशों में जुलीन श्रेणी के विशेषाधिकारों का नष्ट कर दिया था। राष्ट्रीयता और लोकतन्त्र की आवाज यूरोप भर में गूँज रही थी। १८३० की इस क्रान्ति का प्रभाव बहुत व्याप्त था। यूरोप भर में एक प्रकार की सनमनी सी फैल गई थी। सब देशों की जनता में असाधारण रूप से साहस और उत्साह का संचार हो गया था। वीएना का कांग्रेस ने जिस प्रकार अस्वाभाविक रूप से यूरोप का पुनः सगठन किया था, उसके विरुद्ध सर्वत्र विद्रोह प्रारम्भ हो गये थे। नया जमाना पुराने जमाने को पलट देने के लिये एक भारी कोशिश करने को सन्नद्ध हो गया था।

बेल्जियम क्रान्ति—१८३० की क्रान्ति का प्रभाव सबसे पहले बेल्जियम में प्रकट हुआ। वीएना की कांग्रेस ने बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया था। भाषा, धर्म, नस्ल, हित आदि सब दृष्टियों से

बेल्जियन लोग डच लोगों से भिन्न थे। डच लोग प्रोटेस्टेंट धर्म को माननेवाले थे, बेल्जियन लोग रोमन कैथोलिक थे। डच लोगों की भाषा और नसल बेल्जियन लोगों से संबंधी थी। अधिकांश डच लोग किसान थे, दूध दही उत्पन्न करना उनका मुख्य व्यवसाय था। उनका हित इस बात में था, कि मुक्तद्वार वाणिज्य की नीति का अनुसरण किया जाय। इसके विपरीत, बेल्जियन लोग विविध व्यवसायों में लगे हुए थे। पका माल तैयार करना उनका प्रधान पेशा था। बेल्जियन के विविध नगर खान तथा वस्त्र-व्यवसाय के केन्द्र बन चुके थे। उनका मुख्य लाभ इसमें था, कि सरक्षण की नीति का प्रयोग किया जाय। इसके अतिरिक्त डच लोग फ्रांस से घृणा करते थे, बेल्जियन लोग फ्रांस के मित्र थे। बेल्जियन और हालैण्ड एक दूसरे से सर्वथा भिन्न थे। राष्ट्रीयता और जनता की इच्छा की सर्वथा अपेक्षा कर बोएना में उन्हें एक साथ मिला दिया गया था। हालैण्ड का राजा विलियम प्रथम बेल्जियन लोगों पर अत्याचार करने में जरा भी सकोच नहीं करता था। उनकी राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के लिये, उनके आर्थिक हितों को हानि पहुँचाने के लिये, जो कुछ भी उससे बन सके, उसने किया। व्यापारियों और व्यवसायों पर भारी टैक्स लगाये गये। शासन के लिये डच आधिकार नियत किये गये। डच कानून जारी हुए। प्रेम की स्वार्थीनता नष्ट की गई। स्कूलों का निरीक्षण करने के लिये प्रोटेस्टेंट निरीक्षक रखे गये, यद्यपि बेल्जियम के विद्यार्थी और शिक्षक सभी रोमन कैथोलिक थे। हालैण्ड और बेल्जियम की पार्लमेण्ट एक थी। यद्यपि बेल्जियम की आगामी हालैण्ड की अपेक्षा दुगने के लगभग थी, पर पार्लमेण्ट में उनके प्रतिनिधियों की संख्या एक बराबर थी। मन्त्रिमंडल में बेल्जियम लोग बहुत कम होते थे। १८३० में मन्त्रिमंडल के सदस्यों की संख्या सात थी। उनमें से केवल एक मन्त्री बेल्जियन था। अभिप्राय यह है कि बेल्जियन लोग अनुभव करते थे कि उनके साथ अधीनस्थ

देश का सा व्यग्रहार किया जा रहा है, और डच लोग अपने लाभ के लिये उनके हितों का विघात कर रहे हैं। उनमें स्वतन्त्रता की भावनायें निरन्तर प्रबल होती जाती थीं। डच शासन के अत्याचारा के होते हुए भी बेल्जियन लोगों में अपनी राष्ट्रीय, स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के लिए आन्दोलन प्रचण्ड होता जाता था।

सफलता—१८३० में जब फ्रांस में राज्यक्रान्ति हुई, तब बेल्जियन लोगों में भी अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिये उत्साह का संचार हुआ। १८ नवम्बर के दिन बेल्जियम में विद्रोह हुआ। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता उद्घोषित कर दी गई। नवीन शासन विधान का निर्माण किया गया। लिओपोल्ड प्रथम के नाम से एक जर्मन राजकुमार को राजगद्दी पर बिठाकर वैध राजसत्ता की स्थापना की गई। ४ अक्टूबर को बेल्जियम की स्वतन्त्र सरकार ने उद्घोषणा की, कि “बेल्जियम का प्रदेश सक्ति के प्रयोग से हालैंड से प्रथक् कर लिया गया है, और अब वह पृथक् स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिवर्तित किया जाता है।” जुलाई १८३१ म लिओपोल्ड का राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम के साथ बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया। इस प्रकार बेल्जियम हालैंड की अधीनता से मुक्त हुआ। अन्य यूरोपियन राज्यों ने उसकी स्वतन्त्रता को स्वीकृत कर लिया। इसके कुछ समय बाद ही १८३६ में, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रिया, रशिया और प्रशिया ने बेल्जियम की स्वाधीनता के अतिरिक्त यह भी स्वीकृत किया कि हम सब उसे उदासीन राज्य समझेंगे। १६१४ तक बेल्जियम की उदासीनता कायम रही। किसी राज्य ने इसे नष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया। पर १६१४ के यूरोपीय महायुद्ध के प्रारम्भ में जर्मनी ने १८३६ के समझौते को ‘नागज का दुग्ड़ा’ कहकर बेल्जियम पर आक्रमण किया और इस अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि की उपेक्षा की। १८३० से १६१४ तक बेल्जियम पूर्णरूप से स्वाधीन रहा और ‘उदासीन राज्य’ होने के कारण सब युद्धों से बचा रहा।

पोलेण्ड—पोलेण्ड जिस प्रकार रशिया, प्रशिया और आस्ट्रिया में विभक्त कर दिया गया था, इसका जित्त पहले किया जा चुका है। १८३० में 'पोलेण्ड' इस नाम से कोई राज्य नहीं था। सम्पूर्ण पोल लोग तीन विविध शक्तिशाली राज्यों के अधीन थे। परन्तु उनमें राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव नहीं था। वे लोग अपनी एकता और स्वतन्त्रता के लिये आन्दोलन कर रहे थे। १८३० में जब फ्रांस और बेल्जियम में क्रान्ति हुई, तो उसका प्रभाव पोलेण्ड पर भी पड़ा। पोलेण्ड का मुख्य भाग रशिया के अधीन था। वहाँ के लोग विद्रोह के लिये तैयार हो गये। रशियन अफसरों का कत्ल कर दिया गया या शहर निकाल दिया गया। फ्रांस, जर्मनी और प्रिटेन के लोग पोल राष्ट्रीय भावनाओं के साथ सहानुभूति रखते थे। परन्तु उनका यह साहस नहीं हुआ कि रशिया के विरोध में पोलु लोगों की सहायता कर सकें। साल भर तक रशिया और पोलेण्ड में लड़ाई जारी रही। पोल लोगों के लिये रशिया का मुकाबला कर सनना सुगम फाय नहीं था। आखिर, वे परास्त हुए। हजारों पोल देशभक्तों को प्राणदंड दिया गया। हजारों को देश निकाला देकर साइरीरिया भेज दिया गया। पोल विद्रोह को घुरी तरह कुचला गया। बहुत से लोगों ने भाग कर पश्चिमी यूरोप व अमेरिका की शरण ली। वहाँ वे अपने देश की स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्न करते रहे। पर गत यूरोपीय महायुद्ध से पूर्व उनकी आकांक्षा पूर्ण नहीं हो सकी।

जर्मनी—जर्मनी के विविध राज्य भी १८३० की क्रान्ति की लहरों से अछूते नहा बच सके। स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय एकता के भाव सम्पूर्ण जर्मनी में प्रबल हो उठे। लोग इस बात के लिये आतुर हो गये कि जर्मनी को भी राष्ट्रीय दृष्टि से संगठित करना चाहिए और विविध जर्मन राज्यों का अन्त कर एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। परन्तु प्रशिया और आस्ट्रिया का शासन इतना मजबूत था कि

वहाँ की जनता विद्रोह के लिये हिम्मत नहीं कर सकी। परन्तु जर्मनी के छोटे-छोटे राज्यों में अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए। ब्रुन्स्विक की जनता ने अपने राजा चार्ल्स द्वितीय को राज्यच्युत कर नवीन शासन-विधान का निर्माण किया और बंध राजसत्ता की स्थापना की। सैम्सनी में विद्रोह हुआ, दुबारा राजा को बाधित किया गया, कि जनता द्वारा निर्मित शासन-विधान और सुधारों को स्वीकृत करे। हैनोवर में भी नवीन शासन की स्थापना की गई। हैसल कैसल का वह राजा, जो लोगों को कोड़े मारा करता था और जिसने रोटी के व्यवसाय को अपने अधिकार में किया हुआ था, इस बात के लिये बाधित किया गया, कि अपने राज्य में शासन-विधान की स्थापना करे। हैम्बेल् नामक स्थान पर तीस हजार लोग इकट्ठे हुए। स्वतन्त्रता के गीत गाये जाने लगे। लोग कहने लगे—‘जर्मनी के सयुक्त राज्य’ का संगठन होना चाहिए। सारे यूरोप में रिपब्लिक की स्थापना होनी चाहिए। एक वक्ता वहाँ तक आगे बढ़ गया कि उसने कहा—‘ईश्वर की कृपा पर आश्रित सर्वोत्तम राज्य मान-धीय जाति का दुश्मन होता है।’ फ्रांक्फर्ट में विद्यार्थियों की सभा को भंग करने के लिये पोलोम को गोली चलानी पड़ी। विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की सभायें कायम हो गईं। सब जगह राष्ट्रीय गीत गाये जाने लगे। मानृभूमि की एकता और स्वतन्त्रता के लिये सम्पूर्ण जर्मनी में आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह आन्दोलन संगठित नहीं था। सारे जर्मनी में स्वतन्त्रता और एकता के लिये भावना तो उत्पन्न हो गई थी, परन्तु विविध लोगों की आकांक्षाओं का एक सूत्र में संगठन नहीं हुआ था। यही कारण है, कि १८३० की क्रान्ति को लहर जर्मनी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकी। मैटरनिख ने इस आन्दोलन को कुचलने का पूरा पूरा प्रयत्न किया। वह क्षण भर के लिये भी यह नहीं सह सकता था, कि उसके अपने लोगों में— जर्मन लोगों में नई भावनाओं का संचार हो जाय। उस समय में आस्ट्रिया

जर्मनी से पृथक् नहीं था। मैटर्निय की पूरी शक्ति स्वतन्त्रता और एकता की प्रवृत्तियों को नष्ट करने में लगी हुई थी। जर्मन राज्य सभ की राजमभा में नवीन प्रवृत्तियों के विरुद्ध कानून पेश किये गये। उनकी स्वीकृत कराने में मैटर्निय को विशेष तनलीष नहा हुई। नये कानून का परिणाम यह हुआ कि सर्वत्र देशभक्ता और सुधार के पक्षपातियों पर भयंकर अत्याचार किये गये। देशभक्त लोग गिरफ्तार कर लिये गये। बहुतों का देश निराला दिया गया। नवीन शासन विधान नष्ट कर दिये गये। शासन विधान के लिए अंग्रेजी में शब्द है—कान्स्टिट्यूशन। इसका एक शोर अर्थ होता है, यह है शरीर का संगठन। एक बार की बात है, कि आस्ट्रिया के राजा फ्रांसिस से किसी सम्राट ने कहा—‘आपका कान्स्टिट्यूशन (शरीर का संगठन) बहुत उत्तम है।’ फ्रांसिस इस पर बहुत नाराज हुआ। उसने क्रोध में आकर कहा—“तुम क्या कहते हो? याद रखो, फिर कभी यह शब्द मेरे सम्मुख न बोलना। नहीं, आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत उत्तम है, या आपके शरीर की रचना बहुत अच्छी है, पर इस ‘कान्स्टिट्यूशन’ शब्द का प्रयोग कभी मत करो, मेरे वहाँ कोई कान्स्टिट्यूशन न अब है, और न भविष्य में कभी होगा। शेतान ने सिवा अन्य किसी के पास कान्स्टिट्यूशन नहीं होता और न किसी का इसकी आवश्यकता ही है।” इसमें सन्देह नहा, कि उस समय के जर्मन शासकों में कान्स्टिट्यूशन के लिये इसी ढङ्ग का घृणा विद्यमान थी। मैटर्निय कहता था, सब मुसीबतों की जड़ यह है, कि बाड़े सत्ता स्वतन्त्रता प्रतिनिधिसत्तात्मक शासन के लिये आन्दाजन करते हैं। जर्मनी में मैटर्निय को पूर्ण सफलता हुई। विद्रोह शान्त कर दिये गये। देशभक्ता की प्राणादाया को कुचल दिया गया। पर यह नहा संगठना चाहिये कि स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय एकता के भाव सदा के लिये नष्ट हो गये। कुछ ही समय के अनन्तर जर्मनी एक संगठित राष्ट्र के रूप में परिचित हो गया और उसमें लोकतन्त्र शासन स्थापित होने में भी बहुत देर

नहीं लगी। यह सब किस प्रकार सम्पन्न हुआ, इस पर हम यथास्थान आगे चलकर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे।

इटली—१८३०' की क्रान्ति ने इटली पर बड़ा प्रभाव डाला। वीएना की कांग्रेस ने इटली को अनेक राज्यों में विभक्त कर दिया था। इटालियन देशभक्त अपने देश को एक सूत्र में सगठित करने तथा स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये उतावले हो रहे थे। १८३० की लहर ने उनमें नई आशा और उत्साह का संचार किया। इटली के लोगों को आशा थी, कि स्पेन और फ्रांस उनकी सहायता करेंगे। कुछ लोगों का खयाल था कि नैपोलियन के लड़के को स्वतन्त्र इटली की राजगद्दी पर बिठा कर सम्पूर्ण देश को सगठित किया जा सकता है। इटली में गुप्त समितियाँ भी कमी नहीं थी। लोगों में स्वतन्त्रता की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। वे अक्सर की प्रतीक्षा में थे। १८३० में जय फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और पोलैंड—सब जगह क्रान्ति की अग्नि धधक रही थी, इटालियन लोगों ने भी विद्रोह का झण्डा सड़ा किया। मोडेना के लोगों ने अपने ड्यूक को बाहर निकाल दिया। परमा की शासिका नैपोलियन की रानी मेरिया लुइसा थी। परमा के लोगों ने उसे अपने पितृवह आस्ट्रिया भाग जाने के लिये बाधित किया। पोप के राज्य में भी विद्रोह हुआ। पोप से लेकर टाइबर नदी तक सब जगह राष्ट्रीय तिरंगे झण्डे के नीचे लोग विद्रोह के लिये तैयार हो गये। इस विकट समय में इटली के विविध राजाओं को एक स्थान से ही सहायता की आशा थी और वह था मेटरनिस। वह सदा 'ईश्वर के प्रतिनिधि' राजाओं की सहायता के लिये उद्यत रहता था। अपने उद्देश्य को पूर्ति के इतने सुवर्णाक्षर की वह कब अपने हाथ से जाने दे सकता था। एफ़दम आस्ट्रियन सेनार्यो इटली में जा गई। आस्ट्रिया की सधी हुई सेनाओं का मुफ़ायला करने की हिम्मत इटालियन देशभक्तों में नहीं थी। वे परास्त हो गये। पुराने राजाओं का पुनरुद्धार किया गया। १८३० की क्रान्ति की लहर में

इटालियन लोगों ने जो कुछ भी प्राप्त किया था, उस समझौते को मटियामेन्ट कर दिया गया। मैटर्नियस दस मरू लिये भी यह नहा सह सकता था, कि आस्ट्रिया के पट्रीस में ही लागू 'स्वतन्त्रता' और 'राष्ट्रीयता' की बातें करें। उत्तरीय इटली पर आस्ट्रिया का आधिपत्य भी था। इन 'भयङ्कर' प्रवृत्तियों के होते हुए यह प्रभाव व आधिपत्य किस प्रकार कायम रह सकता था ?

स्पेन—१८३० की क्रान्ति का प्रभाव स्पेन पर भी पड़ा। उदार विचार के लोग फिर जनता के अधिकारों को प्राप्त करने के लिये कोशिश करने लगे। परन्तु उन्हें सफलता नहीं हुई। फर्डिनेण्ड ने क्रूरता और अत्याचार का आश्रय लिया। क्रान्ति की भावनाओं से अपने देश को बचाने के लिये उसने सब प्रकार के उपायों का प्रयोग किया। परिणाम यह हुआ, कि कुछ समय के लिये क्रान्ति तथा सुधार की भावनाएँ दब गईं। १८३७ में ये भावनाएँ फिर बलवती हुईं। उस समय जनता को नवीन शासन विधान की स्थापना में सफलता हुई और स्पेन का शासन 'बैध राजसत्ता' के रूप में परिवर्तित हो गया।

स्विटजरलैंड—स्विटजरलैंड के विविध प्रांता (कैंटन) पर भी १८३० की क्रान्ति का असर हुआ। प्रायः सभी प्रांता में लोग अपने शासन विधान में सुधार करने के लिये अग्रसर हुए। अब तक स्विटजरलैंड के विविध प्रांता में जो शासन विधान प्रचलित थे, उनमें सर्वसाधारण जनता का बहुत कम हाथ था। सम्पूर्ण शक्ति कुछ कुलीन परिवारों के पास थी। इनका शासन बहुत ही दोषपूर्ण तथा निन्दनीय था। १८३० में जनता ने कोशिश की कि इस अवस्था में सुधार किया जाय। सब प्रांता में शासन विधानों का सुधार किया गया। केवल प्रांतीय शासन में ही नहीं, केन्द्रीय सरकार में सुधार के लिये भी आशय हुआ। स्थान स्थान पर सभाएँ की गईं। आखिर, केन्द्रीय सरकार को जनता के सम्मुख झुकना पड़ा। उसमें भी अनेक परिवर्तन

किये गये। १८३० की क्रान्ति की लहर ने स्विट्जरलैण्ड के शासन में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये, परन्तु अभी वह पूर्णरूप से लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार नहीं बन सका। इसके लिये अभी और अधिक आन्दोलन की आवश्यकता थी। १८४८ में जब फ्रांस में तीसरी राज्यक्रान्ति हुई, और एक नई तथा अधिक प्रबल क्रान्ति की लहर का प्रारम्भ हुआ—उस समय स्विस लोग अपने उद्देश्य में सफल हुए और स्विट्जरलैण्ड का शासन पूर्णतया लोकतन्त्र सिद्धान्तों पर आश्रित हो गया।

ग्रेट ब्रिटेन—ग्रेट ब्रिटेन भी क्रान्ति के प्रभाव से नहीं बच सका। १८३० में ग्रेट ब्रिटेन में टोरी दल का प्रभुत्व था। इस कारण सर्व-साधारण जनता बहुत असन्तुष्ट थी। फ्रांस की राज्यक्रान्ति के समाचारों से उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा और ब्रिटिश लोग भी अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करने का प्रयत्न करने लगे। टोरी दल का प्रधान नेता विलिङ्गटन का ड्यूक—जो मैटरनिख का पक्का दोस्त था और उस समय में इङ्गलैण्ड का प्रधान मन्त्री था, जनता के अधिकारों से जरा भी सहानुभूति नहीं रखता था। उसने स्पष्ट उद्घोषित कर दिया कि पार्लियामेंट के निर्वाचन के लिये वोट देने का अधिकार और अधिक विस्तृत नहीं किया जा सकता। उस समय इङ्गलैण्ड में वोट देने का अधिकार बहुत कम लोगों को प्राप्त था और निर्वाचन के ढंग में बहुत से दोष थे। जनता इनमें सुधार चाहती थी। पर टोरी पार्टी इससे सहमत नहीं थी। परिणाम यह हुआ कि विलिङ्गटन के ड्यूक की निराशाजनक उद्घोषणा से लोग बहुत क्रुद्ध हो गये। टोरी पार्टी बदनाम हो गई। ह्विग (लिवरल) पार्टी का प्रावह्य हो गया और लार्ड जान रसल ने प्रथम सुधार बिल पेश किया। लोग अब तक भी सुधार के इतने खिलाफ थे कि यह बिल पास नहीं हो सका। ह्विग प्रधान मन्त्री ने पार्लियामेंट को बर्खास्त कर नये चुनाव का निश्चय

रिया। नवीन निर्वाचन म हिंग दल की सख्या बहुत अधिक् बढ़ गई। लोक सभा मे द्वितीय मुधार बिल मुगमता से पास हो गया, परन्तु लार्ड सभा ने उसे अस्वीकृत कर दिया। जनता मुधार के साथ थी, पर लार्ड लोग उसे रिया में परिणत नहीं होने देते थ। जय तक कि दोनों सभायें प्रस्तावित मुधारों का पास न कर दें, तब तक वे स्वीकृत नहीं समझे जा सकते थे। परिणाम यह हुआ कि जनता में आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। बड़ी बड़ी सभायें की गई, जुलूस निकाले गये। कई स्थानों पर दंगे भी हो गये। लोग वैर उपाया से अपनी बात को मनाने में असमर्थ हुए थे, उन्होंने शक्ति प्रदर्शित करने का निश्चय रिया। आगिर, मुधार के विरोधी लार्ड लोग को जनता की इच्छा के सम्मुख सिर झुमाना पडा। १८३२ का तृतीय मुधार बिल दोनों सभाओं में पास हो गया। इससे जनता का बहुत बडे परिमाण में अधिकार प्राप्त हुए। ग्रेट ब्रिटेन का शासन बहुत अशामे 'लाकतन्त्र' हा गया। स्पेन्सर वालपूल ने १८३२ के मुधारों को सबसे बड़ी क्रान्ति के नाम से पुकारा है। इन मुधारों का रूप म ब्रिटेन मे नई प्रवृत्तियाँ बहुत हद तक सफल हो गईं। इन्होंने शासन का रूप नही परिवर्तित कर दिया। ग्रेट ब्रिटेन के शासन विधान के विकास पर एक पृथक् अध्याय में विचार रिया जावेगा, और तब इस मुधार बिल पर विस्तार से प्रकाश डाला जावेगा।

अमेरिका—१८३० की क्रांति की लहर केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रही। विशाल अटलान्टिक महासागर को पार कर अमेरिका में भी उसने अपना प्रभाव प्रदर्शित रिया। सयुक्तप्रान्त अमेरिका में भी दोनों तरह की प्रवृत्तियाँ विद्यमान थीं। एक तरफ जहा जनता लोकतन्त्र को पूर्णता तक पहुँचाने के लिये प्रयत्न कर रही थी, वहीं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी, जो नई प्रवृत्तियों को पसन्द नहा करते थे। विशेषतया बडे बडे अमीर लोग इन प्रवृत्तियों के विरोधी थ। अमेरिका में कुलीन

श्रेणी का अभाव था। कोई ऐसे लोग नहीं थे, जिन्हें अपने जन्म की वजह से विशेषाधिकार प्राप्त हों। पर वहाँ की आर्थिक दशा ने ऐसे लोगों की एक श्रेणी उत्पन्न कर दी थी, जो बहुत ही अधिक धनी और समृद्धि-शाली थे। अमेरिका की विस्तृत उपजाऊ जमीनों पर गुलामों के श्रम से खेती की जाती थी। इन जमीनों के मालिक गुलामों की कमाई को लूटकर असाधारण रूप से अमीर हो गये थे। इसके अतिरिक्त खानों तथा कल कारखानों के मालिक भी समृद्धि की दृष्टि से बहुत आगे बढ़े हुए थे। ये लोग स्वाभाविक रूप से सर्वसाधारण जनता के अधिकारों तथा नई प्रवृत्तियों को बहुत पसन्द नहीं करते थे। १८३० की क्रान्ति की लहर ने जनता तथा मुद्धार के पक्षपातियों में नवीन उत्साह का संचार किया। दासप्रथा के निरुद्ध आन्दोलन प्रचल हो गया। संयुक्तप्रान्त अमेरिका के उत्तरीय प्रदेशों में एक हजार के लगभग दास-प्रथा विरोधी सभाओं का संगठन किया गया। इन सभाओं की माँग थी कि दास-प्रथा को एकदम नष्ट कर दिया जाय। इस आन्दोलन के अतिरिक्त गरीबों और मामूली लोगों की दशा में सुधार करने के लिये भी इस समय में बहुत प्रयत्न किया गया। कारखानों में काम करने-वाले बच्चों और स्त्रियों के सम्बन्ध में विशेष नियम बनाये गये। कर्ज को अदा न कर सकने पर क्रेड में डाल देने के नियम को उड़ाया गया। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत से सुधार हुए। अमेरिका के इतिहास में यह काल बहुत महत्त्व रखता है। इस समय जनता के अधिकारों को स्थापित करने के लिये बहुत कुछ कार्य हुआ। राज्य तथा सरकार ने यह अनुभव करना शुरू किया, कि सर्वसाधारण जनता के अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। निस्सन्देह, यह एक नया विचार था। अब तक जनता राज्य में सघर्ष करती थी। अब से राज्य ने स्वयं जनता और उसके अधिकारों की पिकर करनी प्रारम्भ की।

मित्रमण्डल का अन्त—इस अध्याय के प्रारम्भ में हमने बताया

था, कि क्रान्ति की प्रवृत्तियाँ नै गिलाफ़ जिस प्रतिक्रिया ७ साल का प्रारम्भ वीएना की कांग्रेस से हुआ था, वह देर तक स्थिर न रह सका। शीघ्र ही नई प्रवृत्तियाँ प्रवल हो गईं और पुराने जमाने का परास्त करने के लिये सगर्भ करने लगीं। १८३० की लहर ने अनेक देशों से पुरानी भावनाओं को नष्ट कर दिया। अनेक देशों में इस नई लहर को सफलता भी हुई। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि समार धीरे धीरे नई रोशनी से प्रकाशित होता जाता था। नई प्रवृत्तियों को कुचलने तथा पुराने जमाने का स्थिर रखने के लिये यूरोपियन राज्यों ने जिस 'मिश्रमण्डल' का निर्माण किया था, १८३० की क्रान्ति की लहर ने उसे भयकर धका लगा। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस उससे पूर्णतया पृथक् हो गये। मैटर्नियस का प्रभाव कम हो गया। उसने रशिया और प्रशिया के साथ मिलकर राज्यों के दबीय अभिप्रायों का रक्षा के लिये एक नवीन संधि का निर्माण किया। पर ब्रिटेन और फ्रांस उसमें सम्मिलित नहीं हुए। १८३० की क्रान्ति ने ब्रिटेन में टोरी दल का प्रभुत्व नष्ट कर दिया था। फ्रांस में तो जनता की इच्छा से एक नवीन शासन का स्थापन हुआ ही था। इस दशा में यह कैसे सम्भव हो सकता था, कि ये दोनों राज्य मैटर्नियस का साथ दे सकें। निस्सन्देह, १८३० की क्रान्ति की यह सबसे भारी विजय थी। मैटर्नियस तथा उसके साथी जिन प्रकार यूरोप को चलाना चाहते थे, १८३० की क्रान्ति ने सिद्ध कर दिया कि उसमें उन्हें कदापि सफलता नहीं हो सकती।

इक्कीसवाँ अध्याय व्यावसायिक क्रान्ति

(१) आर्थिक परिवर्तन

फ्रांस की राज्यक्रान्ति के साथ यूरोप में एक नवीन युग का प्रारम्भ हुआ। उन्नीसवा सदी में इस नवयुग का निरन्तर विकास होता रहा। पर राजनीतिक क्रान्तियाँ ने यूरोप के आधुनिक इतिहास में जितने परिवर्तन किये हैं, उससे कहीं अधिक परिवर्तन व्यावसायिक क्रान्ति द्वारा हुए हैं। सर्वसाधारण जनता के जीवन में परिवर्तन व उन्नति करनेवाली जो शक्तियाँ उन्नीसवीं सदी में काम कर रही थीं, उन्हें हम चार भागों में बाँट सकते हैं—(१) व्यावसायिक क्रान्ति (२) राष्ट्रीय भावना का प्रादुर्भाव (३) वैध शासना का विकास और (४) साम्यवाद की लहर।

इसमें सन्देह नहीं, कि फ्रांस की राज्यक्रान्ति द्वारा यूरोप में एक नई राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो गई थी। राजाओं के एकतन्त्र, स्वच्छा चारी शासन का अन्त होकर जनता का राज्य स्थापित होना चाहिये, यह भाव प्रबल हो गया था। पर अभी लोगों के दैनिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया था। अठारहवीं सदी के अन्त तक यूरोप का आर्थिक जीवन प्रायः वैसा ही था, जैसा कि दो हजार साल

पहले सिक्न्दर व सीजर के जमाने में था। उसी तरह यूरोप का किसान लकड़ी के हला से जमीन जोतता था, खुरपे से उसकी नलाई करता व दराती से फसल को काटता था। कारीगर तकली व चरखे पर सूत भातता व लकड़ी की लठी पर उसका बुनाई करता था। लुहार लाग पुराने समय के उन व हथौड़े से काम करते थे। लकड़ी की बनी गाड़ियाँ ग्रमग्राम ढाने व यात्रा करने के काम में आती थीं। घोड़े की अपेक्षा तेज चलनेवाली किसी सवारी का उस समय के यूरोपियन लोगो को परिज्ञान नहीं था। समुद्र में चलनेवाले जहाज चप्पुआ व पाल से चलते थे। लोग प्रधानतया गाँवों में निवास करते थे। उनसे रहने के घर प्राय मिट्टी व पत्थर के बने होते थे। यदि ईसा सेन्टपाल के जमाने का कोई आदमी अठारहवीं सदी के अन्त में यूरोप में अकस्मात् आ पहुँचता, तो उसे लोगो के रहन सहन व दैनिक जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नजर न आता।

पर केवल १९ सदी के दम थाड़े से समय में कितना भारी परिवर्तन यूरोप में आ गया है! खेती, वस्त्र व्यवसाय व आने जाने आदि सभी चीजों में यान्त्रिक शक्ति का प्रयोग होने लगा है। रेल, मोटर, तार, हवाई जहाज व रेडियो आदि ने देश व काल पर वैसी अद्भुत प्रिय प्राप्त कर ली है। पहले जो काम हजारों मजदूर दिन भर में करते थे, वह अब यान्त्रिक शक्ति से मिनटों में ही जाता है। हजारों टना के गोम्र वाले विशाल जहाज भाप व प्रिजली की शक्ति से महासमुद्रों को आत की आत में पार कर जाते हैं। विज्ञान का सहायता से प्रकृति की शक्तियों को किस प्रकार मनुष्य ने अपने प्रयोजन में कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि मानो किसी जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी से जमाने का एकदम इतना बदल दिया है।

इस महान् परिवर्तन का प्रारम्भ अठारहवीं सदी में हुआ था। उनसवीं सदी में इसका स्वरूप विकास हुआ। अब भी यह निरन्तर जारी

है। इसी का हम 'व्यावसायिक क्रान्ति' कहते हैं। इसका प्रारम्भ अचानक व एतदम नहा हुआ। वस्तुतः, यह धीरे धीरे विस्तृत हुई। पर इसने मनुष्य के जीवन में एक मौलिक परिवर्तन आ गया है, एत नई सभ्यता का प्रारम्भ हो गया है। राज्यक्रान्तियों के नेताओं का नाम इतिहास में गौरव के साथ लिया जाता है। लोग उन्हें शहीद व 'हीरो' मान कर उनका सम्मान करते हैं। इतिहास ग्रन्थों के पृष्ठ के पृष्ठ उनकी प्रशंसा व गौरवगाथा से परिपूर्ण रहते हैं। पर मानव जीवन में जितना महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले व्यावसायिक क्रान्ति के इन नेताओं का नाम लागू का विदित भी नहा है। इसमें मन्देह नहीं कि इन अश्लेष्या व कारीगरों का काय बड़े बड़े क्रान्तिकारी नेताओं व वीर नेतारतियों की अपेक्षा नहा अल्प महत्त्व का था, और उन्होंने मानव समाज की मुक्त समृद्धि के लिये बड़े महत्त्व का काय किया। निम्न प्रकार राज्यक्रान्तियों का प्रधान क्षेत्र प्राप्त था, व्यावसायिक क्रान्ति का केन्द्रस्थान इंग्लैण्ड था। वहीं से प्रारम्भ होकर व्यावसायिक क्रान्ति ने स्थूल सम्पूर्ण यूरोप में अपिन्तु सारे सत्तार में व्याप्त हो गई।

लीजिये। अटाहरवीं सदी में इङ्ग्लैंड एक कृषि प्रधान देश था। वहाँ की जनता का बहुत बड़ा भाग देहाता में निवास करता था। गाँवों की भूमि दो प्रकार की हानी थी, खेती के काम में आनेवाला और चरागाह के रूप में प्रयुक्त होनेवाला भूमि। किसानों के खेत एक स्थान पर नहीं होते थे। यदि एक खेत गाँव के दक्षिण में होता था, तो दूसरा उत्तर में। खेत बहुत छोटे छोटे तथा विपरीत हुए होते थे। एक खेत से दूसरे खेत को जाने में किसानों का बहुत सा समय नष्ट हो जाता था। साथ ही, बहुत सी जमीन रास्ता और पगडण्डियों में सराय हुई रहती थी। आधुनिक समय के उड़े और इन्हो खेत उस समय तक इङ्ग्लैंड में नहीं थे। जर्मनी की पैदावार का नायम रखने के लिये ग्राज्मल के तरीकों का आविष्कार भी उस समय में नहीं हुआ था। हर तीसरे साल खेत को खाली छोड़ना पड़ता था, ताकि उसकी उपज शक्ति नष्ट होने से बचा रहे। भिन्न भिन्न किसम की फसलों को मारी मारी से मोते रहने पर जमीन की उपज शक्ति को नायम रखा जा सकता है, इसका ज्ञान उस समय के अंग्रेज किसानों का नहीं था। खेती के लिये वही पुराने जमाने के औजार काम में आते थे। हल, पावड़ा और दराती से बढ़कर कोई अन्य औजार अठारहवीं सदी के इङ्ग्लैंड के किसानों के पास नहीं था। खेती के लिये काम आनेवाली जमीन के अतिरिक्त, जो अन्य जमीन खाली पड़ी रहती थी, वह चरागाह के काम आती थी, उसमें गाँव भर के पशु स्वच्छन्द रूप से चर सकते थे। जलाने के लिये ईंधन भी इसी जमीन से एकत्र किया जाता था। चरागाह को साफ रखने तथा पशुओं को ममारी से बचाने का कोई प्रयत्न उस समय नहीं किया जाता था। परिणाम यह था, कि पशु बहुत मजबूत तथा दुबले पतले होते थे। इङ्ग्लैंड को आनादो भी उस समय बहुत कम थी। अठारहवीं सदी के अन्त में इङ्ग्लैंड के निवासियों की संख्या ६० लाख के लगभग थी। शहरों

का विनाश बहुत कम हुआ था। शहर सरथा में थे ही बहुत कम; और जो थे, वे भी छोटे छोटे और निहायत गन्दे होते थे। आवागमन के साधनों की उस समय बड़ी दुर्दशा थी। सड़के प्रायः ऋची और टूटी फूटी थीं। डाकूगरो की बहुतायत के कारण इन पर आना जाना भी आशका से शून्य न था।

अठारहवीं सदी के अन्त में इस दशा में परिवर्तन आना प्रारम्भ हुआ। इङ्गलैण्ड में कृषि सम्बन्धी जो उन्नति हुई, उस पर हम दो दृष्टियों से विचार कर सकते हैं। (१) कृषि के तरीकों में सुधार और (२) रेतों के स्वरूप में परिवर्तन।

कृषि के तरीकों में सुधार करनेवाला पहला ग्रमोज वैज्ञानिक टल नाम का महानुभाव था। इसने अनेक ऐसे आविष्कार किये, जिनसे कृषि की पद्धति में बहुत उन्नति हुई। बार-बार रेत को जोतकर यदि मिट्टी को विलगुल चारीन कर दिया जाय, तो पैदावार बहुत बढ़ाई जा सकती है, इस सिद्धान्त का पहले पहल इसी ने पता किया। साथ ही, यान बोने के ऐसे क्रियात्मक उपायों का, जिनसे बोज खेत में समान रूप से बोये जा सकें, वहाँ कम या अधि न पड़ें, परिज्ञान भी पहले पहल इसी ने किया। इसीलिये श्री टल के विषय में कहा जाता था, कि जिस जर्मन में कोई अन्य आदमी एक दाना पैदा कर सकता है, वहाँ वह दो दाने पैदा करने दिया सकता था।

टल के प्रसिद्ध अनुयायी श्री टाउनशेण्ट ने भी कृषि के तरीकों में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किये। उसकी अपनी जागीर पहले विलगुल उजाट तथा दटादलों से परिपूर्ण थी। पर टाउनशेण्ट ने उस निष्कम्भी तथा ऊसर जमीन को लहलहाते रेत के रूप में परिवर्तित कर दिग्वाया। चारी चारी से भिन्न भिन्न पशुओं को चोरर जमीन की उपज शक्ति को निरन्तर कायम रखा जा सकता है, इस अर्थ का परिज्ञान टाउन शेण्ट ने ही कराया। अनेकविध खादों के उपयोग से जमीन की

लीजिये। अठारहवीं सदी में इंग्लैंड एक कृषि प्रधान देश था। वहाँ की जनता का बहुत बड़ा भाग देहाता में निवास करता था। गाँवों की भूमि दो प्रकार की होती थी, खेती के काम में आनेवाला और चरागाह के रूप में प्रयुक्त होनेवाला भूमि। किसानों के खेत एक स्थान पर नहीं होते थे। यदि एक खेत गाँव के दक्षिण में होता था, तो दूसरा उत्तर में। खेत बहुत छोटे छोटे तथा बिखरे हुए होते थे। एक खेत से दूसरे खेत को जाने में किसानों का बहुत सा समय नष्ट हो जाता था। साथ ही, बहुत सी जमीन रास्ता और पगडण्डियों में सराबन हुई रहती थी। आधुनिक समय के बड़े और इकट्ठे खेत उस समय तक इंग्लैंड में नहीं थे। जर्मनी की पैदावार का नाम रखने के लिये ग्राज्फ़ल के तरीके का आधिकार भी उस समय में नहीं हुआ था। हर तीसरे साल खेत को खाली छोड़ना पड़ता था, ताकि उसकी उपज शक्ति नष्ट होने से बचा रहे। भिन्न भिन्न किसम की फसलों को मारी मारी से बाँटे रहने पर जमीन की उपज शक्ति को नष्ट करना जा सकता है, इसका ज्ञान उस समय के अंग्रेज किसानों का नहीं था। खेती के लिये वही पुराने जमाने के औजार काम में आते थे। हल, पावड़ा और दरौती से बँकर कोई अन्य औजार अठारहवीं सदी के इंग्लैंड के किसानों के पास नहीं था। खेती के लिये काम आनेवाली जमीन के अतिरिक्त, जो अन्य जमीन खाली पड़ी रहती थी, वह चरागाह के काम आती थी, उसमें गाँव भर के पशु स्वच्छन्द रूप से चर सकते थे। जलाने के लिये ईंधन भी इसी जमीन से एकत्र किया जाता था। चरागाह को साफ रखने तथा पशुओं को मारी से बचाने का कोई प्रयत्न उस समय नहीं किया जाता था। परिणाम यह था, कि पशु बहुत कमजोर तथा दुबले पतले होते थे। इंग्लैंड की आबादी भी उस समय बहुत कम थी। अठारहवीं सदी के अन्त में इंग्लैंड के निवासियों की संख्या ६० लाख के लगभग थी। शहरों

का विकास बहुत कम हुआ था। शहर सरथा में थे ही बहुत कम, और जो थे, वे भी छोटे छोटे और निहायत गन्दे होते थे। आवागमन के साधना ही उस समय बड़ी दुर्दशा थी। सड़के प्रायः कच्चा और टूटी फूटी थीं। डाकूओं की बहुतायत के कारण इन पर आना जाना भी आशंका से शून्य न था।

अठारहवीं सदी के अन्त में इस दशा में परिवर्तन आना प्रारम्भ हुआ। इंग्लैण्ड में कृषि सम्बन्धी जो उन्नति हुई, उस पर हम दो दृष्टियाँ से विचार कर सकते हैं। (१) कृषि के तरीकों में सुधार और (२) खेताँ का स्वरूप में परिवर्तन।

कृषि के तरीका में सुधार करनेवाला पहला अंग्रेज वैज्ञानिक टल नाम का महानुभाव था। इसने अनेक ऐसे आविष्कार किये, जिनसे कृषि की पद्धति में बहुत उन्नति हुई। बार बार खेत को जोतकर यदि मिट्टी को त्रिजकुल तरीका कर दिया जाय, तो पैदावार बहुत बढ़ाई जा सकती है, इस सिद्धान्त का पहले पहल इसी ने पता किया। साथ ही, रात रात के ऐसे क्रियात्मक उपायों का, जिनसे गीज खेत में समान रूप से बँट जा सके, वहाँ कम या अधिक न पड़े, परिज्ञान भा पहले पहल इसी ने किया। इसीलिये श्री टल के विषय में कहा जाता था, कि जिस जमीन में कोई अन्य आदमी एक दाना पैदा कर सकता है, वहाँ वह दो दाने पैदा करके दिखा सकता था।

टल के प्रसिद्ध अनुयायी श्री टाउनशेण्ट ने भी कृषि के तरीकों में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किये। उसकी अपनी जागीर पहले त्रिजकुल उजाड़ तथा दलदलों से परिपूर्ण थी। पर टाउनशेण्ट ने उस निकम्मी तथा ऊसर जमीन को लहलहाते खेत के रूप में परिवर्तित कर दिखाया। शरीर शरीर से भिन्न भिन्न पक्षों को जोर जमीन की उपज शक्ति को निरन्तर कायम रखा जा सकता है, इस अर्थ का परिज्ञान टाउनशेण्ट ने ही कराया। अनेकविध खादों के उपयोग से जमीन की

उपज को बढ़ाने के सफल परीक्षण भी इसी समय मरिय गये। साथ ही, पशुश्रा की तकड़ी पर भी ध्यान दिया गया। गार्ड वैश्वरता ने पशुश्रा की नसल का उन्नत करने के लिये अनेक परीक्षण किये। इस समय तक इङ्गलैण्ड में पशु बहुत ही तले हुएले व कमचोर हान थे। उनके शरीर पर दृष्टियों नजर आती थी। पर चेन्नल के प्रकृतन में इस दशा में सुधार शुरू हुआ। पशुश्रा के मांस का भाज्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति उदने लगी। कृषि के उपकरणों में भी उन्नति हो गई। चैला से चलनेवाले लकड़ी के हला के स्थान पर घोड़ा से चलनेवाले लोहे के भारी हला का आधिपत्य हुआ। अनाज का भण्डन अलग करने के लिये भी मशाना का निर्माण किया गया। इस मशाना का आधिपत्य एण्ड्रू मार्श्वेल नाम का एक सज्जन था। इस समय के अग्रज किसान कितने अन्व विधाता तथा अपरिजर्नवादा थे, इसका अनुमान इस बात से किया जा सकता है, कि वे लाग नये लहे के हल को इस्तेमाल करने से इसलिये घबराते थे, क्योंकि उनका विचार था इनसे जमीन में जहर पुस जाता था। नये हल के समान ज्यादा अच्छी किसम की दरतियों व पावना का भी इस समय आधिपत्य हुआ। बीजा का चुनने की तरफ भी लोगो का ध्यान गया। पाने के लिये बढ़िया सोना की आवश्यकता है, इस पर विशेष जोर दिया जाने लगा।

खेती के लिये इन नये आधिपत्य का प्रचार करने का भी काशिश की गई। आयर यंग के आन्दोलन से सन् १७६३ में ब्रिटिश सरकार ने कृषि का एक पृथक् विभाग खोल दिया। इसका काम ही यह था, कि किसानों में खेती के नये तरीका का प्रचार करे। इसका कुछ समय बाद सन् १८३६ में रायल एग्रीकल्चरल सोसायटी की स्थापना हुई।

कृषि सम्बन्धी ये सब सुधार तब तक विशेष लाभदायक नही हो सकते थे, जब तक कि खेती के स्वरूप में परिवर्तन न हो। खेती के

नवीन यान्त्रिक आविष्कार किस प्रकार मानव श्रम में वृत्त करने में सहायक हो रहे थे, इसका एक उच्च उदाहरण वस्त्र व्यवसाय है। कपड़ा बनाने के लिये पहले रुई को सूत के रूप में कातना होता है, और बाद में सूत को बुनकर कपड़ा तैयार किया जाता है। अठारहवीं सदी के मध्य तक यूरोप में सूत कातने के दो ही साधन थे, तकली या चरखा। पर इन दोनों उपकरणों में मनुष्य एक समय में एक ही सूत कात सकता था। सन् १७६७ में जेम्स हर्शोव नाम के अंगरेज कारीगर ने एक ऐसे चरखे का आविष्कार किया, जिससे एक साथ आठ व दस सूत काते जा सकते थे। इसका अभिप्राय यह हुआ, कि इस नये चरखे से एक कारीगर आठ या दस कारीगरों का काम कर सकता था। एक साल बाद, सन् १७६८ में रिचर्ड आर्कराइट नामक के अन्य अंगरेज शिल्पी ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया, जिसमें बेलनों द्वारा सूत काता जाता था, और ये बेलन यान्त्रिक शक्ति द्वारा चलते थे। धीरे धीरे सूत कातने के उपकरणों में उन्नति होती गई, और अठारहवीं सदी की समाप्ति से पूर्व इंग्लैण्ड में ऐसी मशीनें काम करने लगीं, जिनसे एक साथ दो सौ सूत काते जाते थे। ये मशीनें यान्त्रिक शक्ति से चलती थीं, और इनका संचालन करने के लिये एक या दो से अधिक कारीगरों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जो काम पहले सौ कारीगर करते थे, वह अब एक कारीगर करने लगा। इससे आर्थिक उत्पत्ति में मानव-श्रम की कितनी वृत्त हुई, यह सहज में ही भली भाँति समझा जा सकता है।

सूत कातने के नये उपकरणों के साथ-साथ कपड़ा बुनने के उपकरणों में भी उन्नति का होना आवश्यक था। नई मशीनों द्वारा सूत भारी तादाद में तैयार होने लगा था। जुलाहे लोग अपने पुराने तरीकों से सूत की इतनी भारी मात्रा को कपड़े के रूप में परिवर्तित करने में असमर्थ थे। आवश्यकता आविष्कार की जननी कही गई है। अब

अनेक शिल्पियों ने कपड़ा बुनने को खड्डियों में भी सुधार शुरू किये । १७८४ में डा० कार्टराइट नाम के एक शिल्पी ने एक ऐसी खड्डी का आविष्कार किया, जो जल की शक्ति से चलती थी, और जिसमें ताना बाना अपने आप बुना जाता था । इस नई खड्डी से १५ वर्ष की आयु का एक लड़का उतना कपड़ा तैयार कर लेता था जितना कि पुरानी खड्डी से दस कुशल कारीगर कर पाते थे । धीरे धीरे डा० कार्टराइट की खड्डी में सुधार होते गये और इन नई मशीनों की लोकप्रियता किस प्रकार बढ़ती गई, इसका अनुमान इस बात से किया जा सकता है, कि सन् १८३३ में एक लाख के लगभग ये नई खड्डियाँ इङ्ग्लैण्ड में प्रयुक्त हो रही थीं ।

सूत कातने और बुनने के इन नये उपकरणों के कारण इङ्ग्लैण्ड में कपड़ा बहुत बड़ी मात्रा में तैयार होने लगा । रुई इङ्ग्लैण्ड में पैदा नहीं होती । वस्त्र व्यवसाय के लिये इङ्ग्लैण्ड को रुई बाहर से मँगानी पड़ती है । सन् १७६४ तक, इङ्ग्लैण्ड बाहर से जो रुई कपड़ा बनाने के लिये मँगाना था, उसकी मात्रा पचास हजार मन से अधिक नहीं होती थी । धीरे धीरे बाहर से आने वाली रुई की मात्रा बढ़ती गई और सन् १८४१ में इङ्ग्लैण्ड में जो रुई बाहर से आई, उसकी मात्रा ६५ लाख मन हो गई । ७५ वर्ष के लगभग समय में इङ्ग्लैण्ड को रुई की खपत सौ गुना से भी अधिक बढ़ गई । यह सब यान्त्रिक उपकरणों का परिणाम था । सन् १८१५ में रावर्ट आबन नाम का एक वस्त्र व्यवसायी अभिमान के साथ यह कहा करता था, कि उसके अपने एक कारखाने में दो हजार कारीगर जितना कपड़ा तैयार करते हैं, पुराने तरीकों से सारे स्काटलैण्ड के सब जुलाहे मिल कर उतना कपड़ा नहीं तैयार कर सकते थे । रावर्ट आबन की यह गवोंक्ति सत्य पर आश्रित थी । पिछले चालीस वर्षों में जो नये यान्त्रिक आविष्कार हुए थी, उन्होंने मानव-श्रम में भारी बचत कर दी थी, और आर्थिक उत्पादन की क्षमता बहुत अधिक बढ़ा दी थी ।

मशीनों की उन्नति के लिये यह आवश्यक था, कि उन्हें बनाने के लिये किसी ऐसी धातु का प्रयोग किया जाय, जो मजबूत और चिर-स्थायी हो। औजार बनाने के लिये बहुत पुराने जमाने से लोहे का उपयोग किया जाता था। पर लोहा बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता था, और लोहे को साफ करके उसे मजबूत बनाने के साधन बहुत ही असन्तोषजनक थे। अठारहवीं सदी में, जिस समय आर्कसाइट और हर-ग्रीव जैसे शिल्पी चरखे और करघे की उन्नति में लगे थे, उसी समय अन्य शिल्पी लोहे की उत्पत्ति के नये साधनों की खोज में जुटे हुए थे। लोहे को तैयार करने में पहले लकड़ी का कोयला प्रयुक्त होता था। सन् १७५० में पत्थर का कोयला प्रकाश में आया, और उनकी तेज गर्मी से लोहे की कच्ची धातु को पिघालने व साफ करने का काम बहुत सुगम हो गया। धीरे धीरे नई किसम की भट्टियाँ तैयार होने लगीं, और साफ व मजबूत लोहा भारी मात्रा में बनने लगा। मशीनों की उन्नति में इस लोहे ने बहुत बड़ी सहायता की।

पर नई मशीनों के आविष्कार ही पर्याप्त नहीं थे। जब तक नई मशीनों को चलाने के लिये नई यान्त्रिक शक्ति का भी आविष्कार न हो, उनसे पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता। वायु और जल—इन दो प्राकृतिक शक्तियों का मनुष्य का प्राचीनकाल से परिज्ञान था। अपने श्रम के अतिरिक्त मनुष्य देर से इनका उपयोग करना जानता था। पवनचक्की और पनचक्की मध्यकाल में भी प्रयुक्त होती थी। पर इनका उपयोग और क्षेत्र बहुत सीमित थे। मनुष्य जहाँ चाहे वहाँ और जिस प्रकार से चाहे, इन शक्तियों की उपयोग नहीं कर सकता था। अठारहवीं सदी में भाप की शक्ति का आविष्कार हुआ और पत्थर के कोयले से उत्पन्न तीव्र अग्नि और जल के संयोग से जो भाप प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होती है, उसे काबू कर मनुष्य एक नई यान्त्रिक शक्ति को दस्तगत कर सकता है, यह शक्त हुआ। भाप की इस शक्ति

को प्रयुक्त करने वाले उपकरण को 'स्टीम इंजन' कहते हैं। इनका सबसे पहले आविष्कार न्यूकामन नाम के शिल्पी ने किया था। बाद में जेम्स वाट ने उसमें बहुत सुधार किया। वस्त्र व्यवसाय में सबसे पहले सन् १७८५ में स्टीम इंजन का प्रयोग किया गया। अठारवीं सदी के अन्त तक इङ्ग्लैण्ड में हजारों की संख्या में स्टीम इंजन प्रयुक्त होने लगे—श्रीर व्यवसाय के क्षेत्र में उनका प्रचार बहुत अधिक हो गया। मध्यकाल में मनुष्य सब भ्रम अपने हाथ व पैर से करता था। धूल व घोड़े को जो शक्ति उसे उपलब्ध थी, वह भी जीवित शरीर की शक्ति होने के कारण अपनी एक मर्यादा रखती थी। पर अब लोहे और इंजन के रूप में मनुष्य के हाथ में एक ऐसा दानव आ गया था, जिससे वह गुलाम के तौर पर काम ले सकता था, और जो चेतन शरीर के ममान भ्रान्ति और क्लान्ति का शिकार सुगमता से नहीं हो जाता था। स्टीम इंजन के आविष्कार से भारी और बड़ी मशीनों का संचालन सम्भव हुआ और उससे आर्थिक उत्पत्ति में बहुत वृद्धि हुई।

स्टीम इंजन के आविष्कार से आवागमन के साधनों में भी बहुत उन्नति हुई। नदियां और समुद्र में नौकायें पहले भी चलती थीं, पर वे चप्पुओं और पाल के द्वारा चलाई जाती थीं। सन् १८०२ में नौकाओं में भी स्टीम इंजन स्थापित किया गया, और ऐसी नौकाओं व जहाजों का निर्माण प्रारम्भ हुआ, जो चप्पुओं व पाल से न चलकर इंजन द्वारा चलते थे। धीरे धीरे जहाजों के आकार में भी वृद्धि शुरू हुई। लाखों मन बोझ के विशाल जहाज समुद्र के वक्षस्थल को चीरते हुए तेज गति से दौड़ने लगे—पर यह सब केवल इसलिये सम्भव हो सका, क्योंकि उन्हें चलाने के लिये अब कपड़े के पाल व चप्पुओं पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रही थी। अब उन्हें चलाने के लिये भाप की यान्त्रिक शक्ति मनुष्य के बश में आ गई थी।

यदि भाप की शक्ति से जल में जहाज चलाये जा सकते थे, तो

उसी शक्ति का उपयोग स्थल में गाड़ियाँ चलाने के लिये क्या नहीं किया जा सकता था ? जिस प्रकार चम्पुप्रा व पाल का स्थान प्रो स्टीम इंजन ल रहा था, उसी प्रकार घाडे व तैल का स्थान भी स्टीम इंजन क्यों नहीं ले सकता था ? सन १८१४ में ज्यार्ज स्टीवन्सन ने एक ऐसे लोकोमोटिव (स्वयं मचालित होने वाला इंजन) का आविष्कार किया, जो लोहे की पटरियों पर स्वयं भाप की शक्ति से चल सकता था, और अपने साथ जोर से भरी हुई गाड़ियाँ को भी रवाना सकता था। इस लोकोमोटिव का पहला उपयोग स्नान से बोयले को टोकर नहर तक पहुँचाने के लिये किया गया। पर यह रेलगाड़ी के उस महान आविष्कार का था गणेश था, जिसने आगे चल कर मनुष्य की यातायात का इतना सुगम कर दिया। सन १८२५ में इंग्लैंड में पहला रेलवे लाइन पड़ी, यह १२ मील लम्बी थी। पहली रेलगाड़ी की चाल भी अधिक से अधिक १२ मील प्रति घण्टा थी। इस गाड़ी का देखने के लिये लोगों में इतनी उत्सुकता थी, कि जब पहले पहल गाड़ी चलाई गई, तो भीड़ को पट्टरी से परे रखने के लिये कुछ घुड़सवार इंजन के आगे आगे चलने के लिये नियत करने पड़े। १८३० में मॉन्चेस्टर और लिबरपूल के बीच में राबर्ट्सन रेल चलाने लगी। उस समय २७ मील की इस लाइन को पार करने में गाड़ी को डेढ़ घण्टे के समय लगता था। तेरह साल के समय में, सन १८४३ तक इंग्लैंड में १८०० मील रेलवे लाइन बन गई थी। अब लाइन से लिबरपूल पहुँचने में केवल दस घण्टे लगते थे। रेल से पहले तेज घोड़ा गाड़ियाँ द्वारा इसी में एक सप्ताह लग जाता था। निःसन्देह, मनुष्य ने स्टीम इंजन के आविष्कार द्वारा देश और काल पर भारी विजय प्राप्त कर ली थी।

स्टीम इंजन व नये यान्त्रिक उपकरणों के आविष्कार के साथ साथ अठारहवीं सदी में यूरोप में रसायन शास्त्र की नई प्रक्रियाओं

की कीमत ग्रेस करोड के लगभग थी, वहा १८१५ में, केवल ३३ वर्ष बाद ६० करोड के लगभग का माल दूसरे देशों में निर्मा के लिये जाने लगा। पिछली डेड सदी में इङ्ग्लैण्ड में अनेके कपडे की पैदावार में ६०० गुना की वृद्धि हुई है। यदि सखार के सत्र स्त्री पुरुषों को सूत कातने और बुनने के काम में लगा दिया जाय, तो वे नितना कपडा साल भर में तैयार कर सकेंगे, उससे नहीं अधिक कपडा अनेके इङ्ग्लैण्ड में कपडे की मिलों द्वारा तैयार होता है।

केवल बस व्यवसाय में ही नहीं, अन्य व्यवसायों में भी मशीन के प्रयोग ने उत्पत्ति में भारी वृद्धि की है। उदाहरण के लिये पिन के व्यवसाय को लीजिये। इङ्ग्लैण्ड की एक साधारण फैक्टरी में सत्र लाख पिन एक दिन में तैयार होते हैं, और इतनी उत्पत्ति करने वाली मशीन को चलाने के लिये केवल तीन शिल्पियों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार, मशीन के कारण छापेखानों (प्रिंटिंग प्रेस) में यह सम्भव है, कि एक घण्टे में लाख व अधिक सख्या में समाचार पत्रों की प्रतियाँ छपी जा सकें। मध्यकाल में भी यूरोप में छापेखाने होते थे। पर मैटर को कम्पाज करना, स्पाही लगाना व छापना—सत्र काम हाथ से होता था। परिणाम यह था, कि एक दिन में कुछ ही प्रतियाँ ही छाप कर तैयार की जा सकती थीं। पर यान्त्रिक शक्ति और मशीन के उपयोग के कारण अब मुद्रण व्यवसाय ने इतनी अधिक उत्पत्ति कर ली है, कि लाखों की सख्या में छपने वाले समाचारपत्र प्रातःकाल छपकर तैयार हो जाते हैं, और दिन निकलने तक पाठकों के हाथ में पहुँच जाते हैं।

२. गृह व्यवसाय का अन्त और विशाल कारखानों का प्रारम्भ—व्यावसायिक क्रान्ति से पहले मध्य काल में गृह-व्यवसाय की पद्धति जारी थी। प्रत्येक कारीगर अपने घर पर काम करता था। उसका घर पर ही एक छोटा सा कारखाना होता था, जिसमें वह अपनी स्त्री

व पच्चा तथा अन्तेजासियों (शागिदों) के साथ आधिक उत्पत्ति करता था। कुम्हार, जुलाहा, मोची, लुहार आदि सब व्यवसायी अपने अपने घर पर काम करते थे। उनके काम करने के कोई घण्टे नियत न होते थे। वे जब चाहते और जितने समय तक चाहते, काम करते और स्वयं ही अपने माल का देहात की पीठ में या शहर की मण्डी में बेच देते थे। कारीगरों का जीवन पग सीधा, सरल और शान्तिमय था।

पर व्यावसायिक क्रान्ति ने इस दशा का बदल दिया। नई मशीनों के मुताबले में यह व्यवसायों के लिये टहर करना कठिन होगया। यह व्यवसायों का स्थान वे कारखाने (फैक्टरी) लेने लगे, जिसमें नई मशीनें यान्त्रिक शक्ति द्वारा काम करती थीं और इनमें श्रमी (मजदूर) व कारीगरों की अपेक्षा मशीनों का महत्त्व अधिक था, और एक एक कारखाने में हजारों की संख्या में श्रमी लोग एकत्र होकर मशीनों की सहायता से आर्थिक उत्पत्ति करते थे। कारीगर अब स्वतन्त्र उत्पादक न रह कर भृति (मजदूरी) प्राप्त करने वाला होगया। उनकी स्थिति एक ऐसे गुलाम की हागई, जिसने अपने स्वामी (कारखाने के मालिक) के आदेश के अनुसार कार्य करना है।

मशीनों के उपयोग के कारण श्रम विभाग का भी बहुत विकास हुआ। पहले आर्थिक उत्पत्ति की सब प्रक्रियायें कारीगर स्वयं करता था। इसके यह कारण गुंजाइश थी, कि वह अपनी प्रतिभा के अनुसार कला का प्रदर्शन कर सके। पर अब आर्थिक उत्पत्ति की प्रक्रिया अनेक छोटे छोटे भागों में विभक्त हो गई, जिन्हें विविध मशीनें सम्पन्न करती हैं, और मनुष्य का कार्य केवल यह देखना है, कि मशीन ठीक प्रकार से अपना कार्य कर रही है। श्रमी व शिल्पी की प्रतिभा व कला को प्रयुक्त होने का अवसर इन कारखानों में नष्ट रह गया है। वस्तुतः उसकी स्थिति भी एक मशीन की रह गई है, जिसे दूसरों की इच्छा के अनुसार गुलाम के रूप में काम करना है।

३. पूँजीपतियों का प्रभाव—व्यावसायिक क्रान्ति के कारण अब यह सम्भव नहीं रहा, कि कारीगर स्वतन्त्र रूप से आर्थिक उत्पत्ति कर सकें। मध्यकाल में उत्पत्ति के लिये किमी बड़ी पूँजी की आवश्यकता नहीं होती थी। कारीगर को जिन औजारों व उपकरणों की आवश्यकता होती थी, वे सस्तें में खरीदे जा सकते थे, या कारीगर उन्हें स्वयं बना लेता था। पर मशीनों के इस नये युग में जो कीमती इंजन व जटिल मशीनों काम में आने लगीं, उन्हें हर कोई सुगमता से प्राप्त नहीं कर सकता था। उनके लिये पूँजी की आवश्यकता होती थी। जिन लोगों के पास रुपया था, वे स्वयं शिल्पी न होंते हुए भी अपने धन के बल पर मशीन खरीद कर कारखाना कायम कर सकते थे, और सैकड़ों, हजारों मजदूरों को वेतन देकर आर्थिक उत्पत्ति का संचालन कर सकते थे। यह स्वाभाविक था, कि इन नये लोगों का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में बढ़ता जाय और धीरे धीरे सब आर्थिक उत्पत्ति स्वतन्त्र शिल्पियों के हाथ से निकल कर इन धनिकों व पूँजीपतियों के हाथ में आजाय। उन्नीसवीं सदी के शुरू से यह प्रक्रिया निरन्तर जोर पकड़ने लगी, और पूँजीपति श्रेणी प्रकाश में आकर सम्पूर्ण व्यवसायों को अपने हाथ में करने लगी।

यह ठीक है, कि व्यावसायिक क्रान्ति से पूर्व भी यह पूँजीपति श्रेणी जोर पकड़ने लगी थी। जब से दिग्दर्शक यन्त्र का आविष्कार हुआ, यूरोप का व्यापार एशिया व अफ्रीका में बढ़ने लगा। ऐसे व्यापारी प्रगट हुए जो जहाजों पर बड़ी मात्रा में माल लाद कर बाहर ले जाते थे और व्यापार द्वारा प्रचुर धन कमाते थे। पहले ये लोग स्वतन्त्र शिल्पियों से कपड़ा व अन्य माल खरीद करते थे। पर धीरे-धीरे उन्होंने यह अनुभव किया, कि व्यापार की दृष्टि से यह अधिक अच्छा है, कि शिल्पियों को नौकर रख कर उनसे माल तैयार कराया जाय। ये बड़े बड़े धनिक व्यापारी सैकड़ों हजारों की संख्या में शिल्पियों

को अपने पास नौकरी में रखकर यात्रिक उत्पत्ति करने लगे थे। और इससे एक प्रकार के ऐसे 'कारखानों' का प्रादुर्भाव हुआ था, जिनमें काम यात्रिक शक्ति के बिना पुराने जिसम के औजारों से हा होता था। पर उनमें शिल्पियों की स्वतन्त्र सत्ता का हास हाकर धनिक का प्रभाव बढ़ता जाता था। पर अब नये वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण यात्रिकशक्ति और नई मशीनों का जो प्रारम्भ हुआ, उसने तो इन 'कारखानों' के महत्त्व का बहुत बढ़ा दिया। धनिक पूँजीपतियाँ न लिये यह सुगम हो गया, कि वे अपने रुपये से ज्ञान व मशीनों खरीद कर सब व्यवसाय को अपने हाथ में कर लें, और शिल्पियों को पूर्णतया अपनी बशवर्ता बना लें।

व्यावसायिक क्रान्ति ने आर्थिक उत्पादकाँ दो श्रेणियाँ भिन्न कर दिया—पूँजीपति और मजदूर। धीरे धीरे मजदूरों को अपनी दुर्दशा का ज्ञान हुआ, और उन्होंने अपने को संगठित कर अपनी दशा को उन्नत करने के अपने अधिकारों की माँग के लिये सघर्ष प्रारम्भ किया। पूँजीपतियाँ व मजदूरों का पारस्परिक सघर्ष व्यावसायिक उन्नति का महत्त्वपूर्ण परिणाम है।

(४) व्यावसायिक नगरों का विकास—बड़े बड़े कारखानों के विकास के कारण नगरों की आवादी बढ़ने लगी। देहातों के यह व्यवसाय नष्ट होने लगे और उनके कारीगर शहरों के कारखानों में मजदूरी करने के लिये आने लगे। जिन नगरों में बड़े कारखानों के लिये सुविधाएँ थीं, उनका बड़ी तेजी के साथ विकास हुआ। १७६० में लिवरपूल की आवादी चालीस हजार थी। १८४१ में यह बढ़कर दो लाख अठारस हजार हो गई। इसी प्रकार इस काल में मन्चेस्टर की आवादी पैंतालस हजार से बढ़कर तीन लाख हो गई। १७६० में लकाशायर की आवादी १,६६,००० थी। १६०१ में यह बढ़कर ४,५००,००० तक पहुँच गई। सन् १८०० में सारे यूरोप में कुल

अठारह नगर ऐसे थे, जिनकी जनसंख्या एक लाख से ऊपर हो। एक सदी बाद ऐसे नगरों की संख्या २०० से भी ऊपर हो गई थी। व्यावसायिक नगरों का विकास व्यावसायिक क्रान्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है। इन विशाल नगरों का जीवन देहातों व कस्बों के सीधे साधे, सरल जीवन से बहुत ही भिन्न था। देहात के स्वतन्त्र वातावरण में रहनेवाला किसान व शिल्पी अब इन महानगरियों के तग वायुमण्डल में निवास करने के लिये बाधित हुआ था।

(५) नया श्रेणि भेद—मध्यकालीन यूरोप में जागीरदार सामन्तों का प्रभाव सबसे अधिक था। सामन्त, पादरी और सर्वसाधारण जनता, जिसमें किसान व शिल्पी सब अन्तर्गत थे, ये तीन श्रेणियाँ उस समय में विद्यमान थीं। पर अब नया श्रेणिभेद उत्पन्न हुआ। कारखानों के मालिक पूँजीपतियों का महत्त्व अब मध्यकाल के सामन्तों की अपेक्षा अधिक बढ़ गया। पूँजीपति और मजदूर—ये दो श्रेणियाँ प्रधान रूप से बन गईं। मजदूर पूर्णतया पूँजीपतियों पर आश्रित थे। सामानिक दृष्टि से स्वतन्त्र होते हुए भी उनकी स्थिति गुलामों से अच्छी नहीं थी। पर पूँजीपति और मजदूर इन दो श्रेणियों के साथ साथ इस समय एक तीसरी श्रेणी का भी विकास होने लगा। इसे हम शिक्षित मध्य श्रेणी कह सकते हैं। कारखानों में यान्त्रिक शक्ति और ऊटिल मशीनों का संचालन करने के लिये ऐसे शिक्षित शिल्पियों की आवश्यकता थी, जो विज्ञान में विशारद हों। साथ ही, कारखानों का हिमायत करने, व्यापार की नीति का निर्माण करने व माल का प्रचार करने के लिये कुशल शिक्षित पुरुषों के बिना काम नहीं चल सकता था। मध्य श्रेणी के ये शिक्षित लोग स्वयं पूँजीपति न होते हुए भी समाज में अतुल्य प्रभाव रखते थे। नये आर्थिक जीवन में व्यापारी, महाजन, वकील आदि का महत्त्व बढ़ने लगा, और इन सबसे मिलकर एक तीसरी श्रेणी—शिक्षित मध्यश्रेणी—का विकास हुआ। धीरे धीरे अपने प्रभाव

की दृष्टि से इसका वही महत्व बनने लगा, जो मध्यकाल में पादरियों का था। शिक्षा और ज्ञान के प्रकीर्ण के कारण इस श्रेणी के लोगों के लिये समाज और सरकार—दोनों पर अपना प्रभाव बढ़ा सकना बहुत सुगम था। प्रेस, समाचारपत्र और पुस्तकों के प्रचार के कारण यह श्रेणी अपने विचारों का प्रसार भी सुगमता से कर सकती थी। परिणाम यह हुआ, कि धीरे धीरे समाज का नेतृत्व इनके हाथ में आने लगा।

(६) पारिवारिक जीवन पर असर—व्यावसायिक क्रान्ति से पूर्व आर्थिक उत्पत्ति का कार्य प्रधानतया पुरुष करते थे। स्त्रियाँ घर का काम करती थीं, और आर्थिक क्षेत्र में भी अपने पुरुषवर्ग की सहायता करती थीं। इससे सर्वसाधारण जनता में भी पारिवारिक जीवन सुखमय तथा अक्षुण्ण बना रहता था। पर बड़े कारखानों के प्रादुर्भाव के कारण जब शिल्पी लोग देहातों से शहरों में मजदूरी की तलाश में आने लगे, तो इस नागरिक जीवन पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। शहरों में रहने की जगह की कमी थी। मजदूरों के लिये सम्भव नहीं था, कि वे शहरों में परिवार के योग्य स्थान प्राप्त कर सकें। एक-एक कोठरी में अनेक मजदूर एक साथ निवास करते थे। उनके लिये अपनी स्त्री व बच्चों को साथ रख सकना कठिन था। परिणाम यह हुआ, कि पारिवारिक जीवन की शान्ति व सुख नष्ट होने लगे। साथ ही, आजीविका की तलाश में बहुत सी स्त्रियों व बच्चों ने भी कारखानों में मजदूरी शुरू कर दी। मशीनों से चलने वाले कारखानों में काम करने के लिये शारीरिक शक्ति व शिल्पनैपुण्य की विशेष आवश्यकता न थी। उनमें स्त्री व बच्चे भी सुगमता से काम कर सकते थे। पूँजीपतियों को इसमें लाभ था कि वे स्त्रियों व बालकों को मजदूरी पर रखें, क्योंकि उनकी मजदूरी की दर कम होती थी। पुरुष बेकार फिरने लगे, और स्त्रियों व बच्चों को बड़ी संख्या में कारखानों में काम मिलने

जगा। उच्च क भविष्य के लिये यह बात बहुत हानिकारक थी। ख्रिया व स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत प्रतिकूल असर पड़ता था। बाद में ऐसे बहुत से कानून बनाये गये, जिनसे ख्रिया व उच्चता को पूँजीपतियों के लाभ का शिकार बनने से उचाने का उपयोग किया गया। पर इसमें सन्देह नहीं, कि शुरू में व्यावसायिक क्रान्ति ने जहाँ पारिवारिक जीवन की मुक्त शक्ति को नष्ट किया, वहाँ ख्रिया व उच्चता के स्वास्थ्य व भविष्य पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव आला। वस्तुतः, इस युग में पूँजीपतियों ने सब प्रकार से गरीबों की असहाय दशा का फायदा उठाया और गरीब व अमीर का भेद निम्न अधिक अधिक बढ़ता गया।

(७) वैयक्तिक स्वतन्त्रता का सिद्धान्त—इस युग में पूँजीपतियों की मनमानी का क्रिया भी प्रकार से विरोध कर सकना सुगम नहीं था। कारण यह, कि एक तरफ तो अभी स्वेच्छाचारी स्वतन्त्र शासन विद्यमान था, लाजतन्त्र शासन का भलो भाँति विकास नहीं हुआ था, दूसरी तरफ, इस समय के विचारक 'वैयक्तिक स्वतन्त्रता' के सिद्धान्त को अनुयायी थे। इस सिद्धान्त के अनुसार, यह समझा जाता था कि राज्य का व्यवसाय के क्षेत्र में निम्न प्रकार का हस्तक्षेप या नियन्त्रण नहीं करना चाहिये। पूँजीपतियों और मजदूर के पारस्परिक सम्बन्ध उनसे स्वेच्छापूर्वक किये गये हों पर आश्रित हैं। किसी ने मजदूर को विवश नहीं किया, कि वह नाममात्र की मजदूरी पर दिन में १२ व १५ घण्टे तक काम करे। यदि वह न चाहे, तो उसे पूरी स्वतन्त्रता है, कि वह नौकरा छोड़ दे। प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है, वह अपने भले बुरे को स्वयं भलीभाँति समझता है। यदि उसे खुला छोड़ दिया जाय, तो वह अपनी योग्यता और कार्यक्षमता के अनुरूप स्वयं उचित स्थान प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार, वस्तुओं की कीमत उपलब्धि और मांग के नियम पर आश्रित है। अर्थशास्त्र का

यह नियम स्वयं वस्तुओं की कीमतों को ठीक करता रहता है। राज्य की ओर से इसमें हस्तक्षेप करना ठीक वैसा ही है, जैसे जल को नीचे बहने से रोकना।

इन विचारों का परिणाम क्रिया में बहुत भयंकर हुआ। पूँजी-पतियों को गरीब लोगों की असहाय दशा का अनुचित लाभ उठाने का सुवर्णय अवसर हाथ लगा। उनके कारखानों में नौ वर्ष की आयु से भी कम के बालक काम करने के लिये रखे जाते थे, और ऊपर उन्हें १२ से १५ घण्टे तक प्रतिदिन काम करने के लिये विवश होना पड़ता था। इतने समय तक काम करने के बाद वे तिन मकानों में विश्राम करने के लिये जाते थे, वे गन्दे, सीले और तंग होते थे। एक एक कमरे में दर्जनों बच्चे, मर्द व स्त्रियाँ एक साथ रहने के लिये विवश होनी थी।

बाद में वैयक्तिक स्वतन्त्रता के इस हास्यास्पद सिद्धांत के विरुद्ध भी प्रतिक्रिया शुरू हुई। लोगों ने आन्दोलन शुरू किया, कि कारखानों पर सरकार का नियन्त्रण होना चाहिये, और यह नियन्त्रण सर्वसाधारण जनता के हित में हो। इसके लिये बोट देने का अधिकार केवल श्रमीतों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये। मजदूरों के अपने संगठन भी अपने हितों की रक्षा के लिये बनने शुरू हुए—और धीरे धीरे कारखानों की दशा में सुधार प्रारम्भ हुए।

(८) व्यापार का विस्तार—व्यावसायिक क्रान्ति के कारण व्यापार का बहुत विस्तार हुआ। पहले लोग अपनी प्रायः सभी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने का प्रयत्न करते थे। गाँव प्रायः अपने आप में आर्थिक दृष्टि से पूर्ण होते थे। पर बड़े कारखानों के विकास के साथ-साथ भिन्न-भिन्न व्यवसायों के पृथक्-पृथक् केन्द्रों का विकास प्रारम्भ हुआ। मैनेज्मन्ट और लंकाशायर वल्व-व्यवसाय के लिये व शेफील्ड तथा बर्मिंघम लोड व्यवसाय के लिये प्रसिद्ध होने लगे। जब

एक केन्द्र में प्रधानतया एक ही व्यवसाय केन्द्रित हुआ, तो शहरों का पारस्परिक व्यापार अपना मिलजुल स्वाभाविक था। इसी प्रकार, विविध देश अपना स्वाभाविक परिस्थितियों के कारण पृथक् व्यवसायों में विशेषता प्राप्त करने लगे। इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी बहुत वृद्धि होने लगी।

इसमें सन्देह नहीं, कि व्यावसायिक क्रान्ति के परिणाम अन्धे व बुरे-दाना प्रकार के थे। गर्भव शिल्पियों का इसने कारण शुरू में बहुत दुर्दशा हुई। उनकी स्थिति स्वतन्त्र प्रतिष्ठित शिल्पी के प्रजाय पराश्रित मजदूर की हो गई। पर शहरों में ग्रामों में वे ज्ञान के उस प्रकाश को भी धीरे धीरे प्राप्त करने लगे, जिससे उन्हें अपनी स्थिति व अधिकारों की भलीभाँति पहचान हो गई। कुछ ही समय बाद, वे अपने हितों व अधिकारों की रक्षा के लिये संघर्ष में लग गये। और अब न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सनापजनक है, पर साथ ही राज्य पर भी उनका अतुल्य प्रभाव है। राज्य का राजनीतिक जीवन में उनका महत्त्व अब सबसे अधिक है। मानवसमाज का उत्थित या ढग यही है, कि एक परिचर्तन पहले अपने कुपरिणाम भी उत्पन्न करता है, पर धीरे धीरे बुराई का अन्त करके मनुष्य उत्थित के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है।

(५) अन्य देशों में व्यावसायिक क्रान्ति

व्यावसायिक क्रान्ति के क्षेत्र में नेतृत्व इङ्ग्लैंड ने किया, पर अन्य यूरोपियन देश भी उसके प्रभाव से बञ्चित नहीं रहे। फ्रांस में राज्य-क्रान्ति ने जिस नवजीवन को उत्पन्न किया, उसने कारण वहाँ के लोगों ने यान्त्रिकशक्ति और नई मशीनों को अपनाने में देर नहीं की। सन् १७८५ में कपड़े का पहला बड़ा कारखाना फ्रांस में खुला। इसके लिये सत्र मशीन इङ्ग्लैंड से मँगवाई गई थी। नैपोलियन ने

वस्त्र व्यवसाय को उन्नत करने के लिये बड़ा उत्साह दिखाया। परिणाम यह हुआ, कि १८१५ तक फ्रांस में भी चार लाख मन रूई प्रति वर्ष कपड़े के रूप में परिवर्तित होने लगे। सन् १८३१ तक यह संख्या बढ़कर सोलह लाख मन तक पहुँच गई। फ्रांस में भी वस्त्र व्यवसाय में हजारों मजदूर काम करने लगे। १८३१ में इस प्रकार के मजदूरों की संख्या ढाई लाख से ऊपर थी। रूई के अतिरिक्त, रेशम और ऊन के कपड़ों के व्यवसाय में भी फ्रांस ने बहुत उन्नति की। लियों और लील के नगर रेशमी कपड़ों के लिये संसार भर में प्रसिद्ध हो गये। साबुन, तेल, शराब, कागज, घड़ी, शीशा और अनेक व्यवसायों में फ्रांस इङ्ग्लैण्ड से भी आगे बढ़ गया।

उन्नीसवीं सदी के शुरु में इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस—दो ही देश यूरोप में व्यावसायिक दृष्टि से सबसे अधिक उन्नत थे। यही कारण है, कि साम्राज्यवाद के क्षेत्र में भी इन्हीं दो देशों में सर्घर्ष सबसे प्रबल था। अफ्रीका, भारत व एशिया के अन्य देशों में इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस अपना अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिये प्रयत्नशील थे।

जर्मनी में व्यावसायिक क्रान्ति का प्रारम्भ १८४५ के लगभग हुआ। उससे पहले, वहाँ आर्थिक उत्पत्ति प्रायः मध्यकाल की शैली से ही होती थी। जर्मनी के इस क्षेत्र में पिछड़ जाने का प्रमुख कारण वहाँ राजनीतिक एकता का अभाव था। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक भी जर्मनी में सैकड़ों छोटे बड़े राज्य थे—जो प्रायः परस्पर लड़ते रहते थे। पर एक बार जब प्रिंस विस्मार्क के कर्तृत्व से जर्मनी राजनीतिक दृष्टि से एक व शक्तिशाली हो गया, तो व्यावसायिक क्षेत्र में उन्नति करने में उसने असाधारण क्षमता प्रदर्शित की। उन्नीसवीं सदी के अन्त तक जर्मनी किसी भी प्रकार इङ्ग्लैण्ड व फ्रांस से व्यावसायिक क्षेत्र में कम नहीं रहा था।

वेल्जियम, डेनमार्क, हालैण्ड और स्वीडन अठारहवीं सदी के

अन्त में ही व्यावसायिक क्रान्ति के प्रभाव में आने लगे थे। पर स्पेन, इटली, आस्ट्रिया और रशिया उन्नीसवीं सदी के अन्त तक इस महान् आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव से प्रायः अछूते ही बचे रहे। इनमें उन्नीसवीं सदी के अन्त व बीसवीं सदी के प्रारम्भ में व्यावसायिक क्रान्ति के चिह्न प्रगट होने शुरू हुए और प्रथम यूरोपीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक भी इन देशों की व्यावसायिक दशा इङ्गलैण्ड, फ्रांस और जर्मनी की अपेक्षा बहुत पिछड़ी हुई थी।

यूरोप से मध्यकाल का अन्त होकर आधुनिक (माडर्न) युग के आने में जितना महत्त्वपूर्ण कार्य फ्रांस की राज्यक्रान्ति व उससे उत्पन्न हुई क्रान्ति की लहर ने किया है, उतना ही व उससे भी कहीं अधिक कार्य इस व्यावसायिक क्रान्ति ने किया है। विज्ञान का उपयोग शिल्प की उन्नति के लिये करके यूरोप के जनसमाज ने एक ऐसे युग का श्रीगणेश किया है, जिसके कारण मनुष्य प्रकृति की शक्तियों व भौतिक जगत पर निरन्तर विजय करता जा रहा है, और इनकी मानव समाज के सुख, समृद्धि और उत्कर्ष के लिये प्रयुक्त करने में समर्थ हो रहा है।

बाईसवाँ अध्याय

राष्ट्रीयता की भावना का विकास

(१) राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव

मनुष्यों में शुरू से यह प्रवृत्ति रही है, कि जिन लोगों की नसल, भाषा, धर्म, रीति रिवाज और ऐतिहासिक परम्परा एक हो, वे परस्पर मिलकर एक संगठन में संगठित हों। इस प्रकार के एक सदृश लोगों के समूह को जाति या कबीला कहते हैं। जब एक जाति किसी एक निश्चित भूखण्ड पर बसकर अपना एक राज्य बना लेती है, अपने को एक शासन में संगठित कर लेती है, तब वह राष्ट्र कहाने लगती है। इस प्रकार के राष्ट्र की यह स्वाभाविक आकांक्षा रहती है, कि वह अपनी पृथक् स्वतन्त्र सत्ता को कायम रखे, पड़ोसी राष्ट्रों व किसी शक्तिशाली सम्राट् द्वारा अपनी स्वतन्त्रता व पृथक् सत्ता पर आच न आने दें। राष्ट्र या राष्ट्रीयता की यह भावना मानवीय इतिहास की एक अत्यन्त प्रबल शक्ति है। प्राचीन ग्रीस व इटली के विविध छोटे छोटे राज्य इसी प्रकार की जातियों द्वारा निर्मित हुए थे। उन्हें ठीक अर्थों में राष्ट्र समझा जा सकता था। बाद में मैसिडोनियन और रोमन सम्राटों ने इन राष्ट्रों की स्वतन्त्रता का अन्त कर उन्हें अपने अधीन कर लिया। रोमन सम्राटों के विशाल साम्राज्य में विविध भाषा बोलने-वाले अनेक नसलों के लोग निवास करते थे। रोमन लोगों ने अपने

साम्राज्य में एक प्रकार की एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया, पर वे विभिन्न जनसमूहों की राष्ट्रीय भावना को पूर्णतया नष्ट नहीं कर सके।

रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, उसके भग्नावशेष पर जिन विविध राज्यों का निर्माण हुआ, उनकी तह में भी राष्ट्रीयता की भावना काम कर रही थी। इङ्ग्लैण्ड, फ्रांस, स्पेन और पोर्तुगाल इसके उदाहरण हैं। पर मध्यकालीन यूरोप की सामन्त पद्धति में यह सम्भव नहीं था, कि राज्य का आधार राष्ट्रीयता की भावना रही रहती। इस युग में विभिन्न महत्त्वाकांक्षी राजा अपने वशवर्ती सामन्तों की सहायता में अपनी शक्ति का विस्तार करते थे। अन्य राजाओं को अपने अधीन करने और दूसरे राजा के सामन्तों को अपना वशवर्ती बनाने में वे सदा तत्पर रहते थे। परिणाम यह था, कि आस्ट्रिया के सम्राट इटली को और स्पेन के सम्राट् हालैण्ड को अपने अधीन करने में सफल हुए। शार्लमेगन, फिलिप द्वितीय आदि मध्यकाल के शक्तिशाली राजाओं के राज्यक्षेत्र का आधार राष्ट्रीयता न होकर उनकी अपनी शक्ति व विभिन्न सामन्तों की वशवर्ती रखने का क्षमता था।

फ्रांस की राज्यक्रान्ति ने जिन नई शक्तियों व प्रवृत्तियों को जन्म दिया, राष्ट्रीयता का भावना उनमें प्रमुख है। जो लोग धर्म, भाषा, नस्ल, रीति रिवाज और ऐतिहासिक परम्परा के अनुसार एक हैं, उनका अपना पृथक् राज्य होना चाहिए, और इस राज्य में किसी एक स्वच्छान्वारी राजा का शासन न होकर सर्वसाधारण जनता का लोकमत के अनुसार शासन होना चाहिए, यह सिद्धान्त फ्रांस की राज्यक्रान्ति की मुख्य देन है। इसी कारण, जब लुई सोलहवाँ पेरिस से भाग निकला, तो एक फ्रांसीसी ने कहा था 'यदि राजा भाग गया, तो कोई बात नहीं। फ्रेंच राष्ट्र तो विद्यमान है।' रुसो ने कहा था— 'यह जनता ही होती है, जिससे वस्तुतः राज्य का निर्माण होता है।' राष्ट्रीयता की भावना फ्रेंच राज्यक्रान्ति में बड़ी प्रचलता से काम कर

(२) १८१५ के बाद राष्ट्रीयता की भावना

नैपोलियन के पतन के बाद यूरोप का पुनः निर्माण करने के लिए जो राजनीतिज्ञ वीएना में एकत्र हुए थे, उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना की पूर्णतया उपेक्षा की। इन राजनीतिज्ञों का प्रयत्न यह था, कि यूरोप के पुराने राजवंशों की सत्ता व अधिकारों का पुनरुद्धार करें। वीएना की कांग्रेस में फ्रांस की राज्यक्रान्ति के सब निहत्ता का नाट्य पुराने यूरोप की स्थापना की गई। पर इतिहास में जो शक्ति एक बार उत्पन्न हो जाती है, उसे सदा के लिए दबाकर रखना सम्भव नहीं होता। १८१५ के बाद उन्नीसवीं सदी का सम्पूर्ण यूरोपियन इतिहास वीएना की कांग्रेस की कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया व क्रान्ति की प्रवृत्तियों की सफलता के लिये किये गये संघर्ष का इतिहास है। व्यावसायिक क्रान्ति द्वारा जन साधारण में एक जागृति उत्पन्न हो गई थी। इसी जन साधारण ने राष्ट्रीय भावना को अपनाया, और यह अपना ध्येय बनाया कि जो लोग राष्ट्रीय दृष्टि से एक हैं, उनका पृथक् संगठन हो, और इस स्वतन्त्र संगठन में लोकमत के अनुसार शासन हो। उन्नीसवीं सदी से यूरोप में इटली, जर्मनी, बेल्जियम, ग्रीस आदि कितने ही राज्यों का पुनः संगठन राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के अनुसार किया गया, और सर्वत्र देशभक्त लोग इसी सिद्धान्त की सफलता के लिए कार्य करते रहे।

उन्नीसवीं सदी का यूरोप का साहित्य देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। बर्टस्वर्थ, जैसू कप्लि ने फ्रांस की राज्यक्रान्ति को दृष्टि में रखते हुए लिखा था—'प्रतीत होता है, मानवता ने एक बार फिर जन्म लिया है।' इस काल के सभी अंग्रेज कवियों की रचनाएँ नई भावनाओं का प्रतिपादन करती हैं। न केवल इंग्लैण्ड अपितु फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि सभी देशों के साहित्यिक इस समय

में राष्ट्रीयता के अनुयायी थे। यह युग देश प्रेम और राष्ट्र भक्ति का था।

न केवल साहित्य द्वारा, अपितु गुप्त समितियों द्वारा भी इस युग में राष्ट्रीयता और देशभक्ति का प्रचार किया जा रहा था। साहित्य के प्रचार पर इस समय तीसरे अनेक प्रकार की पाबन्दियाँ लगाती थीं। पश्चिम यह हुआ, कि इस भावना का प्रचार गुप्त समितियों द्वारा होने लगा। दक्षिणी इटली में कारपोनारी नाम की एक गुप्त समिति संगठित हुई, जिसका उद्देश्य 'राष्ट्रीय एकता' और 'राजनीति में स्वतन्त्रता' की स्थापना करना था। १८२० में स्पेन, पोर्तुगाल और इटली में जो क्रान्तियाँ हुईं, उनमें इस समिति का बड़ा हाथ था। १८३० और १८४८ में फ्रांस से शुरू होकर क्रान्ति की जो लहरें यूरोप भर में व्याप्त हुईं, उनमें इस गुप्त समिति का कर्तृत्व बड़े महत्त्व का था। १८३१ में मैजिनी ने 'युवक इटली' नामक समिति का संगठन किया। इसके सब सदस्य यह प्रण करते थे, कि वे इटली की राष्ट्रीय एकता और स्वतन्त्रता के लिए प्राणपण से यत्न करेंगे। १८४८ की क्रान्ति के समय में इस समिति के सदस्यों ने हजारों की संख्या में भाग लिया। मैजिनी अपनी राष्ट्रीय भावना को केवल इटली तक सीमित नहीं रखना चाहता था। उसकी यह योजना थी, कि 'युवक इटली' के समान ही 'युवक इंगरी', 'युवक पोलेण्ड' और 'युवक ग्रान्जलैंड' का संगठन करें, और इन देशों में भी राष्ट्रीय एकता व स्वतन्त्रता की स्थापना हो। मैजिनी का स्वप्न था, कि सारे यूरोप में राष्ट्रीय भावना फैलीभूत हो, और राजाओं के स्पेच्छाचारी शासनो का अन्त होकर 'युवक यूरोप' का प्रादुर्भाव हो।

मैजिनी का यह स्वप्न आगे जाकर पूर्ण हुआ। यूरोप के सभी देशों में राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के अनुसार राज्यों का निर्माण हुआ, और इन नये राष्ट्रों में लोकतन्त्र सरकारों की स्थापना हुई। पर

लिए जनता को घोर सवर्ष करना पडा। उन्नीसवीं सदी के यूरोप के इतिहास पर हम अगले अध्यायों में जो प्रकाश डालेंगे, उसमें इसी सवर्ष का वृत्तान्त होगा।

(३) नये शासन-विधानों का निर्माण

उन्नीसवीं सदी के यूरोप के राजनीतिक इतिहास पर विचार करते हुए इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती, कि इस युग में प्रायः सब देशों में नये शासन विधानों का निर्माण किया गया। लार्ड माले के अनुसार १८०० से १८८० तक अस्सी सालों में यूरोप के विविध देशों में जो नये शासन विधान बने, उनमें संख्या ३०० से भी ऊपर थी। ये शासन विधान उन नई राजनीतिक भावनाओं के मूर्तरूप थे, जो इस समय यूरोप में जोर पकड़ रही थी। जिन देशों में क्रान्ति द्वारा नई सरकार की स्थापना होती थी, वहाँ नये शासन विधान का निर्माण होता ही था। अन्य देशों में भी समझदार राजा लोग लोकमत की बढ़ती हुई शक्ति को अनुभव कर रियायत के रूप में शासन विधान का निर्माण कराते थे, ताकि जनता का आशिक रूप से सतुष्ट कर वासि से देश की रक्षा की जाय। पर यह ध्यान रखना चाहिए, कि इन शासन विधानों की सफलता इस बात पर निर्भर थी, कि जनता कितनी जागृत है, और उसमें नई प्रवृत्तियाँ कितनी जोर पकड़ चुकी हैं।

तेईसवाँ अध्याय ,

क्रान्ति की तीसरी लहर

(१) फ्रांस की तृतीय राज्यक्रान्ति

नई और पुरानी प्रवृत्तियाँ म जिस प्रकार यूरोप भर में सघन चल रहा था, उस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं । फ्रांस की पहली राज्यक्रान्ति ने तिन नवीन भावनाओं को उत्पन्न किया था, वे भयंकर विराध के हाते हुए भी धीरे धीरे सफलता प्राप्त कर रही थीं । मनुष्य जात जीवित, जाशुत प्राणी के समान एक जीव है । इस कारण उसमें ग्राकस्मिन् परिवर्तन नहीं हो सकते । क्रान्ति की प्रवृत्तियाँ भी एतदम मानवीय जाति को परिवर्तित नहीं कर सकती थीं । वे पुरानी प्रवृत्तियों से सभ्य कर रही थीं और धीरे धीरे सफल होती जाती थी । पहला राज्यक्रान्ति ने फ्रांस को बहुत कुछ उदल दिया था । १८३० की दूसरी राज्यक्रान्ति ने इस सिद्धान्त को भली भाँति स्थापित कर दिया था, कि राजा चुनने का अधिकार जनता का है । देश का शासन किस ढंग से होना है, वह निश्चित करना जनता का कार्य है । अब १८४८ की तीसरी क्रान्ति ने फ्रांस का राजनीतिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़ा दिया । इस क्रान्ति का प्रभाव केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा । पहली और दूसरी क्रान्तियों के समान १८४८ की इस तीसरी राज्यक्रान्ति की लहरें भी यूरोप के उडे भाग में व्याप्त हो गईं ।

१८३० की अपेक्षा १८४८ की क्रान्ति अधिक प्रबल तथा व्यापक थी। यूरोप भर में जो नई प्रवृत्तियाँ कार्य कर रही थी, वे १८४८ में एक दम बड़े वेग के साथ फूट पड़ी थी। यद्यपि क्रान्ति का प्रथम प्रस्फोट इटली में हुआ था, तो भी फ्रांस की क्रान्ति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम सबसे पूर्व उसी का वर्णन करेंगे। १९वीं सदी में फ्रांस क्रांतिकारी यूरोप का सबसे प्रमुख केन्द्र स्थान था।

रिपब्लिकन दल—१८३० की क्रान्ति में फ्रांस की जनता ने स्वेच्छाचारी राजा चार्ल्स दशम को पदच्युत कर अपनी इच्छा से लुई फिलिप को राजगद्दी पर बिठाया था। गुरू गुरू में लुई फिलिप ने जनता की इच्छा के अनुसार शासन करने का प्रयत्न किया। पर उसे सफलता नहीं हुई। उसके विरोधियों की कमी नहीं थी। चौथों राजवंश के पक्षपाती फिर से स्वेच्छाचारी राजसत्ता स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे। कुलीन और पुरोहित लोग राजसत्ता को जनता के अधीन नहीं कर देना चाहते थे। कुछ लोग नेपोलियन के वंशजों को फ्रांस की राजगद्दी पर देखना चाहते थे। उनकी सम्मति में 'नेपोलियन' इस नाम में ही कोई ऐसा अद्वैत जादू था, जो फ्रांस की सम्पूर्ण समस्याओं को बात की बात में हल कर सकता था। परन्तु लुई फिलिप के सबसे प्रबल विरोधी 'रिपब्लिकन दल' के लोग थे। इनकी सम्मति में लुई फिलिप का शासन क्रान्ति के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं था। फ्रांस में पूर्ण लोकतन्त्र रिपब्लिक स्थापित करना इनका उद्देश्य था। इस समय में क्रैञ्च जनता का एक बड़ा भाग अपनी हालत से गर्वथा असंतुष्ट था। कल कारग्वानों की उन्नति के साथ साथ शमी लोगों की संख्या बढ़ती जाती थी। ये शमी शहरों में रहते थे, गाँव के लोगों की तरह भोले भाले नहीं थे। राजनीतिक और सामाजिक समस्याएँ इनके लिए अज्ञेय रहस्य नहीं थी। ये लोग कहते थे—हमने रिपब्लिक का जमाना देखा, नेपोलियन का शासन देखा, फिर चौथों सम्राटों का

स्वेच्छाचार भी देगा—हमारी हालत तो किसी से भी अच्छी नहीं हुई । यदि फ्रांस में वैध राजसत्ता या रिपब्लिक भी स्थापित हो गया, तो हमारा क्या ? 'कोउ नृप होय हमें का हानी, चेरी छाड़ि नहीं होउव रानी,' इस बात के तथ्य को इन लोगों ने खूब अच्छी तरह अनुभव किया हुआ था । वैध राजसत्ता या रिपब्लिक किसी ने भी इन श्रमियों या किसानों की दशा को सुधारने का प्रयत्न नहीं किया था । लुई फिलिप के शासन से मध्यश्रेणी के लोग बहुत असंतुष्ट नहीं थे । मध्यश्रेणी ने ही उसे राजगद्दी पर बिठाया था—उन्हीं का वोट का अधिकार प्राप्त था, वे ही पार्लियामेंट के सदस्य चुने गये थे, टैक्सों का फैसला करते थे, कानून बनाते थे । पर सर्वमाधारण लोग ? इन्हें वोट का अधिकार प्राप्त नहीं था, शासन में इनका कोई हाथ नहीं था । इनके लिए लुई फिलिप की पार्लियामेंट का शासन भी वैसा ही था, जैसा कि लुई १६वें या चार्ल्स दशम का । ये असंतुष्ट लोग हमेशा क्रान्ति के लिए उत्सुक रहते थे । क्रान्ति से उन्हें कोई हानि नहीं पहुँच सकती थी । इन्हें तो अव्यवस्था, परिवर्तन और क्रान्ति से लाभ ही लाभ था । रिपब्लिकन दल को इनका बड़ा भरोसा था । क्रान्ति शुरू होते ही ये लोग उसमें जी जान से सम्मिलित हो सकते थे ।

लुई फिलिप के शासन का अन्त करने में इन किसानों और मजदूरों का ही हाथ नहीं था । उदार विचारों के पढ़े-लिखे समझदार लोग भी उसके विरुद्ध थे । धीरे धीरे लुई फिलिप का शासन भी पुराने स्वेच्छाचारी एकतन्त्र ढंग की तरफ मुड़ता जाता था । १८३० की क्रान्ति की लहर ने जय पोलैण्ट, जर्मनी और इटली में विद्रोह की आगि को भिड़ना दिया, तो ये उदार विचार के लोग उनकी भरसक सहायता करने के पक्ष में थे । वे आशा करते थे कि लुई फिलिप—जिसने कि क्रान्ति के कारण ही राजगद्दी प्राप्त की है, अवश्य ही अन्य देशों के क्रान्ति-चारियों से महानुभूत रक्खेगा । पर उन्हें निराश होना पड़ा । लुई

फिलिप ने अन्य देशों के क्रान्तिकारियों को सहायता पहुँचाने से साफ इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त, लुई फिलिप का प्रधानमन्त्री गुदजो प्रोटेस्टेण्ट धर्म को मानने वाला था, उस समय के फ्रांस में धर्म पर्याप्त महत्त्व रखता था। फ्रांस की रोमन कैथोलिक जनता इस बात को नहीं सहन कर सकती थी कि उनका प्रधान मन्त्री प्रोटेस्टेण्ट धर्म का अनुयायी हो। लुई फिलिप के पक्षपाती लोग बहुत थोड़े थे। मध्यश्रेणी के ग्रामीर लोग ही, जिनका पार्लियामेंट में प्राधान्य था और जो वैध राजसत्ता के नाम पर अपनी मनमानी करने में समर्थ हो रहे थे, उनके शासन का एकमात्र आधार थे।

विद्रोहों का प्रारम्भ—रिपब्लिकन लोग लुई फिलिप के शासन का अन्त करने के लिए भरमझ कोशिश कर रहे थे। उनको कतल करने के लिए भी छः बार प्रयत्न किया गया, पर सफलता नहीं हुई। कई स्थानों पर विद्रोह भी हुए, पर सरकार ने उन्हें सुगमता से शान्त कर दिया। राजा पर तरह तरह के आरोप किये जाने लगे, अखबारों में उसका मजाक उड़ाया जाने लगा। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ, कि राजा ने अपने विरोधियों को चुचलने के लिए प्रचण्ड उपायों को प्रयुक्त करने का निश्चय किया। जासूसों का संख्या बढ़ा दी गई। गुप्त समितियों को तोड़ा गया। प्रेस की स्वतन्त्रता छीनी गई। लोगों को स्वतन्त्रतापूर्वक सभा करने को रोकना गया। इन सब उपायों का परिणाम यह हुआ कि जनता उत्तेजित हो गई और अक्टूबर १८४८ में एक बार फिर फ्रांस में विद्रोह की अग्नि प्रचण्ड हो उठी। लुई फिलिप के शासन का अन्त हो गया और रिपब्लिक स्थापित हुई।

क्रान्ति का सूत्रपात—यह क्रान्ति किस प्रकार हुई, इसका वर्णन करने को आवश्यकता है। १८४७ में सुनार के पक्षपाती उदार विचारों के लोगों ने फ्रांस भर में सभाएँ करने का निश्चय किया। इन सभाओं का उद्देश्य यह था, कि एक प्रार्थना पत्र पर अधिक से अधिक

अव्यवस्था और विद्रोह की शक्तियाँ बलवती हो गईं। गुण्डों और बदमाशों को अपना काम करने का मुवर्णावसर हाथ लग गया। दूकानें लुटने लगीं। बाजार में मोर्चाबन्दी शुरू हो गई। इस आकस्मिक तूफान से राजा आश्चर्यचकित रह गया। जनता को शान्त करने के लिए राजा को प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि उनके मनोवाञ्छित मुद्धार स्वीकृत कर लिये जावेंगे।

लुई फिलिप का अन्त—सम्भवतः, १८४८ की क्रान्ति यहीं पर समाप्त हो जाती। क्रान्तिकारियों के लिए यही पर्याप्त था, उन्होंने राजा को जनता की इच्छा के सम्मुख मुका दिया था। वे वैध राजसत्ता में सतुष्ट हो सकते थे। परन्तु इसी बीच में एक ऐसी घटना हो गई, जिसने २२ फरवरी के प्रचण्ड आन्दोलन को एक भयंकर क्रान्ति के रूप में परिवर्तन कर दिया। उस समय में फ्रांस का प्रधान मन्त्री गुदजो था। लोग इससे बहुत असंतुष्ट थे। २३ फरवरी को बहुत से लोग इनके मकान के चारों तरफ टपटपे हो गये। सरकार को डर था कि वहाँ गुंडों के मकान पर हमला न हो जावे। गोली चलाने का हुक्म दिया गया। गोलियों की वीछार में २३ आदमी मरकर गिर गये। ३० के लगभग लुगी तरह घायल हो गये। क्रान्ति के समय पुलिस प्रायः इसी तरह की गलती किया करती है। भोड़ को तितर बितर करने के और भी तरीके थे, पर शक्ति के मद से मस्त हुई पुलिस ने निहत्थी जनता पर गोलियाँ छोड़ने में संकोच नहीं किया। गोला-बारी का समाचार सुनकर लोगों में उत्तेजना फैल गई। मृत लोग शहाद बना दिये गये। बड़ी धूम-धाम से उनकी लाशों का जुलूम निगाला गया। लाशों को देखकर लोग भड़क गये। पहले दिन तो 'मुद्धारों की जय' के नारे लगाये जा रहे थे। अब उनकी जगह पर 'रिपब्लिक की जय' के नारे शुरू हुए। गोला बारी का जिम्मेदार राजा को ठहराया गया और जनता राजसत्ता का ही अन्त कर देने के लिये उतावली हो गई।

२२ फरवरी का लाग वैध राजमत्ता से मतुष्ट थे। पर अगले दिन ? गोली चल चुकने के बाद ? गजा के अन्त रिपब्लिक और के सिवा अन्य कोई चीज उन्हे मतुष्ट नहीं कर सकती थी।

२५ फरवरी को पेरिस भग में लड़ाई शुरू हो गई। बाजारों और गलियों में मोर्चाबन्दी कर ली गई। पुल मिलाकर १५०० मोर्च बनाये गये थे। दीवारा पर उडे उडे इशितहार निपटाये गये। उनमें लिगा था—“लुई फिलिप भी हमें उसी तरह बल्ल करता है, जैसे १०वां चार्ल्स करता था। लुई को भी चार्ल्स के पास भेज दो।” लोग हगियारों का ढूँढ में निकल पये। जो कुछ हाथ में आया वही लेकर क्रान्ति के वीर राजमत्ता के अन्त और रिपब्लिक की स्थापना के लिए पेरिस की गलियाँ का चक्कर मारने लगे। राजा ने सिपाहिया को हुक्म दिया—लोगों को गोला से उडा दो। पर सिपाहिया ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। क्रान्तिकारियों की भीड़ ने दुइलर्स के राजप्रासाद को घेर लिया। राजमहल की खिडकियों पर गलियों की बौछार होने लगी। लुई फिलिप घबडा गया। राज्य छोडकर भाग जाने क सिवा अन्य कोई चारा न था। अपने पोते ‘पेरिस के खिडक’ का राजगद्दी पर बिठाकर उसने फ्रांस से भाग जाने का निश्चय किया। लुई ने अपना वेश बदल लिया, अपने को ‘डॉ० स्मिथ’ बताकर वह ग्रेट ब्रिटेन पहुँचने में सफल हो गया। प्रधान मन्त्री गुडजो ने उसका अनुसरण किया। इसी बीच में क्रान्तिकारियों की भीड़ राजप्रासाद को तोडने-फोडने में लगी हुई थी। महल के सम्पूर्ण साज सामान को लूट लिया गया। राजसिंहासन का आग लगा दी गई। लोग कहते थ—इस गद्दी की क्या जरूरत है ? फ्रांस में अब सदा के लिए रिपब्लिक ही कायम रहेगी।

सामयिक सरकार—राजसत्ता का अन्त हो गया। अब नवीन सरकार के स्थापित करने की समस्या सम्मुख उपस्थित हुई। १८४८-

की यह क्रान्त अरुस्मात् प्रादुर्भूत हो गई थी। लोगों इसके लिये तैयार नहीं थे। इसलिए लुई निलिप के फ्रांस छोड़कर ग्रेट ब्रिटेन भाग जाने के बाद विविध दलों के लोग भावी सरकार का निर्माण करने के लिए विचार करने लगे। साम्यवादी रिपब्लिकन दल के नेता पूर्वाय पेरिस के एक होटल में एकत्रित हुए। उनका खयाल साम्यवादी दंग की रिपब्लिक स्थापित करने का था। साम्यवाद के लाल झण्डे को पहनाते हुए उन्होंने उद्घोषित किया कि फ्रांस में रिपब्लिक की स्थापना की जाती है। प्रत्येक नागरिक को हक है कि वह मजदूरी प्राप्त कर सके। मजदूरों को अपने सघ बनाने का अधिकार है। इसी प्रकार से अन्य भी बहुत से साम्यवादी सिद्धान्तों को उद्घोषित किया गया। जिस समय पूर्वाय पेरिस में साम्यवादी लोग अपने दंग की रिपब्लिक की उद्घोषणा कर रहे थे, उसी समय पेरिस के पश्चिमीय भाग में सामान्य रिपब्लिकन दल के नेता पुराने राष्ट्र प्रतिनिधि सभा के भवन में एकत्रित हुए। उन लोगों ने भी राजमत्ता का अन्त होकर रिपब्लिक के स्थापित होने की उद्घोषणा की। आखिर, दोनों दलों के लोगों की सम्मिलित बैठक हुई। सामयिक सरकार का निर्माण किया गया और निश्चय हुआ कि स्थिर रूप से रिपब्लिकन सरकार का संगठन करने और नवीन शासन विधान का निर्माण करने के लिए एक राष्ट्रीय महासभा का निर्वाचन कराया जावे। इस महासभा के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार फ्रांस के प्रत्येक पुरुष को दिया गया। ५ मार्च १८४८ का दिन निर्वाचन के लिए निश्चित किया गया।

राष्ट्रीय महासभा के निर्वाचन और स्थिर सरकार की प्रतीक्षा किये बिना ही सामयिक सरकार ने सुधारों का कार्य प्रारम्भ कर दिया। सामयिक सरकार में साम्यवादी लोगों का बहुत जोर था। फ्रांस का प्रमुख साम्यवादी अर्थशास्त्री लुई ब्लॉ 'सार्वजनिक कार्य-

सचिव' के पद पर नियत था। इस सरकार ने अपनी साम्यवादी योजनाओं को यथेष्ट रूप से क्रिया में परिणत किया। बेकार मजदूरों को काम दिलाने के लिए 'राष्ट्रीय कारखानों' की स्थापना की गई। जो आदमी चाहे, मजदूरों की 'राष्ट्रीय सेना' में भर्ती हो सकता था। राज्य के पास इन बेकार मजदूरों के लिए कोई काम न था, पर उन्हें संतुष्ट करने के लिए हमें नये नये कार्यों की सृष्टि की गई। साई खोदने और किले बनाने के लिए सवा रुपया रोज के हिसाब से प्रत्येक आदमी को मजदूरी दी गई। बहुत बड़ी संख्या में बेकार लोग राष्ट्रीय मजदूर सेना में भर्ती हुए। धीरे धीरे इन 'सेनिकों' की संख्या एक लाख से ऊपर पहुँच गई। सवा लाख से अधिक रुपया प्रतिदिन केवल बेकारों को संतुष्ट करने के लिए निरर्थक कार्यों पर खर्च होने लगा। राज्य के पास इतना धन नहीं था। बेकारों की संख्या अनन्त थी। 'राष्ट्रीय मजदूर सेना' सरकार के लिए एक समस्या बन रही थी। परन्तु-साम्यवादी दल का जोर था। उन्हें असंतुष्ट करने का साहस सरकार को नहीं हो सकता था। यादगिर, समझदार रिपब्लिकन नेताओं ने एक कोशलपूर्ण चाल चली। उन्होंने प्रस्ताव किया कि मजदूरों की दशा का सुधार करने के लिए एक पृथक् उपसमिति का निर्माण कर दिया जावे, जो विशेष रूप से इसी कार्य में लगी रहे। लुई ब्लां को इस उपसमिति का प्रधान बनाया गया। साम्यवादियों ने समझा, इस उपसमिति द्वारा हम अपने उद्देश्य को भली भाँति पूर्ण कर सकेंगे। पर यह उनकी भारी भूल थी। वस्तुतः, इस उपसमिति के कारण उनका प्रभाव सरकार में कम हो गया। वे मजदूरों में कार्य करने, सुन्दर सुन्दर व्याख्यान देने और अपने उदात्त सिद्धान्तों को व्याख्या करने में व्याप्त हो गये। अपनी योजनाओं को क्रिया में परिणत करने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी। पर धन उनके पास नहीं था। यह सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं मिल सकता

था और सरकार में उनका प्रभाव कम हो रहा था। वहाँ के अपना योजनाओं में स्वीकृत नहीं करा सकते थे।

मजदूर उपसमिति ने अपना कार्य बड़े जोर शोर से प्रारम्भ किया। एक मार्च के दिन मजदूर पार्लियामेंट का याचना तैयार हुई। प्रत्येक व्यक्तियों के प्रतिनिधि बुलाये गये। १० मार्च का मजदूर पार्लियामेंट का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। पार्लियामेंट के लिए बंद भवन लिया गया, जिसमें पहले कुलीन सरदारों की सभा का अधिवेशन होता था। यह वही भवन था, जिसमें पहले अनेक बार मजदूरों के विरुद्ध अनेकविध नानूना का निमाण हुआ था। इस भवन में कुलीनों के विशेष अधिकारों की रक्षा के लिए कितने ही प्रयत्न किये जा चुके थे। परन्तु १० मार्च १८८८ को इस शानदार भवन में मजदूरों की दशा का सुधारने के लिए उपाय मोचे जा रहे थे। कितना महान् और अद्भुत परिवर्तन था। लुई ब्ला अपने आवेश को रोक न सका। अपने प्रारम्भिक भाषण में उसने कहा— 'जिन आसना पर पहले गोटे किनारियाँ सन्निभूयित काट पहने हुए लोग विराजमान होते थे, आज उन पर मैं क्या देखता हूँ? आज उन पर वे लोग बैठे हैं, जिनके कपड़े ईमानदार मेहनत के कारण चिथड़े चिथड़े हो गये हैं।' मजदूर पार्लियामेंट ने अपना कार्य बड़े उत्साह से प्रारम्भ किया। सम्भवतः, यह पहला ही अवसर था, जब फ्रांस भर के मजदूरों के प्रतिनिधि अपनी समस्याओं पर विचार करने के लिए एक स्थान पर एकत्रित हुए थे। पर यह पार्लियामेंट बहुत कुछ नहीं कर सकी। इसके पास योजनाएँ तो बहुत थीं, पर रुपये का सर्वथा अभाव था। लुई ब्ला चाहता था कि मजदूरों की सहयोग समितियाँ तैयार की जावें, जिनमें कि मजदूर लोग अपनी पैदावार के अपने आप मालिक हों। पर रुपये के अभाव में वह क्या करता? वह असहाय था।

यता से राजसत्ता का अन्त हो सकता था, तो अब रिपब्लिकन सरकार को भी ये अन्ध्या सबक सिखा सकते थे।

नेमार मजदूरों ने विद्रोह कर दिया। पेरिस के उन मुहल्लों में जहाँ मजदूरों की बस्तियाँ थीं, मोरचाबन्दी कर ली गई। मजदूर लोग हथियार लेकर निकल पड़े। २३ जन मे २६ जन तक निरन्तर चार दिन तक पेरिस को गलियों में लटाई जारी रही। चारों दिनों में १० हजार आदमा कतल हो गये। इस विद्रोह को शान्त करना सरकार के लिये सुगम कार्य न था। विद्रोह ने दतना प्रचण्ड रूप धारण कर लिया था कि किसी एक व्यक्ति को एकाधिकारी (डिक्टेटर) बनाने को आवश्यकता अनुभव हुई। सेनापति कॅविग्नेट को यह पद दिया गया और उसने बड़ी कूरता से विद्रोह को शान्त किया। मजदूर लोग अच्छे योद्धा न थे, उन्हें हथियार चलाने का अन्ध्या अभ्यास नहीं था। इसके अतिरिक्त वे भूखे और नङ्गे थे। सरकार को सही हुई सेनाओं का मुकाबला कर मरना उनके लिये आसान बात न थी। वे परास्त हो गये। सरकार ने उनसे भयङ्कर बदला लिया। बिना किसी मुकदमे के, चार हजार में अधिक आदमियों को देश निकाला दिया गया। मजदूर नेताओं का बाजार बीच गोलों से उड़ा दिया गया। ११ हजार आदमी केंद्र किये गये। मजदूर दल के ३२ अखबारों को बन्द कर दिया गया। उनके सम्पादकों और लेखकों को कठोर सजायें दी गईं। मजदूर-विद्रोह शान्त तो हो गया, पर सरकार के इन अत्याचारों का परिणाम यह हुआ कि गरीब मजदूर लोग रिपब्लिकन दल से सर्वथा विमुख हो गये। फ्रांस दो भागों में विभक्त हो गया—मध्य श्रेणी के लोग और सर्वसाधारण गरीब लोग। इस समय राजसत्ता मध्य श्रेणी के हाथ थी। वे गरीब मजदूरों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। राज्यक्रान्ति ने एकतन्त्र राजसत्ता का तो अन्त कर दिया था, पर अभी शासनसूत्र सर्वसाधारण के हाथ में नहीं

आया था। मनुष्य जाति ने लोकसत्ता की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम तो उठाया था, पर लोकसत्ता का वास्तविक आदर्श उसकी पहुँच से अभी बहुत काफी दूर था।

नया शासन विधान—इस प्रकार भजदूरो की समस्या का हल कर राष्ट्रीय महासभा नवीन शासन-विधान तैयार करने के कार्य में व्यापृत हुई। प्रथम प्रश्न यह था कि शासन का प्रकार क्या हो? महासभा में कुछ लोग राजसत्ता के भी पक्षपाती थे। परन्तु उनकी संख्या बहुत कम थी, इसलिये यह बात तो सुगमता से ही निश्चित हो गई कि शासन का प्रकार रिपब्लिक रहेगा। साम्यवादी सिद्धान्तों का निराकरण करने के लिये यह बात भी उद्घोषित की गई कि सम्पत्ति पर वैयक्तिक अधिकार अक्षुण्ण रखा जावेगा। इसने अनिश्चित, साम्यवाद का स्पष्टरूप से भी विरोध किया गया। नवीन शासन-विधान में कानून बनाने का कार्य एक राष्ट्रप्रतिनिधि सभा के सुपुर्द किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या ७५० रखी गई। प्रतिनिधि सभा के सदस्य तीन वर्ष के लिये चुने जावें, यह व्यवस्था की गई। इस एक सभा को कानून बनाने के सम्पूर्ण अधिकार दिये गये। इसका नियन्त्रण करने के लिये किसी दूसरी सभा की रचना नहीं की गई। शासन-विभाग का अध्यक्ष राष्ट्रपति को बनाया गया, जिसे कि जनता न्यून वोटों द्वारा ४ वर्ष के लिये निर्वाचित करती थी। क्रान्ति के सिद्धान्तों की निर उद्घोषणा की गई। दामप्रथा को उखाड़ा गया और यह व्यवस्था की गई कि राजनीतिक अपराधों के लिये किसी व्यक्ति को प्राणदण्ड न दिया जा सके।

तीन व्यक्ति थे—लेट्टु रोला मजदूर दल का उम्मीदवार था। सेनापति कैविग्नेन रिपब्लिकन दल की तरफ से गढ़ा हुआ था, यह वही सेनापति है, जिसने जुलाई के मजदूर विद्रोह को बड़ी क्रूरता के साथ शान्त किया था। इनके अतिरिक्त, रिपब्लिकन दल की ओर से ही एक अन्य उम्मीदवार था, जिसका नाम था—लुई नैपोलियन। यह प्रसिद्ध विजेता नैपोलियन प्रथम का भतीजा था। निर्वाचन में लुई नैपोलियन को सफलता हुई। उस अनेले को ५४ लाख वोट प्राप्त हुए, जब कि उसके प्रतिद्वन्द्वियों को मिलाकर २० लाख वोट प्राप्त हुए थे। नैपोलियन के नाम में कुछ ऐसा जादू था जो उसकी मृत्यु के एक सन्तति बाद भी उसके भतीजे की इस असाधारण सफलता में इस प्रकार सहायक हुआ था। राष्ट्रपति निर्वाचित होकर लुई नैपोलियन ने रिपब्लिक के प्रति भक्ति की शपथ ली और उद्घोषित किया—

“फ्रांस ने जो कुछ इस समय स्थापित किया है, उसे गैर कानूनी तरीकों से परिवर्तित करने की जो कोई आदमी कोशिश करेगा, उसे मैं देश का दुश्मन समझूंगा।”

नैपोलियन ने स्वयं किस प्रकार अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन किया, इस पर हम आगे चलकर प्रकाश डालेंगे। यहाँ इतना निर्देश कर देना पर्याप्त है, कि अपने सुप्रसिद्ध चचा की तरह उसने भी पहले रिपब्लिक के प्रधान की स्थिति में अपनी वैयक्तिक शक्ति को बढ़ाना प्रारम्भ किया और फिर धीरे धीरे ‘सम्राट्’ के पद तक पहुँच गया। १८४८ में वह राष्ट्रपति चुना गया था और १८५२ में वह सम्राट् बन गया। फ्रांस की दूसरी रिपब्लिक पूरे चार वर्ष तक भी कायम नहीं रह सकी। इतने थोड़े से समय में ही रिपब्लिक का अन्त होकर राजसत्ता की स्थापना हो गई। वस्तुतः अभी तक भी फ्रांस की जनता ने रिपब्लिक और लोकसत्तावाद के महत्त्व को पूर्णतया अनुभव नहीं किया था। ये सिद्धान्त उदात्त अवश्य थे, जनता का वास्तविक कल्याण भी

इन्हा के क्रिया में परिणत होने में था। पर इससे क्या हुआ ? ये सफल तभी हो सकते थे, जब कि जनता—सबसाधारण जनता भी इन्हें ऐसा ही समझने लगे। पर वे लोग जो सदिना ने राजकीय मामलों को एक ऐसी चीज समझते आये थे, जो मि उनका पहुँच से बाहर है, जिससे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है, वे अब एफ़दम कैसे बदल सकते थे। नैपालियन सम्राट् बन गया, रिपब्लिकन दल की कलना में इस पर टीका टिप्पणी हो गई, कुछ अखबारों में चर्चा हो गई—पर सबसाधारण लोग ? उन्हें इससे क्या प्रयोजन था ? उन्होंने इसकी जरा भी परवाह न की।

पर इसमें सन्देह नहीं कि १८४८ की राज्यक्रान्ति ने फ्रांस में लोकतन्त्र के मार्ग पर बहुत अधिक आगे बढ़ा दिया। इसी क्रान्ति में पहले पहल राजनीतिक क्रान्ति के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक क्रान्तियों का भी सूत्रपात हुआ। फ्रांस में कुछ समय तक साम्यवादी लोगों का जोर रहा। अन्य बहुत से अधिकारों की तरह मनुष्य का यह भी प्राकृतिक अधिकार है कि वह अपनी राची ममाने के लिये मजदूरी प्राप्त कर सके—इस सिद्धान्त को पहली बार क्रिया में परिणत किया गया।

शेराक, इसके लिये किया गया प्रयत्न पुरी तरह असफल रहा। पर इसमें आश्चर्य की क्या बात है ? मनुष्य जाति इतनी पुरानी होती हुये भी हमेशा एक बालक की तरह रहती है, जिसे एक नई चीज सीखने के लिये बार बार गिरना पड़ता है। जैसे बच्चा चलना सीखते हुए बार-बार गिरता है, इसी प्रकार मनुष्य जाति भी नई बात को सीखते हुए बार बार असफल होती है। राजनीतिक समानता और स्वतन्त्रता मनुष्य जाति के लिये एक नई बात थी—इतने सीखने में उसे कितनी देर लगी। अब तक भा फ्रांस उसे पूर्णतया नहीं सीख सका था। फिर आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता तथा समानता का तो प्रश्न ही क्या था ? ये बातें तो लोगों के लिये एक असम्भव तथा अनियात्मक कल्पना के सिवा और कुछ नहीं थी।

क्रान्ति की अन्य लहरों के समान १८४८ की राज्यक्रान्ति भी केवल फ्रांस तक ही सामित नहीं रही। फ्रांस से एक प्रहार का ज्वालामुखी उठा था, जिसकी लपटा ने यूरोप के उड़े भारी हिस्से को व्याप्त कर लिया। इस समय का यूरोप बहुत अधिक उन्नत हो चुका था। व्यावसायिक और व्यापारीय क्रान्तियों ने उसके स्वरूप को बहुत कुछ परिवर्तित कर दिया था। इन कारणों से इस समय वह क्रान्ति के लिये अधिक तैयार था। जिस प्रकार १८४८ की क्रान्ति की लहर ने यूरोप पर प्रभाव डाला, इस पर हम क्रमशः विचार करेंगे।

(२) आस्ट्रियन साम्राज्य में क्रान्ति का प्रारम्भ

मध्य यूरोप के सबसे प्राचीन तथा शानदार हाप्सबुर्ग राजवंश के अधीन मुख्यतया तीन प्रदेश थे—आस्ट्रिया, हंगरी और रोमेनिया। इनके अतिरिक्त इटली का बहुत सा प्रदेश भी इसी राज्यवंश के अधीन था। १८४८ की राज्यक्रान्ति इन विस्तृत प्रदेशों पर दावानल के समान प्रकट हुई। कुछ देर के लिये ऐसा प्रतीत होने लगा कि हाप्सबुर्ग वंश का प्राचीन वैभव स्तर में मिल जायगा और आस्ट्रियन साम्राज्य में समाप्ति हो जावेगी।

आस्ट्रियन साम्राज्य का स्वरूप—आस्ट्रियन साम्राज्य में क्रान्ति किस प्रकार हुई, इसका वर्णन करने से पूर्व यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस अद्भुत साम्राज्य का स्वरूप किस प्रकार का था। आस्ट्रियन साम्राज्य में एक जाति व राष्ट्रीयता का निवास नहीं था, वह बहुत से राष्ट्रों का मिश्रण था। वीएना के पश्चिम के प्रदेश प्रधान तथा जर्मन लोगों से आनाद थे। दक्षिण में (कार्निओला, स्टीरिया, कैरिन्थिया, और इस्ट्रिया के प्रदेशों में) स्लाव लोगों का निवास स्थान था। उत्तर में रोमेनिया और मोरेविया में, चेक लोग बसते थे। रशिया की सीमा पर पोल लोग आनाद थे, यह हिस्सा वस्तुतः पालएड

में सम्मिलित था। उस अभागे देश के टुकड़े हो जाने के बाद यह आस्ट्रिया के हिस्से में आ गया था। हंगरी के राज्य में—यह राज्य आस्ट्रिया के अधीन न होते हुए भी वहाँ के राजा के आधिपत्य में था—केवल हंगेरियन, या मध्ययूर लोग का ही निवास नहीं था, उनके अतिरिक्त उसमें रूमानियन, क्रोटियन और सर्बियन लोग भी बसते थे। इस प्रकार आस्ट्रियन साम्राज्य में जर्मन, चेक, स्लाव, हंगेरियन, पोल, क्रोटियन, रूमानियन और सर्बियन—ये विविध प्रकार के लोग आबाद थे। इन सबकी भाषा पृथक्-पृथक् थी। न केवल भाषा, पर सस्कृति, सभ्यता, नसल, जाति, रदन सन्न और इतिहास—सब दृष्टियों से ये लोग एक दूसरे में भिन्न थे। इन विविध जातियों का एक शासन म रह सकना बड़ी अद्भुत बात थी। पुराने जमाने में तो यह बात बिल्कुल मामूली थी, उस समय लोग में राष्ट्रीयता का भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ था। पर अब उन्नीसवीं सदी में, नैपोलियन के युद्धों के बाद यूरोपियन जनता में एक नवीन भावना—राष्ट्रीयता की अनुभूत—उत्पन्न हो चुकी थी। अब इन विविध जातियों में स्वभाग्य-निर्णय का विचार प्रचल हो गया था। अब इनके लिये एक विदेशी स्वेच्छाचारी शासन के अधीन रह सकना सम्भव नहीं रहा था। सब प्रदेशों में स्वतन्त्रता की भावना प्रादुर्भूत हो चुकी थी। उदार विचारों के लोग सब स्थानों पर अपना कार्य कर रहे थे।

शासन का प्रकार—आस्ट्रियन साम्राज्य का शासन भी अद्भुत प्रकार का था। आस्ट्रिया में हाप्सबुर्ग राजा फर्डिनन्ड प्रथम का एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राज्य था। मन्त्री लोग राजा के प्रति उत्तरदायी थे। राजा जिसे चाहता मन्त्रिपद पर नियुक्त करता, जिसे चाहता परास्त करता। कानून बनाने, नये टैक्स लगाने या राजकीय आमदनी को खर्च करने के लिये जनता की किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। अखबार और पुस्तकों पर पुलिस का कठोर

निरीक्षण था। अध्यापक लोग शिक्षणालयों में क्या पढ़ाते हैं, थियेटरों में क्या दृश्य दिखाये जाते हैं—इन सब बातों पर पुलिस कड़ी निगाह रखती थी। सरकार का भिन्न भी कि कोई नया विचार आस्ट्रिया में प्रवेश न कर जाय। देश से बाहर जाने आने की स्वतन्त्रता नहीं थी। प्रत्येक बाना के लिये पासपोर्ट लेना आवश्यक था। इन बाधाओं का परिणाम यह था कि आस्ट्रिया के विद्वान् पश्चिमाय यूरोप के ससर्ग से सर्वथा मुक्त थे। फ्रांस और प्रिटेन में जा नवीन विचार धारण चल रही थी, आस्ट्रिया में उनका प्रवेश रोक दिया गया था। मैटरनिस् बड़े अभिमान के साथ कहा करता था कि वैज्ञानिक शैली आस्ट्रिया के विश्वविद्यालयों तक में प्रविष्ट नहीं हो सकी है। मध्यकाल की प्रायः सभी सन्धार्यें अभी आस्ट्रिया में विद्यमान थीं। कुलीन जमींदारों के अधिकार अक्षुण्ण बने हुए थे। किसानों को कोई स्वतन्त्रता नहीं थी। जमींदारों की अनुमति के बिना वे अपना गांव तक नहीं छोड़ सकते थे। चर्च की अवस्था भी वही थी, जो राज्यद्वान्ति से पूर्व फ्रांस में थी। राजकीय पदों पर केवल रोमन कैथोलिक ही नियत किये जा सकते थे। चर्च का प्रभाव असाधारण था।

हंगरी आस्ट्रिया से पृथक् था। परन्तु इन दोनों का राजा एक ही था। हंगरी में अब तक मध्यकाल की सामन्त पद्धति प्रचलित थी। सम्पूर्ण शासन शक्ति कुछ कुलीन जमींदारों के हाथ में थी। ये लोग मनमानी तरीके से देश का शासन करते थे। जनता भी कोई इच्छा रख सकती है, इस बात की इन्हें कल्पना भी नहीं थी। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि पोल, चेक और ग्लोव लोग आस्ट्रिया के राज्य के अन्तर्गत थे और क्रोटियन, रूमानियन और सर्बियन लोग हंगरी के अधीन थे। इन दोनों राज्यों का निर्माण सर्वथा अस्वाभाविक तथा राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के प्रतिकूल था। इन राज्यों में केवल राष्ट्रीयता के सिद्धान्त का ही खून नहीं हो रहा था, लोकसत्तावाद का तो इनमें निशान तक भी नहीं था।

परन्तु विचार हम की तरह होते हैं। कृत्रिम तरीका से उन्ह रोक
सकना असम्भव होता है। फर्डिनन्ड और मैटरनिय के सम्पूर्ण उपायों
के बावजूद भी समानता, स्वतन्त्रता और भ्रातृभाव के विचार आस्ट्रियन
साम्राज्य में पहुँच चुके थे। वहाँ पर भी लोग स्वेच्छाचारी राज्यसत्ता
का अन्त कर लोफतन्त्र शासन को स्थापित करने का स्वप्न ले रहे थे।
यही कारण है, कि जब १८४८ में क्रान्ति की लहर प्रारम्भ हुई, तो
आस्ट्रियन साम्राज्य की विविध जातियों में भी साहस का सञ्चार हुआ।
वे भी स्वेच्छाचारी शासन से मुक्त होने के लिये उत्सुक हो उठी।

मैटरनिय का पतन—विस समय २० फरवरी सन् १८४८ की
फ्रेंच राज्यक्रान्ति का समाचार मैटरनिय ने सुना, तब वह बहुत चिन्तित
हुआ। उसने कहा—“मैं एक बूढ़ा हमीम हूँ। मैं अच्छी तरह जानता
हूँ कि साध्य और असाध्य रोगों में क्या भेद होता है। यह बीमारी
घातक है।” निस्सन्देह, मैटरनिय ठीक था। १३ मार्च १८४८ को
वीएना में एक जुलूस निकला। प्रियार्थी और मजदूर बहुत बड़ी संख्या
में इसमें सम्मिलित हुए। ये लोग ‘मैटरनिय हाथ हाथ’ के नारे लगाते
जाते थे। आगिर, जुलूस ने मैटरनिय के मकान को घेर लिया।
मैटरनिय की उमर ६० साल ने ऊपर थी, उसके साल पर चुके थे।
वह समय के रूप को खूब पहचानता था। उसने ताट लिया कि अब
पदत्याग करके आस्ट्रिया छोड़ जाने के बिना अन्य कोई उपाय नहीं है।
वह ग्रेटब्रिटेन चला गया। उसका पुराना बूढ़ा दोस्त वेलिङ्गटन का
ड्यूक उसका स्वागत करने के लिये तैयार था। दोना बड़े मित्रों ने
अपनी आयु के शेष दिन शान्ति से व्यतीत किये। दोना ही अपने
जमाने में लोफतन्त्र प्रवृत्तियों के पत्र दुश्मन रहे चुके थे। निस्सन्देह,
चिन्दगी के शेष दिनों को व्यतीत करते हुए वे पुराने मित्र ‘गेर
कलिगल’ को फोमते थे और उन सुन्दर दिनों की याद करते थे, जब
उनकी इच्छा के प्रात्यूत पता तक नहीं हिल सकता था।

मेटर्निएस के प्रस्थान का उत्सव वीएना में बड़ी धूम धाम से मनाया गया। पुराने जमाने और स्वेड्याचार व इस आधारस्तम्भ के पतन का समान्धार सुनकर जनता को अपार प्रसन्नता हुई। गणपट्टिनन्द प्रथम शासन सुधार करने के लिये बाधित हुआ। प्रेस का कठार निरीक्षण हटा लिया गया। सामन्तपद्धति के अवशेषों को नष्ट किया गया। जुलीना के विशेषाधिकार छीन लिये गये। नवीन शासन विधान तैयार किया गया, इसमें जनता को पर्याप्त अधिकार दिये गये। पर क्रान्तिकारी लोग इतने से सतुष्ट नहीं थे, वे पूर्ण लोकतन्त्र स्थापित करने को उत्सुक थे। क्रान्तिकारियों के आन्दोलन से राजा घबरा गया। उसकी उमर एक बुढ़ा थी, अंग शिथिल हो गये थे। प्रचण्ड विरोध सह करने की शक्ति उसमें नहीं रही थी। वह वीएना में भाग कर इन्सब्रुक पहुँच गया और क्रान्तिकारियों को राजधानी में मनमाना करने का अवसर मिल गया।

नवीन शासन-विधान—नवीन शासन विधान तैयार करने के लिये राष्ट्रीय महासभा बुलाई गई। सम्पूर्ण पुरुषों को इस महासभा के लिये प्रतिनिधि चुनने का हक दिया गया था। हंगरी के अतिरिक्त आस्ट्रियन साम्राज्य के सम्पूर्ण प्रदेशों के प्रतिनिधि इस महासभा में सम्मिलित हुए। २२ जुलाई का वीएना में अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। महासभा में उदार विचार के सदस्यों का बहुमत था। पर राजसत्ता की सवधा नष्ट कर देने के पक्ष में बहुत कम सदस्य थे। आखिर, बहस के बाद यह निश्चय किया गया कि आस्ट्रिया में वैध राजसत्ता की स्थापना की जावे। राजा को वापिस लौट आने के लिये निम्न्वग मँजा गया। अगस्त मास में वह अपनी राजधानी में पहुँच गया। अभी शासन विधान तैयार करने का कार्य समाप्त नहीं हुआ था, कि हंगरी, रोदेमिया, क्रोटिया और उत्तरीय इटली से क्रान्तियों के समाचार प्राप्त हुए। वीएना के लोग इन समाचारों को पढ़कर भडक उठे। वे

समझते थे, क्रान्ति को पूर्ण करना चाहिये। ढीली ढाली वार्यवाही से कुछ न बनेगा। गलिया और बाजारों में मोरचामन्दी हो गई। सब साधारण जनता हथियार लेकर निकल पड़ी। युद्ध सचिव को लम्प के एक समूह से बाधकर कतल कर दिया गया। राजा फर्डिनन्द फिर भाग खड़ा हुआ। वीएना में दुनारा क्रान्ति हो गई। राष्ट्रीय महासभा जो काय कर गयी थी, वह रात में ही रह गया।

यद्यपि राजा वीएना छोड़कर भाग गया था, पर इस बार उसने अधिक साहस प्रदर्शित किया। उसने सेना को हुकुम दिया कि विद्रोहियों को गोली से उखा दो। शाही फौज ने वीएना पर हमला किया। विद्रोहियों और फौज में तामाशदा लग गई हुई। आखिर, क्रान्तिकारों परास्त हुए। वीएना जीत लिया गया। आस्ट्रियन क्रान्ति असफल हो गई। जनता ने अपने अधिकारों के लिये मिर उठाया था, पर उस पुरा तरह कुचल दिया गया।

पर यह नहीं समझना चाहिये कि १८४८ की क्रान्ति में आस्ट्रिया के क्रान्तिकारी पूणतया असफल रहे। मगरनिरत का यत्र सदा के लिये पतन हो गया था। यह साधारण बात नहीं थी, क्रान्ति की यह भारी विजय थी। इतना ही नहीं, नवम्बर १८४८ में क्रान्ति को कुचल कर फर्डिनन्द ने जत्र दोनारा वीएना में प्रवेश किया, तत्र उसे आवश्यकता अनुभव हुई कि शासन विधान की उद्घाटना का जावे। निरसन्देह, यह शासन विधान जनता और क्रान्तिकारियों की इच्छा के अनुरूप नहीं था, पर इससे कम से कम इतना तो हो गया था कि आस्ट्रिया में एक त्रिकायश शासन विधान का स्थापना हो गई था।

हगरी का राज्य—आस्ट्रियन स साम्राज्य में हगरी की क्या स्थिति थी, इस बात पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। हगरी में दो आन्दोलन चल रहे थे। प्रथम—आस्ट्रिया के राजा की अधीनता से

मुक्त हो कर स्वतन्त्र राज्य को स्थापित करने के लिये और दूसरा लोकतन्त्र शासन के लिये। हंगेरियन स्वाधीनता के प्रमुख नेता कॉस्सुथ और डीक थ। सरकार भरसक जाशिश कर रही थी कि नवीन प्रवृत्तियों को कुचल दिया जाये। शासन सुधार के लिये व्याख्यान देना भी जुर्म समझा जाता था। प्रेम के ऊपर कटा निगच्छ था। पुस्तकों, अखबारों या पत्रों द्वारा किसी भी प्रकार राजनीतिक आन्दोलन नहीं किया जा सकता था। प्रसिद्ध हंगेरियन नेता कॉस्सुथ को इसलिये जेल की सजा दी गई, क्योंकि उसने हस्तलिखित रूप से नवीन राजनीतिक विचारों को फैलाने का प्रयत्न किया था। सरकार के सम्पूर्ण अत्याचारों के बावजूद भी हंगेरियन स्वाधीनता का आन्दोलन निरन्तर उन्नति करता गया। जिस समय मार्च १८४८ में पहली बार वीएना में विद्रोह हुआ, तो हंगेरियन लोगों में भी उत्साह उत्पन्न हुआ। उन्होंने विद्रोह करने का सफल किया। आस्ट्रिया के बूढे सम्राट् को शासन-सुधार की मांग को स्वीकार करने के लिये बाधित होना पडा। हंगरी के लिये पृथक् मन्त्रिमण्डल की रचना की गई। कॉस्सुथ और डीक उसके सदस्य बनाये गये। इतना ही नहीं, सामन्तपद्धति को नष्ट किया गया। कुलीनों के विशेषाधिकार छीन लिये गये। सब लोग कानून की दृष्टि में एक समान कर दिये गये। हंगरी में भी मध्यमाल का अन्त हुआ। क्रान्ति के सिद्धान्त क्रिया में परिणत किये गये। हमरी को सरकार आस्ट्रिया से सर्वथा पृथक् हो गई। दोनों देशों का राजा ही एक रहा। नवीन शासन विधान में भाषण, लेखन और मुद्रण की स्वतन्त्रता को स्वीकार किया गया। सब लोगों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने विश्वासों के अनुसार धर्म का अनुसरण कर सकें। राजकीय इमारतों पर हंगरी का अपना राष्ट्रीय झण्डा फहराने लगा। हंगरी की राष्ट्रीय आकांक्षायें पूरी हुईं। क्रान्ति की जो लहर वीएना में छपफल हो गई थी, वह हंगरी में बहुत अशों में सफल हो गई। वहाँ

न केवल उदार शासन व वैधराजसत्ता का प्रारम्भ हुआ, अपितु हंगरी की सरकार आष्ट्रिया से सर्वथा पृथक् भी हो गई।

परन्तु हंगरी के राज्य में अनेक ऐसी जातियाँ भी निराम करती थीं, जो हंगेरियन लोगों से सर्वथा भिन्न थीं। क्रोटियन, रूमनियन और सर्बियन लोगों को हंगरी की स्वतन्त्रता से कोई भी लाभ न था। नये शासन विधान में इन्हें कोई भी अधिकार नहीं मिले थे। क्रान्ति की लहर ने इन पर भी असर डाला था। ये भी अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये आन्दोलन कर रहे थे। क्रान्ति के इस काल में इन जातियों की ओर से भी अनेक विद्रोह हुए। आस्ट्रियन सरकार इनकी महायत्ना कर रही थी। हंगरी की स्वाधीनता ने आस्ट्रिया का बहुत नुकसान पहुँचा था। इसलिये आस्ट्रियन सरकार का खयाल था कि विद्रोहियों का सहायता करने से हंगरी की हानि होगी। आस्ट्रिया की इस कार्यवाही का परिणाम यह हुआ कि हंगरी ने आस्ट्रिया से पूर्णतया सम्यन्ध विच्छेद कर लिया। अब तब आस्ट्रियन राजा ही हंगरी का भी सम्राट था। अब हंगेरियन लोगों ने अपने का पूर्णतया स्वाधीन उद्घोषित कर रिपब्लिक की स्थापना की और कॉस्सुथ का अपना राष्ट्रपति निर्वाचित किया। इस पर आस्ट्रिया ने हंगरी के विरुद्ध आक्रामक युद्ध की उद्घोषणा कर दी। रशिया ने भी आस्ट्रिया का साथ दिया। इन दो शक्ति शाली राज्यों का मुकाबला कर सन्ने की सामर्थ्य हंगरी में नहीं थी। वह परास्त हुआ। कॉस्सुथ टर्की भाग गया। वहाँ से वह ग्रेटब्रिटेन और अमेरिका गया। उसने भरसक कोशिश का कि ये देश हंगरी की सहायता करें। पर वह सफल नहीं हो सका। अपने देश का स्वाधीनता के लिये कोशिश करते करते १८६४ में इटली में उसकी मृत्यु हुई। कॉस्सुथ तो हंगरी छोड़कर टर्की भाग जाने में समर्थ हुआ था। पर अन्य बहुत से नेता पकड़ लिये गये थे। उन्हें प्राणदण्ड दिया गया। हंगरी फिर आस्ट्रिया

हो गई। विन्डिशप्रेट्श के मकान पर हमला किया गया। अथर्व विन्डिशप्रेट्श को मौका मिला। उसने विद्रोह को शान्त करने के लिये भयङ्कर उपाय प्रयुक्त किये। शहर पर गोलाबारी की गई। विद्रोही कायू में आ गये। बोहेमिया में क्रान्तिकारियों ने बुरी तरह बदला लिया गया। जो शासन सुधार किये गये थे, उन्हें वापिस ले लिया गया। क्रान्ति असफल हो गई।

इस प्रकार द्वापस्युर्ग सम्राट् के सम्पूर्ण प्रदेशों में—आस्ट्रिया, हंगरी और बोहेमिया में १८४८ में क्रान्तियाँ हुईं। पर कहीं पर भी ये सफल न हो सकीं। आखिरकार, एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन सम्पूर्ण आस्ट्रियन साम्राज्य में कायम रहा। पर इतना निश्चित है, कि १८४८ की इस क्रान्ति की लहर ने सम्पूर्ण आस्ट्रियन साम्राज्य में सामन्त पद्धति तथा अन्य मध्यकालीन संस्थाओं को जयदस्त धक्का पहुँचाया। जनता में क्रान्ति की भावना प्रादुर्भूत हो गई थी। नये युग के अभ्युदय की अथर्व स्वाभाविक प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई।

(३) जर्मनी में क्रान्ति का प्रभाव

जर्मन आन्दोलन का स्वरूप—उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में जर्मनी एक राज्य नहीं था। इस काल में जर्मनी में अनेक राज्य थे, जिनमें प्रमुख प्रशिया था। यद्यपि विविध जर्मन राज्य एक संघ में संगठित थे, पर यह राज्यसंघ बहुत ही ढीलाढाला तथा अपूर्ण था। क्रान्ति की लहर जर्मनी में दो प्रकार से प्रभाव डाल गयी थी। जर्मन देशभक्त एक तरफ तो अपने अपने राज्यों में स्वेच्छाचारी राजसत्ता का अन्त कर जनता का शासन स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे, दूसरी तरफ उनकी आकांक्षा सम्पूर्ण जर्मनी को दृढ़ संगठन में संगठित करने की भी थी। 'जर्मनी एक राष्ट्र है' 'जर्मनी हमारी मातृभूमि है' यह भावना प्रादुर्भूत हो गई थी और जर्मन नवयुवक अपने देश की

राष्ट्रीय एकता और स्वाधीनता के लिये उतावले हो रहे थे। १८४८ में पूर्व ही जर्मनी में नवीन विचारों का प्रवेश हो गया था। परन्तु फ्रान्स की तृतीय राज्यक्रान्ति से जब सम्पूर्ण यूरोप में एक नवीन उत्साह और मात्म का संचार हुआ, तो जर्मनी भी उसके प्रभाव से चञ्चित नहीं रहा।

प्रशिया में क्रान्ति—ग्रासिट्रियन प्रधान मन्त्री मेटरनिस के पतन का समाचार बर्लिन में ११ मार्च के दिन पहुँचा। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेटरनिस स्वेच्छाचारी एकतन्त्र शासन का आधार स्तम्भ था। उसके टूट जाने के समाचार से जर्मन क्रान्तिकारियों का उत्साह द्विगुणित हो गया। लोग इकट्ठे हो गये। जुलूस बन गया। भीड़ राजमहल के चारों ओर एकत्रित हो गई। रिपब्लिकन लोगों में बड़ा जोश था। वे हमले के लिये जनता को भड़का रहे थे। राजा ने हुकुम दिया कि राजप्रासाद को सजलो कर दिया जाये। पुलीस ने गोली चला दी। कुछ लोग मारे गये। अब क्या था! जनता जोश में आ गई। रिपब्लिकन लोग हथियार लेकर निकल पड़े। सारे शहर में विद्रोहाग्नि भड़क उठी। लड़ाई प्रारम्भ हो गई। राजा ने जब गदर का समाचार सुना, तो घबरा गया। उसने प्रतिज्ञा की, कि जनता को सम्पूर्ण शिफायतें दूर कर दी जावेंगी और वह स्वयं जर्मनी को एक सूत्र में संगठित करने के लिये प्रयत्न करेगा। इस पर जनता शान्त हो गई। विद्रोह में जो लोग मारे गये थे, उनकी संख्या २०० थी। वे सब शहीद बन गये। सारे बर्लिन शहर में शहीदों का जुलूस निकाला गया। जब जुलूस राजप्रासाद के सम्मुख पहुँचा, तो लोगों ने राजा को कहा—आओ, अपनी फौजों की करतूत देख जाओ। राजा महल के एक झरोखे पर प्रगट हुआ। जनता उत्तेजित हो गई। उन्होंने क्रोध से चिल्लाकर कहा—‘अपनी टोपी उतार लो’ राजा क्या करता! उस बेचारे ने अपनी टोपी उतार दी। लोग इतने पर

भी सतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा—‘नीचे आओ’। प्रशिया का राजा नीचे उतर आया। जनता के सम्मुख वह असहाय था। उसे मजबूर किया गया कि शहीदों के सम्मुख सिर झुकाये, उनके प्रति सम्मान प्रगट करे। इतना ही नहीं, राजा की तरफ से आज्ञा प्रकाशित की गई, कि ‘शहीदों’ के कतल के लिये सारे शहर में शोक मचाया जावे।

अन्यत्र क्रान्ति—प्रशिया के अतिरिक्त अन्य जर्मन राज्यों में भी क्रान्ति के चिह्न प्रगट हुए। १८४८ के मार्च और एप्रिल—इन दो महीना में जर्मनी के अधिकांश राज्यों में क्रान्तियां हुईं। एकतन्त्र शासन का अन्त कर वैध राजसत्ता की स्थापना की गई। प्रायः संपूर्ण जर्मनी में नवीन शासन विधान तैयार किये गये। एकदम संपूर्ण देश में जागृति सी उत्पन्न हो गई।

फ्रांफोर्ट की राष्ट्रीय महासभा नवीन विचार के लोग इतने से ही सतुष्ट नहीं थे। वे जनता के अधिकारों के साथ साथ राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिये भी उत्सुक थे। इस उद्देश्य से संपूर्ण जर्मनी के उदार नेताओं ने फ्रांफोर्ट नामक नगर में एक राष्ट्रीय महासभा का सम्मेलन किया। इसमें कुल मिलाकर ५६८ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। १७ मई १८४८ को फॉन गागर्न नामक राष्ट्रीय नेता के सभापतित्व में महासभा का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। अपने प्रारम्भिक भाषण में फॉन गागर्न ने उद्घाषित किया कि हम लोग यहाँ पर संपूर्ण जर्मनी के लिये एक शासन विधान का निर्माण करने के लिये एकत्रित हुए हैं। राज्य की स्वामित्व शक्ति वस्तुतः जनता में निहित है, और हम लोगों ने राज्य के भाग्यनिर्णय का अधिकार जनता से ही प्राप्त किया है। महासभा के मुख्यतया दो दल थे, एक दल वैध और लोकतन्त्र राजसत्ता का पक्षपाती था और दूसरा दल रिपब्लिक की स्थापना करना चाहता था। शासन विधान का स्वरूप क्या हो, जनता

के आधारभूत अधिभार कौन से निश्चित किये जायें—इन बातों की सहस्र में अधसाधारण देर लग गई। यह विलम्ब जर्मनी में नवीन प्रवृत्तियों की सफलता की दृष्टि से घातक थी। क्रान्ति का जोश ठण्डा पड़ रहा था। ज्यों ज्यों देर होती जाती थी, लोगों की दृष्टि में फ्रांस्फोर्ट की राष्ट्रीय महासभा का महत्त्व भा कम होता जाता था। इसका अतिरिक्त, कुछ अन्य प्रश्न थे, जिनका निर्णय कर सभना बहुत रुठिन था। अब तक जर्मन राज्यसभ में सम्पूर्ण आस्ट्रिया सम्मिलित था। पर आस्ट्रियन राज्य में बहुत से ऐसे प्रदेश भी सम्मिलित थे, जिनके निवासी जर्मन जाति के नहीं थे। जर्मन राज्य सभ में उन प्रदेशों को सम्मिलित करना फ्रांस्फोर्ट में एकरित देशभक्ता को समुचित प्रतीत नहीं होता था। अतः उन्होंने यह निर्णय किया कि नवीन जर्मन राज्य सभ में आस्ट्रिया के केवल उसी प्रदेश को सम्मिलित किया जावे, जिसमें जर्मन लोग बसते हों। यह निर्णय राष्ट्रीयता की दृष्टि से ठीक था, पर नड़ा ही अनिष्टात्मक था। आस्ट्रिया का आधा हिस्सा राज्यसभ में सम्मिलित हो और आधा न हो—यह व्यवस्था कभी काम न दे सकती थी। आस्ट्रिया का राजा भी इससे कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकता था। अगला प्रश्न यह था—संगठित जर्मनी का सम्राट् कौन हो ? अधिकांश लोग राजसत्ता के पक्षपाती थे, रिपब्लिक का पक्ष प्रबल नहीं था। अतः यह भी निर्णय करना आवश्यक था कि सम्राट् के पद पर किसे अधिष्ठित किया जावे ? इस ऊँचे पद के लिये दो उम्मादवार थे—प्रशिया का राजा और आस्ट्रिया का सम्राट्। आस्ट्रिया को नाराज कर, आखिर यह फैसला किया गया कि प्रशिया के राजा को जर्मन राज्यसभ का सम्राट् बनाया जावे। परन्तु जब यह निर्णय प्रशियन राजा के सम्मुख पेश किया गया, तो वह सन्तुष्ट नहीं हुआ। उसने क्रोध में भरकर कहा—मैं असली राजमुकुट चाहता हूँ, फ्रांस के लुई फिलिप की तरह गन्दी नाली से उठाकर मुकुट को सिर पर रख लेना मुझे

पसन्द नहीं है।' प्रशिया का राजा नहीं चाहता था, कि जनता के बोटी से, जनता की इच्छा से इस बात का फैसला हो कि वह सम्राट् बने। वह अपने बाहुनल से सम्राट् बनना चाहता था। मध्यकाल की यही गौरवमयी 'वीरता' थी।

असफलता - प्रशिया के राजा ने केवल इतना ही नहीं किया। यदि वह सम्राट् बनने से इन्कार कर देता, तो कोई उड़ी बात न होती। पर उसने क्रांति तथा नई प्रवृत्तियों का खुल्लम खुल्ला विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। पिछले दिनों प्रशिया में जो नवीन सुधार किये गये थे, वे सब वापिस ले लिये गये। प्रतिक्रिया शुरू हो गई। अन्य जर्मन राज्यों ने प्रशिया का अनुसरण किया। सभी जगह क्रांति को कुचलने का प्रयत्न प्रारम्भ हो गया।

प्रतिक्रिया का प्रारम्भ - फ्रांफोर्ट की राष्ट्रीय महासभा परेशान थी। बना-बनाया खेल विगट रहा था। साल भर की मेहनत व्यर्थ हो रही थी। क्रांतिकारियों के सम्मुख अब कोई मार्ग न था। जर्मनी में लोकसत्तावाद तथा राष्ट्रीय एकता की स्थापित करने में उन्हें भारी असफलता हो रही थी। निराश होकर उन्होंने विद्रोह का आश्रय लेने का निश्चय किया। अनेक स्थानों पर गदर हुए। पर प्रशिया की सेना उन्हें कुचल देने के लिये उत्तम थी। सेना ने बुरी तरह विद्रोहों को शान्त किया। इतना ही नहीं, प्रशियन सरकार ने हुकुम दिया कि राष्ट्रीय महासभा के प्रशियन प्रतिनिधि वापिस चले जावें। अन्य अनेक राज्यों ने प्रशिया का अनुसरण किया। राष्ट्रीय महासभा टूट गई। केवल ३०५ प्रतिनिधि शेष रहे। इन लोगों ने फ्रांफोर्ट को छोड़कर स्टुटगार्ट में अपना कार्य प्रारम्भ किया। पर वहाँ भी वे आराम से न बैठ सके। वुर्टम्बर्ग के राजा ने अपनी सेना को हुकुम दिया कि इस 'राष्ट्रीय महासभा' को भग कर दें। १८ जून, १८४८ को 'महासभा' के अवशिष्ट प्रतिनिधियों को भी

तितर-वितर कर दिया गया। जर्मनी की नवीन प्रवृत्तियाँ फ्राफोर्ट की राष्ट्रीय महासभा के रूप में सगठित होकर प्रगट हुई थीं। उन्हें बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त हो रही थी। पर पुराना जमाना अभी बहुत प्रबल था। वह निजयी हुआ। प्रशिया का एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन आखिर इन प्रवृत्तियों को नष्ट करने में पूर्णतया सफल हुआ।

१८४८ की क्रान्ति की लहर के बाद भी सम्पूर्ण जर्मनी में एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन कायम रहे। राष्ट्रीय एकता की तरफ जो पग बढ़ाया गया था, वह भी सफल नहीं हुआ। पर इसमें सन्देह नहीं कि नई प्रवृत्तियाँ भी भारी सफलता के लिये मैदान तैयार हो गया। यह नहीं समझना चाहिये कि १८४८ की क्रान्ति जर्मनी में सर्वथा असफल रही, या फ्राफोर्ट की राष्ट्रीय महासभा ने कोई कार्य नहीं किया। हम देखेंगे कि कुछ समय बाद ही जर्मनी राष्ट्रीय दृष्टि से एक हो गया और स्वाधीनता तथा लोकतन्त्र की ओर भी पर्याप्त रूप से अग्रसर हुआ। यह सब इतनी सुगमता से न हो सकता, यदि १८४८ की घटनायें उसके लिये मार्ग साफ न कर देती।

(४) इटली में क्रान्ति की लहर

सम्पूर्ण इटली में क्रान्तियाँ - यह बात पहले स्पष्ट की जा चुकी है कि वीएना की कांग्रेस के बाद उत्तरीय इटली के अधिकांश भाग पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। इटालियन लोग न केवल स्वाधीनता के लिये प्रयत्न कर रहे थे, अपितु राष्ट्रीय एकता की स्थापना भी उनका प्रधान उद्देश्य था। मैटरनिस् के पतन के बाद इटालियन देशभक्तों में अपूर्व उत्साह और साहस का संचार हुआ। सबसे पहले, मिलान में विद्रोह हुआ। मिलान नगरी से ऑस्ट्रियन सेना को परास्त कर बाहर निकाल दिया गया। धीरे धीरे सम्पूर्ण लॉम्बार्डी ऑस्ट्रियन सेनाओं तथा कर्मचारियों से खाली हो गया।

मिलान का अनुसरण वेनिस ने किया। वेनेटियन लोग विद्रोह के लिये सन्नद्ध हो गये। एक बार फिर वेनिस की प्राचीन रिपब्लिक का उद्धार हुआ। सार्डिनिया के राजा चार्ल्स एल्बर्ट ने मिलान और वेनिस के विद्रोहों में क्रान्तिकारियों की सहायता की। क्रान्ति उत्तरीय इटली तक ही सीमित न रही। धीरे-धीरे सम्पूर्ण इटली विद्रोहाग्नि से उद्दीप्त हो गया। नेपल्स, रोम, ट्रिंक्रनी और पीड्मोन्ट—सब स्थानों पर जनता ने विद्रोह किये। नवीन शासन-विधानों की स्थापना की गई। सर्वत्र वैध राजसत्ता के सिद्धांत की विजय दृष्टिगोचर होने लगी। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय एकता के लिये भी उद्योग किया गया। सार्डिनिया के राजा को संगठित इटालियन राष्ट्र का नेता स्वीकृत किया गया। पोप पायस दशम और नेपल्स का बोर्बो वंशो राजा भी राष्ट्रीय भावना की लहर में बहकर सार्डिनिया के राजा को इटली का नेता मानने के लिये उद्यत हो गये। कुछ देर के लिये नजर आने लगा कि इटली को सब राष्ट्रीय महत्वाकांक्षायें पूर्ण होकर रहेंगी।

आस्ट्रिया के साथ युद्ध—परन्तु अभी उपयुक्त समय नहीं आया था। पुराना जमाना अभी बहुत प्रबल था। आस्ट्रियन सेनायें कुछ देर के लिये परास्त अवश्य हो गई थीं, पर उत्तरीय इटली से सदा के लिये उन्हें खदेड़ सकना सुगम कार्य नहीं था। आस्ट्रियन सेनापति राडेट्स्की काइज़िलेटरल नामक स्थान पर आश्रय लेकर इटालियन विद्रोह को शान्त करने की तैयारियाँ कर रहा था। यदि इटालियन लोग वस्तुतः मिलकर उसका मुकाबला करते, तो उनकी सफलता निश्चित थी। पर वास्तविक एकता अभी उत्पन्न नहीं हुई थी। सार्डिनिया का राजा चार्ल्स एल्बर्ट अबेला आस्ट्रिया को परास्त नहीं कर सकता था। यद्यपि कुछ समय के लिये ऐसा प्रतीत होता था कि इटली में राष्ट्रीय एकता की स्थापना हो गई है, पर आस्ट्रिया के साथ युद्ध प्रारम्भ होते ही वह क्षणिक एकता काफूर की तरह उड़ गई। पोप

पायस दशम ने कहा—हमारा काम शान्ति स्थापित करना है, युद्ध नहीं। आस्ट्रिया रोमन वैधोलिक चर्च का सबसे पक्का मित्र है, हम उससे किसी भी दशा में लड़ाई नहीं कर सकते। नेपल्स के राजा ने भी पीठ फेर ली। टस्कनी ने भा सहायता करने से इन्कार कर दिया। अब आस्ट्रिया को शक्तिशाली सेनाओं का मुकाबला करनेवाले रह गये—सार्डिनिया, लाग्वाटों, वेनेट्रिया, परमा और मोटेना। इनके लिये आस्ट्रिया का मुकाबला कर सकना मुगम नहीं था। चार्ल्स एल्वर्ट के नेतृत्व में उन्होंने बड़ी वीरता से आस्ट्रिया का मुकाबला किया। आखिर, वे परास्त हुए और एल्वर्ट को सन्धि करने के लिये बाधित होना पड़ा।

रोम में क्रांति—इस बीच में क्रांति की प्रवृत्ति इटली में निरन्तर प्रबल होती जाती थी। फ्लोरेन्स में रिपब्लिक की स्थापना की गई। खास रोम में विद्रोह हुआ। पोप का शासनाधिकारी रोस्सी बतल कर दिया गया। पायस दशम भाग खड़ा हुआ। उसे नेपल्स के राजा के यहाँ शरण लेने को बाधित होना पड़ा। १८४६ के फरवरी मास में रोम में राष्ट्रीय महासभा बुलाई गई और पोप के शासन का अन्त कर रिपब्लिक की उद्घोषणा कर दी गई।

असफलता—उधर सार्डिनिया के राजा और आस्ट्रिया में सन्धि देर तक कायम न रह सकी। मार्च १८४६ में फिर युद्ध प्रारम्भ हो गया। पर यह युद्ध देर तक जारी न रहा। ५ दिन में ही पैसला हो गया। २३ मार्च के दिन नोवारा के रणक्षेत्र में एल्वर्ट की बुरी तरह पराजय हुई। उसने निराश होकर अपने लड़के विक्टर एमेनुअल द्वितीय के पक्ष में राजगद्दी का परित्याग कर दिया। भविष्य में यही विक्टर एमेनुअल द्वितीय इटली की राष्ट्रीय एकता का संस्थापक हुआ। पर अब कुछ समय के लिये राष्ट्रीय एकता तथा स्वाधीनता के सब प्रयत्न असफल हुए। विजयी आस्ट्रियन सेनाओं ने सम्पूर्ण

इटली में क्रान्ति का विनाश किया। मिलन, वेनिस, फ्लारेन्स तथा रोम में जिन नवीन रिपब्लिकन राज्यों की स्थापना हुई थी, उन सबको नष्ट कर पुराने एकतन्त्र शासन को स्थापित किया गया। रोम, टस्कनी और वेनिम के पुराने शासनों का पुनरुद्धार हुआ। जिन राज्यों में नवीन शासन-विधान बनाये गये थे, उन सबको नष्ट कर दिया गया। पर आष्ट्रिया की सम्पूर्ण शक्ति विक्टर एमेनुअल द्वितीय के राज्य में नवीन शासन विधान को नष्ट न कर सकी। सार्डिनिया और पीटमौन्ट के इस नये राजा ने नवीन शासन-विधान को कायम रखा। इस राजा ने न केवल नवीन शासन विधान को नष्ट नहीं किया, पर साथ ही इटली भर के उदार विचारों के लोगों को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया। इसका दरवार उदार तथा नवीन प्रवृत्तियों का एक महत्त्वपूर्ण आश्रय स्थान बन गया। इटालियन देशभक्त आशा करते थे कि यह राजा उनका उद्धार करेगा। निस्सन्देह, वे निराश नहीं हुए। किस प्रकार विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने उनकी आशाओं को पूर्ण किया, इस पर हम आगे चलकर प्रकाश डालेंगे।

क्या १८४८ की क्रांति इटली में असफल हो गई? यदि ऊपर से देखा जाये, तो निस्सन्देह वह सफल नहीं हुई। पर यदि गम्भीर दृष्टि में विचार करें, तो उसने इटली की भावी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये मार्ग तैयार कर दिया—यह कोई कम बात नहीं।

(५) अन्य देशों पर क्रान्ति का प्रभाव

इङ्ग्लैण्ड में चाटस्ट्र आन्दोलन—यूरोप का शायद ही कोई देश ऐसा रहा हो, जिस पर १८४८ की क्रान्ति की लहर ने प्रभाव न डाला हो। इङ्ग्लैण्ड में शासन सुधार के लिये जो आन्दोलन चल रहा था, १८४८ में उसे बहुत सहायता मिली। १८३२ में जो सुधार

किये गये थे, उनसे केवल मध्य श्रेणी के लोगों का ही अधिकार प्राप्त हुआ था। सबसाधारण जनता—फ्रिसाना और मचदूरा का उनसे कोई भी लाभ नही पहुँचा था। इसलिये १८४८ से पूर्व ही ग्रीक अधिक शासन सुधार के लिये आन्दोलन प्रचल हो रहा था। १८३८ में 'गार्डिस्ट आन्दोलन' का नाम से एक नवीन आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था। फ्रांसिस ब्लेस नामक आदमी ने सुप्रसिद्ध मैग्ना चार्टा के अनुकरण में एक नवीन चार्टर तैयार किया। इस चार्टर में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों की माँग की गई थी—राज देने का अधिकार सम्पूर्ण पुरुष जनता को दिया जाय। राज गुप्त पत्रियाँ (बेलट) द्वारा दिये जायें। पार्लियामेन्ट का चुनाव के लिये देशों का ऐसे निर्वाचक मण्डलों में विभक्त किया जावे, जिनमें एक एक प्रतिनिधि निराचित हो। 'हाउस ऑफ कामन्स' का सदस्य बनने के लिये सम्पत्ति की शर्त उठा दी जाये और सदस्यों का निश्चित वेतन दिया जाये। १८३६ में शर्मा लागू की एक पार्लियामेन्ट लण्डन में हुई। इसमें एक प्राथनापत्र तैयार किया गया, जिस पर १२ लाख लोग का हस्ताक्षर थे। इस प्राथनापत्र में देश की पार्लियामेन्ट से प्राथना की गई थी कि चार्टर की माँगों को स्वीकृत किया जावे। प्राथनापत्र को स्वीकृत करने का प्रश्न तो दूर था, हाउस ऑफ कामन्स ने उस पर विचार तक नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि सावधानिक सभाओं और असवारीयों द्वारा चार्टर का आन्दोलन निरन्तर जारी रहा। १८४२ में एक अन्य प्राथनापत्र तैयार हुआ, इस पर तीस लाख आदमियों के हस्ताक्षर कराये गये थे। इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ।

विशाल प्रार्थनापत्र—यह स्थिति थी, जब १८४८ में फ्रांस से राज्यनान्ति की नवीन लहर प्रारम्भ हुई। इङ्गलैण्ड में चार्टिस्ट लोग पहले से ही शासन सुधार का आन्दोलन कर रहे थे। उनका संगठन बहुत दृढ़ था। सब मिलकर ५०० के लगभग चार्टिस्ट सासायत्रियाँ

इङ्ग्लैण्ड में स्थापित थीं। इनके सदस्यों की संख्या भी ५० हजार के लगभग थी। यूरोप की क्रान्तियों का समाचार सुनकर इनके उत्साह का ठिकाना न रहा। ये लोग भी कुछ कर दिखाने के लिये उतावले हो उठे। बड़ी-बड़ी सभाओं की आयोजना की गई। आन्दोलन को अत्यन्त प्रचण्ड रूप दे दिया गया। १० एप्रिल १८४८ को लण्डन में एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई। कहते हैं, इसमें पाँच लाख आदमी सम्मिलित हुए। एक तीसरा प्रार्थनापत्र तैयार किया गया, उस पर ६० लाख आदमियों के हस्ताक्षर कराये गये। इतने लोगों के हस्ताक्षर करा सकना हँसी मखौल की बात न थी। सारे देश में प्रचण्ड आन्दोलन हो रहा था। लोग समझते थे, पता नहीं क्या होनेवाला है। एक बहुत बड़े जुलूस की योजना की गई। पर उस समय के प्रधान मन्त्री वेलिङ्गटन के ड्यूक ने इसे रोक दिया। सरकार की ओर से अतिरिक्त पुलिस सगठित की गई। विशेष विपाही भर्ती किये गये। इन विपाहियों की संख्या १ लाख ७० हजार तक पहुँच गई। सरकार की इस भारी ताकत का मुकाबला कर सकना चार्टिस्ट लोगों के लिये कठिन था। वे घबरा गये। जुलूस नहीं निकल सका। पर तीसरा प्रार्थनापत्र पार्लियामेण्ट के सम्मुख पेश किया गया। कहते हैं, यह प्रार्थनापत्र ६० लाख दस्तखतों के कारण इतना बड़ा हो गया था, कि इसे ढोने के लिये ६ गाड़ियों की जरूरत हुई थी।

असफलता—विवेचना के बाद मालूम हुआ कि प्रार्थनापत्र में बहुत से इस्ताखर जाली थे। इससे चार्टिस्ट लोग बहुत यदनाम हो गये। उनका आन्दोलन धीमा पड़ गया। चार्टिस्ट आन्दोलन एक बुलबुले की तरह उठा था, बुलबुले की तरह ही वह फट भी गया। यूरोप के अन्य देशों की तरह इङ्ग्लैण्ड में भी खून-खराबी नहीं हुई। पर इसमें सन्देह नहीं, कि १८४८ में इङ्ग्लैण्ड में भी क्रान्ति का भारी तूफान खड़ा हुआ था। सरकार के मजबूत हाथों ने उसे शान्त कर दिया। पर चार्टिस्ट लोगों की जो वास्तविक माँगें थीं, उनका पूर्ण होना

आवश्यक था। कुछ वर्षों बाद ही वे सब क्रिया में परिणत हो गईं। दङ्गलैण्ड के शासन विधान के विकास पर हम एक पृथक् अध्याय में विशेषरूप से प्रकाश डालेंगे।

हालैण्ड में शासन सुधार—क्रान्ति की लहर ने हालैण्ड पर भी प्रभाव डाला। जनता की माँग थी कि शासन में सुधार किया जावे। आरिखर, राजा विलियम द्वितीय को लोकमत के सम्मुख सिद्ध करने के लिये बाधित होना पड़ा। एक कमीशन नियत किया गया, जिसे शासन में सुधार करने का कार्य सुपुर्द किया गया। इस कमीशन ने जो नवीन शासन विधान तैयार किया, उस द्वारा एकतन्त्र शासन को वैध राजसत्ता के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस नये शासन विधान का जनता से स्वीकृत कराने के लिये राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन जुलाया गया। महासभा ने नवीन शासन विधान का स्वीकृत कर लिया और नवम्बर १८४८ से वह क्रिया में परिणत भी हो गया। नये शासन विधान में मन्त्रिमण्डल को राष्ट्रपति निधिसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। धार्मिक विश्वासों और पूजा पाठ की सब लोगों को स्वतन्त्रता दी गई। जनता के जन्म सिद्ध अधिकार उद्घोषित किये गये। परिणाम यह हुआ कि हालैण्ड एक लोकतन्त्र वैध राजसत्ता के रूप में परिवर्तित हो गया।

स्विट्जरलैण्ड—हालैण्ड की तरह स्विट्जरलैण्ड में भी १८४८ में शासन विधान में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। इससे पूर्व वहाँ पर जो शासन विधान विद्यमान था, वह १८१५ में बना था। स्विट्जरलैण्ड के सम्पूर्ण प्रदेशों (कैंटनों) में शासनसूत्र कुछ अमीर लोगों के हाथ में था। जनता उससे सर्वथा असंतुष्ट थी। उदार विचारों के लोग उसको परिवर्तित करने के लिये आन्दोलन कर रहे थे। यही नहीं, वहाँ धार्मिक प्रश्न भी बड़ा विषय था। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट लोगों में सख्त विरोध था। लूसर्न, उरी

और जुग—इन तीन वेन्टनों ने, जिनमें कि रोमन कैथोलिक लोगों की बहुसंख्या थी, शेष देश से पृथक् होकर एक अलग कैथोलिक सभ का संगठन कर लिया था। उदार और राष्ट्रीय विचारों के लोग इससे बहुत चिन्तित थे। आखिर कैथोलिक सभ से लड़ाई करके उसे परास्त किया गया और १८४८ में समस्त देश को नये सिरे से संगठित कर नवीन शासन विधान की स्थापना की गई। स्विटजरलैंड में जो शासन विधान वर्तमान समय में प्रचलित है, उसका प्रधान ढांचा १८४८ के क्रान्तिकारी साल में ही तैयार किया गया था।

डेन्मार्क—१८४८ की क्रांति की लहर ने डेन्मार्क पर भी प्रभाव डाला। वहाँ पर भी शासन सुधार किये गये और राजसत्ता का अनेक अंशों में लोकमत के अधीन किया गया।

अन्य प्रभाव—स्पेन, पोलेण्ड और आयरलैंड भी क्रांति की लहर से अछूते नहीं रहे। पोलेण्ड में अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए, पर वे बहुत मामूली किस्म के थे। उनसे लोगो की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आयरलैंड में भी विद्रोह हुआ, पर इंग्लिश लोगों ने उसे उठी सुगमता से शान्त कर दिया।

इतना ही नहीं, क्रांति की लहर ने अटलांटिक सागर पार कर अमेरिका पर भी असर डाला। वहाँ दास प्रथा को अन्त करने के लिये जो आन्दोलन चल रहा था, क्रांति की लहर से वह बहुत प्रचण्ड हो गया।

१८४८ में क्रांति की जो लहर उठी थी, वह सम्पूर्ण यूरोप पर एक प्रचण्ड तूफान के रूप में व्याप्त हो गई थी। मारा यूरोप उससे एक भयंकर भूकम्प के समान डिल गया था। शक्तिशाली सम्राटों के राजमिहासन डारवाँडाल हा गये थे, सदिया से दृढमूल विशेषाधिकारों और विषमताओं को भारी आघात पहुँचा था। परन्तु फिर भी प्राय सभी देशों में क्रांति असफल रही। पुराने जमाने की सथायें और

स्वेच्छाचारी राजशक्ति क्रान्ति को कुचलने में समर्थ रही। उस समय के लोग इससे क्या परिणाम निकालते थे? वे समझते थे, कुछ विगड़े दिमाग हमेशा व्यवस्था और शान्ति को भंग करने के लिये उत्सुक रहते हैं। दुनिया तो हमेशा से ऐसे ही चली ग्या रही है, कुछ लोगों को शासन करना है, दूसरों को शासन में रहना है। बड़े लोग हमेशा बड़े ही रहेंगे। गरीब मजदूर उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? पाँचों उँगलियाँ क्या कभी बराबर हो सकती हैं? निस्सन्देह, १८४८ की घटनाओं ने अन्ततोगत्वा इन विचारों को सत्य सिद्ध कर दिया। परन्तु वास्तविकता क्या थी? अब एक सदी गुजर जाने के बाद हम क्या देखते हैं? १८४८ के क्रान्तिकारी जो कुछ चाहते थे, वह सब कुछ तो क्रिया में परिणत हो ही चुका है, दुनिया उससे भी बहुत आगे बढ़ गई है। १८४८ के क्रान्तिकारी विचार आज अनेक अंशों में पिछड़े हुए लोगों के खयाल प्रतीत होते हैं। मानवीय उन्नति का यही क्रम है। १८४८ की क्रान्ति की लहर ने असफल होकर भी लोगों में एक नवीन दृष्टि, नयीन कल्पना और नवीन भावना को उत्पन्न कर दिया था। क्रान्ति का उद्दिष्ट स्थान अभी बहुत दूर था। वहाँ एक दौड़ में नहीं पहुँचा जा सकता था। पर उसके लिये हाथ पैर हिलाना तो अनिवार्य ही था। १८४८ में एक बार जनता ने पूरी कोशिश के साथ उस ओर भागने की कोशिश की। पर उनके हाथ पैर पुराने जमाने की जंजीरों में जकड़े हुए थे। १७९३ और १८३० की तरह इस बार भी जनता की सम्पूर्ण शक्ति इन जंजीरों को तोड़ने में ही खर्च हो गई। पर क्या इन जंजीरों का तोड़ फेंकना और जरा देर के लिये हाथों पैरों को खुले तौर पर हिला हुला करना साधारण बात थी? नहीं, क्रान्ति की यह भी मामूली सफलता नहीं थी।

चौबीसवाँ अध्याय

नैपोलियन तृतीय का साम्राज्य

(१) सम्राट् नैपोलियन तृतीय का अभ्युदय

लुई नैपोलियन का प्रारम्भिक जीवन—१८४८ की राज्य-क्रान्ति के बाद लुई नैपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार फ्रेञ्च रिपब्लिक का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। लुई नैपोलियन का जन्म सन् १८०८ में दुइलर्स के राजप्रासाद में हुआ था। उसका शैशवकाल बहुत ही आनन्द में व्यतीत हुआ था। उस समय में फ्रांस का भाग्यविधाता नैपोलियन बोनापार्ट था। बोनापार्ट परिवार के सब व्यक्ति ऊँचे से ऊँचे राजकीय सम्मान प्राप्त कर रहे थे। लुई नैपोलियन का लालन पालन भी राजकुमारों के समान हुआ। पर उसके ये सुख-वैभव के दिन देर तक न रहे। वाटर्लू के रणक्षेत्र में परास्त होकर जब नैपोलियन का पतन हुआ; और पुराने बोनापार्ट राजवंश के आधिपत्य का पुनरुद्धार किया गया—तब बोनापार्ट परिवार के सब व्यक्ति अत्यन्त दुर्दशाग्रस्त हो गये। १८१६ में जब लुई नैपोलियन की आयु केवल ८ वर्ष की थी, उसे फ्रांस छोड़कर विदेशों में भागना पड़ा। उसके जीवन का अधिकांश भाग स्विटजरलैण्ड और जर्मनी में व्यतीत हुआ। अभी नैपोलियन बोनापार्ट का पुत्र “रोम का बादशाह” जीवित था। नैपोलियन के

सम्पूर्ण भक्त उसी को अपना नेता मानते थे । नैपोलियन इस नाम में एक अद्भुत जादू था । बहुत से लोग इस प्रकार के थे, जो फ्रांस में फिर नैपोलियन का आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे । वे सब “रोम के बादशाह” को ही अपना नेता मानते थे । पर १८३२ में इस नैपोलियन द्वितीय या “रोम के बादशाह” की मृत्यु हो गई । अब नैपोलियन दल का नेता और नेता लुई नैपोलियन बना । १८३२ के बाद १६ वर्ष तक वह निरन्तर फ्रांस का भाग्यविधाता बनने के लिये पटुयन्त्र करता रहा । वह बड़ा उत्तम लेखक था । अपने लेखों में वह सदा यही प्रदर्शित करता था कि मैं क्रांति का प्रबल पक्षपाती हूँ । नैपोलियन के नाम में एक अद्भुत जादू तो था ही, उसके अतिरिक्त लुई नैपोलियन के क्रांतिकारी विचारों ने उसे और भी अधिक लोकप्रिय बना दिया था । १८४० में नैपोलियन प्रथम के भौतिक अवशेष सेन्ट हेलेना से पेरिस लाये गये । उस समय सम्पूर्ण फ्रांस में असाधारण रूप से उत्साह तथा जोश का संचार हुआ । जनता वीरों की हमेशा पूजा करती है । नैपोलियन के गौरवमय कृत्यों को फ्रेञ्च लोग कैसे भुला सकते थे । उन्होंने अपने राष्ट्रीय वीर की अस्थियों के प्रति असाधारण सम्मान और श्रद्धा का परिचय दिया । इस दशा में से लुई नैपोलियन का महत्त्व बढ़ गया । प्रथम नैपोलियन की महत्ता से उसके भतीजे ने भी लाम उठायी । लुई नैपोलियन भी वीरों की तरह पुजने लगा । आखिर, अपने राज्य शासन की रक्षा के लिये उस समय के राजा लुई फिलिप ने यह आवश्यक समझा कि लुई नैपोलियन को जेल में डाल दिया जावे । केद होने से लुई नैपोलियन का महत्त्व और भी अधिक बढ़ गया । लोग उसे शहीद समझने लगे । १८४६ में वेश बदलकर वह केद से भाग निकला और इङ्ग्लैण्ड जा पहुँचा ।

द्वितीय फ्रेञ्च रिपब्लिक का राष्ट्रपति—वहाँ वह उपयुक्त

अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। १८४८ में जब फ्रांस में राज्यक्रांति हुई, तब वह अपने देश वापिस लौट आया और क्रांतिकारियों में सम्मिलित हो गया। राष्ट्रीय महासभा में वह चार स्थानों से प्रतिनिधि चुना गया था—यह उसकी लोकप्रियता का अच्छा प्रमाण है। राष्ट्रपति के लिये वह उमीदवार सड़ा हुआ। नैपोलियन दल तो उसका समर्थक था ही, रिपब्लिकन दल के बहुत से लोग भी उसी के पक्ष में थे। परिणाम यह हुआ कि निर्वाचन में उसे असाधारण सफलता हुई। अपने सुप्रसिद्ध चचा नैपोलियन बोनापार्ट की तरह वह भी फ्रेञ्च रिपब्लिक का राष्ट्रपति बन गया।

२ दिसम्बर १८५१ का पड्यन्त्र—राष्ट्रपति बनकर नैपोलियन तृतीय अपनी वैयक्तिक स्थिति को सुदृढ करना चाहता था। इसके लिये आवश्यक था, कि सब लोगों को संतुष्ट किया जावे। फ्रांस की अधिकांश जनता रोमन कैथोलिक धर्म को माननेवाली थी। इसलिये जब रोम में पोप के विरुद्ध जनता ने विद्रोह किया, तब उसने पोप की सहायता की। इसके अतिरिक्त, कैथोलिक लोगों को संतुष्ट करने के लिये उसने शिक्षा का कार्य पादरियों के सुपुर्द कर दिया। उस समय फ्रांस में मजदूरों का बहुत जोर हो रहा था, अतः उन्हें संतुष्ट करने के लिये भी कार्य नहीं चल सकता था। मजदूरों को सुशान करने के लिये लुई नैपोलियन ने अनेक विध कानूनों का निर्माण किया। वृद्धावस्था में मजदूरों के लिये पेंशियन तर्क की व्यवस्था की गई। मध्यश्रेणी के लोगों को संतुष्ट करने के लिये व्यापार और व्यवसाय के संरक्षण को दृष्टि में रख कर अनेक व्यवस्थायें की गईं। इस प्रकार अपनी स्थिति को मजबूत कर उसने शासन विधान में ऐसे परिवर्तन कराने का उद्योग प्रारम्भ किया, जिनसे कि वह दुबारा फिर राष्ट्रपति निर्वाचित हो सके। परन्तु राष्ट्रप्रतिनिधि सभा ने इसे स्वीकृत नहीं किया। जब नैपोलियन ने देखा कि अन्य कोई उपाय नहीं है, तब उसने स्वयं

कानून का उल्लंघन कर पड्यन्त्र करने का निश्चय किया। २ दिसम्बर, १८५१ के दिन प्रातः काल जब लोग सोकर उठे, तो उन्होंने देखा कि पेरिस की सब गलियों में दीवारों पर बड़े बड़े इशितहार लगे हुए हैं, जिनमें कि नैपोलियन तृतीय ने उद्घोषणा की है कि राष्ट्रप्रतिनिधि सभा को बर्खास्त किया जाता है और वोट देने का अधिकार सब लोगों को दिया जाता है। राष्ट्रप्रतिनिधि सभा के एक कानून ने वोट का अधिकार बहुत सीमित कर दिया था। जो लोग टैक्स देते थे, वे ही वोट का हक रखते थे। इस कानून से सर्वसाधारण जनता में बहुत असन्तोष पैदा हुआ था। नैपोलियन ने इसी असन्तोष से लाभ उठाया और सब लोगों को वोट का अधिकार देकर जनता की सहानुभूति को प्राप्त कर लिया। सर्वजनिक मताधिकार की उद्घोषणा के अनन्तर नैपोलियन ने जनता से यह आवेदन किया था, कि नवीन शासन विधान तैयार करने का कार्य मुझे सुपुर्द किया जावे।

इस इशितहार के साथ ही गिरफ्तारियों का मिलसिला प्रारम्भ कर दिया गया। २७ हजार के लगभग रिपब्लिकन नेताओं को गिरफ्तार किया गया या देशनिकाला दिया गया। इस कायवाहो से जब पेरिस में विद्रोह हुआ, तो सेना को बुलाया गया। विद्रोहियों पर निर्दयता से गोलाबारी मी गई। १५० से अधिक आदमी गोली से उडा दिये गये। नैपोलियन तृतीय का पड्यन्त्र सफल हो गया। सेना पहले से ही उसके काबू में थी। कोई आदमी उसका विरोध नहीं कर सका। जिसने जरा भी आवाज उठाई, उसे कुचल दिया गया।

इसके बाद नैपोलियन ने जनता के वोट के लिये निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित किया—केश्व जनता की इच्छा है कि लुई नैपोलियन बोनापार्ट का आधिपत्य कायम रहे और जनता उसे अधिकार देती है कि २ दिसम्बर १८५१ की उद्घोषणा के आधार पर नवीन शासन

विधान का निर्माण करे।" २१ वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक फ्रेञ्च पुरुष को इस प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में वोट देने का अधिकार दिया गया। ७७ लाख ४० हजार वोट प्रस्ताव के पक्ष में आये और ६ लाख ४६ हजार विरोध में। इस वोट का परिणाम यह हुआ कि लुई नेपोलियन बोनापार्ट प्राप्त का एकमात्र भाग्यविधाता बन गया।

नवीन शासन-विधान का निर्माण—जनवरी १८५२ में नवीन शासन विधान तैयार हुआ। नेपोलियन को ४ वर्ष के स्थान पर १० वर्ष के लिये राष्ट्रपति नियत किया गया। उसे यह भी अधिकार प्राप्त हुआ कि वह अपना मन्त्रिमण्डल स्वयं नियत करे। व्यवस्थापन विभाग में तीन सभायें रखा गईं—(१) राज्य परिषद्—इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जावे और यह कानून तैयार करने का काम करें। (२) व्यवस्थापिका सभा इसके सदस्यों की संख्या २५० हो और इन्हें निर्वाचित करने के लिये सम्पूर्ण पुरुष जनता को वोट का अधिकार प्राप्त हो। यह सभा प्रस्तावित कानूनों पर बहस करे और उन पर अपना मत निश्चित करे। (३) सीनेट—इसके सदस्य भी राष्ट्रपति द्वारा जन्म भर के लिये नियत किये जावे और इनका कार्य इस बात का रखना हो कि कोई कानून शासन विधान के विरुद्ध स्वीकृत न हो सके। इस शासन-विधान में वास्तविक राज्यशक्ति राष्ट्रपति के हाथों में दे दी गई थी। तीन सभाओं में से दो के सदस्यों की नियुक्ति उसी के अधीन थी। लुई नेपोलियन को अपनी मनमानी करने का पूर्ण अवसर था। दस साल के लिये उसकी गद्दी सुरक्षित थी। उसे पछुनेवाला कोई न था। मन्त्रियों को उसे नियत करना था। अधिकांश व्यवस्थापक उसे नियत करने थे। वह फ्रांस का एकमात्र भाग्य-विधाता बन गया था।

सम्राट् नेपोलियन तृतीय—परन्तु नेपोलियन तृतीय इससे
५१० २२

संतुष्ट नहीं था। अभी एक कसर बाकी थी। अभी वह सम्राट् नहीं बना था। उसकी माता पंचपन से ही उसे कहा करती थी—जिस नाम के साथ बोनापार्ट लगा होता है, वह ससार में कोई असाधारण काम कर दिखाने के लिये उत्पन्न होता है। लुई नैपोलियन अपने चचा का अनुकरण करने के लिये उत्सुक था। वह राष्ट्रपति न रहकर सम्राट् बनना चाहता था। वास्तविक शासन शक्ति उसके हाथ में ही आ चुकी थी, एक रुदम और शेष था, उनके लिये भी उपयुक्त अवसर प्राप्त होने में देर नहीं लगी।

१८५२ में शासन सूत्र को अपने हाथों में करके लुई नैपोलियन ने सम्पूर्ण फ्रांस की यात्रा की। सब जगह उसका बड़ा धूमगाम के साथ स्वागत हुआ। अनेक समाचारपत्रों के सवाददाता उसके साथ थे। यात्रा के समाचार उड़े जोर शोर से अखबारों में छप रहे थे। उसके पक्षपाती सवाददाता उड़े विस्तार में सवाद अखबारों में प्रकाशित करता रहे थे कि किस प्रकार समान स्थान पर लुई नैपोलियन का स्वागत हो रहा है, किस प्रकार जनता 'सम्राट् की जय' के नारों के साथ उसका अभिनन्दन कर रहा है। वस्तुतः, 'नैपोलियन बोनापार्ट' इस नाम में ही कोई ऐसा जादू था, जिससे कि वह जहाँ कहीं भी पहुँचता था, लोग उसके दर्शनों के लिये एकत्रित हो जाते थे। असली नैपोलियन अब नही था, पर उसका छाया मौजूद थी। इन यात्रा के बाद १ दिसम्बर १८५२ को नैपोलियन ने सीनेट के सम्मुख भाषण करते हुए कहा कि जनता की वास्तविक इच्छा यह है कि मुझे सम्राट् नियुक्त किया जावे। सीनेट में यह प्रस्ताव स्वीकृत होते देर नहीं लगी। इसके बाद सम्पूर्ण फ्रेञ्च जनता की सम्मति इस प्रस्ताव पर ली गई। ८० लाख से अधिक वोट प्रस्ताव के पक्ष में आये। नैपोलियन की हार्दिक आकांक्षा पूर्ण हुई। फ्रांस में रिपब्लिक के स्थान पर फिर राजसत्ता स्थापित हो गई।

(२) लुई नैपोलियन का शासन

नेपोलियन तृतीय ने १८५२ से १८७० तक राज्य किया। यह काल फ्रांस के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। शान्ति और व्यवस्था की दृष्टि से यह काल अद्वितीय था। फ्रेञ्च लोगों ने इस काल में असाधारण उन्नति की। यद्यपि इस उन्नति और समृद्धि का श्रेय नैपोलियन के कर्तृत्व को प्राप्त नहीं है, तो भी इसमें सन्देह नहीं कि उसके शासन की शान्ति और व्यवस्था ने इस सर्वतोमुखी उन्नति में बहुत कुछ सहायता दी। इस काल में देश का वास्तविक शासन नैपोलियन के अधीन था, पर लोकतन्त्र के शासन का ढाँचा कायम रखा गया था। व्यवस्थापिका सभायें मौजूद थीं, लोगों का वोट का अधिकार प्राप्त था। लोकतन्त्र के पक्षपाती तथा उदार विचारों के लोग इससे सन्तुष्ट थे। पर धीरे-धीरे शासन की वास्तविकता का उन्हें बोध हुआ, वे सुधार के लिये आन्दोलन करने लगे। वे कहते थे, कि मन्निमण्टल को गम्नाट के प्रति उत्तरदायी न होकर पार्लियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये। आन्तिर, वे अपने आन्दोलन में सफल हुए। नैपोलियन तृतीय के शासन के अन्तिम साल में, १८७० में यह महत्वपूर्ण सुधार कर दिया गया और मन्निमण्टल व्यवस्थापिका गम्नाट के प्रति उत्तरदायी हो गया।

नेपोलियन के शासन में काम को बहुत उन्नति हुई। अनेक नये रैल्वे खुले। व्यापार और व्यवसाय बहुत बढ़े। रेल, सड़क, नहर आदि के निर्माण में बहुत नये मजदूरों को कार्य मिला। जंगलात में उन्नति हुई। बहुत से नये जंगल लगवाये गये। नदियों पर पुल बनवाये गये। अनेक मार्गजनिक इमान्चें खड़ों की गईं। दलदलों को सुगमने की योजना की गई। राजधानी पेरिस को सुन्दर तथा समृद्ध बनाने के लिये अनेक प्रकार से उद्योग किये गये। अनेक पार्कों और उद्यानों

की सृष्टि की गई। कृषि की उन्नति के लिये विशेष रूप से प्रयत्न हुआ। कृषि सम्बन्धी शिक्षा का प्रसार करने के लिये देहातों में प्रारम्भिक कृषि विद्यालय स्थापित किये गये। अच्छे पल, अनाज और पशुओं के लिये विविध पाण्डित्यियों की व्यवस्था की गई। लोगों में खेती सम्बन्धी जानकारी को बढ़ाने के लिये अनेक कृषि सभाओं का संगठन किया गया। इन सब प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि खेती ने बहुत तरकीबी की। किसानों की हालत कुछ से कुछ हो गई। उनके झोंपड़े मनुष्यों के लिये रहने लायक अच्छे नये टग के घरों के रूप में परिवर्तित हो गये।

मजदूरों की दशा सुधारने के लिये भी अनेक नियम बनाये गये। श्रमिया को अपने संघ बनाने का अधिकार है, यह बात कानून द्वारा स्वीकृत की गई। इससे पूर्व श्रमियों को अपने संघ तक बनाने का अधिकार प्राप्त न था। साथ ही, श्रमी लोग हड़ताल कर सकते हैं, यह अधिकार भी स्वीकृत किया गया। कारखानों में काम करते हुए अगर कोई मजदूर घायल हो जावे, या मर जावे, तो उसके परिवारवालों की सहायता की उत्तरदायिता राज्य को अपने ऊपर लेनी पड़ती थी। मजदूरों में भी सहोद्योग समितियों को संगठित करने का प्रयत्न किया गया।

व्यापार और व्यवसाय की उन्नति के लिये भी प्रयत्न किया गया। सड़कें और रेलवे की उन्नति ने व्यापार में बहुत सहायता पहुँचाई। बेंचों के प्रसार में व्यवसाय के लिये पूँजी प्राप्त कर सजना सुगम हो गया। डाकखाना का विस्तार किया गया। फ्रांस से बाहर जानेवाले निर्यात माल की मात्रा १ अरब रुपये से भी ऊपर पहुँच गई। पेरिस के व्यापारी इस काल को 'व्यापार का सुवर्णयुग' के नाम से पुकारते थे।

इस प्रकार फ्रांस आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त उन्नति कर रहा था। पर राजनीतिक स्वतन्त्रता की दृष्टि से फ्रांस बहुत पीछे रह गया था। लोगों

की लिराने, बोलने और मुद्रण की स्वतन्त्रता नहीं थी। अरबगारों पर कड़ी निगरान् रसी जाती थी। विश्वविद्यालय के अध्यापकों को नैपोलियन के प्रति भक्ति की शपथ लेनी पडती थी। इतिहास और दर्शनशास्त्र का अध्ययन नैपोलियन को पसन्द नहीं था। अनेक विश्वविद्यालयों में इनका अध्ययन ही बन्द कर दिया था। अध्यापकों को आज्ञा दी गई थी, कि वे अपनी मूर्खों को मुँडा कर रनें, ताकि उनकी "शक्तियों से भी अराजकता का कोई निशान प्रगट न हो सके।" गुप्तचरों की शक्ति की कोई सीमा न रही थी। मनुष्यों का कोई भी कार्य गुप्तचरों से सुरक्षित न था। सरकार और सम्राट् को आलोचना करना भारी अपराध था। दो हजार से अधिक लोगो का केवल इसी अपराध पर कैद किया गया था, क्योंकि उन्होंने सरकार की आलोचना की थी।

नैपोलियन तृतीय ने अमेरिका में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये विशेष रू से प्रयत्न किया था। १८६२ में नैपोलियन द्वारा भेजे हुए ३० हजार सैनिकों ने मैक्सिको पर आक्रमण किया। मैक्सिको जीत लिया गया और उस पर फ्रांस का कब्जा हो गया। पर यह कब्जा देर तक कायम नहीं रह सका। मैक्सिकन लोग मुफ्तले के लिये तैयार हो गये और समुक्त प्रदेश अमेरिका ने 'मुनरो सिद्धान्त' की द्वाइँ देकर उसका विरोध किया। परिणाम यह हुआ कि मैक्सिको फ्रेंच अधीनता से स्वतन्त्र हो गया। इस प्रकार यद्यपि अमेरिका में नैपोलियन को असफलता हुई, पर एशिया में उसकी आकांक्षा पूर्ण हुई। कोचीनचायना और अनाम पर फ्रेंच अधिकार स्थापित करने में वह पर्याप्तया सफल हुआ (१८५८)। १८६३ में कम्बोडिया को भी वह अपनी सरकार में ले आया।

इसमें सन्देह नहीं, कि नैपोलियन तृतीय कुशल और बुद्धिमान् शासक था। अपनी नीति कुशलता और बुद्धिमत्ता से वह पर्याप्त सफलता के साथ शासन करने में समर्थ हुआ। उसके पतन के प्रधान कारण वैदेशिक युद्ध थे, जिनका हम अभी उल्लेख करेंगे।

(३) विदेशी युद्ध और पतन

जिन विदेशी युद्धों के कारण नैपोलियन तृतीय का पतन हुआ, उनका विशद रूप से वर्णन अगले अध्यायों में होगा। वे सब युद्ध इटली, आस्ट्रिया और जर्मनी के साथ सम्बन्ध रखते हैं और उनका विवरण इन देशों के इतिहास में ही अधिक उपयुक्त रहेगा। पर इस प्रकरण में भी उनका अत्यन्त संक्षेप के साथ उल्लेख कर देना अनुचित नहीं है।

नैपोलियन तृतीय की महत्वाकांक्षा थी कि अपने चचा का अनुकरण कर यूरोप के विदेशी मामलों में हस्तक्षेप करे। १८५४ के क्रिमियन युद्ध में उसने रशिया के विरुद्ध टर्की की सहायता की। इस युद्ध में फ्रांस के ७५ हजार सैनिक मारे गये, और सवा अरब रुपये खर्च हुए। पर फ्रांस को लाभ क्या हुआ? कुछ नहीं। नैपोलियन यह गर्व अवश्य कर सकता था कि शान्तिपरिषद् का अधिवेशन उसकी छत्रछाया में पेरिस में हो रहा है। १८५६ में जब उत्तर इटली ने आस्ट्रियन शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, तब नैपोलियन ने इस शर्त पर इटली की सहायता करना स्वीकृत किया कि नीस और सेवाय के प्रदेश फ्रांस को दिये जायेंगे। ये दोनों प्रदेश उसे मिल गये, पर युद्ध की समाप्ति से पूर्व ही नैपोलियन युद्ध से अलग हो गया और परिणाम यह हुआ कि इटली और आस्ट्रिया दोनों ही उसके विरुद्ध हो गये। नैपोलियन तृतीय का मुख्य युद्ध प्रशिया के साथ हुआ। १८७० के इस फ्रेंच-प्राशियन युद्ध का वर्णन हम आगे चलकर निरन्तर से करेंगे। यहाँ इतना लिखना पर्याप्त है कि विस्मार्क के नेतृत्व में प्रशिया जर्मनी का जिस ढंग से संगठन कर रहा था, वह नैपोलियन को बिलकुल भी सह्य नहीं था। रूढ़ान नदी के समीपवर्ती प्रदेशों पर प्रशिया जैसे शक्तिशाली राज्य का प्रभाव स्थापित हो जाये,

यह बात नेपोलियन का दृष्टि में फ्रांस के लिये घातक थी। वह युद्ध के लिये उपयुक्त अवसर ढूँढ़ रहा था। जब किसी काम को करने के लिये इरादा मन चुका हो, तो उसके लिये पहाना ढूँढ़ने में देर नहीं लगती। नेपोलियन प्रशिया की बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट करने के लिये तुला हुआ था। इसने लिये उसे शीघ्र ही उपयुक्त अवसर प्राप्त हो गया।

स्पेन का स्वेच्छान्वारी साम्राज्य इसाबेला के विरुद्ध जनता ने बिद्रोह कर उस राज्यच्युत कर दिया था। स्पेनिश लोगों के सम्मुख प्रश्न यह था कि अब राजगद्दी पर किसे ठिठाया जाय ? आखिर, उन्होंने प्रशिया को राजा के भाई लियोपोल्ड को इस पद के लिये निवाचित किया। ज्योंही नेपोलियन ने इस समाचार को सुना, वह आगबबूला हो गया। प्रशिया और स्पेन—दो शक्तिशाली राज्यों की राजगद्दी पर एक होठे-सोलन राजवश का शासन हो—यह बात नेपोलियन कैसे बह सकता था ? उसने इस प्रस्ताव का सख्त विरोध किया। उसने उद्घोषणा की कि फ्रांस इस बात को कभी भी सह न सकेगा। नेपोलियन के विरोध का यह परिणाम हुआ, कि लियोपोल्ड ने स्वयमेव राजगद्दी की उम्मीदवारी का परित्याग कर दिया। पर नेपोलियन तो युद्ध के लिये तुला हुआ था। उसने उद्घोषित किया कि लियोपोल्ड की और स उम्मीदवारी का परित्याग कर देना ही मुझे सतुष्ट करने के लिये पयाप्त नहीं है। प्रशिया को प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि भविष्य में कभी भा हे-ट्मोलन वश का कोई कुमार स्पेन की राजगद्दी का उम्मादवार नहा हागा। निस्सन्देह नेपोलियन की यह प्यादती थी। पर वह तो प्रशिया की शक्ति को नष्ट करने के लिये युद्ध का अवसर ढूँढ़ने को उत्सुक था। यह अवसर उसे प्राप्त हो गया। प्रशिया और फ्रांस—दो देशों में युद्ध की तैयारी होने लगी। फ्रांस को प्रशियन युद्ध प्रारम्भ हो गया। प्रशिया युद्धनीति में बहुत अधिक उन्नति कर

चुका था। उसकी सेनायें बहुत रणकुशल तथा सघी हुई थीं। फ्रांस उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। २ सितम्बर १८७० को सीडन के रणक्षेत्र में नैपोलियन तृतीय की बुरी तरह पराजय हुई। दो दिन बाद इस भयकर पराजय का समाचार पेरिस पहुँचा। लोग में सनसारी फैल गई। पार्लियामेंट का भवन उत्सुक जनता ने घेर लिया। 'रिपब्लिक की जय' के नारा में आकाश गूँज उठा। व्यवस्थापिका सभा में प्रस्ताव पेश किया गया कि नैपोलियन और उसके बंश का राज्यच्युत किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। मेम्ब्रेटा नाम के रिपब्लिकन नेता के नेतृत्व में लोग एकत्रित हुए और तीसरा बार फ्रांस में रिपब्लिक की स्थापना की गई।

इस बीच में परास्त नैपोलियन तृतीय फ्रांस से भाग कर ब्रेन प्रिटेम पहुँच गया था। उसका शेष जीवन वहीं पर व्यतीत हुआ।

नैपोलियन तृतीय के पतन के क्या कारण थे ? उसका शासन एकतन्त्र और स्वेच्छाचारी था। लोकतन्त्र शासन का ढांग कायम होते हुए भी यह सर्वथा स्पष्ट था कि जनता का शासन न हाथर एक व्यक्ति फ्रांस का शासन कर रहा है। समय को देखते हुए वह बात नेर तरु महन नहीं की जा सकती थी। यही कारण है, कि लागा में असन्तोष के चिह्न प्रगट होने शुरू हो गये थे। इसके अतिरिक्त नैपोलियन तृतीय ने अपनी वैदेशिक नीति में भारी भूल की थी। इन्हा भूला का परिणाम था कि फ्रेंच प्रशियन युद्ध में अन्य काइ भी देश उसकी महायत्ता के लिये अग्रसर नहीं हुआ था।

पच्चीसवाँ अध्याय इटली की स्वाधीनता

नैपोलियन प्रथम के युद्धों के बाद इटली में राष्ट्रीय एकता की अनुभूति उत्पन्न हो चुकी थी। रोम का प्राचीन गौरव लोग अभी भूले न थे। किसी समय में इटली ने सभ्य सभ्यता पर हुम्मत की थी। विद्या, विज्ञान, कला, संगीत, धर्म आदि सब क्षेत्रों में संसार इटली का सिद्धा मानता था। इटालियन देशभक्त अपने इतिहास से भली भाँति परिचित थे। वे एक बार फिर अपने देश को संसार का शिरोमणि देखने को उत्सुक थे। नैपोलियन ने जब सम्पूर्ण इटली को जोतकर एक “इटालियन राज्य” की स्थापना की थी, तब इस विदेशी शासन से अन्य हानियाँ चाहे कितनी ही क्यों न हुई हों, पर यह लाभ भी अवश्य हुआ था कि इटालियन लोग भली भाँति अनुभव करने लग गये थे कि हम सब एक देश के वासी हैं और हम सबको एक राष्ट्र में ही संगठित रहना चाहिये। नैपोलियन के पतन के बाद प्रतिक्रिया का काल प्रारम्भ हुआ। वीएना की कांग्रेस में यूरोप की जिस प्रकार पुनः व्यवस्था की गई, उसमें जनता की इच्छा और राष्ट्रीय भावनाओं पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। इटली में पुराने राजवंशों का पुनरुद्धार किया गया। उत्तरीय इटली के अधिकांश प्रदेश पर आस्ट्रिया

का शासन स्थापित किया गया। १८२०, १८३० और १८४८ में यूरोप में क्रान्ति की जो लहरें चलीं, उन सब ने इटली पर प्रभाव डाला। स्थान स्थान पर विद्रोह हुए। पर देशभक्त अपने प्रयत्नों में सफल न हो सके। विशेषतया १८४८ की क्रान्ति की असफलता के कारण इटली में बहुत मुर्दानगी छा गई थी। हजारों देशभक्त कैद में पड़े सड़ रहे थे, सैरुड़ों तलवार के घाट उतार दिये गये थे। जो किसी प्रकार मृत्यु व जेल से बच सके थे, वे विदेशों में भाग कर अपनी जान बचा रहे थे। विदेशों में रहकर उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करते रहने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग उनके सम्मुख शेष न रहा था। १८४८ की क्रान्ति ने इटली में भयंकर रूप धारण किया था। उसकी असफलता के बाद प्रतिक्रिया भी उतनी ही भयंकर हुई थी।

रिपब्लिकन दल—इटली को किस प्रकार स्वाधीन किया जावे—इस विषय में सब देशभक्त आपस में एकमत न थे। एक दल रिपब्लिकन का पक्षपाती था। ये लोग राजसत्ता से तग हो चुके थे। नेपलन आदि के राजाओं ने पिछले दिनों में शासन-सुधार की प्रतिज्ञायें करके किस प्रकार उनका उल्लंघन किया था—इस बात की कट्टि स्मृति इनके सम्मुख थी। रिपब्लिकन दल के लोग समझते थे कि सम्पूर्ण राजवंशों और राजगद्दियों का अन्त कर इटली भर में एक रिपब्लिकन स्थापित किये बिना देश का उद्धार नहीं हो सकता। इस दल का सबसे बड़ा नेता मेजिनी था। मेजिनी का जन्म सन् १८०५ में हुआ था। उमरु पिता डाक्टर था और फ्रेञ्च राज्यक्रान्ति का बड़ा पक्षपाती था। बचपन में ही मेजिनी ने अपने पिता से फ्रेञ्च राज्यक्रान्ति और रिपब्लिकन शासन की गौरवमय कथाओं का श्रवण किया था। उसके हृदय में शुरू से ही क्रांतिकारी भाव प्रबल हो गये थे। उम समय इटली में फ्रांस के क्रांतिकारी इतिहास का पढ़ना भी भयंकर अपराध था। पर मेजिनी के पिता ने अपने पुस्तकालय में चिकित्सा।

सम्बन्धी ग्रन्थों के पीछे छिपाकर फ्रांस की क्रान्ति सम्बन्धी पुस्तकें रखी हुई थीं। मेजिनी इन्हें छिप छिपकर पढा करता था। क्रांतिकारी साहित्य के पढने से मेजिनी में अपने देश को स्वाधीन कराने तथा फ्रेञ्च ढंग की रिपब्लिक स्थापित करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। वह इटली की प्रसिद्ध क्रांतिकारी गुप्त संस्था 'कार्बोनारी' का सदस्य बन गया। यह संस्था १८१५ में स्थापित हुई थी और इसका उद्देश्य एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन का अन्त कर नवीन युग की स्थापना था। कार्बोनारी की शाखाएँ यूरोप भर में व्याप्त थीं और इसका सदस्यों की संख्या लाखों तक पहुँचा हुआ था। १८३० में मेजिनी गिरफ्तार हुआ गया और सेवोना के किले में कैद कर दिया गया। यहाँ रहते हुए उसने गुप्तलिपि में स्वतन्त्र क्रांतिकारियों से पत्र व्यवहार प्रारम्भ किया और जेल में रहते हुए भी क्रांति के लिए प्रयत्न करना बन्द नही किया। सेवोना की कैद में ही मेजिनी ने अनुभव किया कि कार्बोनारी जैसा गुप्त समितियाँ से देश का उद्धार नहीं हो सकता। यदि बस्तुतः इटली का उन्नति अर्थात् हा, तो जनता में और विशेषतया नवयुवकों में ऊँचे विचारों और नवीन आदर्शों का संचार करना चाहिये। तब तक लोगो में नवीन विचारों का भला भाँत प्रचार नहीं होगा और इटली न नवयुवकों अपने देश की स्वतन्त्रता के लिये तीव्र आकांक्षा न अनुभव करने लगेंगे, तब तक स्वाधीनता का स्वप्न लेना सवथा निरर्थक है। इसी उद्देश्य में, तब से मुक्त होने के बाद उसने 'युवक इटली' नामक एक नवीन संस्था का संगठन किया। इसमें सन्देह नहीं, कि इस संस्था में इटली में बहुत चाण्डाली हुई। लागू नवीन युग की मल्पना करने लगे और पराधीनता के बंधनों को तोड़कर स्वाधीन इतालियन राष्ट्र का निर्माण के लिये प्रबल उत्सुकता उत्पन्न हुई। मेजिनी के अनुयायी रिपब्लिक के पक्षपाती थे। राजाओं में उन्हें कोई विश्वास नहीं था। मेजिनी चाहते

था कि छोटे छोटे राज्यों का अन्त होकर एक शक्तिशाली इटालियन राष्ट्र की स्थापना हो।

पोप का पक्षपाती दल—इटालियन देशभक्ता का दूसरा दल पोप के नेतृत्व में देश का सङ्गठन करना चाहता था। उस दल के लोग कट्टर रोमन कैथोलिक धर्म की माननेवाले थे। उनका खयाल था कि सम्पूर्ण इटली में एक ही ऐसा व्यक्ति है, जिसके असाधारण प्रभाव और अद्भुत सामर्थ्य के कारण सम्पूर्ण देश की निम्नी हुई शक्तियाँ एक मूल में सङ्गठित जा सकेंगी हैं। वह व्यक्ति है पोप। इस दल का प्रधान नेता गियावेगा नामक महापुरुष था।

वैय राजसत्तावादी दल—परन्तु इटली का भविष्य इन दोनों दलों के हाथ में नही था। इनके अतिरिक्त एक तीसरा दल था जो सार्डिनिया के राजा विक्टर एमनुअल द्वितीय के नेतृत्व में सम्पूर्ण इटली को सङ्गठित करना चाहता था। सार्डिनिया का यह नवयुवक राजा बहुत प्रतिभाशाली, उन्नत विचारों का तथा साहसी व्यक्ति था। १८४८ में सार्डिनिया के पहले राजा चार्ल्स एल्बर्ट ने आस्ट्रिया के साथ जिस प्रकार लड़ाई लड़ी थी और जिस तरह इटालियन देशभक्तों का साथ दिया था, उससे लोगों को प्रबल आशा हो गई थी कि भविष्य में भी देश का उद्धार इसी राजवंश से हो सकता है। विक्टर एमनुअल द्वितीय ने वैय राजसत्ता के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया था। उसने अपने राज्य में नवीन सिद्धान्तों पर आश्रित शासन विधान की स्थापना की थी। इसका परिणाम यह था कि उदार विचारों के लोग उसे बहुत मानते थे।

कावूर—इस दल का प्रधान नेता कावूर था। उसका जन्म मई १८१० में हुआ था। वह पीन्मीन्ट का रहनेवाला था। इटली में उस समय जो उदार आन्दोलन चल रहे थे, उनका कावूर पर बचपन में

ही प्रभाव पड़ा था। क्रांतिकारियों के ससर्ग में ग्राफर वह एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन का कट्टर विरोधी बन गया था। अपना सासारिक जीवन उसने एक सेनानायक के रूप में प्रारम्भ किया, पर शीघ्र ही सैनिक जीवन से तम ग्राफर उसका परित्याग कर दिया। इसके बाद उसने अपना अधिकांश समय राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों के अध्ययन में व्यतीत किया। इसा उद्देश्य से उसने ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की यात्रा की। इन देशों से जब वह वापिस आया, तो अपने देश के उद्धार के लिये भावी कार्यक्रम का निश्चय कर चुका था। यही कारण था, कि गुलिया उसे सन्देश की दृष्टि से देखती थी और हमेशा उस पर कड़ी निगाह रखती थी। ब्रिटिश शासन उसे सत्रमे अधिक पसन्द था। रिपब्लिकन उसे पसन्द नहीं आती थी। वह कहता था, राजा होना चाहिये, पर उसकी शक्ति को सीमित करने के लिये निश्चित शासन विधान और व्यवस्थापिका सभाये भी साथ होनी चाहियें। धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता गया और १८४८ की क्रांति के समय जब पीटमौन्ट में राष्ट्रीय महासभा का सगठन हुआ, तो लोगों ने अनुभव किया कि कावूर मामूली आदमी नहीं है, उसमें राष्ट्र का संचालन करने के लिये नेता के सत्र गुण विद्यमान हैं। पीटमौन्ट और सार्डिनिया के लिये जो नवीन शासन विधान १८४८ में बना था, उसके निर्माण में कावूर का बड़ा हिस्सा था। इसमें सन्देश नहीं कि न केवल सर्वे माधारण जनता, पर राजा और राजदरबार के लोग भी धीरे धीरे वह अनुभव करने लगे थे। कावूर ही एक ऐसा व्यक्ति है, जो इटली की समस्याओं को मुलभूत सकता है।

समस्यार्ये—१८५२ में कावूर को पीटमौन्ट + सार्डिनिया का प्रधान मन्त्री बनाया गया। उस समय उसकी आयु केवल ४२ वर्ष की थी। विक्टर एमेनुअल द्वितीय को कावूर पर पूरा भरोसा था। योग्य राजा को योग्य मन्त्री मिल गया था। प्रधान मन्त्री के पद पर आते ही,

कावूर ने अनुभव किया कि इटली का उद्धार करने के लिये निम्न लिखित समस्याओं का हल किये बिना काय न चलेगा—

(१) इटली को एकता और स्वाधीनता के लिये उत्तरीय प्रदेशों से आधिपत्य को नष्ट करना अवश्यम्भावी है। इस काय का नेतृत्व पीडमोंट का ही ग्रहण करना होगा। पर पीडमोंट अक्सर इसे नहीं कर सकता। उसके लिये एक तरफ तो सम्पूर्ण इटालियन राज्यों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये और दूसरी तरफ आदेशी सहायता के लिये भी उत्सुक करना चाहिये।

(२) आस्ट्रिया को पराजित करने के लिये अन्य इटालियन राज्यों का सहयोग किस प्रकार प्राप्त किया जावे, इस समस्या को हल कर सकना सुगम नहीं था। यद्यपि इटली में राष्ट्रीयता और स्वाधीनता के लिये आन्दोलन चल रहे थे पर इन आन्दोलनरुत्ताओं में एकता नहीं थी। सब के कार्यक्रम भिन्न भिन्न थे। साथ ही, विविध राज्यों को एक उद्देश्य से सगाठित कर सकना तो असम्भव हो प्रतीत होता था।

(३) आस्ट्रिया यूरोप का अत्यन्त प्रभावशाली तथा शक्तिशाली राज्य था। उसके विरुद्ध अन्य राज्यों की सहायता प्राप्त कर सकना पीडमोंट जैसे मामूली से राज्य के लिये सुगम काय न था। साथ ही, विविध राज्यों में जनता की भावनाओं के विरुद्ध एक हाकर मुफ्तला करने की प्रवृत्ति अब तक नष्ट नहीं हुई थी।

पीडमोंट की उन्नति—इन सब कठनाइयों का सामना कावूर ने बड़ी योग्यता और नातिशुशलता के साथ किया। अपने राज्य को उन्नत किये बिना किसी भी काय में सफलता नहीं हा सकती थी। अब सब से पहले पीडमोंट का उन्नति पर ध्यान दिया गया। व्यापार और व्यवसाय को उन्नत करने के लिये विशेष रूप से प्रयत्न किये गये। मुक्तद्वार वाणिज्य की नीति का अवलम्बन कर विदेशी व्यापार को सहायता पहुँचाई गई। कारखानों का राष्ट्रीय सहायता दी गई।

रेलवे का विस्तार किया गया। दलदलों और ऊजड़ प्रदेशों को हरे भरे खेतों के रूप में परिवर्तित किया गया। शिक्षा की उन्नति की गई। पीडमौन्ट की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हुई। देखते देखते पीडमौन्ट कहीं का कहीं पहुँच गया। राजकीय शक्ति और सहायता से देश-घात की घात में उन्नति कर जाते हैं। राज्य क्या है? मनुष्यों का अपने हित के लिये सामूहिक प्रयत्न ही तो है। १८वीं सदी तक प्रायः सम्पूर्ण सत्तार में राज्य थोड़े से शासकों के वैयक्तिक भुज के साधनमात्र होते थे। पर १९वीं सदी में जब राज्यों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ, शासकों ने अपनी शक्ति का प्रयोग सचमुच मनुष्यों की सामूहिक उन्नति के लिये करना प्रारम्भ किया, तो सर्वतोमुखी समृद्धि में जिस वेग से सहायता मिली, उसका वर्णन करना अशक्य है। कावूर के प्रयत्न से पीडमौन्ट थोड़े ही समय में कुछ का कुछ हो गया।

सम्पूर्ण इटालियन जनता का सहयोग—पर पीडमौन्ट की अपनी उन्नति से कुछ नहीं हो सकता था। उसकी कुल आबादी ५० लाख से अधिक नहीं थी। इतना छोटा सा राज्य आष्ट्रिया को परास्त नहीं कर सकता था। अतः राष्ट्रीय एकता के इस महान् कार्य के लिये सम्पूर्ण इटली के सहयोग की आवश्यकता थी। राजाओं से यह सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता था और न कावूर ने इसके लिये प्रयत्न ही किया। उसने क्रान्तिकारियों के अन्य दलों के साथ घातचीत की, और उन्हें पीडमौन्ट के राजा के द्वारा अपने देश का उद्धार करने के लिये तैयार किया। मेजिनी जैसे रिपब्लिकन तथा गेरिवाल्दी जैसे क्रांतिकारी उसकी सहायता के लिये उद्यत हो गये। यदि राजे और शासकवर्ग देशोद्धार के पवित्र कार्य में कावूर के साथ सम्मिलित नहीं हुए, तो क्या हानि थी? जनता की उसमें हार्दिक सहानुभूति थी, क्रांतिकारी दलों का सहयोग उसे प्राप्त था। कावूर को उद्देश्यपूर्ति के लिये यही बहुत काफी था। कर्बोनारी, युवक इटली आदि

संस्थाओं ने उसका साथ दिया। सम्पूर्ण इटली के समझदार तथा विचारशील लोग उसके साथ हो गये। कट्टर रोमन कैथोलिक लोगों को अपने पक्ष में करना कठिन था। काबूर ने उनका खुलमखुला विरोध किया। अपने राज्य पीडमोंट से तो उसने जेसुइट सम्प्रदाय के लोगों को बहिष्कृत तक कर दिया। इस प्रकार, यदि विविध इटालियन शासकों का नहीं, तो कम से कम सम्पूर्ण जनता का सहयोग प्राप्त करने में वह सफल हुआ।

विदेशी सहायता—विदेशी सहायता प्राप्त कर सकना अधिक कठिन कार्य था। पर काबूर ने इसमें भी असाधारण सफलता प्राप्त की। वह भलांभाँति समझता था कि आस्ट्रिया के विरुद्ध यदि किसी अन्य देश की सहायता प्राप्त की जा सकती है, तो वह देश फ्रांस ही। वह कहा करता था—‘हम चाहे पसन्द करें या न करें, पर यह निश्चित है कि हमारा भाग्य फ्रांस पर आश्रित है।’ शीघ्र ही यूरोप के रगमञ्च पर जो नाटक खेला जावेगा, उसमें हम फ्रांस के साथ होंगे। फ्रांस से मैत्री स्थापित करने के लिये वह बहुत उत्सुक था और इसके लिये उपयुक्त अवसर प्राप्त करने में उसे देर न लगी। १८५४ में प्रसिद्ध क्रीमियन युद्ध प्रारम्भ हुआ। इसमें फ्रांस, टर्की और ब्रिटेन एक तरफ थे और रशिया दूसरी तरफ। १८५५ में काबूर ने क्रीमियन युद्ध में फ्रांस का साथ दिया और अपने १७ हजार सैनिक क्रीमिया के रणक्षेत्र में भेज दिये। क्रीमियन युद्ध की समाप्ति पर सन्धि के लिये पेरिस में जो परिपक्व हुई, उसमें पीडमोंट की तरफ से काबूर भी सम्मिलित हुआ। यूरोपियन राज्यों से परिचय प्राप्त करने, फ्रांस से मित्रता करने और इटालियन स्वाधीनता के दावे को अन्य लोगों के सम्मुख पेश करने का यह सुवर्णवसर था। काबूर ने इसका भली भाँति प्रयोग किया। उसने सन्धि परिपक्व में एकप्रित राजनीतिज्ञों को अच्छी तरह सम्मानने का प्रयत्न किया कि उत्तरीय इटली पर

आस्ट्रिया का कब्जा यूरोप की शान्ति के लिये बहुत भयंकर बात है। ज़रतक इटली स्वाधीन नहीं हागा, यूरोप में शान्ति कायम नहीं रह सकती। पेरिस की सन्धि परिपद में नाज़ूर का अच्छी सफलता हुई। पॉट्सडैम जैसे छोटे से राज्य का प्रतिनिधि यूरोप के अच्छे राजनीतिज्ञ में गिना जाने लगा।

नैपोलियन तृतीय से समझौता—इस समय फ्रांस का सम्राट् नैपोलियन तृतीय था। सम्राट् बनने से पूर्व वह इटली में रह चुका था और सय कार्बोनारी सभा का सदस्य था। १८३० का शान्ति में वह फ्रान्तिकारी स्वयंसवरु के रूप में पाप के विरुद्ध लड़ चुका था। इटालियन स्वाधीनता के आन्दोलन से उसे सहानुभूति थी। साथ ही, वह यह भी समझता था, कि फ्रांस की राजगद्दा मेंने ज़रूरतस्त हस्तगत की है। लाग मेर सम्राट् पद का उसी दशा में सहन करेंगे, जिन में भी अपने चचा का तरह गौरवमय विजया से जनता का चमाचौंघ कर दूँ। यदि इटली को स्वाधीन करन के लिये आस्ट्रिया से युद्ध उद्घोषित कर दिया जावे, तो निस्सन्देह फ्रेञ्च लाग उसे पसन्द करेंगे। एक बार फिर फ्रेञ्च सेनायें उत्तरीय इटली में प्रवेश करेंगी। नैपोलियन के नाहुवल के सम्मुख आस्ट्रिया परास्त हो जायगा। इतिहास अपने का दाहरायगा। इटला में जो नवान सगठन कायम हागा, वह निस्सन्देह फ्रांस का आधिपत्य स्वीकृत करेगा। नैपोलियन तृतीय की इन महत्त्वामाज्ञायों को किस प्रकार इटली के लाभ के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है, इस बात का नाज़ूर खूब समझता था। पेरिस की सन्धि-परिपद के समय इन दोना राजनीतिज्ञों में बातचीत हुई। आखिर, दोनों में समझौता हो गया। नैपोलियन ने कहा, यदि आस्ट्रिया से युद्ध शुरू करन के लिये तुम कोई रदाना दूँड ला, तो मैं दो लाख फ्रेञ्च सैनिकाँ के साथ तुम्हारा सहायता करने के लिये तैयार हूँ। यदि उत्तराय इटली से आस्ट्रियन शासन

का अन्त हो जावे, ता नीस और सेनाय क प्रदेश—ये फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित थे—फ्रांस को दे दिये जायेंगे। आस्ट्रिया की अमीनता से युद्ध हुए लाम्बाडा और वेनेटिया पर पीडमोंट का रुब्जा हा जायगा त्रार अन्य प्रदेशों को पीडमोंट के हस्तगत कर लेने में भी फ्रांस को कोई विप्रतिपत्ति न हागा।

विदेशी सहायता भी प्राप्त हो गई। काबूर क सम्मुख जो विपन्न समस्यायें विद्यमान थीं, सब हल हो गई। अब केवल उद्देश्य का पूरा करना शेष था।

(२) स्वाधीनता-संग्राम का प्रारम्भ

बारूद तैयार हो गया था, अब केवल तीली दिखाने की जरूरत थी। काबूर युद्ध के लिये उहाना ढूँढ रहा था। उधर आस्ट्रिया भी लाम्बाडा के लिए अक्सर देर रहा था। पीडमोंट का उन्नति उसे शूल की तरह चुभ रही थी। काबूर को चालों से भी वह सबथा अपरिचित न था। आस्ट्रियन राजनीतिज्ञ समझते थे, चितना देर होगी, उतना ही हमारा नुकसान है। इस दशा में युद्ध शुरू होने में क्या देर हा सकती थी? आगिर युद्ध शुरू हा गया।

युद्ध का प्रारम्भ—काबूर के इशारे से लाम्बाडा और वेनेटिया में विद्रोह हो रहे थे। आस्ट्रिया इनसे बहुत सग आ गया था। उधर पीडमोंट में प्रशिया के ढग पर उडे जोर शोर से सैनिक सगठन हा रहा था। आस्ट्रिया का समझ नहीं पन्ता था कि उसक अपने साम्राज्य में निरन्तर विद्रोहों को किस प्रकार शान्त किया जाय? काबूर के आदमी अपना काम कर रहे थे। उनके सहारे पर लाम्बाडा और वेनेटिया के भ्रान्तिकारियों की हिम्मत उढती जाती थी। आगिर, आस्ट्रिया ने पीडमोंट को नोटिस दिया कि तीन दिन क अन्दर अन्दर नई भर्ता हुई सेनाआ को उपास्त कर दो। काबूर ता युद्ध

चाहता ही था। उसने आस्ट्रियन नोटिस की कोई परवाह नहीं की। २६ एप्रिल १८५६ के दिन आस्ट्रिया और पीटमौन्ट में युद्ध प्रारम्भ हो गया।

कावूर सब तैयारी पहले ही कर चुका था। समग्र इटली देशभक्ति और राष्ट्रियता के भावों से प्रदीप्त हो गया। स्वयंसेवक भर्तों होने लगे। स्वाधीनता की लहर ने सम्पूर्ण देश को व्याप्त कर लिया। यूरोप के अन्य देशों की सहानुभूति भी पीटमौन्ट के साथ थी। आस्ट्रिया जैसे शासकशाली राज्य का पीटमौन्ट, जैसे तुच्छ राज्य पर आक्रमण किसी को भी पसन्द नहीं था। फ्रान्स तो पहले से ही तैयार बंठा था। अट्रि नेपोलियन की सेनायें इटली पहुँच गईं। कावूर ने पीटमौन्ट की पार्लियामेण्ट में भाषण करते हुए कहा—अब अगली पार्लियामेण्ट सारे इटली की होगी, केवल पीटमौन्ट की नहीं। निरसन्देह, यह ठीक था।

यह युद्ध केवल दो मास तक जारी रहा। मेजन्टा और साल्फेरिनो के युद्धों में आस्ट्रियन सेनायें बुरी तरह से परास्त हुईं। विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने बड़ी धूमधाम के साथ लोम्बार्डी की राजधानी मिलान में प्रवेश किया। टस्कनी, परमा और मोडेना के हाप्सबुर्ग वंश के राजाओं को गद्दयच्युत किया गया। पोप के राज्य के उत्तरीय प्रदेशों ने उद्घोषित किया कि हम पोप के अधीन न रहेंगे। ये सब प्रदेश पीटमौन्ट के राज्य में सम्मिलित होना चाहते थे। जनता की यही इच्छा थी।

नेपोलियन तृतीय का युद्ध से पृथक् होना—इटालियन स्वाधीनता का यह समग्र इस प्रकार पूर्ण सफलता के साथ चल रहा था, कि सम्पूर्ण यूरोप ने बड़े ही आश्चर्य के साथ यह सवाद सुना कि नेपोलियन तृतीय आस्ट्रिया के साथ सन्ध कराने को उद्यत है। बात यह थी कि पीटमौन्ट की असाधारण सफलता से नेपोलियन घबरा

गया था। वह समझता था, कि यदि इटालियन लॉग इसी प्रकार सफल होते रहे, तो इटली अत्यन्त शक्तिशाली राज्य बन जावेगा और उसे प्राप्त तो मरजा की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इटली की राष्ट्रीय एकाता से प्राप्त तो कोई लाभ न था। अपने पड़ोस में एक शक्तिशाली स्वतन्त्र राज्य का स्थापना नैपोलियन को पसन्द नहीं। इसके अतिरिक्त, युद्ध कितनी भयंकर चीज है, इसका नैपोलियन तृतीय को पहले ख्याल न था। उसके चाचा को युद्ध में वास्तविक आनन्द आता था, पर नैपोलियन तृतीय का हृदय इतना मजबूत न था। वह समझता था, वेनेटिया से ट्रास्टियन लॉगों को बाहर निकालने में कम से कम तीन लाख सैनिकों की आवश्यकता होगी। इतने सैनिकों को जुटा करने का नैपोलियन को उत्साह नहीं था। साथ ही, इस बात की भावना थी कि प्रशिया आस्ट्रिया की सहायता के लिये तैयारी कर रहा है और साम्राज्य रूप से प्रशिया प्राप्त पर ही आक्रमण करेगा। इन सब कारणों से नैपोलियन ने यही उचित समझा कि ऋटपट्ट आस्ट्रिया से सन्धि कर ला जावे। उसने पीटमोन्ट को सूचना तक देने की आवश्यकता नहीं समझी।

ज्यूरिच की सन्धि—नैपोलियन के इस प्रकार युद्ध से प्रथम हो जाने का परिणाम यह हुआ कि पीटमोन्ट का भी आस्ट्रिया से सन्धि करने के लिये बाधित होना पड़ा। यद्यपि नाबूर की इच्छा थी कि अफेतो ही युद्ध का जारी रखा जावे, पर विक्टर एमेनुअल इससे महमत नहीं था। वह भली भाँति अनुभव करता था कि प्राप्त की सहायता के बिना आस्ट्रिया को परास्त कर सकना असम्भव है। इसलिये इटली और आस्ट्रिया के युद्ध की समाप्ति हुई और १० नवम्बर १८०६ के दिन ज्यूरिच नामक स्थान पर दोनों राज्यों ने परस्पर सन्धि कर ला। इस सन्धि द्वारा लॉम्बार्डी का प्रदेश पीटमोन्ट को प्राप्त हुआ। वेनेटिया आस्ट्रिया के ही अधीन रहा। नीम और

सैवाय फ्रांस को मिले और परमा, मोंडेना तथा टस्कनी को पीडमोंट ने अपने कब्जे में कर लिया। ज्यूरिच की सन्धि से इटालियन देश-भक्तों को वास्तविक आकांक्षा पूर्ण नहीं हो सकी। वेनेटिया का आस्ट्रिया के अधीन रहना उन्हें शूल की तरह चुभ रहा था। इसके अतिरिक्त, मध्य तथा दक्षिणी इटली अभी राष्ट्रीय एकता के सूत्र में सम्मिलित नहीं हुए थे। राष्ट्रीय संगठन के आदर्श को पूर्ण करने के लिये अभी एक प्रयत्न की और आवश्यकता थी। इसे सम्पन्न होने में भी बहुत देर नहीं लगी। राष्ट्रीय स्वाधीनता की जिस प्रचण्ड भावना में १८५६ में इटली को असाधारण सफलता प्राप्त हुई थी, वही भविष्य में भी काम आई। शीघ्र ही इटली एक संगठित राष्ट्र बन गया।

(३) राष्ट्रीय एकता की स्थापना

आस्ट्रिया परास्त हो गया था। उत्तरी इटली के अधिकांश प्रदेश पर विक्टर एमेनुअल द्वितीय का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। इस समय शेष इटली को पीडमोंट के साथ सम्मिलित करने के लिये जो आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, उसमें किसी विदेशी शक्ति की सहायता प्राप्त नहीं की गई। वह इटालियन राष्ट्रियता की अपनी कृति थी। सम्पूर्ण इटली की एकता में पुराने राजवंश जो बाधा डाल रहे थे, उसे जनता ने अपने अभ्यन्तर प्रयत्न से नष्ट कर दिया। इस नवीन आन्दोलन का प्रधान नेता गेरीवाल्डी था। इसका सक्षिप्त रूप से परिचय देना आवश्यक है।

गेरीवाल्डी—गेरीवाल्डी का जन्म नीस नामक स्थान पर सन् १८०७ में हुआ था। उसे नीसेना की शिक्षा प्राप्त हुई थी। उसकी प्रवृत्तियाँ शुरु से ही रिपब्लिकन थीं। मेजिनी के साथ मिलकर वह सम्पूर्ण इटली में एक रिपब्लिकन स्थापित करने का उद्योग कर रहा था। इसी अपराध में सरकार की उम पर फौज दृष्टि हो गई और उसे

दक्षिणी अमेरिका भाग जाने के लिये बाधित होना पना । वहाँ पर भी वह शान्त नहा बैठ सना । उन दिनों दक्षिणी अमेरिका में लेनि—अमेरिकन लोग स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये कोशिश कर रहे थ । गेरीवाल्डी उनमें सम्मिलित हो गया । दस वर्ष तक वह निरन्तर अमेरिकन स्वाधीनता संग्राम में युद्ध करता रहा । इसके बाद वह अपने देश वापस लौट आया । स्वतंत्रता के लिये जो कोई भा प्रयत्न हा रहा हो, वह सब में सहायता करने को उत्तम था । १८४७ में इटली में यह लहर बनी तीव्र थी, कि पोप पायस दशम के नेतृत्व में इटली की राष्ट्रीय एकता स्थापित की जावे । वह स्वयं इससे सहमत नहीं था, पर सच्चे सिपाही के समान उसे यह सोचने की आवश्यकता नहीं थी कि उसकी अपनी सम्मति क्या है । उसके लिये इतना बात पयात थी कि इटली का स्वाधानता तथा राष्ट्रीय एकता के लिय प्रयत्न हो रहा है । वह उसमें सम्मिलित हो गया । अगले वर्ष १८४८ में इटली में क्रांति हुई । पीडमोंट के नेतृत्व में इतालियन लोग आस्ट्रिया को परास्त करने के लिये सन्नद्ध हो गये । गेरीवाल्डी ने इस युद्ध के लिए ३००० स्वयंसेवक एकत्रित किये । परन्तु १८४८ की क्रांति सफल न हो सका । क्रांतिकारियों पर भवकर अत्याचार होने लगे । गेरीवाल्डी फिर अपना देश छोड़कर अमेरिका चला गया । इस बार उसने न्यूयॉर्क में कारोबार शुरू किया । कारोबार में उसे अच्छी सफलता हुई । काफी धन कमा कर वह फिर इटली वापस आया और अपने देश के समीप ही कपरेरा नाम का एक टापू खरीद कर उसमें आराम से रहने लगा । गेरीवाल्डी को अब भी शान्ति नहीं थी, वह इटली के आन्दोलनों का उडे ध्यान से अध्ययन कर रहा था । १८५६ में काबूर की नीतिनिपुणता से जब आस्ट्रिया के साथ युद्ध प्रारम्भ हुआ, तब गेरीवाल्डी उसमें सम्मिलित हो गया । लाम्बार्डों से आस्ट्रियन सेनाओं का बाहर निकालने में उसने उडा महत्वपूर्ण काय किया ।

फ्रांसिस द्वितीय देश छोड़कर भाग गया। गेरीवाल्डी नेपल्स का भी शासक बन गया।

राष्ट्रीय एकता की स्थापना—गेरीवाल्डी की इच्छा थी कि अब रोम पर आक्रमण कर उसे भी अपने अधीन कर लिया जावे। यदि वह रोम पर आक्रमण करता, तो उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त हो जाती। पर कठिनता यह थी, कि फ्रांस इस बात को कभी सहन न कर सकता। फ्रेंच लोग रोमन कैथोलिक धर्म को माननेवाले थे। वे पोप की राजधानी का इस प्रकार का 'अपमान' कभी सहन न कर सकते। नेपोलियन तृतीय को इटालियन एकता के मार्ग में रोड़े अटकाने का एक उत्तम अवसर हाथ लग जाता। इसलिये रोम पर आक्रमण का विचार छोड़ दिया गया और विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने रोम को छोड़कर पोप के अन्य प्रदेशों को अपने हस्तगत कर लिया। रोम पर पाप का स्वामित्व अक्षुण्ण रहा। परन्तु नेपल्स, मिसली, और पोप का राज्य (रोम का छोड़कर) अब विक्टर एमेनुअल द्वितीय के अधीन हो चुके थे। मध्य और दक्षिणी इटली भी राष्ट्रीय एकता के सूत्र में समाहित हो गये थे।

काबूर की मृत्यु—१८ परवरी १८६१ के दिन इटली की राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। महासभा के लिये टूरिन नगर चुना गया था। इटली की स्वाभाविक राजधानी रोम अभी तक पोप के अधीन था। इसलिये वहाँ अधिवेशन नहीं किया जा सकता था। १७ मार्च को इस महासभा ने विक्टर एमेनुअल द्वितीय को इटली का राजा स्वीकृत किया। इटली की राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई। काबूर का स्वप्न पूर्ण हो गया। अपने कार्य की पूरा कर १८६१ में उसकी मृत्यु हो गई। यह कार्यभार से बहुत अधिक श्रान्त हो चुका था, पर अपनी आकांक्षा के पूर्ण हो जाने ने उसके हृदय में वास्तविक प्रसन्नता थी।

इटालियन देशभक्ता के सपने प्रयत्नों का मुकाबला करती रहता था। १८७० में फ्रांस और प्रशिया का प्रसिद्ध युद्ध शुरू हुआ। प्रशिया का मुकाबला करने के लिये नेपोलियन को बाधित होना पड़ा कि अपना सेनापति को रोम से वापस बुला ले। और पोप क्या कर सकता था? विक्रम एमेनुअल द्वितीय ने चाहा कि पोप से किसी प्रकार समझौता हो जावे। पर वह तैयार नही हुआ। इस पर एक इटालियन सेना ने रोम पर आक्रमण किया। रोमन जनता की सहानुभूति भी आक्रान्ताओं के साथ थी। पोप भाग कर अपने एक राजप्रासाद में छिप गया। रोम पर इटालियन सेना का कब्जा हो गया। रोम निवासियों से इस प्रश्न पर सम्झौता ली गई कि वे इटली के साथ सम्मिलित होना चाहते हैं या नहीं? १ लाख ३० हजार वोट पक्ष में आये और १५०० वोट विरोध में। पोप ने बार बार अपने कैथोलिक भक्तों और अनुयायियों को अपनी सहायता के लिये आवाहन किया, बार बार फतवे (बुल) निकाले—पर किसी का कुछ प्रभाव न हुआ। इटली का अधिकांश जनता कैथोलिक धर्म को माननेवाली थी। पर उसने पोप के फतवा पर कोई ध्यान न दिया। तीन सदा पहले पोप की उँगली के इशारे पर सारा यूरोप युद्ध के लिये तैयार हो सकता था। पर अब वह जमाना गुजर चुका था। घम का स्थान अब राष्ट्रीयता ने ले लिया था।

यह सबथा स्वाभाविक था कि सगठित इटली को नवीन राजधानी रोम का बनाया जाय। १८७१ में राजा, दरबार और पार्लियामेंट—सब रोम चले आये। रोम में पार्लियामेंट का उद्घाटन करते हुए विक्रम एमेनुअल ने कहा—हमारी राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई है, अब हमारा कार्य अपने राष्ट्र को महान् तथा समृद्ध बनाना है। वस्तुतः इटली के सम्मुख अब यही कार्य था। इसमें उसे असाधारण सफलता हुई। शीघ्र ही इटली यूरोप के प्रमुख राज्यों में एक हो गया।

पोप की स्थिति—इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व यह बताना आवश्यक है, कि रोम के अधिगत हो जाने के बाद पोप की क्या स्थिति रह गई। एक हजार वर्ष के लगभग से रोम पर पोप का अनाधत प्रभुत्व था। पर अब उसका यह आधिपत्य नष्ट हो गया। १८७१ के मई मास में इटली की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, जिसमें यह उद्घोषित किया गया कि पोप की धार्मिक मामलों में पूर्ण स्वाधीनता रहेगी, उसके व्यक्तित्व को राजा के समान पवित्र समझा जावेगा। वह स्वतन्त्र राजाओं के समान शान शीकत से रह सकेगा। उसे यह भी अधिकार होगा कि विदेशों में अपने दूत भेजे और विदेशों दूत उसके दरबार में आवे। अपने राजप्रासाद तथा उसके चारों ओर के छोटे से प्रदेश में वह स्वतन्त्र राजा के समान रह सके। इटालियन सरकार का कोई कर्मचारी उसके 'राज्य' में प्रवेश न करे। यह भी व्यवस्था की गई कि इटालियन राज्यकोश से पोप को प्रतिवर्ष १६ लाख रुपये पेंशिन के तौर पर दिये जावें। पर पोप इन व्यवस्थाओं से सतुष्ट नहीं हुआ। उसने न केवल पेंशिन लेने से इन्कार किया, पर साथ ही एक उद्घोषणा प्रकाशित की, जिसमें कि इटालियन सरकार के कार्यों का विरोध किया और रोम पर अपना अधिकार मायित किया। परन्तु पोप की इन उद्घोषणाओं का श्रावधान देनेवाला अब कोई न रहा था।

छब्बीसवाँ अध्याय जर्मनी का संगठन

(१) राष्ट्रीय एकता का प्रादुर्भाव

राष्ट्रीयता की भावना—जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का उत्पन्न करने के लिये जो विविध तत्त्व कार्य कर रहे थे, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फ्रेड्रिख राज्यक्रान्ति के समय क्रान्ति का नवीन प्रवृत्तियाँ ने जर्मनी पर बहुत प्रभाव डाला था। विशेषतया, नैपालियन की विजया के अनन्तर विविध जर्मन राज्या में एकता की आवश्यकता अनुभव होने लगी थी। क्रतिपथ राज्या को मिला नैपालियन ने जिस सघ का निर्माण किया था, उसमें एक संगठन में रहते हुए जर्मन लोग को एक होने का अभ्यास भी प्रारम्भ हो गया था। १८१५ में वीएन का कांग्रेस में स्टाइन जैसे देशभक्तों ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि विविध राज्या को एक सूत्र में संगठित किया जावे। उस समय जर्मन जनता की माँग पर काई ध्यान नहा दिया गया। विविध राजवशा का पुनरुद्धार किया गया और राजवशा तथा कुलान श्रेणी क हितों को दृष्टि में रखकर विविध राज्या का व्यवस्था का गई। देशभक्ता को हृदयान्त्रा को उपजा कर वीएना में जिस जर्मन राज्य सघ का निर्माण किया गया, उसमें कुल मिलाकर ३८ राज्य सम्मिलित थे। इन राज्या का संगठन भी सुदृढ नहीं था। प्रत्येक राजा पृथक्तया

न्वतन्त्र था। फ्रांक्फोर्ट में सबके प्रतिनिधि एक राजसभा में एकत्रित होते थे। ये प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते थे। राजा इन्हें स्वयं चुनते थे। फ्रांक्फोर्ट की राजसभा में कोई विषय तब तक स्वीकृत नहीं समझा जाता था, जब तक कि सम्पूर्ण प्रतिनिधि उससे सहमत न हों। यदि किसी एक राज्य का प्रतिनिधि भी किसी प्रस्ताव के विरोध में हो, तो उसे अस्वीकृत समझा जाता था। इस व्यवस्था का परिणाम यह था, कि सुधार व उन्नति की कोर्ट भां चात फ्रांक्फोर्ट की राजसभा में पाम न हो सकती थी। निविध राजा जर्मनी की राष्ट्रीय एकता और जनता के अधिकार—दोनों के सख्त विरोधी थे। परन्तु जनता में स्वाधीनता और राष्ट्रीयता की प्रवृत्तियाँ काम कर रही थीं। गुप्त समितियाँ इन मिद्धान्तों के प्रचार में विशेष रूप से तत्पर थीं। विश्वविद्यालयों में रात दिन इनकी चर्चा रहती थी। विद्यार्थियों के दिमागों में नये विचार घर कर गये थे। मंगीत, कविता, उपदेश, व्याख्यान, नाटक—सर्वत्र स्वाधीनता और राष्ट्रीयता का प्रचार किया जा रहा था। यही कारण है कि १८३० और १८४८ में जर्मनी में भी अनेक स्थानों पर क्रान्तियाँ हुईं। यद्यपि ये क्रान्तियाँ कहीं पर भी पूर्णतया सफल नहीं हो सकीं, तथापि इनका इतना लाभ अवश्य हुआ कि जनता में बहुत जागृति हो गई। विशेषतया, १८४८ में फ्रांक्फोर्ट में राजसभा की संस्था उपेक्षा कर जिस राष्ट्रीय महासभा की स्थापना हुई थी, उसने राष्ट्रीय एकता के लिये मैदान तैयार करने में बहुत सहायता दी। एक बार जर्मन लोगों ने अच्छी तरह अनुभव किया था कि हम सब एक हैं और हमारे राष्ट्र को शीघ्र ही संगठित होना चाहिये। राजाओं के विरोध से फ्रांक्फोर्ट की महासभा सफल न हो सकी। पर उसने जो कार्य किया था, वह व्यर्थ नहीं गया।

आर्थिक दृष्टि से एकता की आवश्यकता—राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति के अतिरिक्त कुछ आर्थिक कारणा भी थे, जो जर्मनी को एक

राष्ट्र बनाने के लिये काम कर रहे थे। जर्मनी के सब राज्य अपने को एक दूसरे से सर्वथा पृथक् समझते थे। इसका परिणाम यह था कि मग्न के व्यापारिक कानून पृथक् पृथक् थे। मग्न में आयात और निर्यात माल पर कर लिये जाते थे। इस बात का असर व्यापार पर क्या होता है, इसे उदाहरण द्वारा सुगमता से समझा जा सकता है। फूलडा और आल्डनबुर्ग के बीच की दूरी केवल १२५ मील है। यदि कोई व्यापारी अपना माल लेकर फूलडा से आल्डनबुर्ग जाता था, तो उसे ३४ राजकीय सीमाओं को पार करना पड़ता था। औसत से प्रत्येक चार मील चल चुकने के अनन्तर उसे नवीन राजकीय सीमा से गुजरना पड़ता था और वहाँ चुंगी आदि तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना होता था। व्यापारी लोग इस बात से बहुत तंग थे। १८०६ में व्यापारियों की एक सभा ने फ्रांफोर्ट की राजसभा से शिकायत की थी, कि हेम्बुर्ग से आस्ट्रिया या बर्लिन से स्विट्जरलैंड तक जाने में दस राज्यों को पार करना आवश्यक था और उस व्यापारी को जिसने एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाना हो दस विविध व्यापारी कानूनों तथा चुंगी के कायदों का अनुशालन करना होता था। जर्मन व्यापारियों के लिये यह कितना कठिन बात थी।

व्यापार-संघ—इसी का परिणाम हुआ कि १८३४ में अनेक जर्मन राज्यों ने परस्पर मिलकर व्यापारिक प्रयोजनों के लिये एक व्यापार संघ (ट्शाल फेराइन) का संगठन किया। इसमें १७ राज्य सम्मिलित हुए। इन राज्यों में आन्तरिक व्यापारी माल पर कोई चुंगी नहीं लगती थी, पर जब विदेशों से कोई माल संघ में प्रविष्ट होता था, तब उस पर चुंगा ली जाती थी। धीरे-धीरे अन्य जर्मन राज्य भी इस संघ में सम्मिलित होते गये। वे भली भाँति अनुभव करते थे कि व्यापारी दृष्टि से जर्मन राज्यों का हित इसी बात में है कि मिलकर एक संघ का निर्माण करें। व्यापारी संघ ने जर्मनी की राष्ट्रीय एकता में बहुत

सहायता पहुँचाई। आर्थिक हित मानवीय मामलों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जब आर्थिक दृष्टि से जर्मन लोगों को एकता अवश्यम्भावी प्रतीत हो रही थी, तब राजनीतिक तथा राष्ट्रीय एकता की उपयोगिता का अनुभव करना बहुत कठिन नहीं था।

प्रशिया की महत्त्वाकांक्षा—यह पहले प्रदर्शित किया जा चुका है कि १८१५ में बने जर्मन राज्य सघ में दो राज्य सबसे प्रमुख थे—आस्ट्रिया और प्रशिया। इन दोनों में अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिये सवर्ष चल रहा था। प्रशिया के अधिकांश निवासी जर्मन जाति के थे। आस्ट्रिया के राज्य में जर्मन लोगों की कमी नहीं थी, पर हابسबुर्ग वंश के आस्ट्रियन प्रदेशों में अधिक लोग चेक, पोल, स्लाव आदि गैर जर्मन जातियों के थे। यही कारण था कि राष्ट्रीय दृष्टि से संगठित जर्मन राज्य में आस्ट्रिया का प्राधान्य नहीं हो सकता था। इसलिए आस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी का संगठन बहुत ही कमजोर तथा ढीला-ढाला हो। यदि जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो जावे, तो यह सर्वथा स्पष्ट है, कि गैर जर्मन जातियों से युक्त आस्ट्रिया उसमें कभी भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त न कर सकेगा। इस बात को प्रशिया खूब समझता था। जर्मनी में आस्ट्रिया ने जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया हुआ था, उसे नष्ट करने का एक अच्छा और मरल उपाय यह भी था कि प्रशिया जर्मन राष्ट्रीयता का पक्षपोषक हो। प्रशिया ने इस उपाय का प्रयोग किया। प्रशिया के उत्कर्ष के लिये जो विविध राजनीतिक और नेता कार्य कर रहे थे, उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं का साथ दिया। व्यापार-संघ का निर्माण प्रशिया के नेतृत्व में ही हुआ था। आस्ट्रिया इस सघ को घृणा की दृष्टि से देखता था, वह इसमें सम्मिलित तक न हुआ था। प्रशिया इस व्यापार-संघ का प्रमुख प्रवर्तक था। फ्रांफोर्ट की राजसभा के रूप में आस्ट्रिया के नेतृत्व में जिस जर्मन राज्यसंघ का निर्माण हुआ था, जनता उसके सर्वथा

प्रतिबुल था। परन्तु प्रशिया के नेतृत्व में संगठित व्यापार संघ का उपयोगता में फ़िसा भी देशभक्त का सन्देह नहीं था।

प्रशिया की सना—सैनिक दृष्टि से प्रशिया जिस प्रकार असाधारण उन्नति कर रहा था, उस पर भी कुछ प्रकाश डालने की आवश्यकता है। नेपालियन के युद्ध में प्रशिया जिस प्रकार पराजित हुआ था, उससे प्रशियन नेता बहुत उद्विग्न हो गये थे। इसनिय प्लिमिड का संधि का वाद उन्होंने सेना का पुनः संगठन का उपक्रम किया। शार्नहार्स्ट की प्रेरणा से राधित सैनिक सेवा की पद्धति जारी की गई। प्रत्येक आदमी के लिये आवश्यक था कि वह सैनिक शिक्षा प्राप्त करे और कुछ निश्चित समय के लिये सेना में कार्य करे। निश्चित समय के समाप्त हो जाने पर उस दत्ता त था कि वह अपनी इच्छा में स्वतन्त्र कार्य कर सके, पर निश्चित समय के वाद भी आवश्यकता पडने पर उस सैनिक सेवा के लिये बुलाया जा सकता था। इस पद्धति से देश का सम्पूरा युवा सेना में भता रहते थे और सवा काल के समाप्त हो जाने पर भी आवश्यकता पडने पर उन्हें सना में भर्ती किया जा सकता था। इस प्रकार देश के सैनिक काय के योग्य आयु के सम्पूर्ण मनुष्य प्रशियन सेना में सम्मिलित होने के लिये उत्पन्न रहते थे। इस पद्धति का परिणाम यह हुआ था कि प्रशियन सेना यूरोप भर में सबसे आगे बढ़ गई। आगे चलकर अन्य देशों ने भी प्रशिया का अनुसरण किया और अपने यहाँ राधित सैनिक सेवा का प्रारम्भ किया। प्रशिया का यह अद्वितीय सेना न केवल अपने देश के लिये युद्ध करने की उत्पन्न रहती थी, पर प्रशिया के नेतृत्व में इसे जर्मनी के संगठन के लिये भी प्रयुक्त किया जा सकता था। बेशक, यह प्रशियन सेना बहुत ही पुराने ढंग के आशों से संचालित होती थी, पर इसमें भी सन्देह नहीं कि जर्मन देशभक्त अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिये इस पर भरोसा कर सकते थे।

समस्यायें—१८६० में इटली में राष्ट्रीय एकता की स्थापना से जर्मन लोगों में भी उत्साह का संचार हुआ। इटालियन संगठन का कार्य पीडमान्ट के राजा विक्टर एमेनुअल द्वितीय के नेतृत्व में हुआ था। इससे जर्मन लोगों में यह विचार और भी अधिक प्रबल हो गया कि जर्मनी का राष्ट्रीय एकता भी प्रशिया के नेतृत्व में अधिक सुगमता से सम्पादित की जा सकती है। इस समय जर्मन लोगों के सम्मुख दो कार्य थे—

(१) प्रशिया के प्रभुत्व से छुटकारा पाना और (२) असली जर्मन राजा का प्रशिया की सरकार में सुदृढ संगठन स्थापित करना।

ये दोनों कार्य जर्मनी में किस प्रकार किये गये, इस पर हमें अब विचार करना है।

(२) बिस्मार्क का अभ्युदय

विलियम प्रथम का राज्यारोहण—सन् १८६१ में प्रशिया की राजगद्दी पर विलियम प्रथम आरोढ़ हुआ। राज्यारोहण के समय उसका आयु ६३ वर्ष की था। अपनी युवावस्था में वह नेपोलियन प्रथम के विरुद्ध प्रशियन सेना में लड़ाई लड़ चुका था। उसका सम्पूर्ण जीवन सेना में व्यतीत हुआ था। सैनिक जीवन का उसे बड़ा शौक था। उसे विश्वास था कि प्रशिया का भाग्य सेना पर आश्रित है। राजा के दैवीय अधिकार में उसे जरा भी सन्देह नहीं था। वह समझता था, प्रशिया के लिये सर्वोत्तम शासन एकतन्त्र स्वैच्छाचारी राजा का ही हो सकता है। परन्तु साथ ही वह यह भी समझता था कि राजा को जनता का लाभ चाहने वाला, परिश्रमी, दयालु, ईमानदार और बुद्धिमान होना चाहिये। निस्सन्देह, अपने आप उसमें ये सब गुण विद्यमान थे। वह अपने राज्य में एक लोकपकारी मजबूत राजा के समान राज्य करना

चाहता था। इसमें सन्देह नहीं, कि अपने उद्देश्य में उसे सफलता भी प्राप्त हुई। प्रशिया का उन्नत तथा शक्तिशाली बनाने में विनियम प्रथम ने असाधारण क्षमता स काय करायी।

सैनिक सुधार—सेना की अधिक शक्तिशाली बनाने के लिये विलियम प्रथम चाहता था, कि बाधित सैनिक सेवा की पद्धति में कुछ सुधार किये जायें। उसका प्रस्ताव था, कि प्रत्येक आदमी का तीन वर्ष तक आवश्यक रूप से सैनिक सेवा करनी चाहिये। इससे पूर्व बाधित सैनिक सेवा का काल दो वर्ष का था। इसके बाद दो वर्ष तक प्रत्येक आदमी का हर समय सेना में भर्ती के लिये तैयार रहना होता था, यद्यपि छावनी में रहने की आवश्यकता नहीं रहती थी। विलियम इस काल को दो के स्थान पर चार वर्ष कर देना चाहता था। इस प्रकार उसकी योजना के अनुसार प्रत्येक आदमी के लिये अपनी युवावस्था के ७ वर्ष सैनिक सेवा का अर्पित करने पड़ते थे। विनियम प्रथम का खयाल था कि उसकी योजना के अनुसार ४३ लाख प्रशियन सैनिक हमेशा युद्ध के लिये तैयार रहेंगे और इनके अतिरिक्त वह जितने सैनिकों की आवश्यकता समझेगा, उतने भर्ता कर सज्जा कठिन नहीं होगा। इस सेना का मुकाबला यूरोप का कोई भी देश न कर सकेगा। इन परिवर्तनों का प्रस्ताव प्रशिया की लोकसभा (लासडटाग) में पेश किया गया। परन्तु वहाँ वे स्वीकृत न हो सके। परिणाम यह हुआ कि विलियम ने अपनी सहायता के लिये प्रधान मन्त्री के पद पर बिस्मार्क को नियत किया। बिस्मार्क ने जनता की इच्छा की परवाह न कर, लोकसभा तक की उपेक्षा कर विलियम की योजना को क्रिया में परिणत किया। प्रशियन नेतृत्व में जर्मनी के संगठन का मुख्य श्रेय इस बिस्मार्क को ही प्राप्त है। अपने समय में यूरोप का कोई भी राजनीतिज्ञ बिस्मार्क का मुकाबला नहीं कर सकता था। यह बिस्मार्क कौन

था ? इस बात का परिचय देना आवश्यक है । १९वीं सदी में यूरोप ने जो अत्यन्त प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ उत्पन्न किये विस्मार्क उनमें से एक था ।

विस्मार्क—विस्मार्क का जन्म उस समय में हुआ था, जब वीएना की कांग्रेस के अविवेशन हो रहे थे । प्रधान मन्त्री बनने के समय उसकी आयु ४७ वर्ष की थी । वह प्रशिया के एक प्रसिद्ध कुलीन जर्मीदार घराने में उत्पन्न हुआ था । प्रशिया के कुलीन जर्मीदार—जो इतिहास में 'जुन्कर' नाम से प्रसिद्ध हैं—जनता के अधिकारों के कट्टर विरोधी थे । जनता भी अपना शासन अपने आप कर सकती है—यह उनकी समझ में ही न आता था । विस्मार्क के अपने विचार इसा दग के थे । वह प्रशियन जुन्करों का अच्छा प्रतिनिधि था । जिस समय वह विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उसे पढ़ाई लिखाई का जरा भी ध्यान नहीं था । वह सदा शराब पीने और कुश्ती लड़ने में मस्त रहता था । शिक्षा समाप्त कर वह सरकारी नौकरी में दाखिल हुआ । पर नियन्त्रण उसे वहाँ भी सह्य न था । नियन्त्रण का उल्लंघन करने के अपराध पर उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया । इसके बाद उसने अपनी जर्मीदारी में आराम से रहना प्रारम्भ किया । १८४७ में वह प्रशियन राजसभा (डीट) का सदस्य निर्वाचित हुआ । उदार विचारों के विरोध में पुराने दग के कुलीन लोगों का जो दल राजसभा में था, विस्मार्क उसमें सम्मिलित हो गया और शीघ्र ही उसने इस दल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया । वह 'शासन विधान' को 'रही कागज का टुकड़ा' इस नाम से खोपन करता था । वह कहा करता था, क्या यह 'रही कागज का टुकड़ा' परमेश्वर द्वारा नियत किये गये शासक और उसकी प्रजा के बीच में मध्यस्थ का कार्य कर सकता है ? वह कहता था, उदार विचारों के लोग सब

वेवकूफ हैं। यदि उन्हें कानून में न रखा जायगा, तो राज्य समाप्त हो जायगा। १८४८ में प्रशिया में जब विद्रोह हुआ, तो बिस्मार्क ने राजसत्ता की रक्षा के लिये किसानों का एक बीज समूह बनाया। बर्लिन के विद्रोह में इस बीज ने नून काम किया। राजद का अपनी रक्षा करने की जितनी परवाह स्वयं थी, उससे कहीं अधिक बिस्मार्क को थी। फ्रांकोर्ट की राष्ट्रीय महासभा की असफलता का समाचार जब बिस्मार्क ने सुना, तो उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही, वह खुशी से नाच उठा। मैटरनिस और वेलिङ्गटन का तरह बिस्मार्क नई प्रवृत्तियों का तट्टर विरोधी था। उससे एक सन्तति पूरे यूरोप के प्रायः सभी राजनीतिज्ञ उसीकी तरह के थे। पर अब उत्तीर्ण सदी के उत्तरार्द्ध में जमाना बदल चुका था और इसीलिये बिस्मार्क के ये विचार बहुत अद्भुत तथा पुराने ढंग के मालूम होते थे। यह नहीं समझना चाहिये कि बिस्मार्क कोई असाधारण रूप से पुराने ढंग का आदमी था। वीएना की कांग्रेस में यूरोप भर के जो प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे, वे सब उसी के ढंग के थे। पर अब इतने समय के बाद बिस्मार्क के ये विचार बहुत भेदे, असामयिक और अनुचित प्रतीत होते थे।

फ्रांकोर्ट की राष्ट्रीय महासभा की असफलता के अनन्तर १८४९ में फिर से पुराना जर्मन राजसभा का उद्धार किया गया। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को इस राजसभा में प्रशिया का प्रतिनिधि नियत किया। ८ वर्ष तक वह इसका सदस्य रहा। राष्ट्रीय एकता की भावना जर्मनी में प्रादुर्भूत हो ही चुकी थी। फ्रांकोर्ट की यह राजसभा चाहे कितने ही पुराने ढंग के लोगो की सभा क्यों न हो, पर राष्ट्रीयता की गूँज इसमें समय समय पर सुनाई दे ही जाती थी।

प्रश्नों पर विचार होता रहता था। बिस्मार्क को इस सभा में जर्मन एकता को समस्या का अनुशीलन करने का अच्छा अवसर मिला। यहाँ उसका यह विश्वास बहुत दृढ़ हो गया कि जर्मनी में एकता का स्थापन प्रशिया द्वारा ही हो सकता है। इस विश्वास को क्रिया में परिणत करने की प्रबल आकांक्षा भी उसमें यहीं पर उत्पन्न हुई।

१८५६ में बिस्मार्क को रशिया में प्रशियन राजदूत के पद पर नियत किया गया। यहाँ उसे रशियन भाषा सीखने और जार ने मित्रता स्थापित करने का अच्छा अवसर हाथ लगा। १८६२ में उसे फ्रांस में राजदूत बनाया गया। इन पदों पर कार्य करने के कारण बिस्मार्क यूरोपियन राजनीति का अच्छा परिचित बन गया था। बड़े बड़े राजनीतिज्ञों से उसने परिचय प्राप्त कर लिया था और वह अच्छी तरह जान गया था कि राजनीति की शतरंज किस प्रकार खेली जाती है।

प्रधान मन्त्री बिस्मार्क—१८६२ में ही, जब कि विलियम प्रथम प्रशियन लोकसभा से अपने सैनिक सुधार सम्बन्धी प्रस्तावों को स्वीकृत कराने में असमर्थ हुआ, उसने पुराने ढंग के विचारों के कट्टर पक्षपाती, स्वेच्छाचारी राजसत्ता के प्रबल समर्थक बिस्मार्क को प्रधान मन्त्री के सर्वोच्च राजकीय पद पर नियत किया। पहले उसने कोशिश की, कि अपनी नीति-चतुरता से लोकसभा में सैनिक सुधार के मसविदे को स्वीकृत करा लिया जावे। पर इस कार्य में उसे असफलता हुई। अतः, उसने स्वेच्छाचार का आश्रय लिया। लोकसभा को सर्वथा उपेक्षा कर शासन करना उसने अपना ध्येय बना लिया। राजा उसके साथ था। व्यवस्थापन विभाग की अन्यतम सभा—राजसभा, जिसमें कुलीन जर्मिदार 'जुन्करो' का प्राधान्य था, उसके साथ थी। फिर उसे क्रिम वात की परवाह हो सकती थी! देश के शासन विधान को उसने सर्वथा उपेक्षा की। लोकसभा उसके बजट

को पाग नहीं करती थी। इससे रिस्मार्क का क्या विगडता था ? वह कहता था, राज्य की आवश्यकता है, कि टैक्स वसूल होने चाहिये। 'राज्य की आवश्यकता' के नाम पर उसने किसी भी प्रकार की मनमानी करने में संकोच नहीं किया। लोकरसभा ने सैनिक मुधार बिल को पास नहीं किया था। पर रिस्मार्क को इस बात की क्या चिन्ता थी। वह कहता था, राज्य की आवश्यकता है, अतः सैनिक संगठन में मुधार होना चाहिये। इसी नाम पर लोकरसभा के विरोध की उपेक्षा कर उसने सेना में यथेष्ट मुधार दिये। उसके स्वेच्छा चार से राजा, रानी और राजकुमार—सब घबरा गये। वे डरते थे कि रिस्मार्क की नीति से विद्रोह हुए बिना न रहेगा। पर रिस्मार्क उन्हें समझाता था—विद्रोह से क्या डरना है ? रणक्षेत्र में मृत्यु हुई, या पाँसी के तरते पर। दोनों प्रकार की मृत्यु, समान रूप से सम्मानास्पद हैं। रिस्मार्क की इस हिम्मत का ही नतीजा था कि राजा विलियम प्रथम इस प्रकार जनता की उपेक्षा करने के लिये तैयार हो गया। रिस्मार्क इतना सख्त और साहसी था, कि सुले तौर पर उमका विरोध कर सकना सम्भव नहीं था। सब लोग उससे डरते थे।

अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये रिस्मार्क का विश्वास था कि सेना को शक्तिशाली बनाना चाहिये। वह कहा करता था—इस समय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय व्याख्यानों और प्रस्तावों से नहीं होगा। उनका हल करने के लिये रून गढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसलिये, सेना को मजबूत करने के लिये वह लोकरसभा की जरा भी परवाह नहीं करना चाहता था। उसके राजनैतिक उद्देश्यों का परिगणन इस प्रकार किया जा सकता है—

(१) प्रशिया की सैनिक शक्ति को अद्वितीय और अजेय बनाना चाहिये।

- (२) सैनिक बल का प्रयोग कर प्रशिया का विस्तार किया जाये और राजनीतिक शक्ति में वृद्धि की जाये ।
- (३) युद्ध द्वारा आस्ट्रिया को जर्मन राज्यसंघ से बाहर निकालना चाहिये ।
- (४) आस्ट्रिया को सहिष्णुत कर प्रशिया के नेतृत्व में सम्पूर्ण जर्मन राज्यों का नवीन और सुदृढ संगठन स्थापित करना चाहिये ।
- (५) हमारे अनन्तर, सैनिक शक्ति में अद्वितीय जर्मनी को सम्पूर्ण यूरोप की प्रमुख शक्ति बना देना चाहिये ।

बिस्मार्क ने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये जिस प्रकार प्रयत्न किया, इस पर हम क्रमशः विचार करेंगे ।

(३) डेन्मार्क के साथ युद्ध

लोकसभों के बहुमत की सवधान उपेक्षा कर बिस्मार्क ने सशक्त सैनिक सेवा की पद्धति को अधिक प्रिष्ठित कर दिया । रूस और मोल्डोके जैसे सुयोग्य सेनापतियों की अधीनता में प्रशियन सेना ने बड़ी उन्नति की । शीघ्र ही प्रशियन सेना यूरोप भर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गई । अब बिस्मार्क ने अनुभव किया कि अपने कार्यक्रम को क्रिया में परिणत करने का उपयुक्त समय आ गया है ।

हॉल्स्टाइन और श्लेश्विग की समस्या—अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने का पहला अवसर डेन्मार्क के साथ युद्ध में उपस्थित हुआ । जर्मनी और डेन्मार्क के बीच में दो प्रदेश थे, जो सदियों से डेन्मार्क के राजा के अधीन चले आते थे । इन के नाम हैं—श्लेश्विग और हॉल्स्टाइन । हॉल्स्टाइन की प्रायः सम्पूर्ण जनता जर्मन जाति की थी । श्लेश्विग में आधे जर्मन रहते थे और आधे डेन । ये दोनों प्रदेश डेन्मार्क के राजा के अधीन थे, पर ये डेन्मार्क के हिस्से न थे । इन सबका राजा ही एक था, अन्य किसी प्रकार की एतता इनमें न थी ।

शासन इनका डेन्मार्क से पृथक् था। हॉल्स्टाइन जर्मन राज्य-मन्त्र में भी सम्मिलित था, और इसके राजा की हस्तियत से ही डेन्मार्क का राजा उपर्युक्त संघ में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार ग्वता था। उन्नीसवीं सदी में यूरोप के अन्य देशों के समान डेन्मार्क में भी राष्ट्रियता की लहर चल रही थी और डेन लोग अपनी राष्ट्रिय उन्नति के लिये प्रयत्न कर रहे थे। राष्ट्रवादी देशभक्त लोगों की आकांक्षा थी कि हॉल्स्टाइन और श्लेश्विग के प्रदेशों को भी डेन्मार्क में सम्मिलित कर लिया जाय, ताकि उनके देश की शक्ति अधिक बढ़ जाय। पर जर्मन लोग इसके विरोध में थे। न केवल इन प्रदेशों के जर्मन निवासी, पर साथ ही जर्मनी के लोग भी डेन देशभक्तों की इस आकांक्षा का विरोध कर रहे थे। १८६३ में डेन्मार्क के राजा क्रिश्चियन दशम ने अपने राज्य के आन्दोलनों के प्रभाव में आकर उद्घोषणा की कि श्लेश्विग को डेन्मार्क में सम्मिलित कर लिया गया है, और उसके अनुसार शासन विधान में आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे। जर्मन लोग इस उद्घोषणा को नहीं सह सकते थे। प्रशिया ने इसका विरोध किया। विस्मार्क ने सोचा कि डेन्मार्क से लड़ाई शुरू करने का यह अच्छा मौका है। प्रशिया को इससे बहुत लाभ है। श्लेश्विग और हॉल्स्टाइन के महत्वपूर्ण प्रदेशों को हड़पने का इससे अच्छा अवसर फिर हाथ न आयगा। उसने आस्ट्रिया को इन प्रदेशों की समस्या का निपटारा करने में सहायता देने के लिये आमन्त्रित किया।

आस्ट्रिया चाहता था कि विजित प्रदेशों का बँटवारा किस प्रकार होगा, इसका फैसला पहले ही कर लिया जाय। पर विस्मार्क ने कहा कि यह बात पीछे निश्चित की जा सकेगी। आस्ट्रिया तैयार हो गया और दोनों राज्यों की तरफ से सम्मिलित रूप में डेन्मार्क को अन्तिम सूचना दी गई, कि शीघ्र ही नवीन शासन विधान का अन्त कर श्लेश्विग के प्रदेश को पृथक् कर दिया जाय। क्रिश्चियन दशम इसे स्वीकृत करने के

लिये उत्पन्न न हुआ। आस्ट्रिय, प्रशिया और आस्ट्रिया की सम्मिलित सेनाओं ने १८६६ में डेन्मार्क पर आक्रमण किया। डेन्मार्क परास्त हो गया। उसके राजा फोन बेवल श्लेश्विग और हॉल्स्टाइन, पर साथ ही लायनबुर्ग के प्रदेश को भी विजेताओं के सुपुर्द कर देने के लिये बाधित होना पड़ा। प्रशिया और आस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली राज्यों के सम्मुख डेन्मार्क की हैसियत हाक्या थी? उसकी बुरी तरह पराजय हुई।

सन्धि—परन्तु लूट के माल के बँटवारे पर विजेताओं में मत भेद हो गया। प्रशिया की इच्छा थी, कि तीनों प्रदेशों को अपने राज्य में मिला लिया जावे। आस्ट्रिया चाहता था कि इन्हें जर्मन राज्यमण्डल में स्वतन्त्र रूप में सम्मिलित किया जावे। आस्ट्रिय दोनों में सन्धि हो गई। बिस्मार्क अनुभव करता था कि अभी आस्ट्रिया से युद्ध शुरू करने का समय नहीं आया है, अतः सन्धि कर लेने में ही उसे फायदा नजर आता था। सन्धि के द्वारा विजित प्रदेशों की जो व्यवस्था हुई, वह इस प्रकार थी—(१) लायनबुर्ग को प्रशिया ने खरीद लिया। क्या का मूल्य आस्ट्रिया को मिला। (२) श्लेश्विग प्रशिया को प्राप्त हुआ। प्रशिया इसे प्राप्त करने को बहुत उत्सुक था। नील का प्रसिद्ध बन्दरगाह इसमें ही स्थित था। (३) हॉल्स्टाइन पर आस्ट्रिया ने कब्जा जमा लिया।

इस सन्धि में आस्ट्रिया और प्रशिया—दोनों को एक बराबर लाभ हुआ। पर बिस्मार्क इसे केवल क्षणिक समझौता मात्र ही समझ रहा था। आस्ट्रिया को परास्त करने के लिये वह उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में था। यह अवसर उसे शीघ्र ही मिल गया।

(४) आष्ट्रो-प्रशियन युद्ध और उत्तरीय जर्मन राज्यसंघ का निर्माण

युद्ध की तैयारी - बिस्मार्क के सम्मुख आस्ट्रिया का यह था,

कि आस्ट्रिया को परास्त कर उसे जर्मन राज्यसंघ से वहिष्कृत करे। पर यह कार्य डेन्मार्क जैसे छोटे से राज्य को परास्त कर देने क तमान सुगम नहीं था। आस्ट्रिया यूरोप के सबसे अधिक शक्ति शाली और प्राचीन राज्या में से एक था। उसके साथ युद्ध यूरोप के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता था, अतः बिस्मार्क ने पहले यह उचित समझा कि अन्य राज्यों की नब्ज देख ले। ग्रेट ब्रिटेन आस्ट्रियन युद्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा, इसकी कोई सम्भावना नहीं थी। रशिया के जार एलेक्जेंडर द्वितीय से बिस्मार्क पहले ही मित्रता कर चुका था। फ्रांस का क्या रूप होगा, यह अनिश्चित था। अतः बिस्मार्क स्वयं फ्रांस के सम्राट नैपोलियन तृतीय से मिलने के लिये गया। नैपोलियन को राष्ट्रीयता का सिद्धान्त की रूची धुन थी। कम से कम वह प्रदर्शित तो यही करता था। अतः बिस्मार्क ने उसे समझाया, कि हम लोग जर्मनी में राष्ट्रीय एकता का स्थापित करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। आस्ट्रिया उसमें सबसे बड़ा विघ्न है। अतः उसे दूर करने के शुभ कार्य में नैपोलियन को प्रशिया की सहायता करनी चाहिये। बिस्मार्क ने केवल शुष्क सिद्धांतों का ही विवेचन नहीं की। उसने नैपोलियन को टास लालच भी दी। जिस प्रकार काब्र ने आस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रांस की सहायता प्राप्त करने के लिये नीस और सेवोय के प्रदेश पेश किये थे, इसी प्रकार बिस्मार्क ने बेल्जियम और रूहान की

अपने साम्राज्य का विस्तार कर सपना सुगम हो जायगा। इस विचार से नैपोलियन ने यही निश्चय किया, कि आस्ट्रिया को सहायता न दी जावे। इटली में राष्ट्रीय एकता स्थापित हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ था। नर्वान इटालियन राज्य वेनेटिया को आस्ट्रिया की अधीनता से मुक्त कराने के लिये उत्सुक था। अतः-विस्मार्क के लिये यह बहुत सुगम था कि इटली की सहायता आस्ट्रिया के विरोध में प्राप्त कर सके। उसने इटली से समझौता किया कि आस्ट्रिया के परास्त होने पर वेनेटिया उसे दे दिया जावेगा और युद्ध शुरू होने पर वह दक्षिण की तरफ से आस्ट्रिया पर आक्रमण करेगा।

युद्ध का प्रारम्भ—सपन तैयारी हो चुकी थी, अब युद्ध के लिये कोई उपयुक्त अवसर ढूँढना बाकी था। श्लेश्विग और हॉल्स्टाइन के प्रदेशों के बारे में प्रशिया और आस्ट्रिया की जो संधि हुई थी, उसकी शर्तों के सम्बन्ध में कोई भगड़े की रात बूढ़ निम्नलिखित मुश्किल नहीं थी। जून १८६६ में ऐसा मौका मिल गया और प्रशिया ने आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित कर दिया। अनेक जर्मन राज्यों ने आस्ट्रिया का साथ दिया।

सेडोवा का युद्ध—३ जुलाई के दिन सेडोवा या क्यूनिग्रेट्ज के स्थान में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई। इसमें आस्ट्रिया की पराजय हुई। सेडोवा के युद्ध के साथ आष्ट्रो-प्रशियन युद्ध प्रायः समाप्त हो गया। तीन सप्ताह से भी कम समय में विस्मार्क की सेनाओं ने इस रात का पैसला कर दिया कि प्रशिया और आस्ट्रिया में से जिसे जर्मनी का नेतृत्व करना है। इसके बाद एक एक करके उन जर्मन राज्यों पर हमला किया गया, जिन्होंने आस्ट्रिया का साथ दिया था। उन सभी युगी तरह से परास्त किया गया। आस्ट्रिया की सेनायें इतनी बुरा तरह से परास्त हो गई थीं, कि विलियम प्रथम और अनेक सेनापतियों की यह

इच्छा थी कि आस्ट्रिया की राजधानी वीएना पर हमला किया जाय। पर विस्मार्क ने इसका विरोध किया। वह इसे जर्मन समूह के महत्वपूर्ण कायम स्वार्थ की राधा समझता था। उसके विरोध से वाएना पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया गया।

सन्धि—२३ अगस्त १८६६ को प्राग में आस्ट्रिया और प्रशिया में सन्धि हो गई। इस सन्धि के अनुसार (१) १८१५ में वीएना की कांग्रेस द्वारा आस्ट्रिया के नेतृत्व में जो जर्मन राज्यसंघ बना था, उसे विलुप्त कर दिया गया। (२) श्लेश्विग और हॉल्स्टाइन—दोनों प्रदेश प्रशिया को दे दिए गए। (३) वेनेटिया इटली को दे दिया गया। (४) आस्ट्रिया हज्जाना देने के लिये मजबूर किया गया।

प्रशिया का विस्तार—इतना ही नहीं, आष्ट्रो प्रशियन युद्ध से प्रशिया को अन्य भी अनेक लाभ हुए। हैनावर, हेस्से कैसल, नास्मो और फ्रांफर्ट—इन सब राज्यों को प्रशिया ने अपने साथ सम्मिलित कर लिया। इन सबने गत युद्ध में आस्ट्रिया की सहायता की थी। अतः इन्हें अपने साथ मिला लेने में विस्मार्क का कुछ भी अनौचित्य नजर न आता था। हायनजुग, श्लेश्विग और हॉल्स्टाइन पर तो प्रशिया ने अपना अधिकार जमा ही लिया था। इस प्रकार अर आष्ट्रो प्रशियन युद्ध के परिणामस्वरूप प्रशिया को नया नवीन प्रदेश प्राप्त हुए थे, उनका क्षेत्रफल हालीएड से दुगना था। उनकी आबादी भी ५० लाख से अधिक थी। इन प्रदेशों की प्राप्ति से प्रशिया इतना बड़ा हो गया था, कि सम्पूर्ण जर्मनी का दाँतिहाई प्रदेश और दाँतिहाई जनता उसका अधीन थी। प्रशिया की कुल आबादी २३ करोड़ से अधिक थी। वह यूरोप का प्रमुख राज्याम एक था। इस स्थिति में शेष जर्मन राज्यों का अपने साथ संगठित करना बहुत कठिन नहीं था। अन्य सब राज्य मिलकर भी प्रशिया के सम्मुख सवधा नगएय थे।

विभाग के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। व्यवस्थापन-विभाग में दो सभायें थी—(१) सघसभा (बुन्डसराट)—इसमें सब राज्यों के गजाग्रो के प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे। प्रत्येक राज्य का कम से कम एक एक प्रतिनिधि अवश्य होता था। (२) लोकसभा (रीफ टाग)—सम्पूर्ण जनता इसके लिये प्रतिनिधि निर्वाचित करती थी। वोट का अधिकार सब पुरुषों को प्राप्त था। विस्मार्क जैसे पुगने विचारो के आदमी के होते हुए भी वोट का यह सुविस्तृत अधिकार वस्तुतः आश्चर्यजनक है। असली बात यह है, कि इतिहास की प्रवृत्तियों को रोक सकना किसी एक व्यक्ति के लिये—चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, कभी सम्भव नहीं होता। निस्सन्देह, विस्मार्क की शक्ति असाधारण थी। पर समय की लहर बहुत प्रबल थी। जर्मन जनता अपने अधिकारों के लिये अनेक संघर्ष कर चुकी थी। अब उसे रोक सकना सुगम कार्य न था।

उत्तरीय जर्मन राज्यसंघ की रचना इस ढंग से की गई थी, कि वेवेरिया आदि दक्षिणीय राज्यों को सम्मिलित करने का जिस समय मौका आये, तो शासन विधान का निर्माण नये सिरे से न करना पड़े। उन्हें अपने अन्दर सम्मिलित करने की गुञ्जाइश पहले से ही कर ली गई थी। कुछ समय के बाद जब इसके लिये अवसर उपस्थित हुआ, तो किसी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के बिना ही वे राज्य जर्मन संघ में सम्मिलित कर लिये गये।

(५) फ्रेको-प्रशियन युद्ध और संगठित जर्मन साम्राज्य की स्थापना

कारण—नैपोलियन तृतीय का खयाल था, कि आस्ट्रिया और प्रशिया का युद्ध बहुत देर तक चलेगा। दोनों राज्य आपस में लड़कर कमजोर हो जायेंगे और फिर फ्रांस को अपनी शक्ति का विस्तार

करने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। पर उसके सब सुख स्वप्न मट्टी में मिल गये, जब कि सेडोवा की लड़ाई में आस्ट्रिया परास्त हो गया और प्रशिया की विजय हुई। प्रशिया दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। उसकी सेना यूरोप में सबसे अधिक शक्तिशाली थी। उसके नेतृत्व में अधिकांश जर्मन राज्यों का संगठन हो चुका था। नैपोलियन अपने पड़ोस में इस प्रकार के शक्तिशाली राष्ट्र का प्रादुर्भाव नहीं सहन कर सकता था। वह चाहता था कि इसे प्रारम्भ में ही नाट कर दिया जावे। प्रशिया जिस प्रकार तेजी से उन्नति कर रहा था, उससे यह निश्चित था कि वह फ्रांस का भयकर प्रतिस्पर्धी हो जायगा। नैपोलियन इस बात को कब सहन कर सकता था ? प्रशिया और फ्रांस के हित आपस में टकराते भी थे। ववेरिया, बाउन, वुर्टम्बर्ग, और हैस्से डार्मस्टाट—ये चार दक्षिणीय जर्मन राज्य अभी तक जर्मन राज्यसभ में सम्मिलित नहीं हुए थे। बिस्मार्क इन्हें भी अपने सभ में मिलाना चाहता था। पर नैपोलियन का हित इस बात में था, कि ये राज्य पृथक् रहें। वह इन्हें अपने प्रभाव में रखने को इच्छुक था। प्रथम नैपोलियन द्वारा स्थापित 'दक्षिणीय जर्मन राज्य-सभ' का स्वप्न लेकर वह इन राज्यों को अपने प्रभाव में, और यदि हो सके तो, संरक्षा में रखने को उत्सुक था। इसके अतिरिक्त, नैपोलियन कुछ कर दिखाने के लिये बहुत उतावला था। शासन-विधान की उपेक्षा कर पट्यंत्र द्वारा वह सम्राट् पद पर पहुँचा था। इस गौरवा-स्पद पद को कायम रखने के लिये शानदार विजयों की जरूरत थी। मैक्सिको में अपना शासन स्थापित करने के प्रयत्न में उसे भारी निराशा का सामना करना पड़ा था। फ्रेञ्च लोग इस बात से बहुत असंतुष्ट थे। नैपोलियन का प्रभाव बहुत कम हो गया था। अतः वह चाहता था कि नई विजयों द्वारा जनता के हृदय में फिर उसी स्थान को प्राप्त कर ले। इसके अतिरिक्त, नैपोलियन प्रशिया से विशेष रूप से

नाराज था। उसकी इच्छा थी कि हालैंबर्ग से लुक्सम्बुर्ग नामक प्रदेश को खरीद ले। उसे अपने प्रयत्न में अवश्य सफलता हो जाती, यदि प्रशिया हस्तक्षेप न करता। लुक्सम्बुर्ग का न खरीद सकने के कारण नेपोलियन प्रशिया से बहुत चिढ़ा हुआ था। इन सब कारणों के साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि फ्रांस और प्रशिया—दोनों राज्यों में राष्ट्रियता की भावना बड़े तीव्र रूप में व्याप्त हो रही थी। राष्ट्रियता बहुत अच्छी चीज है, पर दुनिया की प्रत्येक अच्छी चीज की तरह इसका अतिशय मात्रा बहुत नुकसान पहुँचाती है। राष्ट्रियता सिखाती है, कि एक किसम के लोग एक साथ निवास करें, साथ मिल कर अपनी अपनी उन्नति करें। किसी दूसरे किसम के लोगों के अधीन न होकर अपनी इच्छा और आदर्शों के अनुसार अपनी उन्नति करें। यहाँ तक तो ठीक है। पर कुछ आगे और बढ़िये। यदि राष्ट्रियता को बहुत बढ़ा दिया जाये, तो उसका मतलब यह भी हो जाता है कि दुनिया में हम ही हम रहे, और कोई जीने ही न पाये। फ्रांस और प्रशिया दोनों इसी बीमारी के शिकार थे। पहले किसी जमाने में इन दोनों राज्यों की सरकारें राष्ट्रियता के खिलाफ थीं। पर अब समय बदल चुका था। अब शासक लोग स्वयं अपने हित के लिये इस लोकोपिय सिद्धान्त का उपयोग कर रहे थे। दोनों देशों के अखबारों में अपने राष्ट्र के विस्तार के लिये आन्दोलन चल रहा था। प्रशिया कहता था—हमें नीचे दक्षिण की तरफ उठना चाहिये। फ्रांस कहता था—हमें उत्तर में रूहान नदी तक तो अवश्य ही पहुँचना चाहिये। फ्रेञ्च अखबार लिखते थे—बर्लिन पर चढ़ चलो। प्रशियन अखबार लिखते थे—पेरिस पर चढ़ चलो। इस दशा में युद्ध शुरू होने में कितना देर लग सकती थी ?

स्पेन की राजगद्दी का मामला—दोनों देश युद्ध के लिये उतावले हो रहे थे। आखिर, उन्हें अपनी आत्मा पूर्ण करने का



प्रिस निस्मार्क (१८१५-१८६८)

उपयुक्त अवसर मिल गया। १८६८ में स्पेन की स्वेच्छान्वारी साम्राज्यी इसाबेला के विरुद्ध जनता ने विद्रोह कर उसे राज्यच्युत कर दिया था। अत्र प्रश्न यह था, कि स्पेन की राजगद्दी पर किसे विठाया जाय। विस्मार्क ने बड़ी नीति कुशलता से स्पेनिश नेताओं को इस बात के लिये तैयार किया कि वे प्रशिया के राजा विलियम प्रथम के सम्बन्धी लियोपोल्ड को अपना राजा निर्वाचित करें। नैपोलियन तृतीय इस बात को नहीं सह सका। पेरिस के अखबारनवांसों ने प्रशिया के विरुद्ध जहर उगलना प्रारम्भ किया। प्रशिया के हाहेनट्रशोलर्न वंश के इस उत्कर्ष को वे भला कब सहन कर सकते थे। उन्होंने कहना शुरू किया कि लियोपोल्ड के स्पेनिश राज्यसिंहासन पर आरूढ़ हो जाने से स्पेन पर प्रशिया का प्रभुत्व स्थापित हो जायगा और यह बात यूरोप की शान्ति के लिये खतरनाक होगी। फ्रांस के विरोध का परिणाम यह हुआ कि लियोपोल्ड ने स्वयमेव राजगद्दी की उम्मीद्वारी का परित्याग कर दिया। पर नैपोलियन को इतने से सन्तोष नहीं था। वह तो युद्ध के लिये तूला हुआ था। उसने उद्वेषित किया कि लियोपोल्ड की तरफ से राजा बनने के लिये उम्मेद्वारी का परित्याग कर देना ही फ्रांस के लिये काफी नहीं है। प्रशिया की ओर से प्रामाणिक रूप से उद्वेषणा होनी चाहिये कि भविष्य में हाहेनट्रशोलर्न वंश का कोई कुमार स्पेन की राजगद्दी के लिये उम्मीद्वार नहीं होगा। प्रशिया में स्थित फ्रेञ्च राजदूत ने अपने अपने सम्राट् की यह माँग विलियम प्रथम के सम्मुख उपस्थित की। विलियम ने इसे स्वीकृत करने से इनकार कर दिया। विस्मार्क ने जान बूझकर इस घटना को प्रशिया के समाचारपत्रों में इस ढंग से प्रकाशित करवाया, ताकि लोग समझें कि फ्रेञ्च राजदूत ने विलियम का अपमान किया है। प्रशियन लोग अपने राजा के अपमान का समाचार पढ़कर भड़क गये। दोनों देश युद्ध के लिये पहले ही तैयार बैठे थे। १६ जुलाई, सन् १८७० का

फ्रांस की राष्ट्र प्रतिनिधि सभा के सम्मुख प्रशिया के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित करने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया। विरोध में केवल १० वोट आये। उसी दिन युद्ध की उद्घोषणा कर दी गई। दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिये सन्नद्ध हो गये।

युद्ध की उद्घोषणा—युद्ध शुरू हो गया। नेपोलियन की आशा थी कि बवेरिया आदि दक्षिणीय जर्मन राज्य उसकी सहायता करेंगे, पर उसे निराश होना पड़ा। जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना बहुत प्रबल हो चुकी थी। सम्पूर्ण जर्मनी हथियार लेकर फ्रांस के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। बात की बात में दस लाख जर्मन सैनिक रूहाइन नदी को पार कर फ्रांस पर आक्रमण करने के लिये चल पड़े।

सीडन का युद्ध—जर्मन सेनापतियों की योजना थी कि मेट्टन और स्ट्रास्सबुर्ग के दुर्गों में स्थित फ्रेञ्च सेना को परास्त कर पेरिस पर आक्रमण किया जावेगा। इन दोनों दुर्गों को घेर लिया गया और फ्रांस को बढती हुई सेना का सीडन के रणक्षेत्र में मुकाबला किया गया। १ सितम्बर १८७० का सीडन में फ्रांस और जर्मनी का युद्ध हुआ। फ्रांस की बुरी तरह पराजय हुई। सम्राट् नेपोलियन तृतीय अपने ८१ हजार सैनिकों के साथ जर्मन लोगों के हाथ में कैद हो गया।

पेरिस का आत्मसमर्पण—उधर मेट्टन और स्ट्रास्सबुर्ग के घेरे जारी थे। इन दुर्गों को जीतने की भी प्रतीक्षा न कर जर्मन सेनाओं ने पेरिस पर आक्रमण किया। पेरिस घेर लिया गया। फ्रेञ्च लोगों ने बनी वीरता के साथ शत्रुओं का मुकाबला किया। राब्य पदार्थों की अत्यन्त कमी हो गई, पर फ्रेञ्च लोग धरराये नहीं। उन्होंने कुत्ते, बिल्ली, चूहे और पक्षी सब खा लिये। और तो और रहा, बिडियाघर के जानवरों पर भी हाथ साफ कर दिया गया। इस दुरस्थता में भी पेरिस के लोगों ने हिम्मत न हारी। सामयिक सरकार के नेता गेम्बेट्टा ने वेलून पर बैठकर पेरिस से प्रस्थान किया और बोर्डियो पहुँचकर

पेरिस की रक्षा के लिये सेना एकत्रित करनी प्रारम्भ की। इस बीच में २७ अक्टूबर को मेटज परास्त हो चुका था। वहाँ के १ लाख ७३ हजार आदमी आत्मसमर्पण कर चुके थे। कुछ दिनों बाद स्टासबुर्ग भी जीत लिया गया था। इस स्थिति में पेरिस के लिये और अधिक मुकाबला करना व्यर्थ था।

फ्रांफोर्ट की सन्धि—भूख और ठण्ड के कारण लोग तग ग्रा गये थे। २८ जनवरी, १८७१ के दिन सामयिक सन्धि कर ली गई। फ्रांफोर्ट में स्थिर सन्धि के लिये परिपक्व प्रारम्भ हुई। आखिर, १० मई १८७१ को दोनों देशों में सन्धि हो गई। यह फ्रांफोर्ट की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी मुख्य मुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं—

(१) फ्रांस ३ अरब रुपया हरजाने के तौर पर जर्मनी का दे।

(२) जब तक यह हरजाना बसूल न हो, तब तक जर्मन सेना उत्तरीय फ्रांस पर कब्जा कायम रखे।

(३) आल्सेस और लारेन के प्रदेश जर्मनी को दिये जायें।

फ्रांस के लिये ये शर्तें बहुत कठोर थीं। विशेषतया, आल्सेस और लारेन के प्रदेशों का जर्मनी के साथ सम्मिलित किया जाना फ्रेञ्च लोगों को बहुत असह्य था। इन प्रदेशों के अधिकार निवासी फ्रेञ्च जाति के थे। पुराने जमाने में ये पृथक् राज्य के रूप में थे और पवित्र रोमन साम्राज्य का अन्तर्गत समझे जाते थे। इस कारण जर्मनी इन पर अपना दावा समझता था। पर अत्र राष्ट्रीयता के युग में फ्रेञ्च जाति के लोगों का जर्मनी के अन्तर्गत किया जाना बहुत अनुचित तथा न्यायविरुद्ध अनुभव किया जा रहा था। आल्सेस और लारेन के फ्रेञ्च निवासी किसी भी तरह जर्मन लोगों के साथ नहीं रहना चाहते थे। यही कारण है, कि बहुत से लोग अपने घरों का परित्याग कर इस समय फ्रांस आ बसे।

फ्रांफोर्ट की इस सन्धि का ही परिणाम था कि फ्रांस और जर्मनी में दुश्मनी की लड़कम गई। हरजाना अदा करने के लिये फ्रेञ्च

लोगों को बड़ी बड़ी कुब्रानिया करनी पटी। उत्तरीय फ्रांस में जर्मन सेना मौजूद थी। उसकी सत्ता को फ्रेञ्च लोग नहीं सह सकते थे। पर वे क्या करते? वे विवश थे। जब तक हरजाने की सम्पूर्ण रकम वसूल न हो गई, यह सेना फ्रांस से न हटी। फ्रेञ्च लोगों में इन सव बातों का बदला लेने की प्रबल आकांक्षा थी। १९१४-१८ के यूरोपियन महायुद्ध के अनन्तर जर्मनी के पराजित होने पर फ्रांस ने १८७१ की सन्धि का पूरी तरह बदला लिया।

जर्मन-साम्राज्य की स्थापना—फ्रेंचों को जर्मन युद्ध अभी समाप्त भी न हुआ था, कि विस्मार्क ने जर्मन संगठन को पूर्ण करने के लिये प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। दक्षिणीय जर्मनी के चारों राज्यों से पृथक् पृथक् सन्धि की गई। अन्य राज्यों की अपेक्षा उन्हें कुछ अधिक सुभाते दिये गये और वे जर्मन राज्य सघ में सम्मिलित होने के लिये तैयार हो गये। 'राज्यसघ' का नाम बदल कर 'साम्राज्य' कर दिया गया, और इस नवीन जर्मन-साम्राज्य के अध्यक्ष को सम्राट् की पदवी दी गई। प्रशिया का राजा अब जर्मन सम्राट् बन गया। पेरिस के आत्मसमर्पण के दस दिन पूर्व १८ जनवरी, १८७१ को वर्साय के राजप्रासाद के शांतिमहल में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उत्सव का आयोजन की गई। जर्मनी के विविध राजा बड़ी शान से अपने अपने आसनो पर बैठे थे। बीच में एक ऊँची वेदी पर प्रशिया का राजा विलियम प्रथम विराजमान था। बवेरिया के राज प्रतिनिधि ने खड़े होकर अपने साथी राज्यों की तरफ से विलियम की सेवा में साम्राज्य का राजमुकुट पेश किया। इसके अनन्तर विस्मार्क ने जर्मन साम्राज्य के निर्माण का उद्घोषणा पत्र पढ़ सुनाया। विलियम के राजमुकुट को सिर पर धारण करने के साथ ही पेरिस के चारों ओर मीलों तक तोपों से सलामी दी गई। जर्मन सेना की खुशी का पारावार न रहा। जिस राष्ट्रीय एकता के लिये जर्मन लोग इतने समय से

ठलुफ़ थे, आखिर प्रशिया के नेतृत्व में और बिस्मार्क के प्रयत्न से वह सम्पन्न हो गई।

उत्तरीय जर्मन राज्य सघ के सगठन को ही कुछ परिवर्तित कर जर्मन साम्राज्य का सगठन निश्चित किया गया। यह नवीन सगठन १६१८ की जर्मन राज्यक्रान्ति तक कायम रहा। बिस्मार्क साम्राज्य का प्रथम प्रधान मन्त्री बना।

बिस्मार्क के जीवन की सत्रसे प्रधान महत्त्वाकांक्षा पूर्ण हो चुकी थी। अत्र उसके तथा उसके अनुयायियों के सम्मुख वही कार्य शेष बचा था कि जर्मनी को यूरोप का सर्वप्रधान राज्य बनाया जावे और पृथिवी के विविध प्रदेशों में भी जर्मन सत्ता का विस्तार हो। जर्मनी की यही महत्त्वाकांक्षा १६१४-१८ के प्रसिद्ध यूरोपीय महायुद्ध में एत अत्यन्त महत्त्वपूर्णा कारण थी।

सत्ताईसवाँ अध्याय इङ्गलैण्ड में सुधार का काल

(१) पुराना इङ्गलैण्ड

फ्रांस की राज्यक्रान्ति से पूर्व इङ्गलैण्ड यूरोप में सबसे अधिक उन्नत और प्रगतिशील देश माना जाता था। उदार विचारों के लोग उसकी शासनपद्धति को आदर्श समझते थे। मान्टस्क और वाल्टेयर जैसे उदार और क्रान्तिकारी फ्रेन्च विचारकों ने इङ्गलैण्ड शासनपद्धति की बड़ी प्रशंसा की थी और यूरोप के अत्याचार-पीड़ित लोगों के सम्मुख उसी को आदर्श रूप में पेश किया था। इङ्गलैण्ड में पार्लियामेंट की स्थापना हो चुकी थी। हाउस आफ कामन्स के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। प्रत्येक कानून पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृत होने पर ही लागू होता था। कानून के अनुसार ठीक तरह न्याय करने के लिये वाकायदा न्यायालयों का भी संगठन हो चुका था। राजा इङ्गलैण्ड में विद्यमान था, पर पार्लियामेंट और स्वतन्त्र न्यायालयों की सत्ता के कारण यह यूरोप के समकालीन राजाओं के समान एकतन्त्र और स्वेच्छाचारी नहीं था। उसकी शक्ति कानूनों द्वारा सीमित थी। इङ्गलैण्ड में वैध राजसत्ता की स्थापना फ्रेञ्च राज्यक्रान्ति से लगभग एक सदी पहले से हो चुकी थी।

इङ्गलिश लोगों ने इस उन्नत शासनविधान को कैसे और कब प्राप्त किया, इसकी कथा बहुत बड़ी है। उसे लिखने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। मध्यकाल से ही वहाँ पार्लियामेंट विद्यमान थी। पर पहले यह पार्लियामेंट बड़े बड़े सामन्तों की सभा के अतिरिक्त कोई चीज न थी। राजा इसके कार्य में अत्येष्ट रूप से हस्तक्षेप करता था। यह राजा के हाथ में कठपुतली के समान होती थी। सतरहवीं सदी में इङ्गलैण्ड में स्टुअर्ट वंश के राजा राज्य करते थे। ये पूर्णरूप से स्वेच्छाचारी और एकतन्त्र राजा थे। राजा के दैवीय अधिकार में इनका दृढ़ विश्वास था। स्टुअर्ट वंश का पहला राजा जेम्स प्रथम कहा करता था—“ईश्वर क्या कर सकता है, इस पर आशंका करना नास्तिकता और धर्मद्रोह है। इसी प्रकार राजा क्या कर सकता है, इस बात पर विचार करना या यह समझना कि राजा यह काम नहीं कर सकता, राजद्रोह और राजा का अपमान करना है।” जेम्स प्रथम और उसके उत्तराधिकारी स्टुअर्ट राजा अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे और अपने ईश्वरविहित अधिकारों में जनता द्वारा किसी भी प्रकार की बाधा व मर्यादा को नहीं सह सकते थे। उनके स्वेच्छाचार का परिणाम यह हुआ, कि सन् १६४२ में जनता ने विद्रोह कर दिया। राजा और जनता में बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई। अन्त में राजा परास्त हुआ। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सन् १६४९ में फाँसी पर चढ़ा दिया गया। जनता द्वारा कतल किये जाने वाले इस राजा का नाम चार्ल्स प्रथम था और यह जेम्स प्रथम के बाद इङ्गलैण्ड का राजा बना था। चार्ल्स प्रथम को कतल कर इङ्गलिश जनता ने रिपब्लिक की स्थापना की। क्रोमवेल इस रिपब्लिक का पहला राष्ट्रपति बना। पर अभी रिपब्लिकों का युग नहीं आया था। कुछ ही वर्षों बाद सन् १६६० में रिपब्लिक की

समाप्ति हो गई और स्टुअर्ट वंश का चार्ल्स द्वितीय फिर इङ्ग्लैण्ड का राजा बन गया। चार्ल्स द्वितीय भी राजा के दैवीय अधिकारों पर विश्वास रखता था और राज्यकार्य में जनता का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकता था। पर वह बुद्धिमान और कार्यकुशल राजा था। उसने अपने शासनकाल में जनता को खुश करने के लिये अनेक कानून जारी किये। चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु ५ मार्च १६८५ में उसका लड़का जेम्स द्वितीय राजगद्दा पर बैठा। उसने अपने पिता की नीति का परित्याग कर फिर स्वेच्छान्चारी नीति का आश्रय लिया। परिणाम यह हुआ कि १६८८ में जनता ने विद्रोह किया। जेम्स द्वितीय को राजगद्दा से च्युत कर विलियम तृतीय को इङ्ग्लैण्ड की राजगद्दी संभालने के लिये नियुक्त किया गया। यह विलियम तृतीय नीदरलैंड (हालैंड) का राजा था और इसकी धर्मपत्नी मेरी इङ्ग्लैण्ड के राजपुत्र की थी। जेम्स द्वितीय विलियम का मुकाबला नहीं कर सका। वह परास्त हो गया और 'जनता की इच्छा से' विलियम तृतीय इङ्ग्लैण्ड का राजा बना।

इङ्गलिस जनता की यह महान विजय थी। विलियम तृतीय को जनता ने अपनी इच्छा से राजा बनाया था। वह स्टुअर्ट वंश के राजाओं के समान एकतन्त्र व स्वेच्छान्चारी नहीं हो सकता था। राजा की शक्ति को सीमित करने के लिये पार्लियामेंट में इस समय एक विधान पेश किया गया। जिसे 'बिल ऑफ राइट्स' या 'अधिकार विधान' कहते हैं। इसमें मुख्यतया निम्नलिखित अधिकारों को स्थापित किया गया था—राजा देश के किसी कानून का उल्लंघन न कर सके। पार्लियामेंट की स्वीकृति के बिना राजा कोई नया टैक्स न लगा सके। पार्लियामेंट में सदस्यों को भाषण की पूर्ण स्वतन्त्रता रहे। क्रूरता से युक्त सजायें न दी जायें, सजा में अल्पधिकुरमाने भी न किये जायें। प्रत्येक नागरिक को अधिकार हो कि वह राजा के

सम्मुख अपने प्रार्थना पत्र पेश कर सके। इसी प्रकार 'ने ग्रन्थ द्रुत' में अधिभार इस 'विल आफ राइटस' द्वारा जनता को दिये गये। विलियम तृतीय ने इन्हें स्वीकृत किया और तभी जनता ने उसे अपना राजा माना।

जेम्स द्वितीय को राज्यच्युत कर अपनी इच्छा से विलियम तृतीय को राजगद्दी पर बिठाकर इङ्गलिश जनता ने सचमुच बड़ा भारी काम कर दिखाया था। इसे इतिहास में इङ्गलिश राज्यक्रान्ति कहते हैं। इस समय से, १६८८ से इङ्ग्लैण्ड में राजाशाही के अपरिमित स्पेच्छाचार का सचमुच अन्त हो गया और पार्लियामेंट की शक्ति निरन्तर बढ़ने लगी। इसी बात को दृष्टि में रख कर यूरोप के उदार विचारक और प्रान्तिकारी लोग इङ्गलिश शासन पद्धति की प्रशंसा करते थे और उसे अन्य यूरोपियन राज्यों के लिये अनुकरणीय और प्रादर्श समझते थे।

यह सब कुछ होते हुए भी उन्नासवीं सदी के प्रारम्भ में इङ्ग्लैण्ड की शासन पद्धति लोकतन्त्र व जनता की इच्छा पर आधारित नहीं थी। वहाँ पार्लियामेंट बेशक थी, पर उसके सदस्यों का चुन व जिम ढग से होता था, उसमें बहुत से दोष थे। वोट का अधिकार भी बहुत कम लोगों को था। देश की आगामी में निरन्तर परिवर्तन आते रहते हैं। अनेक नगर जो किसी जमाने में बड़े समृद्ध और आगद थे, आगे चलकर उजड़ जाते हैं और अनेक नवीन नगरों का विकास हो जाता है। इसलिये उचित यह है कि समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का नये सिरे से सगठन होता रहे। पर इङ्ग्लैण्ड में पार्लियामेंट के चुनाव के लिये इस बात का कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। कई सदी पहले से जो निर्वाचन-क्षेत्र चले आते थे, वे ही अब उन्नासवीं सदी में भी विद्यमान थे। बकिङ्गम में घोटरो की संख्या केवल तेरह था। गैटन में पाँच, आरफोर्ड में बीस और मिडलहर्स्ट में तेरह गोटरो

ये। पर इन पुराने उजड़े हुए नगरों से पार्लियामेंट के लिये वाकायदा प्रतिनिधि निर्वाचित होते थे। ओल्ड सेरम में अब कोई भी वाशिन्दा नहीं रहा था, डन्यिच नगर तो समुद्र में डूब चुका था, पर फिर भी इनकी ओर से निर्वाचित प्रतिनिधि वाकायदा पार्लियामेंट में पहुँचते थे। इस प्रकार के उजड़े हुए नगरों की संख्या बहुत काफी थी। उनके प्रदेश जिन ग्रामीर लाडों की जमींदारी में थे, वे ही अपनी तरफ से जिनहीं महानुभावा को नामजद कर पार्लियामेंट में भेज देते थे। दूसरी तरफ अनेक नवीन नगरों का विकास हो गया था, जिनसे एक भी प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होता था। व्यावसायिक क्रान्त के कारण अनेक विशाल नगर इस समय विकसित हो गये थे, जिनकी आबादी लाखों में पहुँच रही थी। मन्चेस्टर, बर्मिंघम और लीड्स जैसे नये बसे हुए व्यवसाय प्रधान नगरों का कोई भी प्रतिनिधि पार्लियामेंट में नहीं पहुँचता था। लार्ड जान रसल ने इस दशा को दृष्टि में रखकर एक भाषण में कहा था कि यदि कोई विदेशी यात्री हमारे देश में आवे तो उसे यह देखकर कितना आश्चर्य होगा कि यहाँ हरियावल से पूर्ण अनेक मैदान जिनमें वनस्पतियाँ तो बहुत हैं, पर इन्सान का नामोनिशान भी नहीं है, पार्लियामेंट के लिये वाकायदा प्रतिनिधि चुनते हैं, और उन विशाल नगरों से जो व्यवसाय व्यापार आदि के महत्त्वपूर्ण केन्द्र हैं एक भी प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होता, यद्यपि पार्लियामेंट मनुष्यों के प्रतिनिधियों से बनती है, वनस्पतियों व हरियावल के प्रतिनिधियों से नहीं।

वोट का अधिकार भी बहुत कम लोगों को था। उस समय वोट नागरिकता के लिए कोई आवश्यक अधिकार नहीं माना जाता था। नगरों में केवल ग्रामीर व्यापारियों को ही वोट का अधिकार था। व्यापारी लोग आपस में मिलकर किसी व्यक्ति को पार्लियामेंट के लिये चुन देते थे। देहातों में वोट का अधिकार केवल उन लोगों को था, जिनके पास अपनी

मलिकयत में ऐसी जमीन हो, जिसकी आमदनी कम से कम तीस रुपया वार्षिक हो। उस जमाने में तीस रुपया वार्षिक आमदनी की जागीर का भालिक होना कोई मामूली बात नहीं थी। देहातों में ऐसे लोग बहुत कम थे, जो इतनी जमीन के स्वामी हों। इस दशा का परिणाम यह था कि इङ्गलैण्ड में यालिग पुरुषों की जितनी आबादी थी, (स्त्रियों और नाबालिग दत्तों को निकाल कर) उसके केवल ५ फी सदी लोगों को वोट का अधिकार मिला हुआ था। स्काटलैण्ड की कुल आबादी २० लाख से ऊपर थी, पर उसमें वोट का अधिकार केवल तीन हजार आदमियों को था। यूट के ताल्लुके की आबादी १४ हजार थी, पर उसमें वोट केवल २३ आदमी थे। कई ताल्लुकों में तो वोट की सख्या केवल एक होती थी।

इतना ही नहीं, निर्वाचन में रिश्वत खूब चलती थी। रिश्वत को कुछ बुरा नहीं समझा जाता था। वह खुले तौर पर ली दी जाती थी। हमारे पक्ष में वोट दो, एक वोट के लिये हम इतनी कीमत प्रदान करेंगे, इस बात का खुला विज्ञापन उम्मीदवार लोग किया करते थे। वोट खुले तौर पर डाले जाते थे। इसका परणाम यह होता था कि सर्व-साधारण वोटर स्वतन्त्रता के साथ वोट नहीं दे सकते थे। उन्हें इस बात का भय बना रहता था कि उनका जमींदार कहीं उन पर नागज न हो जावे।

इन सब बातों का परिणाम यह था, कि इङ्गलैण्ड में पार्लियामेन्ट और उसके प्रति उत्तरदायी मन्त्रि-मन्डल के होते हुए भी लोकतंत्र शासन विद्यमान नहीं था। वहाँ की पार्लियामेन्ट की एक सभा हाउस आफ लार्ड्स तो बड़े जमींदारों और कुलीन श्रेणी के लोगों की सभा थी ही। दूसरी सभा हाउस आफ कामन्स पर भी उनका पूरा प्रभाव था। वे जिसे चाहते, प्रतिनिधि चुनवा सकते थे। इस प्रकार हाउस आफ कामन्स भी नाम की ही जनता के प्रतिनिधियों की सभा थी।

रस्तुत जुलीन और जागीरदार श्रेणी के नामजद किये हुए सदस्यों का ही उसमें प्रभुत्व होता था।

(२) शासन में सुधार

इङ्गलैण्ड की शासन पद्धति में जो दोष थे, उन्हें वहाँ के अनेक राजनीतिज्ञ अनुभव करते थे। अठारहवीं सदी में ही इन बुरादियों के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ हो गया था। पार्लियामेन्ट के सम्मुख शासन सुधार के लिये अनेक मसविदे भी पेश किये गये थे। १७७० में लार्ड चैयम और उसके बाद उसके प्रसिद्ध पुत्र पिट ने शासन सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव उपस्थित किये थे। पर अभी इन प्रस्तावों का कोई पैमला नहीं हुआ था कि उधर फ्रांस में राज्यक्रान्ति हो गई। कुछ ही दिनों में क्रान्ति ने भयंकर रूप धारण कर लिया और यूरोप भर की सरकारें उसे कुचलने के लिये सन्नद्ध हो गईं। इङ्गलैण्ड ने भी राज्यक्रान्ति के विरुद्ध विहाद शुरू किया। १८१५ तक इङ्गलैण्ड तथा अन्य यूरोपियन राज्यफेडरल राज्यक्रान्ति और नैपालियन के विरुद्ध युद्ध करते रहे। इस समय में इङ्गलैण्ड में किसी भी सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव का स्वीकृत होना असम्भव था। लोग कहते थे, यदि इङ्गलैण्ड में भी जनता को अधिकार दिये जावेंगे, तो उसका वही नतीजा होगा, जो फ्रांस में दृष्टिगोचर हो रहा है। १८१५ में वीएना की कांग्रेस के बाद यूरोप भर में प्रति क्रिया का काल शुरू हुआ। समानता, स्वतन्त्रता और भ्रातृभाव की नई प्रवृत्तियों का स्थान जुलीनों के विशेषाधिकार और राजा को स्वेच्छाचारी एकतन्त्र शासन ने लिया। यूरोप के अनेक शक्तिशाली राजाओं ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य ही क्रान्ति की प्रवृत्तियों और उदार विचारों को कुचलना था। सब जगह एकतन्त्र और स्वेच्छाचारी शासन कायम हो रहे थे। इङ्गलैण्ड में भी अनुदार (टोरी) दल का प्रभुत्व था। ये लोग सब प्रकार के शासन सुधार के खिलाफ

थे। मैट्रनिल का प्रसिद्ध मित्र ड्यूक आफ वेलिङ्गटन इस समय इङ्ग्लैंड का प्रधान मन्त्री था। उसके रहते हुए सुधार की आशा ही कैसे की जा सकती थी। इस काल में सुधार करने के बजाय ऐसे कानून पास किये गये, जिनका उद्देश्य नवीन विचारों व नई प्रवृत्तियों को कुचलना था। मन् १८१६ में सरकार की ओर से 'सिक्स एक्ट्स' (छः कानून) पास किये गये, जिनसे जनता को स्वतन्त्र रूप से भाषण करने, लिखने और सार्वजनिक सभायें करने में अनेक रुकावटें डाली गईं।

१८३० में क्रान्ति की दूसरी लहर शुरू हुई। फ्रांस, इटली, स्पेन आदि विविध देशों में क्रान्ति हुई। इङ्ग्लैण्ड भी क्रान्ति की इस लहर से अछूता नहीं रहा। नये विचारों के लोग पहले भी अपना कार्य कर रहे थे, अब उनमें नवजीवन आ गया। लोकमत सुधारों के पक्ष में हो गया। पार्लियामेण्ट में उदार (हिग) दल के लोगों की शक्ति बढ़ गई। ड्यूक आफ वेलिङ्गटन को त्यागपत्र देना पड़ा और उसके स्थान पर सुधारवादी उदार दल का प्रधान नेता लार्ड जान रसल प्रधान मन्त्री बना। १८३१ के मार्च मास में रसल ने सुधार के लिये मसविदा पेश किया। हाउस आफ कामन्स में इसका घोर विरोध हुआ। पर रसल इससे घबराया नहीं। वह जानता था कि देश का लोकमत, उसके साथ है। उसने हाउस आफ कामन्स को बर्खास्त कर दिया और नया निर्वाचन कराया। नये हाउस में उदार दल का बहुमत था। अब हाउस आफ कामन्स में इस मसविदे को पास होने में देर न लगी। पर हाउस आफ लार्ड्स में इसे स्वीकृत करा लेना आसान बात न थी। वहाँ कुलीन जमींदारों का प्रभुत्व था। वे लोग सुधारों के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने इसे अस्वीकृत कर दिया। अब एक नई समस्या उत्पन्न हुई। जनता सुधार चाहती थी और लार्ड लोग उसके मार्ग में रुकावट थे। आखिर, लार्ड रसल ने राजा को इस बात के लिये तैयार कर लिया कि सुधारों के पक्षपाती इतने नये लार्ड बना दिये,

जावें, ताकि यह मसविदा हाउस ऑफ लार्ड्स में पास हो सके। इह दशा में अधिक विरोध निरर्थक था। जून १८३२ में हाउस ऑफ लार्ड्स ने भी सुधार के मसविदे को स्वीकृत कर लिया।

१८३२ के सुधार विधान ने इङ्ग्लैण्ड की शासन पद्धति के उन दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया, जिनका हम पहले प्रकरण में वर्णन कर चुके हैं। इस विधान के अनुसार ५६ ऐसे नगरों से प्रतिनिधि भेजने का अधिकार छीन लिया गया, जिनकी आबादी दो हजार से भी कम थी। कुछ नगर ऐसे थे, जिनकी आबादी दो हजार से तो अधिक थी, पर चार हजार से कम थी। पहले उनसे भी दो प्रतिनिधि निर्वाचित होते थे। अब उनसे एक एक प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था हुई। ऐसे नगरों की संख्या ३२ थी। ३२ नये नगरों को दो दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। २० नये नगरों को एक एक प्रतिनिधि भेजने का हक मिला। इसी तरह देहातों की भी नये सिरे से व्यवस्था की गई। आबादा के हिसाब से नये निर्वाचन मण्डलों का विभाग किया गया और यह निर्णय हुआ कि समय समय पर आबादी की दृष्टि से निर्वाचक मण्डलों का पुनः संगठन होता रहे। १८३२ के सुधार विधान से वोट के अधिकार में भी परिवर्तन किया गया। देहातों में उन सब लोगों को वोट का अधिकार मिला, जो ७५० रु० वार्षिक लगान देते हों, या इतने लगान की भूमि के स्वामी हों। शहरों में वे सब लोग वोटर बना दिये गये, जो १५० रु० वार्षिक किराये के मकान में रहते हों या इतने किराये के मकान के स्वामी हों। इस प्रकार वोट का अधिकार पहले की अपेक्षा कुछ अधिक विस्तृत हो गया। पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि १८३२ के इन सुधारों द्वारा वोट का अधिकार बहुत कम लोगों का मिला था। हिसाब लगाया गया है, कि उस समय इङ्ग्लैण्ड में कुल मिला कर ६०२३७५२ वार्षिक पुरुष थे, इनमें से केवल ८३६५१६ पुरुषों

की वोट का अधिकार मिला था। सर्वसाधारण किसान व मजदूर इस अधिकार से सर्वथा वञ्चित रखे गये थे। उस जमाने में ७५० रु० वार्षिक लगान देना या शहरों में १५० रु० वार्षिक किराये के मकान में रहना कोई मामूली बात न थी। केवल उच्च मध्यश्रेणी के लोग ही इस सुधार विधान से लाभ उठा सकते थे। सर्वसाधारण जनता—किसान और मजदूर लोग अब भी राजनीतिक अधिकारों से सर्वथा वञ्चित थे।

सुधार-विधान अभी क्रिया रूप में परिणत होना भी शुरू नहीं हुआ था, कि उसके विरुद्ध आन्दोलन शुरू हो गया। किसान और मजदूर लोगों ने पुरुषमात्र को मताधिकार प्राप्त हो, इसके लिये आन्दोलन शुरू कर दिया। स्थान स्थान पर सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया। १८३८ में सर्वसाधारण जनता ने एक उद्घोषणा पत्र (चार्टर) तैयार किया, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित छः माँगें पेश की गई थीं—(१) पुरुष-मात्र की वोट का अधिकार दिया जाय। (२) वोट खुले तौर न लिये जायें, अपितु पर्चियों द्वारा लिये जायें। (३) पार्लियामेंट का सदस्य होने के लिये सम्पत्ति की कोई शर्त न रखी जाये (४) पार्लियामेंट के सदस्यों को निश्चित वेतन मिले (५) पार्लियामेंट का निर्वाचन वार्षिक रूप से हो। (६) निर्वाचक-मंडलों का फिर से समूहन किया जावे और इसके लिये देश को एक बराबर विभागों में विभक्त किया जाये।

वर्तमान समय में ये माँगें बहुत मामूली प्रतीत होती हैं। इङ्गलैण्ड में इस समय ये प्रायः स्वीकृत भी हो चुकी हैं। पर उन्नासवीं सदी के उस मध्य भाग में इन्हें बहुत क्रान्तिकारी समझा जाता था। चार्टिस्ट लोग इनके लिये घनघोर आन्दोलन कर रहे थे। स्थान-स्थान पर सभायें की जाती थीं। जुलूस निकाले जाते थे, जोशीली कवितायें गाई जाती थीं, गरमरस वक्तव्यायें दी जाती थीं। दूसरी तरफ सरकार

दार दल का परित्याग कर दिया और वे शीघ्र ही उदारदल के एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गये। श्रीयुत ग्लेडस्टन बहुत उच्च कोटि के वक्ता थे और उनकी राजनीतिज्ञता का सिद्धांत सब लोग मानते थे। लार्ड रसल के प्रधान मन्त्री बनने पर श्रीयुत ग्लेडस्टन ने सन् १८६६ में शासन-सुधार के लिये एक मसजिदा पेश किया। इसमें मताधिकार को पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत करने का प्रयत्न किया गया था। अनुदारदल तो इसके विरोध में था ही, पर उदारदल के भी बहुत से महानुभाव इसके विपक्ष में थे। उनकी सम्मति में अभी इस मसजिदे के लिये समय नहीं आया था। परिणाम यह हुआ कि पार्लियामेंट में यह स्वीकृत नहीं हो सका और लार्ड रसल के मन्त्रिमण्डल को त्याग पत्र देना पड़ा।

अब अनुदार दल के नेता लार्ड डर्बी प्रधान मन्त्री बने। उनके मन्त्रिमण्डल के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य श्रीयुत डिजरायली थे। लार्ड डर्बी हाउस आफ लार्ड्स में थे, अतः हाउस आफ कामन्स का नेतृत्व श्रीयुत डिजरायली ही करते थे। डिजरायली उच्चकोटि के राजनीतिज्ञ थे। अनुदारदल का मन्त्रिमण्डल होने से जनता का स्वाभाविक रूप से खयाल था, कि यह सरकार सुधारों की विरोधी है और इससे शासनसुधार-सम्बन्धी कोई आशा रखना सर्वथा निरर्थक है। इस लिये सारे देश में सुधार के लिये तीव्र आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। स्थान स्थान पर सभाएँ होने लगीं। पुरुषमान की वोट का अधिकार होना चाहिये, इसके लिये प्रस्ताव स्वीकृत होने लगे। एक बार फिर सन् १८३२ के दृश्य दृष्टिगोचर होने लगे। मारे इङ्गलैण्ड में एक प्रकार की हलचल सी मच गई। लोग सरकार की अवज्ञा तक करने के लिए उद्यत हो गये। लण्डन के हाट्ट पार्क में तो दगों तक की भी नौरत आ गई। इस दशा को देखकर डिजरायली जैसे चाणक्य राजनीतिज्ञ ने यह भली भाँति अनुभव कर लिया, कि शासनसुधार की माँग बहुत

प्रयत्न है, और इसे स्वीकृत किये बिना काम नहीं चल सकेगा। सन् १८६७ में उसने स्वयं शासनसुधार सम्बन्धी एक मसविदा पार्लियामेंट के सम्मुख उपस्थित किया। पार्लियामेंट में इसका वार विरोध हुआ। उदारदल के लोग डिजरायली पर हँसते थे और कहते थे कि अब वह उहा सुधारों की स्वयं पेश कर रहा है, जिनका वह जन्म भर विरोध करता रहा है। अनुदारदल के बहुत से सदस्य सुधारों के विरोधी थे ही, वे भी डिजरायली के इस मत परिवर्तन से बहुत क्रुद्ध थे। पर आखिर डिजरायली का यह शासनसुधार सम्बन्धी मसविदा बहुमत से स्वीकृत हो गया।

सन् १८६७ के इस सुधारविधान से वोट का अधिकार पहले की अपेक्षा बहुत विस्तृत हो गया था। मतदाताओं की संख्या पहले की अपेक्षा प्रायः दुगुनी हो गई थी। इसके अनुसार शहरों में उन सत्र लोगों को वोट का अधिकार मिल गया था, जिनके शहर की सीमा में अपने मकान हो या जो कम से कम १५० रु० वार्षिक किराये के मकान में रहते हों। देशांतरों में उन सत्र लोगों को वोट का अधिकार दिया गया था, जिनकी कम से कम ७५ रु० वार्षिक आयदानी की अपनी जायदाद हो या जो कम से कम १८० रु० वार्षिक लगान देते हों। यद्यपि अब भी वोट के लिये सम्पत्ति का शर्त का प्रायम रखा गया था, पर इसमें सन्देह नहीं कि पहले की अपेक्षा मतदाताओं की संख्या इससे पर्याप्त बढ़ गई थी। इस विधान द्वारा इङ्ग्लैण्ड ने लोकतन्त्र शासन की ओर एक बहुत महत्त्वपूर्ण पग बढ़ाया था।

सन् १८६८ में पार्लियामेंट में फिर उदार दल का बहुमत हो गया और श्रीयुक्त ग्लैडस्टन पहला बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए। उदारदल के प्रधान नेता बन कर श्रीयुक्त ग्लैडस्टन ने इङ्ग्लैण्ड के शासनविधान में बहुत से महत्त्वपूर्ण सुधार किये। सन् १८७२ में एक कानून के अनुसार निर्वाचन के लिये

पंचियों (बैलट) के तरीके का प्रारम्भ किया गया। इससे पहले निर्वाचन में वोट खुले तौर पर दिये जाते थे और सर्वसाधारण जनता अपने वोट का स्वतन्त्रता के साथ उपयोग नहीं कर सकती थी। चार्टिस्ट लोगों का यह भी एक बड़ी मांग थी, कि बैलट सिस्टम का प्रारम्भ किया जावे। सन् १८८३ में एक अन्य कानून पास किया गया, जिसके अनुसार मतदाताओं को रिश्वत देना, या उन पर वोट के लिये जोर डालना आदि अपराध बना दिया गया।

श्रीयुत ग्लेडस्टन इन्हीं सुधारों से सतुष्ट नहीं थे, वे इङ्गलैण्ड को लोकतन्त्र के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ा देने के लिये उत्सुक थे। सन् १८६७ में वोट का अधिकार इङ्गलैण्ड के बहुत से लोगों को प्राप्त हो गया था, पर अब भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो इस अधिकार से वञ्चित थे। विशेषतया, देहातों के रहनेवाले वे किसान जो ७५ रु० वार्षिक आमदनी की अपनी जायदाद न रखते हों और या १०० रु० लगान न देते हों, मतदाता नहीं बनाये गये थे। ऐसे लोगों की संख्या लाखों में थी। श्रीयुत ग्लेडस्टन चाहते थे कि इन्हें भी वोट का अधिकार प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से सन् १८८४ में उन्होंने शासन-सुधार-सम्बन्धी एक और मसविदा पार्लियामेंट के सम्मुख उपस्थित किया। इसमें वोट के अधिकार को और भी अधिक विस्तृत करने का प्रस्ताव किया गया था। यह मसविदा स्वीकृत हो गया। इससे पूर्व इङ्गलैण्ड में मतदाताओं की संख्या तीस लाख के लगभग थी, अब वह बढ़कर पचास लाख हो गई। इसके साथ ही अगले वर्ष १८८५ में एक अन्य कानून स्वीकृत हुआ, जिसके अनुसार देश का नये सिरे से निर्वाचक-मण्डलों में विभाग किया गया। व्यावसायिक क्रान्ति से जिन नगरों की आबादी बहुत बढ़ गई थी, उन्हें अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला और अनेक छोटे छोटे नगर निर्वाचन के लिये देहात में अन्तर्गत कर दिये गये।

इस प्रकार श्रीयुक्त ग्लेडस्टन के नेतृत्व में इङ्ग्लैण्ड के सुधार आन्दोलन ने बहुत सफलता प्राप्त कर ली थी, पर श्रव भी वहाँ के शासन विधान में अनेक दोष रह गये थे। वोट का अधिकार श्रव तक भी सब पुरुषों को प्राप्त नहीं हुआ था। यद्यपि इस अधिकार को बहुत विस्तृत कर दिया गया था, पर उसका आधार श्रव तक भी सम्पत्ति ही बनी हुई थी। सम्पत्ति की शर्त के कारण बीस लाख के लगभग पुरुष (जो नाशालिग नहीं थे) श्रव तक भी वोट के अधिकार से वञ्चित रह गये थे। वोट के अधिकार के लिये सम्पत्ति का आधार होने का एक अन्य भी परिणाम था, वह यह कि अगर किसी मनुष्य की सम्पत्ति एक में अधिक निर्वाचकमण्डल में हो, तो उसे अनेक वोट देने का अधिकार मिल जाता था। जिस जिस निर्वाचकमण्डल में उसकी सम्पत्ति हो, उन सब में वह वोट दे सकता था। इसके कारण सत्रा पाँच लाख के लगभग मनुष्यों को एक से अधिक वोट प्राप्त थे। कई महानुभावों को तो बीस तक वोट देने का अधिकार मिला हुआ था। लोग इस दशा को अनुचित समझते थे। वे इसमें सुधार चाहते थे। लोगों की राय थी, कि पुरुष-मात्र को वोट का अधिकार मिलना चाहिये और किसी व्यक्ति को एक से अधिक वोट नहीं मिलना चाहिये।

इसके अतिरिक्त, इङ्ग्लैण्ड में श्रव एक अन्य आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ था। श्रव स्त्रियाँ भी वोट का अधिकार माँगने लगी थीं। द्वायसाक्षि प्रान्ति के कारण स्त्रियों की सामाजिक दशा में भी परिवर्तन आ रहा था। वे अपना फादरलेस फेरल पर को ही नहीं समझती थीं। वे पर को न्यायदीनारी में बाहर निकल कर मार्गनिक क्षेत्र में भी पदार्पण करना चाहती थीं। डर्बीशायर नदी के अन्तिम वर्षों में अनेक विश्वविद्यालयों में उन्हें प्रवेश प्राप्त हो गया था, उनके अनेक धार्मिक पृथक् रूप में भी उत्पन्न गये थे। स्त्रियों में शिक्षा का

प्रचार निरन्तर बढ़ता जा रहा था। शिक्षा की वृद्धि से उनमें राजनीतिक आन्दोलन भी अधिक प्रबल होता जाता था।

इङ्गलैण्ड में इन सब विषयों में कोई सुधार गत यूरोपीय महायुद्ध से पूर्व नहीं हो सका। स्त्रियाँ को मताधिकार देने के लिये एक मसविदा १६१३ में पार्लियामेन्ट के सम्मुख उपस्थित भी किया गया था। पर वह स्वीकृत नहीं हुआ। इसी प्रकार अन्य सुधारों की माँग भी प्रायः अस्वीकृत ही होती रही। यूरोपीय महायुद्ध के बाद लोकतन्त्र का आन्दोलन एक बार और बहुत प्रबल हुआ और उसके कारण १६१८ में इङ्गलैण्ड के शासन विधान में बहुत से महत्वपूर्ण सुधार हुए। इनका उल्लेख हम फिर करेंगे।

(३) इङ्गलैण्ड की शासन पद्धति

शासन सुधार का आन्दोलन किस प्रकार इङ्गलैण्ड में निरन्तर चलता प्राप्त करता गया, इसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। इङ्गलैण्ड में पहले एकत्र स्वेच्छाचारी शासन था, यद्यपि नाममात्र को पार्लियामेन्ट प्रियमान था, पर वस्तुतः वह कुलीन श्रेणी के कुछ लोगों के हाथ में कठपुतली के समान थी। शासन सुधार के इस आन्दोलन ने इस दशा में बहुत परिवर्तन किया और इङ्गलैण्ड में लोकतन्त्र शासन की स्थापना हुई। ऊपर से देखने पर अब भी यही प्रतीत होता है, कि इङ्गलैण्ड में राजा और कुलीन श्रेणी का प्रभुत्व है। हाउस आफ लार्ड्स के सदस्य अब तक भी वंशक्रमानुगत कुलीन श्रेणी के व्यक्ति होते हैं। इङ्गलैण्ड में राजा अब तक भी 'परमेश्वर की कृपा' से राज्य करता है। प्रत्येक आज्ञा व नियम राजा के नाम पर प्रकाशित होते हैं। न्याय भी राजा के नाम पर होता है। इङ्गलैण्ड का राजा अब भी उड़ी शान शौकत के साथ अपने विशाल राजप्रासाद में निवास करता है। राजकीय आमदनी से उसे एक करोड़ के लग

भग रुपया वार्षिक रूप में प्राप्त होता है, और उसकी अपनी निज सम्पत्ति और जायदाद भी बहुत है। पर यह सब कुछ होते हुए भी इङ्गलैण्ड में वास्तविक शासनशक्ति जनता के हाथ में चली गई है। वस्तुतः राजा की वहाँ वही स्थिति है, जो यूनियन, जैक (राष्ट्रीय पताका) की है। यूनियन जैक के समान वह ब्रिटिश साम्राज्य की एकता और संगठन का सूचक है। सारा शासन उसके नाम पर होता है, पर वास्तविक शक्ति उसके हाथ में नहीं है। यही दश हाउस आफ लार्ड्स की है। उसमें वंशक्रमानुगत कुलीन श्रेणी के लोग अवश्य हैं, पर वास्तविक शासनशक्ति उनके हाथों से निकल चुकी है।

वर्तमान समय में इङ्गलैण्ड का वास्तविक शासन मन्त्रिमंडल द्वारा होता है, जो राजा के प्रति उत्तरदायी न होकर जनता द्वारा निर्वाचित पार्लियामेंट के सम्मुख उत्तरदायी है। हाउस आफ कामन्स में जिस दल का बहुमत हो उसके प्रधान नेता को राजा प्रधानमंत्री नियत करता है, और वह स्वयं अपने मन्त्रिमंडल का निर्माण करता है। यद्यपि नाममात्र को अथवा भी मन्त्रियों की नियुक्ति राजा द्वारा होती है, पर वस्तुतः वे प्रधानमंत्री द्वारा अपने दल में से नियत किये जाते हैं। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट की दोनों सभयों में से—हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्ड्स—अपने मन्त्री चुनता है। मन्त्रिमंडल के कुल सदस्यों की संख्या ६० के लगभग होती है। ये मन्त्री शासन के विविध विभागों के मुख्य अधिकारी होते हैं। मन्त्रिमंडल में से कुछ विशेष मन्त्रियों को चुन कर एक अन्य छोटी उपसमिति बनाई जाती है, जिसे कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट के सदस्यों की संख्या नितनी हो, यह निश्चित नहीं है। आवश्यकतानुसार उनकी संख्या में कमी या वृद्धि होती रहती है। पर प्रायः कैबिनेट में बीस के लगभग मन्त्री रखे जाते हैं। कैबिनेट

मे फ्रीन फ्रीन से मन्त्रियों का स्थान दिया जावे, इसका निश्चय भी प्रधानमन्त्री करता है। शासन सम्बन्धी सब महत्त्वपूर्ण विषयों और नीति का निर्णय पहले इस कैबिनेट में ही किया जाता है।

मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि हाउस आफ कामन्स में मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रस्तुत कोई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव या मसजिदा अस्वीकृत हो जावे या उसके विरुद्ध पेश किया गया अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकृत हो जावे, तो मन्त्रिमण्डल त्यागपत्र दे देता है। पर यदि मन्त्रिमण्डल का ख्याल हो, कि जनता वस्तुतः उनका साथ है और वर्तमान हाउस आफ कामन्स जनता का सच्चा प्रातनिधि नहीं है, तो उन्हें अविहार होता है, कि वह राजा द्वारा उस प्रस्ताव परा दे और नया निर्वाचन कराने। यदि नया निर्वाचन हुए हाउस आफ कामन्स में मन्त्रिमण्डल के पक्ष में बहुमत हो, तो वह कायम रहता है, अन्यथा वह त्यागपत्र दे देता है और फिर विरोधी दल के प्रधान नेता को मन्त्रिमण्डल बनाने का अवसर मिलता है। इस प्रकार इंग्लैण्ड की सरकार सदा जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है, और शासन सदा उन लोगों के हाथ में रहता है, लोकमत उनके साथ में हो।

ब्रिटिश पार्लियामेंट में दो सभायें हैं, हाउस आफ लार्ड्स और हाउस आफ कामन्स। हाउस आफ लार्ड्स में बस क्रमानुगत लार्ड, बिशप तथा राजा द्वारा बनाये गये लार्ड लाग सदस्य होते हैं। हाउस आफ कामन्स के सदस्यों की संख्या ७०० व लगभग हानी है। सन् १६१२ में उनकी संख्या ७०७ थी। हाउस आफ कामन्स के सदस्य पांच वर्ष के लिये नियुचित होते हैं। प्रत्येक मतदाता का आधिकार है, कि वह हाउस आफ कामन्स के लिये नियुचित हो सके। गरीब लोगों को भी उसका सदस्य बनने में अपनी आमदनी की कमी की वजह से रुकावट न हो, इसके लिये यह व्यवस्था है कि उनका मददगार

को निश्चित वार्षिक वेतन मिलता रहे, ताकि वे आर्थिक ग्रामदना की दृष्टि से निश्चित होकर अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन कर सकें। निवाचन में श्रमीर लोग रुपा प्रदाकर अपने को निवाचित न करा सकें, इसके लिये यह भी निश्चित कर दिया गया है कि कोई उम्मीदवार अधिक से अधिक कितना रुपया निवाचन में खर्च कर सके। सन् १६१८ के एक कानून के अनुसार कोई उम्मीदवार निर्वाचन में शहर के मतदाताओं के लिये ७ आना प्रति मतदाता और देहात के मतदाताओं के लिये साढ़े चार आना प्रति मतदाता से अधिक नहीं खर्च कर सकता।

हाउस आफ कामन्स अपने प्रधान को, जिसे 'स्पीकर' कहा जाता है, स्वयं चुनता है। स्पीकर को ७५ हजार रुपया वार्षिक वेतन और रहने की मुफ्त मकान मिलता है। क्लर्क, साजेंट आदि अन्य कर्मचारियों की नियुक्त राज्य की ओर से जन्म भर के लिये की जाती है।

हाउस आफ कामन्स के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं, अतः लोकतन्त्रवाद के विकास के साथ साथ स्वाभाविक रूप से इसका महत्त्व बढ़ता जा रहा है। अतः वह समय आ गया है, जबकि यही हाउस वस्तुतः पार्लियामेंट बन गया है। हाउस आफ लार्ड्स की शक्ति अतः बहुत क्षीण हो गई है। अतः वह हाउस आफ कामन्स के प्रस्तावों को अस्वीकृत करने की हिम्मत नहीं कर सकता। पहले जरूरी सभी लार्ड लोगों का लोकमत से विरोध होता था, और वे हाउस आफ कामन्स द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को पास करने से इनकार कर देते थे, तब मन्त्रिमण्डल के पाम लार्ड लोगो का कानून बनाने का एक ही उपाय रहता था और वह यह कि वे राजा से इतने काफी नये लार्ड बना दें, कि जनता को अभिमत प्रस्ताव सुगमता से हाउस आफ लार्ड्स में भी स्वीकृत हो जायें। इसा के अनुसार कई नये वस्तुतः नये लार्ड बनाकर या केवल नये लार्ड बनाने का धमकी देकर अनेक

कर रहे थे। परिणाम यह हुआ कि सन् १८३६ में स्टाम्प की मात्रा कम कर दी गई और उसके कारण आमतौर पर समाचार पत्रों की कीमत घटकर पाँच आने हो गई। ब्रोस वर्ष बाद सन् १८५६ में स्टाम्प छूटी सर्वथा हटा दी गई और १८६१ में कागज पर से कर भी हटा दिया गया। इनका परिणाम यह हुआ कि समाचार पत्र बहुत सस्ते विक्रने लगे और सर्वसाधारण जनता के लिये यह सम्भव हो गया कि वह इन सस्ते पत्रों को खरीदकर उनसे लाभ उठा सके।

प्रेस की स्वाधीनता के साथ ही यह भी आवश्यक है, कि लोगों की स्वतन्त्रता के साथ सभार्ये करने और उनमें खुले तौर पर सरकार की आलोचना करने का अधिकार हो। इंग्लैण्ड में जनता को पहले ये अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्नीसवीं सदी के मध्यभाग में ही इंग्लिश जनता ने स्वतन्त्रता के साथ सभार्ये करने और उनमें खुले तौर पर सरकार की आलोचना करने के अधिकार प्राप्त किये।

उन्नीसवीं सदी में ही इंग्लैण्ड के दरुड विधान में बहुत से सुधार हुए। पहले इंग्लैण्ड का दरुड-विधान बहुत सख्त था। २५० से अधिक ऐसे अपराध थे, जिनके लिये अपराधियों को प्राणदण्ड मिलता था। हिसाब लगाया गया है कि सन् १८१० से १८४५ तक ३५ वर्षों में १४०० से अधिक अपराधियों को बहुत छोटे छोटे अगण्य अपराधों पर प्राण दण्ड दिया गया। बहुत से सुधारक इस क्रूर दरुड विधान में सुधार करने के लिये आन्दोलन कर रहे थे। उन्नीसवीं सदी में ऐसे अपराधों की संख्या निरन्तर कम की जाती रही, जिनमें प्राण दण्ड मिल सके। सन् १८६१ में ऐसे अपराधों की संख्या केवल तीन रह गई।

उसी प्रकार सन् १८३५ में जेलखानों की दशा का भी सुधार करने का प्रयत्न किया गया। पहले जेलखानों की दशा बहुत खराब थी। एक थार जो कोई व्यक्ति जेलखाने चला जाता था, वह

सभ्य जगत् से सर्वथा पृथक् किसी दूसरे ही लोक में पहुँच जाता था। वहाँ से उसका निस्तार हो सकना सम्भव न रहता था। जेलों में कदियों का भयङ्कर दृष्ट दिखे जाते थे और उनके भोजन आन्दोलन तक का भी समुचित प्रबन्ध न होता था। १८३५ के बाद इसमें बहुत से सुधार किये गये और जेलखानों का मनुष्य जाति के निवास योग्य बनाने का प्रयत्न किया गया।

(५) धार्मिक स्वतन्त्रता और शिक्षा प्रसार

मध्यकाल में यूरोप के अन्य देशों के समान इङ्ग्लैण्ड में भी धार्मिक सुधारणा का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था। ईङ्ग्लिश लोगों ने पोप की अधीनता से मुक्त होकर अपने राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की थी। इस चर्च को 'ऐडिग्लकन चर्च' कहते हैं। यद्यपि धार्मिक मामलों में इङ्ग्लैण्ड पोप की अधीनता से मुक्त हो गया था, पर जनता को धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हुई थी। जो लोग धार्मिक दृष्टि से स्वतन्त्र विचार रखते थे और ऐडिग्लकन चर्च के मन्तव्या को स्वीकृत नहीं करते थे, उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वे राजकीय पदां पर नियत नही हो सकते थे, और उन्हें ऐडिग्लकन चर्च का जनरलस्ता चन्दा व कर देना पड़ता था। ऐडिग्लकन चर्च का न माननेवाले तीन तरह के लोग इङ्ग्लैण्ड में थे—यहूदी, रोमन कैथोलिक और डिसेन्टर सम्प्रदायों के अनुयायी। बहुत से लोग जो प्रोटेस्टेन्ट ता थे, पर सरकारी ऐडिग्लकन चर्च को नहीं मानते थे, डिसेन्टर कहाते थे। इनके अनेक सम्प्रदाय थे। इन सब लोगों को दीवानी व फौजदारी किसी भी प्रकार के राजकीय पद प्राप्त नहीं हो सकते थे। रोमन कैथोलिक लोग तो पार्लियामेन्ट के भी सदस्य नहीं हो सकते थे। अठारवां सदी में लोकतन्त्रवाद के आन्दोलन की वृद्धि के साथ साथ यह सर्वथा स्वाभाविक था कि इस धार्मिक असहिष्णुता

को भी नष्ट करने का प्रयत्न किया जावे। विशेषतया, डिसेन्टर सम्प्रदायों के लोग, जो प्रोटेस्टेन्ट थे, सम्पत्ति, विद्या, प्रभाव तथा सख्या में निरन्तर वृद्धि कर रहे थे और उन्हें राजकीय पदों से वृथ्वा रख सकना सुगम बात न थी। वे लोग पार्लियामेन्ट के सदस्य बन सकते थे। अतः उन्हें इस बात का पूरा अन्तर था, कि वहाँ अन्य सदस्यों पर नार डालकर अपने लिये अधिकार प्राप्त कर सकें। सन् १८०८ में डिसेन्टर लोगों के विरुद्ध जो कानून प्रियमान थे, उन्हें रद्द किया गया और यह स्वीकृत किया गया कि वे अन्य लोगों के समान राजकीय पदों पर नियत हो सकें, यशस्वी कि वे "सच्चे क्रिश्चियन के तौर पर शपथ लें कि अपने राजकीय पद का उपयोग ऐडिग्लवन चर्च को नुकसान पहुँचाने के लिये नहीं करेंगे।" अगले वर्ष १८१६ में कैथोलिक लोगों के लिये भी स्वतन्त्रता कानून (एमेन्सिपेशन एक्ट) पास हुआ। इसके अनुसार रोमन कैथोलिक लोगों को भी पार्लियामेन्ट का सदस्य होने तथा विविध राजकीय पदों पर नियुक्त होने का अधिकार प्राप्त हुआ। पर उनके लिये यह शर्त रखी गई कि वे यह शपथ लें कि हम पोप का धार्मिक विषयों से प्रतिरिक्त अन्य विषयों में अपना मुखिया नहीं मानते और हम प्रोटेस्टेन्ट धर्म को नुकसान पहुँचाने का कोई प्रयत्न नही करेंगे। इन कानूनों से इंग्लैण्ड में धार्मिक सहिष्णुता बहुत अंशों में स्थापित हो गई और किसी व्यक्ति को केवल अपने धार्मिक विचारों के कारण कोई तकलीफ नहीं रही।

पर अब भी इन लोगों को एक बहुत बड़ी शिकायत थी। वे लोग इंग्लैण्ड के सरकारी ऐडिग्लवन चर्च पर विश्वास नहीं रखते थे, पर उसके लिये उन्हें टैक्स देने पड़ते थे। वे लोग इसे बहुत अनुचित समझते थे और इसके विरुद्ध आन्दोलन कर रहे थे। बहुत से डिसेन्टर लोगों ने तो कानून का उल्लंघन कर टैक्स देने से भी इनकार करना शुरू किया। कइयों को इसके लिये गिरफ्तार कर सजायें भी दी गईं।

आखिर, यह आन्दोलन इतना बढ़ गया कि पार्लियामेन्ट को बाधित होकर यह स्वीकृत करना पड़ा कि किसी डिसेन्टर को ऐडिग्लकन चर्च के लिये टैक्स न देने पर गिरफ्तार न किया जा सके। पहले आक्सफर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में केवल उन्हीं लोगों को डिग्री मिल सकती थी, जो ऐडिग्लकन चर्च के अनुयायी हों। १८७१ में यह बात हटाई गई और दूसरे लोगों को भी इन विश्वविद्यालयों से डिग्रियाँ मिलने लगीं। आयर्लैण्ड के अधिकांश निवासी कैथोलिक धर्म का माननेवाले थे, पर उन्हें ब्रिटेन के सरकारी चर्च के लिये टैक्स देने पड़ते थे। इसी प्रकार स्काटलैण्ड और वेल्स के भी अधिकांश निवासी इस चर्च के माननेवाले न थे। सन् १८६६ में आयरिश लोग चर्च के टैक्सों से मुक्त किये गये। इसी प्रकार आगे चलकर वेल्स और स्काटलैण्ड के निवासियों को भी चर्च के टैक्सों से मुक्ति प्राप्त हुई। पहले जब कोई राजा ब्रिटेन की राजगद्दी पर बैठता था, तो उसे शपथ लेते हुए ऐडिग्लकन चर्च का अनुयायी होने को तो प्रतिज्ञा करनी ही होती थी, पर साथ ही रोमन कैथोलिक धर्म को 'अन्धविश्वासपूर्ण तथा मूर्तिपूजक' भी कहना होता था। जब राजा जार्ज पञ्चम गद्दी पर आरूढ़ हुए, तो पार्लियामेन्ट ने रोमन कैथोलिक धर्म के लिये इन अपमानजनक शब्दों को राजकीय शपथ में से हटा दिया। कई वर्षों से इङ्ग्लैण्ड में यह आन्दोलन चल रहा है कि किसी भी चर्च को राजकीय न समझा जावे और राज्य की दृष्टि में सब सम्प्रदायों की समान हैसियत हो। यह आन्दोलन अभी तक सफल नहीं हो पाया है, पर इसमें सन्देह नहीं कि अब इङ्ग्लैण्ड में धार्मिक स्वतन्त्रता प्रायः पूर्णरूप में स्थापित हो चुकी है।

उन्नीसवीं सदी में इङ्ग्लैण्ड में शिक्षा प्रसार के लिये भी बहुत प्रयत्न हुआ। पहले पादरी और कुलीन श्रेणी के लोग सर्वसाधारण जनता में शिक्षा प्रसार के बहुत विरुद्ध थे। उनका खयाल था कि

शिक्षा से जनता नास्तिक, क्रांतिपारा और सन्तापशून्य हो जायगा। वे समझते थे कि शिक्षा ही सम्पूर्ण असन्ताप का जट होती है। इसी प्रकार उनका खयाल था, कि शिक्षा का काय चर्च का है, राज्य का नहीं। राज्य को शिक्षा पर कोई ध्यान नही देना चाहिये। इन विचारों का परिणाम यह था कि इङ्गलैण्ड को सवमाधारण जनता अशिक्षित थी। १८४३ में ३२ फी सदी पुरुष और ४६ फी सदी स्त्रिया सवथा निरक्षर थीं। ५० साल बाद सन् १९०३ में पुरुषों और स्त्रिया में निरक्षरता का मात्रा क्रमशः २ और ३ फी सदी रह गई। शिक्षा का इतना अधिक विस्तार जो इतने थोड़े से समय में हो सका, उसका कारण यह है कि इस बीच में राज्य ने शिक्षा की समस्या पर बहुत अभिन ध्यान दिया।

लाइतन्त्रवाद के आन्दोलन से लोगों का ध्यान स्वाभाविक रूप से शिक्षा की तरफ आकृष्ट होना प्रारम्भ हुआ। लोग कहते थे, जब सव साधारण जनता ही वस्तुतः राज्य की मालिक है, तो राज्य की मालिक जनता के शिक्षित हुए बिना काम नहीं चल सकता। लाइतन्त्रवाद की सफलता के लिये जनता का शिक्षित होना आवश्यक है। इस दृष्टि से सन् १८७० में जब श्रीयुक्त ग्लेडस्टन प्रधानमंत्री थे, तो एक कानून पास किया गया, जो 'फोरस्टर एक्ट' के नाम से प्रतिद्ध है। इस कानून के अनुसार इङ्गलैण्ड में पहले पहल सरकारी शिक्षणालय खुलने प्रारम्भ हुए। इससे पहले शिक्षा चर्च के धार्मिक सम्प्रदायों के हाथ में थी। फोरस्टर एक्ट द्वारा चर्च के इन शिक्षणालयों का उन्ध नहीं किया गया और न उनकी सरकारी सहायता ही बन्द की गई, पर उनके साथ साथ जहाँ आवश्यकता समझी गई, सरकार की तरफ से अपने पृथक् शिक्षणालय भी खोले गये। इङ्गलैण्ड को शिक्षणालयों की दृष्टि से नये विभागों में बाँटा गया, और प्रत्येक विभाग में शिक्षणालयों के प्रबन्ध के लिये 'स्कूल बोर्डों' की स्थापना की गई।

इन ढोडों के सदस्य जनता द्वारा निवाचित होते थे और शिञ्चालयों के चर्च का ढ्ग भाग स्थानीय (लोकल) टैम्सा से प्राप्त होता था ।

यह ढिलकुल स्वाभाविक था, कि चर्च और ढरकार द्वारा सञ्चालित शिञ्चालया में विरोध उत्पन्न हो जावे । विशेषतया, सरकारी शिञ्चालया में धर्मशिञ्चा किस रूप म दी जावे, इस समस्या का हल कर सकना सुगम प्राप्त न थी । विविध ईसाई सम्प्रदाया के लोग काशिश करते रहते थे कि स्कूल ढोर्ड में निर्वाचित होकर धर्म शिञ्चा का अपने सम्प्रदाय के अनुकूल ढनाने का प्रयत्न करें । यह ढगण षड साला तक चारा रहा । आखिर, इसका यह निर्णय किया गया कि सरकारी शिञ्चालयां म धर्मशिञ्चा के लिये केवल ढाइबल पढाई जाव, किञ्ची सम्प्रदाय विशेष के ढन्तव्या व विधि विधानां को धर्मशिञ्चा म स्थान न दिया जावे ।

धीरे धीरे इङ्गलैण्ड में ढाधित शिञ्चा पद्धति का ढा प्रारम्भ किया गया । सन् १८६६ से १८९९ तक इस प्रकार के अनेक कानून पास किये गये, जिन से १२ षष तक ढी आयु के ढालका क लिये ढिसा न ढिसी शिञ्चालय में शिञ्चा प्राप्त करना आवश्यक तथा ढाधित कर दिया गया । ढाधित शिञ्चा के कारण शिञ्चा प्रसार में ढहुत सहायता मिली और इसी का परिणाम यह हुआ कि इङ्गलैण्ड म निरक्षरता की ढाना ढहुत कम हो गई ।

सन् १९०२ में जम इङ्गलैण्ड म अनुदार दल का शासन था, शिञ्चा के सम्बन्ध में एक ढया कानून पास हुआ । इसक अनुसार जहाँ शिञ्चालयों क ढबन्ध तथा सञ्चालन के सम्बन्ध म अनेक ढहत्वपूर्ण परिवर्तन किय गये, वहाँ यह ढी व्यवस्था का गई, कि सरकारी शिञ्चालया के साथ साथ एंग्लिकन चर्च क शिञ्चालयों को ढी स्थानाय टैम्सा स सहायता प्रदान की जाय । इस बात से जनता म ढ्ग असन्तोष हुआ । स्थानीय टैम्स सत्र लोगां से लिये जाते थे । वैथालिक तथा डिस्टर सम्प्रदाया क लोग ढी इन टैम्सों को देते थे । वे कन

सहन कर सकते थे कि उनके रुपये का उपयोग एंग्लिकन चर्च के शिक्षणालयों की सहायता के लिये भी किया जावे। परिणाम यह हुआ कि इन लोगों ने इन स्थानीय टैक्सों को ही देना बन्द कर दिया। बहुत से डिसेन्टर लोग कैद किये गये और बहुतों की सम्पत्ति टैक्स बसूल करने के लिये जब्त कर ली गई। पर डिसेन्टर लोग इन अत्याचारों से घबराये नहीं। उनका आन्दोलन निरन्तर प्रबल होता गया और सन् १६०६ में जब उदार दल का मन्त्रिमण्डल बना, तो उन्होंने शिक्षा के सम्बन्ध में एक नया कानून पेश किया। इसके अनुसार यह व्यवस्था की गई, कि जो शिक्षणालय सीधे सरकार के अधीन हैं, केवल उन्हें ही सरकार का और से आर्थिक सहायता दी जावे और शिक्षणालयों में धर्मशिक्षा को आवश्यक विषय न रखा जावे। यह कानून हाउस आफ कामन्स में तो पास हो गया, पर हाउस आफ लार्ड्स ने इसे स्वीकृत नहीं किया। लार्ड लोगों के विरोध के कारण बीसवीं सदी के प्रारम्भ हो जाने पर भी इङ्ग्लैण्ड की शिक्षापद्धति धर्म व चर्च के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकी। पर इसके लिये आन्दोलन जारी रहा और अन्त में सन् १६१८ के 'एजुकेशन एक्ट' द्वारा शिक्षा से चर्च का प्रभाव नष्ट हुआ। सन् १६१८ के एजुकेशन एक्ट से १४ वर्ष की आयु तक प्रत्येक बालक के लिये शिक्षणालय में पढ़ना भी आवश्यक कर दिया गया।

(६) मजदूरों की दशा में सुधार

व्यावसायिक क्रान्ति का प्रारम्भ सबसे पहले इङ्ग्लैण्ड में हुआ था। फैक्टरी सिस्टम और आर्थिक उत्पत्ति के नवीन साधनों ने देश को आर्थिक समृद्धि में चाहे कितनी ही सहायता पहुँचाई हो, पर मजदूरों की दशा में उनसे कोई सुधार नहीं हुआ था। कारखानों में हजारों मजदूर एक साथ काम करते थे। गरीब लोग अपने बाप दादों के समय

से चले आये घरों को सदा के लिये प्रणाम कर शहरों में नौकरी के लिये आते थे और कारखानों में नौकरी प्राप्त हो जावे, इससे सतुष्ट हो अपना जीवन निर्वाह करते थे। कारखानों की इमारत बनाते हुए स्वास्थ्य के नियमों का जरा भी ध्यान नहीं रखा जाता था। न उनमें रोशनी जाती थी, न हवा। स्वास्थ्य के लिये सर्वथा विघातक परिस्थितियों में गरीब मजदूर दिन भर कार्य करते थे। कारखानों में सब कार्य मशीनरी की सहायता से होता था, इसलिये उनमें शारीरिक बल की बहुत आवश्यकता नहीं रहती थी। उनका कार्य स्त्रियाँ और बालक भी बड़ी सुगमता से कर सकते थे। स्त्रियाँ और बालक पुरुषों की अपेक्षा सस्ती मजदूरी पर मिल जाते थे, इसलिये कारखानों के मालिक उन्हें पसन्द करते थे। माँ बाप भी सोचते थे, कि उनके लड़के कारखाने में जाकर काम कर सकते हैं और अपना पेट सुगमता से भर सकते हैं। वे भी उन्हें प्रसन्नतापूर्वक काम पर भेज देते थे। परिणाम यह था, कि कारखानों में बालकों की भरमार थी। जिन बालकों को आगे चलकर राष्ट्र का नागरिक बनना था और जिन्हें इस समय उसके लिये उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिये थी, वे कारखानों के दूषित वातावरण में अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विनाश कर रहे थे। इसी प्रकार कारखानों में स्त्रियाँ भी अधिक संख्या में रहती थीं। हिसाब लगाया गया है, कि उन्नीसवीं सदी के शुरू में कारखानों में काम करनेवाले १०० मजदूरों में २० स्त्रियाँ, ४५ लड़के और ३५ पुरुष होते थे। इस दशा के दो परिणाम हुए। एक तो स्त्रियाँ और पुरुषों के साथ साथ काम करने से नैतिक पतन की सम्भावना अधिक हो गई, और दूसरा बेकारी की समस्या और भी अधिक उग्र रूप धारण करने लगी।

उस समय पार्लियामेंट के लिये वोट का अधिकार बहुत कम लोगों को था। मजदूर श्रेणी के लोग तो इस अधिकार से सर्वथा वञ्चित थे। उनमें शिक्षा का भी अभाव था। इसलिये यदि वे अपनी

का परिणाम हुआ कि आखिर सन् १८३२ में पार्लियामेंट ने मजदूरों की दशा का अध्ययन करने के लिये एक कमीशन नियत किया। इस कमीशन की रिपोर्ट से इङ्गलैण्ड की जनता को यह जानने का अवसर मिला कि उनके अपने भाई कितनी दुर्दशा में हैं, और उनकी तरफ ध्यान देने की कितनी आवश्यकता है। इस कमीशन की सिफारिशों के अनुसार कारखानों का निरीक्षण करने के लिये सरकार का जोर से निरीक्षक नियत किये गये और बालकों के कारखानों में कार्य करने के समय में कुछ और कमी की गई। सन् १८४२ में लार्ड एस्ले के प्रयत्न से एक कानून पास हुआ, जिसके अनुसार खानों में स्त्रियाँ और बालकों का कार्य करना निषिद्ध कर दिया गया। निस्सन्देह, ये कानून मजदूरों के हित में थे। पर सुधारक लोग इनसे सतुष्ट नहीं हो सकते थे। उन्होंने अपने आन्दोलन को जारी रखा। उनका कहना था कि स्त्रियाँ और बालकों से कारखानों में प्रतिदिन १० घंटा से अधिक काम नहीं लिया जाना चाहिये। पर लोग इस प्रस्ताव को उड़ा क्रान्तिकारी समझते थे। इस प्रस्ताव पर इङ्गलैण्ड में उड़ी पहल हुई। पर आखिर, १८४७ में यह प्रस्ताव पार्लियामेंट में पास हो गया। यद्यपि प्रतिदिन १० घंटा कार्य करने का नियम केवल स्त्रियाँ और बालकों के लिये बनाया गया था, पर नियमात्मक रूप से यह सभी लोगों के लिये लागू हो जाता था। कारण यह कि स्त्रियाँ और बालकों के चले जाने पर कारखानों में काम हो सफना कठिन हो जाता था। हम पहले लिख ही चुके हैं, कि उस समय कारखानों के मजदूरों में स्त्रियाँ और बालकों की प्रचुरता होती थी।

१८४७ के इस कानून के बाद सुधारकों के लिये मार्ग साफ हो गया। राज्य को आर्थिक मामला में हस्तक्षेप नही करना चाहिये, यह सिद्धान्त अब धीरे धीरे हटता जा रहा था, और लोग इस बात को मानते जाते थे कि मजदूरों का हितसाधन राज्य का आवश्यक कर्तव्य

है। इसीलिये उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में इङ्गलैण्ड में बहुत से ऐसे कानून पास किये गये, जिनसे मजदूरों की दशा सुधारने और उनकी हितरक्षा के लिये उद्योग किया गया।

मजदूरों के कार्य करने के समय को निरन्तर काम किया गया और कारखानों की परिस्थितियों की स्वास्थ्यजनक बनाने का प्रयत्न किया गया। पहले मजदूरों को हडताल करने का अधिकार नहीं था, वे अपनी शिकायतों को दूर करने के लिये हडताल का प्रयोग नहीं कर सकते थे। सन् १८७१ में मजदूर ने हडताल का अधिकार भी प्राप्त किया। मजदूरों के लिये यह अधिकार बहुत महत्त्व रखता है। उनके पास यही अस्त्र है, जिससे वह पूँजीपतियों को नीचा दिसा सकते हैं। १८७१ के बाद इङ्गलैण्ड के मजदूर बहुधा इसका आश्रय लेते रहे हैं। दूसरे मजदूरों को भर्ती करके कारखानों के मालिक अपना कार्य न चला सकें, इसके लिये मजदूर लोगों ने पिकेटिंग (धरना देना) शुरू की। पहले इसे गैर कानूनी समझा गया। पर १९०६ में मजदूरों के इस अधिकार को भी स्वीकृत कर लिया गया और उसके बाद इङ्गलैण्ड के मजदूर अपनी हडताल को सफल बनाने के लिये स्वच्छन्द रूप से पिकेटिंग करने लगे।

बीसवीं सदी में इङ्गलैण्ड के मजदूर ग्रान्दोलन ने और अधिक उन्नति की। मजदूरों के हित के लिये इस काल में बहुत से कानून बने। सन् १९०२ में एक बड़ा पैक्टरी कानून पास हुआ, जिसमें उन्नीसवीं सदी में स्वीकृत सम्पूर्ण पैक्टरी सम्बन्धी कानूनों को एकत्रित करने के साथ साथ अन्य भी कई महत्त्वपूर्ण सुधार किये गये। १९०२ के इस कानून के अनुसार १२ साल से कम उमर के बालकों के लिये कारखानों में कार्य करना निषिद्ध कर दिया गया। १२ से १८ साल तक की आयु के बालकों के लिये कार्य करने के घण्टे कम किये गये, और कारखानों की परिस्थितियों को स्वास्थ्यजनक बनाने के

लिये व्यवस्थायें की गईं । सन् १९०८ में खानों में कार्य करनेवाले मजदूर प्रतिदिन आठ घण्टे से अधिक काम न कर सकें, यह कानून पास हुआ ।

पर मजदूरों की समस्या केवल इन कानूनों से हल नहीं हो सकती थी । मजदूरों की वृत्ति की दर बहुत कम थी । उन्हें जो कुछ मिलता था, वह उनके जीवन निर्वाह के लिये भी पर्याप्त न होता था । पर मजदूरों की सबसे बड़ा शिकायत यह थी, कि वे अपनी नौकरी को सुरक्षित नहीं समझ सकते थे । कारखानों में काम करते हुये अगर कोई मजदूर किसी दुर्घटना के कारण अपाहिज हो जावे वा बीमार पड जावे, तो उसकी बड़ी दुर्दशा हो जाती थी । उसके लिये अपना पेट पाल सकना भी मुश्किल हो जाता था । इसी तरह बुढ़ापे में मजदूरों की बड़ी दुर्गति होती थी । युवावस्था में उन्हें जो वृत्ति मिलती थी, वह इतनी थोड़ी होती थी कि उससे उन दिना म भी बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता था । फिर यह आशा कैसे की जा सकती थी कि अपना कमाई में से कुछ हिस्सा वे बुढ़ापे के लिये बचा सकें । इसी तरह व्यावसायिक और व्यापारिक परिस्थितियों के कारण, जिनसे मजदूरों का कोई ताल्लुक नहीं होता, अगर कारखाने का काम बन्द व कम करना पड़े, तो मजदूर बेकार हो जाते थे । बेकारी की दशा में उन्हें बहुत भयकर विपत्तियों का सामना करना पड़ता था । तीसवीं सदी में इङ्ग्लैण्ड में इन समस्याओं को भी हल करने का प्रयत्न किया गया । सन् १९०६ में 'वर्कमेन्स कम्पन्सेशन एक्ट' पास हुआ । इसके अनुसार यह व्यवस्था की गई कि अगर कोई मजदूर काम करते हुए अपाहिज वा बीमार हो जावे, तो उसकी क्षतिपूर्ति की जावे । क्षतिपूर्ति के लिये कितना रकम दी जावे, यह क्षति की दृष्टि में रखकर निश्चित हो । यदि कोई मजदूर अपने कार्य काल में मर जावे, तो उसने करवालों को क्षतिपूर्ति की रकम प्राप्त हो । इस कानून के अनुसार यह सिद्धान्त

स्वीकृत किया गया, कि मजदूर व्यावसायिक संगठन का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग है, और उसकी हितरक्षा की जिम्मेवारी उसके मालिक के ऊपर है। सन् १६०६ का यह कानून कारखानों, खेतों, और जहाजों पर कार्य करनेवाले श्रमियों तथा दफ्तर के क्लर्कों तथा अन्य नौकरी पेशा लोगों के लिये समान रूप से लागू किया गया था।

सन् १६०८ में 'ग्रोल्ड एज पेन्शन एक्ट' पास हुआ। इसके अनुसार ७० वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक मजदूर के लिये राज्यकोष से पेन्शन देने की व्यवस्था की गई। इस कानून के पक्षपातियों का कहना था कि यह राज्य का कर्तव्य है, कि वह उन लोगों की वृद्धावस्था में परवाह करे, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन देश की व्यावसायिक और आर्थिक सेवा में स्वाहा किया है।

सन् १६०६ में एक अन्य कानून पास हुआ, जिसके अनुसार अनेक व्यवसायों में वृत्ति की दर कम से कम कितनी हो, यह निश्चित किया गया। वृत्ति की न्यूनतम दर निश्चित करने के लिये गौडों की व्यवस्था की गई, जिनमें कारखानों के मालिक मजदूर तथा सरकार तीनों के प्रतिनिधि होते थे।

सन् १६११ में श्रीयुत लायड ज्यार्ज के प्रयत्न से 'नेशनल इन्श्युरेन्स एक्ट' पास हुआ। इसके अनुसार यह व्यवस्था की गई, कि मजदूर लोगों का बीमा आवश्यक रूप से किया जावे। बीमे के लिये जो निस्त दी जावे, उसमें मालिक, मजदूर और सरकार तीनों का हिस्सा हो। जब कोई मजदूर बीमार पड़े, तो बीमे के रुपये में से उसकी मदद की जावे और उसकी चिकित्सा का प्रबन्ध मुक्त हो।

इस प्रकार विभिन्न कानूनों से इङ्गलैण्ड में मजदूरों की दशा अगले की अपेक्षा बहुत उन्नत होगई है। १७वीं सदी के इङ्गलिश मजदूर अब १९वीं सदी के अपने पूर्वजों के समान अशिक्षित और असहाय नहीं रहे हैं। अगले देश की राजनीति में भी उनका

अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। मजदूर दल नाम से एक शक्तिशाली राजनीतिक दल संगठित होगया है, जिसका प्रभाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इस समय तो मजदूर दल का शासन भी इङ्गलैंड में विद्यमान है। इस दल पर हम यथास्थान प्रकाश डालेंगे।

(७) व्यापारिक नीति

मध्यकाल में इङ्गलैंड सरकार नीति का अनुयायी था। विदेशों से जो माल इङ्गलैंड में आता था, उस पर भारी टैक्स लगाये जाते थे। विदेशी जहाजाँ में इङ्गलैंड का व्यापारी माल न जाने पावे और विदेशी जहाजाँ न मुकाबले से अंग्रेजी जहाजों को बचाया जावे, इसके लिये बहुत से कानून बनाये गये थे। पर व्यावसायिक क्रान्ति से इङ्गलैंड की व्यापारिक नीति में भेद आना प्रारम्भ हुआ। इङ्गलैंड में कल कारखाना की उन्नति उड़ी तेजी के साथ हो रही थी। इङ्गलैंड के कारखानों में बहुत बड़ी मात्रा में माल तैयार होने लगा था। इस दशा में यह बात इङ्गलैंड के लाभ की थी, कि वह अपने तैयार माल को अन्य देशों के राजारों में बेचे और उदले में उनके कच्चे माल को सस्ते दामों में प्राप्त करे। यह तभी सम्भव था, जब कि विदेशी माल पर लगाये गये टैक्स का हटाकर उन्हें स्वच्छन्दता से इङ्गलैंड में आने दिया जावे। पर यह बात जमींदारों के लिये हानिकारक थी। यदि विदेशों से कच्चा माल खुले तौर पर इङ्गलैंड में आने दिया जावे, तो उसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा, कि कच्चा माल सस्ता हो जायगा और उससे जमींदारों का नुकसान होगा। जमींदारा का हित इस बात में था, कि अपना तथा अन्य कच्चे माल की कीमत बढा रहे और वे अपनी जमीनों की पैदावार का अधिक मूल्य प्राप्त कर सकें।

उन्नीसवीं सदी के शुरू में ही कारखानों के मालिकों ने तट कर के खिलाफ आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था। उस समय विदेशों

से आनेवाले अनाज पर भारी कर लगता था। इस कारण इंग्लैंड में अनाज की कीमत बहुत बढ़ी रहती थी। कारखानेवालों ने सन् १८३८ में 'एग्लिट-कार्न लॉ लीग' नाम से एक संघ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अनाज पर लगनेवाले तटकर के खिलाफ आन्दोलन करना था। इस संघ के प्रधान नेता रिचर्ड कोलडेन नामक महानुभाव थे। उनके नेतृत्व में यह आन्दोलन निरन्तर प्रचण्ड रूप धारण करता गया। 'एग्लिट कार्न लॉ लीग' की श्रोर से ३० लाख से भी अधिक रुपया प्रतिवर्ष प्रचार के लिये खर्च किया जाता था। १८४५ में इंग्लैंड और आयरलैंड में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। उसके कारण अनाज की कीमत बहुत बढ़ गई। सर्वसाधारण जनता को भयंकर मुसीबत का सामना करना पड़ा। बाहर से अनाज आ नहीं सकता था, क्योंकि भारी तटकरों द्वारा उसके खिलाफ एक कृत्रिम दीवार खड़ी हुई थी। इस परिस्थिति से लाभ उठाकर 'एग्लिट-कार्न लॉ लीग' ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया और आखिर उस समय के प्रधान मन्त्री सर राबर्ट पील भी अनाज पर लगनेवाले टम तटकर के खिलाफ हो गये। सन् १८४६ में राबर्ट पील ने पार्लियामेन्ट में इस तटकर को रद्द करवाने का प्रस्ताव स्वीकृत करा लिया।

अनाज से तटकर के नष्ट होने के बाद अन्य पदार्थों से भी तटकर हटाये गये। सन् १८५२ में धीयुत ग्लैडस्टन ने, जो उस समय अर्थ सचिव के पद पर नियुक्त थे, १२६ पदार्थों पर से तटकर को सर्वथा हटा दिया और १३३ पदार्थों से तटकर की मात्रा बहुत कम कर दी। १५ वर्ष बाद सन् १८६७ में जब उदार दल का फिर प्राधान्य हुआ, तो धीयुत ग्लैडस्टन ने सम्पूर्ण संरक्षण करों को नष्ट कर दिया। चाय, शराब, कहवा और कुछ अन्य पदार्थों पर केवल राजकीय आमदनी की दृष्टि से कुछ कर कायम रखे गये। इस प्रकार धीरे-धीरे इंग्लैंड पूर्ण रूप से मुक्त द्वार वाणिज्य (फ्री ट्रेड) नीति का अनुयायी हो गया।

यह नीति इंग्लैंड के लिये लाभदायक भी थी। व्यावसायिक क्रान्ति के कारण इंग्लैंड में कल कारखानों का जिस तेजी से विकास हो रहा था, उसे दृष्टि में रखते हुए इंग्लैंड मुक्त द्वारवाणिज्य की नीति से ही अपने तैयार माल को अन्य देशों में खपा सकता था।

पर कुछ समय बाद परिस्थितियाँ ने फिर पलटा रखा। इंग्लैंड के बाद अन्य देशों में भी व्यावसायिक उन्नति प्रारम्भ हुई। जर्मनी, अमेरिका आदि देशों ने अपने व्यवसायों के हित में सरक्षण कर की नीति का आश्रय लिया। इंग्लैंड के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि अपने माल को सुगमता से अन्य देशों में बेच सके। पर दूसरे देश अपना माल इंग्लैंड में स्वच्छन्दता से बेच सकते थे। धीरे धीरे इंग्लैंड के राजनीतिज्ञ ने इस अवस्था पर विचार कर अपनी व्यापारिक नीति में परिवर्तन करने के लिये आन्दोलन करना प्रारम्भ किया। इस आन्दोलन के प्रवर्तक श्रीयुक्त चैम्बरलेन थे। उनके प्रयत्नों से इंग्लैंड की व्यावसायिक नीति में जो परिवर्तन आने प्रारम्भ हुए, उन पर हम आगे चलकर प्रकाश डालेंगे।

अठईसवां अध्याय आस्ट्रिया-हंगरी का संगठन

१८६१ के शासन सुधार—हाप्सबुर्ग राजवंश के विस्तृत प्रदेशों में १८४८ की क्रांति का लहर जिस प्रकार असफल हुई थी, इस बात पर पहले प्रयास डाला जा चुका है। हंगरी के देशभक्त कुछ समय के लिये अपना पृथक् स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर अन्त में फिर आस्ट्रियन सरकार के अधीन रहने के लिये सहित हुए थे। यही दशा रोहेमिया की थी। आस्ट्रिया में दो बार राजा को वीएना छोड़ कर गहर भागना पड़ा। पर आखिरकार पुरानी प्रवृत्तियाँ मफल हुईं, और हाप्सबुर्ग वंश का स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो गया। १८५६ में जब इटालियन लोगों ने आस्ट्रिया की अधीनता से मुक्त होने के लिये युद्ध प्रारम्भ किया और लोम्बार्डी का प्रदेश वस्तुतः आस्ट्रियन आधिपत्य से निकल गया, तब सम्राट् फ्रांसिस जोसेफ की आँखें खुलीं। इटली का अनुकरण कर अन्य भी अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए, और सम्राट् ने गम्भीरता के साथ सुधार का कार्य प्रारम्भ किया। फ्रांसिस जोसेफ नवयुगक सम्राट् था। वह १८४८ की क्रांति के दिनों में राजगद्दी पर आरोढ़ हुआ था। उसके चचा फर्डिनन्ड ने क्रांति से घबरा कर २ दिसम्बर, १८४८ को राजगद्दी छोड़ देने में ही अपना बलयाण समझा था। यह फ्रांसिस जोसेफ ही था, जिन्होंने क्रांति की ज्वालाओं

को शान्त कर फिर से एकतन्त्र शासन का स्थापना की थी। अब इसने अनुभव किया, कि जनता को संतुष्ट रखने के लिये सुधार किये बिना काम न चलेगा। उसने मध्यकाल की बहुत सी बुराइयों को नष्ट कर अनेक सुधार किये। इससे लोगों की शिकायतें दूर हुईं। तब से महत्त्वपूर्ण बात यह थी, कि १८६१ में सम्पूर्ण साम्राज्य—आस्ट्रिया, हंगरी और रोहेमिया—के लिये एक शासन विधान की रचना की गई। शासन को वीएना में केन्द्रित किया गया। सम्पूर्ण साम्राज्य के लिये व्यवस्थापन का कार्य दो सभाओं के सुपुर्द हुआ (१) कुलीन सरदारों की सभा—इसमें बश क्रमानुगत कुलीन सरदार लोग सम्मिलित होते थे। इनके अतिरिक्त सम्राट् की तरफ से जिन्हें बड़े ऊँचे पिताब दिये जाते थे, उन राजमन्मानित लोगों में से भी सरकार कुछ को इस सभा का सदस्य मनोनीत करती थी। (२) दूसरी सभा सर्वसाधारण जनता के प्रतिनिधियों की थी। बोट का अधिकार बहुत विस्तृत नहीं था। पर फिर भी मध्यश्रेणि के प्रतिनिधि इस सभा में सम्मिलित हो सकते थे। १८६१ में आस्ट्रियन साम्राज्य का शासन पूर्णतया एकतन्त्र और स्वेच्छाचारी नहीं रहा था। वह एक प्रकार से वैध राजसत्ता बन गया था। इस अंश में आस्ट्रिया जर्मनी से पर्याप्त आगे था। यद्यपि लोकतन्त्रशासन का कुछ प्रवेश आस्ट्रिया में हो गया था, पर उसकी वास्तविक समस्या अभी हल नहीं हुई थी। आस्ट्रियन साम्राज्य में कोई एक जाति निवास नहीं करती थी। आस्ट्रिया के असली जर्मन लोगों के अतिरिक्त उसमें अन्य बहुत सी जातियों का निवास था। ये सब अपने को स्वाधीन करने का प्रयत्न कर रही थीं। यदि इन जातियों की दृष्टि से देखा जावे, तो १८६१ के सुधार और वैध राजसत्ता वास्तविक असन्तोष को दूर करने में सर्वथा असमर्थ थे।

१८६६ के आन्दोलन—१८६६ में सेडोवा के युद्ध में पराजित होने के अनन्तर आस्ट्रिया जर्मनी से पृथक् हो गया। जर्मन राज्यसंघ की

जटिल समस्याओं से अब उसका कोई सम्बन्ध न रहा। अनेक सदियों से वह जर्मन लोगों का नेतृत्व कर रहा था। पर प्रशिया के अभ्युदय ने उसका अन्त कर दिया और आस्ट्रिया के ८० लाख के लगभग जर्मन लोग अपनी जाति के अन्य लोगों से पृथक् हो गये। १८६६ के बाद हाप्सबुर्ग राजवंश का ध्यान पश्चिम की तरफ से हट कर पूर्व की तरफ जाना शुरू हुआ। आस्ट्रिया की महत्वाकांक्षा जर्मनी स्थान पर गाल्फन प्रायद्वीप में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिये कार्य करने लगी। १८६६ में ही वेनेटिया का प्रवेश आस्ट्रिया की अधीनता से निकल गया। सेडोवा की पराजय और वेनेटिया की स्वतन्त्रता के कारण विद्रोह की प्रवृत्ति फिर बलवती हो गई। विशेष तया हगेरियन लोगों ने १८६१ के शासन विधान का घोर विरोध प्रारम्भ किया। वे पहले भी इसके प्रति अपने असन्तोष को प्रगट कर रहे थे। वे व्यवस्थापिका सभाओं में सम्मिलित हीन होते थे। हगेरियन लोग स्वयं तो नवीन शासन से असहयोग कर ही रहे थे, साथ में बोहेमियन, पोल और क्रोटियन आदि लोगों को भी अपना अनुसरण करने के लिये भडका रहे थे। १८६६ में इस आन्दोलन ने बहुत प्रचण्ड रूप धारण कर लिया। हगेरियन लोग कहते थे कि हमारा देश सदा से एक पृथक् स्वतन्त्र राज्य के रूप में रहता चला आया है। आस्ट्रिया से हमारा सम्बन्ध केवल इतना था, कि दोनों राज्यों का राजा ही एक था। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सम्बन्ध आस्ट्रिया और हगरी में नहीं था। हगेरियन लोगों की माँग यही थी, कि १८६१ के शासन विधान का अन्त कर फिर से उनके पृथक् राज्य की स्थापना की जावे।

समझौता (ऑसग्लाइस)—सम्राट् फ्रांसिस जोसफ हगेरियन देशभक्तों की माँग को स्वीकृत करने के लिये राधित हुआ। १८६७ में आस्ट्रिया और हगरी में समझौता हो गया। नवीन शासनविधान की रचना की गई। इतिहास में १८६७ का यह शासनविधान

‘समझौते’ (ऑसग्लाइस) के नाम से प्रसिद्ध है । इस समझौते के अनुसार फ्रांसिस जोसफ ने स्वांकार किया कि मैं दो पृथक् स्वतन्त्र राज्यों का पृथक् रूप से राजा हूँ । वे राज्य निम्नलिखित हैं—

(१) आस्ट्रियन साम्राज्य जिसमें कुल मिलाकर १७ प्रान्त सम्मिलित थे । उसको आस्ट्रिया के अतिरिक्त बोहेमिया, मोरेविया, कैरिन्थिया, कार्निओला आदि अनेक प्रदेश इसमें ऐसे भी शामिल थे, जिनमें अनेक विदेशी जातियाँ निवास करती थी ।

(२) हंगरी का राज्य इसमें भी हंगेरियन लोगों के अतिरिक्त क्रोटियन और स्लावोनियन जातियों का निवास था ।

आस्ट्रियन साम्राज्य की राजधानी वीएना थी और हंगरी की बुडापेस्ट । दोनों राज्यों के शासन-विधान पृथक् पृथक् थे । दोनों की व्यावसायिक सभायें, मन्त्रिमण्डल आदि सर्वथा पृथक् थे । परन्तु कुछ मामले ऐसे भी थे, जिनका शासन सम्मिलित रूप से होता था । विदेशों के साथ सम्बन्ध, सन्धि विग्रह, सेना, तट-कर आदि उभयनिष्ठ मामलों के लिये दोनों राज्य एक थे । इस सम्मिलित राज्य को आस्ट्रिया-हंगरी कहते थे । आस्ट्रिया-हंगरी की स्थल और जल सेना एक थी । मुद्रा-पद्धति एक थी । तोल, माप आदि के मान एक थे । तट-कर की पद्धति सम्मिलित राज्य की एक थी । यह एक अद्भुत क्रिस्म का संघ था । दो राज्य एक दूसरे से सर्वथा पृथक् होते हुए भी कुछ मामलों के लिये एक बने हुए थे ।

सम्मिलित राज्य का शासन — इन सम्मिलित विषयों का शासन करने के लिये आस्ट्रिया-हंगरी का उभयनिष्ठ राजा तीन मन्त्री नियत करता था—परराष्ट्र सचिव, युद्ध सचिव और अर्थ सचिव । ये तीनों मन्त्री एक अद्भुत प्रकार की सम्मिलित पार्लियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी होते थे, जिसे कि ‘प्रतिनिधिमण्डल’ (डैलीगेशन) कहते थे । इस प्रतिनिधिमण्डल का एक हिस्सा आस्ट्रिया की व्यवस्थापिका सभा द्वारा

निर्वाचित होता था। हगरी की व्यवस्थापिका सभा दूसरा हिस्सा चुनती थी। प्रतिनिधि मण्डल में कुल मिलकर १२० सदस्य होते थे। ६० सदस्य आस्ट्रिया चुनता था और ६० हगरी। प्रतिनिधि मण्डल का अधिवेशन एक बार वीएना में होता था और एक बार बुडापेस्ट में। दोनों राजधानियों में बारी बारी से अधिवेशन होते थे, ताकि दोनों को समान रूप से महत्वपूर्ण सम्मत्ता जावे। प्रतिनिधि मण्डल के दोनों हिस्सों का अधिवेशन पृथक् पृथक् होता था। आस्ट्रियन प्रतिनिधि-मण्डल अपना कार्य जर्मन भाषा में करते थे, और हगेरियन प्रतिनिधि मण्डल हगेरियन भाषा में। जब कभी दोनों हिस्सों में मतभेद हो जाता था, तब उनका अधिवेशन एक साथ होता था। पर उस समय वदस नहीं होती थी, केवल वोट ही लिये जाते थे। इस प्रकार आस्ट्रिया और हगरी अपनी स्थिति को एक बराबर रखते हुए अपने सम्मिलित विषयों का सञ्चालन करते थे।

१८६७ के 'समझौते' के बाद आस्ट्रिया और हगरी दोनों का शासन पृथक् रूप से होता रहा। इनके शासन विधानों का विस्तार से उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना निर्देश पर्याप्त होगा कि आस्ट्रिया में व्यवस्थापन विभाग में दो सभायें थीं। एक सभा में कुलीन सरदार लोग सम्मिलित होते थे और दूसरी में सर्व-साधारण जनता के प्रतिनिधि। पर वोट का अधिकार बहुत कम लोगों का था। मन्त्रमण्डल व्यवस्थापन विभाग के प्रति उत्तरदायी था। हगरी के शासन का ढाँचा भी ठीक इसी प्रकार का था। वहाँ भी वोट का अधिकार बहुत कम लोगों को प्राप्त था। आस्ट्रिया और हगरी दोनों में उत्तरदायित्वपूर्ण वैध शासन का स्थापना तो हो गई थी, पर वास्तविक जनता को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। वोट का अधिकार जितना अधिक विस्तृत होगा, लाकतन्त्र शासन उतना ही पूर्ण होगा। पर इन राज्यों में यह बात नहीं थी। यही कारण है कि उदार विचारों

के लोग शासन सुधार के लिये निरन्तर आन्दोलन करते रहे। १६०६ में इन आन्दोलन का बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई और मताधिकार को विस्तृत किया गया।

परन्तु आस्ट्रिया हगरी की वास्तविक समस्या लोकतन्त्र शासन स्थापित करने की नहीं थी। इस अद्भुत साम्राज्य में जिन विविध जातियों का निवास था, उनका जिक्र अनेक बार पहले किया जा चुका है। राष्ट्रीयता की भावना उन सब जातियों में प्रादुर्भूत हो चुकी थी और वे अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये आन्दोलन कर रही थीं। हगरी की सफलता के कारण उनकी हिम्मत बहुत बढ़ गई थी। उनका असन्तोष बार बार फूट कर प्रगट होता था। उन्हें किस प्रकार सन्तुष्ट किया जावे, आस्ट्रियन सरकार के सम्मुख यह अत्यन्त विकट समस्या हमेशा उपस्थित रहती थी। इसका वास्तविक इलाज एक ही था, वह यह कि इनकी राष्ट्रीय भावनाओं को स्वीकृत कर लिया जावे और हगरी के समान इन्हें भी पृथक् राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया जावे। पर हाप्सबुर्ग वंश के सम्राट तथा आस्ट्रिया के जर्मन निवासियों को यह बात कभी समझ में न आई। वे शक्ति के प्रयोग से इन जातियों को अपनी अधीनता में रखने का प्रयास करते रहे। कुछ समय तक उन्हें सफलता भी प्राप्त होती रही, पर आखिर १६१४-१८ के महायुद्ध के समय इन्हीं जातियों ने आस्ट्रिया हगरी के साम्राज्य का विनाश कर दिया।

बोहेमिया में चैक स्वतन्त्रता का आन्दोलन—आस्ट्रियन साम्राज्य में जो विविध जातियाँ बसती थीं, उनमें सबसे अधिक उन्नतिशील बोहेमिया के चैक लोग थे। १८६८ में उन्होंने यह आन्दोलन करना प्रारम्भ किया, कि हमें भी हगरी के समान स्वतन्त्रता प्राप्त करनी चाहिये। वे कहते थे—हम भी एक पृथक् राष्ट्र हैं और आस्ट्रिया के साथ हमारा सम्बन्ध भी केवल इतना ही है कि आस्ट्रिया का राजा

ही हमारा भी राजा है। अतः बोहेमिया को हंगरी के समान ही एक पृथक् राज्य स्वीकृत किया जाना चाहिये और फ्रांसिस जोसेफ का बोहेमिया की राजधानी प्राग में पृथक् राज्याभिषेक होना चाहिये। यह आन्दोलन निरन्तर प्रचण्ड रूप धारण करता गया और अक्टूबर १८७१ में फ्रांसिस जोसेफ ने चैक लोगों के दावे को स्वीकृत कर लिया। परन्तु जर्मन (आस्ट्रियन) और हंगेरियन लोग इस बात को न सह सके। उन्होंने कहा—अन्य जातियाँ बोहेमिया का अनुसरण करेंगी और इस सिलसिले का अन्त कहाँ पर होगा? जर्मन और हंगेरियन लोगों को इन विविध स्लाव जातियों से बड़ी तीव्र घृणा थी। वे इन्हें स्वतन्त्र नहीं देखना चाहते थे। इनके तीव्र विरोध के कारण फ्रांसिस जोसेफ अपने वचन को पूर्ण नहीं कर सका। चैक आन्दोलन को क्रूरता से शान्त किया गया। पर इसमें सन्देह नहीं, कि सब प्रकार के अत्याचारों को सहते हुए भी चैक तथा अन्य लोग अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये निरन्तर प्रयत्न करते रहे। ये जातियाँ अवश्य ही अपने उद्देश्य में सफल हो जाती, अगर इनमें आपस में विरोध और ईर्ष्या के भाव न होते। शोचनीय बात यही थी कि ये सब भी आपस में एक न हो सकते थे। आस्ट्रियन सरकार इन्हें लड़ाती रहती थी। १९वीं सदी में राष्ट्रीयता की भावना के इतने प्रबल होते हुए भी हाप्सबुर्ग शासक अपने शासन में जो इतने सफल हुए, उसका कारण यही राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और विद्वेष भाव थे। अन्यथा, वे इन विविध जातियों पर कभी शासन न कर सकते। आस्ट्रियन सरकार ने चैक आदि विविध स्लाव जातियों के स्वाधीनता-आन्दोलन को ही कुचलने का प्रयत्न नहीं किया। उसकी यह भी प्रबल आकांक्षा थी, कि इन जातियों को पूर्णतया जर्मन (आस्ट्रियन) रंग में रंग दें। इसी उद्देश्य से १८६६ में सम्पूर्ण साम्राज्य के शिक्षणालयों में जर्मन भाषा का अध्ययन बाधित रूप से जारी किया गया। अन्य प्रकार से भी कोशिश की गई, कि स्लाव लोग जर्मन सभ्यता का अनुसरण

करने में गौरव अनुभव करें। इन जातियों के धार्मिक विश्वासों की भी उपेक्षा की गई। ये प्रायः कैथोलिक धर्म का मानती थीं, पर ऐसे कानून बनाये गये, जिनसे जो अधिकार कैथोलिक लोगों को प्राप्त थे, वे गैर कैथोलिकों को भी मिल गये। इसी प्रकार हंगरी में स्लाव, रुमानियन आदि जातियों को दवाने तथा उनकी सभ्यता को नष्ट करने के लिये प्रयत्न किये गये। प्रत्येक शिक्षणालय में हंगेरियन भाषा को बाधित रूप से प्रचलित किया गया। जिलों और शहरों के पुराने नामों को बदलकर हंगेरियन भाषा के नये नाम रखे गये। हंगेरियन लोगों की सख्या कुल आबादी के आधे से भी कम थी, पर उनकी पूरी कोशिश इस बात में लगी थी, कि गैर हंगेरियन लोग व्यवस्थापिका सभा में निर्वाचित न हो सकें। इसी प्रयत्न का यह परिणाम था, कि व्यवस्थापिका सभा में हंगेरियन लोगों का हमेशा प्रभुत्व रहता था। वे जो कुछ चाहते थे, करते थे।

परराष्ट्र नीति—आस्ट्रिया-हंगरी की साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति जर्मनी या इटली की तरफ चरितार्थ नहीं हो सकती थी। जर्मन राज्य-संघ में अब उसके लिये कोई स्थान न था। इटली उसकी अधीनता से मुक्त हो चुका था और अब यह सम्भव नहीं रहा था कि आस्ट्रिया उसे फिर अपने अधीन कर सके। अब उसके सम्मुख एक ही मार्ग था। वह बाल्कन प्रायद्वीप में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर सकता था। वहाँ उसके विस्तार के लिये उपयुक्त क्षेत्र विद्यमान था। परन्तु उधर रशिया भी इसी क्षेत्र में अपने साम्राज्यवाद का जाल फैला रहा था। रशिया विविध स्लाव जातियों को अपनी अधीनता और संरक्षा में संगठित करना चाहता था। इस प्रकार बाल्कन प्रायद्वीप में आस्ट्रिया और रशिया के स्वार्थ आपस में टकरा पाते थे। १९१४-१८ के यूरोपीय महायुद्ध में इन दो राज्यों का यह हित विरोध अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता था, यह बात स्मरण रखनी चाहिये।

उनतीसवों अध्याय

फ्रांस में तृतीय रिपब्लिक का शासन

(१) फ्रांस में रिपब्लिक की स्थापना

दो सितम्बर सन् १८७० के दिन सीडन के युद्ध में नैपोलियन तृतीय की पराजय हुई। अगले दिन उसने पेरिस को सवाद भेजा— 'सेना परास्त हो गई है, और मैं कैद हो गया हूँ।' यह समाचार यात की यात में सारे पेरिस में फैल गया। लोग इक्छे हो गये। २० वर्ष पहले जिस राजसत्ता की स्थापना हुई थी, वह अकस्मात् ही नष्ट हो गई थी। अब क्या होगा—यह प्रश्न सबके मुख पर था। लोग रिपब्लिक के लिये उतावले थे। व्यवस्थापिका सभा का अधिवेशन अभी जारी था। लोगों ने उसे घेर लिया और रिपब्लिक के लिये शोर मचाना प्रारम्भ कर दिया। नैपोलियन को राज्यच्युत करने के लिये प्रस्ताव उपस्थित किया गया। उसे स्वीकृत होते देर नहीं लगी। नैपोलियन तृतीय अब फ्रांस का सम्राट नहीं रहा। दो सितम्बर को वह सीडन में परास्त हुआ था, तीन सितम्बर को वह फ्रांस के राजसिंहासन से भी च्युत कर दिया गया। उसका अन्त सत्रही एक उचित तथा स्वाभाविक गत प्रतीत होती थी। कोई उसके 'अधिनार' के लिये प्रावाज उठानेवाला नहीं था।

चार सितम्बर को व्यवस्थापिका सभा के कुछ सदस्य पेरिस के 'सिटी हॉल' में एकत्रित हुए। गेम्बेटा इनका नेता था। इन्होंने निश्चय किया, कि फ्रांस में रिपब्लिक की स्थापना की जावे। अन्य लोगों ने साथ दिया। पेरिस की अधिकांश जनता रिपब्लिक के पक्ष में थी। अन्य बड़े बड़े नगरों ने भी रिपब्लिक का पक्ष समर्थन किया। सामयिक रूप से प्रायः सभी दल रिपब्लिक के लिये तैयार हो गये। इस समय फ्रांस में मुख्यतया तीन दल थे—

(१) रिपब्लिकन दल—ये लोग रिपब्लिक के पक्ष में थे। परन्तु सर्वसाधारण जनता की इन्हें बहुत चिन्ता नहीं थी। १८४८ में जिस दंग से मध्य श्रेणी के लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्ति रखकर रिपब्लिक बनाई गई थी, वे उसी तरह अब भी चाहते थे।

(२) वैध राजसत्तावादी दल—ये लोग राजसत्ता चाहते थे, पर राजा को निश्चित शासन विधान के अधीन रखकर सरकार का सञ्चालन करने के पक्ष में थे।

(३) साम्यवादी दल—यह दल साम्यवादी सिद्धान्तों के अनुसार सर्वसाधारण किसान और मजदूर जनता के हाथ में राजनीतिक शक्ति प्रदान कर रिपब्लिक स्थापित करना चाहता था।

इन तीनों दलों की योजनायें पृथक् पृथक् थीं। पर यह समय आपस में झगड़ने का नहीं था। जर्मन सेना निरन्तर आगे बढ़ रही थी। पेरिस पर हमला होने वाला था। अतः इस स्थिति में यही उचित था, कि आपस के मतभेदों को भुला कर सामयिक सरकार की रचना कर ली जावे। आखिर, सब दलों के लोग परस्पर सहमत होकर गेम्बेटा और यीयर्स के नेतृत्व में सरकार बनाने में समर्थ हुए। जर्मन आक्रमण का फ्रांस ने किस प्रकार मुकाबला किया, इसका वर्णन पहले किया जा चुका है। पेरिस के आत्मसमर्पण के बाद भी गेम्बेटा तथा उसके रिपब्लिकन अनुयायियों की यही इच्छा थी, कि जर्मनी के

साथ युद्ध जारी रखा जावे । परन्तु वैध राजसत्तावादी इसके विरुद्ध थे । वे जर्मनी से सन्धि कर लेने में ही अपने देश का कल्याण समझते थे । इस विषय पर मतभेद इतना अधिक बढ़ गया, कि जनता की सम्मति के अनुसार इसका निर्णय करने की आवश्यकता अनुभव की गई । इस प्रश्न का निर्णय एक राष्ट्र प्रतिनिधि सभा पर छोड़ दिया गया, जिसके लिये प्रतिनिधि चुनने का अधिकार सब पुरुषों को दिया गया था । इस सभा में बहुसंख्या वैध राजसत्तावादियों की थी । ७५० में से ५०० प्रतिनिधि राजसत्तावादी दल के थे । इसका कारण यह है, कि जनता शान्ति चाहती थी । हृदय से रिपब्लिक के पक्षपाती होते हुए भी लोगों ने राजसत्तावादी दल को वोट केवल इसलिये दिये थे, क्योंकि इससे शान्ति स्थापित होने की सम्भावना थी । जर्मन आक्रान्ताओं से सन्धि करने का कार्य इस राष्ट्र प्रतिनिधि सभा ने ही किया । शासन के लिये इस सभा ने सामयिक रूप से यह व्यवस्था की, कि थीयर्स को सरकार का मुखिया बनाया जावे और वह अपने मन्त्रियों की नियुक्ति स्वयं करे । परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये, कि यह व्यवस्था सामयिक रूप से की गई थी । फ्रांस में रिपब्लिक और राजसत्ता में से किस की स्थापना स्थिर रूप से की जानी है, इसका निर्णय उस समय के लिये छोड़ दिया गया, जब कि जर्मन लोगों से सन्धि हो जायगी । थीयर्स का कहना था, कि इस विकट परिस्थिति में हमें आपस के मतभेदों को भुला कर पहले विदेशी शत्रु से छुटकारा प्राप्त करना चाहिये, इसके बिना हम अपने देश का उद्धार नहीं कर सकते ।

१० मई, १८७१ को फ्रांस और जर्मनी में सन्धि हो गई । थीयर्स के नेतृत्व में जो सामयिक सरकार बनी थी, उसका मुख्य उद्देश्य जर्मन आक्रमण की समस्या को हल करना ही था । सामयिक सरकार अपना कार्य कर चुकी थी । अब विविध दलों के पुराने झगड़े

उद्वुद्ध हो गये। रिपब्लिकन लोगों की राष्ट्र प्रतिनिधि सभा में अल्प संख्या थी। वे कहने लगे, इसे अत्र अर्थास्त कर देना चाहिये। पर राजसत्तावादी दल कहता था—नहीं, राष्ट्र प्रतिनिधि सभा की ही नवीन शासन-विधान का निर्माण करना चाहिये और इस बीच में सामयिक सरकार का अपना काव यथापूव जारी रखना चाहिये। पेरिस की अधिकांश जनता रिपब्लिक चाहता थी, इसलिये रिपब्लिकन दल के सदस्य कहते थे, कि राष्ट्र प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन पेरिस में ही। उनका उयाल था, पेरिस के लोगों का मदद से वे प्रतिनिधि सभा को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिये बाधित कर सकेंगे। पर राजसत्तावादी लोग राष्ट्र प्रतिनिधि सभा को पेरिस के प्रभाव से मुक्त रखने के लिये वसर्ग्य में उसके अधिवेशन करना चाहते थे। इस प्रश्न का निर्णय हो सकना सुगम कार्य नहीं था। दोनों दल अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे।

इस बीच में पेरिस में अशान्ति की आग धधकनी शुरू हो गई थी। पेरिस बहुत पहले से क्रांति और विद्रोह का केन्द्र बना हुआ था। वहाँ की जनता, विशेषतया कारखानों में काम करनेवाले मजदूर और अन्य बेकार लोग अपनी स्थिति से हमेशा असंतुष्ट रहते थे। जब जर्मन सेनाओं ने पेरिस को घेरा हुआ था, तो वहाँ की गरीब जनता की हालत बहुत शोचनीय हो गई थी। उनका सब कारोबार नष्ट हो गया था। लोग अपने मकानों का किराया तक देने में असमर्थ हो गये थे। उन पर अणु भी बहुत चढ़ गया था। इस दुर्दशा से गरीब जनता की रक्षा करने के लिये सरकार ने यह व्यवस्था की थी, कि अणु और किराये की अदायगी को सामायिक रूप से स्थगित कर दिया जावे। परन्तु अत्र शान्ति के स्थापित हो जाने पर यह सामयिक व्यवस्था हटा दी गई थी। इससे गरीब लोगों पर बहुत बड़ा बोझ पड़ा था। वे सरकार से बहुत असंतुष्ट हो गये थे। रिपब्लिकन

दल के नेताओं ने इस स्थिति का खून उपयोग किया। पेरिस की नगर-सभा ने विद्रोह का झण्डा खड़ा किया। इस नगर सभा में उन लोगों का चोर था, जो कि फ्रांस के शासन में मौलिक परिवर्तन करना चाहते थे। वे कहते थे, कि प्रत्येक स्थान का शासन वहाँ की नगर सभा (कम्यून) के अधीन होना चाहिये। नगर सभा में लोगों को शासन-कार्य में पूर्णतया हाथ डालने का उपयुक्त अवसर दाय लगेगा और वे मन्चे अर्थों में अपना शासन अपने आप कर सकेंगे। ये नगर-सभायें जिस प्रकार चाहें, शासन करें। अपनी परिस्थितियों को दृष्टि में रख कर जिन मुद्दों को चाहें, प्रयोग में लावें। केन्द्रीय सरकार की तरफ से इनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जावे। देश की केन्द्राय सरकार तो इन नगर-सभाओं का संगठन मात्र हो। ये लोग नगर-सभा व कम्यून पर असाधारण विश्वास रखते थे, इसी लिये इन्हें 'कम्यूनर्ड' नाम से कहा जाता था। पेरिस के कम्यून (नगर सभा) ने न केवल स्वयं विद्रोह किया, अपितु अन्य नगरों को भी अपना अनुसरण करने के लिये प्रेरित किया। परिणाम यह हुआ, कि कुछ ही दिनों में राष्ट्र प्रतिनिधि सभा और पेरिस की नगर सभा में खुल्लामखुल्ला युद्ध प्रारम्भ हो गया। राष्ट्र प्रतिनिधिसभा की सेनाओं ने पेरिस पर आक्रमण किया। छः सप्ताह तक पेरिस घिरा रहा। दोनों तरफ से हमले जारी रहे। २१ मई, १८७१ के दिन राष्ट्र प्रतिनिधि सभा की सेनायें पेरिस में प्रविष्ट होने में समर्थ हो सकीं। इनके बाद गलियों और बाजारों में लड़ाई शुरू हुई। रिपब्लिकन दल की सद्दानुभूति कम्यूनर्ड लोगों के साथ थी। प्रतिनिधिसभा के रूप में राजसत्तावादी लोग रिपब्लिकन दल के साथ युद्ध कर रहे थे। कम्यूनर्ड लोग आखिरकार परास्त हुए। प्रतिनिधिसभा ने उनके साथ भयंकर रूप से बदला लिया। जो भी 'कम्यूनर्ड' मिला, उसे गोली से उड़ा दिया गया। हजारों की संख्या में 'कम्यूनर्ड' लोगों को प्राणदण्ड

दिया गया। हजारों आदमी इस समय डर के मारे पेरिस से भाग गये। हिसाब लगाया गया है, कि १७ हजार के लगभग 'कम्यूनर्ड' लोग राष्ट्र प्रतिनिधि सभा के शिकार बने। यह गृह-युद्ध इतना भयंकर था, कि विदेशी आक्रमण से भी पेरिस ने इतना नुकसान कभी नहीं उठाया, जितना कि इस आपस का लड़ाई से। पेरिस की बहुत सी सुन्दर इमारतें इस गृह-कलह में नष्ट हो गईं। किसी भी कम्यूनर्ड को माफ नहीं किया गया। किसी समय थियर्स स्वयं क्रान्तिकारी था, पर इस समय वह क्रान्ति के पक्षपातियों का इतने भयंकर रूप से विनाश कर रहा था, कि उसकी तुलना अन्यत्र पा सकना बहुत कठिन है। इन्हीं अत्याचारों का यह परिणाम हुआ, कि न केवल कम्यूनर्ड दल पर कोई भी साम्यवादी दल आगे चल कर बहुत देर तक फ्रान्स में सिर नहीं उठा सका।

पेरिस के विद्रोह को शान्त कर थियर्स की सामयिक सरकार ने देश की उन्नति और समृद्धि की तरफ ध्यान देना प्रारम्भ किया। सबसे मुख्य समस्या सन्धि की शर्तों को पूर्ण करने की थी। तीन अरब रुपये हरजाने के तौर पर जर्मनी को प्रदान करने थे। पर थियर्स की सरकार ने इतनी तत्परता के साथ कार्य किया कि १८७३ के समाप्त होने से पूर्व ही यह भारी रकम अदा कर दी गई और हरजाने को बसूल करने के लिये जो जर्मन सेना फ्रांस में स्थापित की गई थी, वह अपने देश को प्रस्थान कर गईं। जनता को सरकार में पूर्ण विश्वास था। लोगों ने दिल रोलकर सरकार की सहायता की। इसी समय फ्रांस में भी राधित सैनिक सेवा का पद्धति जारी की गई। प्रत्येक नागरिक के लिये ५ वर्ष तक सैनिक सेवा करना आवश्यक कर दिया गया। पेरिस की नये सिरे से क़िलाबन्दी की गई। जर्मन आक्रमण से अपने देश की रक्षा करने के लिये सीमा पर नये दुर्गों का निर्माण किया गया। इन सब प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ, कि फ्रांस की जनता में नवीन

अब प्रश्न यह था, कि राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया जावे ! राष्ट्र प्रतिनिधि सभा में राजसत्तावादियों का बहुमत था । उन्होंने मार्शल मैकमहोन को राष्ट्रपति निर्वाचित किया । मैकमहोन ने स्पष्ट रूप से उद्घोषणा की, कि मैं राजसत्ता का पक्षपाती हूँ और ज्यों ही कोई व्यक्ति राजा नियत हो जायगा, मैं राष्ट्रपति पद से पृथक् हो जाऊँगा ।

राजसत्तावादी लोग इस बात पर तो एकमत थे, कि फ्रांस में रिपब्लिक न होकर राजसत्ता की स्थापना होनी चाहिये, पर राजा कौन हो, इस प्रश्न पर उनमें गहग मतभेद था । उनमें तीन पक्ष थे— (१) कुछ लोग प्राचीन बोर्बो राजवंश का पुनरुद्धार करना चाहते थे । (२) दूसरे बोर्बो वंश की शाखा ओर्लियन वंश को फ्रांस की राजगद्दी सुपुर्द करने के पक्ष में थे । (३) अन्य लोग नैपोलियन बोनापार्ट के वंशधरों को राजा बनाना चाहते थे । रिपब्लिक का आन्दोलन बड़ी प्रचण्डता से बढ़ रहा था, इस दशा में राजसत्ता की स्थापना तभी सम्भव थी, जब कि विविध राजसत्तावादियों में परस्पर समझौता हो । अन्यथा आपस के विरोध के कारण उन्हें अपनी सफलता की कोई भी सम्भावना नहीं थी । इसी बात को दृष्टि में रखकर बोर्बो और ओर्लियन वंशों के पक्षपातियों ने परस्पर यह समझौता किया, कि बोर्बो वंश के उम्मीदवार शाम्बो के काउण्ट को पहले हेनरी पञ्चम के नाम से राजगद्दी पर बिठाया जाय । पर क्योंकि हेनरी के कोई लड़का नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के अनन्तर ओर्लियन वंश का उम्मीदवार राजपद पर प्रतिष्ठित हो । राजसत्तावादियों के दो दलों में यह समझौता तो हो गया, पर समझौता करनेवालों ने यह नहीं सोचा कि उनके भावी राजा शाम्बो के काउण्ट के अपने विचार क्या हैं ? उस समय काउण्ट की उमर ५० वर्ष से ऊपर थी । उसके जीवन का अधिक भाग स्कॉटलैण्ड, जर्मनी, आस्ट्रिया

और इटली आदि विदेशों में व्यतीत हुआ था। उसकी शिक्षा कैथोलिक लोगों की देख रेख में हुई थी। वह क्रान्ति तथा नई प्रवृत्तियों का कट्टर दुश्मन था। राजा का देवीय अधिकार—उसके लिये प्रधान राजनीतिक सिद्धान्त था। १९वीं सदी के इस उत्तरार्ध में यह सिद्धान्त पुराना हो चुका था। पर शाम्बा का बूढ़ा काउण्ट अब भी इसी को डोंडी पीट रहा था। वह नये विचारों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहता था। उसने ओर्लियन वंश के पक्षपातियों को स्पष्ट रूप से कह दिया, कि मैं तब तुमसे समझौता करने को तैयार हूँ, जब कि तुम पहले मुक्त राजगद्दा का अमली और न्याय्य अधिकारी स्वीकृत कर लो। ओर्लियन वंश के पक्षपाती इसके लिये तैयार नहीं हुए। वे समझौते के तौर पर उसे राजा मानने को तैयार थे, पर शाम्बा का काउण्ट यह स्वीकृत नहीं करता था। परिणाम यह हुआ, कि राजसत्तावादियों की सन्धि टूट गई। रिपब्लिकन लोगों को मौका मिला। उन्होंने ओर्लियन वंश के पक्षपातियों को इस बात के लिये तैयार कर लिया कि अभी रिपब्लिक ही कायम रहे। राष्ट्रपति मैकमहोन का शासन-काल सात वर्ष तक बढ़ा दिया गया। अब १८८० तक रिपब्लिक की सत्ता निश्चित हो गई थी।

इस बीच में विविध राजनीतिक दलों में परस्पर विवाद जागो थे। ओर्ली वंश के पक्षपाती कोशिश कर रहे थे, कि मैकमहोन को हटा कर शीघ्र ही शाम्बो के काउण्ट को वाफायदा राजसिंहासन पर आरोढ़ किया जावे। रिपब्लिकन लोग चाहते थे, कि रिपब्लिक का स्थिर रूप से सगठन किया जावे। ओर्लियन वंश और मोनापार्ट के पक्षपाती समय टाल कर अपनी शक्ति को बढ़ाने की चिन्ता में थे। नये शासन विधान का क्या स्वरूप हो, इस पर भी बहस जारी थी। आखिरकार, २६ जनवरी सन् १८७५ के दिन यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, कि रिपब्लिक के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रतिनिधि सभा और

सीनेट की सम्मिलित बैठक में बहुमत द्वारा किया जाय। (नये शासन विधान का जो स्काफ़ तैयार हो रहा था, उसमें व्यवस्थापन विभाग इन दो सभाओं द्वारा बनाया गया था।) यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह प्रस्ताव केवल एक वोट के बहुमत से पास हुआ था। इस प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रप्रतिनिधि सभा ने यह ता अन्तिम रूप से निश्चित कर दिया था, कि फ्रांस में राजसत्ता के स्थापित होने की कोई सम्भावना नहीं है, वहाँ का शासन रिपब्लिकन ही होगा। इसने बाद शासन विधान का निर्माण किया गया। पर सम्पूर्ण शासन का ढाँचा किसी एक विधान द्वारा निश्चित नहीं किया जा सका। इसके लिये तीन पृथक् पृथक् विधान स्वीकृत किये गये और फ्रांस के नवीन शासन का स्वरूप इन तीनों द्वारा मिलकर निश्चित हुआ।

नवीन शासन विधान में व्यवस्थापन का कार्य दो सभाओं के सुपुर्द किया गया—सीनेट और प्रतिनिधि सभा। यह व्यवस्था की गई, कि सीनेट के सदस्य ६ वर्ष के लिये निर्वाचित किये जावें। इन्हें निर्वाचित करने के लिये वोट का अधिकार बहुत कम लोगों को दिया गया। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव ४ वर्ष के लिये ही और उन्हें सर्वसाधारण जनता निर्वाचित करे। ये दोनों सभायें मिलकर सम्मिलित बैठक में बहुमत द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन करें। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों में से अपने मन्त्रिमण्डल को नियत करे, जो कि शासन का वास्तविक रूप से सञ्चालन करने वाला हो। ये प्रतिनिधि सभा के सम्मुख उत्तरदायी हों और तभी तक अपने पद पर रहें, जब तक कि प्रतिनिधि सभा का बहुमत इनके साथ हो। वास्तविक शासन सूत्र व्यवस्थापिका सभा न प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल के सुपुर्द कर दिया गया, और राष्ट्रपति की स्थिति प्रायः बही रखी गई, जा कि वैध राजसत्ता वास्तव में राजा की होती है।

फ्रांस के लिये नवीन शासन विधान का निर्माण हो गया। केवल

एक वोट के बहुमत से यह महत्वपूर्ण बात निश्चित हुई, कि राजसत्ता की स्थापना न होगी और शासन का ढाँचा रिपब्लिकन रहेगा। ३१ दिसम्बर १८७५ के दिन राष्ट्र प्रतिनिधिसभा अपना कार्य समाप्त कर बर्खास्त हो गई और नये शासन विधान के अनुसार व्यवस्थापिका सभाओं का निर्वाचन हुआ। प्रतिनिधिसभा में ३६० रिपब्लिकन दल के सदस्य थे और १६० राजसत्तावादी दल के। पर सीनेट में राजसत्तावादियों का बहुमत था। राष्ट्रपति के पद पर मैकमहोन, जा कि राजसत्तावादी दल का था, ही विराजमान था, उसकी नियुक्ति १८८० तक के लिये ही चुकी थी। मैकमहोन ने इस बात का परवाह नहीं की, कि प्रतिनिधिसभा की बहुसंख्या रिपब्लिकन दल की है। उसने अपने राजसत्तावादी मित्रों और साधियों को राज्य में महत्वपूर्ण पद दिये। यह स्वेच्छाचारी राजा की तरह फ्रांस का शासन करना चाहता था। पर गेम्बेटा तथा अन्य रिपब्लिकन नेता उसका घोर विरोध कर रहे थे। वे कहते थे कि मन्त्रिमण्डल को प्रतिनिधिसभा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये। मैकमहोन का निज्जु शासन सर्वथा अनुचित और कानून के विरुद्ध है। प्रतिनिधिसभा में रिपब्लिकन दल का जोर था। उन्होंने मैकमहोन का विरोध करने में कोई कसर उठा न रखी। परिणाम यह हुआ, कि मैकमहोन ने १८७७ में प्रतिनिधिसभा को बर्खास्त कर नया निर्वाचन करने की आज्ञा दी। दोनों दलों की ओर से भरपूर कोशिश की गई। निर्वाचन में फिर रिपब्लिकन दल की विजय हुई। अगले वर्ष १८७८ में सीनेट में भी रिपब्लिकन दल का बहुमत हो गया। अब मैकमहोन के लिये स्वेच्छापूर्वक शासन कर सकना असम्भव था। उसने भली भाँति अनुभव कर लिया था, कि देश मेरे साथ नहीं है। १८७९ के शुरू में मैकमहोन ने त्यागपत्र दे दिया।

सीनेट और प्रतिनिधिसभा की सम्मिलित बैठक में राष्ट्रपति का नवीन निर्वाचन किया गया। रिपब्लिकन दल का उम्मीदवार जूली

प्रेर्वी राष्ट्रपति चुना गया। अब फ्रांस का शासन नाम-मात्र को हो रिपब्लिकन नहीं रह गया, उसका सञ्चालन करनेवाले भी वे लोग हो गये, जो कि रिपब्लिक में पूर्ण विश्वास रखते थे। फ्रेञ्च रिपब्लिक की आधारशिला तो १८७० में रखी जा चुकी थी, पर उसकी वास्तविक स्थापना १८७६ में हुई। अब से लेकर देश का शासनसूत्र रिपब्लिकन लोगों के हाथ में चला गया और उन्हें अपने विचारों को क्रिया में परिणत करने का सुवर्णोपसर प्राप्त हो गया।

अब से एक सदी के लगभग पूर्व फ्रांस में पहली बार क्रान्ति की चिनगारियाँ प्रगट हुई थी। कुछ समय के लिये पुराना जमाना नष्ट हो गया था और रिपब्लिक की स्थापना हुई थी। पर यह क्रान्ति देर तक कायम न रह सकी। नेपोलियन के रूप में फिर पुराना जमाना वापिस लौट आया। उसके बाद फिर बौवों बश का पुनरुद्धार हुआ। नई और पुरानी-दोनों प्रवृत्तियाँ परस्पर संघर्ष करती रही। १८३० और १८४८ में क्रान्ति ने पुराने जमाने को नष्ट कर नवयुग की स्थापना के लिये असाधारण प्रयत्न किये। पर वे सफल नहीं हो सके। मानवीय इतिहास का यही नियम है। नये विचार और नई प्रवृत्तियाँ एकदम सफल नहीं हो सकती। परन्तु साथ ही यह भी निश्चित है, कि इतिहास जिन भावनाओं को उत्पन्न करता है, धीरे-धीरे वे बलवती होती जाती हैं, और आखिरकार क्रिया में परिणत हो जाती हैं। १८७६ में फ्रांस में वे अन्तिम रूप से सफल हो गईं। इसके बाद आज तक फिर कभी वहाँ राजसत्ता की स्थापना नहीं हुई।

(२) रिपब्लिक का शासन

१८७६ के बाद फ्रांस में रिपब्लिक को शक्ति निरन्तर अधिक अधिक बढ़ती गई। विविध राजसत्तावादी दल कमजोर होते गये और रिपब्लिकन दल प्रतिनिधि सभा और सीनेट—दोनों में अपना प्रभाव

बढाता गया। बोनापार्टिस्ट दल का उम्मीदवार नेपोलियन तृतीय का लडका था। १८७६ में उसकी मृत्यु हो गई। इसके अनन्तर बोनापार्टिस्ट लोगो के पास कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं रह गया, जिसे राजगद्दी पर बिठाने के लिये वे प्रयत्न करते। शास्त्रों के काउण्ट की भी १८८३ में मृत्यु हो गई। उसके कोई सन्तान नहीं थी। इस कारण वीरो वश के पक्षपातियों का पक्ष भी सर्वथा शिथिल हो गया। थ्रॉर्लिंगन वश जो राजगद्दी पर बिठाने के पक्षपाती लोग अपने उम्मीदवार पेरिस के काउण्ट के लिये आन्दोलन करते रहे। पर १८६४ में उसकी भी मृत्यु हो गई और राजसत्तावादी पक्ष सर्वथा नष्ट हो गया।

रिपब्लिक की रक्षा करने के लिये १८८४ में यह कानून स्वीकृत किया गया, कि कोई ऐसा विधान व्यवस्थापिका सभाओं में न पेश किया जा सके, जिसका प्रयोजन शासन के रिपब्लिकन प्रकार को परिवर्तित करना हो। फ्रेञ्च जनता पूर्णतया रिपब्लिक के पक्ष में थी। रिपब्लिकन सरकार देश की उन्नति और कल्याण के लिये असाधारण रूप से प्रयत्न कर रही थी। १८८१ में प्रत्येक नागरिक को स्वतन्त्र रूप से भाषण, लेखन और मुद्रण का अधिकार प्रदान किया गया। इससे पूर्व जनता को यह स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी। समाचार-पत्रों पर सरकार का कड़ा निरीक्षण था। सरकार की आलोचना करने पर सम्पादकों को सख्त सजायें दी जाती थी। प्रकाशकों के लिये आवश्यक था कि वे सरकार से पहले लाइसेंस प्राप्त करें। वे कोई ऐसी चीज प्रकाशित न करें, जिससे सरकार को नुकसान पहुँचने की सम्भावना हो, इसके लिये उनसे जमानत ली जाती थी। १८८१ में ये सब बातें नष्ट कर दी गईं। प्रेस को पूर्ण स्वतन्त्रता दी गई। लोगों को स्वतन्त्रता के साथ एकत्रित होने और सभायें करने का अधिकार दिया गया। मजदूरों के खिलाफ जो विविध प्रकार के कानून बने हुए थे, उन्हें नष्ट किया गया। उन्हें अपने सगठन बनाने की इजाजत

दी गई। शिक्षा के प्रसार पर रिपब्लिक ने विशेष रूप से ध्यान दिया। इससे पूर्व मास में शिक्षा की बहुत दुर्दशा थी। देहातों में शिक्षा बहुत कम थी। अध्यापक लोग प्रायः अर्धशिक्षित तथा गरीब थे। शिक्षा का कार्य प्रायः चर्च के हाथ में था। पादरी लोग विद्यार्थियों में स्पूलिक तथा नवीन प्रवृत्तियों के विरुद्ध प्रचार करते थे। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रभाव में जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, वे नवीन विचारों को स्वीकृत करने में सर्वथा असमर्थ हो जाते थे। इसलिये यह आन्दोलन प्रारम्भ हुआ कि शिक्षा चर्च के हाथ से छीन कर राष्ट्र को अपने हाथों में रखनी चाहिये। पादरियों ने इसका घोर विरोध किया। पर रिपब्लिकन लोग शिक्षा को अपने हाथ में लेने के लिये तुले हुए थे। १८८१ में ऐसे सार्वजनिक शिक्षणालय स्थापित किये गये, जिनका चर्च से कोई सम्बन्ध न था। अगले वर्ष शिक्षा को आधित रूप से प्रचलित किया गया। १२ वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये शिक्षणालय में पढ़ने के लिये जाना आवश्यक कर दिया गया। चर्च के अधीन स्कूलों को बन्द नहीं किया गया। पर ये साम्प्रदायिक शिक्षणालय जो नुकसान पहुँचा रहे थे, लोग उनसे बहुत तंग थे। इसका परिणाम यह हुआ, कि अनेक कट्टर धार्मिक सभाओं और संस्थाओं के शिक्षणालय बन्द कर दिये गये। धार्मिक शिक्षणालयों का महत्त्व अपने आप कम होता चला गया और राष्ट्रीय शिक्षा का सर्वत्र प्रचार हो गया।

रिपब्लिकन सरकार सार्वजनिक लाभ के लिये जो प्रयत्न कर रही थी, उनसे वह निरन्तर अधिक अधिक लोकप्रिय होती जाती थी। इसीलिये उसे नष्ट करने के लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये गये। परन्तु इस काल के फ्रेञ्च इतिहास में दो घटनाएँ ऐसी हुईं, जिनसे फ्रेञ्च रिपब्लिक का जीवन कुछ समय के लिये सकट में पड़ गया। यद्यपि इनसे उसे कोई विशेष हानि नहीं पहुँची, तथापि इनका संक्षेप से उल्लेख करना आवश्यक है।

निस्सन्देह, सरकार सुधार के लिये बहुत कुछ कर रही थी, पर सर्वसाधारण जनता की माँगें बहुत अधिक थी। विशेषतया, मजदूरों में जो जागृति उत्पन्न हो गई थी, उसके कारण उनकी माँगें बहुत बढ़ी हुई थीं। गेम्बेट्टा चाहता था, कि मजदूरों को अपने साथ रखा जावे, उन्हें सतुष्ट रखने के लिये और अधिक सुधार किये जावें। पर सब रिपब्लिकन लोग इस विषय में उसके साथ नहीं थे। बहुत से रिपब्लिकन लोग इस प्रकार के थे, जो मजदूरों की माँगों के सम्बन्ध में राजसत्तावादियों की तरह ही पुराने विचारों के थे। १८८१ में गेम्बेट्टा की मृत्यु हो गई, इसके बाद तो मजदूरों की दशा सुधारने के प्रति लोगों का ध्यान बहुत कम रह गया। मजदूरों में अमनोप्य निरन्तर बढ़ता गया। साथ ही, रिपब्लिकन लोगों में ऊँचे पदों को प्राप्त करने के लिये आपस में हमेशा झगड़े हाते रहते थे। अनेक व्यक्ति अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिये नीच उपायों का प्रयोग करने में भी सकोच न करते थे। यह स्थिति थी, जब कि कोई लोकप्रिय व्यक्ति 'नेपोलियन तृतीय का अनुसरण कर अपने को राजा बनाने के लिये प्रयत्न कर सकता था। सेनापति बोलन्जर ने इस अवसर का उपयोग किया। वह फ्रेञ्च सेना में एक उच्च अधिकारी था। कुछ समय के लिये वह युद्ध-सचिव भी रह चुका था। सेना तथा जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिये उसने आन्दोलन करना प्रारम्भ किया, कि हमें जर्मनी से बदला उतारना चाहिये। 'जर्मनी से बदला' ये शब्द फ्रेञ्च लोगों को बहुत प्रिय थे। वे उसके साथ हो गये। १८७१ में फ्रेञ्च सेना का जो अपमान जर्मनी द्वारा हुआ था, उसका प्रतिशोध बोलन्जर द्वारा हो सकेगा, इस विचार से सैनिक लोग भी उसके पीछे लग गये। राजसत्तावादी दल ने सोचा कि यह बहुत उत्तम अवसर है। यदि रिपब्लिक का अन्त कर बोलन्जर को एकाधिकारी बना दिया जाय, तो राजसत्ता का पुनरुद्धार कर सकना बहुत

सुगम हो जायगा। कुछ समय के लिये, बोल्नजर का प्रभाव असाधारण रूप से बढ़ गया, वह फ्रांस का सबसे बड़ा नेता बन गया। रिपब्लिकन लोग उसकी बढ़ती हुई शक्ति से बहुत चिन्तित थे, उन्होंने उस पर देशद्रोह का अभियोग लगाया। उसे आज़न्म कैद की सजा दी गई। बोल्नजर फ्रांस से भाग निकलने में समर्थ हुआ और १८६१ में आत्महत्या कर उसने अपने जीवन का अन्त कर दिया। उसकी मृत्यु के साथ ही उसका सम्पूर्ण दल टुकड़े टुकड़े हो गया। राजसत्तावादी लोग बहुत बढ़नाम हो गये। राजसत्ता के पुनरुद्धार के लिये जो प्रयत्न प्रारम्भ हुआ था, वह पूर्णतया निष्फल हो गया।

सेनापति बोल्नजर का मामला अभी समाप्त ही हुआ था, कि फ्रेञ्च रिपब्लिक का एक अन्य अत्यन्त भयकर मुसीबत का सामना करना पड़ा। यह घटना 'ड्रेयफस का मामला' के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इससे फ्रेञ्च रिपब्लिक जड़ से हिल गई, और कुछ समय के लिये ऐसा प्रतीत होने लगा कि रिपब्लिक अपने को संभाल न सकेगी। फ्रांस की सेना में एक अप्सर था, जिसका नाम था एल्फ्रेड ड्रेयफस। यह जाति का यहूदी था और रिपब्लिक का पक्षपाती था। इस पर दोष लगाया गया कि यह जर्मनी का गुप्तचर है और फ्रांस के सैनिक रहस्यों का सूचना जर्मन सरकार को देता रहता है। कानून के अनुसार उस पर सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाया गया और आज़न्म कैद की सजा दी गई। दक्षिणी अमेरिका के उत्तरीय तट पर एक छोटा सा द्वीप था, जो फ्रेञ्च सरकार के लिये कालापानी के तौर पर काम आता था। वहाँ उसे अपनी कैद की सजा काटने के लिये भेन दिया गया।

यद्यपि ड्रेयफस को सजा दे दी गई थी, पर वह पूरी ईमानदारी के साथ उद्धोषित करता था कि मैं सर्वथा निरपराध हूँ। मुकदमे के समय में उस पर अपराध स्वीकृत करने के लिये सब तरह से ज़ार दिया

गया था, पर वह किसी भी प्रकार अपने को दीपी मानने को तैयार नहीं हुआ था। परिणाम यह हुआ कि कुछ लोगो को उससे सहानुभूति उत्पन्न हुई और उन्होंने उसे निरापराधी मताना शुरू किया। पर अधिकांश लोग उसके विरोध में थे। रोमन कैथोलिक उससे इसलिये घृणा करते थे, क्योंकि वह यहूदी धर्म का अनुसरण करनेवाला था। राजसत्तावादी कहते थे, 'ड्रेयफस का मामला' इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है, कि रिपब्लिकन शासन सर्वथा निरम्मा और हानिकारक है। वे उस घटना का सहारा लेकर रिपब्लिक को बदनाम करने की भरसक कोशिश कर रहे थे। ड्रेयफस के मामले ने एक अजीब रूप धारण कर लिया था। अखबारों में उस पर खूब लेख लिखे जा रहे थे। सब जगह उसी की चर्चा थी।

इसी बीच में, कर्नल पिफुग्रर्ट ने कागजात की जाँच कर यह परिणाम निकाला, कि वास्तविक अपराधी ड्रेयफस नहीं था, अपितु एस्टरहेजी नाम का एक अन्य अपराधी था। कर्नल पिफुग्रर्ट एक ईमानदार व्यक्ति था, जो कि सैनिक रहस्यों की सभाल के कार्य पर नियत था। उसने सैनिक कागजों के आधार पर जो परिणाम निकाला था, उसकी सूचना युद्ध सचिव को दे दी। पर सरकार यह साहस न कर सकी, कि राजसत्तावादियों और रोमन कैथोलिक लोगों को नाराज कर ड्रेयफस के मामले पर पुनर्विचार का हुकुम दे। उल्टा उन्होंने पिफुग्रर्ट को ही पदच्युत कर दिया और उसके स्थान पर कर्नल हैनरी को नियत किया। परन्तु पिफुग्रर्ट ने सत्य की उद्घोषणा करने में सकोच नहीं किया। बहुत से ईमानदार रिपब्लिकन लोगो ने उसका साथ दिया। मजदूर दल और साम्यवादी लोग उसके पक्ष में हो गये। ड्रेयफस का पक्षपोषण करनेवाले अब तक तो कुछ विचारशील साहित्य-सेवी ही थे, अब उसके पक्ष में प्रबल आन्दोलन प्राग्भ हुआ। जोला नाम के प्रसिद्ध उपन्यासकार ने फ्रांस के राष्ट्रपति के नाम खुली चिट्ठी

प्रकाशित की। यह सत्तार के सत्र प्रतिद्वन्द्व अखबारों में प्रकाशित हुई। इससे ड्रेयफस का पक्ष बहुत प्रबल हो गया। उसके लिये आन्दोलन पहले ही पर्याप्त प्रचण्ड रूप में हो रहा था, अब उसने श्रौर शक्ति प्राप्त की। आखिर सरकार को सिर मुकाना पडा। ड्रेयफस के मामले पर पुनर्विचार करने का हुकुम जारी किया गया। १८९९ में मुकदमा शुरू हुआ। अब कर्नल हेनरी ने स्वीकार किया, कि जिन कागजों के आधार पर ड्रेयफस पर जासूम होने का दोष साबित हुआ है, उनमें से एक उसने अपने हाथों से तैयार किया था। स्वयं सजा से बचने के लिये उसने आत्म हत्या कर ली। मेजर एस्टरहेजी ने भी स्वीकार किया कि मैंने एक जाली कागज ड्रेयफस के खिलाफ तैयार किया था। उसने इजलैण्ड भाग कर अपने प्राण बचाये। १९०६ तक यह मुकदमा जारी रहा। आखिर ड्रेयफस पूर्णतया निरपराध साबित हुआ। सेना में उसकी तरफ की गई, और उसे अनेक सम्मानों से विभूषित किया गया। इस मुकदमे से पिफुअर्ट भी बहुत चमका। पाछे वह युद्ध सचिव के महत्वपूर्ण पद पर पहुँच गया। ड्रेयफस के मुकदमे के इस परिणाम से राजमत्तावादी लोग बहुत बदनाम हुए। इस मामले को लेकर उन्होंने रिपब्लिक को बदनाम करने की भरसक कोशिश की थी। पर आखिर उन्हें स्वयं नीचा देखना पडा। ड्रेयफस का मामला अन्ततोगत्वा रिपब्लिक के लिये लाभकारी सिद्ध हुआ।

वस्तुतः, फ्रांस में रिपब्लिकन शासन की जड़ अब इतनी गहरी जा चुकी थी, कि उसे सुगमता के साथ नष्ट कर सकना सम्भव नहीं रहा था।

(३) चर्च का राज्य से पृथक् होना

फ्रांस की अधिकांश जनता रोमन कैथोलिक धर्म को माननेवाली थी। राज्यक्रान्ति के समय चर्च की बहुत सी सम्पत्ति राज्य ने

हस्तगत कर ली थी। क्रान्तिकारी लोग चर्च के विरोधी थे। जिस समय नैपोलियन फ्रांस का एकाधिकारी बना, तो उसने पोप और चर्च को संतुष्ट करने के लिये उनके साथ एक समझौता (कान्फ़डेंट) किया, जिससे चर्च राज्य के अधीन हो गया और पादरियों को वेतन देने की जिम्मेवारी सरकार ने अपने ऊपर ले ली। नैपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में अनेक बार क्रान्तियाँ हुईं; पर चर्च सम्बन्धी इस व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया।

रोमन कैथोलिक पादरी रिपब्लिक के सख्त विरोधी थे। वे खूब समझते थे, कि १८७६ में रिपब्लिकन लोगों की शक्ति जिस प्रकार स्थापित हुई है, उससे उन्हें भारी नुकसान पहुँचेगा। १८६४ में चर्च के मुखिया पोप पायस नवम ने स्पष्ट रूप से उद्घोषित किया था, कि धार्मिक सहिष्णुता, विश्वास की स्वतन्त्रता, लिखने, भाषण करने और प्रेस की स्वाधीनता और शिक्षा को चर्च के प्रभाव से हटाकर राज्य के अधीन करना—ये सब बातें बहुत अनुचित, नाशकारी तथा नुकसान पहुँचानेवाली हैं। न केवल पायस नवम, पर चर्च के सभी नेताओं का यही विश्वास था। दूसरी तरफ रिपब्लिकन लोग इन्हीं सब बातों के लिये संघर्ष कर रहे थे। इस दशा में दोनों में परस्पर विरोध होना सर्वथा स्वाभाविक था। चर्च से जो भी बन पाता था, रिपब्लिक को बदनाम करने के लिये करता था। पादरी लोग विद्यार्थियों के हृदयों में यह भाव भरने की कोशिश करते थे कि रिपब्लिक बहुत बुरी चीज है। रोमन कैथोलिक समाचार-पत्रों में रिपब्लिक के विरुद्ध आन्दोलन जारी रहता था। वे नई प्रवृत्तियों को नास्तिक तथा धर्म-विरुद्ध बताने में जरा भी संकोच न करते थे। पादरी लोग अपनी सम्पूर्ण शक्ति से राजसत्तावादी उम्मीदवारों की सहायता करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि रिपब्लिकन लोग चर्च तथा पादरियों के विरुद्ध हो गये। उन्होंने यह निश्चित रूप से समझ लिया कि पादरी लोग हमारे सबसे बड़े

शत्रु हैं। साम्प्रदायिक लोगों में सर्कीर्णता बहुत अधिक होती है, वे परिवर्तन व नवीनता को कभी पसन्द नहीं करते। दुनिया की सस्थाओं में धर्म व सम्प्रदाय सबसे अधिक सर्कीर्ण व अपरिवर्तनशील हैं। साथ ही, साम्प्रदायिक लोगों के विचार भी बड़ी कठिनता में परिवर्तित होते हैं। यही कारण है, कि जब फ्रान्स की सर्वसाधारण जनता नई प्रवृत्तियों से पूर्णतया आविष्ट हो गई थी, जब लोग एकतन्त्र शासन से हटकर लोकतन्त्र शासन के कायल हो गये थे, तब भी पादरी लोग पुराने जमाने को फिर से स्थापित करने की फिर से चेष्टा में थे।

चर्च और रिपब्लिकरों का यह सत्रप निरन्तर बढ़ता ही गया। चर्च के विरोधियों के सम्मुख मुख्य उद्देश्य दो थे—(१) शिक्षणालयों को चर्च के प्रभाव से मुक्त करना, ताकि फ्रान्स के बच्चों को पादरियों की शिक्षा खराब न कर दे। (२) चर्च को राज्य में पृथक् करना, ताकि पादरियों को वेतन देने की जो उत्तरदायिता राज्य पर थी, उसमें वह मुक्त हो जावे। इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिये रिपब्लिकर ने पहले ऐसे शिक्षणालयों की संख्या को बढ़ाना शुरू किया, जो कि चर्च के अधीन न होकर राज्य के अधीन थे। स्थान स्थान पर राजकीय शिक्षणालय खोले गये। १८८१-१८८६ में बहुत से ऐसे कानून पास किये गये, जिनसे कि राजकीय स्कूलों को प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा को मुफ्त कर दिया गया। यह निश्चित किया गया कि इन प्रारम्भिक स्कूलों में कोई पादरी अध्यापक नियत न किया जावे। अन्ततोगत्वा, यह भी पास किया गया कि ६ से लेकर १३ वर्ष तक के बालकों के लिये आवश्यक हो कि वे विद्यालयों में जाकर शिक्षा प्राप्त करें। गैर सरकारी शिक्षणालयों को राज्य के निरीक्षण में लाया गया। इन सब कानूनों का परिणाम यह हुआ कि शिक्षा से—विशेषतया प्रारम्भिक शिक्षा से चर्च का प्रभाव बहुत कुछ हट गया। विद्यार्थी चर्च के प्रभाव से मुक्त होने लगे और राजकीय शिक्षणालय निरन्तर अधिक-अधिक लोकप्रिय होते गये।

फ्रांस में अनेक ऐसी धार्मिक मस्थायें त्रियमान थीं, जो कि रिपब्लिक के सख्त विरोध में थीं। प्रथम राज्यक्रान्ति के समय इनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई थी, पर पीछे से ये मस्थायें दुबारा स्थापित की गई थीं और धीरे धीरे इन्होंने पर्याप्त सम्पत्ति एकत्रित कर ली थी। ये रिपब्लिक की ऋद्धि दुश्मन थीं और राजसत्ता को स्थापित करने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहती थीं। इनके भिक्षु और साधु धर्म से उतना सम्बन्ध न रखते, जितना कि राजनीति से। और इनकी राजनीति यही थी कि रिपब्लिक का विनाश किया जावे। ऐसी सस्थाओं में जेसुइट समाज और डोमिनिकन समाज प्रमुख थे। समय समय पर प्रतिनिधि सभा में यह विचार होता रहता था, कि इन समाजों को काबू में किया जाय। आखिर, सन् १६०० में प्रधान मन्त्री वाल्डेक रुसो ने 'एसोसियेशन विधान' पेश किया। इस विधान द्वारा यह व्यवस्था की गई कि कोई सस्था तब तक फ्रांस में कायम नहीं रह सकती, जब तक कि वह व्यवस्थापन विभाग से वात्सयदा इजाजत न ले ले और जिन सस्थाओं ने सरकार से अनुमति प्राप्त न की हो, उनका कोई सदस्य न फ्रांस में कोई शिक्षणालय स्वयं चला सके और न किसी शिक्षणालय में अध्यापन कर सके जिस समय यह विधान पास हुआ, तब विविध धार्मिक सस्थाओं के सदस्यों की कुल सस्था एक लाख साठ हजार थी और ये कुल मिलाकर तीस हजार संस्थाओं का सञ्चालन कर रहे थे। जब विविध सस्थाओं के प्रार्थनापत्र सरकार के सम्मुख पेश किये गये, तो उनमें से अधिकांश को अस्वीकृत कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि बहुत सी सस्थायें टूट गईं। दो साल के अन्दर अन्दर दस हजार नें अधिकांश धार्मिक विद्यालय बन्द हो गये। १६०४ में एक और कानून पास हुआ, जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गई, कि दस साल के अन्दर अन्दर सब धार्मिक मस्थायें शिक्षण का कार्य बन्द कर दें, और कोई धार्मिक विद्यालय शेष न बचे। इस कानून

का परिणाम यह हुआ, कि धार्मिक शिक्षणालयों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या निरन्तर कम होती गई और सन् १६१० में उनकी संख्या इतनी कम हो गई कि जहाँ सरकारी व अन्य सार्वजनिक शिक्षणालयों में ५० लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा पाते थे, वहाँ धार्मिक शिक्षणालयों में पढ़ने वालों की संख्या एक लाख से भी कम हो गई। इसके बाद यह संख्या निरन्तर घटती ही गई।

इस प्रकार चर्च के विरोधियों का पहला उद्देश्य पूर्ण हो गया। शिक्षा धर्म के प्रभाव से मुक्त हो गई। अब उनके सम्मुख अगला कार्य यह था कि चर्च को राज्य से सर्वथा पृथक् कर दिया जाये। नैपोलियन द्वारा सन् १८०१ में चर्च के साथ जो समझौता (कान्कडेंट) किया गया था, वही इस समय तक फ्रांस में चर्च और राज्य के पारस्परिक सम्बन्ध का आधार था। इसके अनुसार पादरियों का वेतन राज्य की तरफ से दिया जाता था। नैपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में अनेक बार राजनीतिक परिवर्तन हुए, पर यह समझौता कायम रहा। कारण यह कि फ्रांस के शासक समझते थे कि पादरियों को हम वेतन देते हैं, इसलिये वे हमारे कहने के अनुसार कार्य करेंगे। यह बात ठीक भी थी। १८वीं जुई, चार्ल्स दशम, जुई फिलिप और नैपोलियन तृतीय—सब चर्च तथा पादरियों को अपना प्रधान सहायक समझते रहे और इसमें भी संदेह नहीं, कि चर्च ने उनका साथ भी दिया। पर रिपब्लिक की स्थापना से स्थिति विलकुल बदल गई थी। चर्च की सहानुभूति राजसत्तावादी दल के साथ में थी। रिपब्लिक उन्हें विलकुल नापसन्द थी। इसलिये रिपब्लिकन दल यह कभी सहन न कर सकता था, कि अपने दुश्मनों को अपने आप वेतन देकर पाला जाय। इसके अतिरिक्त १६वीं और २०वीं सदी के इस सन्धि काल में जनता को धर्म से कोई विशेष स्नेह भी नहीं रह गया था। मध्यकाल में धर्म सबसे अधिक शक्ति रखता था, पर अब अधिकांश जनता उसकी जरा भी परवाह

न करती थी। उसे यह सर्वथा अनुचित प्रतीत होता था कि पादरियों जैसे अनावश्यक लोगों को राज्य की तरफ से वेतन दिया जाय और इस प्रकार सरकार की इतनी भारी रकम व्यर्थ में नष्ट हो। इस कारण चर्च को राज्य से पृथक कर देने के लिये आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और आखिरकार १९०५ में 'पृथक्करण विधान' पास हो गया। इस विधान के अनुसार (१) यह व्यवस्था की गई कि पादरियों की नियुक्ति राज्य की तरफ से न हो, और न ही राज्य पादरियों को वेतन दे। (२) पुराने पादरियों की पैन्शनों को जारी रखा गया (३) प्रत्येक ताल्लुके में ऐसे लोगों की प्रबन्धक कमेटियाँ स्थापित की गईं जो स्वयं पादरी न हों और उन कमेटियों को अपने ताल्लुके में विद्यमान मन्दिरों तथा पादरियों के निवासस्थानों के प्रबन्ध का कार्य सुपुर्द कर दिया गया। (४) मन्दिरों और पादरियों के निवासस्थानों के अतिरिक्त चर्च के पास जो अन्य जायदाद थी, उस सबको राज्य ने अपने अधिकार में कर लिया।

यह विधान पास तो हो गया, पर इसे क्रिया में परिणत कर सकना सुगम कार्य न था। चर्च इसका सख्त विरोधी था। पादरी लोग इसका प्रचण्ड रूप से विरोध कर रहे थे। न केवल फ्रांस के रोमन कैथोलिक लोग, पर पोप तथा उसकी सम्पूर्ण शक्ति इसके विरोध में कार्य कर रही थी। पोप पायस दशम ने उद्घोषित किया कि यह सम्पूर्ण विधान अनुचित तथा धर्मविरुद्ध है। परिणत यह हुआ, कि दो वर्ष तक निरन्तर फ्रांस में झगडे होते रहे। जगह जगह पर दंगे हुए। जब सरकार के आदमी कानून को क्रिया में परिणत करने के लिये चर्च में प्रवेश करते थे, तो पादरी तथा धर्म भक्त लोग उन पर हमले करते थे। आखिर, श्री० ब्रियाँ ने— जो उस समय फ्रांस के धर्म सचिव थे—१९०७ में रोमन कैथोलिक लोगों से समझौता करने के लिये एक नये कानून का प्रस्ताव किया। इसके अनुसार यह व्यवस्था की गई कि जिन ताल्लुकों में प्रबन्धक

कमेटियाँ न बनी हों, उनमें मन्दिरों तथा पादरियों के निवास-स्थानों का प्रबन्ध पादरी लोग स्वयं कर सकें। और साथ में यह भी उद्घोषित किया गया कि चर्च के मामलों में पादरी लोग पूर्णतया स्वतंत्र हों। पोप ने इस नये विधान का भी घोर विरोध किया। पर अब जमाना बदल चुका था। पोप के विरोध का कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। पादरी लोगों को श्री० त्रिया के प्रस्ताव को मानने के लिये विवश होना पड़ा। १६०५ और १६०७ के इन विधानों द्वारा फ्रांस में चर्च राज्य से सर्वथा पृथक् हो गया है। राज्य से चर्च को अब कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती। पादरियों के वेतन सरकार नहीं देती। शिक्षा पर अब चर्च का जरा भी प्रभाव नहीं रह गया है। पादरी लोग अब सरकारी कर से भी मुक्त नहीं रहे हैं, और चाधित मैनिफेस्टो के कानून में भी उन्हें अपवाद नहीं माना जाता। मध्यकाल में चर्च का जो भारी प्रभाव फ्रांस में विद्यमान था, इन विधानों से वह सर्वथा नष्ट हो गया है।

(४) फ्रेञ्च साम्राज्य का विस्तार

१७वीं और १८वीं सदियों में फ्रांस ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये विशेष रूप से प्रयत्न किया था। पर फ्रांस के इस प्रयत्न में उसका सबसे बड़ा विरोधी इङ्ग्लैंड था। फ्रांस और इङ्ग्लैंड का साम्राज्यवाद के क्षेत्र में पारस्परिक संघर्ष इन दो सदियों में निरन्तर जारी रहा। १८१५ में जब नैपोलियन परास्त हो गया, उस समय फ्रांस का साम्राज्य प्रायः क्षीण हो चुका था। भारत, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तट पर स्थित कुछ नगर तथा थोड़े से द्वीप ही फ्रांस के विनष्ट साम्राज्य का स्मरण दिलाते थे। १८३० में फ्रांस ने एक बार फिर अपने साम्राज्य का निर्माण प्रारम्भ किया। आज वह समय आ चुका है, जब कि फ्रेञ्च साम्राज्य सत्तार में दूसरा

स्थान रखता है। एक सदी से भी कम समय में फ्रांस किस प्रकार इतने विशाल साम्राज्य को बनाने में समर्थ हुआ, इस पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालना आवश्यक है।

उत्तरीय अफ्रीका में एक राज्य है, जिसका नाम है अल्जीरिया। १८३० में एक सावंजनिक स्वागत के अवसर पर वहाँ के शासक ने फ्रेञ्च राजदूत को एक थप्पड़ मार दिया। फ्रांस का यह घोर अपमान था। फ्रेञ्च सरकार ने अल्जीरिया के शासक से इसका जवाब माँगा और अपने राष्ट्रीय अपमान का प्रतिशोध करने के लिये अनेक शतें पेश कीं। अल्जीरिया के राजा ने इन्हें स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। परिणाम यह हुआ, कि फ्रांस ने उस पर आक्रमण किया और अनेक युद्धों के अनन्तर उसे अपने अधीन कर लिया। तब से लेकर अल्जीरिया फ्रांस के अधीन है। अफ्रीका में फ्रेञ्च साम्राज्य का सूत्रपात इसी समय से प्रारम्भ हुआ। अल्जीरिया का राज्य फ्रांस के लगभग बराबर है। वहाँ की आबादी ५० लाख से कुछ ऊपर है। अल्जीरिया के पूर्व में एक और प्रदेश है, जिसे ट्यूनिस कहते हैं। वहाँ के निवासी नस्ल और धर्म में अल्जीरियन लोगों से मिलते जुलते हैं। अल्जीरिया की सरहद पर प्रायः लड़ाई भगड़े और दंगे होते रहते थे। फ्रेञ्च सरकार ने उद्घोषित किया कि ये दंगे ट्यूनिस द्वारा उठसाये जाते हैं और इनके लिये ट्यूनिस उत्तरदायी है। इसी आधार पर १८८१ में फ्रेञ्च सेनाओं ने ट्यूनिस पर आक्रमण किया और थोड़ी बहुत लड़ाई के अनन्तर उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तब से ट्यूनिस भी फ्रांस के अधीन है।

इस प्रकार जब कि फ्रेञ्च लोग उत्तरीय अफ्रीका के इन प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे थे, उसी समय पश्चिमीय अफ्रीका में भी एक भिन्न प्रक्रिया द्वारा फ्रेञ्च शासन कायम हो रहा था। अफ्रीका के पश्चिमीय तट पर एक प्रदेश है, जिसका नाम है सेने-

गल। १६३७ से यह प्रदेश फ्रांस के अधिकार में था। पर यह आधिपत्य केवल नाम को ही था और यहाँ अथवा आस पास के प्रदेशों पर अपना असली कब्जा कायम करने का प्रयत्न फ्रेंच लोगों ने नहीं किया था। १८३० में जब अल्जीरिया अधीन हो गया, तो फ्रेंच लोगों को यह खयाल आया, कि सेनेगल और अल्जीरिया को परस्पर मिलाकर यदि बीच के सम्पूर्ण प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया जाय, तो निस्सन्देह यह एक शानदार साम्राज्य बन जायगा। इसी बात को दृष्टि में रखकर १९सदी के उत्तरार्ध में कोशिश शुरू की गई और १८६४ में तिमबुकटू नामक प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया गया।

सेनू नदी (जो मध्य अफ्रीका के पश्चिमीय भाग में बहती है) के मुहाने पर एक छोटे से प्रदेश को फ्रेंच सरकार ने १८३६ में क़य कर लिया। इसे अपना आधार बनाकर दु शैर्यु और द ब्रज्जा नामक साहसी पुरुषों ने अफ्रीका के आभ्यन्तर प्रदेशों में प्रवेश करना प्रारम्भ किया। ये प्रदेश उस समय सघन जङ्गलों द्वारा आवृत थे और इनमें प्रायः जङ्गली जातियाँ निवास करती थीं। फ्रेंच लोगों ने इन दो वीर साहसी पुरुषों के नेतृत्व में इन प्रदेशों में बहुत दूर तक प्रवेश किया और मूल निवासियों से युद्ध कर सुविस्तृत प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। यह विशाल प्रदेश फ्रेंच कोङ्गो के नाम से प्रसिद्ध है। इसका विस्तार फ्रांस की अपेक्षा दुगुना है। इसी समय फ्रांस ने सेनेगल के दक्षिण में कुछ अन्य प्रदेशों पर भी अपना अधिकार कायम किया। ये प्रदेश वर्तमान समय में फ्रेंच गायना तथा इबोरी कोस्ट (हाथीदाँतों का किनारा) के नाम से प्रसिद्ध हैं। अफ्रीका के पूर्वीय तट पर अपना साम्राज्य विस्तृत करने के लिये फ्रेंच लोगों ने विशेष प्रयत्न नहीं किया। परन्तु १८६२ में ओथोक नामक स्थान वहाँ के पुराने राजा से क़य कर लिया गया

और यहाँ से फ़ोश्च अधीनता में विद्यमान एक अच्छे बड़े प्रदेश का सूत्रपात हुआ। यह प्रदेश फ़ोश्च सोमालीलैंड के नाम से प्रसिद्ध है और इसका विस्तार ६००० वर्गमील है।

अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट के समीप ही मैडेगास्कर नाम का एक सुविशाल द्वीप है। फ्रांस के अनेक पादरियों तथा व्यापारियों ने इसमें आना जाना प्रारम्भ किया। उनके बहुत से घर भी वहाँ बस गये। मैडेगास्कर में बसे हुए कुछ फ़ोश्च नागरिक वहाँ के लोगों द्वारा मार दिये गये, इस बात को निमित्त बनाकर फ़ोश्च सेनाओं ने इस द्वीप पर आक्रमण किया। १८८२ से १८८५ तक वहाँ लड़ाई जारी रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि मैडेगास्कर फ़ोश्च लोगों की सराज में आ गया। पर फ़ोश्च-सरकार इतने से ही सतुष्ट नहीं रह सकती थी। वह इस द्वीप को पूर्णतया अपने अधीन करना चाहती थी। मैडेगास्कर की शासिका रानी रानावलोना तृतीय पर यह दोष लगाया गया, कि उसने फ़ोश्च सरकार से धोखा किया है और वह लूटमार को रन्द कर सकने में असमर्थ है। इस निमित्त से १८९५ में मैडेगास्कर से फिर लड़ाई छेड़ दी गई और रानी को बहिष्कृत कर उस सुविशाल द्वीप को अपने अधीन कर लिया गया। तब से मैडेगास्कर फ्रांस के अधीन है।

इस काल में विविध यूरोपियन देशों के अनेक लोग अफ्रीका के विविध प्रदेशों का आलोडन कर रहे थे। यूरोपियन लोगों ने इस विशाल महाद्वीप में प्रथम बार प्रवेश किया था। जिस स्थान पर कोई यूरोपियन पहुँच जाता था, अपने देश का राष्ट्रीय झण्डा गाड़कर उसे अपने देश की अधीनता में ले आता था। अफ्रीका के बहुत से प्रदेश तो गैर आबाद पड़े थे, और जहाँ मूल जातियाँ निवास करती थीं, वे यूरोपियन लोगों की वारुद का मुकाबला कर, सबने में सर्वथा असमर्थ थीं। १८६८ में मारशाँ नाम का फ़ोश्च व्यक्ति पश्चिम की तरफ से

सहाय के मदस्थल को पार कर सूडान पहुँचने में समर्थ हुआ और वहाँ फेशोडा नामक स्थान पर उसने फ्रेञ्च झंडा फहरा दिया। इंगलिश लोग भी उत्तर की तरफ से इस प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे और इस पर अपना कब्जा समझते थे। इंगलिश सैनिकों ने मार्शा को बाधित किया कि फ्रेञ्च झंडा नीचे उतार दे। फ्रांस ने समझा, यह हमारा राष्ट्रीय अपमान है। कुछ समय के लिये ऐसा प्रतीत होने लगा कि दोनों देशों में युद्ध छिड़े बिना न रहेगा। पर आखिरकार, उनमें समझौता हो गया और फ्रेञ्च तथा इंगलिश प्रदेशों की सीमा आपस की बातचीत द्वारा तय कर ली गई। इंग्लैंड तथा फ्रांस में इस समय जो समझौता हुआ, उसमें यह तय हुआ कि इजिप्ट और सूडान में फ्रांस अपना दावा छोड़ दे और मारका (जो अल्जोरिया के पश्चिम में स्थित है) में इंगलिश लोग हस्तक्षेप न करें, उसमें फ्रांस की अपनी मनमानी करने का पूरा हक हो। यह समझौता फ्रांस के लिये बहुत हितकर सिद्ध हुआ। उत्तर पश्चिमीय अफ्रीका में अपना एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित करने के लिये उसका मार्ग अब एकदम साफ हो गया। मोझो से लेकर अल्जोरिया तक उसका अबाधित शासन कायम हो गया। फ्रांस का यह साम्राज्य कितना विस्तृत तथा विशाल था, इसका अनुमान इस बात से किया जा सकता है, कि इसका विस्तार फ्रांस की अपेक्षा आठ गुना था, यद्यपि इसकी आबादी एक तिहाई के लगभग थी। फ्रेञ्च लोगों को उपनिवेश बनाने के लिये यह एक अद्वितीय अवसर था।

केवल अफ्रीका में ही नहीं, एशिया में भी फ्रेञ्च लोग अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे थे। फ्रेञ्च पादरी और व्यापारी बहुत समय से अपने देश के आधिपत्य को स्थापित करने के लिये मैदान तैयार कर रहे थे। १८५० में अनाम में कुछ फ्रेञ्च लोग मारे गये। इसको निमित्त बनाकर १८५७ में नेपालियन वृत्तीय ने अनाम के

विरुद्ध युद्ध उद्घोषित कर दिया और वहाँ के राजा को विध्वंस किया कि अपने राज्य का कुछ प्रदेश फ्रांस के सुपर्द कर दे और हरजाने के तौर पर एक भारी रकम अदा करे। इस प्रकार अनाम में फ्रांस का प्रवेश हो गया और वहाँ वेग के साथ फ्रेञ्च आधिपत्य का विस्तार होने लगा। १८६४ में कम्बोडिया फ्रांस के सरक्षण में आ गया। १८६७ में कोचीन चायना पर फ्रांस का अधिकार स्थापित हो गया। १८७३ में फ्रेञ्च लोगों ने टोन्किन की लाल नदी में नौकानगन के अधिकार प्राप्त करने चाहे, इस प्रश्न पर वहाँ के राजा से लड़ाई छिड़ गई। परिणाम यह हुआ कि टोन्किन फ्रेञ्च लोगों के अधीन हो गया। टोन्किन अनाम का एक सूना था। उस पर कब्जा कर लेने पर अनाम ने फ्रेञ्च लोगों से युद्ध छेड़ दिया। इसी युद्ध के सिलसिले में १८८४ में सम्पूर्ण अनाम पर फ्रेञ्च आधिपत्य स्थापित हो गया और कोचीन चायना तथा अनाम के प्रदेशों को मिला कर इन्डो चायना नाम से फ्रेञ्च आधीनता में नवीन राज्य की सृष्टि हुई। १८०७ में सियाम के भी कुछ हिस्सा पर फ्रांस अपना आधिपत्य स्थापित करने में समर्थ हुआ। इस प्रकार दक्षिण पूर्वी एशिया के अच्छे उड़े भाग पर फ्रांस का शासन कायम हो गया।

१९१४-१९१८ के महायुद्ध में जर्मनी के परास्त हो जाने पर उसके अफ्रीकन प्रदेशों के अनेक भागों पर फ्रांस का कब्जा हो गया है। १९२३ में फ्रांस का साम्राज्य इतना विशाल हो चुका था कि उसके अधीन प्रदेशों का विस्तार फ्रांस की अपेक्षा २० गुना था। इस सुविस्तृत साम्राज्य ने फ्रांस के निदेशी व्यापार को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। १७८६ में फ्रांस का अपने उपनिवेशों के साथ वार्षिक व्यापार २१ करोड़ रुपये का था, १९२४ में वही बढ़ कर एक अरब बीस करोड़ हो गया था और १९२४ में उसकी मात्रा एक अरब अस्सी करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी। फ्रेञ्च पूँजीपतियों ने करोड़ों रुपये अपने

उपनिवेशों तथा अधीनस्थ राज्यों में विविध व्यवसाय म लगा दिये हैं। इनसे सूद तथा मुनाफे की शकल में कराच रुपया प्रतिवष प्राप्त पहुँचता है। फ्रांस की सम्पूर्ण जनता अपने इस सफल साम्राज्य से अत्यन्त खुश है। रोमन कैथोलिक लोगों को अपने धर्म प्रचार का सुवर्णाक्षर मिल गया है। पूँजापति अपनी पूँजी क लिये नया क्षेत्र पाकर अत्यधिक प्रसन्न है। राष्ट्रीय देशभक्त लोग इस अवशाल साम्राज्य में अपना राष्ट्रीय गौरव अनुभव करते हैं। फ्रेञ्च क्ले को दुनिया क प्रत्येक भाग में पहराता देख कर उनके आनन्द की कोई सीमा नहीं रहती। रिपब्लिकन तथा साम्यवादी लोग सिद्धान्ततः साम्राज्यवाद क कितने ही विरोध में क्या न हों, पर पिछड़ी हुई जातिया को अपनी उत्कृष्ट सभ्यता का सन्देश पहुँचाने क वहाने से व भी अपना आत्मा को सतुष्ट कर लेते हैं। वर्तमान समय में फ्रांस का यह साम्राज्य खूब फल फूल रहा है। फ्रेञ्च लोगों ने इन प्रदेशों में रेल, तार आदि का बहुत विस्तार किया है। नई उपजाऊ जमीनों में वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करने से कृषि असाधारण उन्नति कर रही है, और फ्रेञ्च व्यवसायपतिया का अपने माल के लिये बड़े बटिया बाजार प्राप्त हो रहे हैं। इस समय फ्रेञ्च साम्राज्य उन्नति पथ पर भली भाँति आरूढ़ है।

(५) रिपब्लिक का शासन-विधान और राजनीतिक दल

सन् १८७१ में फ्रांस में जो रिपब्लिक स्थापित हुई थी, वह अब तक कायम है। उस समय देश क लिये जो शासन विधान बना था, वही अब तक भी प्रियमान हैं। उसमें कुछ परिवर्तन तो हुए हैं, पर दाचा प्राय वही है। अतः उस पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है।

फ्रांस का शासन विधान संयुक्तराज्य अमेरिका की तरह रिपब्लिकन है, पर उसमें ग्रेट ब्रिटेन की तरह पार्लियामैण्ट का शासन

स्थापित है। राज्य की सम्पूर्ण शासन-शक्ति पार्लियामेंट में निहित है। पार्लियामेंट में दो सभायें हैं—सीनेट और प्रतिनिधिसभा। ये सभायें ही कानून बनाती हैं। कानूनों को क्रिया में परिणत कर दे, इसका निश्चय करती हैं। शासक वर्ग इनके प्रति उत्तरदायी होता है। मूल शासन विधान में परिवर्तन करने का अधिकार भी इन दोनों सभाओं को ही है। फ्रांस में शासन, व्यवस्थापन और न्याय—ये तीनों शक्तियाँ अमेरिका के शासन की भाँति एक दूसरे से सर्वथा पृथक् नहीं हैं।

राष्ट्रपति का निर्वाचन सात वर्ष के लिये होता है। उसे चुनने के लिये सीनेट और प्रतिनिधिसभा दोनों की सम्मिलित बैठक होती है। इस सम्मिलित सभा को ही 'राष्ट्र प्रतिनिधिसभा' के नाम से कहा जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिये राष्ट्र प्रतिनिधिसभा की बैठक पेरिस के स्थान पर वसाँव्य में होती है। फ्रांस में राष्ट्रपति का निर्वाचन कोई बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं। जिस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये भारी आन्दोलन होते हैं, विविध दलों की तरफ से उम्मीदवार रखे किये जाते हैं और उनके लिये वोट प्राप्त करने की देश भर में कोशिश की जाती है, वैसा फ्रांस में नहीं होता। पुराने राजनशा के व्यक्ति राष्ट्रपति के लिये उम्मीदवार नहा हो सकते। फ्राँच लोगों को डर है, कि कहीं फिर राजसत्ता की स्थापना न हो जावे। कानून ठीक प्रकार से क्रिया में परिणत किये जा रहे हैं या नहीं, इसका खयाल रखना राष्ट्रपति का कार्य है। वह अनेक राजकर्मचारियों को नियत करता है। विदेशी राजदूतों से बातचीत करना, पार्लियामेंट की सहमति से सन्धियाँ व अन्य समझौते करना उसका कार्य है। वह जल तथा स्थल सेनाओं का बराय नाम मुखिया भी समझा जाता है। क्षमा प्रदान करने का भी उसे अधिकार है। फ्रांस के राष्ट्रपति के विषय में कहा जाता है, कि न तो

वह अमेरिकन राष्ट्रपति के समान शासन का वास्तविक मुखिया है और न ही इङ्गलैण्ड के राजा के समान उसकी शान ही है। वह जहाँ भी हस्ताक्षर करे, वहाँ उसके साथ उस विभाग के मन्त्री के हस्ताक्षरों का होना भी आवश्यक है। इससे उसके हस्ताक्षरों का कोई विशेष महत्त्व नहीं रह जाता। पार्लियामैन्ट को बर्खास्त कर नये निर्वाचन का हुकम देने का उसे अधिकार तो है, पर १८७७ के बाद कभी इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया। फ्रांस में कोई उप राष्ट्रपति नहीं होता। यदि राष्ट्रपति, त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जावे, तो राष्ट्रप्रतिनिधिसभा नये राष्ट्रपति का निर्वाचन कर देती है।

फ्रांस में वास्तविक शासन-शक्ति मन्त्रिमण्डल के हाथ में होती है। इङ्गलैण्ड के मन्त्रिमण्डल की तरह फ्रांस का मन्त्रिमण्डल भी वास्तविक रूप से शासन का संचालन करता है। राष्ट्रपति तो इङ्गलिश राजा की तरह केवल नाम को ही होता है। उसका शासन में कोई विशेष कार्य नहीं होता। मन्त्रिमण्डल ही नीति का निश्चय करता है, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मामलों का फैसला करता है, कानून प्रस्तावित करता है, राजपदाधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करता है, सन्धि विग्रह का प्रयोग करता है, कानूनों को क्रिया में परिणत करता है, और जल तथा स्थल सेनाओं का नियन्त्रण वा सञ्चालन करता है। प्रतिनिधिसभा के किसी ऐसे प्रभावशाली सदस्य को, जो सदस्यों की बहुसंख्या को अपने साथ रखने में समर्थ हो, राष्ट्रप्रति प्रधानमन्त्री के पद पर नियत करता है और फिर प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल के श्रेष्ठ सदस्यों का निश्चय स्वयं करता है। इसके बाद प्रधानमन्त्री ही यह निश्चय करता है, कि वह स्वयं तथा मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्य किस किस राजकीय विभाग का सञ्चालन करें। यह आवश्यक नहीं, कि सब मन्त्री प्रतिनिधिसभा के ही सदस्य हों, वे सीनेट के सदस्य भी हो सकते हैं। पर उन्हें यह अधिकार होता है कि वे पार्लियामैन्ट की दोनों सभाओं में

से किसी के भी अधिवेशन में उपस्थित हो सक तथा भाषण कर सकें। परन्तु वोट देने का अधिकार उन्हें उसी सभा में होता है, जिस के वे स्वयं सदस्य हों। यदि प्रतिनिधिसभा में किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर मन्त्रिमण्डल परास्त हो जावे, तो सब मन्त्री एक साथ त्यागपत्र दे देते हैं। फ्रांस की पार्लियामेण्ट में बहुत से छोटे छोटे दल हैं। इसका परिणाम यह है, कि मन्त्रिमण्डल बहुधा बदलते रहते हैं। १८७३ से १९१४ तक ग्रेट ब्रिटेन में कुल मिलाकर ११ मन्त्रिमण्डल ने शासन किया। पर इसी काल में फ्रांस में ५० मन्त्रिमण्डल आये और गये। पार्लियामेण्ट में बहुत से छोटे छोटे दलों का यह परिणाम होता है, कि जिन दलों को साथ में लेकर मन्त्रिमण्डल अपना कार्य कर रहा होता है, यदि उनमें से एक दो भी सरकार की नाति से असंतुष्ट हो जावें, तो कार्य चल सनना असम्भव हो जाता है। वे विरोधी दल में मिल जाते हैं और मन्त्रिमण्डल फेल हो जाता है।

पार्लियामेण्ट में दो सभायें होती हैं—सीनेट और प्रतिनिधिसभा। सीनेट में कुल मिलाकर ३०० सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य ९ साल के लिये चुना जाता है। ऐसी व्यवस्था की गई है, जिससे १०० सदस्य प्रति तीसरे वर्ष बदल जावें। इसका परिणाम यह है कि सीनेट में नवीन विचारों के लोग लगातार आते रहते हैं। यद्यपि सीनेट के सदस्य ९ वर्ष के लिये चुने जाते हैं, पर प्रति तीन वर्ष में सीनेट का स्वरूप बदलता रहता है। प्रतिनिधिसभा के सदस्यों की संख्या ५८४ है। ये ४ वर्ष के लिये चुने जाते हैं। पुरुषमात्र को प्रतिनिधिसभा के लिये वोट देने का अधिकार प्राप्त है। स्त्रियों को यह अधिकार इसलिये नहीं दिया गया, क्योंकि रिपब्लिकन लोग समझते थे कि स्त्रियों में धार्मिक भावना अधिक होती है और इस कारण उन को पादरी लोग सुगमता से अपने पजे में फसा सकते हैं। नवीन प्रस्ताव व मसविदे किसी भी सभा में पेश किये जा सकते हैं, पर उन्हें स्वीकृत तभी समझा जाता

है, जब वे दोनों सभाओं में पास हो जावें। अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव व मसविदा के विषय में यह व्यवस्था है, कि वे पहले प्रतिनिधिसभा में ही पेश हों, सीनेट में नहीं। सीनेट और प्रतिनिधिसभा दोनों के सदस्यों को ६००० रुपया वार्षिक वेतन मिलता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा शासन विधान में परिवर्तन करने के लिये दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक होती है। उस अवस्था में उसे राष्ट्र प्रतिनिधिसभा कहते हैं। शासन विधान में परिवर्तन करना फ्रांस में बहुत जटिल कार्य नहीं है। फ़्रेंच लोगों ने अपना शासन विधान अमेरिका की तरह अत्यन्त अपरिवर्तनीय नहीं बनाया है।

फ्रांस के शासन में राजनीतिक दलों का बहुत महत्त्व है, अतः इन पर भी सन्निह रूप से प्रकाश डालना उपयोगी होगा। ग्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिका की तरह फ्रांस में दो व तीन सुसंगठित तथा शक्तिशाली राजनीतिक दल नहीं हैं। वहाँ दलों की संख्या बहुत अधिक है। १८७६ के बाद भी फ्रांस में राजसत्तावादी दलों का सर्वथा लोप नहीं हो गया। अब तक भी प्रतिनिधिसभा में अनेक सदस्य इस प्रकार के चुने जाते हैं, जो रिपब्लिक का अन्त कर वीनापार्टी, बोवों या ओर्लियन वंशों में से किसी एक को राजगद्दी पर बिठाने में ही देश का कल्याण समझते हैं। १९२४ के निर्वाचन में इनकी संख्या ११ थी। इससे पूर्व ये इससे भी बहुत अधिक संख्या में रह चुके थे। इन राजसत्तावादियों के अतिरिक्त अन्य सब सदस्य रिपब्लिक के पक्षपाती हैं। इस बात पर सहमत होते हुए भी कि फ्रांस में रिपब्लिक रहनी चाहिये, अन्य प्रश्नों पर उनमें गहरे मतभेद हैं। कुछ लोग वर्तमान समाज संगठन से सतुष्ट हैं, पर अनेक दल ऐसे हैं, जो समाज की रचना सर्वथा नवीन सिद्धान्तों के अनुसार करना चाहते हैं। फ्रांस के रिपब्लिकन लोग मुख्यतया दो भागों में विभक्त किये जा सकते हैं—

सामान्य रिपब्लिकन दल और साम्यवादी दल। हम पहले साम्यवादी दल पर प्रकाश डालेंगे।

१८४८ की राज्यक्रान्ति के समय साम्यवादी दल बहुत प्रबल था। कुछ समय के लिये उसे अपने विचारों तथा स्क्रीमों को क्रिया में परिणत करने का भी अपूर्व अवसर उपलब्ध हो गया था। किस प्रकार ये साम्यवादी योजनाएँ असफल हुईं, इस पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। १८७१ में रिपब्लिक की पुनः स्थापना के अनन्तर साम्यवादी दल फिर प्रबल होने लगा। १८७६ में मार्सेय में साम्यवादी लोगों की कांग्रेस बड़ी धूमधाम से हुई। साम्यवादी दल का कार्यक्रम निश्चित किया गया और कुछ समय बाद ही पेरिस में मजदूरों की एक विशाल सभा संगठित की गई। इसमें कार्लमार्क्स के सिद्धान्तों को फ्रेञ्च साम्यवाद का आधार स्वीकृत किया गया। साम्यवाद का क्या उद्देश्य है, इस विषय पर तो सब लोग सहमत थे, पर उन्हें पूर्ण करने के लिये किन उपायों का अवलम्बन किया जावे, इस पर उनमें बहुत मतभेद थे। मुख्यतया फ्रेञ्च साम्यवादों दो भागों में विभक्त रहे हैं—(१) मार्क्स के अनुयायी—इनकी सम्मति में मजदूरों और किसानों को अपनी हुकूमत स्थापित करने के लिये एक श्रौत क्रान्ति की आवश्यकता होगी, जिस प्रकार पिछली क्रान्तियों से राजशक्ति कुलीन भेणियों के हाथ से निकलकर मध्यश्रेणी के पास चली आई, उसी प्रकार अगली क्रान्ति में वास्तविक शासन शक्ति मजदूरों के हाथ में आ जायगी। (२) नरम साम्यवादी—ये लोग समझते हैं, कि साम्यवादी सिद्धान्तों को क्रिया में परिणत करने के लिये किसी अन्य क्रान्ति की आवश्यकता नहीं है। राध्य धीरे-धीरे एक एक करके सम्पूर्ण व्यवसायों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। साम्यवादियों को अपना कार्यक्रम पूर्ण करने के लिये वैध उपायों तथा कानून की सहायता लेनी चाहिये। यद्यपि साम्यवादियों के ये दो मुख्य सम्प्रदाय हैं, पर इनके अन्दर फिर

अनेक भेद और उपभेद हैं, और इसी कारण साम्यवादियों के कमी ६ और कमी ७ दल प्रतिनिधि सभा में रहते हैं।

१८६३ में जब प्रतिनिधि सभा का निर्वाचन हुआ, तो साम्यवादी दलों ने अपने उम्मीदवारों के लिये भारी कोशिश की। उन्हें मफलता भी प्राप्त हुई और ५० के लगभग साम्यवादी सदस्य निर्वाचित हो गये। इसके बाद फ्रेंच पार्लियामेंट में साम्यवादियों की शक्ति निरन्तर बढ़ती गई, यहाँ तक कि १८६६ में प्रधानमन्त्री वाल्डेक रुसो को मिलेरा नाम के साम्यवादी नेता को अपने मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित करने के लिये विवश होना पड़ा। साम्यवादियों के पास प्रतिनिधि सभा के इतने काफी वोट थे, कि सरकार उनकी सहायता के बिना कार्य नहीं चला सकती थी। १६०५ के निर्वाचन में सब साम्यवादी दलों ने मिलकर कार्य किया और 'सम्मिलित साम्यवादी दल' नाम से एक नये दल की रचना की गई। यह दल अपने १०२ सदस्यों को निर्वाचित कराने में समर्थ हुआ। १६२४ के निर्वाचन में साम्यवादी दलों के सदस्यों की संख्या २५७ हो गई। इनमें से मार्क्स के अनुयायी या गरम साम्यवादी १२७ थे और नरम साम्यवादी १३०। साम्यवादी दलों की यह उन्नति वस्तुतः आश्चर्यजनक है। अब तक फ्रांस में अनेक ऐसे मन्त्रिमण्डल शासन कर चुके हैं, जिनके अधिकांश सदस्य साम्यवादी दल के थे।

रिपब्लिकन लोगो में (जो साम्यवादी नहीं हैं) मुख्यतया तीन दल हैं—(१) वे लोग जो रोमन कैथोलिक चर्च के विरोधी नहीं हैं, वे उन कानूनों के विरुद्ध हैं, जो चर्च के खिलाफ पास किये गये हैं। (२) उन्नतिशील रिपब्लिकन दल के सदस्य प्रायः कुलीन, अमीर और उच्च मध्य श्रेणी के लोग हैं, वे सामाजिक सुधारों के सम्बन्ध में बहुत तेजी से कार्य नहीं करना चाहते। इनका खयाल यह है, कि परिवर्तन धीरे-धीरे होने चाहिये (३) राष्ट्रीय रिपब्लिकन दल—इसके सदस्यों के

मत में रिपब्लिक की सुरक्षितता का प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और ये लोग उन्नतिशील रिपब्लिकन दल की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से परिवर्तनों के पक्षपाती हैं।

इन विविध प्रमुख दलों में भी कई छोटे छोटे अन्य दल हैं, जो किसी प्रभावशाली व्यक्ति के नेतृत्व में अपनी पृथक् सत्ता रखते हैं। परिणाम यह होता है, कि इन छोटे छोटे विभागों के कारण फ्रांस में राजनीतिक दलों का संगठन बहुधा बदलता रहता है और उसी के कारण मन्त्रिमण्डल में भी जल्दी जल्दी परिवर्तन होते रहते हैं।

गत विश्वसंग्राम (१९३९-४५) के समय से फ्रांस की राजनीति में बहुत परिवर्तन आ गया है। कुछ समय के लिये तो फ्रांस से रिपब्लिकन शासन का ही अन्त हो गया था, और विश्वसंग्राम की समाप्ति पर वहाँ चतुर्थ रिपब्लिक के रूप में फिर से लोकतन्त्र शासन का पुनरुद्धार किया गया। इस पर हम यथास्थान प्रकाश डालेंगे।

तीसवाँ अध्याय

जर्मन साम्राज्य की प्रगति

(१) जर्मन साम्राज्य का शासन-विधान

यह पहले प्रदर्शित किया जा चुका है, कि फ्रेंको प्रशियन युद्ध की समाप्ति पर सन् १८७१ में प्राडेन, बवेरिया, हैस्से और बुर्टम्बुर्ग—ये चारों दक्षिणीय जर्मन राज्य भी उत्तरीय जर्मन राज्यों में सम्मिलित हो गये और इस प्रकार जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई। जर्मनी के अगले इतिहास को मला भाँति समझने के लिये आवश्यक है, कि जर्मन साम्राज्य के शासन विधान पर सन्नेप के साथ प्रकाश डाला जाये। परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये, कि इस जर्मन साम्राज्य में प्रशिया सभसे प्रधान राज्य था। १६१४ में जर्मनी की कुल आयर्दी ६ करोड़ ७० लाख थी। इनमें से ४ करोड़ से अधिक आदमी प्रशिया में बसते थे। इसी प्रकार जर्मनी का दो तिहाई के लगभग प्रदेश प्रशिया के अन्तर्गत था। इसलिये स्वाभाविक रूप से जर्मन साम्राज्य में प्रशिया का बहुत महत्त्व था। प्रशिया जो कुछ चाहता था, वही जर्मनी करता था। अतः जर्मन साम्राज्य के शासन विधान पर प्रकाश डालने से पूर्व यह आवश्यक है कि प्रशिया के शासन विधान का उल्लेख किया जाये।

प्रशिया का शासन विधान—पार्लियामैट—प्रशिया की पार्लियामैट (Landtag) दो सभाओं द्वारा बनी हुई थी। कुलीनों की

सभा (Herrenhaus) और प्रतिनिधि सभा (Abgeordnetenhaus) । कुलीनों की सभा में ३०० सदस्य होते थे । इसमें राजपरिवार के प्रमुख व्यक्ति, पुराने राजवंशों के मुख्य पुरुष, बड़े बड़े जमींदार और कुलीन लोग वश क्रमानुगत रूप से सदस्य समझे जाते थे । साथ में कुछ सदस्यों को राजा मनोनीत करता था, पर वे मंत्र भी उच्च कुलीन घरानों के महानुभाव ही होते थे । इस कुलीनों की सभा में नवीन विचारों, नई प्रवृत्तियों और क्रान्ति तथा सुधार की भावनाओं की छाया भी नहीं पड़ सकती थी । यह पुराने जमाने की सभा थी, जो नये युग के प्रभाव से सर्वथा प्रथक् थी । प्रतिनिधि सभा में ४४३ सदस्य होते थे । इनके निर्वाचन का ढंग बड़ा अद्भुत होता था । २५ साल से अधिक आयु के प्रत्येक पुरुष को वोट का अधिकार प्राप्त था । इतने विस्तृत मतधिकार का परिणाम तो यह होना चाहिये था, कि प्रतिनिधिसभा में जनता के वास्तविक प्रतिनिधि निर्वाचित हो सकें । पर चुनाव के विशेष ढंग से यह बात सर्वथा असम्भव हो गई थी । प्रत्येक निर्वाचन मण्डल में मतदाताओं को तीन भागों में बाँटा जाता था । (१) वे लोग जो सबसे अधिक टैक्स राज्य को देते हों, और जिनके टैक्स कुल मिलाकर उस प्रदेश से वसूल होने वाले कुल टैक्स के एक तिहाई के बराबर हों । ऐसे लोग ३ फीसदी से अधिक न होते थे । (२) वे लोग जो मध्यम श्रेणी के ग्रामीर हों, और जो कुल टैक्स का एक तिहाई देते हों । ऐसे लोगों का संख्या प्रायः २० फीसदी के लगभग होती थी । (३) सर्वसाधारण जनता, जो सारी मिलकर शेष तिहाई टैक्स राज्य को देती हो । शेष ८७ फीसदी लोग इस विभाग में होते थे । प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुनने के लिये प्रत्येक निर्वाचन मण्डल में एक निर्वाचक सभा चुनी जाती थी, जिसके लिये इन तीनों विभागों में से प्रत्येक एक तिहाई सदस्य चुनता था । इस प्रकार निर्वाचक सभा में दो तिहाई सदस्य उन ग्रामीर लोगों

द्वारा चुने जाते थे, जिनकी संख्या १३ फीसदी से अधिक न थी। किसी निर्वाचन-मण्डल में कोई एक व्यक्ति इतना अमीर हो सकता था, जो अकेला $\frac{1}{2}$ टैक्स सरकार को प्रदान करता हो, और इस प्रकार उस मण्डल की निर्वाचक सभा में $\frac{1}{2}$ सदस्य चुनने का अधिकार उस अकेले व्यक्ति को होता था। इस व्यवस्था का परिणाम यह था, कि प्रतिनिधि सभा में अमीर लोगों के ही प्रतिनिधि सदस्य बन सकते थे। यही नहीं निर्वाचन के समय प्रत्येक वोटर को मुद्र से बोल कर अपना वोट देना पड़ता था। गुप्त पत्रा (बैलट) का तरीका प्रशिया में प्रयुक्त नहीं, किया जाता था। इस कारण लोग अपना वोट स्वतन्त्रता के साथ नहीं दे सकते थे। उन्हें अपने जमींदार या सरकारी अपसर का हमेशा खयाल रखना पड़ता था। सरकार की तरफ से निर्वाचन में खुले तरीके से हस्तक्षेप किया जाता था। सर्वसाधारण जनता को वोट का अधिकार प्राप्त होने पर भी उनके उम्मीदवारों को निर्वाचित होने का कोई अवसर न था। इससे स्पष्ट है, कि प्रशियन पार्लियामेंट की दूसरी सभा में भी सर्वसाधारण जनता या लोकसत्तावाद की प्रवृत्तियों को कोई स्थान प्राप्त न था। प्रतिनिधि सभा पर भी कुलीन तथा अमीर लोगों का इतना भारी कब्जा था कि सर्वसाधारण जनता की आवाज वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी।

राजा के अधिकार—प्रतिनिधि सभा यदि कुछ करना चाहे, सब भी कर नहीं सकती थी। कुलीनों की सभा पर राजा का पूरा अधिकार था। यदि प्रतिनिधि सभा कोई ऐसा प्रस्ताव पास करे, जो राजा को अभीष्ट न हो, तो कुलीनों की सभा में वह सुगमता से अस्वीकृत कराया जा सकता था। इसके अतिरिक्त पार्लियामेंट (Land tag) के सब निश्चयों पर निषेध (वेटो) का अधिकार राजा को प्राप्त था। इंग्लैंड की तरह प्रशिया में ऐसा कोई प्रचलित रिवाज नहीं

था, कि राजा पार्लियामेंट के निश्चयों में हस्तक्षेप न करे। वहाँ का राजा अपने इस अधिकार का बहुधा प्रयोग किया करता था। प्रतिनिधि सभा खाली कह सकती थी, जनता के नेता उसमें केवल व्याख्यान दे सकते थे। अपनी इच्छाओं को क्रिया में परिणत करने की उनमें शक्ति नहीं थी। प्रशिया का शासन एक अत्यन्त सुसंगठित नौकरशाही के हाथ में था। इस नौकरशाही के आदमी प्रायः सैनिक तथा कुलीन श्रेणी के लोग थे। नवीन विचार इन्हें छू तक नहीं गये थे। राजा की इच्छानुसार तथा अपनी परम्परागत प्रथाओं को दृष्टि में रखकर प्रशियन शासन का ये संचालन करते थे। राजा की शक्ति असीम थी। यद्यपि १८५० में प्रशिया में नवीन प्रवृत्तियों ने विजय पाई थी और शासन विधान की स्थापना हुई थी, पर वह शासन विधान—निसका उल्लेख अभी ऊपर किया गया है—इतना अधूरा तथा दास युक्त था, कि पुरुष मात्र को मताधिकार प्राप्त होते हुए भी जनता की शक्ति न के परानर थी। वस्तुतः प्रशिया में अभी तक भी राजतन्त्र शासन प्रचालित था। लोकतन्त्र का ढाँचा कायम रहते हुए भी वहाँ के शासन में जनसाधारण की शक्ति बहुत कम थी। २०वीं सदी के प्रारम्भ के बाद भी प्रशिया में 'राजा का दैवीय अधिकार' का सिद्धान्त मानने वाले लोगों का अभाव नहीं था। प्रशिया का राजा इस समय तक भी मध्यकाल के एकतन्त्र राजाओं का अनेक अर्थों में स्मरण दिलाता था।

जर्मन साम्राज्य का शासन विधान—इस प्रकार के पुराने ढंग में प्रशिया का जर्मन साम्राज्य में असाधारण प्रभाव था। निस्संदेह जर्मन साम्राज्य में अनेक ऐसे राज्य सम्मिलित थे, जिनका शासन अधिक उदार और लोकसत्तात्मक थे। कई राज्यों में तो रिपब्लिकन शासन भी विद्यमान था। परन्तु प्रशिया का अतुल्य प्रभाव के कारण, उनकी शक्ति बहुत कम थी। प्रशिया के शासन का उल्लेख करने

के बाद अब जर्मन साम्राज्य के शासन विधान पर प्रकाश डालना सुगम हो जायगा ।

पार्लियामैन्ट, संघसभा—जर्मन साम्राज्य की पार्लियामैन्ट में दो सभायें होती थीं । सघसभा (बुन्डस्ट्राट) और लोकसभा (रीप्टाग) सघसभा के सदस्यों की संख्या ६१ होती थी । इन्हें विविध राज्यों की सरकारें चुनती थीं । प्रशिया के १७ प्रतिनिधि होते थे, बवेरिया के ६, सैक्सनी के ४, वुर्टम्बुर्ग के ४ और अन्य राज्यों के १ से लेकर ३ तक । आल्सेस लारन के ३ प्रतिनिधि होते थे । ये प्रदेश प्रशिया के कब्जे में थे, अतः वस्तुतः २० सदस्य प्रशियन सरकार के अधीन थे । सघसभा के सदस्य अपनी स्वतन्त्र सम्मति नहीं दे सकते थे, उन्हें वही सम्मति देनी होती थी, जो उनकी सरकार उन्हें आदिष्ट करे । सघसभा पूर्णतया विविध सरकारों के प्रतिनिधियों की सभा थी, जनता के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं था । यह सभा न केवल कानून प्रस्तावित कर सकती थी, पर विशेष अवस्थाओं में आर्डिनान्स भी जारी कर सकती थी, जो कि कानून की ही शक्ति रखते थे । साम्राज्य के अन्तर्गत विविध राज्यों के पारस्परिक झगड़ों में यह सघसभा न्यायालय का कार्य करती थी । यदि साम्राज्य के शासन विधान में कोई परिवर्तन प्रस्तावित हो, तो वह तब भी पास नहीं हो सकता था, यदि सघसभा के १४ सदस्य उसके विरोध में हो । अकेले प्रशिया के प्रतिनिधि ही १७ थे, अतः यदि प्रशिया किसी परिवर्तन के विरुद्ध हो, तो उसके स्वीकृत होने की कोई भी सम्भावना नहीं थी । सघसभा की रचना ही इस ढंग की थी, कि यह लोकसत्तावाद तथा नई प्रवृत्तियों के सदा विरोध में रहती थी ।

लोकसभा—लोकसभा के सदस्यों की संख्या ३६७ थी । इनका विभाग आधा-धा के अनुसार विविध राज्यों में किया गया था । प्रतिनिधि पाँच वर्ष के लिये चुने जाते थे । सम्पूर्ण जर्मन साम्राज्य में वह लोकसभा

ही एक ऐसी संस्था थी, जिसे हम सच्चे अर्थों में लोकतन्त्र सिद्धान्तों के अनुकूल समझ सकते हैं। पर कठिनता यह थी, कि इस लोकसभा को वह शक्ति प्राप्त न थी, जो कि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की लोकसभाओं के पास थी। इसका मुख्य कार्य परामर्श देना और आलोचना करना ही था। मन्त्रिमण्डल इसके प्रति उत्तरदायी न होता था। यदि जर्मन मन्त्रिमण्डल भी इसके प्रति उत्तरदायी होता, तब तो इसकी शक्ति भी अन्य लोकसत्तात्मक लोकसभाओं के समान ही होती। पर इसी भेद के कारण यह सर्वथा शक्तिहीन हो गई थी। सम्राट् को हक था, कि सब सभा की सम्मति से इसे उर्जास्त कर सके। यदि कभी लोकसभा के सदस्य सम्राट् के प्रतिकूल तीव्र आलोचना करने लगें, तो वह अपने इस अधिकार का सुगमता से प्रयोग कर सकता था।

जर्मन साम्राज्य की पार्लियामेन्ट की रचना इस प्रकार थी—

राज्य का नाम	आनादी (१९१० में)	सबसभा के सदस्य	लोकसभा के सदस्य
प्रशिया	४०,१००,०००	१७	२३६
बवेरिया	६,८००,०००	६	१४८
सेक्सनी	४,८००,०००	४	२३
वुर्टम्बुर्ग	२,४००,०००	४	१७
बाडेन	२,१००,०००	३	१४
हेस्से	१,२००,०००	३	९
मेकलनबुर्ग श्वेरिन	६३९,०००	२	६
साक्स वाइमर	४१७,०००	१	३
मेकलनबुर्ग स्ट्रालिन्ड्ज	१०६,०००	१	१
ओल्डन बुर्ग	४८१,०००	१	३
युन्स्विक्	४६४,०००	२	३
साक्स माइनिङ्गन	२७८,०००	१	२

साक्स आल्टन बुर्ग	२१६,०००	१	१
साक्स कोबुर्ग गोथा	२५७,०००	१	२
अन्हाल्ट	३३१,०००	१	२
श्वार्ट्सबुर्ग-सॉन्डर्सहॉसन	८६,०००	१	१
श्वार्ट्सबुर्ग सडोल्स्टाट	१००,०००	१	१
वालडेक	६१,०००	१	१
रॉस (बड़ा घराना)	७२,०००	१	१
रॉस (छोटा घराना)	१५२,०००	१	१
शॉम्बुर्ग लिप्पे	४६,०००	१	१
लिप्पे	१५०,०००	१	१
ल्युबेक का स्वतन्त्र नगर	११६,०००	१	१
बेमन का स्वतन्त्र नगर	२६८,०००	१	१
हाम्बुर्ग का स्वतन्त्र नगर	१,०१५,०००	१	२
ब्रासेम लारेन	१,८००,०००	३	१५
संयोग	६४,५१६,०००	६	३६७

प्रशिया का राजा जर्मन साम्राज्य का सम्राट् होता था। शासन विधान में यह व्यवस्था की गई थी, कि प्रशिया के हाइनेन्टशोलर्न वश के वश प्रमानुगत राजा ही जर्मन साम्राज्य के सम्राट् पद पर आरूढ हों। साम्राज्य की पार्लियामेन्ट के कृत्यों पर निषेध (वीटो) का अधिकार सम्राट् को नहीं होता था, पर पार्लियामेन्ट के कार्य पर पानी फेर देने के लिये उसके पास उपायों की कमी न थी। वह किसी भी मामले के सम्बन्ध में यह उद्घोषित कर सकता था, कि यह शासन विधान न साथ ताल्लुक रखता है। शासन विधान सम्बन्धी मामले तब तक पास नहीं समझे जाते थे, यदि सघ सभा में १४ सदस्य भी उसके विरुद्ध हाँ और प्रशिया के १७ वोट हमेशा सम्राट् के हुकुम में रहते थे। इनके बल पर वह अपनी मनमानी कर सन्ने में सदा समर्थ रहता था। यह ध्यान में रखना चाहिये कि जर्मन सम्राट् साम्राज्य का अधिपति नहीं सम्झा जाता था, उसकी स्थिति एक अभ्यक्ष की ही थी। कारण यह कि प्रवेरिया आदि के राजा उसे अपना 'अधिपति'

(Sovereign) मानने के लिये मृदापि तैयार नहीं हो सकते थे । इससे उनके आत्मसम्मान में बाधा पड़ती थी ।

साम्राज्य के प्रधान मन्त्री को 'चान्सलर' कहते थे । सघ सभा में विद्यमान प्रशियन प्रतिनिधियों में से किसी एक को सम्राट् इस पद पर नियत करता था । चान्सलर को नियत करना या निकाल देना सम्राट् की इच्छा पर ही आश्रित था । लोकसभा उसके साथ है या नहीं, इस बात की जरा भी परवाह न की जाती थी । लोकसभा के प्रस्ताव उसके विरुद्ध हैं या पक्ष में, लोकसभा की बहुसंख्या उसके पक्ष में है या विरोध में—यह बात चान्सलर की स्थिति पर जरा भी असर न रखती थी । चान्सलर, पूर्णतया सम्राट् की कृपा पर आश्रित रहता था । सघसभा के अधिवेशनों का सभापति चान्सलर ही होता था । साम्राज्य के प्रधान कर्मचारियों की नियुक्ति उसी के हाथ में थी । साम्राज्य के शासन का वास्तविक सञ्चालन उसी द्वारा होता था । जर्मनी में मन्त्रिमण्डल की पद्धति का सर्वथा अभाव था । मन्त्री लोग पार्लियामैन्ट के प्रति उत्तरदायी न होते थे । पार्लियामैन्ट का कार्य तो केवल शासन की आलोचना करना ही होता था । शासन का वास्तविक सञ्चालन वह नहीं करती थी । प्रायः प्रशिया के प्रधानमन्त्री को ही सम्राट् साम्राज्य के चान्सलर पद पर भी नियत कर देता था । इसका परिणाम यह था, कि प्रशियन शासन के सिद्धान्त साम्राज्य में भी प्रयुक्त किये जाते थे और प्रशिया जिस ढंग से नई प्रवृत्तियों का विरोधी तथा पुराने विचारों का समर्थक बना हुआ था, वैसा ही साम्राज्य के शासन में भी होता था ।

जर्मन राजनीति का मुख्य आधार सैनिकवाद का सिद्धान्त था । प्रशिया की सम्पूर्ण शक्ति का मूल यही सैनिकवाद था । इसी का आशय लेकर प्रशियन राज्य का इतना विस्तार किया गया था । इसी से आस्ट्रिया और फ्रांस को शिकस्त दी गई थी । इसी के प्रभाव से

प्रशिया के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य का संगठन हुआ था। लोगों का यह विश्वास था कि मातृभूमि की रक्षा और उन्नति का एकमात्र उपाय सेना की वृद्धि तथा उन्नति है। जर्मन बच्चों को शुरू से ही सैनिक नियन्त्रण में रहना सिखाया जाता था और सैनिकवाद के सिद्धान्त उनमें कूट कूट कर भरे जाते थे। इस सैनिकवाद ने भी जर्मनी को लोकतन्त्र की दौड़ में बहुत पीछे डाल दिया था। यदि जनता का कोई भाग अपने अधिभार के लिये और लोकतन्त्र शासन की स्थापना के लिये श्रमण करता, तो सम्राट की आज्ञा को ग्रहण कर मानने वाली जर्मन सेना उसे कुचल डालने के लिये हर समय उद्यत रहती थी।

जर्मन साम्राज्य के सम्बन्ध में इन सब बातों का परिज्ञान उसके अगले इतिहास की भली भाँति समझने के लिये बहुत आवश्यक है। यह ध्यान में रखना चाहिये कि जिस समय क्रान्ति और नई प्रवृत्तियों की लहर ने फ्रांस के स्वरूप में एक मौलिक परिवर्तन ला दिया था, उसी समय में जर्मनी में पुराने ढंग का स्वेच्छाचारी शासन कायम था। १६१४—१६१८ के महायुद्ध में जर्मनी और आस्ट्रिया हगरी के विरुद्ध प्रायः सम्पूर्ण सत्तार के नवीन भावनाओं से आविष्ट राष्ट्र जो इस प्रकार संगठित होकर उठ खड़े हुए, उसमें यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। राष्ट्रीयता की भावना जर्मनी में बहुत अर्थों में सफलता प्राप्त कर चुकी थी। पर लोकसत्तावाद की लहर यह जर्मन तट से अभी काफी दूर थी।

(२) बिस्मार्क का कार्य-काल

(१८७१ से १८९० तक)

प्रिंस बिस्मार्क ने किस प्रकार जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया, इसका बर्णन पहले किया जा चुका है। परन्तु उसका कार्य यहीं

समाप्त नहीं हो गया। अभी उसके सम्मुख और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य विद्यमान था, और वह था नवीन साम्राज्य को संगठित करना तथा उसकी विविधताओं को नष्ट कर एक राष्ट्र का प्रादुर्भाव करना। जर्मनी के २५ राज्य एक दूसरे से सर्वथा पृथक् थे, उनके कानून भिन्न भिन्न थे, उनके आर्थिक हितों में भी परस्पर विरोध था, उनके राजाओं में यह भाव बहुत काफ़ी प्रबल था, कि हम पृथक् स्वतन्त्र राजा हैं और हमने स्वाधीन रूप से ही रहना है। बिस्मार्क इस भाव को नष्ट कर समष्टित जर्मन राष्ट्र का निर्माण करना चाहता था। सम्पूर्ण साम्राज्य में भाषा, नसल और सभ्यता की एकता थी, जर्मन लोग वस्तुतः एक राष्ट्र थे, अतः बिस्मार्क का यह कार्य समय की प्रवृत्तियों के सर्वथा अनुकूल था।

अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये बिस्मार्क ने केन्द्रीय सरकार की शक्ति को बढ़ाना प्रारम्भ किया। १८७३ में एक कानून पास किया गया, जिसके अनुसार सम्पूर्ण जर्मन साम्राज्य में एक मुद्रा-पद्धति जारी की गई। इससे पूर्व सब राज्यों में अपनी पृथक् मुद्रायें जारी थी, उन सब को हटा कर मार्क (१२ ग्राम के लगभग) का सर्वत्र प्रचलन किया गया। नये मार्क सिक्के पर सम्राट् विलियम प्रथम की तस्वीर रखी गई थी। १८७१ में सम्पूर्ण जर्मनी के लिये एक सौजदासरी कानून का निर्माण किया गया। सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये राष्ट्रीय न्यायालयों की स्थापना की गई। सरकारी रेलवे, टैलीग्राफ और टेलीफोन को केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। विविध राज्यों के बैंकों को एक केन्द्रीय इम्पीरियल बैंक द्वारा संगठित किया गया। इन सब बातों से राष्ट्रीय एकता में बहुत अधिक सहायता मिली। १८८७ में साम्राज्य भर के लिये दीवानी कानून को भी एक बनाने के लिये कमीशन की नियुक्ति की गई। यह कमीशन १६०० तक अपना कार्य करता रहा।

बिस्मार्क के इन प्रयत्नों को सम्पूर्ण जर्मन लोग सहानुभूति की दृष्टि से नहीं देखते थे। बहुत से लोग विविध राज्यों की पृथक् सत्ता व अधिकार के पक्ष में थे, वे बिस्मार्क के इन कृत्यों के विरुद्ध थे। राष्ट्रीय एकता और केन्द्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाने के प्रयत्न में बिस्मार्क के सब से बड़े विरोधी रोमन कैथोलिक लोग थे। जर्मनी की अधिकांश जनता प्रोटेस्टैंट धर्म को मानने वाली थी। प्रशिया में तो प्रायः सभी लोग इसी धर्म के अनुयायी थे। पर अनेक राज्य ऐसे भी थे, जिन में आनादी का बड़ा भाग रोमन कैथोलिक था। यदि केन्द्रीय सरकार कमजोर हो और पृथक् राज्य शक्तिशाली हों, तब तो अपने राज्यों में इन रोमन कैथोलिक लोगों को भी धार्मिक दृष्टि से अपनी मनमानी करने का पूरा अवसर था। पर इसके विपरीत, यदि केन्द्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली हो जावे और पृथक् राज्यों का महत्त्व अधिक न रहे, तो सम्पूर्ण राष्ट्र में प्रोटेस्टैंट लोगों का जोर हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था। उस दशा में रोमन कैथोलिक लोगों को भय था कि केन्द्रीय सरकार—जिसमें प्रोटेस्टैंट लोगों का जोर है—हमारे खिलाफ कानून पास करेगी और हम सदा घाटे में रहेंगे। इस कारण वे बिस्मार्क के प्रयत्नों का विरोध करने में सदा तत्पर रहते थे। १८७१ के निर्वाचन में ६३ रोमन कैथोलिक सदस्य लोक सभा में निर्वाचित हो कर आये। इतनी बड़ी संख्या में रोमन कैथोलिक लोगों को सदस्य बने देकर बिस्मार्क की चिन्ता की सीमा न रही। उसने समझा कि चर्च राज्य की शक्ति को नष्ट करने के लिये साजिश कर रहा है। लोक सभा के इन कैथोलिक सदस्यों ने अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए उद्धोषणा की थी कि हम पोप के अधिपत्य को पुनः स्थापित करने के पक्ष में हैं। जिस प्रकार मध्यकाल में पोप सम्पूर्ण क्रिश्चियन दुनिया का अधिपति था, उसी तरह अब भी होना चाहिये। सन् १८६४ में पोप पायस नवम ने एक विशति प्रका-

शित की थी, जिसमें कि अर्वाचीन काल की भयकर भूलों का प्रदर्शन किया गया था। उसमें उसने कहा, या कि कैथोलिक लोगों के अतिरिक्त किसी भी अन्य धार्मिक सम्प्रदाय के प्रति सहिष्णुता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिये और चर्च को राज्य के अधीन रखना बहुत ही अनुचित तथा धर्म विरुद्ध है। लोन समा के ये ६३ कैथोलिक सदस्य पायस नयम की इस विज्ञप्ति का खुले तौर पर समर्थन करते थे। १८७० में चर्च की एक कौंसिल में इस बात के लिये आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था कि चर्च के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी बाहर के आदमी को नहीं है। चर्च के मामलों में सर्वसाधारण ईसाइयों के साथ पोप का जो सम्बन्ध है, उसमें सरकार को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जर्मनी का यह नवीन कैथोलिक दल इस आन्दोलन का भी प्रबल पक्ष-पोषक था। प्रोटेस्टैण्ट लोग इस कैथोलिक आन्दोलन से बहुत भयभीत हुए। उन्होंने समझा कि कैथोलिक दल जर्मनी की राष्ट्रीयता का विरोधी है। राज्य की बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट करना तथा चर्च के प्रभाव का पुनरुद्धार करना ही इस दल का उद्देश्य है। इसलिए बिस्मार्क ने कैथोलिक लोगों के विरुद्ध संधर्ष करना प्रारम्भ कर दिया। यही संधर्ष जर्मन इतिहास में 'संस्कृति विषयक युद्ध' (कुल्डुर काम्फ) के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध का सक्षिप्त चर्चन बहुत उपयोगी है। रोमन कैथोलिक दल की उद्घोषणा का विरोध न केवल प्रोटेस्टैण्ट लोगों ने किया, पर कैथोलिक लोगों में भी कुछ ऐसे थे, जो उसके विरुद्ध थे। ये 'पुराने कैथोलिक' नाम से कहे जाते हैं। चर्च पुराने कैथोलिक लोगों पर बहुत क्रुद्ध हुआ। उन्हें 'धर्म बहिष्कृत' कर दिया गया और धार्मिक शिक्षणालयों तथा चर्च सम्बन्धी अन्य स्थानों पर जो पुराने कैथोलिक कार्य करते थे, उन सबको निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, चर्च ने यह भी माँग की कि सरकारी शिक्षणालयों से भी पुराने कैथोलिकों को पृथक् कर दिया जावे। राज्य इसे

मानने को उद्यत नहीं हुआ। इस पर कैथोलिक चर्च ने सरकार पर आक्षेप करने प्रारम्भ किये। अब सरकार के लिये भी आवश्यक हो गया कि कैथोलिक लोगों का मुकाबला करे। सस्त्रुति विषयक युद्ध प्रारम्भ हो गया।

साम्राज्य की पार्लियामेन्ट ने कैथोलिक लोगों के विरुद्ध अनेक कानून पास किये। सरकार की आलोचना करना अपराध निश्चित किया गया। धार्मिक सस्थायें शिक्षा का कार्य न कर सकें, इसके लिये कानून बनाये गये। जेसुएट समान को जर्मनी से बाहर निकाल दिया गया। प्रशिया तो इतना आगे रूढ़ गया, कि कैथोलिक पादरियों के लिये भी यह व्यवस्था की गई कि वे सरकारी शिक्षणालयों में शिक्षा प्राप्त करें। त्रिस्मार्क इन सब कानूनों का पक्ष समर्थक था। वह कहता था कि राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिये कैथोलिक आन्दोलन को नष्ट करना अत्यन्त आवश्यक है। पोप ने इन कानूनों का विरोध किया। उसने कैथोलिक लोगों को आदेश दिया, कि इन कानूनों को उपासना करो, उनके अनुसार कार्य मत करो। पर राज्य की सम्पूर्ण शक्ति उनके विरोध में थी। त्रिस्मार्क कैद, जुमाने आदि विविध उपायों का प्रयोग कर पादरियों पर दबाव दे रहा था। कैथोलिक चर्च बन्द किये जा रहे थे, उनकी जायदादें जब्त हो रही थीं। सरकार की इस ज्यादती का परिणाम यह हुआ, कि कैथोलिक आन्दोलन और अधिक प्रचण्ड हो गया। १८७७ के निर्वाचन में ६२ कैथोलिक लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उनके आतिरिक्त अनेक गैर कैथोलिक लोग भी सरकार की नीति का विरोध करने लगे। सरकार जिस प्रकार कैथोलिकों पर अत्याचार कर रही थी, उससे अन्य लोग भी असंतुष्ट थे। परिणाम यह हुआ, कि त्रिस्मार्क को दमना पडा। वह बहुत बुद्धिमान राजनीतिज्ञ था। समय की गति को वह खूब पहचानता था। वह समझ गया कि कैथोलिक लोगों को इस प्रकार कुचल सकना सर्वथा असम्भव है। साथ

हो, इस समय जर्मनी में साम्यवादी आन्दोलन बहुत प्रचण्ड रूप धारण कर रहा था। बिस्मार्क उसका मुकाबला करने के लिये कैथोलिक लोगों की—जो स्वभावतः ही पुराने विचारों के थे और नई प्रवृत्तियों का विरोध करने के लिये सदा उद्यत रहते थे—महायत्ता प्राप्त करना चाहता था। उसने यही उचित समझा कि कैथोलिकों के साथ मुलह कर ली जावे। पोप की गद्दी पर १८७८ में लिओ १३ वाँ नियत हुआ। वह बहुत ही नरम तथा मुलह की तनियत का आदमी था। इस दशा में बिस्मार्क के लिये चर्च से सन्धि करना और भी सुगम हो गया। कैथोलिक लोगों के विरुद्ध जो कानून पास हुए थे, प्रायः उन सबको रद्द कर दिया गया। इस प्रकार सस्कृति के युद्ध की समाप्ति हुई। निस्सन्देह, शत्रु युद्ध में बिस्मार्क कभी पराजित नहीं हुआ था, पर इस सस्कृति विषयक युद्ध में वह विजयी नहीं हो सका।

१८७० में जर्मनी की आबादी ४ करोड़ के लगभग थी। अधिकांश लोग खेती से अपना गुजारा करते थे। दो तिहाई से अधिक जनता देहातों में निवास करती थी। सम्पूर्ण जर्मनी में केवल ८ नगर इस प्रकार के थे, जिनकी आबादी एक लाख से अधिक थी। शहरों में कल-कारखानों का विकास बहुत कम हुआ था। देश का शिल्प मुख्यतया गृहव्यवसायों और छोटे कारीगरों के हाथ में था। विदेशी व्यापार में निर्यात माल कम था, आयात अधिक। मुक्तद्वार वाणिज्य की नीति का अनुसरण किया जाता था और अपने देश के व्यवसायों का किसी प्रकार से सरक्षण नहीं किया जाता था। राजनीतिक क्रान्ति की तरह व्यावसायिक क्रान्ति ने भी अभी जर्मनी में बहुत कम प्रभाव उत्पन्न किया था। ग्रेटब्रिटेन के मुकाबले में व्यावसायिक दृष्टि से जर्मनी बहुत पीछे था। देश की गरीबी का यह हाल था, कि एक लाख से अधिक आदमी हर साल अपनी मातृभूमि का परित्याग कर नवीन उपनिवेशों में जा बसते थे। यह स्थिति थी, जब कि जर्मन साम्राज्य की सरकार

ने अपने देश की व्यावसायिक उन्नति पर ध्यान देना प्रारम्भ किया। बिस्मार्क भली भाँति समझता था, कि व्यावसायिक उन्नति के बिना जर्मनी यूरोप का अग्रगण्य नहीं बन सकेगा। सरकारी सहायता से व्यवसायों को आसधारण उन्नतना मिली। पाँच वर्ष के बाद जर्मनी का स्वरूप ही बदल गया। मानो कोई जादू हो गया हो। सैकड़ों की संख्या में कारखाने खोले गये। लाखों किसान देहात छोड़कर इन नई फैक्ट्रियों में काम करने के लिये शहरों में आ बसे। सड़कें और रेलवे बनाई गईं। खानें खुदबान गईं। सरकार की नीति के प्रयोग से जर्मन फैक्ट्रियां न केवल विदेशी माल का सफलता से मुकाबला करने लगीं, पर साथ ही दुनिया के बाजारों में भी जर्मन माल दृष्टिगोचर होने लगा। जर्मन व्यवसायों को उन्नत करने के लिये जो भी सम्भव था, बिस्मार्क ने किया। कारखानों को आर्थिक सहायता दी गई, सरकार कर लगाये गये, व्यापारिक सन्धियों द्वारा जर्मन माल के लिये बाजार तैयार किये गये, यह नियम बनाया गया कि जर्मन समुद्रतट का व्यापार जर्मन जहाजों द्वारा ही किया जावे। इसी प्रकार के अनेक कानूनों से व्यावसायिक उन्नति के लिये आसधारण कोशिश की गई। देखते देखते जर्मनी का विदेशी व्यापार कहीं से नहीं पहुँच गया।

व्यवसायों की यह तीव्र उन्नति जर्मन विचारकों के सम्मुख एक नई समस्या को उपस्थित कर रही थी। बल-कारखानों के बड़े बड़े केन्द्रों में जो हजारों लाखों मजदूर एकत्रित हो गये थे, वह जर्मन इतिहास में सर्वथा नई बात थी। मजदूरों की समस्याओं का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। इतना निर्देश करना पर्याप्त है, कि इन बल-कारखानों के कारण मानवीय समाज के संगठन में एक भारी परिवर्तन आ रहा था और उसके कारण पूँजीपतियों और मजदूरों का पारस्परिक संबंध शुरू हो गया था। इस काल में अनेक साम्यवादी सम्प्रदाय इसी समस्या का हल करने के लिये उत्पन्न हुए थे। साम्यवाद का प्रबुद्ध

आचार्य कार्ल मार्क्स जर्मनी में का ही रहने वाला था। ये साम्यवादी लोग जर्मन मजदूरों में नवीन जागृति उत्पन्न कर रहे थे। वे उन्हें कहते थे, आर्थिक उत्पत्ति तुम करते हो और उस पर अधिकार होता है पूँजीपति का। यह कितनी अस्वाभाविक और अनुचित बात है। उत्पत्ति के साधनों पर पूँजीपतियों का अधिकार नहीं होना चाहिये। सम्पूर्ण आर्थिक उत्पत्ति राज्य के नियन्त्रण में रहनी चाहिये और उसका सञ्चालन करना चाहिये मजदूरों को, जो कि वास्तविक रूप से उत्पादक होते हैं। साम्यवादियों की विचार सरणी ही सर्वथा नवीन थी। कार्ल मार्क्स के बाद लासाल के नेतृत्व में सन् १८६३ में जर्मन मजदूरों की प्रथम कांग्रेस लाइपजिग में हुई। अगले ही वर्ष लासाल की मृत्यु हो गई, पर उससे मजदूरों के संगठन का कार्य रुका नहीं। साम्यवादियों की शक्ति निरन्तर बढ़ती ही गई। १८७५ में गोथा नामक नगर में मजदूरों की एक और कांग्रेस हुई, इसमें साम्यवादी दल का कार्यक्रम निश्चित किया गया और लोक सभा के निर्वाचन के लिये अपने दल का उद्घोषणापत्र तैयार किया गया। निर्वाचन में साम्यवादी दल के उम्मीदवारों को ३४०००० वोट प्राप्त हुए। यह साधारण बात नहीं थी। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि जर्मन निर्वाचकों की इतनी बड़ी संख्या साम्यवादी दल का पक्षपोषण करने-वाली थी।

साम्यवादी दल की इस शक्ति को देखकर विस्मार्क बहुत चिन्तित हुआ। वह साम्यवादियों को व्यवस्था, अमन, कानून और साम्राज्य का कहर शत्रु समझता था। उनका सबसे बड़ा अपराध यह था कि वे स्वैच्छाचारी राजसत्ता का अन्त कर सच्चे लोकसत्तात्मक शासन की स्थापना करना चाहते थे। इसीलिये उन्हें कुचलने के लिये विस्मार्क की प्रेरणा से अनेक कानून बनाये गये। इन कानूनों द्वारा यह व्यवस्था की गई, कि "साम्यवादी प्रवृत्तियों" का प्रचार करने तथा वर्तमान

“सामाजिक संगठन” को नष्ट करने के लिये जर्मनी में कोई सभा न हो सके, और कोई संस्था कार्यम न हो सके और कोई समाचारपत्र कार्य न कर सके। पुलिस को अधिकार दिया गया, कि वे साम्यवादियों को गिरफ्तार कर सकें और देश के सामान्य न्यायालयों में मुकदमा चलाये बिना ही उन्हें देश से बाहर निकाल सके। ये कानून १८७८ में पास हुए और १२ वर्ष तक जारी रहे। इस बीच में १००० से अधिक पत्रों को जप्त किया गया; १५०० आदमी कैद हुए और ६०० को देश निकाला दिया गया। परन्तु इन उपायों से साम्यवादी आन्दोलन दबा नहीं, वह और भी अधिक फैलता गया। साम्यवादी लोग पुलिस से बचने के लिये अनेक उपायों का प्रयोग करते थे। उन्होंने अन्य अनेक रूपों में अपनी सभाएँ बनाई हुई थीं। संगीत समाज, व्यायाम सत्र, ब्रीडा सभा और क्लब आदि का संगठन कर वे अपना कार्य आसानी से चला लेते थे। उनके समाचार पत्र स्विट्जरलैण्ड में छपते थे और वहाँ से जर्मनी लाकर उन्हें गुप्त रूप से सर्वत्र पहुँचाया जाता था। साम्यवादी दल की प्रगति का अनुमान इसी बात से किया जा सकता है, कि १८६० में लोकसभा के निर्वाचन में उन्हें १५ लाख वोट प्राप्त हुए। १५ साल के अन्दर अन्दर ही उनके मतदाताओं की संख्या ३१ लाख से १५ लाख पहुँच गई और वह भी ऐसे समय में जब कि उन्हें कुचलने के लिये सरकार भरपूर कोशिश कर रही थी।

साम्यवाद की इस असाधारण उन्नति को देखकर बिस्मार्क ने समझ लिया कि अत्याचार व दबाव द्वारा इस आन्दोलन को नष्ट कर सकना असम्भव है। उसने निश्चय किया कि मजदूरों को साम्यवाद के प्रभाव से बचा रखने का एक सरल उपाय यह है, कि राज्य स्वयमेव उनकी दशा को उन्नत करने का प्रयत्न करे। इससे वे भली भाँति समझ जावेंगे कि सम्राट् और सरकार ही हमारे वास्तविक हितचिन्तक हैं। बिस्मार्क अनुभव करता था, कि व्यवसाय प्रधान

देशों में तब तक शान्ति और व्यवस्था कायम नहीं रह सकती, जब तक कि मजदूर लोग संतुष्ट तथा समृद्ध न हों। अतः मजदूरों का हित-साधन करने में राज्य का अपना भी हित था। केवल विस्मार्क ही नहीं, जर्मनी के अन्य भी बहुत से विचारक इसी ढंग से विचार कर रहे थे। वे कहते थे, मजदूरों को साम्यवादियों के पजे से बचाने का एक ही तरीका है और वह यह कि राज्य साम्यवाद की अनेक योजनाओं को स्वीकृत कर स्वयं उनका प्रयोग करे और इस प्रकार मजदूरों के असन्तोष को दूर करे। उनके विचारों का सार निम्नलिखित है—मजदूरों की बेकारी को दूर करने की उत्तरदायिता सरकार के ऊपर है। कार्य करने के घण्टों को कम करना सरकार का काम है। पैक्टोरियों को स्वास्थ्य का विधातक न बनने देना तथा उनके नैतिक वातावरण को पवित्र रखना भी सरकार का कर्तव्य है। स्त्रियों और बच्चों के श्रम को सीमित करना सरकार का कार्य है। आकस्मिक दुर्घटनाओं तथा बीमारी के समय मजदूर की रक्षा तथा सहायता करना सरकार के लिये आवश्यक है। मजदूरों के हित के लिये ये सब बातें तो राज्य को करनी ही चाहियें, पर साथ ही सम्पत्ति की विषमता को दूर करने के लिये यह भी आवश्यक है कि रूढ़, किराये तथा सट्टे से जो लोग आमदनी प्राप्त करें, उन पर भारी सरकारी कर लगाये जावें; और रेलवे, नहर, आवागमन के साधन, तार, डाक, पानी, रोशनी, बीमा, बैंक आदि सार्वजनिक हित के साथ सम्बन्ध रखने वाले व्यवसायों पर राज्य का स्वामित्व हो। इन पर राज्य के स्वामित्व का उद्देश्य यह था कि इन सबका सञ्चालन वैयक्तिक हित को दृष्टि में रखाकर न हो, अपितु सार्वजनिक हित के उद्देश्य से ही इनका सञ्चालन किया जावे। इस सिद्धान्त को “राजकीय साम्यवाद” का नाम दिया गया है। साम्यवादियों के मुकाबले में ये ‘राजकीय साम्यवादी’ जर्मनी में अपने सिद्धान्तों का बड़े वेग के साथ प्रचार कर रहे थे। विस्मार्क इनके

सिद्धान्तों से बहुत प्रभावित हुआ था। इन्हीं को दृष्टि में रखकर उसने मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिये अनेक सुधार पेश किये। विस्मार्क जो सुधार करना चाहता था, वे निम्नलिखित हैं— (१) आकस्मिक दुर्घटना तथा बीमारी के लिये मजदूरों का बीमा कराया जावे। (२) कारखानों में काम करनेवाली स्त्रियों तथा बच्चों को वहाँ के बुरे प्रभावों से बचाया जावे। (३) मजदूरों के लिये वृद्धावस्था में तथा अपाहिज हो जाने की दशा में पेंशियन का प्रबन्ध किया जावे। इन उद्देश्यों से उसने जो सुधार स्वीकृत कराये, उनका उल्लेख करना आवश्यक है।

जिन मजदूरों की आमदनी १५०० रु० वार्षिक से कम थी, उनके लिये बीमारी का बीमा करना आवश्यक था। बीमे के लिये जो फिस्ते (प्रिमियम) दी जाती थी, उनका एक तिहाई हिस्सा मजदूरों को देना होता था और दो तिहाई उसके मालिक को। बीमारी की दशा में २६ सप्ताह तक मजदूरों को आधा वेतन मिलता रहता था। उसका इलाज भी मुक्त कराया जाता था। अगर वह मर जावे, तो उसके मृतक संस्कार का खर्च भी उसी निधि से मिलता था। इस कानून के अनुसार कितने मजदूरों का बीमा कराया गया, इस बात का अनुमान इससे किया जा सकता है, कि सन् १६१३ में १४५००००० मजदूरों का बीमा हुआ था और ३२१०००००० रु० विविध मजदूरों को बीमारी आदि के समय में दिया गया था। ये संख्याएँ साधारण नहीं हैं। १६ करोड़ के लगभग गरीब मजदूरों को अपने आर्थिक भविष्य से निश्चिन्त कर देना मामूली बात नहीं है। इसके अतिरिक्त, आकस्मिक दुर्घटना के लिये प्रत्येक मजदूर का बीमा करना भी कानून के अनुसार आवश्यक था। इसका सब खर्च मालिकों के सिर पड़ता था। यदि कारखाने में काम करते हुए आकस्मिक दुर्घटना से किसी मजदूर की मृत्यु हो जावे, तो उसके परिवार को उसके वार्षिक वेतन

का २० फी सदी हरजाने के रूप में प्रदान किया जाता था। सन् १९१३ में इस कानून के अनुसार जिन मजदूरों का बीमा हुआ था, उनकी संख्या २६,०००,००० थी। वृद्धावस्था में आदमी कमाने लायक नहीं रहता। उस समय उसे मूखान मरना पड़े और निश्चिन्तता के साथ पेंशिन मिलती रहे, इस उद्देश्य से यह कानून बनाया गया था कि जिन मजदूरों की वार्षिक आमदनी १२०० रु० से कम है, उन्हें आवश्यक रूप से बीमा कराना पड़े। इस के लिये मजदूर, मालिक और राज्य—तीनों को बराबर बराबर हिस्सा बँटाना होता था। ६५ साल की उमर में पेंशिन मिलनी शुरू हो जाती थी। इस पेंशिन की रकम ६० रुपये से १८० रु० वार्षिक तक होती थी। १९१३ में १,६५,००,००० मजदूरों का वृद्धावस्था के लिये बीमा हुआ था और १६००००००० रु० पेंशिनो में मजदूरों को मिल रहा था।

शुरू शुरू में कारखानों के मालिकों ने इन कानूनों का भयंकर रूप से विरोध किया। परन्तु कुछ समय बाद ही उन्हें स्वयं समझ आ गया कि इनसे उनका अपना लाभ है। यदि मजदूर लोगों की दशा सुधरती है, तो उससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है और इससे कारखानों को लाभ पहुँचता है। इसमें सन्देह नहीं, कि विस्मार्क द्वारा राजकीय साम्यवाद की नीति का अवलम्बन करने से जर्मनी में मजदूरों की दशा बहुत उन्नत हो गई है। जर्मनी की असाधारण व्यावसायिक उन्नति में यह भी एक प्रधान कारण है।

विदेशी मामलों में भी विस्मार्क को आश्चर्यजनक सफलता हुई। १८७१ में फ्रांस को परास्त करने के बाद विस्मार्क को यह चिन्ता रहती थी, कि कहीं फ्रांस जर्मनी से बदला न ले। इसके लिये वह फ्रांस के अन्दरूनी ऋग्णों को हमेशा प्रोत्साहित करता रहता था। जर्मनी की स्थिति को सुरक्षित करने के लिये उसने रशिया और आस्ट्रिया के साथ सन्धि धर त्रिगुट का निर्माण किया। विस्मार्क समझता था, कि इन

तीन शक्तिशाली राज्यों के साथ रहने से जर्मनी को किसी विदेशी राज्य का भय न रहेगा। परन्तु १८७८ में बाल्कन प्रायद्वीप के मामलों में आस्ट्रिया और रशिया में झगड़ा हो गया। इस झगड़े का विस्तृत वर्णन हम आगे चलकर करेंगे। इसमें जर्मनी ने आस्ट्रिया का साथ दिया। त्रिगुट टूट गया और रशिया उससे पृथक् हो गया। पर निस्मार्क की नीतिकुशलता से शीघ्र ही १८८२ में इटली आस्ट्रिया और जर्मनी के साथ मिल गया। नये त्रिगुट का निर्माण हुआ। १९१४ के महायुद्ध तक यह त्रिगुट कायम रहा। जर्मनी जिस ढंग से बाल्कन प्रायद्वीप के मामलों में आस्ट्रिया का साथ दे रहा था, वह भी गत यूरोपीय महायुद्ध का एक महत्त्वपूर्ण कारण है। जर्मनी, आस्ट्रिया और इटली—इन तीनों राज्यों को परस्पर गुट में सम्मिलित करना निस्मार्क की राजनीति का ही परिणाम था।

निस्मार्क के कर्तृत्व को समाप्त करने से पूर्व हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि जिस समय उसने प्रशिया का राजसूत्र अपने हाथों में लिया था, तब प्रशिया एक मामूली सा राज्य था, जर्मनी सर्वथा असंगठित तथा अस्त व्यस्त था। निस्मार्क की नीति कुशलता का ही यह परिणाम हुआ कि न केवल प्रशिया ही यूरोप का एक शक्तिशाली राज्य बन गया, पर जर्मन साम्राज्य का भी प्रादुर्भाव हुआ। जर्मनी की असाधारण शक्ति और उन्नति में निस्मार्क का बड़ा हाथ है। यह ठीक है, कि उसने जो कुछ किया, समय उसी की तरफ से जा रहा था। पर फिर भी जिस व्यक्ति के नेतृत्व में वह स्वाभाविक प्रक्रिया सम्पन्न हुई, उसे भी उसका श्रेय देना सर्वथा उचित और न्याय्य है।

(३) विलियम द्वितीय का शासन काल

(१८८८ से १९१८ तक)

सम्राट् विलियम प्रथम की १८८८ में मृत्यु हो गई। मरने के समय

उसकी आयु ६१ साल की थी। वह विस्मार्क की कार्य नीति से सर्वथा संतुष्ट था। यही कारण है, कि उसके शासन काल में विस्मार्क को पूर्ण स्वतन्त्रता मिली हुई थी। उसके समय में जर्मनी की जो भी उन्नति हुई, उसका मुख्य श्रेय विस्मार्क को ही है। विलियम प्रथम के बाद उसका लड़का फ्रेडरिक तृतीय राजगद्दी पर बैठा। पर वह बीमार रहता था, स्वयं राज्य कार्य करने में असमर्थ था। तीन महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई और प्रसिद्ध सम्राट् विलियम द्वितीय राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उस-समय उसकी आयु केवल २६ वर्ष की थी। यूरोप के आधुनिक इतिहास में जो सबसे अधिक शक्तिशाली, जबरदस्त और अभिमानी राजा हुए हैं, विलियम द्वितीय उनमें से एक था। उन्नीसवीं सदी के अन्तिम हिस्से में राजगद्दी पर बैठते हुए भी वह राजा के दैवीय अधिकार में विश्वास रखता था। राज्याभिषेक के अवसर पर भी उसने अपने इस विश्वास को प्रगट किया था। विलियम द्वितीय में जर्मनी को उन्नत करने की तीव्र आकांक्षा विद्यमान थी। वह अपने देश को न केवल यूरोप परन्तु सम्पूर्ण संसार में सबसे अधिक उन्नत और शक्तिशाली बना देने के लिये उत्सुक था। गरीब मजदूरों के साथ भी उसे सहानुभूति थी। राजा प्रजा का पिता है, इस पुराने विचार को दृष्टि में रखकर सर्वसाधारण के लाभ के लिये जो कुछ भी अपनी समझ में आवे, उसे कर देने में उसे वास्तविक प्रसन्नता होती थी। यदि ऐसा राजा १६वीं वा १७ वीं सदी में उत्पन्न होता, तो अपने देश के लिये बहुत लाभकारक होता। पर अब जमाना बदल चुका था। स्वतन्त्रता और लोकसत्तावाद के विचारों ने राजसत्ता के पुराने सिद्धान्त को बहुत पीछे छोड़ दिया था। विलियम द्वितीय इन नवीन भावनाओं का विरोधी था। अपने देश की वास्तविक उन्नति करने की प्रबल अभिलाषा रखते हुए भी उसे यह समझ नहीं आता था कि जनता के अधिकारों का क्या अभिप्राय है? वह जर्मनी के कुलीन जमींदारों और

सैनिक अपसरों के प्रभाव में था। इसी का यह परिणाम हुआ कि विलियम द्वितीय, जर्मनी के कल्याण का कारण न बन उसके विनाश का निमित्त हुआ।

विलियम द्वितीय राज्य के सम्पूर्ण मामलों में हस्ताक्षेप करता था। वह सब विषयों को अपनी देख रेख में ले आना चाहता था। विस्मर्क यह सहन न कर सका, कि २६ साल का एक अनुभव-रहित नौजवान उस पर हुकूम चलावे। १८६० के मार्च मास में उसने त्यागपत्र दे दिया। विलियम ने इस त्यागपत्र को देखकर कहा—“मुझे इसका उतना ही दुःख है, जितना कि अपने दादा की मृत्यु के समाचार से हुआ था। पर ईश्वर की इच्छा के सम्मुख मनुष्य क्या कर सकता है? यदि हमें उसके लिये मरना भी पड़े, तो भी हमारा क्या बस है? राज्यरूपी जहाज के कप्तान का कार्यभार अब मेरे सिर पर आ पड़ा है। मार्ग वही है—पूरे जोर के साथ आगे बढ़ते जाओ।”

विलियम द्वितीय के शासन काल में जर्मन व्यवसायों ने असाधारण उन्नति की। बात की बात में जर्मन व्यापार ब्रिटेन और अमेरिका का मुकाबला करने लगा। १८१४ तक उसके व्यवसाय इतने अधिक उन्नत हो चुके थे, कि कोयले के लिहाज से वह दुनिया के राज्यों में तीसरा स्थान रखता था। ब्रिटेन की अपेक्षा जर्मनी अधिक लोहा पैदा करता था। लोहे में केवल अमेरिका ही उससे आगे था। मौलाद जर्मनी में ब्रिटेन की अपेक्षा दुगना तैयार होता था। २५ वर्ष पहले जितनी मशीनरी जर्मनी से बाहर भेजी जाती थी, १८१४ में वह १२ गुना बढ़ गई थी। १८८८ में जर्मनी के जहाज ब्रिटेन के बन्दरगाहों में तैयार होते थे। परन्तु १८१४ में शायद ही कोई ऐसा जहाज हो, जो कि जर्मनी का अपना बना हुआ न हो। जर्मनी के जहाज इस समय ससार के सर्वोत्तम जहाजों में समझे जाते थे। बिजली का सामान और

रासायनिक पदार्थ जर्मनी में इतने अच्छे और इतने अधिक बनते थे कि अन्य कोई देश उसका मुकामला नहीं कर सकता था। सत्तर मर में जितना रंग बनता था, उसका ८० फी सदी जर्मनी में तैयार होता था। केवल व्यवसायों में ही नहीं, कृषि और जंगलात में भी जर्मना बहुत आगे बढ़ा हुआ था। १८७० में जर्मनी का निदेशी व्यापार ३ अरब रुपये का था, १९१४ में वह बढ़कर १५ अरब तक पहुँच गया था। यह आश्चर्यजनक आर्थिक उन्नति राज्य के निरन्तर प्रयत्न और सहायता से ही सम्भव हो सकी थी।

बिस्मार्क ने जिस 'राजकीय साम्यवाद' की नीति का अनुसरण किया था, विलियम द्वितीय उसमें सहमत था। राज्य की तरफ से यदि मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये प्रयत्न होता रहे, तो साम्यवाद उनमें कभी नहीं पैल सकता—इसी विश्वास से बिस्मार्क ने अनेक कानून स्वीकृत कराये थे। विलियम द्वितीय भी यही समझता था। पर बिस्मार्क और विलियम—दोनों भूल में थे। जर्मनी में साम्यवाद बड़े पैग से उन्नति कर रहा था। साम्राज्य की लोकसभा में साम्यवादी सदस्या की संख्या निरन्तर बढ़ती जाती थी। १८८७ में लोकसभा में उनकी संख्या केवल ११ थी, १८९० में वह बढ़कर ३६ हो गई थी। विलियम द्वितीय साम्यवाद को इस वृद्धि से बहुत चिन्तित हुआ। वह कहता था—साम्यवाद एक ऐसा बीडा है, जो राज्यरूपा वृक्ष की जड़ में लगकर उसे कभी फूलने फलने नहीं दे सकता। उसने साम्यवाद का नष्ट करने के लिये भरपूर कौशिल्य की। साम्यवादियों पर राज्यद्रोह के अभियोग लगाये गये। सैनिकों को उसने इस बात के लिये तैयार किया कि यदि आवश्यकता हो, तो अपने बन्धु-बान्धवों पर गोली चलाने के लिये उत्सत रहें। परन्तु साम्यवाद की प्रवृत्ति को रोक सरना विलियम द्वितीय के लिये असम्भव था। उसके सब विरोध के बावजूद भी १९१२ के निर्वाचन में लोकसभा में साम्यवादी दल के

सदस्यों की संख्या अन्य किसी भी दल की अपेक्षा अधिक थी। जर्मनी में निर्वाचन का ढंग इस प्रकार का था, कि प्रतिनिधि जनता के वास्तविक मत की प्रकट नहीं करते थे। १९०७ के निर्वाचन में साम्यवादी दल के उम्मीदवारों को ३२,५०,००० वोट प्राप्त हुए, उनमें से जो निर्वाचित हो सके, उनकी संख्या ४३ था। दूसरी तरफ अनुदार दल को प्राप्त वोटों की संख्या केवल १५,००,००० थी, पर वे ८३ सदस्य निर्वाचित बनाने में समर्थ हुए। १९१२ के चुनाव में साम्यवादी दल को ४२,५०,३०० वोट मिले और उनके ११० सदस्य निर्वाचित हुए।

सेना का उन्नति पर जर्मन सरकार ने विशेष ध्यान दिया। १७ साल की आयु के प्रत्येक युवक के लिये आवश्यक था, कि वह तीन साल तक सैनिक सेवा करे। इसी का परिणाम था, कि १९१४ में जर्मनी में सैनिक सेवा के योग्य व्यक्तियों की संख्या चालोस लाख थी। जर्मन युद्ध सैनिक का पद प्राप्त कर वास्तविक गौरव अनुभव करते थे। विश्वविद्यालयों के प्राफेसर, न्यायालयों के न्यायाधीश और कारखाना के मालिक—मन सैनिक पाशाफा में खास तरह का आनन्द तथा गर्व अनुभव करते थे। सेना में उदार विचारों का प्रवेश भो न हो सकता था। सैनिकों के लिये आवश्यक था कि अपने अफसरों की आज्ञाओं का अर्पण भीचकर पालन करें। यदि कोई अफसर उदार विचार रखता था, तो उसे अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाता था। इस सबका परिणाम यह था, कि जर्मन सेना में कमाल का नियन्त्रण और आज्ञापालन का भाव उत्पन्न हो गया था।

केवल स्थलसेना ही नहीं, जलसेना की दृष्टि से भी जर्मनी ने असाधारण उन्नति की थी। विलियम द्वितीय ने जड़ों जहाजों और सैनिक बन्दरगाहों के निर्माण के लिये विशेष रूप से प्रयत्न किया था। जर्मनी का समुद्र तट दो भागों में विभक्त था—उत्तरीय सागर (North Sea) और बाल्टिक सागर। इनके बीच में डेन्मार्क का प्रायद्वीप

था। विलियम द्वितीय ने सोचा कि इन दोनों सागरों को नहर द्वारा मिला देने से जर्मनी का सामुद्रिक तट बहुत उन्नत हो जायगा। इस दृष्टि से १८६६ म काल के बन्दरगाह से एल्ब नदी के मुहाने तक ६१ मील लम्बी नहर का निर्माण किया गया। इसके बाद दस जङ्गी जहाजों का निर्माण प्रारम्भ हुआ। क्रुडजर के बाद क्रुडजर और ड्रेडनॉट के बाद ड्रेडनॉट बनाये जाने लगे। १९१४ में जर्मन नौ सेना इतनी उन्नति कर चुकी थी, कि वह ससार में दूसरा स्थान रखती थी। पहला स्थान ग्रेट ब्रिटेन की नौ सेना का था।

जर्मनी जिस असाधारण गति से अपनी व्यावसायिक और व्यापारिक उन्नति कर रहा था, उसके लिये आवश्यक था कि अपने देश से बाहर महत्त्वपूर्ण बाजारों पर उसका अधिकार हो। जर्मनी का माल कहीं बिकना चाहिये था। अपने देश के लिये जितने माल की जरूरत थी, उससे बहुत अधिक जर्मनी में उत्पन्न होता था। अतिरिक्त माल की बिक्री के लिये बाजार प्राप्त किये बिना उसका काम नहीं चल सकता था। इसीलिये विस्माक के समय में ही उपनिवेश विस्तार की तरफ जर्मन सरकार का ध्यान गया था। १८८४ में डा० गुस्टव नाएल्टिगल को इस उद्देश्य से अफ्रीका भेजा गया कि वह पश्चिमीय अफ्रीकन तट पर जर्मनी का अधिकार स्थापित करे। डा० नाएल्टिगल को अपने उद्देश्य में सफलता हुई। उत्तरीय गायना के एक प्रदेश टोगोलैण्ड तथा कामेरन (फ्रेञ्च कोन्गो के समीपवर्ती) पर जर्मन अधिकार स्थापित हो गया। इन दोनों प्रदेशों का विस्तार दो लाख वर्गमील से भी अधिक था। १८८४ में ही विस्मार्क की प्रेरणा से हेरल्थ्यूडरिट्स नामक व्यापारी ने दक्षिणीय अफ्रीका की तरफ प्रस्थान किया। गुड होप के अन्तरीप के समीप ही एन्नापेक्षेना नामक स्थान पर उसने जर्मन क्रुडजर फहरा दिया और यह प्रदेश जर्मन लोगों के अधीन हो गया। एन्नापेक्षेना को अपना अड्डा बनाकर जर्मन लोग निरन्तर अपनी शक्ति

का विस्तार करते रहे और कुछ ही समय में ३ लाख २० हजार वर्ग मील से अधिक प्रदेश उनके कब्जे में आ गया। यही प्रदेश जर्मन दक्षिणी पूर्वीय अफ्रीका कहाता था। जिस समय पश्चिमीय तथा दक्षिणीय अफ्रीका में जर्मन लोग अपने साम्राज्य की नींव डाल रहे थे, उसी समय जर्मन-उपनिवेश-विस्तार सभा नाम की संस्था पूर्वीय अफ्रीका में उपनिवेश स्थापना के उद्योग में थी। १८८४ में इस सभा की तरफ से डा० कार्ल पीटर्स को पूर्वी अफ्रीका भेजा गया। १८८८ में उसने जम्बीया के मुलतान से ६०० मील लम्बा एक प्रदेश पट्टे पर प्राप्त किया। दो वर्ष बाद इसे ३० लाख रुपये में खरीद लिया गया। यह प्रदेश बहुत ही उपजाऊ था। जर्मन लोगों ने इस पर अपने उपनिवेश बसाने प्रारम्भ किये। काफी, कोकोआ, चाय, खांड, खजूर, तम्बाकू आदि विविध वस्तुओं की यहाँ खेती प्रारम्भ हुई, और कुछ ही समय में यह प्रदेश जर्मन लोगों के लिये अत्यन्त लाभदायक हो गया।

केवल अफ्रीका में ही नहीं प्रशान्त महासागर में भी जर्मन लोग अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। इसी समय के लगभग न्यू गायना में एक प्रदेश पर जर्मन लोगों ने अपना अधिकार स्थापित किया। उसका नाम रक्खा गया—सम्राट् विल्हेलम का प्रदेश। कैरोलाइन तथा सोलोमन द्वीपसमूहों को भी जर्मनी के अधीन किया गया। इन सब विविध प्रदेशों पर अधिकार का परिणाम यह हुआ, कि जर्मन लोगों के व्यापार के लिये नये मार्ग खुलते जाते थे और उसकी सामुद्रिक शक्ति बड़ी तीव्र गति से बढ़ती जाती थी। व्यावसायिक उन्नति से जर्मनी को कितना लाभ पहुँच रहा था, इसका अनुमान केवल इस बात से किया जा सकता है, कि १८७० में उसकी आवादी ४ करोड़ थी, १९१४ में वह बढ़ कर ६ करोड़ ८० लाख हो गई थी। इतनी भारी आवादी का पालन जर्मनी के लिये इसी कारण सम्भव था, क्योंकि अपने साल के लिये बाजार उसने उत्पन्न कर लिये थे।

इसी असाधारण उन्नति का परिणाम था कि जर्मन सरकार ने विदेशी मामलों में बहुत प्रचण्ड नीति का अनुसरण प्रारम्भ किया। सम्राट् विलियम द्वितीय जर्मनी को न केवल यूरोप अपितु सम्पूर्ण संसार में सबसे शक्तिशाली राज्य बनाने के लिये कृत निश्चय था। यह पहले प्रदर्शित किया जा चुका है कि रिस्मार्क ने आस्ट्रिया के साथ मिलकर गुट का निर्माण किया था। आस्ट्रिया बाल्कन राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। इस प्रयत्न में जर्मनी उसका सहायक था। विलियम चाहता था कि बाल्कन प्रायद्वीप पर उसका मित्र आस्ट्रिया अपना आधिपत्य स्थापित कर ले और इस प्रकार नार्थ सी (उत्तरीय सागर) में लेकर ब्लैक सी (काला सागर) तक सम्पूर्ण मध्य यूरोप पर जर्मनी व आस्ट्रिया का कब्जा हो जावे। इतना ही नहीं, विलियम की आकांक्षा थी, कि एशिया में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया जावे। एशिया के सीवे और सुगम मार्ग—भूमध्य सागर, स्वेज की नहर और फिर रेड सी (लाल सागर)—पर ग्रेट ब्रिटेन का कब्जा था। जर्मनी इस मार्ग से एशिया का आधिपत्य प्राप्त नहीं कर सक्ता था। उसने एक नवीन मार्ग की कल्पना की। यदि टर्की का सुल्तान उसके गुट में शामिल हो जावे, और आस्ट्रिया के समान उस पर भी जर्मनी का प्रभाव हो, तो एक नये मार्ग से (जर्मनी से आस्ट्रिया, वहाँ से बाल्कन प्रायद्वीप, जो कि आस्ट्रिया के कब्जे में हो और वहाँ से टर्की, और फिर मैसोपोटामिया, जो उस समय टर्की के अधीन था, हाकर पशियन खाड़ी में पहुँचा जावे) एशिया पहुँचा जा सकेगा। इस कल्पना से विलियम ने टर्की के साथ मित्रता स्थापित करनी प्रारम्भ की। जर्मन अफसरों ने टर्की की सेना का पुनः संगठन किया। टर्की के सैनिक अफसरों को शिक्षा के लिये जर्मन सैनिक विद्यालयों में भेजा गया। विलियम द्वितीय ने स्वयं दो बार टर्की की यात्रा की और अपने को सम्पूर्ण

मुसलमानों का जवदस्त दोस्त उद्धोषित किया। टर्की की विदेशी राजनीति का सञ्चालन जर्मन राजनीतिज्ञ करने लगे। कोन्स्टेन्टिनोपल से बगदाद तक टर्की के साम्राज्य में रेलवे बनाने का कार्य जर्मन पूँजीपतियों ने अपने हाथ में लिया। विलियम द्वितीय का एयाल था, कि पीछे से इस रेलवे को वर्लिन के साथ यूरोप में मिला दिया जावेगा और इस प्रकार वर्लिन से बगदाद तक सीधी रेल जर्मन प्रभाव में चलनी प्रारम्भ हो जावेगी। एशिया के लिये यह नया मार्ग जर्मन आधिपत्य की स्थापना में बहुत ही सहायक होगा। ब्रिटिश लोग जर्मनी की इन योजनाओं को बड़ी चिन्ता के साथ देख रहे थे। गत यूरोपीय महायुद्ध में यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था।

यूरोप के बड़े भाग पर जर्मन लोगों का कब्जा स्थापित करने के लिये १८६४ में पान जर्मन लीग की स्थापना हुई। इस सघ का कथन था कि हालैण्ड, नार्वे, स्वीडन व आस्ट्रिया में, और रशिया, स्विट्जरलैण्ड तथा बेल्जियम के कुछ प्रदेशों में जर्मन जाति के लोग निवास करते हैं। पान-जर्मन लीग चाहती थी, कि जिस प्रकार भी सम्भव हो, चाहे शान्ति से या युद्ध से, इन सब लोगों को मिलाकर एक विशाल शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य की रचना की जानी चाहिये। बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में यह लीग बहुत प्रबल हो गई। समाचार पत्रों और सार्वजनिक सभाओं में इसके लिये प्रचण्ड रूप से आन्दोलन होने लगा। इस आन्दोलन से यूरोप के अन्य राष्ट्र बहुत चिन्तित हुए। जर्मनी यूरोप की शान्ति में बाधक है, इस विचार के विस्तार में इस लीग ने बहुत सहायता पहुँचाई।

फ्रांस उत्तरीय अफ्रीका में जिस प्रकार अपना आधिपत्य स्थापित कर रहा था, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। जब फ्रांस और ब्रिटेन के पारस्परिक सम्झौते के अनुसार मोरक्को में फ्रेञ्च लोगों ने अपना अधिकार बढ़ाना प्रारम्भ किया, तो जर्मनी ने उसमें बाध

उपस्थित की। जर्मन सरकार नहीं चाहती थी, कि मोरक्को में फ्रांस का शासन कायम हो जाये। इसी झगड़े को निपटाने के लिये १९०६ और १९०८ में दो बड़े अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। आखिर, जर्मनी को नीचा देखना पड़ा। मोरक्को पर फ्रांस का कब्जा हो गया। इस मामले में नीचा देखकर जर्मनी ने अपनी सैनिक शक्ति को और तेजी से बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया। १९१३ में एक कानून पास हुआ, जिसके अनुसार जर्मनी की स्थिर सेना ६५६००० से बढ़कर ८७८००० हो गई। फ्रांस और जर्मनी न केवल यूरोप में, अपितु अफ्रीका में भी एक दूसरे के उत्कर्ष को देखकर जल रहे थे। विदेशी राजनीति में आस्ट्रिया, टर्की और इंग्लैंड को साथ मिलाने एक शक्तिशाली गुट बनाने में जर्मनी का जो सफलता हुई थी, फ्रांस उसे सहन नहीं कर सकता था। इस सिलसिले में इन दोनों राज्यों में जो दौंच पेंच चल रहे थे, उनका उल्लेख हम गत यूरोपीय महायुद्ध (१९१४-१८) के प्रकरण में आगे चलकर करेंगे।

इकतीसवाँ अध्याय

इटालियन राष्ट्र की प्रगति

शासन-विधान—कावूर और विक्टर एमैनुअल द्वितीय ने विविध इटालियन राज्यों को परस्पर मिला कर किस प्रकार एक संगठित इटालियन राष्ट्र का निर्माण किया, यह पहले प्रदर्शित किया जा चुका है। इस नवीन इटालियन राष्ट्र के शासन के लिये एक निश्चित शासन-विधान स्वीकृत किया गया था। पार्लियामैन्ट दो सभाओं से बनी थी—सीनेट और प्रतिनिधि सभा। सीनेट में ३८५ सदस्य होते थे, जिन्हें राजा जीवन भर के लिये मनोनीत करता था। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या ५०८ होती थी, इन्हें सर्वसाधारण जनता ५ वर्ष के लिये चुनती थी। १६१२ के बाद सदस्यों को ३६०० रु० वार्षिक वेतन भी मिलना शुरू हो गया था, इससे गरीब लोग भी प्रतिनिधि सभा में उपस्थित होने के लिये समय निकाल सकते थे। मन्त्रिमण्डल को राजा नियुक्त करता था, पर वह अपने कार्यों के लिये प्रतिनिधि सभा के सम्मुख उत्तरदायी होता था। शासन विधान में नागरिकों के अधिकारों की उद्घोषणा को प्रमुख स्थान दिया गया था। कानून की दृष्टि में सब नागरिक एक समान हैं, लिखने, बोलने, सभायें करने तथा अपने विचारों को प्रकाशित करने का सब नागरिकों को स्वतन्त्र रूप से अधिकार है, और कोई टैक्स पार्लियामैन्ट की

सहमति के बिना नहीं लगाया जा सकता, ये व इसी प्रकार के अन्य अनेक अधिकारों का इसमें उल्लेख किया गया था। संगठित इटली का प्रथम राजा विक्टर एमेनुअल द्वितीय हुआ। उसके बाद १८७८ में उसका लड़का हुम्बर्ट राजगद्दी पर बैठा। १९०० में विक्टर एमेनुअल तृतीय राजा बना।

पोप की समस्या—इटली में पोप तथा चर्च की स्थिति अद्भुत थी। १८७० तक पोप जहाँ रोमन कैथोलिक चर्च का अधिपति था, वहाँ साथ ही अन्य अनेक इटालियन राजाओं के समान इटली के एक राज्य का राजा भी था। रोम और वेनिस के बीच के प्रदेश पर उसका अपना राज्य स्थापित था। विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने इटली को संगठित करते हुए इस राज्य पर भी आक्रमण किया और पोप के राज्य को अपने अधीन कर रोम को इटली की राजधानी बना दिया। इस दशा में पोप की क्या स्थिति हो गई, यह ध्यान में रखने योग्य बात है। इटालियन सरकार ने पोप के प्रभाव तथा शक्ति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये उसे 'स्वतन्त्र राजा' के रूप में स्वीकृत किया। वह अपने राजदूत विदेशों में भेज सके और विदेशी राज्यों के दूत उसके यहाँ रह सकें—यह अधिकार भी स्वीकृत किया गया। पोप जिस प्रासाद में रहता था, उस पर उसका अक्षुण्ण अवाधित शासन कायम रखा गया। वहाँ उसका राजकीय भण्डा फहराता था। इस प्रासाद-रूपी राज्य का वह पूर्ण सम्राट् बना रहा। जो प्रदेश पोप से छीन लिये गये थे, उनके बदले में उसे १९३५००००००० वार्षिक पेंशिन इटालियन राज्यकोष से देते रहने की व्यवस्था की गई। साथ ही, वह रेलवे, तारघर और पोस्ट आफिस का मुक्त में इस्तेमाल कर सके, यह अधिकार भी दिया गया। परन्तु पोप इनसे संतुष्ट नहीं हुआ। पोप न तो यह पेंशिन स्वीकार करते हैं और न अन्य रियायतों का प्रयोग करते हैं। उनकी पेंशिन राज्यकोष में सुरक्षित रूप से इकट्ठी हो रही है।

इटालियन सरकार उसे अपने काम में नहीं लाती। पाप अपने को 'कैदी' समझते हैं, और इटालियन सरकार को स्वीकृत करने के लिये तैयार नहीं होते। वे रोमन कैथोलिक शासकों से अपील भी करते रहे हैं, कि हमें कैद से मुक्त कर फिर पुरानी शानदार स्थिति में ला दो। इतना ही नहीं, वे रोमन कैथोलिक जनता को यह भी कहते रहे हैं कि इटालियन सरकार का गायकाट करें और प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में हिस्सा न लें।

चर्च—चर्च और राज्य इटली में पृथक् नहीं हुए। इटालियन राष्ट्र के संगठन के बाद भी सरकार पादरियों को राज्यकोष से वेतन देती है और चर्च के पदाधिकारियों की नियुक्ति में हाथ रक्षती है। धार्मिक शिक्षा भी इटली में निषिद्ध नहीं है। जहाँ चर्च को अपने शिक्षणालय खोलने का अधिकार है, वहाँ सरकारी व सार्वजनिक शिक्षणालयों में भी धार्मिक शिक्षा को सहिष्णुत नहीं किया गया है।

मताधिकार—१८८२ तक इटली में वोट देने का अधिकार बहुत कम लोगों को प्राप्त था। वोट होने के लिये सम्पत्ति तथा टैक्स आदि की अनेक शर्तें लगी हुई थीं, जिनके कारण २३ फी मदी जनता ही वोट का अधिकार रखती थी। १८८२ में मताधिकार को अधिक विस्तृत किया गया। सम्पत्ति की शर्त को ढीला किया गया और साथ ही प्रत्येक पुरुष को जो लिये पढ़ सकता हो, वोट का अधिकार दिया गया। इस सुधार का परिणाम यह हुआ कि वोटों की संख्या ६ लाख ८० हजार से बढ़कर २० लाख हो गई। परन्तु जनता इतने से भी सतुष्ट नहीं हुई। इस बात के लिये आन्दोलन होता रहा, कि पुरुष मात्र को वोट का अधिकार प्राप्त होना चाहिये। आखिर, १९१२ में यह व्यवस्था की गई कि २० वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक पुरुष को वोट देने का हक हो, शर्तें कि वह पढ़ना लिखना

जानता हो। ३० वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों के लिये यह पढ़ लिख सकने की शर्त भी हटा दी गई। इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप वोटों की संख्या ६० लाख हो गई। इस समय में इटली की कुल आयदादी ३½ करोड़ थी। स्त्रियों तथा बालकों को वोट का अधिकार न था। १९२० में मताधिकार के कानून में फिर सुधार किया गया, जिससे कि २० वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। सम्पत्ति व शिक्षा की सब शर्तें हटा दी गईं। इस प्रकार, धीरे धीरे इटली में पूर्णरूप से लोकतन्त्र शासन को स्थापित करने की ओर पग बढ़ाया गया।

इटली एक राष्ट्र तो बन चुका था, पर उसके निवासियों में राष्ट्रीयता की भावना अभी पूर्णतया विकसित नहीं हुई थी। सदियों तक इटली के विभिन्न प्रदेशों के वासी अपने को टस्कन, रोमन, वेनेटियन, निओपोलिटन, पीडमौन्टीज आदि समझते आये थे। इटली के निवासियों में से इन सकीर्ण तथा प्रादेशिक भावों को निकाल सना सुगम कार्य न था। इसमें सन्देह नहीं, कि सम्पूर्ण इटालियन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का कुछ कुछ विकास हो चुका था। नेपोलियन के एकच्छत्र शासन ने उन्हें राष्ट्रीयता का पाठ भली भाँति पढ़ा दिया था। बहुत से राज्यों ने मिलकर आस्ट्रिया का मुकाबला भी किया था। इससे भी उनमें परस्पर एकता का भाव उत्पन्न हो गया था। पर एक राष्ट्र के बनते ही फिर पुराने भेद प्रगट होने शुरू हो गये। इन प्रादेशिक भावों को इटली में बड़ी मुद्धिमत्ता के साथ और धीरे धीरे नष्ट किया गया। इटालियन सरकार ने जिस ढंग से सम्पूर्ण देश का शासन किया, उससे सब लोगों ने अनुभव कर लिया कि एक संगठित राष्ट्र में रहने से ही सबका भला है। इटली में कौन कौन सी समस्याएँ विद्यमान थीं और सरकार ने उन्हें सुलझाने का किस प्रकार प्रयत्न किया—इस विषय पर सक्षित विचार जहाँ इटली की आधुनिक प्रगति

पर प्रकाश डालेगा, यहाँ यह भी स्पष्ट करेगा कि इस देश में राष्ट्रीय भावनायें किस प्रकार उन्नत तथा स्थिर हो गई हैं।

१८७० म इटली में ७० फी सदी लोग ऐसे थे, जो न पढ़ सकते थे और न लिख सकते थे। देशभक्त लाग भली भाँति अनुभव करते थे कि यह निरक्षरता नवीन इटा'लयन राष्ट्र पर एक बड़ा कलङ्क है। इस कलङ्क को दूर करने के लिये १८७७ में ठोस प्रयत्न प्रारम्भ हुआ। एक कानून पास किया गया, जिसके अनुसार ६ वर्ष की आयु तक के बालकों के लिये शिक्षा ग्राहित कर दी गई। पर शिक्षा का ग्राहित कर देने का कानून पास कर देने से ही काम नहीं चल सकता था। उस समय इटली में शिक्षणालयों की बहुत कमी थी, अध्यापक बहुत थोड़े थे और जो थे भी, उन्हें बतन बहुत कम मिलता था। ग्राहित तथा मुफ्त शिक्षा जारी करने के लिये आवश्यक था कि रुपया प्राप्त किया जावे। पर लोग शिक्षा के प्रसार के लिये नये टैक्स लगवाना नहीं चाहते थे। इन सब दिक्कतों के बावजूद भी १९०१ में अशिक्षितों की संख्या ७० फी सदी से घटकर ५८ फी सदी रह गई। १९०४ में एक और कानून पास हुआ, जिसके अनुसार प्रत्येक ताल्लुके (Commune) में कम से कम एक शिक्षणालय जरूर हो— यह व्यवस्था की गई। साथ ही, बड़ी उमर के लोगों का पढ़ना लिलना सिखाने के लिये ५००० रात्रि पाठशालायें खोली गईं। सिपाहियों को ग्राहित किया गया कि वे इन रात्रि पाठशालायों में रात्रि शिक्षा प्राप्त करें। १९०६ में ३००० नई इमारतें पाठशालायों के लिये बनवाई गईं। इन प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि १९१४ म अशिक्षिता की संख्या केवल २५ फी सदी रह गई। १९१४ में इटली में कुल २१ विश्वविद्यालय थे, जिनमें २५ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे। सरकारी बजट में १०^१/_१ करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च किया जाता था। छत्रगारों और पत्रिकाओं की दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही थी। १८००

से अधिक पुस्तकालय इटली में स्थापित थे। इस प्रकार इटली निरक्षर-स्तरूपी कलङ्क को दूर करता हुआ अपने निवासियों को लोकतन्त्र शासन के योग्य बना रहा था।

इटली चाहता था कि यूरोपियन राज्यों में वह भी सम्मानास्पद स्थान प्राप्त करे। १६ वीं सदी में किसी देश के लिये सम्मानास्पद स्थान प्राप्त करने का अभिप्राय यही था कि उसकी सैनिक शक्ति बहुत उन्नत हो, अन्य देश उसका सिका मानें और वह विदेशी राजनीति-रूपी शतरंज में सफलता के साथ चालें चल सके। इसके लिये इटली में भी बाधित सैनिक सेवा की पद्धति को जारी किया गया। सेना का पुनः संगठन किया गया। नये जङ्गी जहाज बनाये गये। हथियारों से इटली को सुसज्जित करने के लिये जो कुछ भी सम्भव था, किया गया। इन सब उपायों द्वारा इटली को यूरोप में महत्त्वपूर्ण स्थान तो प्राप्त हो गया, पर इसके लिये उसे बड़ी महँगी कीमत देनी पड़ी। इटली का सर्च बहुत बढ़ गया। राष्ट्रीय बजट में घाटा रहने लगा। १८८७ में यह घाटा २५ करोड़ रुपये के लगभग पहुँच गया था। इसके बाद इस घाटे में निरन्तर वृद्धि ही होती गई।

सैनिक उन्नति तथा शिक्षा आदि अन्य कार्यों पर सरकार का इतना अधिक खर्च होने लगा कि उसे सामान्य करों द्वारा पूरा कर सकना असम्भव था। इटली ने राष्ट्रीय ऋण का आश्रय लिया। निरन्तर नये नये ऋण लिये गये। परिणाम यह हुआ कि इटली का राष्ट्रीय ऋण असाधारण रूप से बढ़ गया। १९१४ में राष्ट्रीय ऋण की दृष्टि से इटली का सम्पूर्ण यूरोप में चौथा स्थान था। उसका ऋण अमेरिका की अपेक्षा $3\frac{1}{2}$ गुना अधिक था। इस भारी राष्ट्रीय ऋण का सूद प्रति वर्ष सरकार को अदा करना पड़ता था। इस सूद को अदा करने के लिये, सरकार का सञ्चालन करने लिये, सेना की उन्नति तथा शिक्षा के प्रसार के लिये कपया कहाँ से आता? आखिर, सरकार ने

टैक्स बढ़ाने का निश्चय किया। कर के जो कोई भी साधन सम्भव थे, उन सबको प्रयोग में लाया गया। और तो और रहा, जीवन के लिये अनिवार्य वस्तुओं पर भी टैक्स लगाये गये। रोटी, चाँट, पनीर, तमासू, नमक—कोई भी कर स न बच सता। इनके टैक्स का ज्यादा बोझ गरीब लोगों पर पड़ता था। जनता में असन्तोष बढ़ने लगा। आर्थिक उन्नति की दृष्टि से इटली अभी बहुत उन्नत नहीं था। व्यवसायों का विकास अभी बहुत कम हुआ था। अतः इन नये करों के बोझ से जनता बहुत उद्विग्न हो गई। उनके पास आमदनी तो थी नहीं, कर उन्हें देने ही पड़ते थे। लोग निराश होकर क्रान्तिकारी उपायों का प्रयोग करने के लिये उत्थित हो गये। बहुत सी गुप्त समितियाँ संगठित हो गईं। सेना की उन्नति के लिये इटली की सरकार जो भारी रकम प्रति वर्ष खर्च कर रही थी, वह देश की आर्थिक दशा को देखते हुए सर्वथा अनुचित थी। उस जमाने के देशभक्त तथा राजनीतिज्ञ लोकतन्त्र शासन तथा नई प्रवृत्तियों के प्रबल पक्षपाती होते हुए भी युद्ध के उपकरणों को बढ़ाने में ही अपने देश का कल्याण समझते थे। सरकार जनता के असन्तोष को दूर करने में समर्थ न हो सकी। क्रान्तिकारियों का जोर बढ़ता गया। २६ जुलाई, १९०० को इटली का राजा हुम्बर्ट प्रथम एक सार्वजनिक सभा में पारितोषिक वितरण कर रहा था, उस पर हमला किया गया। हुम्बर्ट मारा गया। जनता में असन्तोष कितना प्रचण्ड रूप धारण कर चुका था, यह इसका अच्छा उदाहरण है। आर्थिक दुर्दशा और असाधारण करों का एक अन्य भी परिणाम हुआ। बहुत से लोग इटली छोड़कर विदेशों में जाकर बसने लगे। प्रतिवर्ष हजारों आदमी अमेरिका और अफ्रीका में जाने लगे। मनुष्यों का यह निर्यात कितना अधिक था, इसका अनुमान इससे हो सकता है कि १८७८ में ६६००० आदमी इटली छोड़कर बाहर चले गये। इसके बाद यह संख्या निरन्तर बढ़ती गई। १९०६ में ७८८००० आदमी

इटली से बाहर गये । हिसाब लगाया गया है, कि १६१० में ६० लाख इटालियन विदेशों में बसे हुए थे । इटालियन लोगों के इस प्रकार इतनी बड़ी संख्या में बाहर जाकर बस जाने से इटली को अनेक लाभ हुए । इटली का व्यापार इससे बहुत बढ़ा । बाहर गये हुए इटालियन लोग स्वाभाविक रूप से अपने देश का माल खरीदना पसन्द करते थे । ये लोग न केवल अपने देश का माल खरीद कर उसे लाभ पहुँचाते थे, पर साथ ही अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने परिवारों के पास इटली में भेजते रहते थे । करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष इस ढंग से इटली पहुँचता था । इटली की आबादी भी इससे कम हो गई थी । जो लोग शेष रहे थे, वे अधिक मजदूरी प्राप्त करने में समर्थ हो गये । विदेशों में रहकर जो इटालियन वापिस लौटते थे, वे अपने साथ नवीन विचार, नवीन रहन-सहन तथा नये ढंगों को ले आते थे । इससे इटली को बहुत लाभ पहुँच रहा था । परन्तु जहाँ इस प्रकार इन बाहर गये आदमियों से इटली का फायदा हो रहा था, वहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि इससे सरकार को समस्या भी बढ़ती जाती थी । ये लोग नये विचारों को लेकर अपने देश को वापिस लौटते थे, अपने देश की आर्थिक दुर्दशा का अन्य देशों की उन्नति से मुकाबला करते थे । इनके कारण जनता में अपनी दुर्दशा का अनुभव होता था । सरकार इस बढ़ते हुए असन्तोष से बहुत अधिक चिन्तित रहती थी । साथ ही, इतने लोगों का अपने देश से बाहर चले जाना राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत हानिकारक था । सेना को इससे हानि होती थी । आखिर, सरकार ने अनुभव किया कि अपने देश की व्यावसायिक उन्नति की ओर ध्यान दिये बिना काम न चलेगा । अगर इटालियन लोगों को अपने ही देश में उपयुक्त काम मिल जावे और लोग स्वदेश में ही सन्तोष के साथ निवास करें, तभी राष्ट्र की असली उन्नति होगी । इस बात को दृष्टि में रखकर इटालियन सरकार ने व्यावसायिक

उन्नति के लिये विशेष उद्योग किया। कल-कारखानों की वृद्धि की गई। व्यवसायों को सरकारी सहायता तथा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। १८६७ से १९१४ तक कुल १७ वर्षों में इटली से बाहर जानेवाली व्यापारिक वस्तुओं की मात्रा तीन गुना बढ़ गई। देखते देखते इटली भी यूरोप के व्यवसायप्रधान देशों में गिना जाने लगा। रेशम की उत्पत्ति में इटली ने विशेष उन्नति की। संसार भर में कुल मिलाकर जितना रेशम पैदा होता था, उसका आधा अकेले इटली में होने लगा।

इस व्यावसायिक उन्नति का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि पूँजी और धर्म सम्बन्धी झगड़े इटली में भी प्रादुर्भूत हो गये। आर्थिक उत्पत्ति का प्रधान भाग पूँजीपति प्राप्त करते थे, धर्मियों की बहुत दुर्दशा थी। खानों तक में स्त्रियाँ और बच्चे कार्य करते थे। धर्मियों की इस दुर्दशा के कारण साम्यवादी आन्दोलकों ने अपना कार्य प्रारम्भ किया। मजदूरों के संगठन कायम किये गये। सरकार को बाधित होना पड़ा, कि मजदूरों की दशा को उन्नत करने के लिये उपायों का अवलम्बन करे। बीमारी, आकस्मिक दुर्घटना, वृद्धावस्था आदि में मजदूरों का आर्थिक प्रबन्ध करने के लिये बीमा कराने की व्यवस्था की गई। सहोद्योग समितियों को प्रोत्साहन दिया गया। मजदूरों के लाभ के लिये ये सब उपाय सरकार ने किये, पर इससे भी उनका असन्तोष दूर नहीं हुआ। कारण यह कि उनकी आमदनी बहुत कम थी, टैक्सों के कारण वे बहुत तंग थे। खाद्य पदार्थों पर टैक्स होने के कारण उनकी कीमत बहुत बढ़ी रहती थी, इससे गरीब मजदूर लोग और भी कष्ट पाते थे। ऐसी दशा में साम्यवाद का प्रसार बिलकुल स्वाभाविक और अवश्यम्भावी था। साम्यवादियों की प्रेरणा से स्थान स्थान पर मजदूरों ने विद्रोह किये। १८६८ में मिलान में भारी विद्रोह हुआ। दोनों तरफ से गलियों और बाजारों में बाकायदा लड़ाई हुई। बड़ी कठिनता से सेना का प्रयोग कर इस विद्रोह को शान्त किया गया।

मिलान की तरह अन्य व्यावसायिक केन्द्रों में भी समय समय पर दंगे होते रहे। बायकाट और हड़ताल का आश्रय लेकर मजदूर लोग निरन्तर अपने असन्तोष को प्रगट करते रहे। प्रतिनिधि सभा में भी साम्यवादियों का जोर बढ़ता गया। १९१३ में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों में १६६ साम्यवादी दल के थे। १९१४ में मजदूर लोगों ने हड़ताल में हड़ताल का उद्घोषणा की। दो दिन तक सारे देश का सम्पूर्ण कारागार बन्द रहा। यह हड़ताल इतनी सफलता से हुई, कि पूँजीपति और पुराने दंग के विचारक लोग घबरा गये। साम्यवाद और मजदूर आन्दोलन कितना गम्भीर रूप धारण कर चुका है, इसका उन्ह भला भाँति परिज्ञान हो गया। १९१४ १८ के यूरोपीय महायुद्ध ने इस साम्यवादी आन्दोलन को कुछ समय के लिये अन्यथासिद्ध सा कर दिया। पर महायुद्ध के समाप्त हात ही साम्यवादियों ने फिर फिर ऊँचा किया। इटली व आधुनिक इतिहास को भली भाँति समझने के लिये इस साम्यवादी आन्दोलन क प्रादुर्भावन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इटली की आर्थिक दुर्दशा, सैनिक व्यय तथा भारी कर हो इनके विकास के प्रधान कारण थे।

इटली न केवल आन्तरिक दृष्टि से इस काल में निरन्तर उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा था, पर विदेशी राजनीति के क्षेत्र में भी उसका पर्याप्त प्रभाव था। इटली की विदेशी नीति को हम दो भागों में बाँट सकते हैं—(१) इटली के जो प्रदेश अभी तक अन्य देशों के अधीन हैं, उन्हें अपनी अधीनता में लाना, और (२) औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना। हम दोनों पर क्रमशः विचार करेंगे—

१८६० में इटली का संगठन भली भाँति स्थापित हो चुका था। पर वह अभी पूर्ण नहीं हुआ था। अभी तक भी दस लाख के लगभग इटालियन ऐसे थे, जो अन्य विदेशी राज्यों के अधीन थे। नीस, सेवॉय और कोर्सिका के प्रदेश फ्रांस के अधीन थे। टिकिनो स्विट्जरलैण्ड के

अन्तर्गत था। डैन्टीनो, ट्रिप्ट, फियूम और डाल्मेटिया पर आस्ट्रिया-हंगरी का कब्जा था। माल्टा ब्रिटेन के अधीन था। इन सब प्रदेशों की जनता इटालियन जाति की थी और इटली की यह स्वाभाविक तथा समुचित आकांक्षा थी कि इन्हें अपने साथ मग्निलित कर लिया जावे। इटालियन राष्ट्रवादी लोग युद्ध व शान्ति, जिस प्रकार भी समभव हो, इन प्रदेशों पर अपना आधिपत्य कायम करने के लिये कटिबद्ध थे। प्रत्येक राजनीतिक निर्वाचन के समय यह प्रश्न तीव्र रूप धारण कर लेता था और अनेक राजनीतिक दल इन प्रदेशों को इटली की अधीनता में लाने के प्रयत्न को अपने कार्यक्रम के रूप में जनता के सम्मुख पेश करते थे। गत यूरोपीय महायुद्ध के बाद इटली की यह आकांक्षा अनेक अंशों में पूर्ण हुई और ८६०० वर्गमील प्रदेश—जिसमें १६ लाख के लगभग आदमी निवास करते थे—उसे प्राप्त हुए। अब राष्ट्रीयता की दृष्टि से इटली प्रायः पूर्ण राष्ट्र बन चुका है, और यूरोप के प्रायः सब इटालियन निवासी एक राष्ट्र में संगठित हो गये हैं।

इटालियन देशभक्त अपनी जाति के सब लोगों को ही एक सूत्र में नहीं बाँधना चाहते थे, अपितु साम्राज्य-विस्तार की भी वे प्रबल आकांक्षा रखते थे। इस जमाने में यूरोप के सभी उन्नतिशील राज्य साम्राज्य-वाद की बीमारी के शिकार थे। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के समान इटली भी अफ्रीका में अपना विस्तार करने की चिन्ता में था। इटली के ठीक सामने भूमध्य सागर के पार ट्यूनिस का प्रदेश था। इटली की इस पर देर से आँख थी। पर फ्रांस भी इसे हड़प लेने की फिरर में था। १८८२ में फ्रांस ने इस पर अपना कब्जा कर लिया, इटली देखता ही रह गया। इटली को यह बात बहुत बुरी लगी। फ्रांस के प्रति उसका विरोध बहुत बढ़ गया। इसी विरोध का फायदा उठा कर विस्मार्क ने इटली को अपने साथ मिला लिया और जर्मनी,

आस्ट्रिया-हंगरी तथा इटली के प्रसिद्ध त्रिगुट का निर्माण हुआ। यह त्रिगुट १६१४ तक कायम रहा।

न्यूनिस के मामले में इटली को नीचा देरना पडा, पर इससे वह निराश नहीं हुआ। अफ्रीका जैसे विशाल महाद्वीप में अन्य अनेक प्रदेश ऐसे विद्यमान थे, जिन पर वह सुगमता से अपना कब्जा कायम कर सका। १८६३ में एरेट्रिया और सोमालिलैण्ड के प्रदेश इटली के अधिकार में आ गये। १९११ में इटली ने टिपोली पर कब्जा किया। यह प्रदेश पहले टर्की के अधीन था। टर्की से मुक्त करके यह प्रदेश प्राप्त किया गया। अफ्रीका के अतिरिक्त एशिया में भी इटली अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। १९०० में चक्तर युद्ध के अनन्तर इटली ने भी चीन में अपना प्रभावक्षेत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार साम्राज्यवाद के क्षेत्र में इटली भी पर्याप्त प्रयत्नशील था। इसी का परिणाम हुआ कि आगे चलकर इटली का औपनिवेशिक साम्राज्य उसके अपने परिमाण से छ गुणा बड़ा हो गया और सत्तार के साम्राज्यों में चौथा स्थान उसे प्राप्त हुआ।

बत्तीसवाँ अध्याय

रशिया में नवयुग का प्रारम्भ

(१) एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन

अलेक्जण्डर प्रथम—नैपोलियन के पतन में रशिया के जार अलेक्जण्डर प्रथम का बड़ा हाथ था। वीएना की कांग्रेस में यूरोप का जो महान् राजनीतिक इन्टेंस हुआ था, अलेक्जण्डर उनमें बहुत ऊँचा स्थान रखता था और 'पवित्र मिश्रमण्डल' का विचार उसी के दिमाग से उत्पन्न हुआ था। इसमें सन्देह नहीं, कि शुरू में अलेक्जण्डर उदार विचारों का पक्षपाती था। उसकी शिक्षा ला हार्प नामक उदार स्विस विद्वान की सरक्षा में हुई थी और फ्रांस की राज्यक्रान्ति ने उस पर बहुत प्रभाव डाला था। नैपोलियन का वह बड़ा आदर करता था। यदि अलेक्जण्डर अपने विचारों को क्रिया में परिणत कर सकता, तो रशिया अन्त से बहुत पहले एक उन्नत देश बन जाता। पर अलेक्जण्डर में एक बड़ी कमजारी थी। उसकी प्रवृत्ति स्थिर नहीं थी। धीरे धीरे उस पर मेटरनिख के जादू ने असर करना शुरू किया और वह अपने उदार विचारों का सबका भूल कर स्वेच्छाचारी शासन का बड़ा भारी पक्षपाती बन गया। मन् १८२० में अलेक्जण्डर की पीठ में एक मामूली सा विद्रोह हुआ। इससे यह इतना परेशान हुआ, कि अपने उदार विचारों का प्रचण्ड विरोधी बन गया। उसका यह दृढ़ विश्वास

हो गया कि स्वतन्त्रता और उदार विचार धर्म, व्यवस्था और समाज के घोर शत्रु हैं और सत्ता में शान्ति स्थापन करने का एकमात्र उपाय यही है कि स्वतन्त्रता के भावों को कुचलने के लिये कोई भी कसर चाही न रखी जावे। इसके बाद से अलेक्जेंडर क्रान्ति की भावनाओं को कुचलने में मेटर्निक का प्रधान सहायक हो गया।

रशिया की समस्याएँ—अलेक्जेंडर ने विशाल रशियन साम्राज्य में किसी एक जाति का निवास न था। उसमें विविध भाषाओं को बोलने वाले अनेक जातियों के लोग रहते थे। रशियन लोगों के अतिरिक्त उसमें मुख्यतया फिन, जर्मन, पोल, यहूदी, तातार, ग्रामोनियन, प्यार्जियन और मगोलियन जातियाँ निवास करती थीं। इस प्रकार रशिया में भी दो मुख्य समस्याएँ थीं। एक राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की और दूसरी लोकतन्त्रशासन स्थापित करने की। फिन, जर्मन, पोल आदि जातियों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो रही थी और वे इस बात को अनुभव करने लगी थीं, कि रशियन लोग विदेशी हैं और हमें विदेशियों के शासन में नहीं रहना चाहिये। विशाल रशियन साम्राज्य में रशियन भाषा ही सर्वत्र प्रयुक्त होती थी, शिक्षणालयों में सब जगह रशियन भाषा पढ़ाई जाती थी। इस बात को अन्य जातियों के लोग सहन नहीं कर सकते थे। फ्रांस की राज्यक्रान्ति द्वारा राष्ट्रीय भावना की जो लहर शुरू हुई थी, वह रशियन साम्राज्य में बसने वाली इन विविध जातियों पर भी प्रभाव डाल रही थी, और वे भी अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये हाथ पैर पटकने लगी थीं। दूसरी समस्या लोकतन्त्र शासन स्थापित करने की थी। रशिया का शासन पूर्णतया एकतन्त्र और स्वेच्छाचार से युक्त था। राजा (जार) जो चाहता था, करता था। वह जिसे चाहता, मन्त्री व राजकर्मचारी बनाता, जिसे चाहता अपने पद से बर्खास्त कर देता। कोई लोकसभा या प्रतिनिधि सभा उस समय रशिया में नहीं थी। रशिया के बहुत से देशभक्त इस दुर्दशा का अनुभव

कर रहे थे और अपने देश में भी लोकतन्त्र शासन स्थापित कर जनता को स्वतन्त्र करने का स्वप्न ले रहे थे। जार ने इन नये उदार विचारों को कुचलने के लिये शक्ति भर कोशिश की। अरबवारों पर कड़ी निगाह रखी गई। मूनिवर्सिटियों में नवीन विज्ञानों का पढ़ाना रोक दिया गया। जो प्रोफेसर उदार व स्वतन्त्र विचारों के पक्षपाती थे, उन्हें निकाल दिया गया।

गुप्तसमितियों का प्रारम्भ—पर इन सब उपायों के प्रयुक्त करने पर भी रशियन साम्राज्य में उदार विचारों का प्रवेश रुका नहीं। धीरे धीरे रशिया में अनेक स्थानों पर गुप्तसमितियों का संगठन शुरू हुआ। जब रशियन देशभक्तों के लिये खुले तौर पर कार्य कर सकना सम्भव न रहा, तो उन्होंने गुप्त उपायों का आश्रय लिया और वे षडयन्त्र तैयार करने में लग गये।

प्रथम विद्रोह—एक दिसम्बर सन् १८२५ को अलेक्जण्डर प्रथम (१८०१-१८२५) की मृत्यु हुई। क्रान्तिकारी गुप्तसमितियाँ ने इस अवसर का पूर्णतया उपयोग किया। अलेक्जण्डर के मरते ही उन्होंने विद्रोह का झण्डा लड़ा किया। अनेक स्थानों पर जनता ने विद्रोह किया। पर क्रान्तिकारियों की शक्ति अभी बहुत न्यून थी। उन्हें कुचलने में जरा भी समय न लगा। अनेक क्रान्तिकारी नेताओं को प्राण दण्ड मिला और जनता में आतंक जमाने के लिये अनेकविध उपायों को प्रयोग में लाया गया।

निकोलस प्रथम और उसकी नीति—अलेक्जण्डर के बाद उसका लड़का निकोलस प्रथम रशियन साम्राज्य का जार (सम्राट) बना। राजगद्दी पर बैठते ही जो विद्रोह हुआ था, उसके कारण निकोलस प्रथम की नीति बहुत कठोर तथा क्रूर हो गई थी। उसका यह दृढ़ विश्वास हो गया था, कि पश्चिमी यूरोप की स्वतन्त्रतायुक्त वायु का प्रवेश रशिया में किसी भी भाँति न होना चाहिये। इसके

लिये उसने बड़े कठोर उपायों का आश्रय लिया। उसने आशा दी कि कोई भी यात्री बाहर से रशिया में प्रवेश न कर सके। इसी तरह कोई भी रशियन नागरिक अनुमति के बिना देश से बाहर यात्रा, व्यापार, अध्ययन या अन्य किसी कार्य पर न जा सके। जो पुस्तकें बाहर से रशिया में आती थीं, उनके निरीक्षण का पूरा प्रबन्ध किया गया। जिनमें नवीन विचारों या विज्ञानों का आभास भी पाया जाता था, उन्हें रशिया में प्रविष्ट न होने दिया जाता था। बहुत से गुप्तचर यूनिवर्सिटी, अखबार, प्रेस, थियेटर आदि का निरीक्षण करने के लिये विशेषरूप से नियत किये गये, ताकि उनमें कहीं नवीन विचार प्रविष्ट न हो जावें। गुप्तचरों को इस बात का पूरा अधिकार दे दिया गया, कि वे जिस व्यक्ति को चाहें गिरफ्तार कर सकें।

पोल विद्रोह—निकोलम प्रथम ने अपने विशाल साम्राज्य में क्रान्ति की प्रवृत्तियों को चुनलने के लिये जो कुछ भी सम्भव था, किया। पर उसे पूर्णतया सफलता नहीं हुई। सन् १८३० में जब फ्रांस से फ्रान्चि की लहर एक बार फिर प्रारम्भ हुई, तो उसका असर रशिया पर भी पडा। पोल लोगों ने वारसा में विद्रोह कर दिया। रशियन कर्मचारी निकाल कर बाहर कर दिये गये। वारसा पर क्रान्तिकारियों का कब्जा हो गया। सामयिक सरकार की स्थापना कर ली गई और पोल लोगों ने २५ जनवरी १८३१ को अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को उद्धोषित कर दिया। पर पोलैण्ड अपनी स्वाधीनता को देर तक कायम नहीं रख सका। शीघ्र ही रशियन सेनाओं ने उस पर आक्रमण किया। पोल लोग शक्तिशाली रशियन सेना का मुकाबला नहीं कर सके। वे परास्त हो गये। पोल लोगों पर भयंकर अत्याचार किये गये। ४५ हजार पोल परिवारों को अपने देश से बहिष्कृत कर कोकेशस के पहाड़ों पर केवल इसलिये भेज दिया गया, ताकि पोल लोगों में अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का स्वप्न ही नष्ट हो जावे। नवीन भावनाओं ने जो दूसरा प्रयत्न

रशिया के विशाल साम्राज्य में किया, वह भी निकोलस के हाथों द्वारा बुरी तरह कुचल दिया गया।

रशियन चर्च—जार के एतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन में रशिया का चर्च उसका प्रधान सहायक था। रशियन साम्राज्य में ईसाई धर्म का प्रचार कोन्स्टेन्टिनोपल के पादरियों द्वारा हुआ था। मध्य काल में ईसाई धर्म के दो मुख्य संगठन थे। एक रोमन कैथोलिक चर्च, जिसका केन्द्र रोम था, दूसरा ग्रीक कैथोलिक चर्च, जिसका केन्द्र कोन्स्टेन्टिनोपल था। क्योंकि रशिया में ईसाइयत का प्रचार कोन्स्टेन्टिनोपल के पादरियों द्वारा हुआ था, अतः यह स्वाभाविक था कि वह ग्रीक कैथोलिक चर्च के संगठन के अन्तर्गत रहे। कई सदियों तक यह अवस्था कायम रही और रशिया के ईसाई कोन्स्टेन्टिनोपल के पैट्रियार्क को अपना धार्मिक नेता मानते रहे। जिस प्रकार रोमन कैथोलिक चर्च के मुखिया को पोप कहते थे, उसी तरह ग्रीक कैथोलिक चर्च के मुखिया को पैट्रियार्क कहा जाता था। पन्द्रहवीं सदी में कोन्स्टेन्टिनोपल को तुर्क आक्रान्ताओं ने जीत लिया। तुर्क लोग मुसलमान थे। उस समय से ग्रीक कैथोलिक चर्च का केन्द्र कोन्स्टेन्टिनोपल नहीं रह सका। रशिया के सम्राटों का खयाल आया कि ग्रीक कैथोलिक चर्च में जो स्थान पहले कोन्स्टेन्टिनोपल के पैट्रियार्क का था, वह अब हमारा होना चाहिये। उस समय से रशिया के जार ही वहाँ चर्च के भी अधिपति हो गये। चर्च राज्य का ही एक अंग बन गया। इस समय जब सम्पूर्ण यूरोप में स्वतन्त्रता की लहर चल रही थी, और लागू धार्मिक मामलों में भी अपने विचारों को स्वाधीन रखना चाहते थे, यह सर्वथा स्वाभाविक था कि रशियन लोगों में भी धार्मिक स्वतन्त्रता के भाव उत्पन्न हों और वे अपने को सरकारी चर्च की अधीनता से मुक्त करने का प्रयत्न करें। जार इस प्रवृत्ति को बड़ी चिन्ता की निगाह से देखता था। उसका यह विश्वास था, कि रशिया में एकता स्थापित रखने के लिये यह आवश्यक है, कि

रशियन चर्च की भी रक्षा की जाय और उसके सब मन्तव्यों को अक्षुण्ण रखा जाय। इसलिये निकोलस प्रथम ने रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट, यहूदी आदि विधर्मियों पर कठोर अत्याचार किये। जो आदमी रशियन चर्च को छोड़ता था, उसे दण्ड दिया जाता था और अनेक प्रकार से इस बात का प्रयत्न किया जाता था, कि सरकारी चर्च का प्राधान्य अक्षुण्ण रूप में बना रहे और उसके विरुद्ध कोई विद्रोह न हो।

क्रीमियन युद्ध—निकोलस प्रथम ने जहाँ अपने साम्राज्य में नवीन भावनाओं को कुचलने का पूरा प्रयत्न किया, वहाँ अपनी शक्ति को बढ़ाने की तरफ भी पूरा ध्यान दिया। वह प्रयत्न साम्राज्यवादी था। उसने बालकन प्रायद्वीप की ईसाई जनता का पक्ष लेकर तुर्की साम्राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। उसकी इस नीति को ग्रेट ब्रिटेन न सह सका। परिणाम यह हुआ कि दोनों राज्यों में युद्ध शुरू हो गया, जो इतिहास में क्रीमियन युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध पर हम एक अन्य अध्याय में प्रकाश डालेंगे।

अभी क्रीमियन युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, कि सन् १८५५ में निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गई।

(२) सुधारों का प्रारम्भ

निकोलस प्रथम के बाद अलेक्जण्डर द्वितीय रूस का सम्राट बना। उसका शासन काल १८५५ से १८८१ तक है। जब वह राजगद्दी पर बैठा, तो क्रीमियन युद्ध जारी था और उसमें रशिया की निरन्तर पराजय हो रही थी। लोग इस बात को बड़ी तीव्रता से अनुभव कर रहे थे कि जारशाही का एकतन्त्र और स्वेच्छाचारी शासन कितना विकृत और दोषपूर्ण है। सुधारों की आवश्यकता सर्वत्र अनुभव की जा रही थी। जार अलेक्जण्डर द्वितीय भी अपने साम्राज्य की असली हालत से

अपरिचित न था। वह बहुत समझदार तथा चाणोच्च आदमी था। उसने इस बात को भली भाँति समझ लिया कि सुधारों के बिना रशिया का उद्धार सम्भव नहीं है। उसने अपनी सहायता के लिये जो मन्त्री नियत किये, वे भी बुद्धिमान् और समय के अनुसार कार्य करने वाले थे। यही कारण है, कि अलेक्जण्डर द्वितीय के शासन काल में रशिया में बहुत से महत्वपूर्ण सुधार हुए, जिनके कारण उसकी दशा में बहुत परिवर्तन आ गया।

रशियन साम्राज्य में सर्वसाधारण जनता की दशा बहुत शोचनीय थी। यूरोप के अन्य देशों में इस समय तरु दासप्रथा या भूमिदास प्रथा (Serfdom) का अन्त हो चुका था। पर रशिया के आधे के लगभग निवासी उन्नीसवीं सदी में भी इन प्रथाओं के शिकार थे। एक लेखक ने हिसाब लगाया है कि सन् १८६० में रशिया में भूमिदासों की संख्या चार करोड़ सत्तर लाख थी। रशिया की सम्पूर्ण भूमि जार या अन्य कुलीन सरदारों की मलिकियत थी। इन जमीनों पर खेती का काम स्वतन्त्र किसान लोग नहीं करते थे। स्वतन्त्र किसान उस समय रशिया में थे ही नहीं। जमींदारों की जागीरों दो भागों में बटी होती थी, एक, जिसकी पैदावार पर जमींदार का हक होता था और दूसरा जिसकी पैदावार से किसान (जो स्वतन्त्र न होकर भूमिदास के रूप में रहता था) अपना गुजारा करता था। जमींदार ने हिस्से वाली जमीन को किसान लोग बिलकुल मुक्त में जोतते बाते थे। सप्ताह मतीन दिन उन्हें अपने जमींदार की जमीन की खेती पर लगाने पड़ते थे। इस भ्रम के बदले में उन्हें कुछ भी उजरत नहीं दी जाती थी। किसान लोग अपने मालिक की जमीन को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जा सकते थे। जब जमींदार अपनी जमीन को बेचता, तो उसने साथ ही उसके किसानों को भी बेच देता था, जैसे कि जमीन पर बने हुए मकान साथ में ही बेच दिये जाते हैं। किसान की स्त्री,

बच्चे, पशु आदि पर भी जमींदार का अपरिमित अधिकार होता था। जमींदार जब चाहे अपने किसानों का पीठ सकता था, उन पर कोड़े बरसा सकता था। जमींदार के सम्मुख वे विलजुल बेगस होते थे। रूस के किसानों की दशा दासों से कुछ ही अच्छी थी। वे अभी अर्ध दास क रूप में विद्यमान थे।

रशिया के किसान अपनी इस दुर्दशा को सहन नहीं कर सकते थे। अनेक बार उन्होंने विद्रोह किये। निकोलस प्रथम क समय में ५०० से ज्यादा किसान विद्रोह हुए। उन्हें बड़ी क्रूरता के साथ कुचला गया। पर अत्याचारों से किसान-विद्रोह घटने के स्थान पर निरन्तर बढ़ते ही जा रहे थे। अलेक्जण्डर द्वितीय के समय में किसानों की समस्या इतना विकट रूप धारण कर चुकी थी, कि उसे चाधित होकर उनकी तरफ ध्यान देना पड़ा। इसी समय अमेरिका में दास प्रथा का अन्त करने क लिये बार आन्दोलन चल रहा था। १८६१ में दास प्रथा के प्रश्न पर ही वहाँ यह कलह का प्रारम्भ हुआ, जिसका द्वारा अब्राहम लिन्कन ने इस घृणित प्रथा की समाप्ति की। रशिया में अलेक्जण्डर द्वितीय ने यहा काय किया, जो अब्राहम लिन्कन ने अमेरिका में किया था। तीन मार्च १८६१ के दिन उसने एक उद्घोषणा प्रकाशित की, जिसका द्वारा किसानों को दासता से मुक्त किया गया। इस उद्घोषणा द्वारा यह व्यवस्था की गई, कि जमींदारों की जमीनों का एक हिस्सा तो उनका ही मल्लिकयत रहे, पर दूसरा हिस्सा उनका मल्लिकयत में न रहकर किसानों के पास चला जावे। इसके लिये जमींदारों को कीमत अदा करने की व्यवस्था की गई, क्योंकि जार जमींदारों का नाराज नहीं रहना चाहता था। उस समय तो जमीन की कामत सरकार की आर से अदा कर दी गई, पर यह व्यवस्था की गई कि उस कीमत को वार्षिक किस्तों में किसानों से वसूल किया जावे। किसानों को अपनी जमीनों की मालगुजारी तो देनी ही थी, अब उसके साथ में

जमीन की कीमत की वापिस किस्त और देनी पड़ी। इससे उन पर टैक्स का बोझ बहुत बढ़ गया। उन्हें अपनी स्वतन्त्रता की कीमत स्वयं अदा करना पड़ा। स्वतन्त्रता की यह कीमत किसानों के लिये बहुत महँगी पड़ी। वे टैक्सों के बोझ से बहुत बुरी तरह दब गये।

जमादारों से जो जमानें किसानों के लिये ली गई थीं, वे वैयक्तिक रूप से किसानों के सुपुत्र नष्ट कर दी गई थीं। उस ग्राम पञ्चायतों के, जिन्हें रूस में 'मीर' कहा जाता था, अधीन किया गया था। मीर में विविध पारिवारिक परिवारों के मुखिया सम्मिलित होते थे। जमींदारों से कीमत द्वारा खरीदा गई जमीनें मीर के अधीन कर दी गई थीं और पञ्चायतों ही इस बात का फैसला करती थी कि अपनी जमीनों को किसानों में किस तरह बाँटा जाय, उनमें क्या फसलें बोई जावें या अन्य व्यवस्थायें किस प्रकार की जावें। पञ्चायत द्वारा जो जमाने किसानों को मिलती थी, वह उसकी मालगुजारी के अतिरिक्त उसकी कीमत की वार्षिक किस्त भी साथ में अदा करता था।

अलेक्जण्डर द्वितीय ने रशिया के शासन में और भी बहुत से महत्वपूर्ण सुधार किये। न्याय विभाग को प्रायः सगठित किया गया। नवीन दण्ड विधान तैयार कर यह व्यवस्था की गई, कि सम्पूर्ण न्यायालयों में उसी के अनुसार निर्णय किये जावें। अखबार, प्रेस, यूनिवर्सिटी आदि पर जो कठोर निरीक्षण था, उसे भी ढीला किया गया। शिक्षा के विस्तार के लिये भी कोशिश की गई। अलेक्जण्डर द्वितीय के इन प्रयत्नों से ऐसा प्रतीत होता था, कि रशिया शीघ्र ही अन्य यूरोपियन देशों का समकक्ष हो जावेगा।

पर अलेक्जण्डर द्वितीय देर तक अपनी इस उदार और उन्नतिशील नीति पर दृढ़ नहीं रहा। सन् १८६३ में पोलैण्ड में फिर विद्रोह हुआ। इस बार भी विद्रोहियों को अपने प्रयत्न में सफलता न हा सकी। यद्यपि पोल देशभक्त तो अपनी आकांक्षा में सफल नहीं हुए, पर उनके

विद्रोह का अलेक्जण्डर द्वितीय की नीति पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने विचारा में बड़ा भारी परिवर्तन हुआ और उसे यह विश्वास हो गया कि उदार नीति का अवलम्बन करने से क्रान्ति का प्रवृत्तियों को उत्तेजना मिलती है। उसने अपनी उदार नीति का परित्याग कर निकालस प्रथम का अनुसरण किया और जनता पर घोर अत्याचार करने प्रारम्भ किये। रूस में फिर से गुप्तचरा का जोलवाला हो गया। शिक्षणालयों, पुस्तकों और अखबारों पर फिर कड़ा निराक्षण शुरू हुआ। निम्न लोगों पर राजनीतिक आन्दोलनों में शामिल होने का सन्देह होता था, उन्हें फिर हजारों की संख्या में गिरफ्तार किया जाने लगा।

इस समय रशिया में सर्वसाधारण जनता के अन्दर बहुत से आन्दोलन चल रहे थे। यद्यपि जारशाही के कर्मचारी नये विचारों को रोकने के लिये जी जान से कोशिश में लगे थे, पर नवीन विचार हवा भी तरह होते हैं, जिन्हें रोक सकना बहुत कठिन होता है। फ्रांस में राज्यक्रान्ति से पहले जिस तरह अनेक सुधारक और विचारक जनता के विचारा में परिवर्तन ला रहे थे, इसी तरह अब रशिया में भी अनेक नये विचारों को पैला रहे थे। रशिया में इन नवीन विचारों को निहिलिस्ट कहते थे। निहिलिस्ट लोग रशिया में जहाँ कहीं भी अन्याय, अत्याचार और कुरीतियों को देखते थे, वही उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। राज्य का स्वच्छाचारी शासन, चर्च का धर्मान्ध स्वरूप और पुराणों प्रथाओं की अनुचित दासता उन्हें समानरूप से असह्य था। वे रशिया में नवयुग लाना चाहते थे। वे मनुष्यों को कहते थे, अपनी अकल से काम लो और समाज की रचना बुद्धि पूर्वक सोच समझ कर करो।

शुरू शुरू में निहिलिस्ट आन्दोलन मिलकुल शान्तिमय था। पर जारशाही के कर्मचारी इस क्रान्तिकारी आन्दोलन को सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने निहिलिस्ट नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया।

शोष ही रशिया की जेलें निहिलिस्ट लोगों से भर गईं। बहुत से लोगों को साइबीरिया भी भेजा गया। जार और उसके कर्मचारी किसी भी तरह की उन्नति व किसी भी प्रकार के नवीन विचार को सहन नहीं कर सकते थे। नया विचार या नवीन भावना उनकी निगाह में उतना ही भयकर अपराध था, जैसा कि किसी को कत्ल करना। रशियन सरकार के इन अत्याचारों का यह परिणाम हुआ कि शान्तिमय आन्दोलन सफल न हो सका। निराश होकर लोगों ने गुप्त उपायों का प्रयोग करना शुरू किया। जिस समय शक्ति से उन्मत्त सरकार जनता को शान्ति के साथ उन्नति नहीं करने देती, तो यह होना बिलकुल स्वाभाविक होता है। रशिया के बहुत से नवयुवकों को अब यह विश्वास हो गया, कि सरकारी आतंक का मुकाबला आतंक से ही करना चाहिये। जनता में सुधार और लोकतन्त्र शासन के लिये कितनी उत्कट आकांक्षा विद्यमान है, इसे प्रदर्शित करने का एक ही उपाय लोगों के पास रह गया, और वह यह कि वे खूनखराबी, हिंसा और शारीरिक शक्ति का प्रयोग करें और इस तरह सरकार तथा सत्तार का ध्यान अपनी ओर रींचें। रशिया के सैकड़ों नवयुवक आतंकवाद और खूनखराबी की तरफ इस समय जो इतनी तेजी से खिंचने लगे, उसका कारण यह नहीं था कि उन्हें खून बहाने का शौक था या उन्हें मनुष्य जाति से घृणा थी। इसका एकरमात्र कारण यह था, कि उनकी सम्मति में अपनी मातृभूमि को बर्धना और अत्याचारों से मुक्त करने का अन्य कोई उपाय न था। वे अपनी ओर से अपने देश की उन्नति के लिये बड़ी से बड़ी कुर्यानी कर रहे थे।

उधर सरकार क्रान्तिकारी लोगों पर भयंकर अत्याचार कर रही थी, इधर क्रान्तिकारी भी चुप नहीं बैठे थे। जार को मारने के लिये अनेक प्रयत्न किये गये। जार की स्पेशल ट्रेन को उड़ाने की कोशिश का गई। सेण्ट पीटर्सबुर्ग में जिस प्रासाद में जार रहता था, उसे एक

क्रान्तिकारी ने बारूद से उड़ा दिया। यह क्रान्तिकारी तरखान के रूप में राजप्रासाद में नौकरी करता था, और मौका पाकर उसने यह भयंकर कार्रवाई किया था। पर जार को कतल करने के ये सब प्रयत्न व्यर्थ गये। क्रान्तिकारियों का संगठन बड़ा दृढ़ था। हथियार तैयार करने के उनके अपने कारखाने थे। वे अपने पृथक् गुप्तचर रखते थे। क्रान्तिकारी दल के प्रत्येक सदस्य को अपने अधिकारियों की आज्ञाओं का अखंड मीचकर पालन करना आवश्यक था। अपने दृढ़ संगठन के कारण उन्हें अनेक स्थानों पर सफलता भी हुई। कुछ ही समय में जार के छः उच्च पदाधिकारी और नौ सरकारी गुप्तचर क्रान्तिकारियों द्वारा कतल कर दिये गये। इन कतलों के कारण रशिया में बड़ी हलचल मची। अतएव, जार को विवश होकर यह स्वीकृत करना पड़ा कि शासन व्यवस्था में सुधार किये बिना कार्य चल सकना असम्भव है। एक नवीन शासन विधान तैयार किया गया, जिसमें जनता को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार दिये गये। जार ने अभी इस नये शासन-विधान पर हस्ताक्षर किये ही थे, कि १३ मार्च १८८१ के दिन क्रान्तिकारियों ने उसे भी कतल कर दिया।

अलेक्जण्डर द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका लड़का अलेक्जण्डर तृतीय रशिया का जार बना। उसका शासन काल १८८१ से १८९४ तक है। अलेक्जण्डर द्वितीय के कतल से वे सुधार, जिन पर उसने अपनी कतल से कुछ घण्टे पहले ही हस्ताक्षर किये थे, ऐसे ही रखे रह गये। उन्हें क्रिया में परिणत नहीं किया गया। अलेक्जण्डर तृतीय के शासन में भी क्रान्तिकारियों को कुचलने के लिये भरपूर कोशिश की गई। जनता पर कठोर से कठोर अत्याचार किये गये। रशिया की जेलें सदा राजनीतिक कैदियों से पूर्ण रहती थीं। सैकड़ों हजारों क्रान्तिकारियों को साहवीरिया भेज दिया गया था। लोगों पर कोड़े भी इस समय खुले तौर निर्दयता के साथ लगाये जाते थे।

अलेक्जण्डर तृतीय भी निकोलस प्रथम का अनुयायी था। उसका मन्तव्य था कि स्वतन्त्रता और नई भावनाओं का एक ही परिणाम हो सकता है, और वह यह कि राष्ट्र नष्ट हो जावे।

उनासवीं सदी में रशिया में राजा और प्रजा का यह भयकर संघर्ष निरन्तर जारी रहा। यदि रशिया के शासक जनता के साथ कुछ भी सहानुभूति का बर्ताव करते और लोगों की माँगों को इस प्रकार निर्दयता पूर्वक न कुचलते, तो क्रांतिकारी आतङ्घादी दल वहाँ इतना प्रबल नहीं न होने पाता। रशिया के नवयुवकों के सम्मुख अपनी शिकायतों का पथ करने का जो अन्य कोई उपाय न रहा, तो उन्होंने विवश होकर इन उपायों का अवलम्बन किया। उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता के लिये जो भयकर कष्ट उठाये, वे इतिहास में वस्तुतः अद्वितीय हैं।

इस काल में रशिया में बहुत से ऐसे साहित्यसेवी और लेखक उत्पन्न हुए, जिन्होंने देश में नवीन भावनाओं का प्रसार करने में बड़ी सहायता की। तुर्गनेव, पुशकिन, टोल्स्टाय और दोस्तोईवस्की इनमें सबसे मुख्य हैं। तुर्गनेव बड़ा भारी उपन्यास लेखक था। उसने अपने उपन्यासों में रशियन किसानों की दुर्दशा का जो मार्मिक वर्णन किया है, उससे विचारशील लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट हुआ। किसानों को दासता से मुक्त करने के लिये जो कानून अलेक्जण्डर द्वितीय के समय में बने, उनमें तुर्गनेव के उपन्यास बहुत सहायक हुए। पुशकिन बड़ा भारी कवि था। उसकी कविताओं ने रशिया में नवजीवन का संचार किया। दोस्तोईवस्की क्रांतिकारी दल का एक नेता था। उसे आजन्म साहरीरिया निवास का दण्ड मिला था। उसने अपने ग्रन्थों में रशिया की आत्मा को ससार के सम्मुख रखा है। रशिया की समस्याओं का जितना सुन्दर वर्णन उसके ग्रन्थों में मिलता है, उतना अन्यत्र मिलना कठिन है। लिओ टोल्स्टाय अपने समय के

सबसे बड़े, साहित्यसेवियों में एक था। सारा संसार उसकी प्रतिभा का सिद्धांत मानता है। उसने अपनी कहानियों और उपन्यासों में अनिष्ट प्रतिरोध के सिद्धान्त का बड़ी प्रबलता के साथ प्रतिपादन किया है। उसने अपने ग्रन्थों के द्वारा एक नवीन विचार सरणी भी दुनिया के सम्मुख रखी है।

यद्यपि रशिया में अभी शासन-सुधार नहीं हुए थे, वहाँ की राजनीतिक संस्थाएँ अभी सोलहवीं सदी से आगे नहीं बढ़ी थीं; पर इन लेखकों और क्रान्तिकारियों के प्रयत्नों से रशिया की जनता बहुत आगे बढ़ चुकी थी।

(३) स्वाधीनता के लिये घोर संघर्ष

अलेक्जेंडर तृतीय की मृत्यु के पश्चात् उसका लड़का निकोलस द्वितीय रशिया का सम्राट् बना। राजगद्दी पर बैठते समय उसकी आयु केवल २६ साल की थी। उसे उत्तम शिक्षा दी गई थी और वह सारे संसार का भ्रमण कर चुका था। लोगों को आशा थी कि वह अपने पिता और पितामह की नीति का अनुसरण न कर समय की गति पर ध्यान देगा और रशिया की समस्याओं पर उदार दृष्टि से विचार करेगा। पर शीघ्र ही निकोलस द्वितीय ने लोगों के भ्रम को दूर कर दिया। राजगद्दी पर बैठने के कुछ दिन बाद ही उसने एक विशिष्ट प्रकाशित को, जिसमें उद्घोषित किया गया कि "सब को यह भलीभाँति समझ लेना चाहिये, कि मैं अपनी सम्पूर्ण शक्तियों को जनता की भलाई के लिये लगाऊँगा, पर एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन के सिद्धान्त का मैं वैसे ही दृढ़ता के साथ अनुसरण करूँगा, जैसे कि मेरे पूर्वज करते आये हैं।"

निकोलस द्वितीय ने एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन के सिद्धान्त का दृढ़ता के साथ अनुसरण करने के लिये प्रेस और पुस्तकों पर सरकारी

निरीक्षण और भी कठोर कर दिया। जिन पुस्तकों में उदार विचारों की जरा भी गन्ध आती थी, उन्हें जन्त करने का हुकुम जारी किया गया। अकेली एक विशति द्वारा दो सौ से अधिक पुस्तकें जन्त की गईं, जिनमें मिल का अर्थशास्त्र, ग्रोन का इङ्गलैण्ड का इतिहास और ब्राइस का अमेरिकन कामनवेल्थ जैसी पुस्तकें भी शामिल की गई थीं। अध्यापक लोग स्कूलों और कालेजों में क्या पढ़ाते हैं, इस पर कड़ी निगाह रखी गई। पुस्तकालय, विद्यालय, कालेज, क्लब आदि को गुप्तचरों से भर दिया गया। विद्यार्थियों, लेखकों और विद्वानों के साथ छाया की तरह गुप्तचर फिरने लगे। सरकार के बारे में बात करना भी गुनाह बना दिया गया। जिस किसी पर जरा भी सन्देह होता था, उसे गिरफ्तार कर जेलखाने में डाल दिया जाता था, या साइबेरिया में निवास के लिये भेज देता था। इस समय निकोलस द्वितीय का सबसे बड़ा सहायक फान लेह नाम का कर्मचारी था, जो अपने अत्याचारों और कठोर नीति के लिये सर्वत्र प्रसिद्ध था।

इन भयंकर अत्याचारों का परिणाम यह हुआ, कि रशिया की सम्पूर्ण जनता स्वाधीनता के संपर्क के लिये उद्यत हो गई। रशियन सरकार का यह खयाल बिलकुल गलत था, कि थोड़े से मार्गभ्रष्ट नवयुवक ही सरकार से असंतुष्ट हैं और सुधार चाहते हैं। वास्तविक बात यह थी कि रशिया के प्रायः सभी निवासी अपनी दशा से असंतुष्ट थे और लोकतन्त्र शासन को स्थापित करने के लिये उत्सुक थे। कार्य करने की विधि में मतभेद अवश्य था, पर सब समान रूप से जार के एकतन्त्र शासन का अन्त करने के लिये इच्छुक थे। रशिया में इस समय निम्नलिखित दल विद्यमान थे—

(१) उदार या वैध राजसत्तावादी दल—इस दल में प्रायः उच्चतिरील जमींदार, पूँजीपति और मध्यश्रेणी के लोग सम्मिलित थे। इनका विचार था कि अन्य यूरोपियन देशों के समान रशिया में भी

पार्लियामेन्ट की स्थापना होनी चाहिये, जिसका निर्वाचन जनता द्वारा हो। यह पार्लियामेन्ट कानून बनाने और टेक्स लगाने में जार के साथ सहयोग किया करे। इस दल के लोगों की यह भी माँग थी कि बोलने, लिखने और प्रेस की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये। लोगों को हक होना चाहिये कि वे स्वतन्त्रता के साथ सार्वजनिक सभायें कर सकें और उनमें सार्वजनिक प्रश्नों पर खुले तौर पर विचार हो सके। गुप्तचरों का जो जाल इस समय रशिया में बिछा हुआ था, और जिस किसी को भी सन्देह पर गिरफ्तार कर लिया जा सकता था, इसके भी ये उदारदल के लोग विरोधी थे। उनका यह भी कहना था कि मजदूरों और किसानों के असन्तोष को दूर करने के लिये उनकी दशा में धीरे धीरे उन्नति करनी चाहिये और ऐसे कानून पास करने चाहियें, जिनसे रशिया के गरीब लोग अपनी दशा का सुधार कर सकें।

(२) साम्यवादी लोकतन्त्र दल—इस दल में शहरों में काम करने वाले मजदूर लोग मुख्य रूप से सम्मिलित थे। मजदूर लोग न केवल जार के एकतन्त्र शासन से असंतुष्ट थे, पर अपनी सामाजिक दशा भी उन्हें असन्तुष्ट न थी। वे वर्तमान सामाजिक संगठन को दोषपूर्ण समझते थे और उसे बदल कर मजदूरों की हुकूमत स्थापित करने के लिये कोशिश करते थे। कार्ल मार्क्स के सिद्धान्त रशिया में भी बड़ी तेजी के साथ फैल रहे थे और साम्यवादी लोकतन्त्र दल के लोग उसी के विचारों को अपने देश में भी क्रियारूप में परिणत करना चाहते थे। पर इस दल के लोग धार्मिकवादी व रूढ़िवादी के पक्षपाती न थे। वे उस समय की प्रतीक्षा में थे, जब कि मजदूर लोग इतने शक्तिशाली और संगठित हो जावेंगे, कि सरकार पर कब्जा कर लेना उनके लिये बहुत सुगम हो जायेगा और मजदूर लोग शक्ति प्राप्त करके राज्य, कारखाने, टारन और रेलवे आदि का सञ्चालन स्वसाधारण जनता के हितों की दृष्टि में स्तकर करेंगे।

(३) साम्यवादी क्रान्तिकारी दल—उदार दल और साम्यवादी लोकतंत्र दलों के लोग शांतिमय तथा वैध उपायों का अनुसरण करते थे। पर उनके अतिरिक्त एक तीसरा दल था, जो अपने को साम्यवादी क्रान्तिकारी दल कहता था। इसके सदस्य हिंसा और आतंकवाद में निश्वास रखते थे। उनका यह विश्वास था, कि जो सरकार जनता पर तरह तरह के अत्याचार करती है और जो अपने बेईमान कर्मचारियों का पेट भरने के लिये लोगों पर अन्याययुक्त टैक्स लगाती है, उसका साथ युद्ध करने में काइ हर्ज नहीं है। ये लोग सरकारी कर्मचारियों को कत्ल करना अपना कर्तव्य समझते थे। इनका संगठन बड़ा दृढ़ और गुप्त था। खुले तौर पर तो ये लोग काम कर ही नहीं सकते थे। अतः इन्होंने बहुत सी गुप्त समितियाँ बनाईं हुई थीं, जो कत्ल के लिये उन अप्सरों को चुनती थीं, जो अपनी क्रूरता और अत्याचारों के कारण उदनाम होते थे। कत्ल के लिये चुने गये अप्सरों की सूची खुले तौर पर प्रकाशित कर दी जाती थी और साथ ही यह भी लिख दिया जाता था, कि क्रान्तिकारी दल न किन अपराधों के कारण इन्हें कत्ल के लिये चुना है। यह ध्यान में रखना चाहिये कि साम्यवादी क्रान्तिकारी दल के लोग रून के प्यास नर पशु नहीं थे। उनमें प्रायः सभी मुशिक्षित और सदाचारी नवयुवक थे, जो देशभक्ति की तीव्र भावना से प्रेरित होकर इस मांग के अनुगामी बने थे। क्रान्तिकारी दल की शक्ति निरन्तर बढ़ती जाती थी और अन्ध उपायों से निराश होकर लोग इस दल में अधिक से अधिक सख्या में सम्मिलित होते जाते थे।

विशाल रशियन साम्राज्य की सरकार के खिलाफ जहाँ ये विविध राजनीतिक दल निरन्तर काम कर रहे थे, वहाँ साम्राज्य के अन्तर्गत विविध जातियाँ भी अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये निरन्तर प्रयत्नशील थीं। ये जातियाँ निम्नलिखित हैं—

(१) पोल जाति—इसकी कुल आबादी ८० लाख थी। धर्म, भाषा, जाति आदि की दृष्टि से ये रशियन लोगों से भिन्न थे। पोल लोग रोमन कैथोलिक धर्म को माननेवाले थे। ग्रीक व रशियन कैथोलिक चर्च में इनका विश्वास नहीं था। इनकी अपनी भाषा थी, जिसे नष्ट करने के लिये रशियन लोग सब प्रकार से प्रयत्न कर रहे थे। पोलैण्ड के शिक्षणालयों में रशियन भाषा पढ़ाई जाती थी। पोल लोग यह बात भूलें न थे कि किसी समय उनका राष्ट्र सर्वथा स्वतन्त्र था। वे स्वतन्त्रता के लिये बहुत उत्सुक थे और अपने देश से रशियन शासन को नष्ट करने के लिये निरन्तर प्रयत्न कर रहे थे।

(२) एस्थोनिया, लिथोनिया और कोरलैण्ड के प्रदेश—रशियन साम्राज्य के अन्तर्गत थे। इनके देहातों में मुख्यतया एस्थ और लेट लोग प्रसिद्ध थे, जो धर्म, भाषा आदि की दृष्टि से रशियन लोगों से भिन्न थे। इन प्रदेशों के नगरों में प्रायः जर्मन लोगों का निवास था। रशियन सरकार इन प्रदेशों पर रशियन रंग चढ़ाने के लिये भरसक कोशिश कर रही थी, जो इनके निवासियों को त्रिलकुल पसन्द नहीं था।

(३) फिन लोग—ये फिनलैण्ड के निवासी थे। १८०६ में अलेक्जेंडर प्रथम ने इस प्रदेश को रशियन साम्राज्य के साथ मिला लिया था। पर अलेक्जेंडर प्रथम ने इस प्रदेश को आन्तरिक स्वतन्त्रता को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया। फिनलैण्ड की अपनी पार्लियामेंट और अपनी सरकार कायम रही, यद्यपि वे लोग रशियन के जार को अपना राजा अवश्य मानते रहे। पर निकोलस द्वितीय फिनलैण्ड का नाममात्र ही राजा होता पसन्द नहीं करता था। उसने १८६६ में फिनलैण्ड को पूर्णतया अपने अधीन करने और उस पर रशियन रंग चढ़ाने का खुल्लमखुल्ला प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। फिनलैण्ड की पार्लियामेंट के प्रायः सभी अधिकार छीन लिये गये। वहाँ की सेना को

रशिया के युद्धमन्त्री के अधीन कर दिया गया। रशियन भाषा सर्वत्र जारी की गई। यह स्वाभाविक था, कि फिन लोग इन परिवर्तनों का घोर विरोध करें। पर इसके लिये निकोलस द्वितीय ने पहले ही सभ तैयारी कर ली थी। वहाँ का शासन करने के लिये चुन चुन कर ऐसे अप्सरों को भेजा गया, जो अपनी क्रूरता के लिये प्रसिद्ध थे। फान झेड को भी वहाँ शासन करने के लिये नियत किया गया। इन कारणों से निकोलस द्वितीय के समय में फिनलैण्ड क्रान्ति, अशान्ति और विद्रोह का बड़ा भारी कन्द्र बन गया।

(४) यहूदी लोग—रशियन साम्राज्य में यहूदियों की संख्या ५० लाख के लगभग थी। ये प्रायः पश्चिमी रशिया में निवास करते थे। धर्म भेद के कारण रशियन लोग इनसे उड़ा द्वेष करते थे। वे जमीन के मालिक नहीं बन सकते थे। व्यापार और व्यवसाय करने में भी इन्हें बहुत सी रुकावटें थीं। स्कूलों और यूनिवर्सिटिया में पढ़ने की भी उन्हें स्वतन्त्रता नहीं थी। बहुत कम यहूदी शिक्षणालयों में प्रवेश पा सकते थे। स्थानीय स्वशासन में उन्हें वोट का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। यहूदी लोग अपनी दुर्दशा का भली भाँति अनुभव करते थे और स्वाभाविक रूप से उनकी सहानुभूति क्रान्तिकारियों के साथ थी। रशिया के एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन का अन्त करने के लिये जो बहुत सी शक्तियाँ काम कर रही थीं, यहूदी लोग भी उनमें से एक थे।

रशियन सरकार विद्रोह के इन विविध तत्त्वों का क्रूरता के साथ मुकाबला कर रही थी। जहाँ एक तरफ विविध राजनीतिज्ञ दलों को नष्ट करने का प्रयत्न हो रहा था, वहाँ दूसरी तरफ स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्नशाल इन जातियों को कुचलने की कोशिश भी जारी थी। पर ज्यों ज्यों फान प्लेह और उसके कर्मचारी स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र शासन की इन भावनाओं का कुचलने का प्रयत्न करते थे, त्यों त्यों वे और भी बढ़ती जाती थीं।

इसी बीच में सन् १९०४ के फरवरी महीने में रशिया का जापान के साथ युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध रशिया और जापान के परस्पर विरोधी साम्राज्यवाद का परिणाम था। इस युद्ध पर हम आगे एक अन्य अध्याय में प्रकाश डालेंगे। यहाँ इतना लिखना पर्याप्त है, कि इस युद्ध में रशिया को सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। जापान ने बड़ी शीघ्रता के साथ रशिया पर आक्रमण किया और अनेक युद्धों में शक्तिशाली विशाल रशियन साम्राज्य छोटे से जापान से परास्त हो गया। इसका कारण यह था कि रशिया की जनता की सहानुभूति युद्ध के साथ नहीं थी। जनता इससे कोई लाभ नहीं समझती थी कि रशियन साम्राज्य में, जो पहले ही इतना विशाल है, कुछ प्रदेश और सम्मिलित हो जावें। उनके लिये अधिक जरूरी प्रश्न अपनी स्वतन्त्रता और अधिकारों की प्राप्ति का था। बहुत से लोगों की तो दिल से जापान के साथ सहानुभूति थी और वे रशिया की पराजय का वृत्तान्त जानकर दिल दिल में खुश हो रहे थे। जनता के इस प्रकार खिलाफ होने पर यह कैसे आशा की जा सकती थी, कि रशियन सरकार जापान को परास्त कर सके। इसके अतिरिक्त, एक बात यह है कि रशियन सरकार की हालत बहुत खराब थी। उसके बहुत से अफसर बेईमान और स्वार्थी थे। शत्रु के साथ युद्ध के समय भी उन्हें अपनी कमाई की फिकर थी। सेना के लिये सामान पहुँचाने के जो ठेके दिये जाते थे, उसमें वे खूब रिश्वत लेते थे और अनेक ठेके खुद लेकर उनमें खूब रुपया मारते थे। इस राष्ट्रीय संकट के समय में भी इन अफसरों को स्वार्थ साधन की चिन्ता थी। जनता के विरोध और सरकार के आन्तरिक पतन का परिणाम यह हुआ, कि रशिया जापान से निरन्तर पराजित होने लगा। १ जनवरी १९०५ के दिन पोर्ट आर्थर के प्रसिद्ध दुर्ग पर जापानी सेनाओं का अधिकार हाँगया। अन्य भी अनेक प्रदेश रशिया के हाथ से निकल गये। रशिया की इन पराजयों से जनता को स्वतन्त्र होने का अन्धछा

असुर हाथ लगा। एतन्न स्वच्छाचारी शासन के जो भी तत्त्व विरोध में थे, वे सब सम्मिलित होकर उसका विरोध करने के लिये कटिबद्ध हो गये। क्रान्तिकारी दल की शक्ति बहुत बढ गई। वटी तेजी के साथ अत्याचारी अफसरों पर बॉम्ब और पिस्तौलों से आक्रमण होने लगे। सरकारी आतङ्कवाद के मूर्तिमान रूप फान प्लेह का तो पहले ही अन्त किया जा चुका था। २८ जुलाई १९०४ को मास्को विश्व विद्यालय के एक विद्यार्थी ने बॉम्ब द्वारा उसको गाडी को उड़ा दिया था। अब अन्य अफसरों पर भी तेजी से हमले शुरू हुए। केवल क्रान्तिकारी दल ही नहीं, अन्य राजनीतिक दलों ने भी दड़े जोर से आन्दोलन करना प्रारम्भ किया। 'एतन्न शासन को नष्ट कर दो।' 'युद्ध को समाप्त कर दो' 'क्रान्ति की जय' आदि के नारों से बारासा, मास्को, सेण्टपीटर्सबुर्ग आदि के बाजार गँजने लगे। नरम दल के लोगों ने जार की सेवा में प्रार्थनापत्र भेजने शुरू किये, जिनमें लोकतन्त्र शासन स्थापित करने के लिये आवेदन किया गया था। अनेक स्थानों पर सार्वजनिक सभाओं में भी सुधार के लिये प्रस्ताव पास किये गये। सारे रशिया में जागृति सी उत्पन्न हो गई।

जिस समय रशिया के शिक्षित और नरम दल के लोग प्रार्थनापत्र तैयार करने और सार्वजनिक सभाओं में सुधार के लिये प्रस्ताव पास करने में लगे थे और क्रान्तिकारी लोग गुप्त रूप से अफसरों के कत्ल में व्यापृत थे, उस समय किसान और मजदूर भी शान्त नहीं बैठे थे। उन लोगों ने अपने ढंग से कार्य प्रारम्भ किया हुआ था। किसानों ने कुलीन जमींदारों पर आक्रमण कर उनके प्रासादों को भस्मसात् करना शुरू कर दिया था। मजदूर लोग अपने कारखानों में हड़ताल कर बाजारों में गस्त लगाते फिरते थे। सब ओर क्रान्ति के चिह्न प्रगट होने लग गये थे। रशिया की जनता में क्रान्ति की जो आग धीरे धीरे सुलग रही थी, वह जापान के साथ युद्ध का लाभ उठाकर इस समय

प्रचण्ड ज्वालामुखियों के रूप में उद्दीप्त हो उठी थी। रशिया की अधीनता में पोल, लिथुएनियन, फिन, जर्मन आदि जातियों के जो लोग निवास करते थे, वे भी इस सुश्रवसर का लाभ उठा कर खुल्लमखुल्ला विद्रोह के लिये तैयार होगये थे। रशियन सरकार को जहाँ एक तरफ जापान जैसे प्रबल शत्रु का मुखाबला करना था, वहाँ अपने साम्राज्य की इस क्रान्ति को भी शान्त करना था।

जार निकोलस द्वितीय ने इस विकट परिस्थिति में बड़े दुराग्रह से कार्य किया। उसने इस समय में ट्रेपोफ्फ नामक एक सेनापति को पुलिस का प्रधान कर्मचारी नियत कर उसे सम्पूर्ण शक्तियाँ प्रदान कर दीं। ट्रेपोफ्फ, स्वेच्छाचारी शासन का प्रबल पक्षपाती था। उसने क्रान्ति को कुचलने के लिये भरसक कोशिश की। यूनिवर्सिटियों को बन्द कर दिया गया, क्योंकि उनमें नवीन विचारों को पनपने का अवसर मिलता था। सब जगह फौजी कानून जारी कर दिया गया। हजारों पुरुषों और स्त्रियों को गिरफ्तार कर उन पर क्रूर से क्रूर अत्याचार किये गये। देहातो में किसानों को बुरी तरह कुचला गया। रशिया के जगली सिपाही उन्हें बड़ी निर्दयता के साथ मारते पीटते थे। पर इन सब अत्याचारों से क्रान्ति की भावना को नष्ट कर सकना सम्भव नहीं था।

२२ जनवरी १९०५ के दिन एक घड़ी की भत्स घटना हुई। सेण्ट पीटर्सबुर्ग के मजदूरों ने जार की सेवा में एक प्रार्थनापत्र भेजा, और निवेदन किया कि २२ जनवरी रविवार के दिन हम लोग आपकी सेवा में उपस्थित होकर अपनी दुःख गाथा सुनावेंगे। हमें सरकार के अफसरों के प्रति जरा भी विश्वास नहीं है, अतः हम आपकी सेना में उपस्थित होकर अपनी शिकायतें पेश करना चाहते हैं। २२ जनवरी को बहुत से मजदूर गैपन के नेतृत्व में एकत्रित हुए और उन्होंने जार के राजप्रासाद की तरफ प्रस्थान किया। ये मजदूर बिलकुल शान्त थे। इनके पास एक भी हथियार नहीं था। पर ज्यों ही ये

राजप्रासाद के समीप पहुँचे, रशियन सैनिकों ने उन पर आक्रमण किया। सैनिकों निहत्थे मजदूर सरकारी सैनिकों की गोलियों से भून डाले गये। हजारों बुरी तरह घायल हुए। इस घटना से सम्पूर्ण मध्य ससार में सनसनी फैल गई। रशियन सरकार कितनी निर्दय और स्वच्छाचारी है, इसका इससे अधिक ठास प्रमाण और क्या हो सकता था? रशिया के नरम दल के लोग भी इससे बहुत उद्विग्न हुए और सेण्ट पीटर्सबुर्ग के प्रायः सभी प्रतिष्ठित और सुशासित लोगों के हस्ताक्षर से एक उद्घोषणा २२ जनवरी के इस हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में प्रकाशित हुई। इसमें निम्नलिखित वाक्य थे—“जनता को यह भली भाँति समझ लेना चाहिये कि सरकार ने सम्पूर्ण रशियन जनता के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित कर दिया है। इस सम्बन्ध में अब कोई भी सन्देह नहीं रह गया है। जो सरकार किरचों और बन्दूकों के अतिरिक्त अन्य किसी साधन से जनता के साथ सम्बन्ध नहीं रख सकती, उसकी जितनी निन्दा की जाये, कम है। हम रशियन जनता की सम्पूर्ण जीवित जागृत शक्तियाँ को इस बात के लिये निमन्त्रण देते हैं, कि वे मजदूरों की सहायता के लिये आगे बढ़ें, क्योंकि मजदूरों ने जो संघर्ष शुरू किया है, वह रशिया के सम्पूर्ण निवासियों के कल्याण के लिये है।”

२२ जनवरी, १९०५ के इस हत्याकाण्ड के बाद रशिया में खुल्लमखुल्ला क्रान्ति प्रारम्भ हो गई। वारसा में पोल लोगों ने विद्रोह कर दिया। दो लाख आदमियों का जुलूस वारसा की गलियों में चकर काटने लगा। सब तरफ पोल राष्ट्रीय झण्डे फहराने लगे। गलियों में मोरचाबन्दी कर ली गई। फिनलैण्ड के लोगों ने स्वाधीनता की घोषणा कर दी। बाल्टिक सागर के तट पर विद्यमान लिथुएनिया आदि प्रदेशों ने भी अपने को स्वतन्त्र उद्घोषित कर दिया। आर्मीनियन और ज्योर्जियन लोगों ने भी विद्रोह का झण्डा लड़ा कर दिया। मजदूर लोग सब जगह हड़ताल की तैयारी करने लगे।

आरि, जार निकोलस द्वितीय की आँखें खुलीं। जब उसने देखा कि स्थिति कावृ से ग़ाहर हो रही है तब वह जनता का सतुष्ट करने के लिये सुधार करने को तैयार हुआ। सुधारों के लिये अनुकूल वातावरण उपन्न करने के लिये पहले ट्रेपोफ़ आदि अत्याचारी अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया। यह उद्घोषित किया गया, कि रशिया में सब लोगों का धार्मिक स्वतन्त्रता दी जाती है, जो आदमी जिस धर्म का चाहे अनुसरण कर सकता है। धर्म के कारण किसी व्यक्ति से कोई अधिकार नहीं छीना जावेगा। पोल, फिन आदि जातियाँ को अपनी भाषा का पूरा अधिकार रहेगा और न्यायालय में साकायदा मुकदमा चलाये बिना किसी व्यक्ति को कोई दण्ड नहीं दिया जावेगा। साथ ही, जापान के साथ युद्ध का भी संधि द्वारा शीघ्र ही अन्त कर दिया गया।

३० अक्टूबर १९०५ को जार निकोलस द्वितीय ने एक उद्घोषणा पत्र द्वारा रशिया में शासन सुधारों को प्रकाशित किया। इस उद्घोषणापत्र द्वारा निम्नलिखित सुधारों की मुख्य रूप से प्रतिज्ञा की गई थी—(१) रशिया में ड्यूमा (पार्लियामैण्ट) की स्थापना की जावेगी। ड्यूमा के सदस्यों का निर्वाचन सक्षमधारण जनता की सम्मति से होगा। (२) कानूनों के निर्माण के लिये ड्यूमा की स्वीकृति आवश्यक होगी। (३) सरकारी कर्मचारों अपना कार्य, लोकमत को दृष्टि में रख कर ही करेंगे और (४) लिखने, बोलने और सावधानिक रूप से सभाय करने का अधिकार जनता को प्राप्त होगा।

• निस्सन्देह, यह जनता की बड़ी भारी विजय थी। जार को लोकमत के सम्मुख सिर झुकाना पड़ा था। क्रान्ति सफल हो गई थी। रशिया का शासन अब एकतन्त्र व स्वैच्छाचारी नहीं रहा था, अब वहाँ वैध राजसत्ता का प्रारम्भ हो गया था।

(४) रशिया में वैध राजसत्ता का विफल प्रयत्न

३० अक्टूबर १९०५ की उद्घोषणा से सर्वसाधारण जनता को बहुत सन्तोष हुआ। लोगों ने समझा, अब सचमुच स्वराज्य की स्थापना हो गई है। इसलिये क्रान्ति का नूपान धीरे धीरे स्वयं शान्त होने लग गया।

डूमा का पहला निर्वाचन एप्रिल १९०६ में हुआ। सरकारी अफसरो और पुलिस ने पूरी कोशिश की, कि ऐसे ही लोग डूमा के लिये निर्वाचित हों, जो जार के पक्षपाती हों। पर उन्हें सफलता न हुई और डूमा के ५२४ सदस्या में से आधे से अधिक ऐसे थे, जो जनता के अधिकारों के पक्षपाती और एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन के निरोधी थे। १६ मई १९०६ को डूमा का पहला अधिवेशन हुआ। शुरू में जार का भाषण हुआ, जिसमें जनता के प्रतिनिधियों को शान्ति और व्यवस्था के नाम पर बहुत से उपदेश दिये गये थे। पर डूमा के सदस्य जार की हाँ में हाँ मिलाने वाले न थे। उन्होंने माँग पेश की, कि सब राजनीतिक कैदियों को मुक्त कर दिया जावे। जापान

परवाह नहीं रही। अतः इस ड्यूमा को बर्खास्त किया जाता है, और अगले नये सिरे से ड्यूमा का निर्वाचन होगा।

५ मार्च १९०७ को दूसरी ड्यूमा का अधिवेशन शुरू हुआ। इस बार गरम दल और विभिन्न क्रान्तिकारी दलों के लोग बहुत बड़ी संख्या में निर्वाचित होकर आये थे। इस बार ड्यूमा ने और भी 'भयकर' प्रस्ताव स्वीकृत करने प्रारम्भ किये। उसने पास किया कि सब बड़ी जागीरें और जायदादा का जन्त कर लिया जावे, पौजी न्यायालय को नष्ट कर दिया जावे और मन्त्रिमण्डल को ड्यूमा के प्रति उत्तरदायी बनाया जावे। ड्यूमा के इस रुत को देखकर सरकार बहुत घबराई। आखिर, यही उचित समझा गया कि इस ड्यूमा को भी बर्खास्त कर दिया जावे और आगे के लिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि वोट का अधिकार बहुत कम लोगों को रह जावे, ताकि ऐसे ही लोग निर्वाचित हो सके, जो राजा और उसके एतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन के हफ में हों। तीसरी ड्यूमा में राजा के पक्षपातियों की संख्या घटोई थी, अतः सरकार को उससे कोई भय न था। इस समय ड्यूमा को सर्वथा निस्तेज कर दिया गया था। १९०५ की राज्यक्रान्ति द्वारा जनता ने जो अधिकार प्राप्त किये थे, वे प्रायः सब उससे छीन लिये गये थे। ड्यूमा का ढाँचा तो रह गया था—पर उसके पास शक्ति कुछ न थी।

इस दशा में रशिया का शासन फिर एतन्त्र और स्वेच्छाचारी हो गया। इस समय प्रधान मन्त्री के पद पर स्टोलिपिन नामक महानुभाव विद्यमान थे। वे बड़े क्रूर और अत्याचारी थे। ड्यूमा को पालतू और अपने हाथ की कठपुतली बनाकर उन्होंने अतः राजनीतिक अशान्ति के अन्य सब चिन्हों को भी कुचलना प्रारम्भ किया। फिर पुराने दमनकारी कानून जारी किये गये। गुप्तचरों का जाल सर्वत्र बिछा दिया गया। नये विचारों को दबाने के लिये यत्न शुरू हो गये। पर क्रान्ति की भावना को नष्ट कर सकना सुगम काम न था। जब रशिया

के देशभक्त लोगों ने देखा कि वैध उपायों से अधिकारों की प्राप्ति सम्भव नहीं रही है, तो उन्होंने फिर क्रान्ति और आतंकवाद के उपायों का आश्रय लिया। एक बार फिर रशिया में गुप्तसमितियों का जोर हो गया। निराश नवयुवक खूनखराबी और कत्ल के लिये उत्तुंग हो गये। सन् १९०७ में ४१३१ सरकारी कर्मचारियों पर हमले किये गये। १९०८ में १००६ सरकारी आदमी क्रान्तिकारियों द्वारा मारे गये या बुरा तरह घायल हुए। उधर स्टोलिपिन भी शान्त नहीं बठा था। उसने १९०७ में १८०० और १९०८ में ८०० क्रान्तिकारियों को प्राणदण्ड दिया और इन दो सालों में १४००० क्रान्तिकारी साइ बीरिया भेजे गये। सरकार और क्रान्तिकारियों का युद्ध पूरे जोर के साथ जारी रहा। आखिर १९१५ में स्टोलिपिन को भी कत्ल करने में क्रान्तिकारी लोग सफल हुए।

सरकार और क्रान्तिकारियों के इस संघर्ष के समय रशिया में डूमा के अधिवेशन बाकायदा होते थे। ऊपर से देखने से प्रतीत होता था, कि रशिया के शासन में जनता के प्रतिनिधियों का हाथ विद्यमान है। पर वस्तुतः यह बात न थी। यद्यपि शुरू में जार ने जो उद्घोषणा प्रकाशित की थी, उसमें वास्तविक रूप से लोकतन्त्र शासन का श्रीगणेश किया गया था, पर कुछ ही समय में उसने अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया था और डूमा के काम चलाकर रहते हुए भी रशिया में पहले जैसा एक तन्त्र स्वेच्छाचारी शासन ही जारी हो गया था। १९०५ की क्रान्ति एक प्रकार से असफल हो गई थी। वह रशिया में उत्तरदायित्वपूर्ण वैध राजसत्ता की स्थापना नहीं कर सकी थी। जार के विशाल साम्राज्य का आधार बीसवीं सदी के प्रारम्भ हो जाने के बाद भी लोकतन्त्र नहीं बना था। वह अब भी भृति प्राप्त करके कार्य करने वाली सेनाओं, पुराने ढर्रे के धर्मांध और समीर्ण पादरियों, स्वार्थसाधन में तत्पर राजकर्मचारियों और कुलीन भेणी के सकुचित स्वार्थों की सहायता पर आश्रित था।

अपने आर्थिक कोष के लिये भी रशियन सरकार जनता की सहायता का भरोसा नहीं रख सकती थी। रशिया को सरकार रुपये पैसे के लिये विदेशी महाजनों और परदेशी सरकारों पर आश्रित थी। उनसे उसे भरपूर आर्थिक सहायता मिलती रहती थी।

यद्यपि रशिया की जनता में जागृति उत्पन्न हो चुकी थी और अनेक बार यहाँ के निवासी सरकार की स्वेच्छाचारिता को नष्ट करने के लिये प्रयत्न भी कर चुके थे, पर कुछ ऐसी रुकावटें थी, जिनके कारण वे अभी बहुत शक्तिशाली नहीं बन सके थे। रशिया बहुत बड़ा देश था। इतने बड़े देश को संगठित कर एक सूत्र में बाँध सकना सुगम कार्य नहीं था। फिर उसमें अनेक जातियों के लोग बसते थे, जो भाषा, धर्म, संस्कृति आदि की दृष्टि से एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। रशियन सरकार के लिये यह बहुत सुगम था कि वह इन्हें आपस में लड़ाती रहे और जब एक स्थान पर विद्रोह हो, तो दूसरे लोगों को उसे कुचलने के लिये प्रयुक्त करे। रशिया के अधिकांश निवासी देहातों में रहते थे और समय की प्रगति से बहुत धीरे धीरे परिचित हो रहे थे। पर इन सब रुकावटों के होते हुए भी रशिया में स्वतन्त्रता की भावना निरन्तर अधिक अधिक प्रबल होती जाती थी, और आखिर वह १९१७ की राज्यक्रान्ति के रूप में फूट पड़ी। इस पर हम यथास्थान विचार करेंगे।

तेतीसवाँ अध्याय

टर्की और वाल्कन प्रायद्वीप के विविध राज्य

(१) उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में टर्की की दशा

मध्यकालीन इतिहास में पूर्वीय यूरोप का बड़ा भाग तुर्की साम्राज्य के अन्तर्गत था। ओथमान (मृत्युकाल १३२६ ई०) के नेतृत्व में तुर्क जाति ने एशिया माइनर में प्रवेश किया। ओथमान के पश्चात् विविध तुर्की सुलतान अपने आधिपत्य को सीरिया, अरब और ईजिप्ट में विस्तृत करते रहे। १४५३ में मुहम्मद द्वितीय ने पूर्वीय रोमन साम्राज्य की राजधानी कोन्स्टेन्टिनोपल पर आक्रमण किया। कोन्स्टेन्टिनोपल परास्त हो गया और तुर्क लोगों की अधीनता में आगया। इस समय से यूरोप में तुर्क लोगों का उत्कर्ष प्रारम्भ हुआ। दो शताब्दियों तक वेनिस की रिपब्लिक और वीएना के हाप्सबुर्ग सम्राट् निरन्तर तुर्क आक्रान्ताओं से संघर्ष करते रहे। इस काल में वाल्कन प्रायद्वीप का बड़ा भाग तुर्कों के अधीन हो गया। कुछ समय के लिये तो तुर्क साम्राज्य की सीमा जर्मन प्रदेश से आ लगी। १८वीं सदी में टर्की की शक्ति क्षीण होनी शुरू हुई। १८१५ में यह स्थिति थी, कि तुर्की साम्राज्य की उत्तरीय सीमा नोस्टेर नदी थी। मोल्डेविया और वेलेचिया के प्रदेश उसकी अधीनता में थे। ये दोनों प्रदेश डेन्यूब नदी के उत्तर में स्थित हैं। इनके नीचे सम्पूर्ण वाल्कन प्रायद्वीप

कौन सी विभिन्न जातियों का निवास था, यह भली भाँति स्पष्ट कर दिया जाव ।

उत्तरीय अफ्रीका में प्रधानतया ऐसी जातियाँ निवास करती थीं, जिनका मूल अरबी व बर्बर कहा जा सकता है । अरब में तो मुख्य रूप से अरबी लोग ही बसते थे । पर कहीं कहीं कुर्द और पर्शियन लोग भी पाये जाते थे । यही दशा अरब के उत्तर में विद्यमान, उपजाऊ अर्ध चन्द्राकार घाटी की थी, जिसमें कि प्राचीन काल में बैबिलोनियन, असीरियन और चैल्डियन साम्राज्यों का विकास हुआ था । सीरिया में यहूदा लोगों का प्राधान्य था । अरब और एशिया माइनर के बीच में स्थित टौरस पर्वत माला के पहाड़ी प्रदेशों में आर्मीनियन और कुर्द जातियों का निवास था । एशिया माइनर में तुर्कों के अतिरिक्त आर्मीनियन तथा ग्रीक लोग भी पर्याप्त संख्या में रहते थे ।

यह तो हुई एशिया और अफ्रीका में विद्यमान तुर्की साम्राज्य की बात । अधिक जटिल समस्या तुर्की साम्राज्य के यूरोपियन प्रदेशों का थी । वहाँ अनेक जातियाँ निवास करती थीं, जो नसल, भाषा, सभ्यता, संस्कृति, धर्म आदि सब दृष्टियों से एक दूसरे से सर्वथा भिन्न थीं और जिनकी तुर्क शासकों के साथ ता कोई समता थी ही नहीं । इनमें अल्बेनियन, ग्रीक, युगो स्लाव या सर्ब, बल्गार और रूमानियन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं । इन पर क्रमशः प्रकाश डालना आवश्यक है ।

अल्बेनियन जाति का निवास आस के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ी प्रदेशों में था । १८६३ में इनकी कुल आबादी १५ लाख के लगभग थी । ये लोग बड़े शूरवीर, लड़ाकू तथा स्वतन्त्र प्रकृति के थे । सभ्यता की दृष्टि से ये पश्चिमी यूरोप के लोगों से बहुत पीछे थे । ये अपने छोटे छोटे गाँवों में बसते तथा कृषि द्वारा अपने जीवन का यापन करते थे । इनके विविध परिवारों तथा ग्रामों में परस्पर लड़ाई

जारी रहती थी। ये लोग उन्नीसवीं सदी में भी प्रायः जङ्गली तथा पिछड़ी हुई दशा में ही विद्यमान थे।

ग्रीक लोगों की आबादी ६० लाख के लगभग थी। वर्तमान ग्रीक लोग प्राचीन ग्रीकों के सीधे वंशज नहीं कहला सकते। ग्रीस में अनेक जातियों के परस्पर मिश्रण की प्रक्रिया बहुत होती रही है, और वहाँ के वर्तमान निवासी इन विविध जातियों के मिश्रण के परिणाम हैं। १६वीं सदी में ग्रीक लोग पर्याप्त उन्नत तथा सम्यक थे। वे लोग शहरों में निवास करते तथा व्यापार द्वारा अपनी आजीविका कमाते थे। पश्चिमी यूरोप में जो नई प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही थीं, उनसे उन्हें अच्छी परिचिति थी, और वे भी अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये उत्सुक थे।

रूमनियन जाति के लोगों की संख्या १ करोड़ २० लाख थी। वे मोल्डेविया, वेलेचिया और ट्रांसिलवेनिया में निवास करते थे। सम्यक्ता की दृष्टि से ये बहुत पिछड़े हुए थे। इनका अच्छा बड़ा भाग अभी पशु पालन द्वारा ही जीवन व्यतीत करता था।

बाल्कन प्रायद्वीप में निवास करने वाली जातियों में युगो स्लाव या सर्व लोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे। पूर्वी यूरोप में स्लाव जातियों का बड़ा प्रभुत्व था। ये सर्व लोग उसी विशाल स्लाव जाति की दक्षिणी शाखा थे। यूरोप भर के स्लाव लोगों में एक प्रकार की एकानुभूति का भाव विद्यमान था। उस भावना से लाम उठा कर वे भी अपने जातीय गौरव की स्थापना तथा टर्कों की शोषणता से मुक्त होने के लिये प्रयत्न करते रहते थे। वर्तमान समय में युगो-स्लाव लोगों की संख्या ८० लाख के लगभग है।

बल्गार लोग प्रधानतया बल्गेरिया में निवास करते थे। अनेक ऐतिहासिकों का विचार है, कि ये लोग तुर्कों की तरह मध्य एशिया से ही आये थे। वर्तमान समय में उनकी आबादी ५५ लाख के लगभग है।

तुर्क लोग प्रायः सम्पूर्ण गाल्फन प्रायद्वीप में बसे हुए थे। पर इन प्रदेशों में उनकी आगामी बहुत आधर नही थी। तुर्क लोग शासकों के रूप में अपने साम्राज्य में रहते थे, शासित जातियों से वे कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे, उन्हें व नीची निगाह से देखते थे। परन्तु उनमें एक विशेषता थी। जो कोई ग्रादमी इस्लाम को स्वीकृत कर लेता था, तथा तुर्की भाषा को अपना लेता था, उसे वे अपने समान समझने लगते थे। तुर्की साम्राज्य में विद्यमान सब मुसलमान तथा तुर्क भाषा भाषी लोग तुर्क समझे जाते थे। यही कारण है, कि वर्तमान समय में इन लोगों को तुर्क कहा जाता है, उनमें से बहुत कम ऐसे हैं, जो वस्तुतः तुरानियन जाति के हैं। अधिकांश लोग ऐसे हैं, जिन्होंने तुर्की धर्म तथा सभ्यता को स्वीकार कर लिया है।

केवल जातियों की दृष्टि से ही तुर्की साम्राज्य विविधता तथा भेदों से युक्त न था, साथ ही उसमें धार्मिक भेदों की भी कमान थी। तुर्क लोग सुन्नी मुसलमान थे। शिया, गृहानी आदि विविध इस्लामी सम्प्रदायों को मानने वाले अनेक लोग भी तुर्की साम्राज्य में रहते थे। मुसलमान जनता में भी धार्मिक एकता नहीं। मुसलमानों के अतिरिक्त यहूदी तथा ईसाई धर्मों को मानने वाले विविध लोग भी तुर्की साम्राज्य में निवास करते थे। ईसाइयों में मुख्य भेद तीन थे—रोमन कैथोलिक, ग्रीक कैथोलिक और ज्यूरिजियन (आर्मोनियन)। इन तीनों सम्प्रदायों के अनुयायी तुर्की साम्राज्य में बहुत बड़ी संख्या में निवास करते थे। तुर्क लोग इन्हें वाफिक समझते थे और घृणा की दृष्टि से देखते थे।

इस वर्णन से भली भाँति समझा जा सकता है कि तुर्की साम्राज्य कितना अस्वभाविक और राष्ट्रीयता के सिद्धान्तों के विरुद्ध था। यूरोप में आर्मेनिया और तुर्की—दो साम्राज्य इस प्रकार के थे, जो नई प्रवृत्तियों की दृष्टि से बहुत प्रतिकूल और अनुचित थे। यही

कारण है, कि संसार के आधुनिक इतिहास में इनका विनाश करने के लिये विविध जातियाँ निरन्तर प्रयत्न करती रही। आस्ट्रिया की तरह टर्की में भी केवल राष्ट्रीयता की ही समस्या नहीं थी। राजा का एक-सत्तात्मक अधिकार ही वहाँ के शासन का आधारभूत सिद्धान्त था। लोकतन्त्र प्रवृत्तियाँ इस स्वेच्छाचारी शासन को कभी सहन न कर सकती थीं। टर्की का शासन किस ढंग से होता था—यह बताने की विशेष आवश्यकता नहीं है। मध्यकाल में सम्पूर्ण यूरोप में जिस ढंग के एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन विद्यमान थे, वैसा ही शासन टर्की में भी था। भेद इतना था कि टर्की का शासक सम्राट् व सुलतान होने के साथ साथ इस्लाम का धार्मिक नेता व खलीफा भी होता था। इसके कारण उसकी स्थिति और भी अधिक शानदार हो जाती थी। टर्की में शासन इतना विकृत हो चुका था, कि राज्य के प्रधान पद नीलाम किये जाते थे। जो सबसे अधिक कीमत देता था, वही राजकीय पद प्राप्त करता था। इस प्रकार भारी रकम सुलतान को प्रदान कर जो लोग राजकीय पदाधिकारी बनते थे, वे स्वाभाविक रूप से अपने पद को निज्जु आमदनी बढ़ाने का साधनमात्र समझते थे। परिणाम यह था, कि टर्की का सम्पूर्ण शासन बहुत ही विकृत हो गया था।

शासन में सुधार करने तथा टर्की की उन्नति के लिये कई सुलतानों ने १६वीं सदी में प्रयत्न प्रारम्भ किया। सलीम तृतीय (१५६६-१६०७) और महमूद द्वितीय (१६०६-१६३६) इनमें प्रमुख हैं। विशेषतया महमूद द्वितीय ने अपने सम्पूर्ण जीवन को टर्की की उन्नति और शासन-सुधार में रखा दिया, पर इसका कोई विशेष परिणाम नहीं हुआ। टर्की पुराने जमाने और धार्मिक सखीर्णता के दलदल में इतना अधिक फँसा हुआ था, कि उसके अपने सुलतान के प्रयत्न भी प्रायः निरर्थक ही रहे।

तुर्की साम्राज्य में जो नई प्रवृत्तियाँ कार्य कर रही थीं, उन्हें हम

दो भागों में बाँट सकते हैं—(१) विविध जातियाँ अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये उद्योग कर रही थीं, और (२) तुर्क लोगों ने अनेक दल इस प्रकार के उत्पन्न हो रहे थे, जो नई रोशनी से परिचित थे, जो अपने देश में पुराने जमाने का अन्त कर नवीन युग की स्थापना करने को उत्सुक थे। ये दोनों कार्य इस समय सम्पन्न हो चुके हैं। ये किस प्रकार सम्पन्न हुए—यही हमें प्रदर्शित करना है।

(२) बाल्कन राज्यों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव

अठारहवीं सदी में ही बाल्कन राज्यों में राष्ट्रीय जागृति का प्रारम्भ हो चुका था। यद्यपि इस प्रायद्वीप में सदियों तक तुर्कों का शासन कायम रहा था, तथापि विविध जातियों में एकता उत्पन्न नहीं हुई थी। बाल्कन प्रायद्वीप अनेक पर्वतमालाओं से आच्छादित है। इन पहाड़ियों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत सुगम नहीं है, और इसी कारण विविध प्रदेशों में बसी हुई भिन्न भिन्न जातियों में परस्पर एकता का प्रादुर्भूत हो सकना सरल बात नहीं थी। तुर्की शासन इन विविध जातियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति सिखाने अपने अन्दर मिश्रित कर लेने में भी असफल हुआ था। अतः जब कि तुर्की शासन क्षीण हो रहा था, अव्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, इन विविध जातियों में अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना का प्रादुर्भूत होना सर्वथा स्वाभाविक था। पश्चिमी यूरोप में राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति उत्पन्न हो चुकी थी। फ्रेञ्च राज्यक्रान्ति तथा नैपोलियन के युद्धों से यूरोप राष्ट्रीयता का लहर से आप्लावित हो रहा था। बाल्कन राज्यों पर उसका प्रभाव पडना अनिवार्य था। पश्चिमी यूरोपियन जातियों का अनुसरण कर बाल्कन जातियाँ भी अपने राष्ट्रीय राज्यों का स्वप्न लेने लग गई थीं। उनकी इस आकांक्षा को उसकाने में अनेक यूरोपीयन राज्य—विशेषतया रूसिया—सहायता प्रदान कर रहे थे।

इन राज्यों का हित इस बात में था, कि टर्की कमजोर हो जावे और बाल्कन प्रायद्वीप की लूट में वे अपना राज्यविस्तार कर सकें।

ये कारण थे, जिनसे बाल्कन राज्यों में राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये संघर्ष प्रारम्भ हुआ। सन् १८०४ में युगोस्लाव व सर्ब लोगों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेता ज्यार्ज पेट्रोविस था। यह सर्बियन विद्रोह निरन्तर अधिक अधिक गम्भार रूप धारण करता गया। विद्रोही लोग बेलग्रेड (सर्बिया का मुख्य नगर) के सूबेदार मुस्तफा पाशा को कत्ल करने में समर्थ हुए। तुर्की सरकार ने जा सेनायें विद्रोह को शान्त करने के लिये भेजी, उन्हें परास्त कर दिया गया। रशिया ने सर्ब लोगों की सहायता की। ज्यार्ज पेट्रोविस के नेतृत्व में सामयिक सर्बियन सरकार भी संगठित कर ली गई। १८१२ तक यह विद्रोह व स्वाधीनता संग्राम जारी रहा। पर आखिरकार तुर्की सरकार विद्रोह को शान्त करने में सफल हुई। ज्यार्ज पेट्रोविस ने आखिरका भाग कर अपने प्राण बचाये और सर्ब लोग फिर पूर्णतया तुर्क शासकों के काबू में आ गये।

१८१२ के विद्रोह में असफल होकर भी सर्ब लोगों में राष्ट्रीय स्वाधीनता का आन्दोलन बन्द नहीं हुआ। १८१५ में फिर विद्रोहामि प्रचण्ड हो उठी। इस बार मिलोश नाम का एक सर्ब सरदार इस विद्रोह का नेता बना। मिलोश बहुत योग्य व्यक्ति था। वह न केवल अच्छा योद्धा था, पर साथ ही राजनीतिक दार्ढ्य पेंच में भी दक्ष था। कुलीन श्रेणी का होने के कारण सर्वसाधारण लोगों में उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा था। १८१७ में मिलोश को अपने प्रयत्न में सफलता हुई। वह तुर्की सुलतान से यह मनवाने में समर्थ हुआ, कि सर्बिया को स्थानीय मामलों में स्वतन्त्रता दी जावे, वे हथियार रख सकें और कुछ हद तक अपना शासन अपने आप कर सकें। इसके बाद भी स्वाधीनता का आन्दोलन जारी रहा। पर सर्बिया का सफलता का वास्तविक प्रारम्भ उस समय में हुआ, जब कि रशिया ने खुल्लमखुल्ला

सर्व आन्दोलन का पक्षपोषण प्रारम्भ किया। १८२६ में रशिया के सम्राट् ने तुर्का सुलतान को बाधित किया, कि अपनी विद्रोही सर्व प्रजा से समझौता करे। रशिया में स्लाव लोग बहुत बड़ी संख्या में निवास करते हैं, सर्बियन लोग भी स्लाव जाति के थे, इस जाति सम्बन्ध के नाते तथा अपनी साम्राज्य विस्तार विषयक आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिये रशिया सर्बियन आन्दोलन से पूर्ण सहानुभूति रखता था। रशिया के सम्राट् के जोर देने पर सुलतान को बाधित होना पड़ा और आखिर वह इस बात के लिये तैयार हो गया, कि सर्बिया को टर्की की अधीनता में स्वतन्त्र तथा पृथक् राज्य के रूप में स्वीकृत कर लिया जाय। इस प्रकार सर्बियन स्वतन्त्रता की नींव पड़ी। १८१६ से सर्बिया एक पृथक् राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। यद्यपि सर्बिया द्वारा टर्की की अधीनता स्वीकृत की गई थी, और उसे मेंट भी वार्षिक रूप से दी जाती थी, तो भी सर्बिया की यह स्वाधीनता कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। कुछ समय बाद मिलोश को नवीन सर्बियन राज्य का राजा निर्वाचित किया गया और यह निश्चित हुआ कि राजगद्दी मिलोश के वंश में ही स्थिर रहे। १८२६ के बाद सर्बिया वस्तुतः स्वतन्त्र राज्य बन गया। यद्यपि बेलग्रेड तथा अन्य बड़े शहरों में तुर्की फौज रहती रही, तो भी सर्बियन लोगों को अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं का पूर्ण करने का उपयुक्त अवसर प्राप्त हो गया और वे स्वाधीन राष्ट्र के रूप में अपना विकास करने लगे।

सर्बिया की तरह ग्रीस में भी राष्ट्रीय स्वाधीनता की आकांक्षा प्रादुर्भूत हो चुकी थी। ग्रीक लोग काफी सम्य तथा उन्नत थे। वे नगरों में निवास करते थे और व्यापार उनका प्रधान पेशा था। समुद्रतट के अत्यन्त विस्तृत होने के कारण भी ग्रीस को अनेक लाभ प्राप्त थे। ग्रीस का प्राचीन गौरव लोगों के सम्मुख था। प्लेटो, अरिस्टोटल और परिक्लीन की पवित्र भूमि इस समय तुर्कों द्वारा पदाक्रान्त हो रही थी। न केवल ग्रीस के निवासी अपितु अन्य यूरोपियन लोग भी इसको

अत्यन्त शोचनीय समझते थे। राष्ट्रीयता की जो लहर पश्चिमी यूरोप में सर्वत्र व्याप्त हो चुकी थी, अब ग्रीस में भी प्रविष्ट हुई और वहाँ के निवासी अपने देश की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये श्रातुर हो उठे। १८२१ में ग्रीक स्वतन्त्रता का संग्राम प्रारम्भ हुआ। मोरिया (प्राचीन पेलोपोनिसस) में विद्रोह की अग्नि प्रचण्ड हो गई। पादरियों ने क्रान्तिकारियों का साथ दिया। इसाई पादरी तुर्कों को काफिर समझते थे। उनके निरुद्ध खूब घृणा का प्रसार किया गया। हजारों मुसलमान पुरुष, स्त्री और बच्चों को कतल किया गया। उधर तुर्क लोगों ने भी अत्याचार करने में कसर न छोड़ी। कोन्स्टेन्टिनोपल में स्थित ग्रीक बैथोलिक चर्च के नेता (पेट्रिआर्क) को कतल कर दिया गया। सर्वत्र ग्रीक प्रजा पर भयकर अत्याचार होने लगे। पर ग्रीक विद्रोह शान्त न हो सका। २७ जनवरी, १८२२ के दिन ग्रीक लोगों ने अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता का बाकायदा ऐलान कर दिया। दोनों तरफ से निरन्तर लड़ाई जारी रही। ग्रीक लोगों ने बड़ी वीरता के साथ तुर्कों का सामना किया। यूरोप के अन्य राज्य इस स्वाधीनता संग्राम को उपेक्षा की दृष्टि से न देख सके। यद्यपि मैटरनिस् आदि पुराने जमाने के पक्षपातियों की सहानुभूति सुलतान के साथ थी, पर यूरोप भर के उदार तथा नये विचारों के लोग ग्रीक विद्रोह का समाचार सुनकर अत्यन्त प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे। ग्रीक लोगों की सहायता करने के लिये अनेक राज्यों में आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। विशेषतया दार्शनिकों, कवियों, और साहित्यिक लोगों को ग्रीस के साथ बड़ी सहानुभूति थी। वे प्लेटो और सुकरात की जन्मभूमि को इस प्रकार म्लेच्छ तुर्कों द्वारा अपमानित होना नहीं देख सकते थे। परिणाम यह हुआ, कि जगह जगह पर ग्रीक स्वतन्त्रता युद्ध को सहायता पहुँचाने के लिये स्वयं सेवक भर्ती किये जाने लगे। इङ्ग्लैण्ड का प्रसिद्ध कवि लार्ड बायरन स्वयं सेवक के रूप में ग्रीक लोगों की सहायता करने के लिये

आगे बढ़ा। १८२७ में यूरोप के अनेक देशों में ग्रीस के पक्ष में लोकमत इतना प्रबल हो गया कि इङ्गलैण्ड, फ्रांस और रशिया की सरकारों ने सम्मिलित रूप से सुलतान से अनुरोध किया कि ग्रीस की स्वतंत्रता को स्वीकार किया जाय। इन राज्यों का कहना था कि ग्रीस तथा उसके समीपवर्ती द्वीपों में जो अराजकता मची हुई है, उससे यूरोप के व्यापार को बहुत नुकसान पहुँच रहा है, अतः ग्रीक लोगों को सतुष्ट कर शीघ्र ही शान्ति तथा व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिये। टर्की का सुलतान इन पाह्य राज्यों के हस्तक्षेप को सहन न कर सका, उसने उसकी जरा भी परवाह न की। परिणाम यह हुआ कि इन तीनों राज्यों के सम्मिलित जहाजी बड़े ने सुलतान की शक्ति का मुकाबला किया। अक्टूबर १८२७ में नेवेरिनो नामक स्थान पर सुलतान का जहाजी बड़ा परास्त हो गया। उधर रशियन सेना उत्तर की तरफ से आक्रमण करती हुई कान्स्टेन्टिनोपल तक पहुँच चुकी थी। इस दशा में भी सुलतान सन्धि करने के लिये उद्यत न हुआ। उसने काफ़िरो के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की। रशियन सरकार ने टर्की से बाकायदा लड़ाई शुरू कर दी। मोल्डेविया और वेलेचिया के प्रदेशों में जो रूमनियन लोग थे, उनमें राष्ट्रीय स्वाधीनता की आकांक्षा विद्यमान थी। वे भी बहुत पहले से अपने को स्वतन्त्र कराने का प्रयत्न कर रहे थे। अब रशिया ने उद्घोषित किया कि हम न केवल ग्रीस को उसके स्वातन्त्र्य युद्ध में सहायता प्रदान करेंगे, पर साथ ही, मोल्डेविया और वेलेचिया को भी तुर्की शासन से मुक्त कराके छोड़ेंगे। रूमनियन लोग भी अपनी स्वाधीनता का यह उत्तम अवसर प्राप्त कर टर्की के विरुद्ध विद्रोह करने को उद्यत हो गये। इस स्थिति में सन्धि कर लेने के सिवा सुलतान के सम्मुख अन्य कोई मार्ग शेष न रहा था। वह सन्धि के लिये तैयार हो गया। १८२९ में एड्रियानोपल में सन्धि कर ली गई। इसके अनुसार, ग्रीस तथा रूमनियन लोगों

की स्वाधीनता को स्वीकृत कर लिया गया। रशिया ने गत युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भाग लिया था, उसे तुर्की समुद्र में अनेक व्यापारिक सुविधायें प्राप्त हुईं। रशिया के लिये काला सागर (ब्लैक सी) से भूमध्यसागर तक पहुँचने का मार्ग—जो टर्की के प्रभाव तथा अधीनता में था—अत्यन्त महत्त्व रखता था। उसमें अनेक सुविधायें प्राप्त कर वह अपने उद्देश्य में बहुत कुछ सफल हो गया।

ग्रीक लोगों की स्वाधीनता को एड्रियानोपल की सन्धि द्वारा १८२६ में ही स्वीकृत कर लिया गया था, पर ग्रीस की सीमायें क्या निश्चित की जावें और टर्की के साथ उसका क्या सम्बन्ध रहे—यह निश्चित होने में कुछ समय लगा। आखिर, १८३२ में ग्रीस को पूर्ण रूप से स्वाधीन मान लिया गया। टर्की का उस पर कोई आधिपत्य न रहा। पहले ग्रीक लोगों की इच्छा थी कि अपने देश में रिपब्लिक की स्थापना की जावे। राष्ट्रपति भी निर्वाचित कर लिया गया था। पर पारस्परिक मतभेदों तथा दलबन्दियों के कारण ग्रीक लोग रिपब्लिक न चला सके। अन्त में यह निश्चय हुआ, कि राजसत्ता की स्थापना की जाय। बवेरिया के राजकुमार ओटो को राजगद्दी अर्पित की गई और ग्रीस स्वतन्त्र राजसत्तात्मक राज्य में परिवर्तित हो गया।

एड्रियानोपल की सन्धि द्वारा ही रूमनियन लोगों की स्वाधीनता को भी स्वीकृत किया गया था। उनके प्रदेशों का भी एक पृथक् राज्य बना दिया गया, जो कि रूमनिया के नाम से प्रसिद्ध है। टर्की के साथ इसका केवल इतना सम्बन्ध रखा गया कि रूमनिया का प्रतिवर्ष एक निश्चित धनराशि भेंट के रूप में टर्की को देनी होती थी।

(३) बाल्कन प्रायद्वीप में अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रारम्भ और क्रीमियन युद्ध

ग्रीस के तुर्की साम्राज्य से निकल जाने पर टर्की की शक्ति बहुत कुछ क्षीण हो गई। अन्य यूरोपियन राज्यों ने समझा कि अपनी शक्ति

जातियों से मिलता जुलती थीं। साथ ही, इस प्रायद्वीप के लोगों का धर्म रशियन लोगों के धर्म के समान था। ईसाइयत का जो सम्प्रदाय रशिया के अधिकांश भाग में प्रचलित था, वही बाल्कन प्रायद्वीप में भी विद्यमान था। टर्की के मुसलमान शासकों के विरुद्ध बाल्कन प्रायद्वीप की ईसाई प्रजा का पक्ष लेकर रशिया सुगमता से उन्हें अपने प्रभाव तथा सरक्षा में ला सकता था।

(२) एशिया में इस समय जो विविध यूरोपीयन राज्य अपना साम्राज्य बना रहे थे, उनमें रशिया और ग्रेट ब्रिटेन प्रमुख थे। ब्रिटेन भारतवर्ष को अपनी अधीनता में ला चुका था। रशिया प्रशान्त महासागर तक उत्तरी एशिया में अपना अधिकार स्थापित कर चुका था। अनेक स्थानों पर इन दोनों साम्राज्यों की सीमाएँ मिलती भी थीं। दोनों को एक दूसरे का भय था।

इसके अतिरिक्त, ब्रिटेन के लिये अपने पूर्वी साम्राज्य में पहुँचने का मार्ग स्वेज के स्थलडमरूमध्य के सिवा अन्य कोई न था।^१ इस मार्ग के आसपास के प्रदेशों पर किसका राज्य है, यह बात ब्रिटेन के लिये अत्यन्त महत्त्व रखती थी। यदि रशिया टर्की की शक्ति को नष्ट कर बाल्कन प्रायद्वीप पर अपना प्रभाव कायम कर ले, तो वह स्वेज के,

१. स्वेज की नहर १८६६ में बनकर तैयार हुई थी। पर स्वेज का मार्ग उससे पहले भी प्रयोग में आता था। उस समय ग्रेट ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीयन राज्यों के जहाज पहले एलेक्जेंड्रिया पहुँचते थे। वहाँ उनका माल-असम्पत्त उतार दिया जाता था। उसे काफिलों द्वारा स्थलमार्ग से स्वेज पहुँचाया जाता था। वहाँ अन्य जहाज तैयार रहते थे। उन पर सब माल लाद दिया जाता था और फिर वे नये जहाज पूर्व में भारत आदि की तरफ आते थे। १८६६ के बाद यूरोप से पूर्व की तरफ जहाजों का सीधा आना-जाना प्रारम्भ हो गया।

इस मार्ग के बहुत नजदीक तक पहुँच जाता था। एशियाई साम्राज्य के अपने सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वन्दी का अपने मार्ग के इतने समीप पहुँच जाना ब्रिटेन को कभी सहन नहीं हो सकता था। टर्की की ताकत बहुत कम थी। ब्रिटेन को उससे कोई डर न था। अतः उसका हित इसी बात में था कि टर्की नष्ट न होने पावे, उसकी थोड़ी बहुत शक्ति कायम रहे, ताकि रशिया बाल्कन प्रायद्वीप पर अपना प्रभाव न जमा सके। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि बाल्कन राज्यों और टर्की के सम्बन्ध में रशिया और ब्रिटेन की नीति एक दूसरे से सर्वथा विरुद्ध थी। वे परस्पर टकर खाती थीं।

(३) रशिया और ग्रेट ब्रिटेन के इन परस्पर विरुद्ध हितों के अतिरिक्त एक और बात है, जिस पर हमें दृष्टि रखनी चाहिये। टर्की के सुलतान का प्रधान सामन्त राजा ईजिप्ट का पाशा था। वह बहुत शक्तिशाली तथा महत्त्वाकांक्षी था। टर्की की शक्ति को क्षीण होते देख वह अपने को स्वतन्त्र करने तथा अपने राज्य को बढ़ाने के प्रयत्न में था। यूरोपियन राज्यों के सम्मुख यह भी समस्या थी कि टर्की को सहायता दें या ईजिप्ट को। फ्रांस किस प्रकार उत्तरी अफ्रीका में साम्राज्य विस्तार के लिये प्रयत्नशील था, इसका उल्लेख आगे चल कर किया जायगा। ईजिप्ट के पाशा की क्या स्थिति हो, यह बात उसके लिये अत्यन्त महत्व की थी। ब्रिटेन भी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता था। इस दशा में विविध यूरोपियन राज्य परस्पर जो दौंव-पेंच चल रहे थे, उन्होंने बाल्कन प्रायद्वीप सम्बन्धी इस अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष को और भी पेचीदा बना दिया था।

ग्रीस के स्वातन्त्र्य युद्ध की समाप्ति पर १८३२ में ईजिप्ट के शक्तिशाली पाशा मोहम्मद अली ने अपने अधिपति सुलतान महमूद द्वितीय के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित किया। सीरिया और पेलोस्टाइन को अपने अधीन कर ईजिप्टियन सेना एशिया माइनर में प्रवेश करने

लगी। अब मुलतान को चिन्ता हुई। उसने ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया से सहायता की प्रार्थना की ब्रिटेन और फ्रांस ने कोई इस पर ध्यान न दिया। पर रशिया सहायता के लिये आगे बढ़ा। इस समय तक रशिया का यह ख्याल था कि तुर्की मुलतान से मित्रता स्थापित कर उसे अपने प्रभाव में लाया जा सकता है। रशियन सेनाओं ने कोन्स्टेन्टिनोपल की तरफ प्रस्थान किया। जब यह समाचार ब्रिटेन और फ्रांस ने सुना, तो वे घबरा गये। रशिया की इस बढ़ती हुई शक्ति तथा प्रभाव को वे सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने हस्तक्षेप किया और टर्की तथा ईजिप्ट में समझौता कराने का उद्योग प्रारम्भ हुआ। एशिया माइनर के दक्षिण पूर्वी प्रदेश तथा सीरिया पर ईजिप्शियन पाशा की सुबेदारी (जिसका अभिप्राय उसका स्वतन्त्र शासन था) स्थापित की गई और इस प्रकार उसे संतुष्ट किया गया। रशिया ने टर्की की सहायता करने के लिये हाथ बढ़ाया था, अतः उसे दो अत्यन्त महत्वपूर्ण सुविधायें प्राप्त हुईं (१) वोस्पोरस और डाडेनल्स के जल-डमरूमध्यों के बीच से रशिया के जंगी जहाज स्वतन्त्रतापूर्वक आ जा सकें और अन्य किसी राज्य की यह अधिकार प्राप्त न हों। (२) जब टर्की पर कोई शत्रु आक्रमण करे, तो रशिया उसकी सहायता करे। यह सन्धि रशिया के लिये बहुत लाभदायक थी। रशिया टर्की का एक प्रकार से संरक्षक बन गया था और काला सागर का सामुद्रिक तट केवल उसके जंगी जहाजों के लिये सुरक्षित रह गया था। रशिया यही दो बातें चाहता था। दोनों उसे पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई थीं।

जब यूरोप के अन्य राज्यों की इस सन्धि का पता लगा, तो उनके रोष की सीमा न रही। अरबवारों में बड़े गरम लेख निकलने लगे। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस इसका विरोध करने के लिये आपे से बाहर हो गये। रशिया का विरोध करने के लिये जंगी जहाजों का एक बेड़ा तुर्की समुद्र में भेजा गया। उधर रशिया भी लड़ाई की तैयारी करने लगा।

युद्ध के बदल आकाश में मँडराने लगे। ऐसा प्रतीत होता था, कि शत्रु लड़ाई हुए बिना न रहेगी। पर कुछ समय के लिये लड़ाई की घड़ी टल गई। अन्दर अन्दर आग धधक रहा थी, पर शत्रु वह सुलग कर ज्वालाश्रा के रूप में प्रगट नहीं हुई थी।

१८३३ में ईजिप्ट के पाशा और तुर्की सुलतान न परस्पर सन्धि हो गई थी। पर यह सन्धि दर तक कायम न रह सकी। सुलतान इस बात से बहुत दुःखी था कि सारया का प्रदेश उसके हाथ से निकल कर पाशा के पास चला गया था। उसने लड़ाई के लिये तैयारी की। १८३६ में तुर्की ने ईजिप्ट के खिलाफ युद्ध उद्घोषित कर दिया। परन्तु इस बार उसकी श्रौर भा बुरा तरह पराजय हुई। याद यूरोपियन राज्य हस्तक्षेप न करते, तो शायद तुर्की उचता भी नहीं। पर ग्रेट ब्रिटेन इस कमजोर राज्य का विनाश नहीं सह सकता था। उसका अपना हित इस बात में था कि तुर्की बना रहे। इन यूरोपियन राज्यों के हस्तक्षेप के कारण तुर्की की रक्षा तो हो गई, पर अब प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि सन्धि किस प्रकार की जावे। फ्रांस ईजिप्ट के पक्ष में था और ब्रिटेन तुर्की के। सारया तो १८३३ का सन्धि के अनुसार तुर्की का सरक्षर ही बना हुआ था। अब जो १८४० में नई सन्धि हुई, उसमें रशिया को उन विशेषाधिकारों का परित्याग करना पड़ा, जो उसने १८३३ में प्राप्त किये थे। रोसबारस और डाडनल्स के जल डमरूमध्यों में जगी जहाजा को ले जाने का एकाधिकार उसके पास न रह गया और तुर्की पर से उसकी सरक्षकता भी नष्ट हो गई। १८४० की सन्धि द्वारा ईजिप्ट के पाशा की शक्ति का सीमित किया गया और यूरोपियन राज्यों ने तुर्की की रक्षा में ही अपना हित समझा।

१८४० से १८५३ तक तुर्की और बाल्कन प्रायद्वीप के मामलों में इसी प्रकार राजनीतिक दौँव पैच जारी रहे। रशिया चाहता था कि तुर्की पर अपना आधिपत्य कायम करे। पहले वह मित्रता की नीति

से टर्की को अपने काबू में करना चाहता था। १८३२-३३ के युद्ध में ईजिप्ट के खिलाफ टर्की की सहायता उसने इसी लिये की थी, कि इससे वह टर्की का संरक्षक बन सकेगा। सामयिक तौर पर उसे अपने उद्देश्य में सफलता भी हुई थी। पर उसके बाद जो घटनायें हुईं, उनसे वह भली भाँति समझ गया कि इस नीति में उसे सफलता नहीं हो सकती, यूरोप के अन्य राज्य यह बात कभी सहन न कर सकेंगे। अतः उसने नई नीति का अनुसरण किया। उसने सोचा, यदि टर्की के साम्राज्य को नष्ट कर अपने कब्जे में कर लिया जाय, तो ठीक रहेगा। परन्तु इस उद्देश्य में ग्रेट ब्रिटेन उसका सबसे बड़ा विरोधी था। अतः रशियन सम्राट् ने विचार किया कि टर्की साम्राज्य को नष्ट कर यदि उसका एक हिस्सा ब्रिटेन को प्रदान कर दिया जाय, तो सम्भवतः काम चल जावेगा। ब्रिटेन यही तो चाहता है, कि स्वेज के मार्ग पर उसका कब्जा रहे। यदि ईजिप्ट तथा स्वेज के प्रदेश उसे मिल जावें, तो उसे लाभ ही लाभ है। रशिया अपने लिये ब्रिटेन से यहो मनाना चाहता था, कि कोन्स्टेन्टिनोपल पर कब्जा करने का उस अधिकार रहे, और बालकन प्रायद्वीप के विविध क्रिश्चियन राज्य (जो कि टर्की साम्राज्य के नष्ट होने पर स्वतन्त्र रूप से स्थापित कर दिये जावेंगे) उसकी सरक्षा में रहें। रशिया समझता था कि इस सौदे में ब्रिटेन का भी पूरा लाभ है, वह इसके लिये तैयार हो जावेगा और यदि रशिया और ब्रिटेन टर्की के मामले में एकमत हो जावें, तो अन्य किसी यूरोपियन राज्य की हिम्मत न होगी कि उनकी सम्मिलित नीति का विरोध कर सके।

इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर १८४४ में रशियन सम्राट् ने इङ्गलैण्ड की यात्रा की। पर वहाँ विदेशी राजनीति के पंडितों ने उसके विचार का स्वागत नहीं किया। १८५३ में यही विचार फिर ब्रिटिश राजदूत के सम्मुख सेण्ट पीटर्सबुर्ग में उपस्थित किया गया।

पर अंग्रेज फिर ब्रिटेन ने रशिया का योजना से असहमति प्रकट की। बात यह है, कि ब्रिटेन एशिया के साम्राज्य में अपना सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धा रशिया को समझता था। वहाँ रशिया यदि कान्स्टेन्टिनोपल पर कब्जा कर बाल्कन प्रायद्वीप पर भी अपना अधिकार स्थापित कर ले, तब तो उसकी शक्ति की कोई सीमा ही न रहेगी। स्थल में तो रशिया बहुत अधिक शक्ति रखता ही था, अंग्रेज जल में भी उसे अपने शक्ति विस्तार का सुवर्णावसर प्राप्त हो जायगा। ईजिप्ट और स्वेज पर यदि ब्रिटेन का कब्जा कायम हो भी जाता, तो उसे विशाल लाभ न था। पण्डिस में ही शक्तिशाली रशिया का हाना उसका लिये भयकर खतरा था। ब्रिटेन रशिया की शक्ति का इस प्रकार बढ़ते हुए कभी न देख सकता था। यही कारण है जिससे उसने रशियन योजना को अस्वीकृत कर दिया। अंग्रेज रशिया के सम्मुख एक ही मार्ग था। वह यह कि ब्रिटेन का विरोध कर वह टर्की पर अपना कब्जा कायम करने का प्रयत्न करे। डार्डेनेल्स और बोस्पोरस के जलमध्य तथा उनके समीपवर्ती प्रदेश उसके लिये नितने महत्वपूर्ण हैं, यह पहले प्रदर्शित किया जा चुका है। रशिया जिस तरह भी सम्भव हो, उन्हें अपनी अधीनता में लाना चाहता था। युद्ध द्वारा अपनी शक्ति परीक्षा के सिवा अंग्रेज उसके सम्मुख अन्य कोई उपाय न था।

ब्रिटेन की ओर से निराशा हाकर रशिया टर्की के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित करने के लिये उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में था। ऐसा अवसर १८५३ में उपस्थित हो गया। ईसाइयों के पवित्र स्थान पेलेस्टाइन और जेरुसलम अनेक सदियों से तुर्की साम्राज्य के अन्तर्गत थे। यूरोप भर से ईसाई यात्री वहाँ पर तीर्थयात्रा के लिये जाते थे। इससे सिवा, इन प्रदेशों की अधिकांश आबादी ईसाई धर्म को माननेवाली थी। तुर्क सुलतान उनसे किस प्रकार का व्यवहार करता है, इस सम्बन्ध में शिकायतों का अवसर सदा विद्यमान रहता था। १८५३ में जेरुसलम के ईसाई

न्यायियों की अनेक शिफायतें रशिया के सम्राट् के कानों तक पहुँची। रशिया का सम्राट् अपने को टर्की साम्राज्य की ईसाई प्रजा का स्वाभाविक सरक्षक समझता था। उसने समझा, टर्की के खिलाफ लड़ाई शुरू करने का यह अच्छा मौका है। मार्च १८५३ में उसने सुलतान के नाम एक अन्तिम सूचना (अल्टिमेटम) जारी की, जिसमें कि यह माँग की गई कि सुलतान रशियन सम्राट् को ईसाई प्रजा का सरक्षक स्वीकृत करे।

रशियन सम्राट् के इस कार्य को ग्रेटब्रिटेन कभी नहीं सह सकता था। उस समय टर्की में ब्रिटिश राजदूत के पद पर लार्ड स्ट्रेटफोर्ड विद्यमान था। उसने सुलतान को प्रेरित किया कि वह रशिया की माँग को स्वीकृत न करे। परिणाम यह हुआ, कि रशियन राजदूत ने टर्की से प्रस्थान कर दिया। ब्रिटेन तो रशिया के विरुद्ध टर्की की सहायता करने को तैयार था ही, उधर फ्रांस ने भी टर्की का पक्ष लिया। फ्रांस का अधिपति इस समय नेपोलियन तृतीय था। उसने उद्घाषित किया कि सुलतान से जो सन्धियाँ पहले हो चुकी हैं, उनके अनुसार टर्की की कैथोलिक प्रजा की मरक्षक फ्रांस है। रशिया को कोई अधिकार नहीं है, कि वह ईसाइयों के मामले में हस्तक्षेप कर सके। रशियन राजदूत के टर्की से चले आने पर भी कुछ महीने तक समझौते के लिये बातचीत जारी रही। परन्तु सुलह क प्रयत्ना को सफलता नहीं हो सकी। अतएव, १८५४ में युद्ध प्रारम्भ हो गया। इसमें फ्रांस और ब्रिटेन रशिया के विरुद्ध टर्की की सहायता कर रहे थे। इतिहास में यह युद्ध 'क्रिमियन युद्ध' के नाम से प्रसिद्ध है। काला सागर में एक अन्तरोप है, जिसका नाम है क्रिमिया। यह युद्ध प्रधानतया क्रिमियन अन्तरोप में लड़ा गया था, इसलिये इसे क्रिमियन युद्ध कहते हैं।

यह क्रिमियन युद्ध दो वर्ष तक जारी रहा। दोनों पक्षा को बहुत-बहुत नुकसान उठाना पड़ा। ५ लाख से अधिक आदमिया का इस

युद्ध में सहार हुआ। अरबों रुपये नष्ट हुए। इतने जन और धन का सहार करके भी ब्रिटिश तथा फ्रेञ्च लोग रशिया को बहुत नुकसान नहीं पहुँचा सके। क्रीमियन अन्तरीप के दक्षिण भाग में स्थित सेवेस्टपोल के घेरे में ही उनकी अत्यधिक शक्त व्यय हो गई। इस दशा में युद्ध को जारी रखना उन्हें बहुत उपयोगी प्रतीत नहीं होता था। उधर रशिया भी युद्ध से तग आ गया था। उसे यह भी खतरा था कि कहीं आस्ट्रिया शत्रुओं के साथ सम्मिलित न हो जावे। आस्ट्रियन सरकार भी बाल्कन प्रायद्वीप में अपनी शक्ति विस्तृत करना चाहती थी। इस आकांक्षा में रशिया सबसे बड़ी रुकावट था। आस्ट्रिया ने समझा उसे परास्त करने का यह अच्छा मौका है। यदि आस्ट्रिया भी रशिया के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित कर देता, तो टर्की का पक्ष बहुत प्रबल हो जाता। इस दशा में रशिया ने भी यही उपयुक्त समझा कि सन्धि कर लेने में ही अपना हित है। ३० मार्च १८५६ को सन्धि हो गई। यह इतिहास में पेरिस की सन्धि के नाम से मशहूर है। सन्धि की मुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं—

(१) टर्की साम्राज्य की स्वतन्त्रता को विविध राज्यों ने सामूहिक रूप से स्वीकृत किया। (२) सन्ने इस बात को स्वीकृत किया कि टर्की साम्राज्य के ग्रान्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे (३) काला सागर को युद्ध की दृष्टि से उदासीन माना गया और यह व्यवस्था की गई कि कोई भी राज्य वहाँ पर अपने जङ्गी जहाजों का बेड़ा न रख सके और न ही उसके तट पर युद्ध के लिये सामान बुटा सके। (४) रूमानिया और सर्बिया में रशिया अपना सरद्वार का अधिकार मानता था। उसने इस अधिकार का परित्याग किया और सब राज्यों ने इन दोनों देशों की स्वतन्त्रता को कायम रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इस प्रकार इस सन्धि में रशिया को बहुत नीचा देखना पड़ा। ब्रिटेन की नीति को पूर्ण सफलता हुई। टर्की के साम्राज्य को कायम रख कर रशिया की महत्त्वा-

काकात्रों को रोका जा सकता है, ब्रिटेन के इस विचार को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हुई।

(४) बाल्कन राज्यों की स्वाधीनता

यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है, कि ग्रेट ब्रिटेन का हित इस बात में था, कि तुर्क साम्राज्य को नष्ट होने से बचाया जाय। रशिया के भय से अपने एशियाई साम्राज्य की रक्षा करने के लिये उसे यह आवश्यक प्रतीत होता था कि टर्की नष्ट न होने पावे। परन्तु टर्की का शासन इतना विकृत था, कि इस नये जमाने में वह देर तक जीवित नहा रह सकता था। मध्यकालीन सत्थायें वहाँ अभी तक नियमान्ता थी। देश का शासन इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता था। धर्म और राजनीति में भेद नहीं समझा जाता था। परिणाम यह था, कि साम्राज्य की ईसाई प्रजा के साथ बहुत अन्याय होता था। इतना ही नहीं, राज्यक्रान्ति से पूर्व फ्रांस में जो अनेकविध बुराइयाँ विद्यमान थीं, वे प्रायः सभी इस समय के टर्की में भी पाई जाती थीं। रश्वत का बाजार गरम था। तुलीन लोगों तथा पुरोहित श्रेणियों के विशेषाधिकारों का कोई अन्त न था। सर्वसाधारण जनता नानाविध करों से पीड़ित थी। सुलतान तथा उसके दरबारियों के लिये अनन्त सम्पत्ति का अपव्यय होता था। इस दुर्दशा को सुधारने का अनेक लोगों ने प्रयत्न किया। पर वे सफल न हो सके। परिणाम यह हुआ, कि सरकार का कर्ज निरन्तर अधि-अधिक बढ़ता गया। पेरिस और लण्डन से बहुत भारी परिमाण में राष्ट्रीय ऋण लिये गये। यदि इस धन को समझदारी से प्रयोग में लाया जाता, तो टर्की की आर्थिक दशा सुगमता से सँभल सकती थी। पर इसे भी भोग विलास में उड़ा दिया गया। आखिर, अधिक ऋण ले सकना भी सम्भव नहीं रहा। अब क्या हो सकता था ? दीवालिया हो जाने के सिवा अन्य कोई

चारा न था। १८७५ में सुलतान ने उद्घोषित किया, कि टर्की दीवालिया हो गया है। अब यूरोप के उत्तमर्ण राज्यों के सम्मुख यह प्रश्न था कि टर्की से कर्ज किस प्रकार वसूल किया जावे। ग्रास्पर, १८८१ में एक अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन नियत किया गया, जिसने कि टर्की की आर्थिक स्थिति को सँभालने का कार्य अपने हाथों में लिया। इससे आर्थिक दृष्टि से टर्की पर विदेशी प्रभाव कायम हो गया। अपने शासन की कमजोरी के कारण टर्की कितना दुर्दशाग्रस्त था, इसका अनुमान करने के लिये यह एक बात ही बहुत पर्याप्त है।

पर टर्की के सम्मुख केवल यही समस्या नहीं थी। उसके साम्राज्य में जो विविध जातियाँ निवास करती थीं, वे सब अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये हाथ पैर मार रही थीं। सर्बिया, ग्रीस और रूमनिया ने किस प्रकार टर्की के खिलाफ विद्रोह किये, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इनके अतिरिक्त अन्य प्रदेश भी स्वतन्त्र होने के लिये उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे। उनमें राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हो चुकी थी। जुलाई, १८७५ में बोस्निया तथा हर्जेगोविना नामक प्रदेशों के रहनेवाले युगोस्लाव लोगों ने विद्रोह किया। १८७४-७५ का साल बाल्कन प्रायद्वीप के लिये बहुत ही भयकर था। वर्षा के अभाव के कारण उस भाल फसलें तिलजुल नष्ट हो गई थीं। किसानों के लिये सरकारी मालगुजारी तब दे सजना असम्भव हो गया था। पर तुर्की सरकार के कर्मचारियों ने रैयत के साथ जरा भी दया व सहानुभूति प्रदर्शित नहीं की। उन्होंने जबरदस्ती कर वसूल करने का प्रयत्न किया। इससे जनता में बहुत असन्तोष फैल गया। रशिया तो बाल्कन जातियों में विद्रोह का प्रसार करने के लिये सदा उद्यत रहता ही था। उसके प्रयत्नों तथा आर्थिक सकट के कारण बोस्निया तथा हर्जेगोविना में विद्रोहामि भड़क उठी। सर्बिया ने विद्रोहियों की सहायता की। बोस्निया तथा हर्जेगोविना में जो जाति निवास करती है, वही सर्बिया में भी रहती

है। अतः उनमें परस्पर सहानुभूति का होना सर्वथा स्वाभाविक था। सर्बिया ने सेना द्वारा विद्रोहियों की सहायता की। तुर्की फौजें परास्त कर दी गईं। कुछ समय के लिये योस्निया और हर्जेंगोविना विदेशी शासकों से मुक्त हो गये। पर अपनी इस सामयिक स्वतन्त्रता को देर तक कायम रख सकना सुगम कार्य न था। अतः विद्रोही युगोस्लाव लोगों ने यूरोप के प्रमुख राज्यों से प्रार्थना की, कि टर्की के विरुद्ध उनकी स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकृत करें। यूरोप के राज्यों के लिये इस सम्बन्ध में अपनी नाति का निर्धारण कर सकना सुगम कार्य न था। इस सम्बन्ध में उनके हित आपस में टकराते थे। कई बार समझौते की कोशिश की गई, पर सफलता नहीं हुई। स्वाभाविक रूप से, सर्बिया और मान्टेनिग्रो (बाल्कन प्रायद्वीप का एक छोटा सा स्वतन्त्र राज्य, जिसमें प्रधानतया स्लाव-जाति का निवास था) अपने सहजातियों को अपने साथ मिलाना चाहते थे। उनकी यह आकांक्षा यूरोपियन राज्य पूर्ण नहीं होने देते थे। परिणाम यह हुआ, कि समझौते की बात चीत से निराश होकर जून १८७६ में उन्होंने टर्की के खिलाफ वाकायदा युद्ध उद्घोषित कर दिया।

जिस समय योस्निया और हर्जेंगोविना के युगोस्लाव लोग टर्की के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, उसी समय उधर बल्गेरियन लोगों ने भी विद्रोह कर दिया था। तुर्की सरकार ने इन विद्रोहियों पर भयंकर अत्याचार किये। बल्गेरियन लोगों में संगठन का अभाव था। उनके निरस्त्र किसानों को भयंकर रूप से कुचला गया। साठ के लगभग ग्रामों को जला कर राख कर दिया गया। १२ हजार से अधिक पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों का कत्ल हुआ। इन अत्याचारों का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिये बल्गेरियन-विद्रोह शान्त हो गया। तुर्की सेना को सर्बिया का मुकाबला करने में भी असाधारण सफलता प्राप्त हुई। स्लाव लोग परास्त हो गये। ऐसा प्रतीत होने लगा कि

सुलतान अपने विशाल साम्राज्य में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने में सफल हो जावेगा। परन्तु बल्गेरिया में जो भयकर अत्याचार हुए थे, उनके समाचार यूरोप के समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे थे। लोग इन्हें पढ़ते थे और अपने ईसाई बन्धुओं पर मुसलमानों द्वारा किये गये इन क्रूर अत्याचारों पर रोष प्रकट करते थे। टर्की का मुसलमान सुलतान बाल्कन राज्यों की ईसाई प्रजा की राष्ट्रीय भावनाओं को इस पाशयिकता से कुचल दे, इस बात को यूरोपियन जनता सहन नहीं कर सकती थी। इङ्ग्लैण्ड में उदार दल के प्रसिद्ध नेता मि० ग्लेडस्टन ने टर्की के विरुद्ध बाल्कन राज्यों की सहायता के लिये आन्दोलन प्रारम्भ किया। समाचारपत्रों और सार्वजनिक सभाओं में बल्गेरिया में किये गये क्रूर अत्याचारों की घोर निन्दा की गई। ग्लेडस्टन तथा उसके अनुयायी उदार नेताओं का विचार था, कि इङ्ग्लैण्ड को अपनी पुरानी नीति का परित्याग कर टर्की के विरुद्ध बाल्कन विद्रोहियों की सहायता करनी चाहिये। पर इस समय पार्लियामेंट में उदार दल का बहुमत नहीं था। अनुदार दल के लोग अभी पुरानी नीति का अनुसरण करने में ही इङ्ग्लैण्ड का हित समझते थे। परन्तु बाल्कन राज्यों में तुर्क शासकों द्वारा किये गये अत्याचारों के जो समाचार निरन्तर प्राप्त हो रहे थे, उन्हें दृष्टि में रखते हुए कुछ न कुछ करना आवश्यक था। आखिर, कोन्स्टेन्टिनोपल में स्थित ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीयन राज्यों के राजदूत एक स्थान पर एकत्रित हुए और उन्होंने आपस में परामर्श करके तुर्की सरकार के सम्मुख निम्नलिखित माँगें पेश कीं—(१) सर्बिया, रुमानिया और मान्टेनिग्रो की स्वाधीनता को पूर्ण रूप में स्वीकृत किया जाय। (यह ध्यान में रखना चाहिये कि ग्रीस पहले ही पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर चुका था।) (२) बल्गेरिया, बोस्निया और हर्जेंगोविना को तुर्की साम्राज्य के अन्तर्गत स्वतन्त्र राज्य के रूप में स्वीकृत किया जाय। तुर्की सरकार इन माँगों को स्वीकृत

करने के लिये तैयार नहीं हुई। अथ रशिया के लिये अर्द्धा मौका था। वह अर्द्धी तरह जानता था, कि सम्पूर्ण यूरोप का लोकमत टर्की के खिलाफ है। इस दशा में यदि उसके विरुद्ध युद्ध उदघोषित कर दिया जाय, तो अन्य कई राज्य विघ्न नहीं डालेंगे। इसी विश्वास से २४ अप्रिल, १८७७ को रशिया ने टर्की के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया।

१८७७-७८ में यह युद्ध बाल्कन प्रायद्वीप के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रशिया की एक सेना आक्रमण करती हुई कोन्स्टेन्टिनोपल के अत्यन्त समीप सन स्टेफिनो नामक गाँव तक पहुँच गई। कोन्स्टेन्टिनोपल रशिया के अधीन होने वाला ही था, कि ग्रेट ब्रिटेन की पुरानी राजनीति ने फिर टर्की का साथ दिया। रशिया के इस उत्कर्ष को ग्रेट ब्रिटेन कभी सहन नहीं कर सकता था। टर्की की सहायता करने वाला इस बार केवल ब्रिटेन ही नहीं था। आस्ट्रिया हंगरी भी रशिया के खिलाफ उभरे मदद पहुँचाने को उत्थत था। बात यह है, कि आस्ट्रिया हंगरी भी अपनी साम्राज्यवाद की भूख को शान्त करने के लिये बाल्कन राज्यों की तरफ गूढ़ दृष्टि से देख रहा था। यदि रशिया जैसा शक्तिशाली राज्य इन्हें अपनी सरक्षा में ले आवे, तब तो आस्ट्रिया हंगरी के लिये इन्हें अपनी अधीनता में ला सकने की कोई भी सम्भावना शेष न रह जाती थी। अतः उसका हित इसी बात में था, कि बाल्कन प्रायद्वीप रशिया के कब्जे में न आने पावे। ग्रेट ब्रिटेन और आस्ट्रिया हंगरी के हस्तक्षेप का परिणाम यह हुआ, कि रशिया के सम्राट् का सन्धि करने के लिये बाधित होना पड़ा। १८७८ में सन्धि हो गई। यह सन्धि सन स्टेफिनो की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी मुख्य मुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं—

(१) रूमानिया, सर्बिया और मोन्टेनिग्रो को पूर्ण स्वाधीन राज्यों के रूप में स्वीकृत किया जावे।

(२) एतन्त्र बल्गेरिया का निर्माण किया जावे, जो

डैन्यूब नदी से ईगियन सागर तक तथा कालासागर से अल्बेनिया तक विस्तृत हो।

(३) रोस्निया, हजेंगोविना तथा आर्मिनिया के प्रदेशों में शासन सुधार किये जावें।

(४) रशिया को हरजाने के तौर पर एक विपुल धन राशि प्रदान की जावे तथा उत्तरी आर्मिनिया के कुछ प्रदेश और दोब्रुजा का प्रदेश उसे प्राप्त हो।

(५) डैन्यूब के तट पर स्थिर तुर्की किलों को तोड़ दिया जावे। जिस समय सन स्टेफिनो की सन्धि की शर्तें यूरोपियन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुईं, तो ब्रिटिश तथा आस्ट्रियन लोग बहुत चिन्तित हुए। इन दोनों देशों का हित इस बात में था कि रशिया की शक्ति न बढ़ने पावे और टर्की का प्रभुत्व कायम रहे। इस सन्धि से रशिया की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। जहाँ एक तरफ उसे विपुल धन राशि तथा अनेक नवीन प्रदेश प्राप्त हुए थे, वहाँ नवीन रूगेरिया पर भी उसका पर्याप्त प्रभाव रहना सर्वथा स्वाभाविक था। रूसिया, रुमानिया और मोन्टेनिग्रो तो पहले ही उसके प्रभाव में थे। ब्रिटिश लोग रशिया के इस उत्कर्ष को कभी सहन न कर सकते थे। उन्होंने आन्दोलन करना प्रारम्भ किया, कि सन स्टेफिनो की सन्धि को रद्द कर यूरोपियन राज्यों का एक नई कान्फरेन्स होनी चाहिये और उसमें नये सिरे से सन्धि की जानी चाहिये। कुछ समय तक तो रशिया ने इस आन्दोलन का विरोध किया, पर सन स्टेफिनो की सन्धि के खिलाफ यूरोपियन लोकमत इतना प्रबल हो चुका था कि रशियन राजनीतिज्ञों ने ब्रिटेन के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेने में ही अपना उल्लास समझा। बर्लिन में यूरोपीयन राज्यों की कान्फरेन्स बुलाई गई और उसमें नये सिरे से बाल्कन प्रायद्वीप की समस्या पर विचार प्रारम्भ

हुआ। बर्लिन कान्फरेन्स में जो व्यवस्थाएँ की गईं, उन्हें संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित करना अत्यन्त उपयोगी है—

(१) सर्बिया, मोन्टनिग्रो तथा रूमानिया को पूर्णतया स्वाधीन राज्यों के रूप में स्वीकृत किया गया। रूमानिया की सीमा के सम्बन्ध में इतना भेद किया गया, कि बेस्सेरेविया का प्रदेश उससे लेकर रशिया को दे दिया गया, परन्तु दोब्रुजा का प्रदेश जो कि सन स्टेफिनो की सन्धि द्वारा रशिया को दिया गया था, अब रूमानिया को प्रदान किया गया।

(२) बल्गेरिया की स्वाधीनता को स्वीकृत किया गया, पर उसे बहुत छोटा सा राज्य बना दिया गया। डैन्यूब नदी तथा बाल्कन पर्वत-माला के मध्यवर्ती प्रदेश तक ही बल्गेरियन राज्य को सीमित कर दिया गया। बाल्कन पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित रूमेलिया के प्रदेश में (यह सन स्टेफिनो की सन्धि के अनुसार बल्गेरियन राज्य के अन्तर्गत था) कुछ शासन-सुधार किये गये, जिनके अनुसार वहाँ का शासन करने के लिये टर्की की अधीनता में एक ईसाई सूबेदार की व्यवस्था की गई। सन स्टेफिनो की सन्धि के अनुसार बल्गेरिया का राज्य बहुत बड़ा था, मेसिडोनिया तक के प्रदेश उसके अन्तर्गत थे। अब उसकी सीमा को बहुत संकुचित कर शेष प्रदेशों को टर्की की अधीनता में ही कायम रखा गया।

(३) बॉस्निया और हर्जेंगोविना के प्रदेश आस्ट्रिया को प्राप्त हुए। ये प्रदेश नाम मात्र को तो टर्की के सुलतान के अधीन रहे गये, पर इनका शासन आस्ट्रिया के सुपुर्द कर दिया गया। आस्ट्रिया बाल्कन प्रायद्वीप में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिये वह रशिया के विरुद्ध टर्की और ग्रेट ब्रिटेन की सहायता करने को उद्यत रहता था। इन प्रदेशों को प्रदान कर उसे भी संतुष्ट किया गया।

क्रिया। सम्पूर्ण बल्गेरियन लोगों को मिलाकर एक शक्तिशाली बल्गेरिया का निर्माण करना चाहिये, इस उद्देश्य को दृष्टि में रख कर बल्गेरियन देशभक्त प्रयत्न करने लगे। रुमेलिया को बल्गेरिया से पृथक् कर कुछ शासन-सुधार दिये गये थे। वहाँ के लोग भी प्रयत्न कर रहे थे, कि बल्गेरिया से मिलकर एक शक्तिशाली संगठित राज्य का प्रादुर्भाव किया जावे। १८८५ में रुमेलिया के निवासियों ने विद्रोह कर दिया और अपने ईसाई सुवेदार को पदच्युत कर बहिष्कृत कर दिया। बल्गेरिया के लिये यह अच्छा मौका था। वहाँ के राजा ने उद्योषित किया कि हम उत्तरीय और दक्षिणी—दोनों बल्गेरियन प्रदेशों के राजा हैं, और रुमेलिया को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया जाता है। तब से ये दोनों प्रदेश एक हो गये और बल्गेरिया की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। बल्गेरियन राजा के इस कृत्य को अन्य यूरोपियन राज्यों ने उचित नहीं समझा। पर अन्ततोगत्वा वे इसको स्वीकृत करने के लिये बाधित हुए।

रुमेलिया की स्वतन्त्रता के बाद यूरोप में तुर्की राज्य बहुत सीमित रह गया। एड्रियाटिक से काला सागर तक का प्रदेश ही—जो स्थूल रूप में मैसिडोनिया के नाम से प्रसिद्ध है—अब टर्की की अधीनता में शेष बचा था। राष्ट्रीय दृष्टि से यह प्रदेश एक न था, इसमें अनेक जातियाँ निवास करती थीं। इसीलिये अनेक लेखकों ने इसे 'जातियों का अद्भुतालय' के नाम से लिखा है। मैसिडोनियन, बल्गेरियन, सर्व, अल्बेनियन, ग्रीक और तुर्क—ये सब जातियाँ इस छोटे से पहाड़ी प्रदेश में निवास करती थीं। इनमें प्रायः लड़ाई-झगड़े जारी रहते थे, और तुर्क शासकों के लिये यह सरल कार्य न था कि इस पर्वत प्रधान देश में सुगमता के साथ शासन कर सकें। साथ ही, इस प्रदेश में राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये भी आन्दोलन जारी था। इस कारण तुर्क शासकों का कार्य और भी कठिन हो गया था।

(४) साइप्रस द्वीप ग्रेट ब्रिटेन को प्राप्त हुआ ।

(५) वेसली और एपिरस के कुछ हिस्से ग्रीस को दिये गये ।

(६) तुर्की सरकार की अधीनता में जो यूरोपियन प्रदेश अब रह गये थे, और जिनकी आबादी मुख्यतया ईसाई धर्म को मानने वाली थी, वे निम्नलिखित थे—मैमिडोनिया, आर्मीनिया और क्रीट । तुर्की सरकार से वचन लिया गया कि इन प्रदेशों में शीघ्र ही शासन-सुधार किये जावेंगे ।

बर्लिन की यह सन्धि आधुनिक यूरोपीय इतिहास में बहुत महत्व-पूर्ण स्थान रखती है । इसकी शर्तों को पढ़ने से दो बातें सर्वथा स्पष्ट हो जाती हैं । प्रथम यह, कि राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की इसमें पूर्णतया उपेक्षा की गई थी । बल्गेरिया के नवीन राज्य का निर्माण करते हुए राष्ट्रीयता के प्रश्न को दृष्टि से ओझल कर दिया गया था । दूसरी बात यह, कि टर्की को कमजोर न होने देने की नीति बर्लिन कान्फरेन्स में भी विशेष सफल नहीं हो सकी थी । सन स्टेफिनो में लूट का प्रधान हिस्सा रशिया ने प्राप्त किया था । बर्लिन की सन्धि में ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रिया और ग्रीस भी उसके साथ हिस्सा बँटानेवाले हो गये थे । पर इसमें सन्देह नहीं, कि बर्लिन की सन्धि द्वारा लड़खड़ता हुआ टर्की कुछ देर तक और सँभल गया था । यूरोप में उसकी शक्ति अभी बहुत पर्याप्त थी ।

१८७७-७८ की उथल पुथल के बाद बल्गेरिया एक नया राज्य बना था । वहाँ के लोगों ने अपने देश के लिये नवीन शासन विधान का निर्माण किया और रशियन सम्राट् के भतीजे वाटनबर्ग के अलैक्जण्डर को अपना राजा निर्वाचित किया । यद्यपि बल्गेरिया स्वतन्त्र राज्य बन गया था, पर वहाँ के लोग अच्छी तरह अनुभव करते थे, कि उनके साथ बर्लिन कान्फरेन्स में भारी अन्याय किया गया है । 'बल्गेरिया बल्गेरियन लोगों के लिये है' इस आन्दोलन ने प्रचण्ड रूप धारण

क्रिया । सम्पूर्ण बल्गेरियन लोगों को मिलाकर एक शक्तिशाली बल्गेरिया का निर्माण करना चाहिये, इस उद्देश्य को दृष्टि में रख कर बल्गेरियन देशभक्त प्रयत्न करने लगे । रुमेलिया को बल्गेरिया से पृथक् कर कुछ शासन सुधार दिये गये थे । वहाँ के लोग भी प्रयत्न कर रहे थे, कि बल्गेरिया से मिलकर एक शक्तिशाली सगठित राज्य का प्रादुर्भाव किया जावे । १८८५ में रुमेलिया के निवासियों ने विद्रोह कर दिया और अपने ईसाई सूबेदार को पदच्युत कर बहिष्कृत कर दिया । बल्गेरिया के लिये यह अच्छा मौका था । वहाँ के राजा ने उद्घोषित किया कि हम उत्तरीय और दक्षिणी—दोनों बल्गेरियन प्रदेशों के राजा हैं, और रुमेलिया को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया जाता है । तब से ये दोनों प्रदेश एक हो गये और बल्गेरिया की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई । बल्गेरियन राजा के इस कृत्य को अन्य यूरोपियन राज्यों ने उचित नहीं समझा । पर अन्ततोगत्वा वे इसको स्वीकृत करने के लिये बाधित हुए ।

रुमेलिया की स्वतन्त्रता के बाद यूरोप में तुर्की राज्य बहुत सीमित रह गया । एड्रियाटिक से काला सागर तक का प्रदेश ही—जो स्थूल रूप में मैसिडोनिया के नाम से प्रसिद्ध है—अब टर्की की अधीनता में शेष बचा था । राष्ट्रीय दृष्टि से यह प्रदेश एक न था, इसमें अनेक जातियाँ निवास करती थीं । इसीलिये अनेक लेखकों ने इसे 'जातियों का अश्रुतालय' के नाम से लिखा है । मैसिडोनियन, बल्गेरियन, सर्ब, अल्बेनियन, ग्रीक और तुर्क—ये सब जातियाँ इस छोटे से पहाड़ी प्रदेश में निवास करती थीं । इनमें प्रायः लड़ाई-भगड़े जारी रहते थे, और तुर्क शासकों के लिये यह सरल कार्य न था कि इस पर्वत प्रधान देश में सुगमता के साथ शासन कर सकें । साथ ही, इस प्रदेश में राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये भी आन्दोलन जारी था । इस कारण तुर्क शासकों का कार्य और भी कठिन हो गया था ।

(५) टर्की की विविध समस्यायें

उन्नीसवीं सदी में यूरोप भर में जो लोकसत्तावाद की लहर चल रही थी, धीरे धीरे उसका असर टर्की पर भी पड़ रहा था। 'तरुख तुर्की' नाम से एक नयी दल वहाँ प्रादुर्भूत हुआ था, जो एकतन्त्र राजसत्ता को नष्ट कर जनता के अधिकारों की स्थापना के लिये सघर्ष कर रहा था। इसी आन्दोलन का परिणाम था, कि १८७६ में टर्की में दो बार राज्यक्रान्ति हुईं और दो सुलतानों—अब्दुल अजीज और मुराद पञ्चम—को एक साल के अन्दर अन्दर राजगद्दी से उतार दिया गया। 'तरुख तुर्की' दल का नेता मिथत पाशा था। मुराद पञ्चम के उत्तराधिकारी सुलतान अब्दुल हमीद द्वितीय को मिथत पाशा ने बाधित किया, कि पश्चिमी यूरोपियन राज्या के अनुसरण में अपने देश में भी शासन विधान का निर्माण करे। अब्दुल हमीद को विवश हो कर शासन विधान बनाना पड़ा। सभ नागरिकों को समान अधिकार दिये गये। स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिये अनेक व्यवस्थायें की गईं। कानून बनाने के लिये प्रतिनिधिसभा और सीनेट की रचना की गई। मन्त्रिमण्डल को प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। कुछ समय के लिये टर्की में भा वैध राजसत्ता कायम हो गई। देश में तरुख तुर्की दल का जोर था, इसी के प्रतिनिधि अधिक संख्या में प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित हुए। मन्त्रिमण्डल में भी इन्हीं को नियत किया गया।

यदि यह शासन-विधान स्थिर रहता, तो निस्सन्देह कुछ ही वर्षों में टर्की फ्रांस और ब्रिटेन की तरह एक सम्य तथा लोकसत्तात्मक राज्य बन जाता। परन्तु लोकसत्तावाद का नया सिद्धान्त तुर्की लोग इतनी जल्दी स्वीकृत नहीं कर सकते थे। किसी भी नये सिद्धान्त को पूर्णतया अपनाने में मनुष्यों की समय लगता है। जो प्रक्रिया फ्रांस और अन्य यूरोपियन राज्यों में हुई थी, वही टर्की में भी हुई। अब्दुल हमीद शासन विधान की जड़ों में लकड़ा हुआ होकर राज्य करना पसन्द नहीं

करता था। उसने शासन विधान की उपेक्षा कर तदर्थ तुर्क दल के नेताओं को बहिष्कृत कर दिया। ऐसे मन्त्रियों को नियत किया, जो उसकी हॉ में हॉ मिलावें, जो उसके हाथ की मटपुतली हों। अब्दुल हमीद अपने देश में पाश्चात्य प्रभाव के बहुत विरुद्ध था। उसका विश्वास था, कि पश्चिमी यूरोपियन राज्यों की महत्वाकांक्षाओं से उचने का केवल एक उपाय है, वह यह कि उनमें साम्राज्य के समन्वय में मतभेदों को उत्पन्न किया जाय। यही कारण है, कि वह नई नई समस्याओं तथा मतभेदों को चुपचाप करता रहता था। वह 'पान इस्लाम' आन्दोलन का प्रबल पक्षपाती था। सम्पूर्ण मुसलमान राज्यों का मिल कर एक सूत्र में सगठित होना चाहिये, इसी से उनका कल्याण है, यह विश्वास उसके हृदय में बद्धमूल था। उसका यह भी विचार था, कि यूरोपियन राज्यों से अपनी रक्षा करने के लिये भी इस 'पान इस्लाम' आन्दोलन की आवश्यकता है। अब्दुल हमीद बहुत शक्तिशाली तथा जयदस्त सुलतान था। अपने शासन काल के प्रारम्भ में उसने जिन प्रदेशों का आधिपत्य प्राप्त किया था, वे प्रायः सभी अन्त तक उसकी अधीनता में बने रहे। पर इसमें सन्देह नहीं, कि उसके शासन काल में नई प्रवृत्तियाँ बड़े वेग से फैल कर रही थीं। एक तरफ जहाँ तदर्थ तुर्क आन्दोलन टर्की को आमूल चूल परिवर्तित कर लोकसत्तात्मक सम्य देश बना देना चाहता था, वहाँ राष्ट्रीयता की लहर मैगिडोनिया के तुर्क-भिन्न निवासियों का टर्की के विरुद्ध विद्रोह करने के लिये प्रेरित कर रही थी। मैगिडोनिया के निवासी वा अपनी स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्न कर ही रहे थे, साथ में ग्रीस, बल्गेरिया, सर्बिया आदि राज्य इस प्रयत्न में थे, कि मैगिडोनिया में निवास करनेवाले अपने अपने सजातीय लोगों का टर्की की अधीनता से मुक्त कराके अपने राज्य में सम्मिलित कर लें। टर्की के आधुनिक इतिहास में ये आन्दोलन तिस प्रकार चल रहे थे, इसका सक्षिप्त रूप से उल्लेख करना अत्यन्त आवश्यक है।

टर्कों के साम्राज्य में इस समय २५ लाख से अधिक ग्रीक लोग रहते थे। ग्रीस के दक्षिण में क्रीट नाम का विशाल द्वीप है, जिसमें मुख्यतया ग्रीक लोगों को निवास है। वह अभी टर्कों के अधीन था। इसके सिवा मैसिडोनिया के दक्षिणी प्रदेशों में भी ग्रीक लोग ही रहते थे। स्वाधीन ग्रीस की यह स्वाभाविक तथा उचित आकांक्षा थी कि अपने सजातीय लोगों द्वारा आगवाह इन प्रदेशों को टर्कों की अधीनता से मुक्त करके अपने साथ सम्मिलित कर लिया जाय। इसके लिये ग्रीस में प्रबल आन्दोलन चल रहा था। १८६६ में क्रीट में विद्रोह हुआ। राष्ट्रीय नेताओं ने ग्रीस के राजा को बाधित किया, कि क्रीट के विद्रोहियों की सहायता के लिये सेना भेजी जावे। बाकायदा युद्ध शुरू हो गया। क्रीट भूमध्यसागर में स्थित है। यूरुपियन राज्य नहीं चाहते थे कि भूमध्यसागर में—जो कि सामुद्रिक व्यापार की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है—लड़ाई हो। उन्होंने हस्तक्षेप किया और सुलतान अब्दुल हमीद द्वितीय को बाधित किया, कि यह क्रीट की स्वतन्त्रता को स्वीकृत करे। क्रीट स्वतन्त्र हो गया। यद्यपि टर्कों का आधिपत्य अभी कायम रखा गया था, पर क्रियात्मक रूप से क्रीट अब स्वतन्त्र ही हो गया था। पर क्रीटन लोग इससे भी पूर्णतया संतुष्ट नहीं थे। वे ग्रीस के साथ मिलना चाहते थे। टर्कों का नाममात्र का आधिपत्य भी उन्हें सह्य नहीं था। १६०५ और १६०६ में वहाँ फिर विद्रोह हुये। १६०६ के विद्रोह के बाद क्रांत प्रायः ग्रीस के साथ सम्मिलित हो गया। वहाँ के शासक भी ग्रीस द्वारा नियत किये जाने लगे। पर अभी तक भी टर्कों की छाया कायम रखी गई थी। १६१३ में क्रीट पूर्णतया टर्कों की अधीनता से मुक्त होकर ग्रीस के साथ मिल गया। क्रीटन स्वाधीनता का प्रधान नेता वेनिजेलोस था। आगे चलकर यह ग्रीस का सर्व-प्रधान राजनीतिज्ञ तथा नेता बन गया। क्रीट के हाथ आ जाने से ग्रीस की प्रधान महत्वाकांक्षा पूर्ण हो गई। पर मैसिडोनिया के कुछ प्रदेश

शेष, ये, जो अभी तक उसके अधीन नहीं हो सके थे। ग्रीस उन्हें प्राप्त करने के लिये भी हाथ पैर पटक रहा था।

यह हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं, कि यूरोप में टर्की की अधीनता में जो प्रदेश शेष बचे थे, उन्हें मोटे तौर पर मैसिडोनिया कह दिया जाता है। इस मैसिडोनिया में मुख्यतया तीन जातियों का निवास था—बल्गेरियन, सर्ब और ग्रीक। सबसे पूर्व बल्गेरियन लोगों ने यह कोशिश प्रारम्भ की कि उन्हें स्वतन्त्र बल्गेरिया के साथ सम्मिलित कर लिया जाय। बल्गेरिया स्वयं इस प्रयत्न में अग्रसर हुआ। उसकी तरफ से एक कमेटी इसी कार्य के लिये नियत की गई, जिसका नाम था, 'मुप्रीम मैसिडो-एड्रियानोपोलिटन कमेटी'। यह कमेटी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये सशस्त्र ढाकुओं के गिरोह तैयार करती थी, जो मैसिडोनिया पर आक्रमण कर वहाँ अव्यवस्था मचाते रहें। ये गिरोह मैसिडोनिया में रहनेवाले बल्गेरियन लोगों से मिल कर खूब उत्पात कर रहे थे। सर्बिया और ग्रीस ने भी बल्गेरिया का अनुसरण किया। उनकी तरफ से भी अनेक गिरोह मैसिडोनिया में अव्यवस्था फैलाने लगे। टर्की की सरकार इनसे बहुत तंग थी। एक तो तुर्की शासन वैसे ही कमजोर था, दूसरा इन गिरोहों के कारण तो वहाँ बिलकुल अराजकता ही छा गई थी। इस दशा में तुर्की सरकार भयंकर अत्याचारों पर उतर आई। मैसिडोनियन प्रजा अपने शासकों के क्रूर अत्याचारों से पीड़ित होने लगी। वहाँ पर निवास करना भी मुश्किल हो गया।

यह परिस्थिति थी, जब कि १९०३ में यूरोपियन राज्यों ने मैसिडोनिया के मामले में हस्तक्षेप किया। आस्ट्रिया-हंगरी और रशिया के प्रतिनिधियों ने परस्पर मिलकर एक योजना तैयार की, जो कि तुर्की सरकार के सम्मुख पेश की गई। इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित थी—(१) मैसिडोनिया में टर्की की सरकार किस

प्रकार शासन कर रही है, इस बात का निरीक्षण करने के लिये आस्ट्रिया और रशिया के प्रतिनिधि नियत किये जावें। (२) पुलीस का निरीक्षण तथा पुनः संगठन करने के लिये सब यूरोपियन राज्या की ओर से ग्रफसर नियत किये जावें, जिनका प्रधान 'इटालियन' हो। (३) इन उपायों से जत्र मैसिडोनिया में शान्ति स्थापित हो जाव, तो वहाँ के शासन में सुधार किये जावें। यह याजना स्वीकृत कर ली गई। पाँच वर्ष तक यह कार्य में भी लाई गई। इससे कुछ समय तक मैसिडोनिया में शान्ति स्थापित रही। पर १६०८ में इस योजना का परित्याग कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि फिर अव्यवस्था मच गई और बल्गेरिया, सर्बिया तथा ग्रास यथापूर्व मैसिडोनिया में उत्पात मचाने लगे। ये राज्य न केवल टर्का की सरकार के विरोधी थे, पर साथ ही, आपस में एक दूसरे के भी दुश्मन थे। तीनों ही मैसिडोनिया के अधिक से अधिक भाग पर अपना आधिपत्य कायम करना चाहते थे। इसी कारण १६१२-१३ में बाल्कन युद्ध का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका उल्लेख हम आगे चलकर करेंगे। यहाँ इतना प्रदर्शित करना ही पर्याप्त है, कि इन विविध बाल्कन राज्यों की महत्त्वाकांक्षाओं के कारण टर्का बहुत परेशान था। उसका लिय इनकी समस्या का हल कर सकना सुगम कार्य न था।

राष्ट्रीयता की लहर केवल यूरोपियन टर्कों में ही व्याप्त रहा ही नहीं थी, सुलतान की एशियाई प्रजा भां राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिय प्रयत्न करने लगी थी। एशिया माइनर की पूर्वी सीमा पर एक प्रदेश है, जिसका नाम है आर्मीनिया। यह टर्का के अधीन था। आर्मीनियन लोग सभ्यता, संस्कृति आदि की दृष्टि से तुर्क लोगों से सबथा भिन्न थे। १८७८ के बाद स्वाधीनता प्राप्त करने के उद्देश्य से उन लोगों ने विद्रोह प्रारम्भ किये। सुलतान अब्दुल हमीद यह सहन नहीं कर सका कि आर्मीनियन लोग भी फिर उठाने लगें। उसने उन पर भयकर

अत्याचार किये। १८६५-६६ में उसने आर्मीनियन लोगों पर भयङ्कर अत्याचार किये, जिनमें २६ हजार के लगभग लोग कत्ल हुए। इन कत्लों की क्रूर गाथायें जब यूरोपियन जनता ने सुनीं, तो उनमें बहुत बेचैनी पैली। ग्रेट ब्रिटेन के नेतृत्व में यूरोपियन राज्यों ने आर्मीनिया के मामले में हस्तक्षेप किया। वे चाहते थे, कि शासन सुधार जारी कर आर्मीनियन लोगों को सतुष्ट किया जावे। सुलतान को इसके लिये बाधित किया जा सकता था, पर यूरोपियन राज्यों में स्वार्थ भावना इतनी प्रबल थी कि वे परस्पर एकमत न हो सके। वस्तुतः, वे शासन सुधार की आह में अपना स्वाध साधन करना चाहते थे। परिणाम यह हुआ कि आर्मीनिया में शासन सुधार की योजना सफल न हो सकी। पर इससे आर्मीनियन लोग निराश नहो हुए, वे अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये निरन्तर प्रयत्न करते रहे।

राष्ट्रीयता और लोकसत्तावाद—ये दो समस्यायें थीं, जो टर्की के खलीफा व सुलतान को इस समय परेशान कर रही थीं। फ्रांस से जो खतबान उठा था, यह इतने देशों का लूट कर अब टर्की में भी आ पहुँचा था। एक तरफ टर्की की जनता सुलतान का एकाधिपत्य नष्ट कर जनता के अधिकारों के लिये चिल्ला रही थी। दूसरी तरफ सुलतान की तुर्क भिन्न प्रजा अपने अपने राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण करने की पिक में थी। टर्की में भी नई और पुरानों भावनाओं में परस्पर स्पर्ध चल रहा था। आज नई भावनायें विजय प्राप्त कर चुकी हैं। टर्की का राज्य अब केवल उन प्रदेशों में रह गया है, जहाँ प्रधानतया तुर्क लोग रहते हैं और इस छूटे से राज्य में अब रिपब्लिक कायम है। पर उम्मीदवादी और वास्तवी सद्दिया के इस सन्धिपाल में—य नई भावनायें पुराने जमाने का शोक्ल शक्ति द्वारा पूरे जोर के साथ कुचली जा रही थीं। बार-बार सिर उठाने पर भी वे सफल नहीं हो पाती थीं। इतिहास का यही क्रम है।

(६) टर्की की राज्यक्रान्ति और बाल्कन युद्ध

१८७६ का साल टर्की के इतिहास में राज्यक्रान्तियों का साल था। तरुण तुर्क दल के लोग दो सुलतानों को राज्यच्युत कर अन्त में शासन विधान स्थापित करने में समर्थ हुए थे। नया सुलतान अब्दुल हमीद द्वितीय कुछ समय तक वैवसत्तात्मक राजा के समान राज्य करता रहा। पर थोड़े ही महीनों में पुराने जमाने की प्रवृत्तियाँ फिर प्रबल हो गईं, और तरुण तुर्क दल के मन्त्रिमण्डल को बहिष्कृत कर दिया गया। अब्दुल हमीद शक्तिशाली तथा जबर्दस्त शासक था। क्रान्ति की प्रवृत्तियों को दबाये रखने में वह बहुत हद तक सफल रहा। पर नई भावनार्यों निरन्तर अपना कार्य कर रही थीं। लोकसत्तावाद को लहर को रोक सकना अब्दुल हमीद क्या, किसी भी जबर्दस्त से जबर्दस्त ताकत के लिये भी असम्भव था। टर्की के युवक पाश्चात्य दुनिया के संसर्ग में आ रहे थे। बहुत से लोग फ्रांस और जर्मनी से विद्याध्ययन कर अपने देश को लौट रहे थे। ये विद्यार्थी न केवल यूरोप की विद्या व विज्ञान को अपने देश में लाते थे, पर साथ ही वहाँ के राजनीतिक विचारों व नई भावनाओं को भी टर्की में प्रविष्ट कराते थे। तरुण तुर्क आन्दोलन निरन्तर उन्नति कर रहा था। अब्दुल हमीद की दमन नीति के कारण टर्की के अन्दर राजनीतिक संगठन का विस्तार करना कठिन था। पर तरुण तुर्क दल के नेता टर्की से बाहर रहते हुए ही अपना कार्य कर रहे थे। बीसवीं सदी के प्रारम्भ होने के बाद इस आन्दोलन ने बहुत प्रबल रूप धारण किया। सन् १९०८ तक टर्की में राज्यक्रान्ति की सब तैयारी हो चुकी थी। सेना में भी नई भावनाओं का प्रचार कर दिया गया था और सैनिक लोग भी क्रान्तिकारियों का साथ देने को तैयार थे। जुलाई, १९०८ में क्रान्ति प्रारम्भ हुई। दक्षिणी भेसिडोनिया के सेलोनिका नामक स्थान पर क्रान्तिकारियों

ने उद्घापित किया, कि १८७६ क शासन विधान को—जिसे कि सुलतान अब्दुल हमीद ने अपनी स्वच्छाचारिता के कारण उपेक्षित कर दिया था—पुन स्थापित किया जाता है। दा सेनाप्रा ने क्रान्तिकारियों का साथ दिया और उद्घापित किया कि यदि सुलतान शासन विधान का विरोध करेगा, तो व कान्स्टेन्टिनोपल पर आक्रमण कर दगी। इस दशा में अब्दुल हमीद के पास अन्य को चारा न था, सिवाय इसके कि शासन विधान के सम्मुख सिर मुका दे। उसने अपने जीहजूर मन्त्रिमण्डल का परास्त कर तरुण तुर्क दल की सहमति से नये मन्त्रियों को नियत किया, और राष्ट्रीय पार्लियामैन्ट के चुनाव के लिये आज्ञा दी। १६०८ की राज्यक्रान्ति सफल हो गई। तरुण तुर्क दल अपने प्रयत्नों में पूर्ण रूप से सफल हुआ।

पर सुलतान अब्दुल हमीद हृदय से शासन विधान का पक्षपाती नहीं था। अबसर प्राप्त होते ही उसने फिर अपनी स्वच्छाचारिता का प्रदर्शन प्रारम्भ किया। पर अब उसके लिये लोकमत की इस प्रकार उपेक्षा कर सकना सम्भव न रहा था। १६०६ में जब सुलतान ने शासन विधान को नष्ट करने का प्रयत्न किया, तो क्रान्तिकारियों की सेना ने कान्स्टेन्टिनोपल पर आक्रमण कर दिया। सुलतान परास्त हो गया। राजधानी क्रान्तिकारियों के हाथों में आ गई। नई निर्वाचित पार्लियामैन्ट के सम्मुख प्रस्ताव पेश किया गया, कि सुलतान को पदच्युत कर दिया जावे। प्रस्ताव पास हो गया और अब्दुल हमीद द्वितीय के शासन का अन्त हुआ। राजगद्दी पर अब्दुल हमीद के भाई मुहम्मद पञ्चम का बैठना गया। नये शासन में तरुण तुर्क दल का जोर था। वास्तविक शासन शक्ति इसी दल के हाथ में थी। कुछ समय तक इस दल ने बड़ी सफलता के साथ शासन किया। तुर्क लोग समझते थे, एक नये युग का प्रारम्भ हुआ है। पुराने स्वच्छाचारा शासन का अन्त होकर जो नया लोकतन्त्र शासन स्थापित हुआ

है, उसमें टर्की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। साम्राज्य में विद्यमान तुर्क भिन्न जाति भी इसमें सतुष्ट थे। वे समझते थे, नई प्रवृत्तियों से आदिष्ट तरुण तुर्क लोग उनकी राष्ट्रीय भावनाओं का आदर करेंगे और उन्हें राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करने में सहायता करेंगे। पर मनुष्यों की एक बड़ी कमजोरी यह होता है, कि जिन उदात्त सिद्धान्तों का वे अपने लिये प्रयोग करते हैं, उन्हें दूसरों पर प्रयुक्त नहीं करते। टर्की में लाफतन्त्र शासन स्थापित हुआ था। पर तरुण तुर्क दल के लिये 'लोक' का क्या मतलब था? केवल तुर्क जाति, सम्पूर्ण जनता नहीं। तरुण तुर्क दल राष्ट्रीयता के सिद्धान्त का भी उपासक था, पर उसकी राष्ट्रीयता का क्या अभिप्राय था? केवल तुर्क लोगों का उत्कर्ष। अन्य तुर्क भिन्न जातियों के उत्कर्ष से उन्हें कोई मतलब न था। दूसरों का उत्कर्ष तो दूर रहा, उनके न्याय्य अधिकारों को स्वीकृत करना भी राष्ट्रवादी तुर्कों के लिये कठिन था। यूरोप भर में राष्ट्रीयता की इसी प्रकार समीचीन रूप में व्याख्या की जाती थी, केवल तुर्क ही इस बीमारी के शिकार न थे।

टर्की के साम्राज्य में विद्यमान तुर्क भिन्न जातियों के सम्बन्ध में तरुण तुर्क दल को यह नीति थी, कि उन्हें भी भाषा, सभ्यता, संस्कृति आदि सब दृष्टियों से तुर्क बना लिया जाय। इसके लिये उन्होंने निम्नलिखित उपायों का प्रयोग किया—(१) तुर्क भाषा को सम्पूर्ण साम्राज्य की राजकीय भाषा नियत किया (२) सब स्थानों पर शिक्षा की एक पद्धति जारी की। तुर्क भिन्न जातियों को पृथक् शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को दृष्टि से आश्लेष कर सर्वत्र तुर्क दृष्टि से शिक्षा का प्रारम्भ किया गया। इसके साथ ही यह भी निश्चित किया गया, कि साम्राज्य के प्रत्येक कोने में शासन को दृढ़ किया जाय। कर आदि नियमित रूप से वसूल किये जावें और पिछले समय शासन में जो ढील रही है, उस दूर कर दिया जावे। जिस समय अब्दुल हमीद का पतन हुआ था,

तो तुर्क भिन्न जातियों ने बड़ी खुशी मनाई थी। उन्हें नई भावनाओं के नये शाब्दिकों से बड़ी बड़ी आशाएँ थीं। पर तर्क तुर्क दल की शासन नीति को देखकर उनकी निराशा की कोई सीमा न रही। कुछ देर के लिये इन लोगों ने विद्रोह बन्द कर दिये थे और तुर्क साम्राज्य में शान्ति स्थापित हो गई थी। पर तर्क तुर्क दल से निराश होकर तुर्क मित्र प्रजा ने अग्निर विद्रोह प्रारम्भ कर दिये। मैसिडोनिया में गदर शुरू हो गया। १६१० में अल्बेनिया में भयंकर रूप से विद्रोहाग्नि प्रचण्ड हो उठी। माथ ही, अरब, आर्मानिया और कुर्दिस्तान में भी विद्रोह हुए। इस विद्रोहाग्नि का शान्त करने के लिये तर्क तुर्क नेताओं ने अब्दुल हमीद के ही उपायों का उपयोग किया। तुर्क-मित्र प्रजा के लिये एक ही बात थी, चाहे अब्दुल हमीद का शासन हो, चाहे तर्क तुर्क दल का। विद्रोहियों को कुंलचने के लिये भयंकर अत्याचार किये गये। सार्वजनिक सभाएँ रोक दी गईं। मैसिडोनिया के लोगों से शस्त्र छीनने का प्रयत्न किया गया। तुर्क भिन्न आगदी के बीच में जगह जगह पर तुर्कों को रमाया गया, ताकि विद्रोह के समय वे सरकार का साथ दें।

जिम समय टर्की में राज्यक्रान्ति हो रही थी और तुर्क नेता अपनी आन्तरिक दशा को सुधारने का प्रयत्न कर रहे थे, उस समय बाल्कन राज्यों को अपने उत्कर्ष का अच्छा अवसर हाथ लग गया था। टर्की की कमजोरी का फायदा उठा कर सबसे पूर्व, ५ अक्टूबर १६०८ के दिन बल्गेरिया ने पूर्ण स्वाधीनता उद्घोषित कर दी। बल्गेरिया पहले भी स्वाधीन तो था, पर टर्की का नाममात्र का आधिपत्य अब तक भी स्वीकृत किया जाता था। १६०८ में श्वमर पाकर बल्गेरिया पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो गया। इसी प्रकार, ७ अक्टूबर १६०८ के दिन आस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना के प्रदेशों को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया। इन प्रदेशों पर आस्ट्रिया का शासन तो

पहले ही विद्यमान था, पर अब इनका टर्की से कोई भी सम्बन्ध न रहा और ये पृथगतया आस्ट्रिया के अन्तर्गत कर लिये गये। १६११ में इटली ने टिपोली को अपने अधीन कर लिया। टिपोली ईजिप्ट के पश्चिम में अफ्रीका में विद्यमान है। यह टर्की के अधीन था। पर इटली इसमें अपना शासन विस्तृत करना चाहता था। टर्की की अन्तरिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर इटली ने अचरमात् ही ट्रिपोली पर आक्रमण कर दिया। टर्की अपनी ही समस्याओं में उलझा हुआ था। इससे अतिरिक्त, उसके समीप ही बाल्कन राज्य एक नये युद्ध की योजना मलगे थे। ऐसी अवस्था में टर्की के लिये असम्भव था कि सुदूरवर्ती ट्रिपोली की फिदा कर सके। अक्टूबर १६१२ में ट्रिपोली इटली का अधीनता में आ गया और टर्की ने उस पर से अपने अधिकार का परित्याग कर दिया।

पर ये आपत्तियाँ तो मामूली थीं। १६१२ में टर्की की निर्मलता तथा आन्तरिक झगड़ों का लाभ उठाकर बल्गेरिया, ग्रीस, सर्बिया और मान्टेनिग्रो—इन सब बाल्कन राज्यों ने परस्पर मिलकर एक गुप्त समझौता किया। इसका उद्देश्य यह था, कि सब मिलकर टर्की से युद्ध करें और टर्की के शासन का यूरोप में अन्त कर विजित प्रदेशों को आपस में बाँट लें। मैसिडोनिया के प्रदेशों को किस ढंग से आपस में बाँटा जावेगा, यह भी विस्तृत रूप से तय कर लिया गया था। इस गुप्त समझौते में रशिया बाल्कन राज्यों की पीठ पर था। उसके उरुकाने से ही यह समझौता किया गया था, और यह भी निश्चित किया गया था कि बल्गेरिया को मैसिडोनिया का प्रधान अंश प्राप्त हो। सनस्टेफिनो की सन्धि द्वारा जिस विशाल बल्गेरिया का निर्माण किया गया था, अब रशिया उसी का पुनरुद्धार करना चाहता था। आपस में समझौता कर बाल्कन राज्यों ने टर्की के खिलाफ युद्ध उद्घोषित कर दिया। युद्ध में बाल्कन राज्यों को असाधारण सफलता हुई। तुर्क सेना परास्त कर

दी गई और कुछ ही दिनों में एड्रियानोपल का महत्त्वपूर्ण दुर्ग तुर्कों के हाथ से निकल गया। ग्रीक सेनाओं ने थेस पर कब्जा कर लिया। सर्बिया और मान्टेनिग्रो की सेनायें अल्बेनिया पर अधिकार प्राप्त करने में समर्थ हुईं। बल्गेरियन लोग आक्रमण करते-करते कान्स्टेन्टिनोपल के बहुत समीप तक पहुँच गये। इस दशा में टर्की के सम्मुख सन्धि कर लेने के सिवा अन्य कोई मार्ग न था। साथ ही, यूरोपियन राज्य भी टर्की की इस पराजय को अत्यन्त चिन्ता की दृष्टि से देख रहे थे। उनके हस्तक्षेप से बाल्कन राज्यों और टर्की में सामयिक सन्धि हो गई और स्थिर सन्धि के लिये दोनों पक्षों के प्रतिनिधि लण्डन में एकत्रित हुए। पर स्थिर सन्धि कर सकना सुगम कार्य न था। बाल्कन राज्यों की माँगें बहुत अधिक थीं। टर्की के राजनीतिज्ञ उन्हें स्वीकृत नहीं कर सकते थे। यदि बाल्कन राज्यों की माँगें स्वीकृत कर ली जाती, तो टर्की यूरोप से बहिष्कृत हो जाता। तरुण तुर्क दल के नेता यह कब सहन कर सकते थे? उन्होंने एक बार फिर अपने शस्त्रबल को प्रयोग में लाने का निश्चय किया। लण्डन की कान्फरेन्स टूट गई। ३ फरवरी १९१३ के दिन फिर बाल्कन युद्ध प्रारम्भ हो गया।

अब की बार तुर्क लोग और भी बुरी तरह से परास्त हुए। शत्रु सेना कान्स्टेन्टिनोपल के नजदीक तक पहुँच गई। टर्की के सुलतान ने निराश होकर फिर सन्धि करने का प्रस्ताव किया। ३० मई १९१३ को दोनों पक्षों के प्रतिनिधि फिर लण्डन में एकत्रित हुए। इस बार इस प्रश्न पर तो सुगमता से फैसला हो गया कि टर्की से कौन कौन से प्रदेश छीन लिये जावें, पर उनका बँटवारा किस ढंग से हो, इस पर बाल्कन राज्य एवमत न हो सके। युद्ध प्रारम्भ करने से पूर्व जो गुप्त समझौता हुआ था, उसमें मैसिडोनिया का मुख्य हिस्सा बल्गेरिया को दिया गया था, और अल्बेनिया सर्बिया के सुपुर्द हुआ था। पर अब एक बड़ी दिक्कत यह उपस्थित हो गई, कि आम्ब्रिया यह

सहन नहीं कर सकता था कि अल्बेनिया सर्विया के अधीन हो; कारण यह, कि योस्निया और हर्जेगोविना के प्रदेशों में मुख्यतया सर्व य युगोस्लाव लोग बसते थे। ये स्वाभाविक रूप से सर्विया से सहानुभूति रखते थे और सर्विया के साथ मिलकर एक शक्तिशाली युगोस्लाव राज्य का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे थे।

आस्ट्रिया को इस आन्दोलन से बहुत भय था। वह खूब अच्छी तरह समझता था, कि यदि सर्विया की शक्ति बढ़ेगी, तो यह बात उसके लिये हानिकारक होगी। अतः वह सर्विया को अल्बेनिया दे देने का सख्त विरोधी था। आस्ट्रिया ने प्रस्ताव किया कि अल्बेनिया को एक पृथक् स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय। अन्य राज्यों ने इसका समर्थन किया। अल्बेनिया को पृथक् राज्य बना देने का निश्चय हो जाने पर सर्विया इस बात का विरोध करने लगा कि मैसिडोनिया का प्रधान भाग बल्गेरिया को दिया जाय। उसका कहना था, कि यह निश्चय उसी दशा में हुआ था, जब कि अल्बेनिया हमें प्राप्त हो। परिणाम यह हुआ, कि टर्की से जीते गये प्रदेशों का बँटवारा किस ढंग से हो, इस बात का निश्चय अभी स्थगित कर दिया गया और शेष बातों का निबटारा कर लिया गया। लण्डन में जो सन्धि हुई, उसकी महत्वपूर्ण शर्तें निम्नलिखित थीं—(१) यूरोप में जिन प्रदेशों पर टर्की का आधिपत्य था, वे प्रायः सभी उसकी अधीनता से निकल गये। कोन्स्टेन्टिनोपल तथा उसके समीप का कुछ प्रदेश ही टर्की के अधीन रह गया। काला सागर में मिडिया नामक स्थान से लेकर ईगियन सागर के तट पर विद्यमान एनस बन्दरगाह तक एक रेखा निश्चित की गई, जो टर्की के साम्राज्य की सीमा का निर्धारण करती थी। (२) अल्बेनिया का पृथक् तथा स्वतन्त्र राज्य के रूप में निर्माण किया गया। (३) क्रोट पर अभी तक भी टर्की का आधिपत्य माना जाता था, यद्यपि वह ग्रीस के साथ मिलकर अपना स्वतन्त्र राज्य

चना चुका था। अब टर्नी का उस पर से अधिकार हटा दिया गया और कीट पूर्णतया ग्रीस के साथ सम्मिलित हो गया। मैसिडोनियन प्रदेशों तथा ईगियन सागर के टापुओं के सम्बन्ध में नया व्यवस्था की जावे, इस बात का फैसला अभी स्थगित रखा गया।

मैसिडोनियन प्रदेशों को परस्पर वॉट करूना बाल्कन राज्यों के लिये सुगम कार्य न था। बल्गेरिया और सर्बिया किसी भी प्रकार एक दूसरे से महमत न हो सके। जब शान्ति से फैसला न हो सफा, तो दोनों पक्षों ने ताकत आजमाने का निश्चय किया। जून १९१३ में बल्गेरिया ने अपने पुराने दोस्तों के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित कर दिया। यह द्वितीय बाल्कन युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें सर्बिया, मान्टेनिग्रो, ग्रीस और रूमानिया बल्गेरिया के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। टर्नी भी बल्गेरिया के विरुद्ध अन्य बाल्कन राज्यों की सहायता कर रहा था। एक महीने तक जीर शोर से लड़ाई जारी रही। पर अफेले बल्गेरिया के लिये यह असम्भव था, कि इतने शत्रुओं से लड़ाई टाड सके। वह सत्र सप्ताह से पराम्त हुआ और सन्धि के लिये प्रार्थना करने की आवश्यकता हुआ। दाना पक्षों के प्रतिनिधि रूमानिया की राजधानी बुकारेस्ट में एकत्र हुए और सन्धि की बातचीत शुरू हुई। बुकारेस्ट की सन्धि परिपक्व के सम्मुख प्रधान प्रश्न यह था, कि मैसिडोनिया के प्रदेश को किस प्रकार आपस में बाँटा जावे। बल्गेरिया अपनी शक्ति की परीक्षा न कर असफल हो चुका था। इसलिये अब परस्पर समझौता कर सहना बहुत सुगम हो गया था। मैसिडोनियन प्रदेशों के वॉटवारे में सर्बिया और मान्टेनिग्रो ने बहुत से प्रदेश प्राप्त किये। इनके साथ करीब करीब दुगने हा गये। ग्रीस ने भी मैसिडोनिया में सेलोनिका का प्रदेश प्राप्त किया। शेष मैसिडोनिया बल्गेरिया को मिला। इस प्रकार बुकारेस्ट की सन्धि में बल्गेरिया को बहुत नीचा देखना पडा। यद्यपि इस सन्धि से बाल्कन राज्यों में शान्ति स्थापित हो गई थी, तथापि

विविध राज्यों के पारस्परिक द्वेष तथा ईर्ष्या का अन्त नहीं हुआ था। विशेषतया, बल्गेरिया अपने अपमान का बदला लेने के लिये बहुत उत्सुक था। वह भली भाँति अनुभव करता था, कि रूमानिया, सर्बिया और ग्रास ने उसे नाचा दिखाया है, अतः इन राज्यों से शांति ही बदला लेकर अपने राष्ट्रीय अपमान का प्रतिशोध करना चाहिये।

बाल्कन प्रायद्वीप को यूरोप का ब्यालामुखी कहा जाता रहा है। यह बात बहुत कुछ ठाक है। जहाँ एक तरफ बाल्कन राज्य एक दूसरे के साथ सघर्ष कर यूरोप को शान्ति का सदा खतरे में रखते रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ शक्तिशाली विविध यूरोपियन राज्यों की महत्त्वाकांक्षायें इस प्रायद्वीप में एक दूसरे से टकराती रही हैं। इन कारणों से २० वीं सदा के प्रारम्भिक भाग में यह खतरा हमेशा बना रहता था, कि बाल्कन समस्या न जाने क्या गम्भीर रूप धारण कर ले। १९१४-१८ का यूरोपियन महायुद्ध पहले एक सामान्य बाल्कन युद्ध के रूप में ही प्रकट हुआ था, पर विविध शक्तिशाली राज्यों के साम्राज्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण हितों के परस्पर टकराने की वजह से यह युद्ध शीघ्र ही यूरोपियन और फिर विश्वव्यापी युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रायद्वीप में साम्राज्यवादी यूरोपियन राज्यों के हित परस्पर किस प्रकार टकराते थे—इस विषय पर हम पहले भी कुछ प्रकाश डाल चुके हैं, आगे चलकर हम इस पर विस्तार से भी विचार करेंगे।

चौतीसवाँ अध्याय

साम्यवाद की नई लहर

(१) सामाजिक संगठन मन्वन्धी नये विचार

सन् १७५० से १८५० तक, एक शताब्दि में विज्ञान, शिल्प और व्यवसाय के क्षेत्र में जो भारी प्रगति हुई थी, उसका सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम यह था, कि मध्यकाल के जागीरदारों की अपेक्षा पूँजीपतियों का महत्त्व अधिक बढ़ गया था। इनके पास धन, वैभव और शक्ति—सब कुछ था। इनके अतिरिक्त डाक्टर, वकील, इंजिनियर, व्यापारी, प्रोफेसर, सम्पादक, दूकानदार आदि के रूप में जो एक शिक्षित मध्य श्रेणी विकसित हो गई थी, वह धन में पूँजीपतियों की अपेक्षा हीन होती हुई भी बुद्धि और ज्ञान में उनकी अपेक्षा तिसा प्रकार कम न थी। शिक्षा और ज्ञान के विस्तार के साथ, इस श्रेणी ने यह विचारना प्रारम्भ कर दिया था, कि क्या समाज में पूँजीपतियों का प्रभुत्व और मजदूरों की गरीबी व असहायपन उचित और न्याय्य है। साथ ही, मजदूर श्रेणी के लोग शहरों में निवास के कारण शिक्षा से सर्वथा वञ्चित नहीं रहे थे। धीरे धीरे वे अपने अधिकारों व दुर्दशा का अनुभव करने लगे थे, और यह सोचने लगे थे, कि क्या समाज का वर्तमान संगठन न्याय और औचित्य पर आश्रित है।

फ्रांस की राज्यक्रान्ति के बाद यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के साथ-साथ लोकतन्त्रवाद की लहर भी जोर पकड़ रही थी। राज्य में किसी एक व्यक्ति या श्रेणी का प्रभुत्व न होकर साधारण जनता का शासन होना चाहिये, यह विचार प्रायः सभी स्वतन्त्र देशों में था। पर साधारण जनता की समस्या केवल वोट का अधिकार मिल जाने से ही हल नहीं हो जाती, राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतन्त्रता भी होनी चाहिये, और यदि राजनीतिक दृष्टि से सब नागरिक समान हैं, तो आर्थिक दृष्टि से भी उनकी विषमता नष्ट होनी चाहिये, ये विचार धीरे-धीरे सिर उठाने लगे थे। स्वच्छाचार और एकतन्त्र शासन के विरुद्ध जो लहर फ्रांस से शुरू हुई थी, वह केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रह सकती थी। यह स्वाभाविक था, कि पूँजीपतियों के एकाधिपत्य के विरुद्ध भी आवाज बुलन्द हो, और लोग एक नये सामाजिक संगठन का स्वप्न देखने लगे।

(२) साम्यवाद का प्रारम्भ

साम्यवाद का प्रारम्भ अठारहवीं सदी में ही हो चुका था। १७६४ में नोयल थावेन नामक एक लेखक ने लिखा था—“जब मैं देखता हूँ, कि गरीबों के तन पर न कपड़े हैं, और न पैरों में जूते; गरीबों लोग ही कपड़े और जूते बनाते हैं, पर उन्हें ही ये इस्तेमाल के लिये नहीं मिलते, और जंग में उन लोगों का ख्याल करता हूँ, जो स्वयं कुछ भी काम नहीं करते, पर उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं, तो मेरा यह विश्वास दृढ़ हो जाता है, कि राज्य अब भी जन साधारण के विरुद्ध कुछ लोगों का पड़्यन्त मान है।” नोयल थावेन ने ये उद्गार तब प्रकट किये थे, जब पोर्बो राजवंश के एकतन्त्र स्वच्छाचारी शासन का फ्रांस से अन्त हो चुका था, और राष्ट्रीय लोकतन्त्र शासन की स्थापना हो गई थी। नोयल थावेन का यह ख्याल था, कि सम्पूर्ण सम्पत्ति

राष्ट्र का हो जानी चाहिये, समाज में विषमता और गरीबी का अन्त होना चाहिये। इस दशा को लाने का उपाय यह है, कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, तो उसकी सत्र सम्पत्ति पर राष्ट्र का स्वामित्व स्थापित कर लिया जाय। नोयल बाबेफ ने अपने समाचार पत्र द्वारा इन विचारों का खूब प्रचार किया। उसके विचार दूर-दूर तक फैल गये। १७६६ में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, और अगले साल उसे मृत्युदण्ड मिला। फ्रांस की लाफ़तन्त्र सरकार उसके विचारों को शान्ति और व्यवस्था के लिये खतरनाक समझती थी। नि.सन्देश, नोयल बाबेफ फ्रेंच साम्यवाद का पिता था।

नोयल बाबेफ को मौत के घाट उतार दिया गया, पर उसकी मृत्यु के साथ उसके विचारों की समाप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे इङ्गलैंड और फ्रांस के विविध विचारकों ने उसी की विचारसरणी का अनुसरण कर लेख व ग्रन्थ लिखने शुरू किये और साम्यवाद के विचार निरन्तर जोर पकड़ते गये। इस युग के अन्य साम्यवादी विचारकों में हेनरी सा सिमों (१७६०-१८२५) बहुत प्रसिद्ध है। उसका विचार था, कि भूमि और पूँजी पर व्यक्तियों का स्वामित्व न होकर उन्हें राष्ट्र की सम्पत्ति होना चाहिये। विरासत की प्रथा को उड़ाकर सब सम्पत्ति पर राष्ट्र का स्वामित्व स्थापित किया जा सकता है। प्रत्येक 'मनुष्य को अपनी शक्ति व क्षमता के अनुसार काम करना चाहिये, और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार मिलना चाहिये' यह उसका मन्तव्य था।

फूरियर (१७७२-१८३७) नाम के एक अन्य फ्रेंच विचारक ने साम्यवाद को त्रियात्मक रूप देने के लिये एक योजना भी प्रस्तुत की थी। उसका क्या था, कि ऐसे छोटे छोटे समाज बनाने चाहियें, जिनमें से प्रत्येक में १८०० के लगभग सदस्य हों। ये सत्र सदस्य मिल कर आर्थिक उत्पत्ति करें। सत्र एक साथ, स्वतन्त्र, सुखी और शान्तिमय जीवन व्यतीत करें। सत्रको अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार

एक निश्चित राशि प्रतिमान दी जाय। यह राशि देने के बाद चा कुछ उचे, उसे इस अनुपात से पूँजा, श्रम और विशेष योग्यता-सम्पन्न व्यक्तियों में बाँट दिया जाय, जि जिन की पूँजी लगी है, उन्हें श्रम उचत का $\frac{1}{3}$ भाग, श्रमिया को $\frac{2}{3}$ भाग और विशेष योग्यता प्रदर्शित करनेवाले व्यक्तियों को $\frac{1}{3}$ भाग मिल जाय। फूरियर की योजना फे लोगो ने बहुत पसन्द किया। वसाय के समीप इस प्रकार क एक समाज की स्थापना भा १८३२ में को गई, पर उसे सफलता नहा मिला। फूरियर की मृत्यु के बाद फ्रांस और अमेरिका म अनेक समान उसमा योजना ने अनुसार स्थापित किये गये। पर वे ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सके।

इङ्गलण्ड में साम्यवाद का प्रारम्भ राबर्ट ओवन (१७७१-१८५६) द्वारा हुआ था। वह स्वयं एक धनिक व्यक्ति था और स्काटलैण्ड म अनेक उपडे की मिला में हिस्सेदार था। उसने अपना मिला में मजदूरों के साथ न्याय करने का प्रयत्न किया। उन्हें मुनासिब दर से मजदूरों दी गई, उनके निवास के लिये साफ सुधरे घर बनाये गये, उनके बच्चा क लिये पाठशालायें खोली गई और कारखानों में काम करने की हालत भी मजदूरों के लिये अनुकूल व सुखद बनाई गई। राबर्ट ओवन ने यह व्यवस्था की, कि उसकी मिलों में पूँजी पर पाँच फी सदा से अधिक मुनाफा न लिया जाय। इतना मुनाफा देने क बाद जो रकम उचे, उस सबको मजदूरों की दशा सुधारने में खर्च कर दिया जाय। इसके कारण न्यू लनर्क, जहाँ राबर्ट ओवन की मिलें विद्यमान थीं, एक आदर्श नगर बन गया। कहते हैं, कि तीस साल तक इस नगर में कोई धारदात नहीं हुई। शराबखोरी की आदत लोगों से दूर हो गई, और मजदूरों की दशा अत्यन्त सन्तोषजनक हो गई। इसमें सन्देह नहा, कि राबर्ट ओवन एक क्रियात्मक सुधारक था। उसने व्यावसायिक क्रान्ति के कारण उत्पन्न हुई बुराइयों को दूर करने का

सफल प्रयत्न किया, और इस कारण उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। उसने अपना तन, मन, धन मजदूरों की दशा को सुधारने में लगा कर एक आदर्श समाज का निर्माण करने का उद्योग किया। उसका विचार यह था, कि न्यूलनर्क में जिस प्रकार से एक आदर्श समाज का निर्माण हुआ है, वैसा ही अन्यत्र भी सब जगह हो, और फिर विश्व भर के इस प्रकार के समाजों का एक सघ बना दिया जाय। इसी उद्देश्य से वह १८२५ में अमेरिका गया और इण्डियाना में न्यू हार्मनी नामक प्रदेश में अपने विचारों के अनुसार एक नव समाज की स्थापना की। पर इसमें उसे सफलता नहीं हुई। आखिर, १८२८ में वह लण्डन वापस लाँट आया, और शेष जीवन को अपने विचारों के प्रचार में व्यतीत किया।

फ्रांस और इङ्ग्लैण्ड के ये साम्यवादी एक आदर्श समाज की कल्पना कर उसे जनता के सम्मुख उपस्थित कर रहे थे। शिक्षित मध्य श्रेणी के विचारों पर इस कल्पना का बहुत असर हुआ। ये साम्यवादी विचारक कहते थे, कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप न करने की नीति ठीक नहीं है। इसके कारण पूँजीपतियों का मजदूर वर्ग के शोषण का अदसर मिलता है। गरीब मजदूर शक्तिशाली धनिकों का मुकाबला नहीं कर सकते। राज्य का यह कर्त्तव्य है, कि ऐसे कानून बनाये, जिनसे मजदूरों की दशा सुधरे, और उन्हें निश्चित घण्टों से अधिक काम करने के लिये विवश न किया जा सके। उनके निवास की उचित व्यवस्था हो, उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध हो और कारखानों की दशा मजदूरों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचानेवाली न हो। फूरियर और रावर्ट ओवन ने जिस प्रकार की समाज की कल्पना की, उसमें मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये विशेष ध्यान दिया गया। यह बात उस समय की शिक्षित मध्यश्रेणी को भी उचित जान पड़ी। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक (१८३० और उसके बाद) इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस—दोनों

देशों में राजनीतिक शक्ति मध्यश्रेणी के हाथ में आ गई थी। १८३२ के सुधार कानून के अनुसार इंग्लैण्ड में मध्यश्रेणी को वोट का अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया था, और पार्लियामेंट में इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व प्रयाप्त संख्या में हो गया था। यही दशा फ्रांस में भी। इस मध्य श्रेणी का यह भली भाँति समझ में आता था, कि मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये राज्य की ओर से कानून बनाने चाहिये और आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप करना चाहिये। पर इस समय मजदूर श्रेणी में और भी अधिक उग्र विचार प्रचारित होने लग गये, और गरीब सवसाधारण जनता साम्यवाद के एक नये स्वरूप का स्वप्न देखने लगी थी।

इस नई विचारधारा का प्रवर्तक लुई ब्लौ (१८११-१८८२) था। इस क्रोड साम्यवादी का कहना था, कि राजनीतिक शक्ति मध्यश्रेणी के हाथ से निम्न कर सवसाधारण जनता के हाथ में आनी चाहिये। वोट का अधिकार प्रत्येक मनुष्य का मिलना चाहिये। राजनीतिक सुधारों का उद्देश्य केवल यह है, कि सामाजिक संगठन में परिवर्तन हो। राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके मजदूरों का चाहिये, कि वे सरकार, न्यायालय, सेना और अन्य सरकारी विभागों पर कब्जा कर लें, और इस प्रकार प्राप्त हुई शक्ति का उपयोग व्यवसाय और समाज के क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने में करें। इन परिवर्तनों का स्वरूप यह होना चाहिये, कि कारखानों पर व्यक्तियों का स्वामित्व समाप्त होकर राष्ट्र का स्वामित्व स्थापित हो जाय। शुरु में राज्य के पास इतनी पूँजी नहीं होगी, कि वह सारे व्यवसायों का स्वयं मालिक हो सके। अतः नागरिकों को यह प्रेरणा करनी होगी, कि वे व्यवसाय में पूँजी लगावें, इसके लिये उन्हें सूद भी उचित दर से देना होगा। पर व्यवसायों का संचालन राज्य करेगा। ज्यों ज्यों धीरे धीरे कमाई से राज्य के पास काफी धन एकत्र हो जायगा, व्यक्तियों की पूँजी की आवश्यकता नहीं रहेगी। उस दशा

यें राज्य पूर्णतया व्यवसायों व कारखानों का स्वामी हो जायगा, और मजदूर लोग स्वयं व्यवसाय का सञ्चालन करेंगे। कारखानों के विविध पदाधिकारियों का चुनाव भी मजदूर करेंगे और सन्धे अर्थों में आर्थिक लोकतन्त्र शासन स्थापित हो सकेगा। शुरू शुरू में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता व कार्यक्षमता के अनुसार मजदूरी मिलेगी, पर ज्यों ज्यों शिक्षा बढ़ेगी, और सब मजदूर अपनी उत्तरदायिता भली भाँति समझ कर कार्य करने लगेंगे, मजदूरी की दर भी सबके लिये एक समान हो जायगी।

लुई ब्लां के विचारों का मजदूर समाज पर बहुत असर हुआ। उन्होंने अनुभव किया, कि उनका उद्धार इन्हीं विचारों से हो सकता है। हजारों की संख्या में मजदूर लोग लुई ब्लां के अनुयायी हो गये, और वोट के अधिकार के लिये आन्दोलन करने लगे। उन्होंने यह भी कहना शुरू कर दिया कि वैयक्तिक सम्पत्ति घोर पाप है, और कारखानों पर राज्य का अपना प्रभुत्व होना चाहिये। १८४८ में फ्रांस में फिर राज्यक्रान्ति हुई। परिणामस्वरूप, सब पुरुषों को वोट का अधिकार प्राप्त हो गया। सर्वसाधारण मजदूर जनता को वोट का अधिकार मिलने से सरकार पर उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया, और नई सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा की, कि मजदूरों की दशा में सुधार व उन्नति करना उसका प्रमुख कर्तव्य है। लुई ब्लां को इस नई सामयिक सरकार का सदस्य नियत किया गया, और यह योजना बनाई गई कि सरकारी रुपये से नये व्यवसाय जारी किये जावें, जिनमें कि बेकार मजदूरों को रोजी दी जा सके। पर अभी तक भी सरकार में शिक्षित मध्य श्रेणी का जोर था। मजदूरों को वोट का अधिकार मिल गया था, उनके कुछ प्रतिनिधि भी सरकार में आ गये थे, पर वास्तविक शक्ति अभी मध्य-श्रेणी के हाथ में ही थी, और इस श्रेणी को यह क्रान्तिकारी परिवर्तन समझ में नहीं आता था, कि राज्य की ओर से

देशों में राजनीतिक शक्ति मध्य-श्रेणी के हाथ में आ गई थी। १८३२ के सुधार कानून के अनुसार इंग्लैंड में मध्यश्रेणी को वोट का अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया था, और पार्लियामेंट में इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व प्रयाप्त मख्या में हो गया था। यही दशा फ्रांस में भी। इस मध्य श्रेणी का यह भला भाँति समझ में आता था, कि मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये राज्य की ओर से कानून बनने चाहिये और आर्थिक क्षेत्र में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिये। पर इस समय मजदूर श्रेणी में और भी अभिन्न उग्र विचार प्रचारित होने लगे थे, और गरीब सबसाधारण जनता साम्यवाद के एक नये स्वरूप का स्वप्न देखने लगी थी।

इस नई विचारधारा का प्रवर्तक लुई ब्लॉ (१८११-१८८२) था। इन श्रेष्ठ साम्यवादी का कहना था, कि राजनीतिक शक्ति मध्यश्रेणी के हाथ से निराल कर सर्वसाधारण जनता के हाथ में आना चाहिये। वोट का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को मिलना चाहिये। राजनीतिक सुधारों का उद्देश्य केवल यह है, कि सामाजिक समष्टि में परिवर्तन हो। राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके मजदूरों को चाहिये, कि वे सरकार, न्यायालय, सेना और अन्य सरकारी विभागों पर कब्जा कर लें, और इस प्रकार प्राप्त हुई शक्ति का उपयोग व्यवसाय और समाज के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने में करें। इन परिवर्तनों का स्वरूप यह होना चाहिये, कि कारखानों पर व्यक्तियों का स्वामित्व समाप्त होकर राष्ट्र का स्वामित्व स्थापित हो जाय। शुरु में राज्य के पास इतनी पूँजी नहीं होगी, कि वह सारे व्यवसायों का स्वयं मालिक हो सके। अतः नागरिकों को यह प्रेरणा करनी होगी, कि वे व्यवसायों में पूँजी लगावें, इसके लिये उन्हें सूद भी उचित दर से देना होगा। पर व्यवसायों का संचालन राज्य करेगा। ज्यों ज्यों धीरे धीरे कमाई से राज्य के पास काफी धन एकत्र हो जायगा, व्यक्तियों की पूँजी की आवश्यकता नहीं रहेगी। उस दशा

में राज्य पूर्णतया व्यवसायों व कारखानों का स्वामी हो जायगा, और मजदूर लोग स्वयं व्यवसाय का संचालन करेंगे। कारखानों के विभिन्न पदाधिकारियों का चुनाव भी मजदूर करेंगे और सच्चे अर्थों में गार्थिक लोकतन्त्र शासन स्थापित हो सकेगा। शुरू शुरू में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता व कार्यक्षमता के अनुसार मजदूरी मिलेगी, पर ज्यों ज्यों शिक्षा बढ़ेगी, और सब मजदूर अपनी उत्तरदायिता भली भाँति समझ कर कार्य करने लगेंगे, मजदूरी की दर भी सबके लिये एक समान हो जायगी।

लुई ब्ला के विचारों का मजदूर समाज पर बहुत असर हुआ। उन्होंने अनुभव किया, कि उनका उद्धार इन्हीं विचारों से हो सकता है। हचरों की सख्या में मजदूर लोग लुई ब्ला के अनुयायी हो गये, और वोट के अधिभार के लिये आन्दोलन करने लगे। उन्होंने यह भी कहना शुरू कर दिया कि वैयक्तिक सम्पत्ति घोर पाप है, और कारखानों पर राज्य का अपना प्रभुत्व होना चाहिये। १८४८ में फ्रांस में फिर राज्यक्रान्ति हुई। परिणामस्वरूप, सब पुरुषों को वोट का अधिकार प्राप्त हो गया। सर्वसाधारण मजदूर जनता को वोट का अधिकार मिलने से सरकार पर उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया, और नई सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा की, कि मजदूरों की दशा में सुधार व उन्नति करना उसका प्रमुख कर्तव्य है। लुई ब्ला को इस नई सामयिक सरकार का सदस्य नियत किया गया, और यह योजना बनाई गई कि सरकारी रुपये से नये व्यवसाय जारी किये जावें, जिनमें कि बेकार मजदूरों को रोजी दी जा सके। पर अभी तक भी सरकार में शिक्षित मध्य श्रेणी का जोर था। मजदूरों को वोट का अधिकार मिल गया था, उनके कुछ प्रतिनिधि भी सरकार में आ गये थे, पर वास्तविक शक्ति अभी मध्य-श्रेणी के हाथ में ही थी, और इस श्रेणी को यह क्रान्तिकारी परिवर्तन समझ में नहीं आता था, कि राज्य की ओर से

नये कारखाने केवल मजदूरों की भलाई की दृष्टि से स्थापित किये जायें। इन लोगों ने लुई ब्लॉ की योजनाओं का क्रिया में परिणत नही होने दिया। परिणाम यह हुआ, कि मजदूरों में असन्तोष बढ़ता गया, और आखिर परिसर निराश मजदूरों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को निर्दयता के साथ कुचला गया। लुई ब्लॉ का आत्मरक्षा के लिय लण्डन भागना पड़ा। सर्वसाधारण जनता में साम्यवाद की जा क्रान्तिवादी लहर शुरू हुई थी, उसका इस प्रकार में अन्त हुआ।

(३) कार्ल मार्क्स

सन् १८५० तक इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस में साम्यवाद का आन्दोलन विलकुल शिथिल पड़ गया था। पर शीघ्र ही जर्मनी में इसका पुन रुद्धार हुआ। जर्मनी में साम्यवादी आन्दोलन का प्रधान नेता कार्ल मार्क्स (१८१८-१८७८) था। इसे साम्यवाद का प्रधान व प्रमुख आचार्य माना जाता है। पर इससे पूरा भी जर्मनी में साम्यवाद का बीजारोपण हो चुका था। १८३० की क्रान्ति की लहर के बाद न्यूखनर ने एक गुप्त समिति की स्थापना की थी, जिसका नाम था— 'मनुष्य के अधिकार'। इस समिति को यह विश्वास था, कि राज नीतिक क्रान्ति के साथ साथ सामाजिक क्रान्ति होना भी आवश्यक है। इसकी आर से एक घोषणापत्र प्रकाशित हुआ था, जिसका प्रथम वाक्य यह था—'फ्राण्डिया में सुख शान्ति कायम हो, और राजप्रासादों का विनाश हो'। १८३६ में पेरिस में काम करने वाले जर्मन मजदूरों ने एक संस्था कायम की, जिसका नाम था—'न्याय सभ'। इस सभ में सामाजिक व आर्थिक समस्याओं पर वादविवाद हुआ करता था, और सदस्य लोग यह सोचा करते थे, कि समाज का समूहन किस प्रकार परिवर्तित किया जाय, जिससे कि वह न्याय और श्रौचित्य के अनुकूल बन सके। कार्ल मार्क्स और एन्जल्स इस सं

के प्रमुख सदस्यों में से थे। मजदूरों के अतिरिक्त पेरिस में शिक्षा पाने वाले जर्मन विद्यार्थी व अन्य शिक्षित लोग भी इस संघ के सदस्य बन गये थे। धीरे धीरे यह संघ बहुत जोर पकड़ता गया। जर्मनी, ब्रिटेन, बेल्जियम और स्विट्जरलैण्ड में भी इसकी शाखाएँ कायम हुईं।

पेरिस में रहते हुए जो जर्मन लोग साम्यवाद की लहर के प्रभाव में आये, उनमें फर्डिनंड लासेल (१८२५-१८६४) का नाम उल्लेखनीय है। लासेल जाति से यहूदी था, और स्वयं एक शिक्षित व समृद्ध व्यापारी था। पर लुई ब्ला के सम्पर्क में आकर वह साम्यवाद का अनुयायी हो गया था। १८४८ में जब क्रान्ति की लहर फिर शुरू हुई, तो लासेल ने मार्क्स और एन्जल्स के साथ मिल कर जर्मनी के व्यावसायिक केन्द्र, राइन की घाटी में विद्रोह फैलाने का प्रयत्न किया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और छः मास की जेल हुई। साम्यवादी विद्रोह का यह प्रयत्न तो असफल हो गया, पर लासेल ने अपने शेष जीवन को अपने विचारों के प्रसार में लगा दिया। लासेल का कहना था, कि राज्य का काम केवल पुलिस का ही नहीं है। याह्य और आभ्यन्तर शत्रुओं से देश की रक्षा करना राज्य का प्रथम कर्तव्य है, पर उसके कर्तव्यों की इतिथी यहीं पर नहीं हो जाती। राज्य का यह भी प्रधान कार्य है, कि अपने नागरिकों का अधिकतम कल्याण व हित सम्पादित करे। इसके लिये उसे समाज, कारखानों व सम्पूर्ण आर्थिक जीवन पर नियन्त्रण स्थापित करना होगा।

कार्ल मार्क्स भी पेरिस में ही साम्यवादी आन्दोलन के प्रभाव में आया। १८४८ के क्रान्तिमय वर्ष में उसने एन्जल्स के साथ मिलकर एक साम्यवादी घोषणापत्र प्रकाशित किया, जिसमें मुख्यतया निम्नलिखित सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया था—

(१) मानव-समाज अनेक भेदियों में विभक्त है। इन भेदियों

में निरन्तर सर्प चला रहता है। एफ श्रेणी पहले सम्पत्ति कमा कर समृद्ध हो जाती है, और फिर राजनीतिक शक्ति भी अपने हाथ में कर लेती है। पहले शक्ति जागीरदार सामन्तों के हाथ में थी। व्यावसायिक क्रान्ति के कारण समाज में पूँजीपतियों का प्रभुत्व हो गया। राजनीतिक शक्ति भी इन पूँजीपति व्यवसायियों के हाथ में आ गई। नगरों के विकास व समृद्धि के साथ साथ शिक्षित मध्य श्रेणी का महत्त्व बढ़ने लगा, और उन्होंने आन्दोलन द्वारा राजनीतिक शक्ति को प्राप्त कर लिया। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी, जब तक कि मजदूर श्रेणी शिक्षित मध्य श्रेणी के स्थान पर स्वयं सब शक्ति न प्राप्त कर लेगी। ठीक जिस प्रकार १७८८ में पूँजीपति और मध्य श्रेणियों ने जागीरदार सामन्तों की सम्पत्ति व शक्ति को नष्ट किया, उसी प्रकार अब मजदूर श्रेणी के लोग मध्यश्रेणी की वैयक्तिक सम्पत्ति को नष्ट कर सारी सत्ता अपने हाथ में कर लेंगे।

(२) यह महान् परिवर्तन तब आयगा, जब कि विरासत की प्रथा नष्ट हो जायगी, पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पिता की सम्पत्ति को उत्तराधिकार में नहीं प्राप्त कर सकेगा। सम्पूर्ण भूमि, कल कारखाने, माल डुलाई और यातायात के साधन व आर्थिक उत्पत्ति के अन्य सब साधन राज्य की सम्पत्ति बन जायेंगे और सम्पत्ति व्यक्तियों के स्वामित्व में रहेगी ही नहीं। सब मनुष्यों को राधित होकर श्रम करना होगा। श्रम किये बिना कोई मनुष्य आमदनी नहीं प्राप्त कर सकेगा। सबको राधित रूप से व मुक्त शिक्षा दी जायगी, ताकि सबको योग्यता प्राप्त करने का समान अवसर मिले। फिर अपनी अपनी योग्यता व सामर्थ्य के अनुसार सबको श्रम करना होगा। कारखाने व खेत—सब राज्य की सम्पत्ति होंगे।

(३) इस नये साम्यवादी राज्य में सब मजदूरों को, चाहे के मानसिक व शैक्षिक श्रम करनेवाले हों, और चाहे सारीरिक श्रम

करने वाले, अपने श्रम की पूरी पूरी कीमत दी जायगी, क्योंकि सब लोगों को योग्यता व शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर होगा। अतः सबको श्रम भी अपने सामर्थ्य के अनुरूप करना होगा। किसी को शिकायत को मौका नहीं होगा, और इसलिये समाज में श्रेणियों व वर्गों के सघर्ष का स्वयं अन्त हो जायगा। समाज में बस एक ही श्रेणी रह जायगी—यह होगी मजदूर श्रेणी। यह होना परमावश्यक है, क्योंकि मानव समाज की उन्नति इसी प्रक्रिया में ही रही है। यदि शान्ति पूर्वक यह परिवर्तन हो गया, तो अच्छा है। अन्यथा, शक्ति का उपयोग करके यह परिवर्तन करना होगा। यह हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि इतिहास की सब घटनाएँ इसी का आग्रह निर्देश कर रही हैं।

(४) इस महत्वपूर्ण क्रान्ति के लिये विश्व भर के मजदूरों को आपस में मिल कर एक हो जाना चाहिये। मजदूर श्रेणी के हितों को अन्य सब वर्गों के ऊपर रखना चाहिये। राष्ट्र व मातृभूमि के हित का अपेक्षा भी मजदूर श्रेणी के हितों का अधिक महत्व देना इस साम्यवादी क्रान्ति के लिये आवश्यक है। इस समानवादी क्रान्ति से शासक श्रेणियाँ नहीं उठें। सर्वसाधारण जनता के पास खोने के लिये ही क्या, सिवाय अपनी गुनामी की जर्जरों के। उन्हें तो सब कुछ प्राप्त ही होना है। सब देशों के किसान और मजदूरों, आपस में मिल कर एक हो जायें।

दूसरे प्रायणाञ्च को प्रभावित कर कार्ल मार्क्स अपने साथियों के साथ जर्मनी वापस लौट गया। उन दिनों क्रान्ति की लहर फ्रांस से शुरू होकर सारे यूरोप को व्याप्त कर रही थी। जर्मनी भी उसके असर से नहीं बचा था। मार्क्स की स्वाभाविक इच्छा थी, कि इस क्रान्तिकारी युग में अपने देश में काम करे। पर जर्मनी में क्रान्ति को विशेष सफलता नहीं मिली। शीघ्र ही सब आन्दोलन दब गया। मार्क्स पर राजद्रोह का

मुकदमा चलाया गया और उसे देशनिन्नाला दिया गया। अब वह लण्डन आकर बस गया, और वहाँ पर उसने अपनी विश्वप्रसिद्ध पुस्तक 'पूँजी' लिखकर पूर्ण की। यह पुस्तक साम्यवादियों की 'बाइबल' मानी जाती है।

राबर्ट आवेन और लुई ब्लां जैसे पुराने साम्यवादियों से कार्ल मार्क्स का मत बहुत भिन्न है। मार्क्स के मतानुसार सर्व साधारण—किसान मजदूर—जनता के हाथ में शक्ति आनी चाहिये। समाज में इस आधारभूत क्रांति को लाये बिना यदि व्यवसाय राज्य के अधीन हो जाय, तो उसका परिणाम यही होगा, कि वास्तविक शक्ति शक्ति मध्य श्रेणी के हाथ में बनी रहेगी और सबसाधारण मजदूर जनता उनका द्वारा शोषित होती रहेगी। आवश्यकता इस बात की है, कि किसान मजदूर जनता एक श्रेणी के रूप में संगठित हो जाय और फिर सारी शक्ति को मध्य-श्रेणी के हाथ से छीनकर अपने हाथ में कर ले। जब राज्यशक्ति जनता के हाथ में आ जायगा और भूमि व पूँजी पर ब्याप्तियों का स्वामित्व न रहेगा, और सब लोग भ्रमी की हैसियत से काम करने लगेंगे, तो स्वयं एक श्रेणी व वर्ग विहीन समाज का निमाण हो जायगा, जिसमें कोई किसान को शोषण नहीं कर सकेगा।

कार्लमार्क्स ने अपने इन विचारों को प्रसारित करने के लिये १८६४ में 'मजदूरों के अन्तराष्ट्रीय संघ' की स्थापना की। शायद ही इसकी शारदायें यूरोप में सर्वत्र कायम हो गईं। सन् १८६६ में जिनीवा में इस संघ का प्रथम महासम्मेलन हुआ। फिर प्रति वर्ष इसी प्रकार के वार्षिक सम्मेलन होने लगे। इनमें न केवल साम्यवादों सिद्धान्तों पर वाद-विवाद होते थे, पर उनका प्रचार करने के क्रियात्मक उपायों पर भी विचार किया जाता था।

फ्रांस की राज्यक्रान्ति के समय साम्यवाद के जितने सिद्धांतों का बीजारोपण मात्र हुआ था, अथ उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में वह

यूरोप भर में एक प्रबल शक्ति बनता जा रहा था। बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक यह आन्दोलन यूरोप में एक महत्वपूर्ण स्थान पा गया और १९१७ में रशिया को राज्यक्रान्ति के बाद तो यह संसार की मुख्यतम शक्तियों में एक हो गया।

(४) अराजकवाद

समाज में विषमता और अन्याय को दूर करने के उद्देश्य से अन्य भी अनेक विचारधारायें इस समय यूरोप में प्रचलित हो रही थीं। इनमें अराजकवाद (अनाकिज्म) के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख करना यहाँ उपयोगी है। अराजकवाद का प्रवर्तक प्रुधी (१८०६-१८६५) था। वह पेरिस के एक छापेरसाने में काम करता था। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा देखकर उसने विचार करना शुरू किया, कि वैयक्तिक सम्पत्ति क्या है ? वह दूसरों की चारी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। किसी भी राज्य-संस्था में कुछ मनुष्य विशाल जनसमूह पर शासन करते हैं। अतः दूसरों पर अत्याचार, ज्यादाती और अन्याय का होना राज्य-संस्था में आवश्यक है। एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिये, जिसमें राज्य-संस्था हो ही नहीं। मनुष्य परस्पर मिल कर एक साथ रहें, उनका आपस का बरताव न्याय, समानता और स्वतन्त्रता पर आश्रित हो। सम्पत्ति का उपभोग सब करें, पर उस पर स्वामित्व किसी का न हो। किसान और मजदूर अपने अपने क्षेत्र में परस्पर मिलकर, अपना समाज बना कर आर्थिक उत्पत्ति करें, और फिर स्वेच्छापूर्वक संगठित हुए इन समाजों का एक केन्द्रीय मंच बन जाय। पर इन समाजों व संघ में शासक और शासित का भेद बिलकुल न हो, राज्यसंस्था का विकास न होने पावे। यदि शुरू में आवश्यकता से विवश होकर किमी प्रकार के शासन को रखना उचित भा समझा जाय, तो उसका क्षेत्र न्यूनतम रहे, क्योंकि शासन में जनसमूह को आवश्यक रूप से कुछ लोगों का बशवर्ती होना पड़ता है।

वाकुनिन (१८१४-१८७८) नाम का एक रशियन विचारक प्रूथों के सम्पर्क में आकर उसकी विचारधारा का अनुयायी हो गया। वह भी पेरिस में रहता था। १८४८ की राजद्रक्रान्ति में उसने प्रमुख भाग लिया। उसे गिरफ्तार करके रशियन सरकार के सुपुर्द कर दिया गया। उसे साइबेरिया में कालेपानी की सजा हुई—पर वहाँ से बच निकल कर वह अमेरिका पहुँच गया, और बाद में इङ्ग्लैण्ड होता हुआ यूरोप चला आया। अराजकवाद का प्रचार करने के लिये उसने अनेक पुस्तकें लिखीं। इनमें उसने प्रूथों के समान ही इस विचार का प्रतिपादन किया, कि राज्यसंस्था से विहीन स्वतन्त्र समाज का निर्माण करना चाहिये। पर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वाकुनिन हिंसात्मक उपायों का प्रयोग करना आवश्यक समझता था। वह कहता था, कि जब तक सर्वसाधारण जनता सब प्रकार के दबाव, शासन और व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह न कर देगी, तब तक शोषण और अत्याचार का अन्त न हो सकेगा।

अराजकवाद की यह विचारधारा यूरोप में निरन्तर बलवती होती गई, पर कार्ल मार्क्स के साम्यवाद या समाजवाद के मुकाबले में यह अधिक उन्नति नहीं कर सकी। इसके प्रतिपादक केवल एक आदर्श कल्पना का जनसमाज के सम्मुख उपस्थित करते रहे, पर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये वे कोई सफल क्रियात्मक कदम नहीं उठा सके।

समाज के नये संगठन की कल्पनाओं के कारण यूरोप की शिक्षित जनता इस बात की आवश्यकता को स्वीकार करने लगी थी, कि गरीब मजदूर श्रेणी की अवस्था में सुधार करने का प्रयत्न होना चाहिये। इसीलिये उन्नीसवीं सदी में इङ्ग्लैण्ड, फ्रांस आदि देशों में ऐसे बहुत से कानून पास हुए, जिनका उद्देश्य कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा को ठीक करना था। इन कानूनों का उल्लेख हम यथास्थान करते रहे हैं। पर यह ध्यान रखना चाहिये, कि इन

सुधारों की पीठ पर जो प्रेरक शक्ति थी, वह साम्यवादियों और अराजकवादियों द्वारा प्रचारित वे विचारधाराएँ थीं, जो सामाजिक विषमता और उससे उत्पन्न अन्याय को बड़े विशद रूप में जनता के सम्मुख रख रही थीं।

उन्नीसवीं सदी के यूरोप में जो शक्तियाँ मानव-समाज के सगठन और स्वरूप को परिवर्तित करने के लिये काम कर रही थीं, उनका यहाँ एक बार फिर निर्देश कर देना उपयोगी है। (१) व्यावसायिक क्रान्ति—इसके द्वारा मनुष्य के आर्थिक जीवन में भारी परिवर्तन आ गया था (२) राजनीतिक क्रान्ति—इसके द्वारा राष्ट्रीयता की भावना और लोकतन्त्र शासन की स्थापना की माँग निरन्तर प्रबल हो रही थी। (३) नई विचार धाराएँ—शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के कारण शिक्षित विचारकों ने यह सोचना प्रारम्भ कर दिया था, कि विषमता और अन्याय का अन्त कर किस प्रकार एक सुखी समाज की रचना की जाय। इस नये समाज की रचना किस प्रकार हो, इस सम्बन्ध में विचारकों में भारी मतभेद थे, पर वर्तमान समाज को परिवर्तित करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में सब विचारक एकमत थे।

पैंतीसवों अध्याय

पुराणा और नया साम्राज्यवाद

(१) यूरोप का मध्य कालीन साम्राज्यवाद

पन्द्रहवीं सदी तक यूरोप के लोग अपने महाद्वीप से बाहर के देशों से सन्ध्या अपरिचित थे। उस समय में आवागमन के साधनों की जरा भी उन्नति नहीं हुई थी। महासमुद्र के पार आना जाना बहुत कठिन था। दिग्दर्शन यन्त्र क भी आविष्कृत न होने के कारण सामुद्रिक व्यापार समुद्र तट के साथ ही होता था। इस दशा में यह बात क्लिप्त भी न की जा सकता था, कि जोद यूरोपियन देश समुद्र पार कर एशिया व अफ्रीका के किमी देश को अपने अधीन करे और इस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार करे। अमरीका तो उस समय तक शत भी न हुआ था। इस प्रकार, मध्यकाल में यूरोपियन राज्यों क साम्राज्यवाद का आभवाय इतना ही था कि एन दूसरे पर आक्रमण करें और यूरोप के अधिन से अधिक प्रदेश पर अपना शासन स्थापित करें। मध्यकालीन युरोप में अनेक ऐसे राजा हुए हैं, जिन्होंने यूरोप क बहुत बड़े भूभाग पर शासन किया। उस समय में साम्राज्यवाद का अर्थ प्रायः यही था।

परन्तु पन्द्रहवीं सदी के अन्तिम भाग में एक नई प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई। यूरोप और एशिया का पारस्परिक व्यापार बहुत समय से चलता

आता था। मलक्का, जावा और सुमात्रा से मसाले और भारतवर्ष से हीरे, मोती, कीमती लकड़ियाँ, चन्दन, मलमल आदि विविध बहुमूल्य वस्तुएँ प्रभूत परिमाण में यूरोपियन देशों में आती थीं। इस व्यापार के दो मार्ग बहुत प्रसिद्ध थे। भारतवर्ष में कालीकट से आदन होता हुआ यह माल मक्का पहुँचता था और वहाँ से ऊँटों के काफिलों पर लादकर इसे नील नदी पर पहुँचाया जाता था। नील नदी से होता हुआ यह माल कैरो और अलेक्जेंड्रिया पहुँचता था और वहाँ पर फिर बेनिस के जहाजों में लादकर भूमध्यसागर के विविध बन्दरगाहों में ले जाया जाता था। दूसरा रास्ता पर्सिया की खाड़ी से होकर जाता था। भारतवर्ष में कालीकट, गोआ और दिउ होता हुआ यह माल ओर्मुज पहुँचता था। वहाँ से यह दजला और फ़ार नदियाँ के मुहाने पर स्थित प्रसिद्ध नगर बगदाद में आता था। बगदाद में यह माल ऊँटों के काफिलों पर लदता था और इन प्रकार एशिया माइनर के पश्चिमी बन्दरगाहों—एन्टियोफ़, बेयरुत प्रभृति—में पहुँचा दिया जाता था। वहाँ से फिर इटालियन व्यापारी इस माल को भूमध्यसागर द्वारा यूरोप के विविध देशों में पहुँचा देते थे। इन व्यापारी मार्गों पर दृष्टिपात करने से यह बात स्पष्ट हो जायगी कि अरब और एशिया माइनर पर किस राज्यशक्ति का आधिपत्य है, यह बात इस व्यापार की सुरक्षितता के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी। १४५३ में प्रसिद्ध तुर्क आक्रान्ता मुहम्मद द्वितीय ने फोन्स्टेन्टिनोपल जीत लिया और सम्पूर्ण एशिया माइनर पर अपना शासन कायम कर लिया। तुर्कों की इस विजय से पूर्व और पश्चिम के ये व्यापारी मार्ग सुरक्षित न रहे। इससे पूर्व इन प्रदेशों पर अरब लोगों का शासन था। अरब लोग सम्यता की दृष्टि से बहुत उन्नत थे और स्वयं व्यापारी थे। ये व्यापार का महत्त्व अच्छी तरह समझते थे और उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालते थे। परन्तु तुर्क लोग अभी जगलौं थे। सम्यता की दृष्टि से उन्होंने विशेष उन्नति नहीं की।

थी। अरबों के सम्य साम्राज्य पर उनके आक्रमण वही स्थिति रखते थे, जो कि भारतीय साम्राज्य पर हुए थे। इन असम्य तुर्कों की विजयों से व्यापार के ये महत्त्वपूर्ण मार्ग बहुत कुछ बन्द हो गये और यूरोपियन राज्यों को यह चिन्ता प्रारम्भ हुई, कि व्यापार के लिये किनी नये मार्गों के आविष्कार करें। इस क्षेत्र में पोर्तुगाल और स्पेन ने विशेष तत्परता प्रदर्शित की। पोर्तुगीज लोगों में यह कल्पना उत्पन्न हुई कि अफ्रीका का चक्कर काटकर पूर्वी देशों में पहुँचा जा सकता है और इस प्रकार पूर्वी व्यापार के लिये एक नया मार्ग आविष्कृत हो सकता है। इस कल्पना को दृष्टि में रखकर अनेक पोर्तुगीज मल्लाहों ने समुद्रतट के साथ साथ चलते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाने का साहस प्रारम्भ किया। सन् १४८७ में बार्थोलोमियो दियाज इस प्रयत्न में सफल हुआ। वह अफ्रीका के सबसे निचले सिरे तक पहुँच गया। इसका नाम उसने सदाशा का अन्तरीप (Cape of Good Hope) रखा, क्योंकि अब पूर्व पहुँचने के एक नये मार्ग के प्राप्त होने की पूर्ण आशा हो गई थी। १४९८ में प्रसिद्ध पोर्तुगीज मल्लाह वास्कोडिगामा अफ्रीका का चक्कर काटकर भारतवर्ष पहुँच गया और इस प्रकार 'पूर्वी व्यापार' के लिये एक नवीन मार्ग आविष्कृत हो गया।

जिस समय पोर्तुगीज मल्लाह अफ्रीका का चक्कर काटकर पूर्वी देशों में पहुँचने का प्रयत्न कर रहे थे, उस समय कोलम्बस नामक इटालियन मल्लाह के मन में एक नई कल्पना उत्पन्न हुई। पृथ्वी गोल है, यह बात उस समय में ज्ञात हो चुकी थी। कोलम्बस ने सोचा कि यदि अटलांटिक महासागर में निरन्तर पश्चिम की तरफ चलते जावें, तो भारतवर्ष पहुँचा जा सकता है। स्पेन के राजा की सहायता से उसने अपनी सामुद्रिक यात्रा प्रारम्भ की और अटलांटिक महासागर में जाते जाते १४९२ में उसे भूमि के दर्शन हुए। उसने समझा कि भारतवर्ष था गया। वस्तुतः वह भूमि भारत की नहीं थी, वह अमेरिका

या । परन्तु कोलम्बस की मृत्यु यही समझते हुए हुई, कि मैंने भारतवर्ष का पता लगा लिया है । पीछे से लोगों को ज्ञात हुआ कि जो भूमि-खण्ड कोलम्बस द्वारा ढूँढा गया है, वह भारत नहीं है, अपितु एक सर्वथा नवीन प्रदेश है । इसीलिये भारत (India) से पृथक् करने के लिये उसका नाम पश्चिमी भारत (West Indies) रखा गया ।

पन्द्रहवीं सदी के अन्तिम भाग में यह जो नवीन प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई थी, इसके दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिणाम हुए । (१) कोलम्बस को अन्वानक ही जो विशाल भूमिखण्ड व महाद्वीप प्राप्त हो गया था, वह बहुमूल्य सनिज पदार्थों की दृष्टि से बहुत समृद्ध था । यूरोपियन देशों ने इस नवीन सम्पत्ति से लाभ उठाना प्रारम्भ किया । कोलम्बस को स्पेन के राजा ने भेजा था, इसलिये स्वाभाविक रूप से नवीन प्राप्त हुए प्रदेशों पर स्पेन का आधिपत्य कायम हुआ । अमेरिका की खानों से अनन्त सोना व चाँदी स्पेन जाने लगी और देखते देखते स्पेन का वैभव दिन दूना रात चौगुना वृद्धि को प्राप्त होने लगा । स्पेन की होड़ में अन्य यूरोपियन राज्य भी अमेरिका के विशाल भूखण्ड में सोना चाँदी की ढूँढ़ में फिरने लगे और इन्हें इस नये महाद्वीप में अपने अपने उपनिवेश बसाने की चिन्ता प्रारम्भ हुई । इस प्रकार यूरोपियन देशों में औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा का प्रारम्भ हुआ । यूरोप के लिये यह सर्वथा नई बात थी । (२) पोर्तुगीज लोगों ने सामुद्रिक व्यापार का जो नया मार्ग ढूँढा था, उससे पश्चिमी यूरोप के देशों ने एशिया में आना जाना प्रारम्भ कर दिया । पहले वे व्यापार के उद्देश्य से ही भारतवर्ष, मोलको, चीन आदि पूर्वी देशों में आते जाते थे । उन्होंने स्थान-स्थान पर अपनी व्यापारी कोठियाँ कायम कीं । सबसे पहले पोर्तुगाल और उसके बाद हालैण्ड, इङ्गलैण्ड और फ्रांस के व्यापारियों ने पूर्वी व्यापार पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न प्रारम्भ किया । इस प्रयत्न से विविध देशों में परस्पर सघर्ष होना सर्वथा स्वाभाविक

था। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण वे आपस में लड़ने लगे। साफ ही, कुछ समय बाद इन व्यापारियों को यह अनुभव हुआ कि जिन एशियाई देशों के साथ वे व्यापार करते हैं, उनकी आन्तरिक राज-नातिक दशा इतना खराब है कि उन पर सुगमता से अपना शासन भां कायम किया जा सकता है। व्यापार के लिये भी यह राजनीतिक आधिपत्य बहुत उपयोगी होगा। इस अनुभव का परिणाम यह हुआ कि विभिन्न यूरोपियन देश एशियाई राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये परस्पर सघर्ष करने लगे। यूरोप का इतिहास में यह मिलकुल नहीं बात थी। एशिया में साम्राज्य फैलाने का प्रयत्न—जिसका वास्तविक मूल व्यापारिक लाभ था—इससे पूर्व यूरोपियन देशों ने नहीं किया था।

इस प्रकार यह ध्यान में रखना चाहिये, कि फ्रांस की राज्यक्रान्ति से पूर्व मध्यकाल में (१५वीं सदी से १८वीं सदी तक) यूरोपियन साम्राज्यवाद के दो रूप थे—उपनिवेशों का विस्तार और पूर्वी देशों के साथ व्यापार। इन्हीं बातों को सम्मुख रखकर विविध यूरोपियन देश अपने अपने साम्राज्यों का निर्माण कर रहे थे।

वर्तमान समय में उपनिवेश—विस्तार का जो लाभ सम्झा जाता है, इस पुराने काल में वह लोगों की दृष्टि में नहीं आया था। उस समय में उपनिवेश प्राप्ति के ये लाभ सम्झे जाते थे—(१) उपनिवेश से कच्चा माल यथेष्ट परिमाण में प्राप्ति किया जा सकता है, अतः अपने उपनिवेश होने से कच्चे माल के लिये किसी अन्य देश पर आश्रित होने की आवश्यकता न रहेगी। जिस तैयार माल की जरूरत हो, वह अपने मूल देश से (जिसका कि वह उपनिवेश है) ही प्राप्त किया जाय। इस प्रकार अपने निर्यात माल के लिये नया बाजार प्राप्त हो सकेगा। (२) उस समय में यूरोप के लोग भा बहुत धर्मप्राण थे। ईसाइयत के प्रचार के लिये धर्म प्रचारक सदा उत्सुक रहते थे। इन धर्म प्रचारकों

को उपनिवेशों के मूल निवासियों को ईसाई बनाने का सुवर्णवितर उपलब्ध होता था। उपनिवेशविस्तार में आधारभूत विचार यह कार्य कर रहा होता था, कि उपनिवेश अन्य किसी देश के साथ व्यापार न कर सके, उसे जिस माल की बाहर से जरूरत हो, वह अपने मूल देश से मंगावे। इससे मूल देश का विदेशी व्यापार बढ़ता था और उसे अपने निर्यात के लिये नया बाजार—जहाँ कि वह यथेष्ट कीमत पर अपना माल बेच सकता था, क्योंकि उसका प्रतिस्पर्धा वहाँ पर अन्य कोई नहीं होता था—प्राप्त हो जाता था। इसी प्रकार, उपनिवेश अपना कच्चा माल केवल मूल देश को ही भेज सकते थे। उनका खरीदार केवल एक होता था, वह यथेष्ट कीमत पर—जो कि बहुत कम होता था, क्योंकि खरीदार केवल एक ही था—माल खरीद करता था। इस पद्धति से मूल देश बहुत लाभ उठाते थे। उपनिवेश आर्थिक लूट के निमित्तमात्र बने हुए थे। अनेक इस प्रकार के कानून बनाये गये थे, जिनसे उपनिवेश पूर्णतया मूल देश पर आश्रित रहे। इस पद्धति को व्यापारिक पद्धति (मर्कैन्टाइल सिस्टम) कहा जाता है। यह अनेक सदियों तक यूरोप में जारी रही।

यह मर्कैन्टाइल सिस्टम बहुत समय तक कायम नहीं रह सका। धीरे धीरे इसमें क्षीणता आने लगी। इसकी क्षीणता के तीन मुख्य कारण थे—

(१) व्यावसायिक क्रान्ति—इङ्ग्लैण्ड में १८वीं सदी के अन्तिम भाग में व्यावसायिक क्रान्ति प्रारम्भ हुई। उसके कारण बहुत बड़े परिमाण में माल तैयार होने लगा। बड़े बड़े कारखाने खुले, कच्चे माल की जरूरत बहुत बढ़ गई। तैयार माल के लिये उपनिवेशों के अतिरिक्त नये नये बाजारों की आवश्यकता अनुभव होने लगी। इङ्ग्लैण्ड का प्रचुर व्यापारी माल उपनिवेशों में नहीं खप सकता था, और न ही उसके थोड़े से उपनिवेश कच्चे माल की माँग को पूरा कर

सकते थे। इसलिये मर्केंटाइल पद्धति की सकीर्ण मर्यादायें टूटने लगीं, और लोग व्यापार को विस्तृत करने की फिर करने लग। (२) व्यावसायिक क्रांति न कारण तो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, उसको दृष्टि में रखकर अनेक अर्थशास्त्रियों ने नये ढंग से विचार करना प्रारम्भ किया। वे कहते थे—आर्थिक क्षेत्र में भा उसी प्रकार से प्राकृतिक व स्वाभाविक नियम कार्य कर रहे हैं, जैसे कि भौतिक क्षेत्र में। भौतिक क्षेत्र में मनुष्य क्या करना है? स्वाभाविक नियम का पता लगाता है, और उन्हें मानकर उनमें अनुकूल ही अपना कार्य करता है, उन नियमों में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न नहीं करता। यदि मनुष्य प्रकृति के इन नियमों में हस्तक्षेप करेगा, तो नुकसान ही उठावेगा। इसी प्रकार, आर्थिक क्षेत्र में भा जो स्वाभाविक नियम कार्य कर रहे हैं, मनुष्य को चाहिये कि उन्हें पता लगावे और फिर उन्हें जान कर उनके अनुसार ही कार्य करे, उनमें हस्तक्षेप न करे। इङ्ग्लैण्ड में आइमस्मिथ और फ्रांस में बूजा इन सिद्धान्त के प्रमुख प्रतिपादक थे। इनका कथन था, कि आर्थिक क्षेत्र में 'खुला छाड़ दो' 'जैसा होता है, होने दो' 'हस्तक्षेप न करो' की नीति का अनुसरण करना ही मानवीय समाज के लिये हितकर है। इस सिद्धान्त को दृष्टि में रखकर वे उन सब कानूनों का विरोध करते थे, जो कि 'मर्केंटाइल पद्धति' को क्रिया में परिणत करने के लिये बनाये गये थे। ये विदेशी व्यापार पर किसी भी प्रकार का तट कर लगाने के विरोधी थे और मुक्तद्वार वाणिज्य की नीति का पक्ष समर्थन करते थे। इन अर्थशास्त्रियों के विचारों का परिणाम यह हुआ, कि लोग मर्केंटाइल पद्धति से विमुख होने लगे (३) उपनिवेशों में जा लोग बसते थे, वे प्रायः मूल देश के निवासियों के ही वंशज होते थे। वे यह सहन नहीं कर सकते थे, कि उनका उपयोग दूसरों के लाभ के लिये किया जावे। मूल देश अपने लाभ के लिये उपनिवेशों का जिस ढंग से उपयोग करना चाहते थे,

वह उपनिवेश वासियों को सख नहीं था। परिणाम यह हुआ, कि पहले ब्रिटेन के अमेरिकन उपनिवेशों ने विद्रोह किये श्रौर उसके बाद स्पेन के दक्षिणी उपनिवेशों ने। ये अपने विद्रोहों में सफल भी हुए। इनकी सफलता से मकॅन्टाइल पद्धति को तथा धक्का लगा। इनकी स्वतन्त्रता का देखकर यूरोप के राजनीतिज्ञ सोचने लगे, कि उपनिवेश प्राप्ति के लिये इतने धन जन का व्यय करना सर्वथा निरर्थक है। साथ ही, यूरोप में लोकसत्ता की जो नई लहर चल रही थी, वह इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करती थी, कि प्रत्येक कौम का स्वभाष्य निर्णय का अधिकार होना चाहिये। उपनिवेश भी इस लहर में अछूते न रहे थे। वे स्वभाष्यनिर्णय के सिद्धान्त को सम्मूल रूप से यह कदापि सहन न कर सकते थे, कि मूल देश उनके मामलाम हस्तक्षेप करे या उनकी नीतिनीति का सञ्चालन करे। इस दशा में यूरोप के राजनीतिज्ञों को उपनिवेश रखने का कोई भी लाभ दृष्टिगोचर नहीं होता था।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक 'मकॅन्टाइल पद्धति' पर आश्रित यूरोप के पुराने श्रौपनिवेशिक साम्राज्य प्रायः सब नष्ट हो चुके थे। स्पेन का विशाल साम्राज्य अब पूर्णतया क्षीण हो चुका था। अमेरिका में क्यूबा श्रौर पोर्टो रिको के सिवा अन्य कोई प्रदेश उसने अधीन न रहा था। प्रशान्त महासागर में स्थित फिलिप्पाइन द्वीप समूह तथा अफ्रीका के कुछ प्रदेश हा अभी तक उसके अधीन थे। अमेरिका में न्यू ग्राम्स्टर्डम का उपनिवेश तथा अफ्रीका में कॅप कालोनी हालैण्ड की अधीनता से निकल चुके थे। फ्रांस का विशाल अमेरिकन साम्राज्य नष्ट हो गया था। ब्राजील पोर्तुगाल की अधीनता से मुक्त हो गया था। सब अश्रौपनिवेशिक साम्राज्यों का हास हो रहा था। इस अश्रवस्था में केवल एक ही देश था, जो एक भावी महान् साम्राज्य की तब डाल रहा था। वह देश था ब्रिटेन। यद्यपि अमेरिकन उपनिवेशों की स्वाधीनता के कारण ब्रिटेन के श्रौपनिवेशिक साम्राज्य को बहुत

क्षति पहुँची थी, तथापि सामुद्रिक आधिपत्य के संघर्ष में हालैण्ड और फ्रांस को परास्त कर ब्रिटेन अब असाधारण उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा था। पर ब्रिटेन का यह साम्राज्य मर्कन्टाइल पद्धति के पुराने सिद्धान्त पर आश्रित न था। यूरोप का पुराना साम्राज्यवाद अब समाप्त हो चुका था—उसका स्थान साम्राज्यवाद के नवीन सिद्धान्तों ने ले लिया था। ये सिद्धान्त कौन से थे—इस पर हम अब विचार करेंगे।

(२) नवीन साम्राज्यवाद का प्रारम्भ

उनीसवा सदी के उत्तरार्द्ध में यूरोप में नवीन साम्राज्यवाद का प्रारम्भ हुआ। इसका स्वरूप मुख्यतया राष्ट्रीय तथा आर्थिक था। राष्ट्रीयता की जो नवीन भावना यूरोपियन राज्यों में उत्पन्न हुई थी, वह अब अत्यन्त प्रबल रूप धारण कर रही थी। यूरोपियन राज्य समझते थे, ससार में सवेत्कृष्ट लोक हम ही हैं, सारी पृथिवी हमारे भोग तथा उत्कर्ष के लिये बनाई गई है। इस भाव से प्रेरित होकर वे अपने सिवा अन्य किसी को संसार में जीने नहीं देना चाहते थे। साथ ही, साम्राज्यवाद के विकास में उनका उद्देश्य आर्थिक था। यूरोप में कल-कारखानों के विकास से जो व्यावसायिक क्रान्ति हुई थी, उससे प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता से अधिक पदार्थ उत्पन्न करने में समर्थ हो गया था। इन अतिरिक्त पदार्थों की बिक्री के लिये कहीं बाजार चाहिये। इन बाजारों की ढूँढ में यूरोपियन राज्य उत्पत्ति की दौड़ में पीछे रहे हुए अफ्रीकन तथा एशियाई देशों में अपने अपने 'प्रभाव क्षेत्र' बनाने की फिर करने लगे। इस प्रवृत्ति से एक नये प्रकार का साम्राज्यवाद विकसित हुआ, जो अब तक जारी है। इसमें सन्देह नहीं, कि जिन कारणों से यह नया साम्राज्यवाद विकसित हुआ है, उनके नष्ट हो जाने पर यह भी नष्ट हो जायगा और ससार के

इतिहास में एक नवीन युग का प्रारम्भ होगा। पर अभी तक राष्ट्रीय और आर्थिक साम्राज्यवाद का यह युग विद्यमान है। हमें इसके विकास के कारणों तथा स्वरूप पर गम्भीरता तथा ध्यान से विचार करना चाहिये।

इस नवीन साम्राज्यवाद के विकास के चार मुख्य कारण हैं—

(१) व्यावसायिक क्रान्ति के कारण मानवीय समाज के आर्थिक संगठन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। मध्यकाल में आर्थिक उत्पत्ति बहुत छोटे पैमाने पर होती थी। एक देश में जो माल उत्पन्न होता था, वह उस देश के लिये भी पर्याप्त न होता था। उस समय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का कोई महत्त्व न था। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये न तो माल ही होता था, और न उसे एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिये साधन ही सुरक्षित रूप से विद्यमान होते थे। परन्तु व्यावसायिक क्रान्ति के बाद आवश्यकता से अधिक माल उत्पन्न होने लगा। भाप से चलने वाले जहाजों के बन जाने से सुदूरवर्ती देशों में व्यापार करना बहुत आसान हो गया। रेलवे, तार, डाकखाना, टैलीफोन आदि के आविष्कार से मनुष्य ने देश और काल पर अभूतपूर्व विजय स्थापित की। ससार के सुदूरवर्ती देश अब एक दूसरे के बहुत समीप हो गये। लण्डन से भारतवर्ष जाना केवल तीन सप्ताह का कार्य रह गया। अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना तथा विदेशी हुण्डी के प्रचलन से रुपये का आवागमन भी बहुत सुगम हो गया। बीमा कम्पनियों की श्रृंखला से व्यापार का खतरा भी दूर हो गया। इस दशा में यूरोप के उन्नतिशील राज्य अपने माल के लिये बाजार ढूँढने की फिर करने लगे। प्रत्येक देश अधिक से अधिक तैयार माल उत्पन्न करना चाहता था, और उसको बेच कर अधिक से अधिक मुनाफा उठाने की कोशिश करता था। इस अवस्था में विविध देशों में परस्पर प्रति-
र्था का होना सर्वथा स्वाभाविक था। अपने माल को दूसरे के

मुकाबले से बचा कर निश्चिन्तता के साथ बेचने का एक ही उपाय था; वह यह कि पिछड़े हुए देशों में—जहाँ पर अपना माल बेचना सुगम तथा सम्भव था—अपने प्रभावक्षेत्र कायम किये जावें, जिससे कि अपने सिवा कोई अन्य देश उनमें व्यापार की सुविधा न रख सके। ये प्रभावक्षेत्र जिस प्रकार भी सम्भव हो, अपने ऊपर ग्राहित होते जावें। धीरे धीरे यदि ये अपने सरक्षित राज्य हो जावें और फिर पूर्णतया अपने अधीन हो जावें—तो बहुत ही उत्तम हो। व्यापार के लिये यह प्रक्रिया अत्यन्त आवश्यक थी। इसके बिना विदेशी व्यापार सुरक्षित न रह सकता था। (२) मध्यकाल में शासन शक्ति वशक्रमानुगत राजा तथा उसके कुलीन श्रेणी के दरबारियों के हाथ में थी। क्रोड्य राज्यक्रान्ति के बाद यह शासन शक्ति जनता के हाथ में आ गई। पर सम्पूर्ण जनता का शासन स्थापित न हो सका। शासन शक्ति मध्य श्रेणी के पास थी, जिसने कि व्यावसायिकक्रान्ति का लाभ उठा कर धन तथा स्थिति प्राप्त कर ली थी। वोट का अधिकार मध्यश्रेणी के लोगों के ही था। समाज में जो लोग अमीर थे, व्यवसाय तथा व्यापार के कारण जिनका समाज में सम्मान था, वे ही शासन का भी सञ्चालन करते थे। अपने हितों का उन्हें खूब ध्यान था। शासनशक्ति प्राप्त कर अपने स्वार्थों का पूर्ण करने में वे सदा तत्पर रहते थे। अपने व्यापारिक माल को दूसरे देशों में बिकाना तभी सम्भव था, जब कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाव। साथ ही, मध्य श्रेणी के लोगों के पास पूँजी बहुत बड़े परिमाण में सञ्चित हो रही थी। यह पूँजी व्यवसाय तथा व्यापार से मुनाफा उठा कर सञ्चित की गई थी। इस विशाल पूँजी को कहीं पर अच्छे मूद्र पर अथवा अच्छे मुनाफे की आशा से लगाना अत्यन्त आवश्यक था। यह भी तभी हो सकता था, जब कि विदेशों पर अपना आधिपत्य कायम किया जावे। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि मध्यश्रेणी के लोगों

या—जो कि उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में विविध यूरोपियन राज्यों के शासन सूत्र के सञ्चालक थे—यह निज् स्वार्थ हो गया था कि साम्राज्यवाद का अनुसरण करें। शासनशक्ति उनके हाथ में थी ही, वे इस शक्ति का उपयोग कर अपने आर्थिक हित को पूर्ण करने में कटिबद्ध हो रहे थे। (३) राष्ट्रीयता का उदय भी इस साम्राज्यवाद के विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीयता के भावों से प्रेरित होकर यूरोप के विभिन्न राज्य सत्तार में अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिये आतुर थे। नि सन्देह, राष्ट्रीयता बहुत अच्छी चीज है। प्रत्येक ऐसे जनसमाज को, जो धर्म, भाषा, सभ्यता, सभ्यता आदि का दृष्ट से एक हो, अपनी विशेषताओं को सामूहिक रूप से विकसित करने तथा उसके लिये अपना पृथक् संगठन बनाने का पूर्ण अधिकार है। इस दृष्ट तक राष्ट्रीयता किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। पर न्यायवाद की अन्य सब प्रवृत्तियाँ की तरह राष्ट्रीयता की भी एक हानि है। राष्ट्र इस बात की भूल जाते हैं, कि पृथिवी पर अन्य लोगों ने भा जीना है, सारे सत्तार का निर्माण उनके लिये ही नहीं किया गया है। राष्ट्रीयता के आवेश में राज्य अन्य देशों के हितों और अधिकारों का ध्यान नहीं रखते। वे समझते हैं, कि सत्तार में हमें अपना राज्य विस्तार करने और अपना राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक उत्कर्ष स्थापित करने का अमर्यादित अधिकार है। इस प्रवृत्ति का परिणाम साम्राज्यवाद होता है। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप के सब प्रमुख राज्य राष्ट्रीयता रूपी देवता की उपासना में लीन थे। वे अपने देश के उत्कर्ष के लिये सत्तार भर में जहाँ कहीं भी अवसर प्राप्त हो, वहाँ दूसरे देशों को अपने अधीन करने तथा उनसे अपना हित साधन करने के लिये प्रयत्नशील थे। (४) उन्नासवीं सदी में यूरोप की आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी। १८०० में ब्रिटेन को आबादी १,६०,०००,०० थी, १९०० में वह बढ़

फर ४,१०,०००,०० हो गई। इसी प्रकार इस एक शताब्दी में जर्मनी की आबादी २,१०,०००,०० से ५,६०,०००,०० तथा आस्ट्रिया हंगरी की २,३०,०००,०० से ४,५०,०००,०० इटली की १,८०,०००,०० से ३,२०,०००,०० और रशिया की ३६०,०००,०० से ११,१०,०००,०० हो गई। इस काल में सम्पूर्ण यूरोप की आबादी १८,००,०००,०० से बढ़कर ४०,००,०००,०० हो गई। इस बढ़ती हुई आबादी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले यूरोप में आबादी कम होने से वहाँ जो अनाज तथा अन्य खाद्य सामग्री उत्पन्न होती थी, वह वहाँ के निवासियों के भरण पोषण के लिये पर्याप्त थी। पर इतनी तीव्रता से बढ़ती हुई यूरोपियन आबादी यूरोप में उत्पन्न भोजन सामग्री पर अपना गुजारा नही चला सकती थी। इस अवस्था में यूरोपियन लोगों के सम्मुख केवल दो मार्ग थे—या तो बहुत से लोग दूसरे देशों में जाकर बस जावें, एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में बहुत से प्रदेश इस समय में खाली पड़े थे, उनमें अपने उपनिवेश बसाने का अभी पूरा मौका था। दूसरा उपाय यह था, कि यूरोपियन राज्य व्यवसायों की उत्पत्ति में विशेष रूप से लग जावें और व्यावसायिक पदार्थों को दूसरे देशों में बेच कर उसके बदले में भोजन सामग्री अन्य देशों से प्राप्त करें। व्यावसायिक क्रांति इस समय तक हो चुकी थी, उसके कारण यूरोपियन देशों में बहुत बड़े परिमाण में तैयार माल उत्पन्न हो रहा था। उसे बेचकर खाद्य सामग्री प्राप्त कर सकना बहुत सुगम था। यूरोपियन देशों ने इन दोनों उपायों का अवलम्बन किया। उपनिवेशों पर बहुत ध्यान दिया गया। उनकी उपयोगिता सत्र स्वीकार करने लगे। लाखा की संख्या में यूरोपियन लोग अमेरिका, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया आदि में जाकर बसने लगे। साथ ही, व्यावसायिक पदार्थों की उत्पत्ति बहुत बड़े पैमाने पर शुरू की गई। इस तैयार माल के बदले में यूरोपियन देश अन्य स्थानों से अनाज तथा अन्य कच्चा माल प्राप्त करने लगे। यह

प्रवृत्ति साम्राज्यवाद के विकास में बहुत सहायक हुईं। उपनिवेशों की कदर बढ़ने से वे तो साम्राज्य के महत्त्वपूर्ण अंग बने ही, साथ ही अपने तैयार माल को अन्यत्र उपाने के लिये स्थिर बाजारों की आवश्यकता अनुभव हुई। इसी से 'प्रभाव क्षेत्र' 'संरक्षित राज्य' तथा 'साम्राज्य' बनाने की प्रवृत्ति शुरू हो गई। आर्थिक साम्राज्यवाद के विकास में यह आवादी की वृद्धि एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कारण है।

यूरोप के नये साम्राज्यवाद के विकास के कारणों पर विवेचना समाप्त करने से पूर्व एक अन्य बात का भी सक्षिप्त रूप से निदर्श कर देना अत्यन्त आवश्यक है। इस साम्राज्यवाद की सफलता में ईसाई पादरियों का धर्म प्रचार भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। ईसाई लोगों में शुरू से यह प्रवृत्ति रही है, कि विविध देशों में अपने धर्म का प्रचार कर काफिर लोगों को नरक के गढे में गिरने से रचाया जावे। रोमन कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेन्ट—ईसाई धर्म के दोनों मुख्य सम्प्रदाय इस कार्य में बहुत उत्साह प्रदर्शित करते रहे हैं। १६वीं शताब्दी के शुरू में जब कि यूरोपियन लोगों ने महासमुद्रों के पार जाना आना शुरू किया, तब ईसाई पादरी भी अपने कार्य में कटिबद्ध हो गये। वे अमेरिका, अफ्रीका, एशिया—सर्वत्र स्वच्छन्द रूप से विचरने लगे। उनके धार्मिक वेश को देखा कर कोई उन पर सन्देह नहीं करता था। बहुत से ईसाई प्रचारक सचमुच ईमानदार थे, वे वस्तुतः ईसाई धर्म के प्रचार के लिये ही प्रयत्न करते थे। पर ऐसे धर्म प्रचारकों की भी कमी नहीं थी, जो धर्म के आवरण में अपने सासारिक हितों का सम्पादन करते थे। धार्मिक वेश का लाभ उठाकर ये दूसरे देशों के गुप्त भेदों का सुगमता से पता लगा लेते थे, और अपने राज्यों को उनकी सूचना देते रहते थे। साम्राज्यवादी राष्ट्र तो इन धर्म प्रचारकों को अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को पूर्ण करने का साधन मात्र समझते थे। यदि अकस्मात् कोई पादरी किसी सुदूर देश में मारा गया, तो इन

साम्राज्यवादी देशों को अच्छा महाना मिल जाता था। उसके घात के कोई भी कारण क्यों न हों, उसमें चाहे पादरी का अपना ही दोष क्यों न हो—ये साम्राज्यवादी राज्य उन अभाग्य देश पर आक्रमण करने का अच्छा मौका प्राप्त कर लेते थे। एशिया तथा अफ्रीका के बहुत से देशों में इन पादरियों का ही निमित्त बना कर युद्ध प्रारम्भ किये गये। इस प्रकार इसाई लोगों का धर्म प्रचार भी यूरोप के बढ़ते हुए साम्राज्यवाद में बहुत सहायक हुआ।

आधुनिक साम्राज्यवाद का स्वरूप प्रधानतया आर्थिक तथा राष्ट्रीय है। उसका विकास निम्न कारणों से हुआ, इसकी विवेचना हमने कर ली है। यह साम्राज्यवाद किस प्रकार क्रमिक रूप से विकसित होता गया, इस पर हम अब प्रकाश डालेंगे।

(३) ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार

संसार के इतिहास में अब तक कितने साम्राज्यों का विकास हुआ है, ब्रिटिश साम्राज्य सम्भवतः उनमें सबसे बड़ा है। साम्राज्य निर्माण के माय में ब्रिटिश लोगों को असाधारण सफलता प्राप्त हुई है। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार १,५००,००० वर्ग मील था और उसके निवासियों की संख्या २०,०००,००० थी। लगभग एक शताब्दी पीछे १९१६ में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार २७,५००,००० वर्ग मील हो गया और उसकी आबादी ४७,५०,००,००० हो गई। निस्सन्देह, यह आश्चर्य जनक उन्नति है। गत यूरोपीय महायुद्ध की समाप्ति पर जर्मनी के अनेक उपनिवेश ब्रिटिश लोगों के अधीन हो गये। तुर्की साम्राज्य के अनेक प्रदेश भी ब्रिटेन को प्राप्त हुए। इनसे ब्रिटिश साम्राज्य की और भी वृद्धि हुई। वर्तमान समय में सम्पूर्ण मनुष्य जाति का चतुर्थ भाग ब्रिटिश प्रभाव में निवास करता है। भूमण्डल का लगभग चौथा हिस्सा ब्रिटेन के अधीन है। इस विशाल

साम्राज्य में सब जातियों, वरुणों तथा धर्मों के लोग निवास करते हैं। ४७ करोड़ की आबादी में केवल ६ करोड़ ७० लाख मनुष्य गौर वर्ण के हैं। शेष सब कृष्ण व पीत वर्णों के लोग हैं, जो अफ्रीका, एशिया व अमेरिका के महाद्वीपों में निवास कर रहे हैं। ग्रेट ब्रिटेन की अपनी आबादी ४७,०००,००० है। शेष दो करोड़ गौर वर्ण के लोग उपनिवेशों में बसते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के गौर वर्ण के निवासी सब इंग्लिश जाति के ही नहीं हैं, उनमें फ्रेञ्च तथा डच लोग भी अन्तर्गत हैं। फ्रेञ्च प्रायः कनाडा में तथा डच प्रायः दक्षिणी अफ्रीका में बसते हैं।

इस विशाल साम्राज्य के कारण ब्रिटिश लोगों का उत्कर्ष बहुत अधिक बढ़ गया है। ब्रिटेन की असाधारण आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण यह साम्राज्य ही है। साम्राज्य के अन्तर्गत अधीन राज्यों तथा उपनिवेशों से ब्रिटेन अनन्त परिमाण में कच्चा माल सस्ते दामों में प्राप्त करता है। ब्रिटिश तैयार माल के लिये साम्राज्य के देश सब से अच्छे बाजार हैं। ब्रिटेन माल तैयार करता है, साम्राज्य के देश उसे खरीदते हैं। अपने तैयार माल के लिये ब्रिटेन को कच्चे माल की जरूरत होती है, साम्राज्य के देशों से वह प्रचुर परिमाण में प्राप्त किया जा सकता है। इतना हा नहीं, ब्रिटिश पूँजी का विनियोग करने के लिये साम्राज्य के देश बड़े उत्तम स्थान हैं। ब्रिटिश पूँजीपतियों ने असंख्य पूँजी भारत आदि देशों में लगा दी है, वहाँ से सूद तथा मुनाफे की शकल में करोड़ों रुपया प्रति वर्ष ब्रिटेन को प्राप्त होता है। ब्रिटेन के नवयुवकों के लिये साम्राज्य के ये विभिन्न देश शौभाग्य प्राप्त कराने के भाँड़े अच्छे साधन हैं। ब्रिटेन के लाखों नवयुवक इन देशों में शासक, न्यायाधीश, चिकित्सक, धर्मप्रचारक, अध्यापक आदि की नौकरी प्राप्त कर अपना गुजारा करते हैं। इन सब कारणों से ब्रिटेन की आर्थिक उन्नति बहुत अधिक हुई है। न केवल आर्थिक पर राजनीतिक दृष्टि से भी ब्रिटेन वर्तमान समय में बहुत महत्पूर्ण स्थान रखता है।

इस राजनीतिक उत्कण्ठ का प्रधान कारण भी ब्रिटेन का साम्राज्य हो है। साम्राज्य के विस्तृत होने से ब्रिटेन सिपाही तथा युद्ध की आवश्यक सामग्री यथेष्ट परिमाण में प्राप्त कर सकता है। युद्ध के समय में ब्रिटेन का अपने उपनिवेशों तथा अधीनस्थ राज्यों का पूरा भरोसा है। पिछले यूरोपीय महायुद्ध में सम्पूर्ण साम्राज्य ने एक होकर ब्रिटेन की सहायता की थी। सत्तार के आधुनिक इतिहास में यह विशाल साम्राज्य एक आश्चर्यजनक संस्था है। इस के स्वरूप को ठाढ़ प्रकार से समझने के लिये हम इस चार भागों में विभक्त कर सकते हैं—(१) उपनिवेश-कनाडा, न्यू फाउण्डलैण्ड, आस्ट्रेलिया, न्यू जर्सी, दक्षिणी अफ्रीका (२) भारतीय साम्राज्य (३) फाउन कालानी (४) सङ्घित राज्य तथा राष्ट्र संघ द्वारा शासन करने के लिये सौंपे गये राज्य। हम इन सब पर क्रमशः प्रकाश डालेंगे।

(४) उपनिवेश-कनाडा

कनाडा पहले फ्रेञ्च उपनिवेश था। पन्द्रहवीं सदी के अन्तिम भाग में जब कालम्बस ने अमेरिका का पता लगाया, तो अनेक यूरॉपीयन जातियों ने इस नवीन भूखण्ड पर अपने उपनिवेश बनाने प्रारम्भ किये। कनाडा में फ्रेञ्च लोग बसे और यह प्रदेश सन् १७६३ तक उन्हा लोगों के हाथ में रहा। सत्रवर्षीय युद्ध की समाप्ति पर सन् १७६३ में कनाडा ब्रिटिश लोगों के अधीन हुआ। ब्रिटेन के लिये कनाडा का शासन करना सुगम कार्य न था। वहाँ के निवासी भाषा, धर्म, जाति आदि की दृष्टि से ब्रिटिश लोगों से सर्वथा भिन्न थे। परन्तु धीरे धीरे इस प्रदेश में ब्रिटिश लोगों की संख्या बढ़ने लगी। १८वीं सदी के अन्तिम अर्धसे में जब अमेरिका के ब्रिटिश उपनिवेशों में (जो कि वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से विख्यात है) विद्रोह हुए, तो बहुत से राजभक्त उपनिवेशवासी कनाडा में जाकर

बस गये। सब अमेरिकन लोग राज्यक्रान्ति के समर्थक नहीं थे। बहुत से ऐसे भी थे, जो ब्रिटिश छत्रछाया में निवास करने में ही अपना कल्याण समझते थे। इसलिये जब अमेरिकन राज्यक्रान्ति सफल हो गई, तो ये लोग ब्रिटिश उपनिवेश-कनाडा में आकर बस गये। इनके अतिरिक्त ब्रिटेन से जाकर बसनेवाले लोगों की भी संख्या कम नहीं थी। आबादी की वृद्धि तथा बेकारी के कारण बहुत से ब्रिटिश लोग प्रतिवर्ष अपनी मातृभूमि को छोड़कर बाहर चले जाते थे। पहले ये लोग अमेरिका में आनाद होते थे। पर अब उसके स्वाधीन हो जाने के कारण इनका चेन उदल गया और ये लोग प्रायः कनाडा में जाकर बसने लगे। इन नये निवासियों से अपर कनाडा, न्यू ब्रुन्स्विक, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड तथा न्यूफाउण्डलैंड का विकास हुआ। ब्रिटिश लोग ब्रिटेन तथा अमेरिका से आते गये और कनाडा के विशाल विस्तृत प्रदेशों में बसते गये। ये निरतरी हुई बस्तियाँ हा धारे धीरे बाकायदा संगठित उपनिवेशों के रूप में परिणत हो गईं। प्रत्येक उपनिवेश का अपनी अपनी सरकार थी। शासक लोग ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते थे। शुरू शुरू में इन उपनिवेशों के शासन में उपनिवेशवासियों का कोई हाथ नहीं था। सम्पूर्ण शासन ब्रिटिश सरकार द्वारा सञ्चालित होता था। पर धारे धीरे लोकसत्ता के सिद्धान्त का प्रवेश किया गया और उपनिवेशवासियों को शासन का अधिकार दिये जाने लगे। पर कनाडा के निवासों इन मामूली सुधारों से संतुष्ट नहीं हो सकते थे। 'स्वभाग्य निर्णय' तथा 'लोकतन्त्र शासन' के सिद्धान्तों को क्रिया में परिणत करने के लिये उनमें घोर आन्दोलन चल रहा था। १८३७ में कनाडा में विद्रोह हो गया। इस विद्रोह का स्वरूप प्रायः वैसा ही था, जैसा कि लगभग आधी सदी पहले के अमेरिकन विद्रोह का था। पर भेद यही है, कि कनाडा की क्रान्ति सफल नहीं हो सकी। पर इसमें सन्देह नहीं, कि असफल होकर भी

कनाडियन क्वान्ति ने ब्रिटिश शासकों की शरारतें गाल दीं। उन्हें आवश्यकता अनुभव हुई, कि कनाडा वासियों का शिवायता को सुनने और उनका असन्तोष को दूर करने का प्रयत्न करें।

इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर लार्ड डर्हम को कनाडियन समस्या का अध्ययन करने तथा उसका हल करने के उपायों को सुझाने के लिये नियत किया गया। लार्ड डर्हम ने पाँच मास कनाडा में व्यतीत किये और सब बातों का भली भाँति अनुशीलन कर वह इस परिणाम पर पहुँचे, कि जब तक उपनिवेशों को अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले सम्पूर्ण मामलों में पूरा पूरा अधिकार न दिया जावेगा, तब तक उनकी समस्या का हल न होगा। इसके लिये उमने प्रस्ताव किया कि (१) लोअर कनाडा और अपर कनाडा का मिलाकर एक सभटन में संगठित किया जावे और कनाडा के इस सभटन में इस बात की गुञ्जाइश रखी जावे कि अन्य समीपवर्ती उपनिवेश भी उसमें यथासमय सम्मिलित किये जा सकें। (२) प्रत्येक उपनिवेश में लोकसत्तात्मक सिद्धान्तों के अनुसार स्वराज्य की स्थापना की जाव और मन्निमएडल को व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया जावे। ब्रिटिश साम्राज्य का आधुनिक इतिहास में लार्ड डर्हम का यह रिपोर्ट बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। इसे औपनिवेशिक स्वराज्य की आधारशिला माना जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार १८४० में लोअर और अपर दोनों कनाडाओं को मिला कर एक कर दिया गया, तथा उनकी व्यवस्थापिका सभा का निर्माण हुआ। मन्निमएडल को व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। ब्रिटिश सम्राट् के प्रतिनिधि रूप में एक गवर्नर की व्यवस्था की गई, जिसे ब्रिटिश सरकार नियत करती थी। कुछ समय पश्चात् अन्य उपनिवेशों (जो अमरिका के उत्तर में विद्यमान थे) में भी इसी पद्धति का अनुसरण किया गया। नोवा स्कोटिया, न्यू ब्रुन्स्विक आदि अन्य उपनिवेशों में भी कुछ ही वर्षों में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना

अमेरिका की अपेक्षा भी अधिक बड़ा है। इस विशाल भूखण्ड के जंगलों का साप कर यहाँ बसने के लिये अभी बहुत ज्यादा मौज़ा है। लाखों मनुष्य प्रतिवर्ष यूरोप व अमेरिका से कनाडा पहुँचते हैं, और इस जनशून्य प्रदेश को आबाद करते हैं। कनाडा में खनिज पदार्थों की भी कमी नहीं है। खाना से प्राप्त होने वाले बहुमूल्य पदार्थों के लोभ से बहुत से मनुष्य हर साल कनाडा पहुँचते हैं। आवागमन के साधनों के उन्नत हो जाने के कारण पश्चिमी कनाडा को आबाद करना भी सुगम हो गया है। चार सुदीर्घ रेलवे हैं, जो कनाडा को पूव से पश्चिम तक—अटलान्टिक महासागर से प्रशान्त महासागर तक—मिलाती हैं। इनमें से कनाडियन पेंसिल्वेन रेलवे का विस्तार १२ हजार मील है। इन रेलों का परिणाम यह हुआ है, कि पश्चिम के प्रदेश लगातार आबाद होते जाते हैं और नये नये प्रदेश एक राज्य का रूप धारण कर कनाडा के सघ में सम्मिलित होते जाते हैं। मनिटोवा १८७० में सघ में सम्मिलित हुआ, ब्रिटिश कोलम्बिया १८७१ में, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड १८७३ में, एल्बर्टा और सस्कचेवन १९०५ में। कनाडा की आबादी भी बड़े वेग से बढ़ रही है। १८१५ में उसकी आबादी केवल पाँच लाख थी, १९२५ में एक सदी बाद वह बढ़ कर नौवे लाख हो गई।

आर्थिक दृष्टि से भी कनाडा आसाधारण उन्नति कर रहा है। कृषि और व्यवसाय—दोनों यहाँ सुचारु रूप से उन्नत हैं। व्यवसायों के प्रोत्साहन के लिये कनाडा ने सरक्षण नाति का आश्रय लिया है। विदेशी माल पर—जिसमें ब्राइटश माल भी सम्मिलित है—प्रचुर परिमाण में चुगा लगा कर तथा अपने व्यवसायों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देकर कनाडा एक व्यवसाय प्रधान देश बनने की चिन्ता में है। इस नीति से कनाडा को सफलता भी खूब प्राप्त हुई है। कनाडा एक राष्ट्र है, और राष्ट्रीय दृष्टि से उसे अपने आप में परिपूर्ण होना चाहिये, यह विचार यहाँ खूब काम कर रहा है। शिक्षा की दृष्टि

से भी कनाडा ने अच्छी उन्नति की है। इस समय वहाँ २३ विश्वविद्यालय हैं, जिनमें हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

न्यू फाउण्डलेण्ड कनाडा के संघ के बहुत समीप स्थित है, पर अब तक वह कनाडा संघ में सम्मिलित नहीं हुआ है। वह एक स्वतन्त्र पृथक् उपनिवेश के रूप में विकास कर रहा है। उसमें भी औपनिवेशिक स्वराज्य विद्यमान है और अन्य उपनिवेशों के समान ही स्थिति रखता है।

(ख) आस्ट्रेलिया

आस्ट्रेलिया अपने आप में ही एक महाद्वीप है, जो अफेला समुक्त राज्य अमेरिका व यूरोप के प्रायः बराबर है। जिस समय यूरोपियन लोगों ने इसमें प्रवेश किया, तब वहाँ कुछ मूल जातियाँ निवास करती थीं, जो सभ्यता की दृष्टि से उन्नत नहीं थीं। यूरोपियन लोगों को उन्हें नष्ट करने में तथा इस विशाल भूपरद पर यथेष्ट बस्तियाँ बसाने में कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई। आस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबन्ध में स्थित है, इसलिए वहाँ की जलवायु बहुत उत्तम तथा स्वास्थ्यप्रद है। उत्तरी आस्ट्रेलिया में जल की कमी है, सिंचाई का यथोचित प्रबन्ध न होने के कारण अभी उसमें बस्तियाँ ज्यादा नहीं बढ़ सकी हैं। पर दक्षिणी तथा पूर्वी आस्ट्रेलिया बहुत उपजाऊ हैं। वहाँ खेती बहुत हो सकती है। साथ ही, वहाँ बहुत से रनिज पदार्थ भी पाये जाते हैं। इसलिए इन प्रदेशों में यूरोपियन लोग विशेष रूप से आवाद हुए हैं। आस्ट्रेलिया के दक्षिण में समीप ही विद्यमान टस्मानिया का टापू भी अपने उत्तम जलवायु, उपजाऊ जमीन तथा रनिज पदार्थों की प्रचुरता के कारण बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ भी पाश्चात्य लोग प्रचुर संख्या में आवाद हुए हैं, और वह व्यापार तथा व्यवसाय का बड़ा केन्द्र बन गया है।

१६ वीं सदी में जब पोर्तुगीज लोग मसालों के द्वीपों की ढूँढ में पूर्वी देशों की खानगीन कर रहे थे, तब उनके अनेक मल्लाह इस महाद्वीप में भी पहुँचे थे। पर वे यहाँ पर बसे नहीं, और न ही उन्होंने व्यापार के लिए यहाँ कोई कोठी बनाई। १६४२ में टस्मान नामक एक डच मल्लाह ने आस्ट्रेलिया के दक्षिण में विद्यमान उस टापू का पता लगाया, जो आजकल उस ही के नाम से प्रसिद्ध है। इसी टस्मान ने आस्ट्रेलिया के पूर्व में विद्यमान एक विशाल द्वीप समूह का पता लगाया, जिसका नाम न्यूजीलैण्ड रखा गया। इस प्रकार यद्यपि इन द्वीपों का पता पहले-पहल डच लोगों ने लगाया, पर वे भी वहाँ पर नहीं बसे। कैप्टिन कुक नाम के एक अँगरेज मल्लाह ने १८ वीं सदी में इन प्रदेशों के चक्कर लगाये और उसी की यात्राओं के कारण इँगलिश लोगों का ध्यान इन द्वीपों की तरफ आकृष्ट हुआ। न्यूजीलैण्ड के तट का चक्कर काटकर १७६६—१७७० में कैप्टिन कुक ने पश्चिम की तरफ आस्ट्रेलिया की ओर प्रस्थान किया। पहले-पहल आस्ट्रेलिया में वह जिस स्थान पर पहुँचा, वहाँ की भूमि बहुत ही शशय श्यामल तथा हरी-भरी थी। इसलिए उसने उसका नाम 'बोटनी बे' (हरी-भरी खाड़ी) रखा। कैप्टिन कुक ने इस प्रदेश पर ब्रिटिश लोगों का झण्डा खड़ा किया और ब्रिटिश सम्राट के नाम पर इस पर अपना अधिकार कर लिया। ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स प्रदेश से यह प्रदेश मिलता-जुलता है, यह समझ कर इसका नाम 'न्यू साउथ वेल्स' रखा गया।

ग्रेट ब्रिटेन ने इस प्रदेश का उपयोग सबसे पूर्व 'कालापानी' के रूप में प्रारम्भ किया। १७८८ में ७५० अभियुक्त अपना दरड भोगने के लिए यहाँ भेजे गये। आस्ट्रेलिया में इँगलिश लोगों की यह पहली बस्ती थी, जो अपराधी कैदियों से शुरू हुई। इसके बाद प्रतिवर्ष कैदी यहाँ भेजे जाने लगे और न्यूसाउथ वेल्स की आबादी निरन्तर बढ़ती गई। कुछ समय बाद इँगलिश लोगों ने अनुभव किया, कि ये प्रदेश

मेड़ पालने के लिए बहुत उपयुक्त हैं और यहाँ जन का व्यवसाय बहुत तरकी कर सकता है। इस दृष्टि से १७६६ में बहुत सी मेड़ें इंग्लैण्ड से आस्ट्रेलिया भेजी गईं। कृषि और मेड़ पालकर उन एकत्रित करना—ये दो पेशे इस नवीन बस्ती में खूब तरकी करने लगे। जर्मन विलकुल नहीं थी, इसलिए बहुत उपजाऊ थी। परिणाम यह हुआ, कि आस्ट्रेलिया में वैसे हुए लोगों को खूब फायदा होने लगा। नफे से आकृष्ट होकर बहुत से स्वतन्त्र मनुष्य भी आस्ट्रेलिया जाने लगे और कैदियों की बस्ती के साथ ही स्वतन्त्र लोगों की बस्ती भी विकसित होने लगी। बोटनी बे के उत्तर में एक स्थान था, जो बन्दरगाह बनने के लिए बहुत उपयुक्त था। वहाँ सिडनी का बन्दरगाह विकसित हुआ। न्यूसाउथ वेल्स के बाद टस्मानिया तथा पश्चिमी आस्ट्रेलिया में भी कैदियों को भेजा जाना शुरू हुआ और इन कैदियों द्वारा ही वहाँ पर बस्तियाँ बसनी प्रारम्भ हुईं। १८५१ में आस्ट्रेलिया में अनेक स्थानों पर सोने की खानें उपलब्ध हुईं, इनसे आकृष्ट होकर हजारों मनुष्य प्रतिवर्ष ब्रिटेन से आस्ट्रेलिया पहुँचने लगे। पूँजीपति और मजदूर—दोनों ही प्रचुर संख्या में वहाँ जाने शुरू हुए। सोने की खानों की वजह से आस्ट्रेलिया को बहुत शीघ्रता से तरकी हुई। कैदियों की अपेक्षा स्वतन्त्र मनुष्य वहाँ बहुत अधिक बढ़ गये। इन स्वतन्त्र मनुष्यों ने इस बात का विरोध करना शुरू किया कि कैदी लोग उनके प्रदेशों में बसाये जावें। इस आन्दोलन का परिणाम यह हुआ, कि आस्ट्रेलिया को 'कालापानी' के रूप में प्रयुक्त करना बन्द कर दिया गया।

१७८८ में आस्ट्रेलिया को आवादी केवल ७५० थी। बढ़ते बढ़ते १८२१ में वह ५५ लाख से ऊपर पहुँच गई थी। न्यूसाउथ वेल्स, टस्मानिया और पश्चिमी आस्ट्रेलिया के अतिरिक्त विक्टोरिया, क्वीन्सलैण्ड तथा दक्षिणी आस्ट्रेलिया—इन तीन उपनिवेशों का और विकास हुआ है। ये उपनिवेश कैदियों की बस्ती के रूप में प्रयुक्त नहीं

हुए। इनमें कृषि, ऊन का व्यवसाय तथा सोने की खानों में श्राद्ध होकर स्वतन्त्र मनुष्य नमय समय पर बसते गये और उसी के परिणाम स्वरूप बाकायदा उपनिवेशों का विकास हो गया। पहले प्रत्येक उपनिवेश की सरकार अलग अलग थी। कैदियों की बस्तियों में फौजी शासन होता था और स्वतन्त्र मनुष्यों पर ब्रिटेन द्वारा भेजे हुए गवर्नर शासन करते थे। पर अब धीरे धीरे इन आस्ट्रेलियन उपनिवेशों में स्वराज्य का प्रारम्भ किया गया। कैदियों की बस्तियों से भी फौजी शासन उठा दिया गया। प्रत्येक उपनिवेश में व्यवस्थापिका सभा और उसके प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल की स्थापना की गई।

यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि समयान्तर में इन उपनिवेशों में—जिनके निवासियों की भाषा, जाति, धर्म, सभ्यता, संस्कृति सब एक थी, एकता होकर एक राज्य की स्थापना हो। एक आस्ट्रेलियन सभ (फाइरेशन) बनाने के लिए उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग में ग्रान्दो लन प्रारम्भ हुआ। बहुत समय तक इस प्रश्न पर बहस होती रही। १८६१ में सभ उपनिवेशों के प्रतिनिधि एक राष्ट्रीय महासभा (कान्वेन्शन) के रूप में एकत्रित हुए और उन्होंने आस्ट्रेलियन सभ के लिए शासन व्यवस्था की रचना की। इस शासन विधान को जनता की सम्मति के लिए उपस्थित किया गया। जनता द्वारा स्वीकृत कराके इसे ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के सम्मुख पेश किया गया। कुछ परिवर्तनों के साथ यह वहाँ पास हो गया और सन् १९०० में स्वीकृत हुए ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के इस ऐक्ट द्वारा आस्ट्रेलियन सभ का निर्माण हुआ। आस्ट्रेलियन सभ में सभ मिलाकर छः राज्य व उपनिवेश अन्तर्गत हैं—न्यूसाउथ वेल्स, टस्मानिया, विक्टोरिया, क्वीन्सलैण्ड, दक्षिणी आस्ट्रेलिया और पश्चिमी आस्ट्रेलिया। इन राज्यों की अपनी अपनी पृथक् सरकारें भी हैं। प्रत्येक राज्य में अपनी व्यवस्थापिका सभाएँ तथा मन्त्रिमण्डल हैं। पर इनके अतिरिक्त आस्ट्रेलियन सभ की सरकार है,

जिसका सगठन निम्नलिखित प्रकार से है —सभ का व्यवस्थापन विभाग दो सभाओं द्वारा बना हुआ है—सीनेट और प्रतिनिधिसभा । सीनेट में प्रत्येक राज्य से छ छ प्रतिनिधि चुने जाते हैं । प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन सर्वसाधारण जनता के वोटों द्वारा होता है, और जिस राज्य से कितने प्रतिनिधि लिये जावें, इसका निश्चय आयादी पर आश्रित होता है । मन्त्रिमण्डल प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता है । सभ का गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि समझा जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त होता है । पर आस्ट्रेलिया में यह विशेषता है, कि गवर्नर-जनरल उसी को नियत किया जाता है, जिसके लिए आस्ट्रेलिया का मन्त्रिमण्डल सिफारिश करे । यह गवर्नर जनरल ब्रिटिश सम्राट् की तरह अपने विशेष अधिकारों का प्रायः उपयोग नहीं करता । कनाडा की तरह आस्ट्रेलिया भी क्रियात्मक दृष्टि से पूर्णतया स्वतन्त्र राज्य है । आस्ट्रेलिया बहुत ही उन्नत तथा प्रगतिशील देश है । इसमें स्त्रियों को वोट का अधिकार १९०२ में ही प्राप्त हो गया था । मजदूर दल का विकास भी आस्ट्रेलिया में बहुत पहले से शुरू हो गया था । वहाँ मजदूर दल की शक्ति का अनुमान इसी बात से किया जा सकता है, कि सन् १९०८ में आस्ट्रेलिया का प्रधान मन्त्री मजदूर दल का बन गया था । मजदूर दल की इस प्रधानता का ही परिणाम है, कि आस्ट्रेलिया में मजदूरों के लाभ के लिए बहुत से कानून बनाये गये हैं । गत यूरोपीय महायुद्ध के बाद से तो प्रायः सभी सभ्य देशों में मजदूरों के हित के लिए विविध कानून बनाये जा रहे हैं, और राष्ट्रसभ का मजदूर कार्यालय इस कार्य पर विशेष ध्यान दे रहा है । पर आस्ट्रेलिया ने इस दिशा में बहुत पहले से पग बढ़ाना शुरू कर दिया था । जहाँ एक तरफ मजदूरों के हित के लिए आस्ट्रेलिया में इस प्रकार उद्योग हुआ है, वहाँ चीनी और भारतीय मजदूरों को रोजगार प्राप्त करने में बाधा डालने के लिए भी वहाँ अनेक

कानून बनाये गये हैं। ऐसे कानून वहाँ सन् १८५१ में ही बनने शुरू हो गये थे। वर्ण भेद की समस्या से ये ब्रिटिश उपनिवेश—कनाडा और आस्ट्रेलिया भी—अछूते नहीं रहे हैं।

(ग) न्यूजीलैण्ड

आस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में १२०० मील की दूरी पर न्यूजीलैण्ड का उपनिवेश स्थित है। इसमें दो बड़े तथा अन्य बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं, जिन सबको मिलाकर न्यूजीलैण्ड का उपनिवेश कहते हैं। इस उपनिवेश का विस्तार ग्रेट ब्रिटेन के सवाये के लगभग है। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में ही ब्रिटिश लोगों ने इस द्वीप में जाना शुरू कर दिया था। १८१४ से बहुत से ईसाई मिशनरी न्यूजीलैण्ड के मूल निवासियों को अपने धर्म में दीक्षित करने का उद्योग करने लगे थे। न्यूजीलैण्ड के मूलनिवासी 'मन्नोरी' लोग हैं, जो सम्यता की दृष्टि से अफ्रीका के नीग्रो व आस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के समान बहुत पिछड़े हुए न थे। सर जार्ज ग्रे ने इनके सम्बन्ध में लिखा था—“बहुत अशों में यह अत्यन्त ऊँची जाति है। ये बड़े उत्कृष्ट गोदा हैं, ये बड़े वाग्मी, समझदार, अभिमानी तथा सीधे आदमी हैं। उन्होंने मेरे साथ जो व्यवहार किया है, उससे उन्होंने मेरे भावों तथा सहानुभूति को जीत लिया है।” इसलिए यह स्पष्ट है कि इन 'मन्नोरी' लोगों को अपने धर्म में दीक्षित कर लेना या उन्हें सर्वथा नष्ट कर देना बहुत सुगम कार्य न था। 'मन्नोरी' लोगों ने आंगरेजों से अनेक बार धनधोर युद्ध किये। आखिर, १८४० में दोनों जातियों में परस्पर सुलह हो गई। 'मन्नोरी' लोगों ने महारानी विक्टोरिया को अपना अधिपति मानना स्वीकृत कर लिया। इसके बदले में उनके निवास के लिए निश्चित प्रदेश अलग कर दिया गया, जिसमें कि वे स्वतन्त्रतापूर्वक निवास कर सकें। मन्नोरी लोगों से निवटारा

करके अंगरेजों ने न्यूजीलैण्ड के टापुत्रों में अपनी बस्तियाँ बसानी प्रारम्भ कीं । इस कार्य के लिए ग्रेट ब्रिटेन में एक कम्पनी बाकायदा बनी हुई थी, जिसका नाम था—न्यूजीलैण्ड कम्पनी । यह निरन्तर रूप से इस द्वीप-समूह को आबाद करने का प्रयत्न कर रही थी । उन के व्यवसाय के लिए भेड़ों को पालने की न्यूजीलैण्ड में भी बहुत सुविधा थी । इससे आकृष्ट होकर बहुत से अंगरेज वहाँ बसे । साथ ही, कुछ वर्षों के बाद जब आस्ट्रेलिया की तरह न्यूजीलैण्ड में भी सोने की खानें मिल गईं, तब तो बहुत बड़ी संख्या में अंगरेज लोग वहाँ जाकर आबाद होने लगे । न्यूजीलैण्ड का बड़ी शीघ्रता से विकास हुआ । रोजगार के लिए उपयुक्त स्थान ढूँढने की धुन में अंगरेजों ने 'मथ्रोरी' लोगों की बस्तियों में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया । परिणाम यह हुआ, कि १८६० और १८७१ में 'मथ्रोरी' लोगों ने दो बार विद्रोह किये । इन्हें बड़े भयंकर रूप से कुचला गया । उसके बाद फिर कभी 'मथ्रोरी' विद्रोह नहीं हुए हैं ।

न्यूजीलैण्ड के विविध प्रदेशों में जो बस्तियाँ बस रही थीं, १८५१ में उनकी संख्या छः थी—अकलैण्ड, वेलिङ्गटन, न्यूप्लाइमाउथ, (ये न्यूजीलैण्ड के उत्तरी द्वीप में हैं) नेल्सन, आटागो और कैंटरबरी (ये दक्षिणी द्वीप में हैं) । १८५२ में इन सबको संगठित कर शासन विधान को व्यवस्था की गई । ब्रिटिश पार्लियामेन्ट द्वारा स्वीकृत एक ऐक्ट के अनुसार छत्रों बस्तियों व राज्यों में पृथक् स्थानीय स्वराज्य की स्थापना की गई और साथ ही विविध बस्तियों के संघ का निर्माण किया गया । संघ की शासन-व्यवस्था इस प्रकार बनाई गई—व्यवस्थापन विभाग में दो सभायें हों, कौंसिल और प्रतिनिधि सभा । कौंसिल के सदस्य गवर्नर-जनरल द्वारा नियत किये जायें और प्रतिनिधि सभा के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित हों । मन्त्रिमण्डल प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी हो । गवर्नर-जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जावे ।

यह पद्धति १८७५ तक जारी रही। पर न्यूजीलैण्ड में बहुत से राजपू हैं, और धीरे-धीरे इन राजपूओं में भी वस्तियाँ बसती गईं। इन सबमें प्रान्तीय स्वराज्य का स्थापन कर बनना कठिन था। और इतने सारे प्रान्तों के हो जाने से केन्द्रीय सरकार की शक्ति भी बहुत कम हो जाती थी। इसलिए १८७६ में प्रान्तीय स्वराज्य का अन्त कर एक मजबूत केन्द्रीय लोकतन्त्र सरकार की स्थापना की गई। केन्द्रीय स्वराज्य का स्वरूप प्रायः वही रखा गया, जो १८५२ में बनाया गया था।

ऑस्ट्रेलिया के समान न्यूजीलैण्ड भी समार के अत्यन्त उन्नत तथा प्रगतिशील देशों में से एक है। इसमें स्त्रियों को वोट देने का अधिकार ऑस्ट्रेलिया से भी पूर्व १८६३ में ही प्राप्त हो गया था। साथ ही, यहाँ कानून बनाने में रिफरेण्डम की पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसके अनुसार किसी भी महत्त्वपूर्ण विषय का फैसला व्यवस्थापिका सभा में न होकर सर्वसाधारण जनता के वोट द्वारा किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक को उस विषय के पक्ष या विपक्ष में वोट देने का अस्तर दिया जाता है, और इस प्रकार सर्वसाधारण के सीधे वोट से फैसला हाता है। मजदूर श्रेणी के हितों की रक्षा के लिये न्यूजीलैण्ड में बहुत से कानून बनाये गये हैं। स्त्रियाँ और बालक किन शर्तों पर कारखाना में काम कर सकें, उनके लाभ के लिए क्या व्यवस्थाएँ की जाएँ, मजदूरों के काय करने का अधिकतम समय कितना हो—इन सब मामलों में वहाँ यूरोपीय महायुद्ध से पूर्व ही कानून बन चुके थे। न्यूजीलैण्ड में सरकार की तरफ से एक नारायदा श्रम विभाग खोला गया है, जो मजदूरों के हित का सदा ध्यान रखता है। बेकारों को काम दिलाने के लिये, मजदूरों को लाभ पहुँचाने के लिए तथा सब प्रकार से श्रमी श्रेणी का हित सम्पादित करने के लिए यह सदा कम्पिद्ध रहता है। न्यूजीलैण्ड में रविवार के अतिरिक्त शनिवार को भी आधे दिन की छुट्टी रहती है। मजदूरों के हित की

इन निविध बातों के अतिरिक्त, न्यूजीलैण्ड ने आर्थिक समस्या को हल करने के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। वहाँ की सरकार भूमि को निरन्तर खरीदती जाती है, और इस प्रकार भूमि पर राजकीय स्वामित्व कायम कर उसे अपनी ओर से किसानों को खेती के लिए देती है। इससे जमींदारी प्रथा का निरन्तर ह्रास होता जाता है। रेलवे, टेलिग्राफ, डाकखाना, टेलीफोन आदि तो न्यूजीलैण्ड में सरकार की मल्लिक्यत हैं ही, साथ ही सेवेज रैक तथा बीमा कम्पनिया भी सरकार की तरफ से ही सञ्चालित होती हैं। सरकार खानों पर भी अपना अधिकार करती जाती है। अमीरों पर बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स लगाये जाते हैं, ताकि सम्पत्ति का विभाग समान रूप से रहे। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ है, कि न्यूजीलैण्ड को सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से ससार के सबसे उन्नत देशों में गिना जाता है। वहाँ जा परीक्षण किये जा रहे हैं, उन्हें शेष सभ्य ससार बड़ी उत्सुकता से देख रहा है।

कायम न रह सका और यह ब्रेट ब्रिटेन के बच्चे में आ गया। वीएना की कांग्रेस में (सन् १८१४) केप कोलोनी पर ब्रिटेन का अधिकार स्वीकृत कर लिया गया। तब से यह प्रदेश ब्रिटेन के ही अधीन है। जिस समय केप कालोनी ब्रिटेन के हाथ में आया, उस समय उसकी आबादी निम्नलिखित प्रकार से थी—२७,००० गौर वर्ण मनुष्य जो प्रायः सभी डच जाति के थे, ३०,००० नीग्रो तथा मलय जाति के गुलाम, १७,००,००० हॉटिनोट—ये उस प्रदेश के मूलनिवासी थे। १८२० के बाद ब्रिटिश लोगों ने निरन्तर इस प्रदेश में आना तथा बसना प्रारम्भ किया। परन्तु गौर वर्ण के लोगों की अधिकांश सख्या डच जाति की ही रही। डच लोग प्रायः किसान थे। वे अपनी भाषा, रीति रिवाज तथा सभ्यता को किसी भी दशा में छोड़ना नहीं चाहते थे। उनकी रक्षा के लिए वे मर मिटने को उद्यत रहते थे। केप कोलोनी के अपने अधिकार में आ जाने पर ब्रिटिश शासकों ने कोशिश की, कि इंग्लिश भाषा, रीति रिवाज तथा सभ्यता को वहाँ पर प्रयोग में लावें। डच किसान—जो बोअर नाम से प्रसिद्ध हैं, इस बात को सहन नहीं कर सके। वे नहीं चाहते थे, कि उनके प्रदेश में अंगरेजी भाषा उपयोग में आवे और इंग्लिश दम से न्यायालयों का संगठन किया जावे। सन् १८३३ में अंगरेजी सरकार ने निश्चय किया, कि दास प्रथा का अन्त कर दिया जावे। बोअर लोग प्रायः दासों द्वारा ही खेती का कार्य करते थे। दास प्रथा का अन्त कर देने से उन्हें भारी नुकसान था। दासों को मुक्त कराने के लिए ४½ करोड़ के लगभग रुपये ब्रिटिश सरकार ने खर्च किये, पर बोअर लोगों की दृष्टि में यह कीमत बहुत कम थी। वे इससे सतुष्ट नहीं हुए। ब्रिटिश शासकों के इस व्यवहार से तब आन्तर बोअर लोग ने निश्चय किया, कि केप कोलोनी को—जिसे कि उन्होंने स्वयं या उनके पूर्वजों ने पहले पहल आबाद किया था, सदा के लिये छोड़ कर उत्तर में अपने लिए नई नस्तिर्याँ बसावें। बोअर लोगों का यह

‘महाप्रस्थान’ १८३६ में शुरू हुआ। अपने सब माल-असबाब को बड़े बड़े छकड़ों पर (जिनमें बैल जुते होते थे) लाद कर दस हजार बोझर लोग उत्तर की ओर चल पड़े। केप कोलोनी के उत्तर में उस समय भयंकर जंगल थे, जिनमें बहुत सी जंगली जातियाँ निवास करती थीं। बोझर लोगों ने इन जंगलों को साफ किया और दो नये उपनिवेश बसाये। ये नये उपनिवेश नैटाल तथा ओरेन्ज नदी की घाटी में बसाये गये। कुछ समय तक बोझर लोग अपने नये प्रदेशों में स्वतन्त्रता के साथ बसते रहे। ब्रिटिश लोगों ने उनमें हस्तक्षेप नहीं किया। पर यह दशा देर तक नहीं रह सकी। नैटाल समुद्र-तट पर स्थित था। ब्रिटिश लोग नहीं चाहते थे कि समुद्र-तट के इतने महत्वपूर्ण स्थान पर एक विदेशी राज्य कायम हो जावे। इसलिए उन्होंने डर्बन (उस समय यह पोर्ट नैटाल कहाता था और नैटाल प्रदेश का मुख्य नगर तथा बन्दरगाह था) पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी। १८४२ में ब्रिटिश तथा डच सेनाओं में युद्ध हुआ। डच सेना परास्त हो गई। नैटाल ब्रिटिश लोगों के कब्जे में आ गया। ब्रिटिश लोग ओरेन्ज के स्वतन्त्र डच राज्य को भी अपने अधीन करना चाहते थे। १८४८ में उन्होंने उस पर भी आक्रमण किया और डच लोगों को परास्त कर अपने अधिकार में कर लिया।

बोझर लोगों के लिए बड़ी विकट समस्या थी। इंगलिश लोग उन्हें शान्ति से नहीं रहने देना चाहते थे। यदि ब्रिटिश शासक केवल अपना राज्य ही स्थापित करते, तो उन्हें कोई विशेष आपत्ति न भी होती, पर ब्रिटिश लोग अपनी भाषा, मस्जिद, मस्था आदि को प्रचलित किये बिना रह नहीं सकते थे और बोझर लोगों के लिए यह सह्य सह्य करना असम्भव था। परिणाम यह हुआ, कि एक बार फिर बोझर लोगों ने महाप्रस्थान शुरू किया। ओरेन्ज उपनिवेश के उत्तर में वाल नदी के पार एक नया उपनिवेश बोझर लोगों द्वारा बसाया गया, यह द्रांस-

वाल के नाम से प्रसिद्ध है। त्रिटिश लाग सम्भवत, इसमें भी हस्तक्षेप करते, पर उनकी सम्मत में इसका आर्थिक महत्त्व काइ न था। यह मुख्यतया पशुओं के लिए चरागाह का ही काम दे सकता था। इसलिए ब्रिटिश लोगों ने यहां उपयुक्त समझा, कि इसे जीत कर अपने अधीन करने का तफ़लीफ़ न उठाई जावे। १८५२ में ब्रिटिश तथा बोअर लोगों में सन्धि हो गई, जिसके अनुसार ऑंगरेजों ने ट्रांसवाल में बोअर लोगों की स्वाधीनता को स्वीकृत कर लिया, और साथ ही यह विश्वास दिलाया कि इस प्रदेश में बोअर लाग स्वतन्त्रतापूर्वक रह सकेंगे, ब्रिटिश लोग उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करेंगे। दो वर्ष पश्चात् १८५४ में ऑरेन्ज उपनिवेश की स्वाधीनता स्वीकृत कर ली गई और वह 'ऑरेन्ज का स्वतन्त्र राज्य' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार अब दक्षिणी अफ्रीका में कुल चार उपनिवेश हो गये, जिनमें से दो—केप कोलोनी और नेगल—ऑंगरेजों के अधीन थे और शेष दो ऑरेन्ज का स्वतन्त्र राज्य तथा ट्रांसवाल—बोअर लोगों के।

लगभग चौथाई सदी तक ये दोनों डच राज्य स्वाधीनतापूर्वक कायम रहे। १८७७ में जय लार्ड बेरुन्सफील्ड ग्रेट ब्रिटेन का प्रधान मंत्री था, ब्रिटेन की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियाँ ने उग्र रूप धारण करना प्रारम्भ किया। ट्रांसवाल में डच लोगों के वहाँ के मूलनिवासियों से निरन्तर झगड़े होते रहते थे। ब्रिटिश लोगों ने कहा, ये झगड़े हमारे अपने राज्यों के लिए भयकर खतरे के कारण बन सकते हैं। हमारे उपनिवेशों में भी उन्हीं जातियों के मूलनिवासी लोग बसते हैं, जो कि ट्रांसवाल में युद्ध करती रहती हैं। उनको देखा देखी यह बीमारी हमारे उपनिवेशों में भी आ जावेगी। अतः अपने उपनिवेशों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है, कि ट्रांसवाल पर अधिकार कर लिया जाय। इसी युक्ति परम्परा का अपने सम्मुख रखकर ब्रिटिश सेनाओं ने १८८४ में ट्रांसवाल पर आक्रमण कर दिया। ट्रांसवाल की बोअर सेनाएँ परास्त

भी प्राप्त कर लें तब ता ट्रान्सवाल का राज्य ही बोअर लोगों के हाथ से निकल जाता था। बोअर लोग स्वाभाविक रूप से ट्रान्सवाल को अपने कब्जे में रखना चाहते थे, अतः उन्होंने अनेक कानून इस प्रकार के बनाये, जिनसे कि विदेशियों के लिए नागरिकता का अधिकार प्राप्त करना अत्यधिक कठिन हो गया। अतः इन विदेशियों की गरीबी थी। उन्होंने बोअर शासक का विरुद्ध प्रचण्ड आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। उनका कहना था कि हमारी पूँजी और श्रम से ही यह उन्नत हुआ पियात्रान प्रदेश इतना समृद्ध तथा सम्पत्तिशाली हुआ है। राज्य हमसे टैक्स लेता है, और हमारे ही टैक्सों की बचत से एक दीपालिया राज्य अत्यन्त शमीर और समृद्ध राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया है। हम लोग भी टैक्स देते हैं, और राज्य में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए हमारा अधिकार है, कि हम भी राज्य के सञ्चालन तथा कानून बनाने में अपनी आवाज रखें। ये विदेशी अंगरेज बोअर शासकों के विरुद्ध निद्रोह करने तथा ट्रान्सवाल के शासन को परिवर्तित करने के लिए निरन्तर प्रयत्न करने लगे।

इस समय में दक्षिणी त्रिांश अफ्रीका का प्रधान मन्त्री सैसिल रूहोड्स नाम का प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ था। यह १८७१ में ब्रिटेन से अफ्रीका में जाकर आया हुआ था और अपने चातुर्य तथा बुद्धिमत्ता से शीघ्र ही सोने तथा हीरों की अनेक खानों का स्वामी बन गया था। इन खानों से इसने अपार सम्पत्ति उपार्जित की थी। यह केवल आर्थिक जगत् में ही अद्वितीय नहीं था, अपितु राजनीतिक क्षेत्र में भी इसका बड़ा ऊँचा स्थान था। सैसिल रूहोड्स चाहता था, कि सम्पूर्ण दक्षिणी तथा पूर्वी अफ्रीका पर त्रिांश शासन स्थापित किया जाय। इसके लिए वह निरन्तर प्रयत्न कर रहा था। वह हमेशा बोअर लोगों की शक्ति को नष्ट करने के लिये उपयुक्त अवसर की ताक में रहता था। इस समय जब कि ट्रान्सवाल में बसे हुए विदेशी अंगरेज बोअर शासन

के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे थे, सेसिल र्होड्स को सुवर्णाय श्रवसर प्राप्त हुआ। न केवल दक्षिणी ब्रिटिश अफ्रीका की सरकार, अपितु ग्रेट ब्रिटेन की सरकार भी इस साजिश में शामिल थी। ५०० ब्रिटिश सिपाहियों के साथ डा० जेम्सन ने १८९५ में ट्रांसवाल पर हमला किया। उसका खयाल था, कि ट्रांसवाल में बसे हुए ब्रिटिश लोग उसके साथ उठ खड़े होंगे और एकदम सशस्त्र विद्रोह हो जायगा। पर डा० जेम्सन को बुरी तरह असफलता हुई। उसके सिपाही बोअर शासकों द्वारा पकड़ लिए गए। जेम्सन का यह हमला पूर्णतया असफल हो गया।

पर इसमें सन्देह नहीं, कि डा० जेम्सन के हमले से अँगरेजों और बोअर लोगों के पारस्परिक सम्बन्ध और भी अधिक बिगड़ गए। इस समय ट्रांसवाल की रिपब्लिक का राष्ट्रपति पोल क्रूगर था। जिस समय बोअर लोग ब्रिटिश अफ्रीका से 'महाप्रस्थान' कर रहे थे, उस समय पोल क्रूगर की उमर केवल दस साल की थी। यह अपने माँ बाप के साथ ट्रांसवाल में आकर बसा था। उसके हृदय में ब्रिटिश लोगों के प्रति उत्कट घृणा थी। वह ट्रांसवाल में बसने वाले विदेशियों से कहा करता था—“यह देश मेरा है, इसमें जो कानून हैं, वे मेरे कानून हैं। जो लोग मेरे कानूनों को नहीं मानना चाहते, वे मेरे देश को छोड़ कर बाहर चले जावें।” पोल क्रूगर के ये वाक्य प्रायः सभी बोअर लोगों की मनोवृत्ति को सूचित करते हैं। बोअर लोग ट्रांसवाल पर अपना अधिकार समझते थे और सोने की लालच में आकर बसे हुए विदेशी लोगों के साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं करना चाहते थे। इस तरह ब्रिटिश राजनीतिज्ञ भी इस समय साम्राज्यवाद के नशे में थे। प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनीतिज्ञ जोसफ चैम्बरलेन का कहना था, कि बोअर लोग अँगरेजों के साथ शूद्रों (Helots) का सा व्यवहार करते हैं। चैम्बरलेन के प्रभाव से ब्रिटिश सरकार ने इस बात के लिए जोर देना

प्रारम्भ किया, कि विदेशियों को ट्रांसवाल में वे ही अधिकार मिलने चाहिये, जो कि बोअर लोगों को प्राप्त हैं। पर बोअर लोग यह बात कैसे मान सकते थे ? इस दशा में अँगरेजों और बोअर लोगों में सघर्ष का होना स्वाभाविक था। एक तरफ ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति थी, जो सम्पूर्ण दक्षिण तथा पूर्वी अफ्रीका पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहती थी, दूसरी ओर बोअर लोग थे, जो पसीने तथा लहू से कमाये हुए अपने स्वतन्त्र राज्य को विदेशियों के कब्जे से बचाना चाहते थे। इन दोनों में ज सघर्ष हुआ, वही इतिहास में 'बोअर युद्ध' के नाम से प्रसिद्ध है।

यह 'बोअर युद्ध' १८६६ में शुरू हुआ। स्वाभाविक रूप से ऑरेंज के स्वतन्त्र राज्य ने ट्रांसवाल का साथ दिया। यूरोप का लोकमत इस युद्ध में अँगरेजों के खिलाफ था। सब लोग कहते थे, ब्रिटेन दो कमजोर राज्यों को नष्ट कर रहा है। ब्रिटेन में भी इस युद्ध के खिलाफ अनेक सभाएँ की गईं, पर साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार ने इन विरोधों पर कोई ध्यान नहीं दिया। शुरू शुरू में ब्रिटिश सेनाओं की बुरी तरह पराजय हुई। पोल क्रूगर वीर योद्धा तथा अच्छा सेनापति था। परन्तु शीघ्र ही लाड राउट्स तथा क्रिचनर के नेतृत्व में नई ब्रिटिश सेनाएँ बोअर लोगों को परास्त करने के लिए ट्रांसवाल पहुँच गईं। बोअर लोगों के लिए इन विशाल ब्रिटिश सेनाओं का मुकाबला करना कठिन था। वे परास्त हो गये। १९०२ में 'बोअर युद्ध' समाप्त हुआ। ट्रांसवाल तथा ऑरेंज के स्वतन्त्र राज्य ब्रिटिश लोगों की अधीनता में आ गये।

इन दोनों बोअर राज्यों को पृथक् उपनिवेश के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ब्रिटिश लोगों ने ट्रांसवाल तथा ऑरेंज राज्य के साथ जो बर्ताव किया, वह निस्सन्देह उदारता तथा बुद्धिमत्ता से पूर्ण था। इन दोनों उपनिवेशों में औपनिवेशिक ढंग का स्वराज्य-कायम किया

गया। धीरे धीरे बोअर लोगों ने अनुभव कर लिया कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत रहने पर भी उनकी आन्तरिक स्वाधीनता कायम है। वस्तुतः इस समय ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति बदल चुकी थी। अब वे बोअर लोगों की भाषा, धर्म, संस्कृति तथा रीतिरिवाज का निरर्थक अपमान नहीं करना चाहते थे। यही कारण है, कि अब बोअर लोगों को ब्रिटिश शासन से कोई विशेष शिकायत नहीं हुई।

अब दक्षिणी अफ्रीका में ब्रिटेन के चार उपनिवेश हो गये—केप को लोनी, नैटाल, ट्रांसवाल और आरेंज राज्य। इन चारों में पृथक् पृथक् सरकार विद्यमान थी। १९०६ में इन उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने निश्चय किया, कि चारों उपनिवेशों का एक सभ बनाया जावे। उन्होंने इसके लिये एक शासनविधान भी तैयार किया। अगले वर्ष १९१० में यह प्रश्न ब्रिटिश पार्लियामेंट के सम्मुख उपस्थित हुआ। वहा पर कनाडा के ढंग का एक शासनविधान स्वीकृत हुआ, जिसके अनुसार चारों उपनिवेशों की पृथक् सरकार भी कायम है, और सब को मिलाकर एक सभ भी बना दिया गया है, जिसकी शासनव्यवस्था निम्नलिखित है—व्यवस्थापन विभाग में दो सभायें हैं। मन्त्रिमंडल प्रतिनिधि सभा क उत्तरदायी है। गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती है। डच और इंग्लिश दोनों प्रकार के उपनिवेशों में समता रखने के लिये सरकार का शासन विभाग प्रिटोरिया में केन्द्रित है, जो कि डच नगर है। इसके विपरीत व्यवस्थापन विभाग का केन्द्र केप टाउन है, जो अफ्रीजी नगर है। सभ में अफ्रीजी तथा डच दोनों भाषायें राजभाषा के रूप में स्वीकृत की गई हैं। सभ का पहला प्रधान मन्त्री जनरल बोथा बना था, जो कि स्वयं डच था और जो बोअर युद्ध में अफ्रीजी सेना के विरुद्ध लड़ा था। यह नहीं कहा जा सकता, कि बोअर लोगों में अपनी पृथक् सत्ता का भाव पूर्णतया नष्ट हो चुका है। वहाँ अब तक भी अनेक बार दोनों

जातियों में सर्प के चिन्ह प्रगट होते रहते हैं। पर इसमें सन्देह नहीं, कि ब्रिटिश लोगो को उदार उपनिवेशिक नीति के कारण योश्वर लोग दक्षिणी अफ्रीका सघ भ सन्ताप अनुभव करने लगे हैं। इस सघ की वर्तमान आवादी इस प्रकार है—पन्द्रह लाख गौरवर्ण के लोग हैं जिनमें ब्रिटिश और डच दानों अन्तर्गत हैं, और छुप्पन लाख कृष्ण वर्ण की विविध जातियों का लाग। इन कृष्ण वर्ण की जातियों के कारण अफ्रीका सघ को अनेक विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृष्ण वर्ण के लोगों में सघ से महत्त्वपूर्ण भारतीय लोग हैं, जो लार्सा की सत्या में वहाँ बसे हुए हैं। ये सभ्यता अध्ववसाय आदि की दृष्टि से किसी भी प्रकार गौरवर्ण के लोगों तकम नहीं हैं। अफ्रीका को आवाद तथा समृद्ध करने में इनका बड़ा हाथ है। पर गौरवर्ण के लोग इन्हें राजनीतिक अधिकार देने तथा राजनीतिक दृष्टि से अपने समान मानने के लिये उद्यत नहीं होते। इसी कारण उन्होंने १९१९ में भारतीयों के विरुद्ध अनेक कानूनों का निर्माण किया है। कृष्णवर्ण के लोगों के विरुद्ध डच और अंग्रेज—दोनों प्रकार के गौरवर्ण के लोग एक साथ मिल गये हैं, उनके आपस के भेद नष्ट होते जा रहे हैं। गत यूरोपीयन महायुद्ध में डच और अंग्रेज एक साथ जर्मनी से लड़े थे। दक्षिणी अफ्रीका की सेनाबाने—जिनमें डच और अंग्रेज दोनों सम्मिलित थे, न केवल अफ्रीका में विद्यमान जर्मन उपनिवेशों को जीत कर अपने अधीन कर लिया था, अपितु यूरोप में भी ब्रिटिश साम्राज्य के उत्कर्ष और जर्मनी के पराजय के लिये मित्र राष्ट्रों की सहायता की थी।

(५) ईजिप्ट

स्वराज्य प्राप्त ब्रिटिश उपनिवेशों के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से महत्त्वपूर्ण देश हैं, जो ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत हैं। ईजिप्ट उनमें से

एक है। १७६८ में जब नैपोलियन ने ईजिप्ट पर आक्रमण किया, तो वहाँ मामेलूक लोगों का शासन था। लड़ाई ही इन मामेलूकों का पेशा था और बहुत समय से ईजिप्ट इन सैनिक सरदारों के अधिकार में था। नाम को तो ईजिप्ट तुर्की साम्राज्य के अन्तर्गत था, पर वहाँ का वास्तविक शासन मामेलूकों के ही हाथ में था। नैपोलियन के आक्रमणों से मामेलूक सरकार परास्त हो गये। इस समय में जो गड़बड़ ईजिप्ट से मची हुई थी, उसका फायदा उठा कर मोहम्मद अली नाम का एक साहसी पुरुष बहुत प्रबल हो गया। मोहम्मद अली अल्बेनिया का रहने वाला था। नैपोलियन के आक्रमण से ईजिप्ट में जो अव्यवस्था मच रही थी, उसका लाभ उठा कर उसने अपनी शक्ति बढ़ा ली और धीरे-धीरे सम्पूर्ण देश को अपने अधीन कर लिया। १८०५ में तुर्की सुलतान ने मोहम्मद अली को ईजिप्ट का सूबेदार स्वीकृत कर लिया। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में तुर्की साम्राज्य की प्रायः वही दशा थी, जो कि अठारहवीं सदी में भारतवर्ष के मुगल साम्राज्य की थी। जिस प्रकार मुगल सम्राट् के अधीन हैदराबाद का निजाम, अवध का नवाब वजीर आदि विविध शासक क्रियात्मक दृष्टि से पूर्णतया स्वतन्त्र थे, उसी प्रकार तुर्की के सुलतान के अधीन ईजिप्ट का सूबेदार मोहम्मद अली भी सब प्रकार से स्वतन्त्र था। मोहम्मद अली एक योग्य तथा जबरदस्त शासक था। उसने ईजिप्ट के शासन में बहुत से महत्वपूर्ण सुधार किये। स्थल तथा जल सेनाओं का संगठन किया। वह न केवल सम्पूर्ण ईजिप्ट को ही अपनी अधीनता में लाने में समर्थ हुआ, अपितु दक्षिणी ईजिप्ट के सुदूरवर्ती प्रदेश एरतूम में भी उसने अपना अधिकार कायम किया, जहाँ से कि वह सुगमता के साथ सूडान पर भी अपना प्रभाव स्थापित कर सकता था। १८३० में मोहम्मद अली ने क्राोट के द्वीप पर अपना शासन कायम किया। कुछ समय पश्चात् सारिया पर भी उसका अधिकार

स्थापित होगया। क्रीट और सीरिया—दोनों तुर्की सुलतान के अधीन थे। मोहम्मद अली की ताकत से मजबूर होकर ही सुलतान ने इन प्रदेशों को उसके सुपुर्द कर दिया था।

मोहम्मद अली की मृत्यु १८४९ में हुई। उसके उत्तराधिकारियों में ईस्माईल प्रथम का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है। इस्माईल मोहम्मद अली का पौत्र था और उसका शासन काल १८६३ से १८७९ तक है। इसके समय की मुख्य घटना स्वेज की नहर का निर्माण है। स्वेज की नहर भूमध्यसागर तथा लाल सागर को मिलाती है। पहले पूर्वी देशों तक पहुँचने का सामुद्रिक मार्ग अफ्रीका का चकर काट कर जाता था। उसमें बहुत समय लगता था। स्वेज की नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया एक दूसरे के बहुत नजदीक होगये हैं, और पूर्व तथा पश्चिम का सम्बन्ध बहुत बढ गया है। डी लैस्सप नाम के एक फ्रेञ्च इंजीनियर के प्रयत्न से स्वेज की नहर को बनाने के लिये एक कम्पनी बनाई गई, जिसमें नि मुख्यतया फ्रेञ्च लोगों के ही हिस्से थे। ईजिप्ट के शासक (जिसे कि सदीव कहा जाता था) ने भी इस कम्पनी में बहुत से हिस्से खरीदे थे और साथ ही यह जिम्मा लिया था कि नहर को खोदने के लिये जिन मजदूरों की जरूरत होगी, उनका प्रबन्ध सदीव की तरफ से किया जावेगा। १८५९ में इस कम्पनी ने कार्य करना प्रारम्भ किया। दस साल बाद १८६९ में स्वेज की नहर बन कर तैयार हो गई। जिस समय स्वेज की नहर बननी शुरू हुई थी, तब ब्रिटिश लोगों की दृष्टि में उसका बहुत महत्त्व न था। पर उसके तैयार हो जाने पर उन्हें ध्यान आया कि पूर्वी देशों तक पहुँचने के लिये यह मार्ग बहुत महत्त्व रखता है, और यह जिस देश के हाथ में होगा, उसके लिये एशिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करना बहुत सुगम होगा। ब्रिटेन का भारतवर्ष तथा अन्य अनेक पूर्वी देशों पर शासन इस समय तक स्थापित हो चुका था। इस साम्राज्य की रक्षा

सया वृद्धि की इच्छा से उसे यह चिन्ता हुई, कि स्वेज की नहर को अपने कब्जे में लाया जावे। अपनी कामना को पूर्ण करने के लिये उसे शीघ्र ही अवसर मिल गया।

ईजिप्ट का खदीव ईस्माईल बहुत ही फिजूल खर्च था। राजप्रसादों के निर्माण तथा भोग विलास में उसने करोड़ों रुपये उड़ा दिये थे। खर्च कहाँ से प्राप्त किया जावेगा, इस बात की जरा भी परवाह न कर वह यथेष्ट रूप में धन का व्यय करता रहा। उसने बहुत बड़े परिमाण में रुपया दूसरे देशों से उधार लिया। पर ऋण लेकर भी उसका काम न चला। आखिर, बाधित होकर उसने निश्चय किया कि स्वेज की नहर में ईजिप्ट के जो हिस्से हैं, उन्हें बेचकर रुपया प्राप्त करे। उसके कुल मिलाकर १,७६,००० हिस्से थे। ज्यों ही ब्रिटेन के प्रधान-मन्त्री डिजरायली को शत हुआ कि स्वेज की नहर के हिस्से विक्र रहे हैं, उसने अपनी जिम्मेवारी पर उन्हें खरीद लिया। डिजरायली का यह कार्य ब्रिटेन की दृष्टि से बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण था। इससे ब्रिटेन का भी स्वेज की नहर पर अधिकार कायम हो गया। स्वेज की नहर में ब्रिटेन भी फ्रांस का सामी हो गया।

परन्तु स्वेज के हिस्से बेच देने पर भी खदीव का काम नहीं चला। इनसे जो रुपया उसे प्राप्त हुआ था, वह शीघ्र ही समाप्त हो गया। इस समय ईस्माईल ऋण के बोझ से बुरी तरह दबा हुआ था। उसके मुख्य उत्तमर्ण फ्रांस तथा ब्रिटेन थे। ईस्माईल के लिये इस अनन्त धनराशि का, जो उसने इन देशों से उधार ली हुई थी, सदा तक देना भी कठिन हो गया था। इस दशा में उसने यही उपाय सोचा, कि सारे ऋण को रद्द कर दे। यह समाचार सुनते ही फ्रांस और ब्रिटेन घबरा गये। वे अपने रुपये को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने अपनी ओर से ईजिप्ट में राजकर्मचारी नियत किये, जो कि ईस्माईल के आयव्यय पर देखा रेखा करें और

उसकी आर्थिक नीति का संचालन करें। इन राजकर्मचारियों का मुख्य कार्य यह था, कि ईजिप्ट की राजकीय आमदनी से उतना हिस्सा पृथक करवा दें, जो कि फ्रांस और ब्रिटेन के कर्ज के सूद को अदा करने के लिये काफी हो। इस हिस्से को सदीव रत्न में न ला सके। कुछ दिनों तक यह व्यवस्था कायम रही। पर ईस्माईल विदेशी लोगों के इस नियन्त्रण को सहन नहीं कर सका। उसने सूद की रकम अलग कर देने में 'ननु नच' शुरू की। परिणाम यह हुआ, कि फ्रांस और ब्रिटेन ने टर्की के सुल्तान पर जोर डाला, कि ईस्माईल को सदीव पद से च्युत कर दे। इन प्रबल शक्तियों के दबाव से तुर्की सुल्तान ने १८७६ में ईस्माईल को पदच्युत कर दिया।

अगला सदीव तौफीक बना। इसके समय में फ्रांस और ब्रिटेन का ईजिप्ट पर आर्थिक नियन्त्रण अधिक अधिक सुदृढ होता गया। ईजिप्ट के शासन का स्वरूप इस समय में निम्नलिखित प्रकार से था। नाम को ईजिप्ट तुर्की साम्राज्य के अन्तर्गत था। समझा जाता था कि तुर्की सुल्तान ही ईजिप्ट के सदीव को नियत करता है। पर वस्तुतः टर्की का अधिकार न के बराबर था। ईस्माईल को पदच्युत करने में तुर्की सुल्तान समर्थ हुआ था, इसका वास्तविक अमिप्राय यह है, कि टर्की के नाम पर फ्रांस और ब्रिटेन ने ईस्माईल को पदच्युत कर दिया था। ईजिप्ट का टर्की से सम्बन्ध नाम मात्र को था। सदीव वहाँ के स्वतन्त्र शासक के समान होता था। पर कालचक्र से सदीव की शक्ति भी क्षीण हो गई थी, और शासन का वास्तविक सन्चालन विदेशियों के हाथ में चला गया था। आर्थिक नियन्त्रण के नाम पर वे ईजिप्ट में मनमानी करते रहते थे। ईजिप्ट की जनता अपने देश में विदेशियों के इस हस्तक्षेप को सहन नहीं कर सकी। उसने अरबीपाशा नामक नेता के नेतृत्व में विद्रोह प्रारम्भ कर दिया। 'ईजिप्ट ईजिप्शियन लोगों के लिये है' इस आवाज से सम्पूर्ण

ईजिप्ट गूँज गया। धीरे धीरे अरबीपाशा की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। उसे सदीर ने अपना युद्धमन्त्री बनाया। अरबीपाशा इतना, जबर्दस्त तथा योग्य व्यक्ति था, कि शीघ्र ही ईजिप्सियन सरकार का वह कर्ताधर्ता बन गया। उसने उद्घोषित किया कि ईजिप्ट पर से विदेशियों का आर्थिक नियन्त्रण अथ समाप्त किया जाता है। तौफीक उसके सम्मुख असहाय था, वह अथ नाम मात्र को ही सदाव रह गया था।

अरबीपाशा के उत्कर्ष से फ्रांस और ब्रिटेन का चिन्तित होना सर्वथा स्वाभाविक था। वे उसकी शक्ति को नष्ट कर फिर तौफीक का शासन स्थापित करना चाहते थे। बिना युद्ध के अरबीपाशा काबू में नहीं आसकता था। लड़ाई लड़ने के अतिरिक्त अथ कोई अन्य मार्ग न था। अरबीपाशा से युद्ध करने का प्रश्न जब फ्रांस की राष्ट्र प्रतिनिधि सभा में उपस्थित हुआ, तब वह वहाँ स्वीकृत न हो सका। फ्रांस में उस समय लोकतन्त्र शासन की तीसरी बार स्थापना हो चुकी थी। लोकतन्त्र भावनाओं से युक्त फ्रेञ्च राजनीतिज्ञ ईजिप्ट के राष्ट्रीय नेता से युद्ध करने के खिलाफ थे। नतीजा यह हुआ, कि अरबीपाशा की शक्ति को नष्ट करने का कार्य अनेके ब्रिटेन के सिर पर आ पड़ा। ब्रिटेन के साम्राज्यवादी राजनीतिज्ञ इस भार को उठाने के लिये बड़ी खुशी के साथ तैयार थे। ईजिप्ट और ब्रिटेन में युद्ध शुरू होते हुए देर न लगी। पर ईजिप्ट के लिये ब्रिटेन का मुकाबला कर सकना आसान बात न थी। १८८२ के सितम्बर मास में तल एल केबीराके रणक्षेत्र में अरबीपाशा परास्त हो गया। वह पकड़ लिया गया और कैद करके सीलोन में भेज दिया गया।

अरबीपाशा के पतन के बाद ईजिप्ट वस्तुतः ब्रिटेन के अधीन हो गया। यद्यपि अभी तक सिद्धान्त की दृष्टि से वहाँ का शासन सदीर के अधीन था, जो कि तुर्की सुलतान को अपना अधिपति

स्वीकृत करता था, तथापि वास्तविक शासनशक्ति ब्रिटेन के हाथ में आ गई थी। अब ब्रिटेन का ईजिप्ट पर केवल आर्थिक नियन्त्रण ही नहीं था, अपितु वहाँ के शासन का सञ्चालन भी उसी के हाथ में था। १८८४ में लार्ड क्रोमर को ईजिप्ट में ब्रिटिश एजेन्ट तथा प्रधान राजदूत नियुक्त किया गया। क्रोमर बहुत ही चतुर तथा चाणोद राजनीतिज्ञ था। ईजिप्ट पर ब्रिटिश आधिपत्य को स्थिर रूप से स्थापित करने का मुख्य श्रेय लार्ड क्रोमर को ही मिलना चाहिये। यद्यपि ईजिप्ट पर ब्रिटिश लोगों का अधिकार स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हुआ था, पर वे आर्थिक नियन्त्रण आदि के नाम से अपना वास्तविक शासन करने का प्रयत्न कर रहे थे। इसलिए लार्ड क्रोमर का कार्य बहुत कठिन तथा जटिल था। पर इस बुद्धिमान राजनीतिज्ञ ने अपना कार्य बड़ी चतुरता के साथ किया और अपने लम्बे कार्यकाल में (१८८४ से १९०७ तक) ईजिप्ट पर पूर्णतया ब्रिटिश अधिकार स्थापित कर दिया। परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये, कि ईजिप्टियन लोगों में अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये माँग कम नहीं हुई। वे इसके लिये निरन्तर आन्दोलन करते रहे। अनेक बार वहाँ पर विद्रोह भी हुए, जिन्हें कि ब्रिटिश शासकों ने अपने सैनिक बल से शान्त किया। क्रान्तिकारी दल भी ईजिप्ट में अपना कार्य करते रहे।

ब्रिटिश लोग केवल ईजिप्ट पर ही अपना शासन स्थापित करके सतुष्ट नहीं हुए, वे सूडान को भी अपने अधिकार में लाना चाहते थे। ईजिप्ट के वीर शासक मोहम्मद अली के समय में सूडान का कुछ भाग ईजिप्ट के अधीन हो चुका था। इस समय में स्वाभाविक रूप से सूडान का यह भाग ब्रिटिश लोगों के कब्जे में था और उनकी तरफ से खार्तूम में जनरल गोर्डन सिपहसालार के रूप में नियत था। ब्रिटिश लोग खार्तूम में अपनी सत्ता को मजबूत कर आगे सूडान में अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। सूडान के निवासी विदेशियों के इष्ट

हस्तक्षेप से बहुत असतुष्ट थे। उनमें एक नेता उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था, मोहम्मद अहमद। यह अपने को मसीह कहता था और सूडान के लोग इसे अपना 'अलमहदी' (महान् नेता) मानते थे। इस महदी के नेतृत्व में सूडानी लोगों ने १८८५ में विद्रोह प्रारम्भ कर दिया। महदी की शक्ति बहुत अधिक थी। सगठन के कार्य में वह असाधारण रूप से योग्यता रखता था। ऐसे योग्य नेता को पाकर सूडानी लोग बहुत वीर तथा साहसी हो गये। ब्रिटिश सरकार ने उनको दमन के लिये जो सेनायें भेजीं, वे परास्त कर दी गईं। जनरल गोर्डन को सार्तून में बुरी तरह घेर लिया गया। कुछ महीनों के घेरे के बाद जब एक नई ब्रिटिश सेना उसे छुड़वाने के लिये सार्तून पहुँची, तो गोर्डन समेत सम्पूर्ण ब्रिटिश सैनिकों को—जो सार्तून में घिरे हुए थे, कतल कर दिया गया। गोर्डन के कतल से सूडानी युद्ध ने बहुत ही गम्भीर रूप धारण कर लिया। आखिर उसे परास्त करने के लिये लार्ड किचनर के नेतृत्व में एक शक्तिशाली ब्रिटिश सेना भेजी गई। किचनर १८९८ में सार्तून को अपनी अधीनता में लाने में समर्थ हुआ। उसके बाद शीघ्र ही सम्पूर्ण सूडान ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया।

सूडानी युद्ध के अचर पर ईजिप्सियन देशभक्त अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये विशेष रूप से प्रयत्नशील हो गये थे। इन देश-भक्तों के आन्दोलन का यह परिणाम हुआ, कि १९१३ में ईजिप्त के शासन में अनेक महत्त्वपूर्ण सुधार किये गये। यहाँ एक व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई, जिसमें कि मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के अतिरिक्त जनता द्वारा निर्वाचित ६६ प्रतिनिधि और सरकार द्वारा मनोनीत १७ सदस्य होते थे। मन्त्रिमण्डल को सदीव नियत करता था और ये मन्त्री व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। सदीव ब्रिटिश एजेंट की कठपुतली था, इसलिये सरकार का वास्तविक सञ्चालन ब्रिटिश लोगों के हाथ में था। यह स्पष्ट है, कि

हैं। यही कारण है, कि क्रियात्मक दृष्टि से पूर्ण स्वाधीनता रखते हुए भी वे ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर रह सकते हैं।

पर यह भी ध्यान में रखना चाहिये, कि ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है, उपनिवेशों में अपनी पृथक् तथा स्वतन्त्र सत्ता की अनुभूति प्रबल होती जाती है। वे ब्रिटेन से हजारों मील दूर स्थित हैं, उनकी अपनी समस्याएँ तथा अपने हित हैं। ब्रिटेन के हित से पृथक् हमारे अपने भी कोई अलग हित हैं, जिन पर हमें ध्यान देना चाहिये—यह भाव उनमें निरन्तर स्थान प्राप्त करता जाता है। यही कारण है, कि अनेक उपनिवेशों ने अपने व्यवसायों की उन्नति के लिये ब्रिटिश माल पर भी कर लगाये। इसके अतिरिक्त, जब से उपनिवेशों में 'स्वराज्य' की स्थापना हुई है, उनका राजनीतिक तथा राष्ट्रीय जीवन पृथक् रूप धारण करने लगा है। जब वे सब मामलों में स्वतन्त्र हैं, तो उनका यह प्रश्न करना स्वाभाविक ही है, कि ऐसे युद्धों में हम क्यों शामिल हों, जिनको शुरू करने के लिये हमारी स्वीकृति नहीं ली गई है? उस विदेशी नीति के लिये हमारी जिम्मेवारी क्यों हो, जिसके निर्धारण में हमने कोई भाग नहीं लिया है? इसके साथ ही यह प्रश्न भी उठ सड़ा हुआ है, कि जब उपनिवेश पूर्णतया स्वतन्त्र हैं, तो क्या उन्हें यह भी अधिकार प्राप्त है, कि वे यदि चाहें, तो ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक् हो सकें? जब यह कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य (Commonwealth) में विविध उपनिवेश अपनी इच्छा से सम्मिलित हैं, तो उसका स्वाभाविक परिणाम यह होना ही चाहिये कि जब उनकी इच्छा साम्राज्य से पृथक् होने की हो, तो उसमें किसी प्रकार की बाधा न हो।

इहीं सब बातों से ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण समस्या हो गई है, कि ब्रिटिश साम्राज्य को एक सूत्र में बांधे रहें। जोसेफ चैम्बरलेन ने इस सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किये। उसी का यह प्रयत्न था, कि ब्रिटेन का उपनिवेशों के साथ अनिष्ट सम्बन्ध कायम

रहे और धीरे धीरे उपनिवेशों और ब्रिटेन का एक सभ्य विकसित हो जावे। इसी के लिये उसने साम्राज्य-सम्मेलन (इम्पीरियल कान्फरेन्स) की नींव डाली। १९०२ में यह व्यवस्था की गई, कि ब्रेट ब्रिटेन तथा उपनिवेशों के प्रधानमन्त्रियों की प्रति चौथे साल सभा हुआ करे, जिसमें कि सम्पूर्ण साम्राज्य के साथ सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर सामान्य-तया विचार हुआ करे। इन्हीं साम्राज्य सम्मेलनों में 'साम्राज्यान्तर्गत रियायती कर' की परिपाटी का प्रादुर्भाव किया गया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक दृष्टि से अपने आप में परिपूर्ण बनाना था। साम्राज्य के विविध अंगों को एक दूसरे के माल के साथ रियायत करनी चाहिये, यह विचार इस नीति के आधार में काम कर रहा था। इसके अनुसार अनेक उपनिवेशों ने कार्य भी किया। ब्रिटिश माल पर कनाडा ने ३३ फी सदी, आस्ट्रेलिया ने ३० फी सदी और न्यूजीलैन्ड ने ५० फी सदी रियायत की। इसी प्रकार अन्यत्र भी हुआ और साम्राज्यान्तर्गत रियायती कर की इस नीति ने साम्राज्य को एक सूत्र में बांधे रखने में बहुत काफी सहायता की। गत यूरोपियन महायुद्ध के समय तथा उसके पीछे साम्राज्य सम्मेलनों का महत्त्व और भी अधिक बढ़ गया। पर जिन समस्याओं को हम पहले पेश कर चुके हैं, उनका निश्चित हल अभी कोई नहीं हुआ है। अब तक भी इन उपनिवेशों की स्थिति समय तथा परिस्थितियों के अनुसार स्वयमेव प्रकाश कर रही है। 'राष्ट्रसंघ' में ये उपनिवेश स्वतन्त्र राज्य के रूप में अपने प्रतिनिधि भेजते थे। कनाडा को यह भी अधिकार प्राप्त है, कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना राजदूत भेज सके। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य प्रकार से भी उपनिवेशों की प्रयत्न सत्ता स्वीकृत की जाती है। पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि अभी तक भी उपनिवेशों का ब्रिटेन के साथ जो सम्बन्ध है, वह अनिश्चित है, तथा समय के साथ साथ विकास कर रहा है।

छत्तीसवां अध्याय

आयर्लैण्ड की स्वाधीनता

(१) आयर्लैण्ड की समस्या

अनेक सदियों से आयर्लैण्ड इङ्गलैण्ड के अधीन है। किस प्रकार शुरू में यह देश इङ्गलैण्ड के अधीन हुआ, इसकी कथा बहुत लम्बी है। उसे यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। इङ्गलैण्ड विजेता और शासक था। आयर्लैण्ड पराधीन और शासित था। उन दोनों में विरोध का होना स्वाभाविक बात थी। आयरिश लोग समझते थे, हमें स्वतन्त्र होना चाहिये, हमारे देश की भी वही स्थिति होनी चाहिये, जो इङ्गलैण्ड की है। राष्ट्रीयता की भावना उनमें प्रकृत हो रही थी। इसका अतिरिक्त, ग्रन्थ भी कई कारण थे, जिनसे इन दोनों देशों में परस्पर विरोध था और इनका एक साथ रहना एक अस्वाभाविक बात थी। आयरिश लोग केल्ट जाति के थे, इङ्गलिश लोग ट्यूटनिक जाति की शास्ता थे। जातीय दृष्टि से दोनों में विरोध था। आयरिश और इङ्गलिश भाषायें एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। आयरिश लोग रोमन कैथोलिक धर्म के अनुयायी हैं और इङ्गलिश लोग प्रोटेस्टेन्ट धर्म के। शासक की हैसियत से इङ्गलिश लोग अपने धर्म का आयर्लैण्ड में प्रचार करना चाहते थे। आयरिश लोग इसे कब सह सकते थे। आयर्लैण्ड का प्रायः सम्पूर्ण जमीन इङ्गलिश विजेताओं की सम्पत्ति थी। वे उसके

जर्मादार थे। आयरिश लोग अपने ही देश में जमीन के स्वतन्त्राधिकार से वञ्चित थे और इङ्गलिश जर्मादारों की जमीनों जोत थोरकर अपना गुजारा करते थे।

मध्यकाल में यद्यपि आयरलैंड इङ्गलेण्ड के राजा के अधीन था, तथापि उसकी अपनी पृथक् पार्लियामेन्ट थी। देश की भूमि बड़े बड़े सरदारों के कब्जे में थी, जो अपनी अपनी जामदाद में स्वतन्त्र राजाओं के समान राज्य करते थे। इङ्गलेण्ड के राजा आयरिश मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। पर ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के समय में इस नीति में परिवर्तन आना प्रारम्भ हुआ। ट्यूडर वंश के राजा प्रयत्न करते थे, कि आयरलैंड पर भी उतनी ही दृढ़ता के साथ शासन करें, जैसे कि इङ्गलेण्ड में। स्टुअर्ट वंश के राजाओं के शासन काल में इङ्गलेण्ड और स्काटलैण्ड से बहुत से प्रोटेस्टेन्ट लोगों को लाकर आयरलैंड में बसाया जाना प्रारम्भ हुआ। आयरलैंड के उत्तरी प्रदेशों में, जो अल्स्टर के नाम से विख्यात हैं, आयरिश लोगों को निकाल कर प्रोटेस्टेन्ट लोगों को बसाया गया। आगे चलकर क्रामवेल और विलियम तृतीय के समय में आयरलैंड के अन्य प्रदेशों पर भी प्रोटेस्टेन्ट इङ्गलिश लोगों ने कब्जा करना शुरू किया और धीरे धीरे आयरलैंड की सारी भूमि इङ्गलिश लोगों की सम्पत्ति बन गई। आयरिश लोग अपने जामदादों के समय से चली आई भूमि पर पराधों के समान रहने लगे और अपने विजातीय, विधर्मी तथा विदेशी जर्मादारों की कृपा पर आश्रित होकर अपना गुजारा करने लगे।

आयरलैंड में अंग्रेजों का शासन बहुत ही अन्याययुक्त तथा पक्षपातपूर्ण था। अंग्रेजों की कोशिश थी कि आयरिश लोग पूर्णतया असहाय और आश्रयहीन हो जायें। आयरलैंड में जारी किये गये कानूनों के अनुसार कोई कैथोलिक प्रोटेस्टेन्ट से न जमीन खरीद सकता था और न ३१ साल से अधिक समय के लिये ठेके पर ले सकता

था। यदि किसी कैथोलिक का लड़का प्रोटेस्टेन्ट हो जावे, तो उसे अधिकार था कि वह अपने पिता से जायदाद छीन कर उस पर अपना कब्जा कर लें। यदि कोई व्यक्ति प्रोटेस्टेन्ट धर्म को स्वीकृत कर ले, तो वह अपने कैथोलिक सम्बन्धियों की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बन जाता था। उस समय यह नहीं देखा जाता था कि सम्पत्ति का असली उत्तराधिकारी कौन है। प्रोटेस्टेन्ट धर्म को स्वीकृत कर लेने से ही कोई व्यक्ति अपने सम्बन्धियों की सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त कर लेता था। व्यवसायों में लगे हुए कैथोलिक लोगों को विशेष टैक्स प्रदान करने पड़ते थे और वे दो से अधिक सहायक अपने व्यवसाय में नहीं रख सकते थे। इन सब कानूनों का उद्देश्य यह था, कि कैथोलिक लोग किसी भी प्रकार आर्थिक उन्नति न कर सकें और उनके पास जो सम्पत्ति हो, वह भी धीरे धीरे प्रोटेस्टेन्ट लोगों के हाथ में आती जावे। यह ध्यान में रखना चाहिये कि आयर्लैंड की अधिकांश जनता रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाली थी।

कैथोलिक लोग आयरिश पार्लियामेन्ट के लिये न निर्वाचित हो सकते थे और न ही उन्हें वोट का अधिकार प्राप्त था। इसलिये यद्यपि ऊपर से देखने पर प्रतीत होता था कि आयर्लैंड में अपनी पार्लियामेन्ट है, पर वस्तुतः यह जनता के बहुत थोड़े से हिस्से की, जिसमें अधिकांश विदेशी इंग्लिश लोग थे, समा थी। कैथोलिक लोग किसी राजकीय पद पर भी नियुक्त नहीं किये जाते थे। वे कौन कौन से पेशे कर सकें, इसके लिये भी नियम बने हुए थे। कैथोलिक धर्म का अनुयायी होना आयर्लैंड में कोई अपराध नहीं था, पर इस धर्म के प्रचार में बहुत सी बाधाएँ सरकार की ओर से विद्यमान थीं। पादरियों के लिये अपने को रजिस्टर्ड कराना जरूरी था और उनकी सख्या सरकार द्वारा निश्चित कर दी गई थी। शिश्पालयों पर भी प्रोटेस्टेन्ट लोगों का अधिकार था।

आयरिश लोग अपने दुर्दशा को अनुभव करते थे, पर ब्रिटिश शासकों के सम्मुख उनकी शक्ति न के बराबर थी। अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग में जब अमेरिका में राज्यक्रान्ति हुई, और अमेरिकन उपनिवेश ब्रिटिश लोगों की अधीनता से मुक्त हो गये, तब आयरलैंड में भी उत्साह का सञ्चार हुआ। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आन्दोलन ने उग्र रूप धारण करना प्रारम्भ किया। इस आन्दोलन में कैथोलिक लोगों के साथ प्रोटेस्टेन्ट लोग भी सम्मिलित थे। सब आयरिश लोग एक साथ मिलकर अपने देश को अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त कराने का प्रयत्न कर रहे थे। सन् १७९१ में 'यूनाइटेड आयरिशमैन' नामक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था ने आयरिश स्वाधीनता के लिये बहुत प्रचण्ड आन्दोलन किया। इसी के आन्दोलन का परिणाम था, कि सन् १७९३ में कैथोलिक लोगों को भी आयरिश पार्लियामेंट के लिये वोट का अधिकार प्राप्त हुआ।

इसी समय फ्रांस में राज्यक्रान्ति की अग्नि धधक रही थी। यूरोप के विविध राज्य क्रान्ति की ज्वालाओं को शान्त करने के लिये कटिबद्ध हो रहे थे। इङ्ग्लैंड ने भी फ्रांस के क्रान्तिकारियों के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया था। आयरिश लोगों ने इसे अच्छा अवसर समझा। वे कहते थे 'जब इङ्ग्लैंड मुसीबत में हो, तभी तो आयरलैंड का मौका है।' फ्रेञ्च राज्यक्रान्ति द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों से लाभ उठाकर आयरिश लोगों ने भी विद्रोह प्रारम्भ कर दिया। १७९८ में आयरलैंड में बाकायदा विद्रोहाग्नि प्रदीप्त हो उठी। पर इस विद्रोह में प्रोटेस्टेन्ट लोग सम्मिलित नहीं थे। इस समय वे फिर कैथोलिक लोगों से पृथक् हो चुके थे। उस जमाने में साम्प्रदायिक मतभेद इतना महत्त्व रखते थे कि भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के लोगों के लिए किसी भी मामले में एक साथ मिलकर कार्य कर सकना बहुत कठिन बात होती थी। इंग्लिश लोगों ने इस विद्रोह को क्रूरता के साथ शान्त किया। आयरिश लोगों पर

दृढ़ता के साथ शासन करने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि आयरिश पार्लियामेंट को तोड़कर उसे ब्रिटेन के साथ सम्मिलित कर लिया जाय। इसी के अनुसार सन् १८०० में आयरिश पार्लियामेंट का अन्त कर दिया गया और थोड़े से आयरिश प्रतिनिधियों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्थान प्रदान किया गया। पर आयरिश लोग इसके बहुत विरुद्ध थे। वे भलीभाँति समझते थे कि उनका देश इंग्लैण्ड से सर्वथा भिन्न है। उन दो भिन्न देशों का मेल कोई स्वाभाविक बात नहीं है।

सन् १७६८ का विद्रोह असफल हो गया था, पर आयरिश लोग निराश नहीं हुए। उन्होंने अपना आन्दोलन जारी रखा। पर इस समय आयरिश देशभक्तों के दो दल थे। दोनों दल देशभक्ति की भावनाओं से आविष्ट थे, पर उन कार्यनीति में बहुत बड़ा भेद था। एक दल वैष उपायों का पक्षपाती था। उसका कहना था, कि आन्दोलन द्वारा ब्रिटिश लोकमत को अपने पक्ष में करना चाहिये और धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट से उन सब कानूनों को रद्द करवाना चाहिये, जो आयरिश व कैथोलिक लोगों के खिलाफ विद्यमान हैं। इस दल के लोग ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज्य प्राप्त करने के लिये इच्छुक थे। दूसरा दल क्रान्तिकारियों का था। क्रान्तिकारी दल का विश्वास था, कि वैष आन्दोलन से कोई कार्य नहीं हो सकता, ब्रिटिश लोगों की आँखें खोलने के लिये आतङ्कपूर्ण कार्यों की आवश्यकता है। ये दोनों दल अपने अपने उपायों से एक ही उद्देश्य की पूर्त के लिये प्रयत्नशील थे।

जिन समस्याओं को हल करने के लिये आयरिश देशभक्त विशेष रूप से उद्योग कर रहे थे, वे तीन हैं—

- (१) धार्मिक स्वतन्त्रता की स्थापना
- (२) जमीन पर आयरिश लोगों का अधिकार स्थापित करना
- (३) स्वराज्य की प्राप्ति

इस इन तीनों पर क्रमशः प्रकाश डालेंगे।

(२) धार्मिक स्वतन्त्रता

पहले इङ्गलैण्ड और आयरलैंड दोनों देशों में रोमन कैथोलिक धर्म का प्रचार था। धार्मिक सुधारणा के आन्दोलन के समय इङ्गलैण्ड में प्रोटेस्टेन्ट धर्म का प्रचार हुआ और इङ्गलिश चर्च को पोप की अधीनता से मुक्त किया गया। आयरलैंड इस समय इङ्गलैण्ड के अधीन था, इसलिये अंग्रेजों ने वहाँ भी प्रोटेस्टेन्ट चर्च की स्थापना का प्रयत्न किया। पर आयरिश लोग कट्टर रोमन कैथोलिक थे। पोप पर उनका बड़ा विश्वास था। अंग्रेजों ने इस बात की परवाह न कर आयरलैंड में जबरदस्ती इङ्गलिश चर्च की स्थापना प्रारम्भ की। कैथोलिक मठों को नष्ट कर उनकी जायदाद को जप्त कर लिया गया। कैथोलिक पादरियों को बहिष्कृत कर उनके स्थान पर प्रोटेस्टेन्ट पादरी नियत किये गये। यद्यपि आयरलैंड की जनता अब भी कट्टर कैथोलिक थी, पर इङ्गलिश प्रोटेस्टेन्ट चर्च की सहायता के लिये उनसे जबरदस्ती कर वसूल करने की व्यवस्था की गई। आयरिश लोगों की चाहे कितनी ही दुर्दशा हो, पेट भरने के लिये उन्हें चाहे अनाज तक भी न मिलता हो, पर इङ्गलिश चर्च के करों को वसूल करने में जरा भी ढील न होने दी थी। उन्हें निर्दयता के साथ एकत्रित किया जाता था। चर्च के करों को वसूल करने के लिये अनेक बार सरकार को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आयरलैंड के कैथोलिक किसानों को इन करों से बहुत घृणा थी, कारण यह कि ये कर उनके विरोधी सम्प्रदाय की सहायता के लिये लिये जाते थे। कई बार इनका वसूली कर्मते हुए पुलीस और किसानों में मुठभेड़ हो जाता था। किसान इन करों को देने से इन्कार कर देते थे। पुलीस उनसे गाय बैल व मुथुरा को पकड़ कर इन करों को प्राप्त करने का प्रयत्न करती थी। १८३१ में इन करों के खयाल पर आयरलैंड में यासायदा लड़ाई प्रारम्भ हो गई। जनताने विद्रोह कर दिया।

सरकार को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। आखिर, मजबूर होकर यह व्यवस्था की गई, कि जनता से सीधे इन करों को वसूल न करके इन्हें मालगुजारी के साथ सम्मिलित कर दिया जावे। १८३८ में यह कानून पास भी हो गया। पर इससे समस्या का हल नहीं हुआ। जमींदार ये कर अपनी जेब से कैसे देते, उन्होंने लगान बढ़ा दिये और जनता का असन्तोष यथापूर्व जारी रहा।

इस समय तक ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैथोलिक लोग भी प्रवेश पा चुके थे। आयरलैंड से निर्वाचित होकर जो महानुभाव ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुँचते थे, उनमें भी अधिकांश लोग कैथोलिक धर्म के अनुयायी होते थे। आयरलैंड के कैथोलिकों ने किस प्रकार पार्लियामेंट में आना प्रारम्भ किया, इसकी कथा भी ध्यान देने योग्य है। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में आयरलैंड के प्रधान नेता डेनियल ओ'कोनल नामक महानुभाव थे। इन्होंने कैथोलिक एसोशियेशन नाम की एक नवीन सभा स्थापित कर उसके द्वारा कैथोलिक लोगों के अधिकारों के लिये आन्दोलन प्रारम्भ किया। कैथोलिक एसोशियेशन को गैर कानूनी उद्घोषित कर दिया गया। वह सभा टूट गई, पर उसका आन्दोलन जारी रहा। सन् १८२८ में ओ'कोनल पार्लियामेंट के लिये उम्मीदवार खड़ा हुआ और निर्वाचन में सफल हो गया। पर पार्लियामेंट में प्रवेश करते समय प्रत्येक सदस्य को जो शपथ लेनी पड़ती थी, वह रोमन कैथोलिक धर्म के विरुद्ध थी। ओ'कोनल जैसा वट्टर कैथोलिक उस शपथ को कैसे ले सकता था! परिणाम यह हुआ, कि इस शपथ के विरुद्ध आन्दोलन शुरू हुआ और आखिर सन् १८२६ में उन्हें अपने प्रयत्न में सफलता हुई। इसके बाद कैथोलिक लोगों के लिये पार्लियामेंट का मार्ग साफ हो गया।

ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैथोलिक सदस्य आयरिश लोगों की धार्मिक शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे थे। आयरलैंड जैसे कैथोलिक धर्म प्रधान देश में प्रोटेस्टेन्ट इंग्लिश चर्च की स्थापना

और उसके लिये लोगोंसे जबरदस्ती कर बसूल करना नितान्त अस्वाभाविक बातें थीं। उदार दल के लोगों ने आयरलैंड के साथ इस प्रश्न पर सहानुभूति प्रदर्शित की और सन् १८६६ में जब उदार दल का बहुमत था, श्रीयुत ग्लैडस्टन ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया, जिसके अनुसार आयरलैंड में प्रोटेस्टेन्ट चर्च का प्रभुत्व नष्ट किया गया। प्रोटेस्टेन्ट चर्च की सहायता के लिये जो कर लिये जाते थे, उन्हें हटा दिया गया। प्रोटेस्टेन्ट पादरियों को सतुष्ट करने के लिये राज्य की तरफ से उनकी सहायता की व्यवस्था हुई। इसमें सन्देह न हो, कि १८६६ के इस कानून के बाद आयरलैंड की रोमन कैथोलिक जनता की धार्मिक शिफायतें प्रायः दूर हो गईं और वहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता स्थापित होगई।

(३) भूमि सम्बन्धी सुधार

आयरलैंड कृषिप्रधान देश है। वहाँ के अधिकांश निवासी अपनी आजीविका के लिये खेती पर आश्रित हैं। कृषिप्रधान देशों में जनता अमन और चैन से अपना गुजारा कर सके, इसके लिये आवश्यक है, कि खेती के तरीके उन्नत और भूमि सम्बन्धी कानून उदार हों। आयरलैंड में इन दोनों बातों का अभाव था। वहाँ के किसान शिलशुल पुराने ढंग से खेती करते थे और वहाँ के भूमि सम्बन्धी कानून बहुत दोषपूर्ण तथा विघातक थे।

जमीन की मल्लिक्यत किसानों के पास नहीं थी। जो लोग बस्तुतः खेती का काम करते थे, जमीन की मल्लिक्यत के साथ उनका कोई ताल्लुक न था। आयरलैंड के अधिकांश जमींदार अँगरेज लोग थे, जो अपनी जमीनों को केवल आमदनी का साधन समझते थे। जमीन को उन्नत करने के लिये वे जरा भी ध्यान न देते थे। किसानों की क्या हालत है, इस की उन्हें जरा भी परवाह न थी। बहुत से जमींदार तो

समुद्र पार इंग्लैण्ड में रहते थे। जिन्दगी में एक बार भी वे अपनी जमीनों का दर्शन न करते थे। लगान वसूल करने के लिये उनकी तरफ से एजन्ट या कारिन्दे नियत होते थे, जिनका कार्य अधिक से अधिक लगान वसूल कर अपने मालिकों को सतुष्ट करना तथा अपना पेट भरना होता था।

जमीन को उन्नत करने के लिये जमींदार कोई भी प्रयत्न नहीं करते थे। यदि किसान अपनी तरफ से दलदला को सुखा कर, खाद डाल कर, खेत के चारों तरफ बाढ़ बना कर, सिंचाई का इन्तजाम कर या किसी अन्य प्रकार से जमीन को उन्नत करता था, तो उसे इस बात का कोई भरोसा नहीं था, कि वह अपनी मेहनत से उन्नत का हुई जमीन पर कब्जा बनाये रख सकेगा। जमींदार जब चाहें, किसान को बेदखल कर सकते थे। लगान बढ़ाना भी उनकी मर्जी पर था। जमीन की तरफ तो किसान करता था, पर लगान बढ़ा कर उसका फायदा जमींदार उठाता था। इस दशा में किसान लोग जमीन की पैदावार बढ़ाने के लिये कैसे यत्न कर सकते थे? आयरलैंड में किसानों की कमी नहीं थी। व्यवसायों का अभाव होने के कारण खेती ही एक मात्र पेशा था, जिससे वे अपना निर्वाह कर सकते थे। यदि लगान बढ़ जाने व जमींदार की किसी अन्य ज्यादाता के कारण कोई किसान खेती करने से इन्कार करता था, तो उसका स्थान लेने के लिये दूसरा किसान तैयार रहता था। इस दशा में जमींदार का अपनी मनमानी करने का पूरा अवसर हाथ लग जाता था।

आयरिश किसान बहुत गरीब और असहाय होते थे। उन दिनों यूरोप में यह कहावत मनी हुई थी कि 'वह आदमी ऐसा गरीब है, जैसे कोई आयरिश हो।' किसान लोग बड़ी मुश्किल से अपना पेट भर पाते थे। आयरलैंड में प्रधान फसल आलुआ की होती है। वहाँ के किसान प्रायः आलू खा कर ही अपना पेट भरते थे। यदि कभी आलुओं की

चलरी' का संगठन हुआ। इस सस्था का सञ्चालन लण्डन से किया जाता था। कहने को तो इसके सिपाही पुलीमैन थे, पर वस्तुतः वे फौजी लोग थे, जो जनता पर आतङ्क जमाने के लिये नियत किये गये थे। सरकार के इन उपायों से कुछ समय के लिये आयरिश किसानों का विद्रोह शान्त हो गया, पर उनमें क्रान्ति की भावना नष्ट नहीं हुई। वे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने लगे।

क्रान्तिकारी आन्दोलन के साथ साथ बहिष्कार आन्दोलन भी चल रहा था। आयरिश लोग जमींदारों तथा उनके कारिन्दों का सामाजिक बहिष्कार कर रहे थे। उन दिनों आयरलैंड में एक अंग्रेज कारिन्दा अपने अत्याचारों के लिये बहुत प्रसिद्ध था, उसका नाम था बायकाट। आयरिश लोगों ने उसका पूर्णतया सामाजिक बहिष्कार कर दिया। न कोई उसे कोई चीज बेचता था, न कोई उसका कोई काम करता था। सामाजिक बहिष्कार से वह आखिर इतना तग आगया, कि उसे याधित होकर वह स्थान छोड़ा पड़ा। तब से 'बायकाट' शब्द का अर्थ ही अंग्रेजी में बहिष्कार हो गया। श्री बायकाट का बायकाट करने में लोगों को इतनी सफलता हुई थी, कि दूसरे जमींदारों व कारिन्दों पर भी इसी शस्त्र का उपयोग किया गया। सामाजिक बहिष्कार के आन्दोलन को 'रायल आयरिश कान्ट्रेचलरी' द्वारा शान्त नहीं किया जा सकता था।

सन् १८७६ में माइकेल डेविट ने लैण्ड लीग (भूमि संध) की स्थापना की। माइकेल डेविट का पिता एक किसान था, जिसे उसके जमींदार ने बेदखल कर दिया था। इसलिये डेविट भलीभाँति समझता था कि आयरलैंड में भूमि सन्धी समस्या क्या है। पार्लमेंट भी इस संध में सम्मिलित होगया और इन दो प्रभावशाली नेताओं के नेतृत्व में भूमिसंध बहुत शक्तिशाली हो गया। भूमिसंध के मुख्य उद्देश्य तीन थे—(१) जमींदार अपनी भर्जा से लगान में वृद्धि न कर सके। लगान में वृद्धि करने का अधिकार केवल न्यायालय को हो, जो जमीन

की कीमत तथा उसकी पैदावार को दृष्टि में रखकर लगान में परिवर्तन करे। (२) जब तक किसान अपनी जमीन के लिये लगान देता रहे, उसे बेदखल न किया जा सके (३) यदि किसी कारण कोई किसान अपनी जमीन छोड़ना चाहे, तो उसे अधिकार हो कि जमीन की उन्नति के लिये उसने जो खर्च किये हैं, उनकी कीमत अपने उत्तराधिकारी किसान से ले सके। भूमिसम्वन्धी कानून काय रड़े जोर शोर से कर रहा था। अन्दोलन करने के उसके तरीके कानून के अनुकूल थे, अतः उसे रोक भी नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ, क्रान्तिकारी लोग भी शान्त नहीं बैठे थे। इस परिस्थिति में इङ्गलैंड के राजनीतिज्ञ बहुत काफी परेशानी अनुभव कर रहे थे। वे भलीभाँति समझते थे, कि यदि आयरिश लोगों को सन्तुष्ट नहीं किया जावेगा, तो खुल्लमखुल्ला विद्रोह हुए बिना न रहेगा। उदार दल के प्रधान नेता इस समय श्रीयुत ग्लैडस्टन थे। आयरिश समस्या पर वे बड़ी गम्भीरता से विचार कर रहे थे। आखिर उन्हें यह विश्वास हो गया, कि आयर्लैंड के भूमि सम्बन्धी कानूनों में भारी परिवर्तन की आवश्यकता है। इसी के अनुसार उन्होंने सन् १८८१ में 'आयरिश भूमि सम्बन्धी कानून' पेश किया। इस कानून में भूमिसम्वन्धी की तीनों भागों को प्रायः स्वीकृत कर लिया गया। आयर्लैंड में एक 'लैंड कमिशन' को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई, जिसका कार्य जमींदारों और किसानों के पारस्परिक झगड़ों का निबटारा करना था। लगान में वृद्धि इस कमिशन की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकती थी। विशेष कारणों के बिना किसी किसान को बेदखल करना रोक दिया गया और किसानों को यह अधिकार भी दे दिया गया, कि उन्होंने जमीन में जो तरफ़ी की हो, उसे अपनी इच्छानुसार बेच सकें। अब जमींदारों के साथ साथ उनका जमीन में अधिकार उत्पन्न हो गया, जिसे वे बेच भी सकते थे। सन् १८८१ के इस कानून से आयरिश किसानों का असन्तोष बहुत कुछ दूर हो गया।

सन् १६०३ में आयर्लैंड की भूमि सम्बन्धी समस्या को हल करने के लिये एक और महत्वपूर्ण कानून पास हुआ। इस कानून का उद्देश्य यह था, कि धीरे धीरे आयरिश किसान ही अपनी जमीनों के मालिक बन जावें। इसके लिये यह व्यवस्था की गई थी, कि जो किसान अपनी जमीनों को जमींदारों से खरीदना चाहें, उन्हें सरकार की तरफ से रुपया कर्ज दिया जावे। इस रुपये को किसान ३½ फीसदी सूद के साथ ६८½ वर्षों में सरकार को वापिस करदे। बहुत से आयरिश किसानों ने इस कानून से लाभ उठाया। करोड़ों रुपया सरकार ने किसानों को कर्ज के तौर पर दिया और लाखों किसान इससे अपनी जमीनों के खुद मालिक बन गये।

इन कानूनों का परिणाम यह हुआ, कि आयर्लैंड की भूमि सम्बन्धी समस्या प्रायः हल हो गई। जो किसान पहले भूले और नंगे थे, वे अब सुखी और समृद्ध हैं। सम्पत्ति के कारण उनमें अब जिम्मेवारी का भाव भी उत्पन्न हो गया है। अब उनके लिये पहले की तरह क्रांतिकारी होना सम्भव नहीं रहा है।

(४) स्वराज्य के लिये संघर्ष

आयरिश लोग धर्म, भाषा, संस्कृति और नस्ल की दृष्टि से अंग्रेजों से सर्वथा भिन्न हैं। इसलिये यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि वे ब्रिटिश शासन को विदेशी शासन समझें और उसको नष्ट कर स्वाधीन होने का प्रयत्न करें। सन् १८०१ में आयर्लैंड की पृथक् पार्लियामेन्ट तोड़ दी गई थी और आयरिश प्रतिनिधियों को ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में ही स्थान दे दिया गया था। १८०१ के 'यूनियन एक्ट' के अनुसार हाउस आफ कामन्स में १०० आयरिश प्रतिनिधि लेने की व्यवस्था हुई थी। इसी प्रकार हाउस आफ लार्ड्स में भी २८ आयरिश लार्डों को स्थान दिया गया था। 'यूनियन एक्ट' से आयरिश देश भक्त बहुत असंतुष्ट थे। वे

प्रयत्न कर रहे थे, कि आयरलैंड की पृथक् पार्लियामेंट का पुनर्द्धार करें और अपने देश में स्वराज्य की स्थापना करें।

यूनियन एक्ट को रद्द करने के लिये पहला धान्दोलन डेनियल आक्रोनल के नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ। आक्रोनल ने 'रिपब्लिक एसोसिएशन' नाम से एक सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य ही इस एक्टको रद्द कराना था। सन् १८३० में यूरोप में सर्वत्र स्वाधीनता की लहर पैल रही थी और अनेक देशों में स्वतन्त्रता तथा लोकसत्तावाद को स्थापित करने के लिये प्रयत्न किये गये थे। आयरलैंडमें भी इस समय राजनीतिक आन्दोलन ने बहुत प्रचंड रूप धारण किया। सारे देश में विद्रोहाग्नि प्रदीप्त होगी, और ऐसा प्रतीत होने लगा कि आयरलैंड में क्रांति हुए बिना न रहेगी। पर ब्रिटिश सरकार ने इस समय बहुत सख्ती से काम लिया। ३५ हजार ब्रिटिश सैनिक विभिन्न स्थानों पर विद्रोह को शान्त करने के लिये तैनात कर दिये गये। परिणाम यह हुआ, कि आक्रोनल के नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ यह आन्दोलन शुरूमें ही नष्ट हो गया।

सन् १८४८ में आयरिश क्रांतिकारियों ने नौजवान आयरलैंड नामक सभा का गठन किया। इसके प्रमुख नेता चार्ल्स गावन डफी और विलियम स्मिथ ओब्रायन थे। इनके नेतृत्व में आयरिश क्रांतिकारी सम्पूर्ण देश में प्रचण्ड आन्दोलन करने लगे। १८४८ के अन्तिम भागमें आयरलैंड में फिर विद्रोह के चिह्न प्रगट होने लगे। पर ब्रिटिश सरकार ने इस बार भी इसे शान्त कर दिया। अनेक प्रमुख नेताओंको देश निकाला दिया गया। बहुत से जेलखानों में बन्द कर दिये गये।

हम पहले लिख चुके हैं, कि उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में लाखों आयरिश लोग अपने देश का परित्याग कर अमेरिका में जा बसे थे। अमेरिका जाकर भी उन्होंने अपनी मातृभूमि की नहीं भुलाया था। वे इतनी दूर रहते हुए भी अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिये प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने एक नवीन क्रांतिकारी आन्दोलन का

प्रारम्भ किया, जिसे फेनियन आन्दोलन कहते हैं। फेनियन लोग गुप्त समितियों का निर्माण कर राष्ट्रीय क्रान्तिकारी मैनिकों का संगठन करते थे और ब्रिटिश शासकों को कतल कर देश में आतंकवाद के प्रचार का उद्योग करते थे। फेनियन लोग ने चन्त से ब्रिटिश अफसरों को कतल किया, अनेक जेलखानों पर बम बरसाये, स्थान स्थान पर विद्रोह कराने का प्रयत्न किया। मुश्किल से कोई महाना एसा गुजरता था, जिसमें किसी ब्रिटिश शासक पर हमला न किया जाता हो। आखिर, सन १८८२ में आयरलैंड के मुख्य ब्रिटिश मन्त्री लार्ड फ्रेडरिक पैचिन्डिश भी क्रान्तिकारियों द्वारा कतल कर दिये गये। इस हत्या से सारे इंग्लैंड में सनसनी फैल गई। फेनियन आन्दोलन कितना उग्र रूप धारण कर चुका है, इसका ब्रिटिश लोगों को परिज्ञान हुआ। पर ब्रिटिश सरकार दबने वाला न थी। उसने सब प्रकार के उपायों का प्रयोग कर क्रान्तिकारी आन्दोलन को बुचलने का प्रयत्न किया। बहुत से क्रान्तिकारी गिरफ्तार किये गये। बहुतों को प्राण दण्ड दिया गया। क्रान्तिकारियों के आतंकवाद का मुनाबला करने के लिये सरकार ने अपनी ओर से और भी उग्र आतंकवाद का प्रारम्भ किया। सरकार के भयकर उपायों से कुछ समय के लिये क्रान्तिकारी आन्दोलन ढीला पड़ गया और सरकारी आतंकवाद सफल प्रतीत होने लगा।

जिम समय फेनियन क्रान्तिकारी ब्रिटिश शासकों को कतल कर सर्वत्र आतंक फैला रहे थे, उस समय आयरलैंड के अन्य देश भक्त भी शान्त नहीं बैठे थे। वे अपनी शक्ति तथा विचारों के अनुसार वैध आन्दोलन द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे थे। इन लोगों का प्रधान नेता चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नेल था। पार्नेल का आयरलैंड के राजनीतिज्ञों में बहुत ऊँचा स्थान है। अपने देश में स्वराज्य की स्थापना के लिये जो प्रयत्न पार्नेल ने किये, वह इतिहास में विरस्मरणीय रहेगा। वह वैध उपायों का पक्षपाती था और उन्हीं का आभय ले

फेल हो गया। इसके बाद सन १८८६ में जब अनुदार दल का मन्निमण्डल बना, तो वह उदारदल से मिल गया और अनुदारदल के मन्निमण्डल को फेल करा दिया।

पार्लियामेन्ट में पार्नेल और देश म फैनियन क्रान्तिकारी जिस प्रकार ब्रिटिश सरकार को परेशान कर रहे थे, उससे बहुत से ब्रिटिशराज-नोतिशों का ध्यान आयरलैंड की समस्या की ओर आकृष्ट हुआ। विशेषतया, उदारदल के प्रधान नेता श्रीयुत ग्लेडस्टन ने आयरिश समस्या पर ध्यान देना प्रारम्भ किया। सन १८८६ में जब वे फिर प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने ने आयरिश लोगों को असन्तोष को दूर करने के लिये 'होमरूल बिल' पेश किया। इस बिल से इंग्लैंड में बहुत शोर मचा। अनुदार दल के लोग तो इससे विरुद्ध थे ही, उदार दल में भी अनेक सदस्य इसके विरुद्ध हो गये। श्रीयुत चेम्बरलेन के नेतृत्व में उदार दल के बहुत से सदस्य इस प्रश्न पर अपने दल से पृथक् हागये और उन्होंने एक पृथक् दल का निर्माण किया, जिसे 'यूनियनिष्ट दल' कहते हैं। यूनियनिष्ट लोग सन १८०१ के यूनियन एक्ट को कायम रखना या इंग्लैंड और आयरलैंड के यूनियन को भग्न होने देना अपना मुख्य उद्देश्य समझते थे। इसी प्रकार आयरलैंड का उत्तरी प्रदेश, जिसे अल्स्टर कहते हैं, श्रीयुत ग्लेडस्टन के होमरूल बिल का प्रचण्ड विरोधी था। अल्स्टर के निवासी प्रायः प्रोटेस्टेन्ट धर्म के अनुयायी हैं। जाति के दृष्टि से भी उनका अधिक सम्बन्ध इंग्लैंड के साथ है। वे समझते थे, कि यदि आयरलैंड को होमरूल (स्वराज्य) मिल जावेगा और उसकी पृथक् पार्लियामेन्ट बन जावेगी, तो स्वामाधिक रूप से उसमें अल्स्टर के प्रोटेस्टेन्ट लोग अल्प संख्या में होंगे। उन्हें रोमन कैथोलिक बहुसंख्या के सम्मुख सिर झुकाना पड़ेगा। इस कारण वे अपनी भलाई उसी रात में समझते थे कि आयरलैंड को होमरूल प्राप्त न हो। अल्स्टर के लोगों ने होमरूल का प्रचण्ड विरोध प्रारम्भ

क्रिया। इन विरोधों का परिणाम यह हुआ, कि श्रीयुत ग्लैडस्टन का होमरूल बिल पार्लियामेंट में फेल हो गया। उदार दल का खयाल था, कि लोकमत उनके साथ है, अतः उन्होंने पार्लियामेंट को बर्खास्त कर दिया और आयरिश होमरूल के प्रश्न पर नया निर्वाचन कराया गया। पर इङ्गलेण्ड की जनता आयरिश होमरूल के पक्ष में नहीं थी। नई पार्लियामेंट में अनुदार तथा यूनियनिष्ट दलों की बहुसंख्या थी। इस कारण श्रीयुत ग्लैडस्टन के मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया और अग्र अनुदार दल के नेता श्रीयुत सैलिस्वरी प्रधान मन्त्री बने। श्रीयुत सैलिस्वरी ने अपनी नीति का प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट रूप से उद्घोषित किया कि वे आयरिश होमरूल के पक्ष में नहीं हैं, और वे क्रान्तिकारी आन्दोलनों को कुचलने में अपनी पूर्ण शक्ति को लगावेंगे।

अनुदार दल के प्रभुत्व के कारण आयरिश होमरूल का प्रश्न कुछ समय के लिये दब गया। पर सन् १८६३ में फिर उदार दल का प्रभुत्व हो गया। यद्यपि उदार दल की संख्या अनुदार दल की अपेक्षा अधिक थी, पर आयरिश नेशनलिस्ट दल की सहायता के बिना वे पार्लियामेंट में अपना बहुमत नहीं रख सकते थे। इसलिये श्रीयुत ग्लैडस्टन ने आयरिश होमरूल के प्रश्न को फिर उठाया और दूसरा होमरूल बिल पार्लियामेंट के सम्मुख उपस्थित किया। इस बिल का भी प्रचण्ड विरोध हुआ। बहुत दिनों की गरमागरम बहस के बाद होमरूल बिल हाउस आफ कामन्स में तो पास हो गया, पर हाउस आफ लार्ड्स में उसे सफलता नहीं मिली। सन् १८६५ में होमरूल के प्रश्न को लेकर पार्लियामेंट का पुनः निर्वाचन हुआ। इस बार फिर इङ्गलेण्ड ने होमरूल के विरुद्ध अपनी सम्मति प्रगट की। पार्लियामेंट में अनुदार दल के लोग बहुत बड़ी संख्या में निर्वाचित हुए। आयरलैंड में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा होमरूल स्थापित किया जा सकता है, इस की सम्भावना एक बार फिर बहुत से वर्षों के लिये नष्ट हो गई।

फेल कर दिया। पर हाउस आफ लार्ड्स की शक्ति इस समय तक नष्ट की जा चुकी थी। सन् १६११ के पार्लियामेंट एक्ट के अनुसार, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, यदि कोई प्रस्ताव हाउस आफ कामन्स के एक्ट के बाद एक हुए तीन अधिवेशनों में स्वीकृत हो जावे, तो उसके लिये हाउस आफ लार्ड्स की स्वाकृति की आवश्यकता न रहती थी। उदार दल का खयाल था कि यह बिल भी हाउस आफ कामन्स में इसी ढंग से तीन बार स्वीकृत करा दिया जावेगा और इस प्रकार आयरिश होमरूल की समस्या का सदा के लिये हल हो जायगा।

पर आयर्लैण्ड क भाग्य अच्छे नहीं थे। अल्स्टर में इस समय एक नवीन आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ। सर एडवर्ड कार्सन के नेतृत्व में 'अल्स्टर स्वयं सेवकों' का संगठन शुरू हुआ। यह संगठन सैनिक ढंग पर क्रिया जा रहा था और इसका उद्देश्य यह था, कि यदि आयर्लैण्ड में स्वराज्य स्थापित हो, तो उसका विरोध सैनिक शक्ति द्वारा किया जावे। इतना ही नहीं, इस प्रश्न पर ब्रिटिश सेना खुल्लम खुल्ला विद्रोह के लिये तैयार हो रही थी। आयर्लैण्ड में विद्यमान ब्रिटिश सेनाओं के अफसरों ने स्पष्ट रूप से उद्घोषित कर दिया था कि यदि अल्स्टर ने होमरूल के प्रश्न पर विद्रोह किया, तो इस विद्रोह को शान्त करने के लिये अपनी सेनाओं का प्रयोग करने से हम इन्कार करेंगे। जुलाई सन् १६१४ में आयरिश समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया था। एक तरफ आयरिश लोग स्वराज्य के लिये मर मिटने को तैयार थे। सिन पीन आन्दोलन प्रचण्ड रूप से जारी था। आयरिश लोग भी अल्स्टर के स्वयं सेवकों का मुकाबला करने के लिये अपनी स्वयं सेवक सेनाओं का संगठन कर रहे थे। दूसरी तरफ अल्स्टर न केवल विद्रोह आपत लड़ाई के लिये तैयार था। ब्रिटिश सैनिक अफसरों की उद्घोषणा ने स्थात को बहुत हा गम्भार बना दिया था। गृहबल (निविल वार) के सारे लक्षण प्रगट हो रहे थे। होमरूल बिल के

अन्तिम रूप से पास होते ही दोनों तरफ से लड़ाई प्रारम्भ हो जायगी, इसमें जरा भी सन्देह नहीं था।

इसी बीच में यूरोपीय महायुद्ध (१९१४-१९१८) प्रारम्भ हो गया। इस महायुद्ध के कारण स्थित बिलकुल बदल गई। यूरोपीय महायुद्ध जैसे सफ़ट वे समय में इंग्लिश राजनीतिज्ञ आयरिश होमरूल जैसे छोटे से प्रश्न पर आपस में लड़ना नहीं चाहते थे। परिणाम यह हुआ कि इस प्रश्न को युद्ध की समाप्ति तक स्थगित कर दिया गया और आयरिश लोगों की सन आशायें धूल में मिल गई। यद्यपि आयरिश नैशनलिस्ट दल के नेता श्रीयुत रेडमान्ड पार्लियामेन्ट के इस निर्णय से सतुष्ट थे, पर सिनफीनर लोग इसे कैसे स्वीकृत कर सकते थे? उनकी दृष्टि में तो यह स्वराज्य प्राप्त करने का सुवर्णयि अवसर था। 'इंग्लैंड की मुसीबत हमारे लिये उत्तम अवसर है' यह सिद्धान्त सिनफीनर लोग भूले न थे। वे इस मौके का उपयोग करने के लिये तैयार हो गये।

आयरिश लोग समझते थे कि महायुद्ध में जर्मनी से सहायता प्राप्त कर हम अपने को स्वाधीन कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से अनेक सिनफीनर लोग जर्मनी गये और वहाँ से हथियार प्राप्त कर ब्रिटेन के विरुद्ध बाकायदा लड़ाई जारी करने के लिये तैयारी करने लगे। बहुत से आयरिश इस प्रयत्न में सफल भी हुए। बहुत बड़े परिमाण में हथियार आयरलैंड पहुँचाये गए और आयरिश लोगों ने ब्रिटेन के साथ खुल्लम-खुल्ला लड़ाई शुरू कर दी। ब्रिटिश सरकार इस समय आयरलैंड में बड़ी सख्ती से काम ले रही थी। बहुत से देश भक्त गिरफ्तार करके गोली से उड़ाये जा रहे थे। हजारों को कैदखानों में बन्द किया जा रहा था। इंग्लैंड और आयरलैंड का यह सशर्ष महायुद्ध के अन्त तक कायम रहा। १९१८ के पार्लियामेन्ट के निर्वाचन में सिनफान लोगों ने भी हिस्सा लिया। निर्वाचन में उन्हें भारी सफलता हुई। पार्लियामेन्ट के लिये सिनफान दल के ७६ सदस्य निर्वाचित हुए। पर ब्रिटिश पार्लियामेन्ट

में जाकर वहाँ स्वराज्य के लिये आन्दोलन करने के स्थान पर इन लोगों ने एक बहुत ही क्रान्तिकारी कार्य किया। सिनफीन दल के ये सदस्य डब्लिन में एकत्रित हुए और उन्होंने अपने को राष्ट्रीय महासभा (डेल एरायन) के रूप में उद्घोषित कर दिया। डी वेलेरा को राष्ट्र-पति निर्वाचित किया गया और आयरलैंड में स्वतन्त्र रिपब्लिक स्थापित करने की उद्घोषणा कर दी गई।

ब्रिटिश सरकार इस बात को कब सहन कर सकती थी। उसने स्वतन्त्र आयरिश रिपब्लिक को नष्ट करने के लिये सैनिक शक्ति का उपयोग प्रारम्भ किया। पर आयरिश लोग इसके लिये भी तैयार थे। उन्होंने एक सेवक दल को 'आयरिश रिपब्लिकन सेना' के रूप में परिवर्तित कर दिया था। आयरिश रिपब्लिकन सेना के लिये सम्मुख युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं को परास्त कर सकना सम्भव नहीं था, पर 'गुरीला युद्ध नीति' का प्रयोग कर वह ब्रिटिश शासन को असम्भव अक्षय बना सकती थी। आयरिश लोगों ने इसी नीति का प्रयोग किया। रिपब्लिकन सेना के सिपाही ब्रिटिश अपसरो और सेनाओं पर छापे मारने लगे। दोनों ओर से नाकायदा लड़ाई शुरू हो गई। इस समय आयरलैंड में दो सरकारें थीं—ब्रिटिश और सिनफीन। ब्रिटिश सरकार के लिये अपना कार्य कर सकना असम्भव हो गया था और सिनफीन सरकार को कुचलने के लिये ब्रिटेन अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा था।

• यह स्थिति देर तक कायम नहीं रह सकती थी। इसका अन्त करने के लिये ब्रिटिश पार्लियामेंट में सन् १९२० में चौथी बार होमरूल बिल पेश किया गया। इसके अनुसार आयरलैंड में दो पार्लियामेंटों को स्थापित करने की योजना की गई थी। एक अल्स्टर के लिये और दूसरी शेष आयरलैंड के लिये। इस बार यह होमरूल बिल सुगमता से ब्रिटिश पार्लियामेंट की दोनों सभाओं में पास हो गया। कारण यह कि ब्रिटिश

लोग भलीभाँति अनुभव करने लगे थे कि आयरिश लोगों को संतुष्ट किये बिना श्रम काम न चलेगा ।

पर इस बार आयरलैंड इस होमरूल को स्वीकृत करने के लिये तैयार नहीं हुआ । आयरिश लोग पूर्ण स्वाधीनता चाहते थे, वे इस अधूरे स्वराज्य से संतुष्ट नहीं थे । परिणाम यह हुआ कि आयरलैंड और इंग्लैंड के संघर्ष ने और भी उग्र रूप धारण किया । सर्व साधारण आयरिश जनता ब्रिटेन के विरुद्ध थी । वह ब्रिटिश सरकार का खुले रूप में बहिष्कार कर रही थी । ब्रिटिश न्यायालय खाली पड़े थे । स्वतंत्र आयरिश रिपब्लिक के न्यायालय न्याय का सब कार्य कर रहे थे । ब्रिटिश सरकार की नौकरी में जो आयरिश लोग थे, उन्हें त्यागपत्र देने के लिये मजबूर किया जा रहा था । आयरिश रिपब्लिकन सेना अपना कार्य बड़ी तत्परता के साथ कर रही थी ।

इस स्थिति का अन्त करने के लिये आखिर, ब्रिटिश प्रधानमन्त्री श्रीयुत लॉयड ज्यार्ज ने १९२१ में एक सम्मेलन का आयोजन किया । इसमें ब्रिटिश सरकार और सिनफीन के प्रतिनिधि आयरिश समस्या पर विचार करने के लिये एक साथ एकत्रित हुये । सिनफीन प्रतिनिधियों के मुख्य नेता श्रीयुत आर्थर ग्रीफिथ थे । बहुत सी बहस के बाद दोनों पक्षों में सन्धि हो गई और आयरिश स्वतंत्र राज्य (आयरिश फ्री स्टेट) का प्रदुर्भाव किया गया । आयरिश स्वतंत्र राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में वही स्थिति प्राप्त हुई, जो कनाडा और आस्ट्रेलिया को प्राप्त थी । आयरलैंड में भी औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की गई । अल्स्टर को इस बात की स्वतंत्रता दी गई, कि अगर वह चाहे तो इस आयरिश स्वतंत्र राज्य में शामिल हो जावे और चाहे तो इससे अलग रहे । अल्स्टर ने अलग रहना पसन्द किया और उसमें १९२० के आयरिश होमरूल बिल के अनुसार पृथक् पार्लियामेंट की स्थापना हुई ।

सन १९२१ के सम्मेलन में जो सन्धि ब्रिटिश सरकार और सिन-

फीन के बीच में हुई, उसे अन्तिम स्वीकृति के लिये ब्रिटिश पार्लियामेन्ट और डेल ग्रायन में उपस्थित किया गया। दोनों स्थानों पर वह बहुमत से पास हो गई। सन १६२२ में आयरिश स्वतन्त्र राज्य की वाक्यादा स्थापना की गई और माइकेल कालिन्स उसके प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।

1: आयरलैंड में श्रीपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना हो गई, पर सभ लोग उससे संतुष्ट नहीं हो सके। डी वेलेरा के नेतृत्व में मिनपीन दल का एक बड़ा भाग सन १६२१ की सन्धि को मानने के लिये तैयार न था। वह समझता था कि ब्रिफिथ और फोलिन्स ने देश के साथ दगा किया है, और उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता के आदर्शों का परित्याग कर शत्रु के साथ सन्धि करली है। डी वेलेरा और उसके अनुयायी पूर्ण स्वतन्त्रता के पक्षपाती थे। श्रीपनिवेशिक स्वराज्य उन्हें पसन्द नहीं था। उन्होंने शपना संघर्ष जारी रखा। कालिन्स की सरकार को वे स्वीकार करने के लिये तैयार न थे। अपने पुराने साथियों के साथ उनकी उसी दग से लड़ाई शुरू हुई, जैसे पहले विदेशी ब्रिटिश सरकार के साथ थी। आयरिश स्वतन्त्र राज्य की सरकार ने डी वेलेरा और उसके अनुयायियों की शक्ति को नष्ट करने का पूर्ण प्रयत्न किया।

परन्तु आयरलैंड की आधकाश जनता सन् १६२१ की सन्धि से संतुष्ट थी। धीरे धीरे डी वेलेरा को भी यह विश्वास हो गया कि 'स्वतन्त्र-राज्य' से युद्ध जारी रखना निरर्थक है। उन्होंने वैध उपायों से अपने आदर्शों को पूर्ण करने का प्रयत्न करना प्रारम्भ किया। डेल ग्रायन में निर्वाचित होकर उन्होंने अपने दल की शक्ति को बढ़ाना शुरू किया और बाद में वे आयरिश स्वतन्त्र राज्य के राष्ट्रपति बन गये।

मैंतीसवों अध्याय यूरोप का विस्तार (१) यूरोप और एशिया

एशिया का इतिहास बहुत पुराना है। ससार के प्राचीन इतिहास में सभ्यता का श्रीगणेश इसी भूखण्ड में हुआ था। इतिहास के किसी अज्ञात प्राचीन काल में एशिया से ही अनेक जातियों ने जाकर यूरोप में सभ्यता का विकास किया था। बाद में भी एशिया और यूरोप का परस्पर सम्बन्ध कायम रहा। यूरोप अपनी सभ्यता के लिये अनेक अशों में एशिया का ऋणी है। भारत, अरब और चीन के ससर्ग से समय समय पर बहुत सी बातें यूरोप ने एशिया से सीखीं। राजनीतिक दृष्टि से भी इन दो महाद्वीपों का सम्बन्ध बहुत पुराना है। यद्यपि आज एशिया के अधिकांश देश यूरोपियन लोगों के राजनीतिक प्रभाव में हैं, पर पहले यह बात नहीं थी। जब हम प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास पर दृष्टि डालते हैं, तो हमें शत होता है कि ईसा से कई सदी पहले से एशिया के लोग यूरोप पर आक्रमण कर उस पर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने में समर्थ रहे हैं। पर्शियन, हूण, मग्यार, तातार, अरब और तुर्क आक्रान्ताओं ने समय समय पर यूरोप के ऊपर आक्रमण कर वहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित किया है।

परन्तु सत्रहवीं सदी से इस स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हुआ।

धीरे धीरे यूरोपियन जातियों ने व्यापार के लिये एशिया में प्रवेश करना प्रारम्भ किया। यूरोप उस समय में उन्नति के पथ पर आरूढ़ था। वहाँ विद्या की पुनः जागृति हो चुकी थी। मानसिक और बौद्धिक स्वतन्त्रता की भावना लोगों में उपज हो गई थी। जनता ने अपनी बुद्धि से काम लेना प्रारम्भ कर दिया था। नये नये आविष्कार हो रहे थे। व्यापारिक क्रान्ति ने लोगों के सम्मुख नये क्षेत्र, नई आशावाँछें और नये मार्ग खोल दिये थे। कृषि तथा व्यवसाय के क्षेत्र में जो क्रान्ति हो रही थी, वह यूरोपियन लोगों के जीवन और स्थिति में बड़ा भारी परिवर्तन ला रही थी। यूरोपियन लोगों में एक नवजीवन का संचार हो रहा था। उधर दूसरी तरफ एशिया की हालत उस समय अच्छी नहीं थी। एशिया के प्रायः सभी देशों में राजनीतिक शक्ति शिथिल हो गई थी, जनता में राष्ट्रीय जीवन का अभाव था। जिन परिस्थितियों और कारणों से यूरोप में नवीन जीवन का प्रादुर्भाव हो रहा था, वे एशिया में अभी प्रारम्भ नहीं हुए थे। परिणाम यह हुआ, कि यूरोपियन लोग एशिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो गये।

यह ध्यान में रखना चाहिये कि एशिया के लोग अफ्रीका व अमेरिका के मूलनिवासियों के समान असभ्य व अर्धसभ्य नहीं थे। एशिया की जनता सभ्यता की दृष्टि से बहुत उन्नत थी। यदि धर्म, साहित्य, कला, विचार आदि की दृष्टि से देखा जाय तो एशिया के देश यूरोप से किसी भी अंश में पीछे न थे। यही कारण है, कि यूरोपियन लोग एशिया में उस ढंग से अपना साम्राज्य विस्तार न कर सके, जिस तरह उन्होंने अमेरिका व अफ्रीका में किया। उन महाद्वीपों में उन्होंने वहाँ के मूलनिवासियों को प्रायः नष्ट कर देने का प्रयत्न किया। अमेरिका में आज करोड़ों श्वेतांग लोग बसते हैं, जो यूरोपियन जातियों के वंशज हैं। वहाँ के मूलनिवासी या तो नष्ट कर दिये गये हैं, और या पूर्णरूप से यूरोपियन सभ्यता में दीक्षित कर लिये गये

है। यही प्रक्रिया अफ्रीका में हो रही है। पर एशिया में श्वेतांग लोगों को कुल आबादी दस लाख से अधिक नहीं है, जब कि एशियाई लोगों की संख्या एक अरब के लगभग है। यूरोपियन लोगों के लिये यह असम्भव है, कि इन्हें नष्ट व पूर्णतया अपनी सभ्यता में दीक्षित कर सकें। धीरे धीरे एशियाई लोग उन सब विद्याओं व विज्ञानों को सीखते जाते हैं, जिनके कारण यूरोपियन लोग उन्हें अपनी अधीनता में लाने में समर्थ हुए थे। अब वह समय दूर नहीं है, जब एशिया से यूरोप का आधिपत्य नष्ट हो जायगा और एशियाई लोग फिर अपनी सभ्यता का स्वतंत्र रूप से विकास करने में समर्थ होंगे।

हम इस अध्याय में इस बात पर प्रकाश डालेंगे, कि विविध एशियाई देशों में यूरोपियन जातियों का प्रभुत्व किस प्रकार स्थापित हुआ।

(२) यूरोपियन जातियों का चीन में प्रवेश

चीन और यूरोप में पारस्परिक सम्बन्ध बहुत प्राचीन काल से था। रोमन साम्राज्य के बाजारों में चीन का माल बिका करता था। प्रसिद्ध रोमन सम्राट् मार्कस थोरिलियस ने एक दूत मंडल चीन के सम्राट् की सेवा में भेजा था। मध्यकाल में अनेक ईसाई पादरियों ने चीन में ईसाईमत का प्रचार करने का प्रयत्न किया। तेरहवीं सदी में वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्कोपोलो चीन के सम्राट् कुबलाखान के दरबार में आया था। उस समय हम प्रसिद्ध चीनी सम्राट् के दरबार में अन्य भी बहुत से विदेशी दूत, व्यापारी और पर्यटक विद्यमान थे। चीन के लोग विदेशियों से घृणा नहीं करते थे। वे उनका उत्साहपूर्वक स्वागत करते थे और उनसे लाभ उठाते थे।

पन्द्रहवीं सदी के अन्त में अफ्रीका का चक्र काट कर पोर्तुगीज लोगों ने पूर्वी देशों में पहुँचने का प्रयत्न प्रारम्भ किया। यह प्रयत्न

किन परिस्थितियों में और किन कारणों से शुरू हुआ था, इसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। सबसे पूर्व सन् १५१६ में पोर्तुगीज व्यापारी चीन के उन्दरगाहों में आये। उस समय चान में मिङ्गचश के सम्राटों का शासन था। ये सम्राट विदेशियों को सन्देश की दृष्टि से न देखकर उनका स्वागत करते थे। मिङ्गचशा सम्राटों से प्रोत्साहन पाकर पोर्तुगीज व्यापारी अधिक अधिक संख्या में चीन आने लगे। ये लोग यूरोपियन वस्तुओं को चीन की मण्डियों में बेचकर वहाँ से चाय और रेशम खरीदते थे। चीन की चाय और रेशम आनकल की तरह उस समय भी बहुत प्रसिद्ध थे। सन् १५३७ में पोर्तुगीज लोगों ने कैंटन के समीप मजाओ नामक स्थान पर छोटी सी जमीन पट्टे पर ले ली और वहाँ अपनी व्यापारिक कौड़ी का निर्माण किया। इसके बाद अन्य यूरोपियन जातियों ने भी चीन में प्रवेश शुरू किया। पोर्तुगीजों के बाद डच और इङ्गलिश व्यापारी वहाँ पर गये और व्यापार करने लगे। चानी लोग न वेदना इनका विरोध नहीं करते थे, अपितु इनके सम्पर्क से लाभ उठाने का पूरा प्रयत्न करते थे। बहुत से यूरोपियन पादरी भी इस समय चान में ईस ई मत का प्रचार कर रहे थे। लखों चाना ईसाई धर्म में दीक्षित भी होते जा रहे थे। चान में धार्मिक सहिष्णुता बहुत पहले से विद्यमान थी। वहाँ के लोग विधर्मी ईसाई पादरियों को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखते थे।

सन् १५१६ से १७२४ तक यही दशा रही। इस बीच में चीन की राजनीतिक दशा में बहुत परिवर्तन होगया था। सत्रहवीं सदी में माञ्चू नामक एक तातार जाति ने उत्तर की तरफ से आक्रमण कर मिङ्गचश के शासन को नष्ट कर अपना राज्य स्थापित कर लिया था, पर यूरोपियन लोगों के प्रभुत्व पहली नीति ही अभी जारी रही थी। पर धीरे धीरे यूरोपियन लोग अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने लगे।

उन्होंने चीन के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ किया। ईसाई पादरी भी अपना कार्य करते हुए विशुद्ध धार्मिक दृष्टि को अपने सम्मुख नहीं रखते थे। वे धार्मिक क्षेत्र का उल्लंघन कर राजनीतिक मामलों में टांग अडाने में सकोच नहीं करते थे। परिणाम यह हुआ कि चीनी सरकार ने यूरोपियन लोगों के लिये अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये। यूरोपियन लोगों के लिये केवल कैंटन का बन्दरगाह खुला रहने दिया गया। अन्य सब बन्दरगाह उनके लिये बन्द होगये। वे केवल कैंटन में व्यापार के लिये आ सकते थे। उनके लिये चीन के आन्तरिक प्रदेशों में प्रवेश पा सकना भी सम्भव नहीं था। इस प्रकार सन् १७२४ के बाद यूरोप और चीन का पारस्परिक सम्बन्ध बहुत ही थोड़ा रह गया था।

पर यूरोपियन जातियाँ इस अवस्था को नहीं सह सकती थीं। यद्यपि चीन के मामलों में हस्तक्षेप करने का उन्हें कोई भी अधिकार नहीं था, पर वे अपनी शक्ति का प्रयोग कर जबरदस्ती उसके साथ व्यापार करने और उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये प्रयत्न करने लगे। इङ्गलैण्ड इसमें सबसे अग्रगण्य बना। ब्रिटिश लोग चीन में अफीम का व्यापार किया करते थे। उस समय तक भारतवर्ष ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ में आ चुका था। भारत में अफीम बहुत बड़े परिमाण में उत्पन्न कराई जाती थी, और उसे चीन के एकमात्र खुले हुए बन्दरगाह कैंटन में ले जाकर बेचा जाता था। ब्रिटिश लोगों की कोशिश से चीनी लोगों को अफीम खाने की आदत पड गई थी और चीन में अफीम की बहुत खपत थी। अफीम के व्यापार से ईस्ट इण्डिया कम्पनी को १३ करोड़ रुपये की वार्षिक आमदनी होती थी। धीरे धीरे चीनी सरकार ने अनुभव किया, कि अफीम बहुत हानिकारक वस्तु है और इसका प्रचार अपने देश में रोकना चाहिये। इसलिये उन्होंने चीन में अफीम का प्रवेश कानून द्वारा बन्द कर दिया। पर ब्रिटिश व्यापारी

अपितु वे चीन में जहाँ कहीं भी हो, अपने को चीनी सरकार के कानूनों से मुक्त मानते थे। उन्हें चीनी सरकार की जरा भी परवाह न होती थी।

(२) बन्दरगाहों को 'बस्तियों' में विदेशी सेनायें स्वच्छन्द रूप से रहती थीं। विदेशी जमी जहाज बन्दरगाहों पर अड्डा डाले रहते थे और चीनी समुद्र तट पर स्वच्छन्द रूप से घूमते रहते थे। चीनी सरकार विदेशियों की इस जबरदस्ती के सम्मुख असहाय थी।

(३) चीन को तटरु के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता नहीं थी। सन्धिओं द्वारा पाश्चात्य लोगों ने चीन को मजबूर किया हुआ था, कि विदेशी माल पर पाँच फी सदा से अधिक आयात कर न लगा सके। इस आयात कर को बढ़ा सकना सन्धिओं में परिवर्तन किये बिना चीनी सरकार के लिये असम्भव था। आयात कर के अभाव से चीन को दो मारी नुकसान हो रहे थे। एक तो उसकी व्यावसायिक उन्नति सर्वथा रुकी हुई थी। यूरोपियन मुकाबले से अपने देश के व्यवसायों की रक्षा सरक्षण कर की नीति का आश्रय लेकर ही की जा सकती थी। पर सरक्षण कर लगाने के लिये चीनी सरकार स्वतन्त्र नहीं थी। दूसरी हानि यह थी, कि आयात कर न होने से सरकारी आमदनी बहुत कम रहती थी। आयात कर राष्ट्रीय आय का बड़ा महत्त्वपूर्ण आधार होता है। इस आय से वञ्चित होकर चीनी सरकार अपना बजट पूरा करने के लिये कर्ज लेने के लिये मजबूर होती थी। विदेशी लोग चीन को अपना कर्जदार बनाने के लिये विशेष रूप से उत्सुक थे। उसे बड़ी सुगमता से कर्ज मिलता जाता था। धीरे धीरे चीन अपने उत्तमर्ण देशों के ऋण में आता जा रहा था।


यूरोपियन देशों को चीन में व्यापार करने की खुली छुट्टी मिल गई थी। बन्दरगाहों पर उनका पूरा कब्जा था। वे चीन में जहाँ चाहें, स्वच्छन्दता से आना सकते थे। अर्थिक दृष्टि से भी चीन को उन्हें ने अपने ऋण में कर रक्ता था। पर यूरोपियन लोग इतने से ही

संतुष्ट नहीं रह सकते थे। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने चीन के अधिक से अधिक प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये उद्योग प्रारम्भ किया। चीन बहुत विलुप्त तथा समृद्ध देश था। वहाँ का सरकार की हालत अच्छी नहीं थी। लाग भी शान्ति प्रिय और भाले भाले थे। यूरोपियन लोगों को और चाहिये ही क्या था! उन्होंने समझा अच्छा शिकार है, इसे हाथ से न जाने देना चाहिये। विविध यूरोपियन देशों ने चीन के विविध प्रदेशों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। इङ्ग्लैण्ड ने १८८५ में बर्मा पर अधिकार कर लिया। उससे पहले बर्मा चीन का अधीनता स्वीकृत करता था। फ्रांस अनाम, टोन्किन और कम्बोडिया के प्रदेशों में अपना जाल फैला रहा था। सन १८८३ में चीन और फ्रांस में वाक्वावदा लड़ाई छिड़ गई। चान परास्त हुआ और ये सब प्रदेश फ्रांस की सरकारता में आगये। आगे चल कर ये ही 'फ्रेंच इण्डोचायना' के नाम से प्रसिद्ध हुए। उधर उत्तर की ओर से रशिया अपने पैर पसार रहा था। उसने अमूर नदी के प्रदेशों का हृदय कर साइबीरिया में मिला लिया।

इस समय तक जापान भी बहुत उन्नत हो चुका था। जापान की इस असाधारण उन्नति का वृत्तान्त हम आगे चलकर लिखेंगे। जिन कारणों से यूरोपियन जातियाँ अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये इस प्रकार से छटपटा रही थीं, वे सब कारण जापान में भी विद्यमान थे। व्यावसायिक क्रान्ति ने जापान के स्वरूप को भाँ बिलकुल बदल दिया था और वह भी अपने तैयार माल की रतपत के लिये सुगन्धित बाजार ढूँढने की पिकर में लगा था। जापान चीन का पड़ोसी था। इसलिये उसकी दृष्टि में चीन पर आधिपत्य स्थापित करने का उसका स्वतः निद्व अधिकार था। चीन का ज़ा प्रदेश जापान के सबसे निकट है, उस कोरिया कहते हैं। जापान इस कोरिया को अपने कब्जे में करना चाहता था। आखिर, इसी प्रश्न पर चीन और जापान में

लड़ाई शुरू होगई। यह लड़ाई १८६४ से १८६५ तक जारी रही। चीन के लिये जापान का मुकाबला कर सकना बहुत कठिन था। कारण यह कि जापान ने यूरोपियन देशों के अनुकरण में अपने सैनिक साधनों में बहुत उन्नति कर ली थी। चीन परास्त हो गया। न केवल कोरिया, पर मञ्चूरिया पर भी जापानी लोगो ने आक्रमण किया और वहाँ के प्रसिद्ध बन्दरगाह पोर्ट आथर को जीत लिया। चीन और जापान के इस युद्ध का अन्त शिमोनोसेकी की सन्धि द्वारा हुआ। इसके अनुसार (१) कोरिया को स्वाधीन उद्घोषित किया गया। इसका अभिप्राय यही था कि चीन का उस पर आधिपत्य न रहे और वह जापान की सत्ता में आ जाय। (२) फारमूसा द्वीप और लाओटुग प्रायद्वीप जापान के सुपुर्द किये गये। लाओटुग के प्रायद्वीप पर ही पोर्ट आर्थर था। इस प्रायद्वीप की प्राप्ति से जापान के लिये मञ्चूरिया का मार्ग खुल गया था। (३) चीन ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिये ४५ करोड़ रुपये जापान को देने स्वीकृत किये।


शिमोनोसेकी की सन्धि से जापान को बहुत लाभ हुआ था। अन्य यूरोपियन राज्य इसे नहीं सह सके। विरोधतया, रशिया इसका प्रबल निरोधी था। लाओटुग प्रायद्वीप पर रशिया की अपनी नजर थी। जापान उसके शिकार को इतनी सुगमता से हडप ले, यह उसे सह्य नहीं हुआ। इसी प्रकार फ्रांस और जर्मनी भी जापान को इस सफलता का इर्ष्याभरी दृष्टि से देख रहे थे। रशिया, फ्रांस और जर्मनी ने मिल कर जापान पर जोर दिया कि वह लाओटुग प्रायद्वीप से अपना कब्जा हटा ले। जापान इन तीन शक्तिशाली देशों की बात को कैसे टाल सकता था। यदि वह इसका विरोध करने का साहस करता, तो ये युद्ध का आश्रय लेते। बाधित होकर जापान ने लाओटुग प्रायद्वीप पर अपने अधिकार का परित्याग कर दिया और उसके बदले में सात कराड रुपये के लगभग धनराशि हरजाने के तौर पर चीन से प्राप्त कर ली।



- ब्रिटिश प्रदेश
- राजस्थान प्रदेश
- फ्रेंच प्रदेश
- जर्मन प्रदेश
- पोर्तुगीज प्रदेश
- अमेरिकन प्रदेश

अफ्रीका

मोरा (फ्रान्स)



ए मे विस्तार

उधर रशिया चीन पर अपना जाल फैलाता जा रहा था। शिमोनो सेरी की सन्धि के अनुसार जो धनराशि चीन ने जापान को दी थी, उसका बड़ा भाग उसने रशिया से ही कर्ज द्वारा प्राप्त किया था। रशिया ने अत्यन्त उदारता से यह धनराशि बिना किसी अमानत के ही चीन को प्रदान कर दी थी। इस कर्ज से चीन रशिया पर बहुत आश्रित हो गया। रशियन लोग चाहते थे कि प्रशान्त महासागर के तट पर विद्यमान अपने प्रसिद्ध मन्दरगाह व्लाडीवोस्तोक के साथ रेल द्वारा सीधा सम्पर्क स्थापित कर लें। रशिया की प्रसिद्ध ग्रेट साइबेरियन रेलवे उस समय इरकुत्स्क तक आती थी। रशिया चाहता था कि इरकुत्स्क और व्लाडीवोस्तोक के बीच रेलवे बना कर इन दोनों को आपस में मिला दे। पर इसने लिये सीधा रास्ता मञ्चूरिया में से गुजरता था, जो उस समय चीन के अधीन था। रशिया ने मञ्चूरिया के बीच से इस रेलवे का निर्माण करने के लिये चीन से अनुमति प्राप्त करनी चाही। चीन रशिया के कर्ज ने दवा हुआ था। वह इन्कार न कर सका। मञ्चूरिया में रशिया ने रेलवे बनाने लगी और उसकी रक्षा के लिये रशियन सेनाओं की भी मञ्चूरिया में प्रविष्ट होनी की अनुमति प्राप्त होगई। इस प्रकार मञ्चूरिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये रशिया का मुनखाबिसर प्राप्त हो गया।

इस समय अन्य यूरोपियन जातियाँ भी शान्त नहीं बैठी थीं। सन् १८९७ में दो जर्मन पादरी शान्टूंग के प्रदेश में मारे गये। जर्मनी के लिये इससे अच्छा समाचार और क्या हो सकता था ? फूट फूसर ने एक सेना चीन पर आक्रमण करने के लिये रवाना कर दी। इस सेना ने क्याऊचाऊ में प्रवेश किया और जर्मन भरवा गडाकर दिया। चीनी सरकार जर्मनी जैसे शक्तिशाली राज्य का क्या मुकाबला कर सकती थी। उसे बाधित शरर क्याऊचाऊ का प्रदेश जर्मनी के मुपुर्द करना पड़ा और इस प्रकार दो जर्मन पादरियों की हत्या का

प्रतिशाप हुआ। क्याऊचाऊ को जमन लोगों ने शाप ही एक उन्नत चन्द्रगाह क रूप म परिवर्तित कर दिया। उस युद्धोपयोगी सामग्री से भी भली भाँति मुसज्जित किया गया।

रशिया के तार की इच्छा था कि चीन की लूट में जमनी का विरोध नरे। पर पीछे उसने साचा कि जमनी का विरोध करने की अपेक्षा यह अर्च्छा हागा कि चीनी सरकार की कमजारी स लाभ कर अपने लिये अय प्रदेश प्राप्त क्रिय जायें। इसी के अनुकार लाओटुंग प्रायद्वीप और उसमें स्थित पार्ट थारर का रशिया ने सन् १८६८ में पचीष्ठ घप के लिये पट्टे पर ले लिया। इसी समय यह भी निश्चय क्रिया गया कि पोर्ट थाररर क चन्द्रगाह में केवल चीना और रशियन जहाज ही आ जा सकें। रशियन लोगो ने पोर्ट थाररर पर दृढ़ता से अपना अधिकार स्थापित कर लिया और उसकी किलाबन्दी भी शुरू कर दी। साइरीरियन रेलवे और व्लाडावोस्टक से पार्ट थाररर का सम्बन्ध स्थापित करने क लिय रशिया की ओर से वहाँ से हरबिन तक नई रेलवे का निमाण किया गया। व्लाडीवास्टक का समुद्र तट सर्दियों में कुछ समय के लिये जम जाता था। इसलिये सामुद्रिक व्यापार के लिये वह बहुत अधिक उपयोगी नहा हा सकता था। पोर्ट थाररर पर कब्जा हो जाने स रशिया का एक एसा चन्द्रगाह प्राप्त हो गया, जो साल भर काम आ सकता था। तिस समय जमनी और रशिया खुले हाथों से चीन का लूट रहे थे, ग्रेट ब्रिटेन भी शान्त नहीं बैठ था। सन् १८६८ में उसने भी जगी जहाजों का एक बेड़ा हागकांग से उत्तर की तरफ आक्रमण करने के लिये भेजा और उसने वेइ हेई वेई पर कब्जा कर लिया। वेई हेई वेई का प्रदेश जमनी और रशिया के प्रदेशों के ठीक बीच में था और राजनीतिक दृष्टि से उसका बहुत महत्त्व था। इसी समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने यह भी अनुभव क्रिया, कि आगे चल कर चीन के प्रश्न पर विविध राज्यों में संघर्ष का होना अनिवार्य है, कारण

यह कि चीन के सम्बन्ध में विविध देशों के हित ग्राहक में टकराते हैं। इसी दृष्टि से उन्होंने सन् १६०२ में जापान के साथ एक सन्धि की, जिसके अनुसार प्रिटेन और जापान ने युद्ध की दशा में एक दूसरे की सहायता करने को प्रतिज्ञा की।

यूरोपियन और जापानी लोग चीन में व्यापार का स्वच्छन्द अधिकार प्राप्त कर और अनेक प्रदेशों को अपने कब्जे में करके भी सतुष्ट नहीं हुए। वे चाहते थे कि चीन पर पूर्णतया अपना आर्थिक आधिपत्य स्थापित कर लिया जावे। इसी उद्देश्य से उन्होंने रेलवे का निर्माण प्रारम्भ किया। सबसे पहली रेलवे इङ्गलिश लोगों ने सन् १८७६ में शंघाई से शुरू कर उसके १५ मील उत्तर तक बनाई थी। पर चीनी लोगों के लिये यह एक दम नई चीज थी। उन्हें इसकी पहले कल्पना तक भी नहीं थी। वे इसे सहन नहीं कर सके। उन्होंने इसे धर्म विरुद्ध समझा और जनता के विरोध के कारण सरकार ने सारी रेलवे को उखाड़वा दिया और उसके इञ्जनों को नदी में फेंकवा दिया। पर पाँच वर्ष बाद ही चीनी सरकार ने अपनी गलती अनुभव की। संसार की प्रगति से पृथक् रह सकना किसी भी देश के लिये सम्भव नहीं होता। अतः, सन् १८८१ में चीनी सरकार ने शंघाई के प्रदेश में ब्रिटिश लोगों को रेलवे बनाने का अधिकार प्रदान किया। इसी प्रकार धीरे धीरे अन्य देशों ने भी चीन के विविध प्रदेशों में रेल निकालन की अनुमति प्राप्त की। इन रेलों में जिस देश की पूँजी लगती थी, वह धीरे धीरे उसी के प्रभाव में आ जाता था। वहाँ वह स्वच्छन्दता से अपना व्यापार कर सकता था। रेलवे की रक्षा के लिये अपनी पुलिस और फौज रख सकता था, और अनेक अन्य तरीकों से उस प्रदेश को अपने प्रभाव में ला सकता था। धीरे धीरे सारा चीन विदेशी राज्यों के इसी प्रकार के प्रभावक्षेत्रों में विभक्त होगया।

राजनीतिक दृष्टि से चीन अब भी स्वतन्त्र था। उस पर किसी

विदेशी सरकार की हुकूमत नहीं थी। पर वस्तुतः वह साम्राज्यवाद का शिकार बनता जा रहा था और विविध साम्राज्यवादी देश उसे अपने जाल में धुरी तरह पँसाते जाते थे।

(३) चीन में नवजीवन का सञ्चार

यह असम्भव था कि समय के साथ साथ चीन में परिवर्तन न हो। चीनी लोग धीरे धीरे अनुभव कर रहे थे, कि जमाना बदल रहा है और स्वयं भी बदले बिना काम न चलेगा। जापान का उदाहरण उनके सामने था। उनका पड़ोसी यह छोटा सा देश नवीन विद्याओं और विज्ञानों को अपना कर किस प्रकार उन्नत से उन्नत यूरोपियन देश का मुकाबला करने लगा था, इस बात को वे प्रत्यक्ष आँसों से देख रहे थे। चीन में भी यह लहर प्रारम्भ हुई, कि पश्चात्य देशों से जिन नई प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है, उन्हें स्वीकृत कर अपने देश को उन्नत किया जाय। एक सुधारवादी दल पैदा हो गया और उसने सुधारों के लिये आन्दोलन शुरू कर दिया। शिक्षा, शासन, सेना आदि सभी क्षेत्रों में सुधार प्रारम्भ हुए। हजारों विद्यार्थी विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिये भेजे जाने लगे। विदेशों से लौटे हुए इन विद्यार्थियों के कारण सुधार का आन्दोलन और भी अधिक प्रचण्ड रूप धारण करता जाता था।

जहाँ एक तरफ बहुत से सुधारवादी लोग चीन में नवजीवन का सञ्चार कर रहे थे, वहाँ साथ ही बहुत से ऐसे देशभक्त भी उत्पन्न हो रहे थे, जो अपनी मातृभूमि को विदेशियों के कब्जे से मुक्त करने के लिये प्रयत्नशील थे। इन लोगों ने एक गुप्त समिति का संगठन किया, जो 'बोक्सर' के नाम से प्रसिद्ध है। 'बोक्सर' मुट्ठी से मुद्ग करने वाले को कहते हैं। बोक्सर लोगों का उद्देश्य था, कि जो विदेशी लोग अपनी मातृभूमि को टुकड़े टुकड़े कर लूट रहे हैं, उन्हें मार कर बाहर निकाल

किये। इनके अतिरिक्त इस संधि द्वारा यह भी व्यवस्था की गई, कि चीन का एक राजदूत जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जाकर जर्मन राजदूत की हत्या के लिये क्षमा प्रार्थना करे।

बोक्सर युद्ध से चीन में सुधार की प्रक्रिया बन्द नहीं होगई थी। सुधारवादी लोग अपना काय बड़ी तेजी के साथ कर रहे थे। सन् १९०४ में रशिया और जापान का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में चीन के पड़ोसी जापानी लोग किस प्रकार राशिया जैसे शक्तिशाली और विशाल राज्य को परास्त कर रहे थे, इसे चीनी लोग आस पाड पाड कर देख रहे थे। वे सोचते थे, क्या हम भी जापान के समान उन्नत और शक्तिशाली नहीं बन सकते। चीनी देशभक्त इस समय चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, कि चीन में भी नवयुग आना चाहिये और वर्तमान युग की प्रत्येक बात को अपनाये बिना हमारी मातृभूमि का उद्धार नहीं हो सकता। विशेषतया विदेशों से शिक्षा प्राप्त कर के वापिस आये हुए विद्यार्थी चीन का आमूल चूल परिवर्तित कर देने के लिये उतावले हो रहे थे। इस समय चीन में एक नये आन्दोलन का सूत्रपात हुआ, जिसका प्रधान नेता डा० सनयात सेन था। डा० सनयात सेन और उसके अनुयायी चीन में एक सत्तात्मक शासन का अन्त कर रिपब्लिक की स्थापना करना चाहते थे। माञ्चूवश को चीन में शासन करते हुए पीने तीन सौ वर्ष क लगभग हो गये थे। माञ्चू सम्राटों का एकतन्त्र शासन जहाँ समय की गति के प्रतिधूल था, वहाँ उसमें बहुत विकृति भी आ गई थी। डा० सनयात सेन और उसके अनुयायी चीन में उन्हीं प्रवृत्तियों का सूत्रपात कर रहे थे, जो इटली में मैजिनी द्वारा प्रादुर्भूत हुई थीं। चीन की साम्राज्यी स्वामाविक रूप से इन सुधारकों के विरोध में थी। उसने इनक आन्दोलन का दबाने के लिये अपनी सम्पूर्णशक्ति का प्रयोग किया। बहुत से देशभक्तों का देश निकाला दिया गया। बहुत से जलस्थानों में बंद किये गये। पर

आन्दोलन बन्द न हुआ। ग्राज़िर, १२ फरवरी सन् १९१२ के दिन सुधारवादियों का यह आन्दोलन क्रान्ति के रूप में फूट पड़ा। चीन में एकतन्त्र शासन का अन्त कर रिपब्लिक की स्थापना की गई। मार्च १९१२ में युआन शिकाई चीनी रिपब्लिक का पहला राष्ट्रपति बना।

चीन में एकतन्त्र राजसत्ता का अन्त होकर रिपब्लिक की स्थापना से पाश्चात्य देशों को खुश होना चाहिये था। पर वे भली भाँति समझते थे, कि चीन की नई सरकार उनके विशेषाधिकारों को नष्ट करने के लिये पूरा प्रयत्न करेगी। माझू सम्राटों के समय में चीन को खुले हाथों से लूटने का जो सुवर्णवसर उन्हें प्राप्त हो रहा था, वह अत्र न मिल सकेगा। इसलिये उन्होंने इस नई सरकार को स्वीकृत करने से ही इन्कार कर दिया। पर उधर रिपब्लिकन सरकार अपना कार्य करती जा रही थी। एप्रिल १९१३ में चीन की प्रथम पार्लियामैन्ट का अधिवेशन हुआ, इसमें जनता द्वारा निर्वाचित हो कर ५९६ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।

इस प्रकार गत यूरोपिय महायुद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व चीन में माञ्चू शासन का अन्त होकर रिपब्लिक की स्थापना हो चुकी थी। सन् १९१४ में जब यूरोपीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ, तो युआन शिकाई ही चीन के राष्ट्रपति थे। चीनी रिपब्लिक में आगे चल कर कौन कौन से परिवर्तन हुए, इस पर हम यथास्थान प्रकाश डालेंगे।

(४) जापान का उत्कर्ष

चीन के उत्तर-पूर्व में एक विस्तृत द्वीप समूह है, जिसे जापान कहते हैं। इसमें चार बड़े और तीन हजार के लगभग छोटे द्वीप सम्मिलित हैं। जापान के ये छोटे बड़े द्वीप चीन के समुद्रतट के साय-साय प्राय २००० मील तक फैले हुए हैं। अधिकांश द्वीप पर्वतों से आवृत हैं, और उनकी जमीन खेती के लिये उपयुक्त नहीं है। इन

पर्वतों में ज्वालामुखी भी प्रचुरता के साथ विद्यमान हैं, यही कारण है कि जापान में बहुधा भूकम्प आते रहते हैं। जापान का कुल क्षेत्रफल ग्रेट ब्रिटेन से कुछ ही बड़ा है। उसकी आबादी सन् १९२५ में ६ करोड़ के लगभग थी। जापानी लोग जातीय दृष्टि से चीनिया से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। उनकी सभ्यता और संस्कृति का आदिस्रोत भी चीन ही है।

अब से प्रायः साठ साल पूर्व जापान की भी वही हालत थी, जो चीन व अन्य एशियाई देशों की थी। शिल्प, व्यवसाय, कला आदि के क्षेत्र में वहाँ के लोग बहुत पीछे पड़े हुए थे। पर देखते देखते जापान ने आश्चर्यजनक उन्नति कर ली है। आज से चालीस वर्ष पूर्व भी जापान संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली राज्यों में गिना जाने लगा था और उसने रशिया जैसे विशाल और शक्तिशाली देश को युद्ध में पछाड़ दिया था। इस प्रकार जापान ने केवल २५ व ३० साल में इतनी अधिक उन्नति कर ली थी, कि वह एक मध्यकालीन दशा से ऊपर उठ कर संसार के सर्वोत्कृष्ट सभ्य और उन्नत देशों में गिना जाने लगा था। आज जापान व्यवसाय, कला, विज्ञान और युद्धनीति के क्षेत्र में संसार के किसी भी देश से पीछे नहीं रह गया है। उसकी गिनती अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महाराष्ट्रियाँ में की जाती है। सारा संसार जापान की इस आश्चर्यजनक उन्नति पर चकित है।

जापान के प्रारम्भिक इतिहास के सम्बन्ध में यहाँ कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। यूरोपियन लोगों को जापान का परिचय सबसे पहले मार्कोपोलो नामक इटालियन यात्री द्वारा तेरहवीं सदी के अन्तिम वर्षों में प्राप्त हुआ था। परन्तु जो यूरोपियन यात्री पहले पहल जापान पहुँचा, उसका नाम पिरेटो है। वह पोर्तुगीज था और सन् १५४२ में जापान गया था। उसके कुछ वर्ष बाद प्रसिद्ध जेसुइट धर्म प्रचारक फ्रांसिस खेसेवियर जापान गया और उसने वहाँ ईसाई

मत का प्रचार प्रारम्भ किया। उसके साथ में अनेक जापानी शिष्य भी थे, जिन्हें उसने गोआ में ईसाई मत में दीक्षित किया था। जापान में ईसाई धर्म का प्रचार बड़ी तेजी के साथ हुआ। कहा जाता है कि तीम माल में पचास हजार जापानी ईसाई हो गये और दो सौ ईसाई गिरजे वहाँ कायम कर दिये गये। पर ईसाई धर्म प्रचारकों का व्यवहार अच्छा नहीं था। वे यदि विशुद्ध धार्मिक दृष्टि से जनता में अपने मन्तव्यों का प्रचार करते तो कोई हानि नहीं थी, जापानी सरकार उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप न करती। पर ईसाई पादरी धर्म के आवरण में यूरोपियन साम्राज्यवाद के एजेंटों का काम करते थे। वे अपने देश के व्यापारियों के लिये और फिर उनके द्वारा धीरे-धीरे अपनी राजनीतिक शक्ति के प्रसार के लिये मार्ग तैयार करने का काम करते थे। ईसाई पादरियों की इस मनोवृत्ति को अनुभव कर सन् १५८६ में जापानी सरकार ने एक उद्घोषणा प्रकाशित की। उसमें आशा दी गई कि कोई जापानी ईसाई धर्म को स्वीकृत न करे। जो लोग ईसाई हो चुके थे, उन्हें भी अपना मत परिवर्तन करने के लिये कहा गया। विरोध करने पर बीस हजार के लगभग जापानी ईसाईयों को प्राण-दण्ड भी दिया गया। सन् १५८६ की उद्घोषणा में केवल ईसाई मत का प्रचार ही रोक़ा गया था। विविध यूरोपियन जातियों को जापान के साथ व्यापार करने के लिये अभी निषेध नहीं किया गया था। पर कुछ समय बाद जापानी सरकार ने देखा कि डच, इङ्गलिश आदि व्यापारी आपस में लड़ते हैं, और उनके व्यापार से जापान को नुकसान है। इस लिये उसने हुकुम जारी किया, कि कोई विदेशी जाति जापान में व्यापार न कर सके। प्रायः २०० वर्ष तक जापान की यही हालत रही। यद्यपि इस काल में यूरोपियन लोग चीन में न केवल व्यापार अपितु अपना प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयत्न में लगे थे, पर जापान के साथ उनका कोई सम्बन्ध न था। इस समय जापान शेष

संसार की प्रगति से सर्वथा पृथक् अपनी स्वप्नमयी दुनिया में रह रहा था। वहाँ के लोगों में यह विचार प्रचलित था कि शेष सम्पूर्ण संसार के लोग असभ्य और जगली हैं। उनके साथ सम्पर्क रखने से कोई लाभ नहीं है।

सन् १८५३ में अमेरिका के सेनापति पेरी ने जापान की इस सुखमयी निद्रा का भंग किया। वह संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से यह पत्र लेकर आया, कि यदि कोई अमेरिकन जहाज जापान के समुद्र तट पर टूट जाय, तो उसके मुसाफिरों और माल की रक्षा के लिये वहाँ प्रबन्ध किया जाय। उसने यह भी मांग पेश की, कि जापान और अमेरिका का व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया जाय और कुछ बन्दरगाहों पर व्यापार करने का अधिकार अमेरिकन व्यापारियों को दिया जाय। सेनापति पेरी जंगी जहाजों का एक बड़ा भारी बेड़ा अपने साथ लाया था। इन विशालकाय अद्भुत जहाजों को देख कर जापान में बड़ी खलबली मच गई। इस प्रकार के जहाजों की कल्पना भी कभी जापानी लोगों को नहीं हुई थी। वे इन्हें देख कर किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये। जापानी राजदरबार में सेनापति पेरी के पत्र पर बहुत देर तक बहस होती रही। परन्तु अन्त में संयुक्त राज्य अमेरिका की मांगें स्वीकृत कर ली गईं और दो बन्दरगाह उनके व्यापार के लिये खोल दिये गये। धीरे-धीरे अन्य यूरोपियन राज्यों ने भी जापानी सरकार के सम्मुख इसी प्रकार की मांगें पेश करनी प्रारम्भ कीं। अब जापान अपनी पुरानी एकान्तवास की नीति का परित्याग कर चुका था। अतः अन्य जातियों को भी व्यापार के अधिकार दिये गये। विविध यूरोपियन राज्यों को विविध बन्दरगाहों में व्यापार के अधिकार प्राप्त हुए और अब जापान को लूटने का उसी प्रकार से उपक्रम प्रारम्भ हुआ, जैसा कि पहले भारत और चीन में हो चुका था।

पर जापानों लोग बहुत समझदार और चालाक थे। उन्होंने अनु-

मब क्रिया कि हम यूरोपियन लोगों की अपेक्षा बहुत पीछे पड़े हुए हैं। हमारे देश का उद्धार तभी हो सकता है, जब हम विदेशियों की विद्या, विज्ञान, शिल्प, कला आदि को सीख कर उनकी बराबरी करने लगे। इसी अनुभूति से हजारों जापानी विद्यार्थी यूरोप और अमेरिका में विद्या का अध्ययन करने के लिये गये और उन्होंने अपने देश में वापिस लौट कर उसे आमूलचूल परिवर्तित करना प्रारम्भ किया। सरकार की ओर से अनेक कमीशन पाश्चात्य देशों में इस उद्देश्य से भेजे गये कि वे वहाँ जाकर उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का अध्ययन करें और उनके अनुसार अपने देश में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करें। विद्या व विज्ञान किसी देश विशेष की वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं होते, जो चाहे उन्हें अपना सकता है। जापान के लोगों ने जब एक बार अनुभव कर लिया, कि उन्नति की दौड़ में हम संसार से पीछे रह गये हैं, तब उन्होंने अपने को सम्भाला और देश की उन्नति के लिये अपनी सम्पूर्ण शक्ति को लगा दिया। देखते-देखते पच्चीस तीस सालों में जापान यूरोप और अमेरिका का मुकाबला करने लगा। जिन विविध क्षेत्रों में जापान में परिवर्तन हुए, उन पर प्रकाश डालना आवश्यक है—

(१) सामन्तपद्धति का अन्त—उन्नीसवीं सदी के मध्य तक जापान में सामन्त पद्धति विद्यमान थी। विविध सरदार अपनी अपनी जागीर में स्वतन्त्र राजाओं के समान राज्य करते थे। विविध सामन्तों के रहते हुए राष्ट्रीय एकता की स्थापना असम्भव थी। इसलिये सन् १८७१ में सामन्तपद्धति का अन्त किया गया। बहुत से सामन्तों ने राष्ट्रीय हित को दृष्टि में रख कर अपनी इच्छा से अपने विशेषाधिकारों का परित्याग कर दिया। जिन्होंने विरोध किया, और विद्रोह की प्रवृत्ति प्रदर्शित की, उन्हें शस्त्रबल से काबू किया गया। सामन्तों से जो विशेषाधिकार लिये गये थे, उनके बदले में उन्हें पेंशनें दी गईं तथा

विविध उपाधियों से उनका सत्कार किया गया। सामन्तपद्धति के अन्त होने से स्वाभाविक रूप से किसानों की स्थिति में परिवर्तन हुए। पहले जमीन पर उनका कोई हक नहीं था। जमींदार उन्हें जय चाहे बेदखल कर सकता था। उनकी स्थिति अर्धदास के समान थी। पर अब ऐसे कानून बनाये गये, जिनसे किसान जमीन के मालिक होगये और वे सीधा सरकार को मालगुजारा देने लगे।

(२) शासन व्यवस्था सन् १८८६ में जापान में राकायदा शासन विधान का निर्माण किया गया। मार्क्स इत्यादी अध्यक्षता में एक कमीशन यूरोप में इस उद्देश्य से भेजा गया था, कि वह वहाँ के विविध शासन विधानों का अध्ययन करे और उनके अनुसार जापान के लिये एक नवीन ढंग का शासन विधान प्रस्तावित करे। जापानी कमीशन ने अपने देश के लिये प्रशिया की शासन व्यवस्था को बहुत उपयुक्त पाया और उसी के सदृश अपना शासन विधान तैयार किया। सन् १८८६ के शासन विधान में सम्राट् को बहुत अधिक अधिकार दिये गये थे। शासन विभाग का अध्यक्ष वह स्वयं बनाया गया और पार्लियामैण्ट के निर्णयों का खंडो करने का भा उससे पूरा अधिकार दिया गया। जापान पार्लियामैण्ट में दो सभायें हैं—लार्ड सभा और प्रतिनिधि सभा। लार्ड सभा के सदस्यों की संख्या १६८ होती है, इनमें १६ राजवंशी कुमार, १८५ विविध कुलीन श्रेणियों के महानुभाव, १२२ सम्राट् द्वारा मनानीत और ४५ सत्र से अधिक कर देने वालों के प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधि सभा में ३७६ सदस्य होते हैं, जो सर्वसाधारण मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। चौबीस वर्ष से अधिक आयु के ऐसे प्रत्येक पुरुष का वोट का अधिकार दिया गया, जो एक निश्चित टैकम सरकार का देता हो। मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति सम्राट् द्वारा होती है। मन्त्रिमण्डल अपने कार्यों के लिये सम्राट् के प्रति ही उत्तरदायी होता है। सन् १८८६ के शासन विधान के साथ

ही सर्वसाधारण जनता के स्वतः सिद्ध अधिकारों को भी स्वीकृत किया गया। कानून के सम्मुख सब लोग एक समान स्थिति रखते हैं, सब को निखलने बोलने तथा अपनी सम्मति को प्रगट करने की पूरी स्वतन्त्रता है। धर्म के कारण किसी के साथ कोई भेद नहीं किया जायगा आदि विविध सिद्धान्त राज्य द्वारा स्वीकृत किये गये। दीवानी और पौजदारी कानून का नये सिरे से मंजूर किया गया। न्यायालयों का पुनः संगठन हुआ। स्थानीय स्वशासन की भी व्यवस्था की गई। अभिप्राय यह है, कि कुछ ही वर्षों में जापान शासनव्यवस्था की दृष्टि ने यूरोप के उन्नत राज्यों का मुकाबला करने लगा।

(३) सैनिक पद्धति—पहले जापान में कोई राष्ट्रीय सेना नहीं होती थी। विविध सेमान्त अपनी सेनायें रखते थे, जो सदा अपने वशकमानुगत सरदार के हुकुम में रहती थीं। सामन्तपद्धति के साथ ही इस प्रकार की सेनाओं का अन्त हो गया था। अब जापान में नये ढंग से राष्ट्रीय सेना का संगठन किया गया। जर्मनी के अनुकरण में वाधित सैनिक सेवा की पद्धति जारी की गई और यूरोप की युद्ध नीति तथा सैनिक आदर्शों के अनुसार जापान में भी सेना का नये ढंग से संगठन किया गया। कुछ समय बाद रितेन को अपना आदर्श बना कर जलसेना का भी प्रारम्भ किया गया। नये जंगी जहाज बनाये गये। परिणाम यह हुआ, कि उन्नीसवीं सदी के समाप्त होने से पूर्व ही जापान की गणना सत्तार के शक्तिशाली देशों में होने लगी।

(४) व्यावसायिक क्रान्ति—जहाँ एक तरफ सामन्तपद्धति के अन्त तथा नये शासन विधान की स्थापना से जापान में भारी परिवर्तन आ रहा था, वहाँ व्यावसायिक क्रान्ति उसे आमूल चूल परिवर्तित कर देने के लिये बड़ा काम कर रही थी। जब जापानी लोगों ने एक बार अनुभव कर लिया कि हम उन्नति की दौड़ में संसार से पीछे रह गये हैं, तो वे कमर कस कर उन्नति के लिये लग गये। हजारों जापानी

विद्यार्थी विदेशों में गये और वहाँ के ज्ञान विज्ञान का सीरा कर अपने देश की व्यावसायिक उन्नति के लिये प्रयत्न करने लगे। देखते देखते जापान में व्यावसायिक क्रान्ति शुरू हो गई। बड़े बड़े कारखाने खुलने लगे। जापान के बाजार पहले विदेशी माल से भरे रहते थे, पर अब न केवल जापानी उत्पादक अपने देश में विदेशी माल का सफलता से मुकाबला करने लगे, परन्तु साथ ही दूसरे देशों के बाजारों में भी जापानी माल दृष्टिगोचर होने लगा। सन् १८७७ से १९१३ तक ३५ वर्षों में जापान का विदेशी व्यापार २७ गुना बढ़ गया। सन् १९१३ के बाद इस व्यापार में और भी अधिक तेजी से वृद्धि हुई। गत यूरोपियन महायुद्ध के समय जापान को अपनी व्यावसायिक उन्नति के लिये अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ और उसका उपयोग कर उसने एशिया के विविध बाजारों पर अपना व्यापारिक कब्जा कायम कर लिया। बाद में जापान सारे ससार को व्यापारिक दृष्टि से नीचा दिखा सकने में समर्थ हुआ। इंग्लैण्ड और जर्मनी जैसे देशों के लिये भी उसका मुकाबला कर सकना कठिन हो गया।

राजनीतिक और व्यावसायिक क्रान्तियों के कारण जापान बिल्कुल बदल गया। शुरू में जापान ने पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण इस लिये प्रारम्भ किया था, ताकि वह यूरोपियन और अमेरिकन लोगों से अपनी रक्षा कर सके। पर पाश्चात्य ससार के ज्ञान विज्ञान को सीरा कर उसने साम्राज्यवाद के क्षेत्र में भी उनका अनुकरण प्रारम्भ कर दिया। जापान के माल के लिये बाजार चाहियें थे, जापान की बढ़ती हुई आबादी के लिये नये उपनिवेश बसाने की आवश्यकता थी, जापान को बढ़ती हुई सम्पत्ति के लिये वह आवश्यक था, कि उसकी पूँजी अन्य देशों में सुरक्षित रूप से लगाई जा सके। ये सब बातें तभी सम्भव थीं, जब जापान भी यूरोपियन देशों के समान साम्राज्यवाद के लिये सघर्ष प्रारम्भ करे। सैनिकवाद का वहाँ प्रारम्भ हो ही चुका था,

उस की जल और स्थल सेना बहुत काफी उन्नति कर चुकी थी, इसलिये जापान ने भी अब अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारम्भ किया। कोरिया और चीन उसके पड़ोसी थे। जिस प्रकार कोरिया पर जापान का कब्जा हुआ और चीन को अपने अधीन करने के लिये उसने प्रयत्न शुरू किये, इसका वृत्तान्त हम पहले लिख चुके हैं। जापान के इस उदते हुए साम्राज्यवाद के कारण ही तीसरी सदी के प्रारम्भ में रशिया स उसका युद्ध शुरू हुआ। रशिया और जापान के इस युद्ध का वृत्तान्त हम अगले प्रकरण में लिखेंगे।

(५) रशिया और जापान का युद्ध

हम पहले लिख चुके हैं, कि रशिया का उत्तरी तथा पश्चिमी समुद्र तट साल के गारहों महीनों में नौकागमन के लिये उपयुक्त नहीं रहता। कारण यह कि शीत की अधिकता से सर्द की मौसम में बर्फ समुद्र का जल जम जाता है। इसलिये स्वाभाविक रूप से रशिया इस बात के लिये इच्छुक था कि कोई ऐसा समुद्रतट उसके कब्जे में रहे, जहाँ साल भर नौकागमन हो सके। इसी उद्देश्य से उसने पहले काला सागर तथा उसे भूमध्यसागर के साथ मिलाने वाले जलडमरूमध्य पर अपना कब्जा स्थापित करने का प्रयत्न किया था। फ्रीमियन युद्ध मुख्यतया इसी कारण से लड़ा गया था। बाल्कन प्रायद्वीप सन्धी बहुत से राजनीतिक दाँव पेचोंकी जड में रशिया की यही महत्त्वाकांक्षा कार्य कर रही थी। पर रशिया को इस बात में सफलता नहीं हुई। इधर से निराश होकर उसने प्रशान्त महासागर की तरफ ध्यान दिया। उत्तरी एशिया उसके कब्जे में था, साइबेरिया के विस्तृत प्रदेशों को वह अपनी अधीनता में ला चुका था। परन्तु इसका समुद्रतट भी सर्दियों में नौकागमन के लिये निरर्थक था। अतः रशिया चाहता था कि मञ्चूरिया, लाओटुग प्रायद्वीप और फिर कोरिया को अपने कब्जे में कर लिया जाय, ताकि इनके समुद्रतट

ओरु रशियन लोगों का उत्तर का तरफ खदेड रहा था, उधर सेनापति नागा ने पोर्ट आर्थर का घरा लिया। पोर्ट आर्थर का घरा दस मास के लगभग तक चारा रहा। इस घरे में जापानी लोगों ने असाधारण बीरता प्रदर्शित का। आखिर, १ जनवरा सन् १९०५ क दिन पोर्ट आर्थर पर जापानी सेनाओं का कब्जा हागया। इसी तरह कुछ दिन पहले सेनापति आर्क ने मुरुडन क समीप रशियन सेनापति कुरापगिनिन को बुरी तरह परास्त किया। रशिया और जापान की सेनाओं में जहाँ जहाँ भी लड़ाई हुई, प्रायः सभी स्थानों पर जापानी लोग विजयी रहे। जापानी लोगों का देशभक्ति, राष्ट्रीय भावना और सैनिक क्षमता इस विजय के प्रधान हेतु हैं। दूसरी तरफ रशियन लोगों में इस युद्ध क नियमित किसी भी प्रकार का जरा भी उत्साह नहीं था, इस पर हम पहले प्रकार का डाल चुके हैं।

जापान की महत्वाकांक्षायें ग्रापस म टकराती थीं। इसलिये यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि ब्रिटेन और जापान अपने एक समान प्रतिद्वन्द्वी रशिया का मिलकर मुकाबला करें, और उसके लिये सन्धि द्वारा घनिष्ठ सम्बन्ध से सम्बद्ध हो जायें। ग्रेट ब्रिटेन का सहायता से प्रोत्साहित हो कर सन १६१० में जापान ने कोरिया को पूरातया अपने अधीन कर लिया। कोरिया के राजा को राजसिंहासन त्याग देने के लिये जवश किया गया और उसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। कोरिया की आजादी दो करोड़ के लगभग है।

रशिया की पराजय का एक अन्य भी महत्वपूर्ण परिणाम हुआ, जिसका निर्देश करने की आवश्यकता है। इससे एशियाई लोगों में नवजीवन और नये उत्साह का संचार हुआ। इससे पूर्व यह विचार प्रायः सर्वत्र प्रचलित था, कि यूरोपियन जातियाँ एशियाई जातियों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हैं। रशिया की इस पराजय से इस विचार को भारी धक्का लगा। एशिया के लोग सोचने लगे कि क्या हम भी आधुनिक ज्ञान विज्ञान का सील कर जापान की तरह यूरोपियन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते ? यदि जापान रशिया को परास्त कर सकता है, तो क्या अन्य एशियाई लोग अपने यूरोपियन शासकों को परास्त कर बाहर नहीं निकाल सकते ?

(६) एशिया के अन्य देशों में यूरोपियन साम्राज्यवाद

चीन, जापान, भारत और इण्डोचायना में यूरोपियन देश किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयत्न कर रहे थे, इस पर हम प्रकाश डाल चुके हैं। यह यूरोपियन साम्राज्यवाद इन देशों तक ही सीमित न था। पर्शिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और तिब्बत आदि अन्य देश भी विविध यूरोपियन राज्यों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के शिकार हो रहे थे। इन देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिये प्रयत्न करनेवाले देशों में इङ्ग्लैण्ड और रशिया सबसे

मुख्य हैं। रशिया इन प्रदेशों को इसलिये जीतना चाहता था, क्योंकि साल भर काम आने वाले समुद्रतट का प्राप्त करने की उसे धुन थी। पर्शिया पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिये वह मुख्यतया इसीलिये उत्सुक था। इङ्गलेण्ड अपने विशाल भारतीय साम्राज्य का रक्षा के लिये उसके पड़ोसी राज्यों को अपने प्रभाव में रखना चाहता था— इसलिये वह इन प्रदेशों को किसी अन्य राज्य की अधीनता में आया हुआ नहीं देख सकता था। रशिया भी एशिया में सत्र और अपने पर पैला रहा था, इङ्गलेण्ड अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा के लिये उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था। रशिया और इङ्गलेण्ड का यह संघर्ष जिस प्रकार चल रहा था, इस पर सक्षेप से प्रकाश डालने की आवश्यकता है।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में रशिया जिस प्रकार पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, उसी प्रकार दक्षिणी एशिया में भी आगे बढ़ने के लिये कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसने तुर्किस्तान के दुर्गम प्रदेशों में प्रवेश किया और वहाँ निवास करने वाली जातियों को अपने अधीन किया। रशिया को इस प्रकार दक्षिण में आगे बढ़ते देखा कर इङ्गलेण्ड बहुत व्याकुल हुआ, उसे अपने भारतीय साम्राज्य का खतरा था। पर इङ्गलेण्ड भी चुप नहीं बठा था। उसने भी भारत से पश्चिम उत्तर की तरफ आगे बढ़ना प्रारम्भ किया। बलूचिस्तान और पञ्जाब पर पहले ही कब्जा हो चुका था। अब भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों को जीतकर अफगानिस्तान पर आक्रमण शुरू हुए। उधर रशिया भी अफगानिस्तान की सीमा तक आ पहुँचा था। यूरोप के ये दोनों साम्राज्यवादी देश अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कायम करने के लिये संघर्ष करने लगे। आखिर, अंग्रेजी सेना ने काबुल पर कब्जा कर लिया और उस पर शासन करने के लिये अपनी अधीनता में एक अमार को राजगद्दी पर बिठाया। वह अमीर ब्रिटिश

शाह से दजाजत ली गई, कि रशिया उत्तरी पर्शिया में रेलवे बना सके और अपनी पूँजी लगा कर खानों को खोद सके। शाह रशिया का कर्जमन्द था। राष्ट्रीय आय व्यय की ठीक प्रकार से व्यवस्था न होने के कारण पर्शिया पर ऋण का बोझ लदा हुआ था और यह ऋण मुख्यतया रशिया और ब्रिटेन से लिया गया था। शाह के लिये यह असम्भव था, कि अपने उत्तमर्ग देशों की मांगों को अस्वीकृत कर सके। पर्शिया आर्थिक दृष्टि से रशिया और ब्रिटेन के शिकंजे में घुरी तरह से फँसता जा रहा था। ऋण की अदायगी के लिये पर्शिया के विविध टैक्स अमानत के तौर पर रख लिये गये थे। उधर रशिया उत्तरी पर्शिया में विशेषाधिकार प्राप्त कर रहा था, इधर दक्षिणी पर्शिया में यही प्रक्रिया इङ्ग्लैण्ड ने प्रारम्भ की। खानों विदेशियों की अधीनता में चली जा रही थीं। रेलवे विदेशी ही बना रहे थे, उन पर उनका पूर्ण अधिकार था ही। अनेक टैक्स भी कर्ज की अमानत के तौर पर विदेशियों के अधिकार में जा चुके थे। इस दशा का एक ही परिणाम हो सकता था, वह यह कि कुछ समय में पर्शिया अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता से भी हाथ धो बैठे और उस पर विदेशियों का कब्जा हो जाय।

पर्शियन देशभक्त अपने देश की इस दुर्दशा को चिन्ता की दृष्टि से देख रहे थे। उनका यह विश्वास हो गया था, कि जब तक एकतन्त्र और विकृत सरकार का अन्त न होगा, पर्शिया का उद्धार असम्भव है। देशभक्तों ने शासन सुधार के लिये आन्दोलन प्रारम्भ किया। १६०६ में चाकायदा क्रान्ति हो गई और शाह पर्शिया में पार्लियामेंट की स्थापना के लिये मजबूर हुआ। पार्लियामेंट में एकत्रित देश के प्रतिनिधि सब से महत्पूर्ण कार्य यह समझते थे, कि अपने देश की आर्थिक नीति को विदेशियों के पजे से मुक्त किया जाय। इसलिये उन्होंने मांग पेश की, कि राष्ट्रीय आयव्यय पर पार्लियामेंट का अधिकार

हो। १६०६ के शासनविधान के अनुसार यह आवश्यक भी था। पर रशिया के उरुसाने से शाह ने इसे मजूर नहीं किया। इससे पर्शियन देश भक्तों का असन्तोष बढ़त अधिक बढ़ गया। वे एक बार फिर विद्रोह के लिये तैयार हो गये। पर अपने प्रयत्नों में उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। कारण यह कि शाह की सहायता के लिये रशिया और ब्रिटेन हर समय तैयार थे।

अब तक पर्शिया में रशिया और ब्रिटेन की साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षाओं आपस में टकराती थीं। पर १६०७ में उन्होंने आपस में सन्धि कर ली। इसका कारण यह है, कि १६०५ में जापान से पराजित होकर रशिया ने यह भली भाँति अनुभव कर लिया था, कि साम्राज्यवाद के क्षेत्र में अपने प्रतिद्वन्द्वी से लड़ने के बजाय उसके साथ सहयोग से काम लेना अधिक श्रेयस्कर है। दूसरी तरफ इङ्ग्लैण्ड भी इस समय जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति तथा साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों से उहुत चिन्तित था। जर्मनी टर्की तथा मैसोपोटामिया होकर पर्शिया की खाड़ी में पहुँचने का प्रयत्न कर रहा था। इङ्ग्लैण्ड अच्छी तरह अनुभव करता था कि जर्मनी का पर्शियन खाड़ी में प्रवेश रशिया की अपेक्षा बहुत अधिक खतरनाक है। इसलिये उसने भी यही उचित समझा कि रशिया के साथ सन्धि कर ली जाय। सन् १६०७ की सन्धि के अनुसार पर्शिया को तीन भागों में विभक्त किया गया। उत्तरी पर्शिया पर रशिया का प्रभाव क्षेत्र स्वीकृत किया गया और दक्षिणी पर्शिया पर ब्रिटेन का। रशिया और ब्रिटेन के प्रभाव क्षेत्रों के बीच में मध्य पर्शिया को उदासीन प्रदेश के रूप में स्वीकृत किया गया और यह निश्चय हुआ कि रशिया और ब्रिटेन दोनों को इसमें अपनी पूँजी लगाने की स्वतन्त्रता हो। सन् १६०७ की ही सन्धि में अफगानिस्तान और तिब्बत के मामलों पर रशिया और ब्रिटेन में परस्पर समझौता हो गया। यह निश्चय हुआ, कि तिब्बत पहले की तरह चीन के ही अधीन रहे और रशिया और ब्रिटेन उसे

अपने प्रभावक्षेत्र में लाने का प्रयत्न न करें। अफगानिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव स्वीकृत किया गया और रशिया ने यह मान लिया कि वहाँ के अमार व साथ सीधा सम्बन्ध न रख ब्रिटेन की मार्फत ही उसके व्यवहार किया जाय।

सन् १६०७ में रशिया और ब्रिटेन ने पर्शिया के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की थी, उसे शाह ने स्वीकृत किया था। पर्शियन देश भक्त इससे बहुत दुखी हुए। उनका विरोध इतना बढ़ गया, कि दो साल बाद सन् १६०६ में उन्होंने शाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उसे पदच्युत कर उसके लड़के को शाह बनाया। सन् १६११ में पार्लियामेंट के जोर देने पर इस नये शाह ने मार्गन शुस्टर नामक एक अमेरिकन को आर्थिक मामलों में सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया। यह शुस्टर वस्तुतः पर्शिया का कल्याण चाहता था। उसको इच्छा थी, कि पर्शिया के आय व्यय को समाल कर उसे नाश से बचाया जाय। पर रशिया इस बात को नहीं सह सका। उसने जोर देना प्रारम्भ किया, कि शुस्टर को बर्खास्त कर किसी ऐसे व्यक्ति को आर्थिक सलाहकार बनाया जाय, जिसे रशिया और ब्रिटेन दोनों पसन्द करते हों। पर्शिया के शाह में रशिया की इस माग का विरोध करने के लिये पर्याप्त शक्ति न थी। उसे झुकना पडा, शुस्टर को बर्खास्त कर दिया गया और अब पर्शिया में ऐसे आर्थिक सलाहकार नियुक्त किये जाने लगे, जो रशिया और ब्रिटेन की हाँ में हाँ मिलाने वाले थे। उन्हें पर्शिया के हितों की अपेक्षा इन विदेशियों के हितों का ज्यादा ध्यान था। इस समय से पर्शिया केवल देखने को ही स्वतन्त्र राज्य रह गया। वस्तुतः वह रशिया और ब्रिटेन के सम्मिलित साम्राज्यवाद का भे शिकार बन गया था।

(७) यूरोपियन जातियों का अफ्रीका में प्रवेश

अफ्रीका बहुत बड़ा महाद्वीप है। उसका क्षेत्रफल १,१४,६२,०००

चर्म मील है। आकार में वह यूरोप से तिगुना है। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ तक यूरोप के सम्य निवासियों को इस विशाल महाद्वीप के सम्बन्ध में बहुत कम परिचय था। उत्तरी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष अफ्रीका के विषय में वे केवल समुद्रतट की ही जानकारी रखते थे। इस सुनिश्चित भूतण्ड में कौन सी जातियाँ निवास करती हैं, इसमें कौन से पहाड़, नदियाँ, व फीले हैं, इसकी भौगोलिक और प्राकृतिक दशा किस प्रकार की है—इन सब बातों का कुछ भी परिचय यूरोपियन लोगों को न था। अफ्रीका के जंगलों, पशुओं तथा अद्भुत निवासियों के विषय में अनेक विचित्र गाथायें यूरोप में अवश्य प्रचलित थीं, पर उन लोगों ने इसमें प्रवेश कर हमका परिचय प्राप्त करने के लिये कोई विशेष उद्योग नहीं किया था।

अफ्रीका का उत्तर पूर्वी कोना ईजिप्ट या मिसर कहलाता है। प्राचीन समय में यह एक अत्यन्त उन्नत सभ्यता की रगभूमि था। केवल ईजिप्ट में ही नहीं, उत्तरी अफ्रीका के अन्य भी कई प्रदेशों में प्राचीन समय में सभ्यता का विकास हुआ था। काथेंज व्यापार का बड़ा भारी केन्द्र था और ईसा से कई सदी पूर्व एक अत्यन्त विशाल और समृद्ध नगर बन चुका था। रोमन साम्राज्य के विस्तार के समय में उत्तरी अफ्रीका उसके अन्तर्गत था। आगे चल कर सातवीं सदी में जब इस्लाम का उत्कर्ष हुआ, तो मुसलमानों ने उत्तरी अफ्रीका के इन प्रदेशों को विजय कर लिया और अपने अनेक राज्य वहाँ स्थापित किये। अरब लोग बड़े साहसी और वीर थे। वे केवल उत्तरी अफ्रीका पर आधिपत्य स्थापित कर के ही संतुष्ट नहीं हुए, अपितु सहारा का मरुस्थल पार कर उन्होंने मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका में भी प्रवेश करने का प्रयत्न किया। मध्य अफ्रीका के निवासियों के साथ उनका व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था, ऊँटों के कापिलों पर सहारा को पार कर वे दक्षिणी प्रदेशों में व्यापार के लिये आया जाया करते थे। इसी

प्रकार अफ्रीका के पूर्वा तट पर उन्होंने अनेक व्यापारिक केन्द्र कायम किये थे और दक्षिण में मैडागास्कर तक वे व्यापार क लिये आते जाते थे। अपने परिचित प्रदेशों का नरुशा बनाने तथा उनकी भौगोलिक और प्राकृतिक दशा को लेखनद करने का प्रयत्न भी अरब लोगों ने किया था। यूरोपियन लोगों का अफ्रीका के सम्बन्ध में परिचय पहले पहल अरब लोगों द्वारा प्राप्त हुआ। स्पेन अरब साम्राज्य के अधीन था, वहाँ के लोगों का अरबों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। इसलिये सबसे पहले स्पेन तथा उसके पड़ोसी पोर्तुगाल को अफ्रीका के विषय में परिचय हुआ।

पन्द्रहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में जब यूरोपियन जातियाँ ने पूर्वी देशों तक पहुँचने के लिये नदीन भागों को ढूँढना प्रारम्भ किया, तो पोर्तुगीज लोगों में अफ्रीका का चक्कर काट कर पूर्व में जाने की कल्पना उत्पन्न हुई। पर इन पोर्तुगीज लोगों की दृष्टि में अफ्रीका का कोई महत्त्व न था। उसमें प्रवेश कर उसके निवासियों का पता लगाना उनकी दृष्टि में कोई उपयोग न रखता था। भारत आदि पूर्वी देशों के साथ व्यापार इतना लाभदायक था, कि अफ्रीका में घनिष्ठ होने की आवश्यकता ही इन्हें अनुभव नहीं होती थी। पर धीरे धीरे अफ्रीका का एक उपयोग यूरोपियन लोगों को ज्ञात हुआ। अमेरिका का इस समय तब पता लग चुका था। विभिन्न यूरोपियन देश, जिसमें स्पेन सबसे प्रमुख था, वहाँ अपने उपनिवेश रखा रहे थे। इन नई बस्तियों के लिये गुलामों की जरूरत थी। अमेरिका के मूल निवासी गुलामी के लिये उपयुक्त न थे, इसलिये अफ्रीका के हबेशियों को जहाजों पर लाद कर अमेरिका ले जाया जाने लगा, और वहाँ उनकी बिक्री प्रारम्भ हुई। शायद ही यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यापार बन गया और बहुत से लोग गुलामी का क्रय विक्रय कर धनी होने लगे। हालैंड, ब्रिटेन, फ्रांस आदि विभिन्न देशों ने इस घृणित व्यापार के लिये विभिन्न अड्डे

उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में सन १८१५ में अफ्रीका का दशाभिन्नलिखित प्रकार स थी—उत्तरी अफ्रीका पर टर्कों के मुलतान का आधिपत्य माना जाता था। इजिप्ट, टिपोली, ट्यूनिश और अल्जीरिया तुका साम्राज्य के अन्तर्गत समझे जाते थे, यद्यपि उनके शासक क्रियात्मक दृष्टि से स्वतन्त्र थे। मारका तुर्कों साम्राज्य में नहीं था, वहाँ एक स्वतन्त्र मुलतान राज्य करता था। सेनेगल नदी के मुहाने पर (पश्चिमी तट पर) फ्रांस का कब्जा था। पूर्वी तट पर मँडागास्कर द्वीप के ठीक सामने के कुछ प्रदेश पोर्तुगाल के कब्जे में थे। ब्रिटिश लाग कैप कोलोनी पर कब्जा कर चुके थे और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर उनका अन्य भी कई छोटे छोटे अड्डे नियमान थे। रोप मुस्लिम अफ्रीका अभी यूरोपियन लोगों के लिये एक अपरिचित, अज्ञात और रहस्यमय भूखण्ड था। उसके सघन जङ्गलों, विस्तृत मीलों और अद्भुत निवासियों के सम्बन्ध में उन्हें कुछ भी परिचय नहीं था।

के लिये अब यह सम्भव नहीं रहा था, कि हरशिया की गुलाम बना कर उनकी आत्माओं को उद्धार कर सकें। पर उन्हें इन 'पथभ्रष्ट' लोगों को मार्ग प्रदर्शित करने तथा 'मद्धर्म' में लाने की उत्सुकता इतनी अधिक थी, कि वे उन्हीं के घरों में जाकर उन्हें ईसा का मन्देश सुनाने के लिये प्रयत्नशील होने लगे। सबसे बड़ कैंर साम्राज्यवाद की भूमि यूरोपियन लोगों को अफ्रीका में प्रविष्ट होने के लिये प्रेरित कर रही थी।

यहाँ हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि हम यूरोप के उन साहसी पुरुषों का विस्तृत वर्णन कर सकें, जिन्होंने प्रकृति और मनुष्य—दोनों के मथुर प्रयोग की जरा भी परवाह न कर अफ्रीका के दुर्गम प्रदेशों का अवगाहन किया और यूरोपियन जातियों के लिये इन पर आधिपत्य स्थापित करने का मार्ग साफ कर दिया। उनका वृत्तान्त उपन्यास से भी अधिक मनोरञ्जक है, उनके साहसिक कार्य पुराणी वीरगाथाओं की भी मात करते हैं। निस्सन्देह, ससार के इतिहास में उनका स्थान बहुत ऊँचा है। पर हम इस इतिहास में उनका केवल निर्देश ही कर सकते हैं। इङ्ग्लैण्ड की 'रायल जियोग्राफिकल सोसायटी' के सरक्षण में नील नदी का उद्गम स्थान ढूँढने के लिये प्रयत्न शुरू किया गया और इसके लिये ब्रिटिश लोग मध्य अफ्रीका में बहुत दूर अन्दर तक प्रविष्ट हुए। सन् १८५८ में भूमध्य रेखा के ठीक नीचे एक विशाल झील का पता लगाया गया और इसका नाम 'विक्टोरिया नियान्जा' रखा गया। सन् १८६४ में सर सेमुअल कार्कर ने विक्टोरिया नियान्जा के उत्तर पश्चिम में एक अन्य झील का पता लगाया और उसका नाम 'एल्वर्ट नियान्जा' रखा। इसी समय लिविङ्गस्टोन नाम का एक अन्य साहसी मिशनरी अफ्रीका के मध्यभाग का अवगाहन कर रहा था। अफ्रीका की खोज करने वालों में इस लिविङ्गस्टोन का प्रमुख स्थान है। सन् १८४० से १८७३ तक इसने अपना प्रायः सारा समय इसी कार्य में व्यतीत

किया। सन १८५१ में वह पूव की तरफ से अफ्रीका में प्रविष्ट हुआ और पाँच साल तक मध्य अफ्रीका के विविध प्रदेशों का अवगाहन करते हुए १८५६ में वह पश्चिमी तट पर पहुँच गया। इसी तरह उसने अफ्रीका के अन्य प्रदेशों की भी यात्रायें कीं। उसके यात्रावृत्तान्तों से सारे सभ्य सभार में एक प्रकार की हलचल सी मच गई और लोगों का ध्यान अफ्रीका की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। अफ्रीका के अवगाहकों में लिविङ्गस्टोन के बाद स्टेनली का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उसने लिविङ्गस्टोन की मृत्यु से दो वर्ष पूर्व सन १८७१ में अपना कार्य प्रारम्भ किया और अफ्रीका के विविध प्रदेशों का खूब अच्छी तरह आलोडन किया। लिविङ्गस्टोन की मृत्यु अफ्रीका में ही हो गई थी। पर स्टेनली १८७८ में सशुशल यूरोप वापिस लौटने में समर्थ हुआ। उसके यात्राविवरणों ने अफ्रीका के प्रति यूरोपियन लोगों को और अधिक आकर्षित किया और विविध यूरोपियन देश इस अद्भुत और विशाल भूखण्ड में प्रवेश पाने तथा उससे लाभ उठाने के लिय विशेष रूप से आतुर हो गये।

अफ्रीका में प्रवेश पाने का प्रयत्न करने वाले यूरोपियन देशों में बेल्जियम सबसे मुख्य था। उन दिनों बेल्जियम का राजा लिओपोल्ड द्वितीय था। वह बहुत ही चाणोक्ष तथा हुशियार व्यक्ति था। स्टेनली की यात्राओं से वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने अफ्रीका में प्रवेश कर उसे अपने प्रभाव में लाने का प्रयत्न प्रारम्भ किया। स्टेनली इङ्गलिश जाति का था, पर अँग्रेजों ने उसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया। कारण यह, कि केप कोलोनी उन दिनों ब्रिटेन के अधीन था, और अँग्रेज लोग वहाँ दोअर लोगों से उलझ रहे थे। दोअर और अँग्रेज लोगों के इस सघर्ष का वृत्तान्त हम पहले लिख चुके हैं। स्टेनली की यात्राओं से प्रोत्साहित होकर लिओपोल्ड द्वितीय ने सन् १८७६ में अपनी राजधानी ब्रुसल्स में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

क्रिया और उममें अफ्रीका का अन्वेषण करने तथा वहाँ के निवासियों को सम्यक्ता तथा धर्म का पाठ पढ़ाने के लिये उपायों पर विचार किया गया। इसी सम्मेलन में लियोपोल्ड ने अफ्रीका के अन्वेषण के लिये एक 'अन्तर्राष्ट्रीय सभा' का संगठन किया। सन् १८७६ में स्टेनली ने इस सभा की सरक्षा में एक बार फिर अफ्रीका के लिये प्रस्थान किया और वहाँ के विविध राजाओं से सन्धि कर उनके प्रदेशों को 'अन्तर्राष्ट्रीय सभा' के अधीन किया।

लियोपोल्ड की अन्तर्राष्ट्रीय सभा जिस तेजी से अफ्रीका के विविध प्रदेशों को अपनी सरक्षा में ला रही थी, उसे अन्य यूरोपियन राष्ट्र सहन न कर सके। विशेषतया, इङ्ग्लैण्ड और पोर्तुगाल ने उसका विरोध किया। इन देशों के प्रयत्न से अफ्रीका की परिस्थिति पर विचार करने के लिये एक अन्य अन्तर्राष्ट्रीय काँग्रेस का आयोजन किया गया। इस काँग्रेस की बैठक नवम्बर सन् १८८४ में बर्लिन में प्रारम्भ हुई। स्विटजरलैण्ड के अतिरिक्त अन्य सब यूरोपियन राज्यों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि इस काँग्रेस में सम्मिलित हुए थे। इस काँग्रेस में कोन्गो नदी से सँचे जाने वाले प्रदेशों में लियोपोल्ड की 'अन्तर्राष्ट्रीय सभा' के अधिकार स्वीकृत हुए और इन्हें 'कोन्गो के स्वतन्त्र राज्य' के रूप में परिवर्तित किया गया। कोन्गो के स्वतन्त्र राज्य का अधिपति लियोपोल्ड द्वितीय को स्वीकृत किया गया। पर यह ध्यान रहे, कि कोन्गो पर बेल्जियम का आधिपत्य नहीं माना गया था, उस पर लियोपोल्ड द्वितीय का वैयक्तिक रूप में अधिकार स्वीकृत किया गया था। साथ ही, यह भी व्यवस्था की गई थी कि इस राज्य में कोन्गो, नीगर तथा उनकी सहायक नदियों में नौकानयन की सब को स्वतन्त्रता हो और किसी राज्य को इसमें व्यापार आदि के लिये न रोका जा सके।

कोन्गो के स्वतन्त्र राज्य में लियोपोल्ड द्वितीय का शासन बहुत क्रूर तथा अत्याचारपूर्ण था। उस में वहाँ के मूलनिवासियों पर घोर

अत्याचार किये जा रहे थे। लियोपोल्ड कोन्गो की जमीन पर अपना हक समझता था और उस पर खेती करने के लिये वहाँ के निवासियों को जबरदस्ती गुलाम बनाने का प्रयत्न कर रहा था। रेलवे का विस्तार करने और रोट एकत्रित करने आदि के लिये भी अफ्रीकन लोगों पर जबरदस्ती की जा रही थी। बेल्जियन लोगों के अत्याचारों की कथाएँ सभ्य सभ्यता के समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही थीं, और यूरोप तथा अमेरिका का लोकमत उनके बहुत विरुद्ध होता जाता था। इस दशा में कोन्गो के स्वतन्त्र राज्य के शासन में परिवर्तन किया जाना अवश्यम्भावी था। आखिर सन् १९०८ में बेल्जियम की सरकार ने इस राज्य को वाकायदा अपने अधीन कर लिया और उसने मुशासन के लिये प्रयत्न प्रारम्भ किया। सन् १९०८ में कोन्गो बेल्जियम के अधीन है।

उन्नीसवीं सदी के अन्तिम वर्षों में यूरोप के प्रायः सभी प्रमुख राज्य अफ्रीका की लूट में अपना अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील हो गये थे। इंग्लैण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, पोर्तुगाल आदि विविध राज्य इस बात के लिये उत्सुक थे कि जितने भी प्रदेशों पर सम्भव हो, अपना आधिपत्य स्थापित करें। बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने जा उदाहरण उपस्थित किया था, सब देश पूर्ण उत्साह से उसका अनुसरण करना चाहते थे। अफ्रीका के वास्तविक निवासियों का क्या इच्छा है, उनका भी अपनी मातृभूमि पर कोई अधिकार है, इन प्रश्नों पर विचार करने की यूरोपियन देशों को कोई अभिलाषा नहीं थी। उनका दृष्टि में अफ्रीका का यह विशाल भूखण्ड उनके निवास तथा शासन के लिये सुला पड़ा था। सन् १८६० में यूरोप के ये सभ्य देश अफ्रीका के टुकड़े कर उह आपस में बांट लेने के लिये काटबद्ध हो गये। जो अफ्रीका कुछ साल पहले तक एक अज्ञात व अपरिचित देश था, जिसमें भयकर जीव जन्तु व मनुष्य साच्छन्द रूप से जहाँ चाहे विचरते थे, अब यूरो

पियन राज्यों में विभक्त हो गया। अफ्रीका का यह विभाग किस प्रकार हुआ, इसका वृत्तान्त यहाँ लिखा सकना सम्भव नहीं है।

सन् १६१४ तक अफ्रीका के प्रायः सम्पूर्ण प्रदेश विविध यूरोपियन देशों की अधीनता में आचुके थे। सम्पूर्ण अफ्रीका में केवल एक प्रदेश था, जो स्वतन्त्र था। उसका नाम है, अचीसीनिया। यह राज्य उत्तर पूर्वी अफ्रीका में है, और इसकी जनसंख्या अस्सी लाख के लगभग है, इसका क्षेत्रफल जर्मनी से दुगना है।

इसमें सन्देह नहीं, कि यूरोपियन लोगों के प्रवेश से अफ्रीका में भारी परिवर्तन शुरू होगये हैं। जगलों को साफ कर शहर बसाये जा रहे हैं। जहाँ पहले दुर्गम जंगल व भयकर दलदल थे, वहाँ अब लहलहाते खेत नजर आते हैं। खानों को खोदकर तथा मृमि का उपयोग कर अफ्रीका की विशाल सम्पत्ति को प्रयुक्त किया जा रहा है। आज अफ्रीका में रेलों का जाल बिछाया जाना शुरू हो गया है, सड़कें बन रही हैं, और धीरे धीरे यह विस्तृत भूखण्ड बही रूप धारण करता जाता है, जो धन्य सम्प व उन्नत देशों का है। अफ्रीका के मूल निवासी जो पहले जंगली व अर्धसभ्य थे, अब सभ्यता के क्षेत्र में बड़ी तेजी से पग बढ़ा रहे हैं। यूरोपियन लोगों के सर्ग से वे आधुनिक समय के विज्ञान व विद्या से भी परिचित होते जाते हैं। अफ्रीका का भविष्य बहुत उज्वल है। अगली सदियों के इतिहास में अफ्रीका का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता।

अद्वितीय अघ्याय

महायुद्ध से पहले की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

(१) त्रिगुट का निर्माण

सन् १८१५ में वीएना की कांग्रेस ने अपना कार्य समाप्त किया था। वीएना में एकत्रित राजनीतिज्ञों का मुख्य लक्ष्य एक था। वह यह कि फ्रांस की राज्यक्रान्ति द्वारा उत्पन्न हुई नवीन प्रवृत्तियों को एक साथ मिलकर कुचला जावे। राष्ट्रीयता और लोक तन्त्रवाद की नवीन प्रवृत्तियों को उस समय के राजा और राजनीतिज्ञ लोग सहन नहीं कर सकते थे। इसीलिये मैटर्निच के नेतृत्व में राजाओं के पवित्र मित्र मण्डल का विचार प्रादुर्भूत हुआ था। इस मित्र मण्डल में आस्ट्रिया, प्रशिया, इङ्गलैण्ड और रशिया सम्मिलित थे। आगे चल कर सन् १८१८ में फ्रांस को भी इसमें शामिल कर लिया गया और यूरोप के ये पाँचों प्रमुख राज्य एक साथ मिल कर क्रान्ति की नई प्रवृत्तियों को कुचलने के लिये सन्नद्ध हो गये। सन् १८१५ से १८४८ तक यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इसी 'पवित्र मित्र मण्डल' का जोर रहा। जहाँ कहीं भी क्रान्ति के चिन्ह प्रकट होते, ये राज्य उसे नष्ट करने में अपनी शक्ति को लगा देते। इसमें सन्देह नहीं, कि फ्रांस और इङ्गलैण्ड देर तक इस मण्डल में शामिल नहीं रह सके, दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति का समर्थन कर सकना उनके लिए

कठिन हो गया। पर यह ठोस है, कि १८४८ तक यूरोपियन राजनीति में पवित्र मित्र मण्डल का पूरा जोर रहा और सभी यूरोपियन राज्य उसके आतंक को मानते रहे।

परन्तु १८४८ से इस स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हुआ। इस बीच में राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति निरन्तर जोर पकड़ती जाती थी। फ्रांस, इङ्ग्लैण्ड और रशिया तो पहले से ही सगठित राज्य थे। अब इटली और जर्मनी भी अपने राष्ट्रीय सगठन के लिये प्रयत्न कर रहे थे। पवित्र मित्र मण्डल नई प्रवृत्तियों के चाहे कितना ही विरुद्ध क्यों न हो, पर समय की लहर को रोक सकना उसके लिये असम्भव था। राष्ट्रीय भावना की वृद्धि के साथ साथ मित्र मण्डल में सम्मिलित विविध राज्यों के लिये आपस में एक साथ मिलकर कार्य करना कठिन होता चला गया। उन्हें नजर आने लगा, कि हमारे राष्ट्रीय हित एक दूसरे के विरुद्ध हैं। व्यावसायिक क्रान्ति इस समय में सब देशों की आन्तरिक अवस्था को परिवर्तित कर रही थी। विविध देशों के आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थ आपस में टकराने लगे थे। परिणाम यह हुआ, कि पवित्र मित्र मण्डल का विचार शिथिल पड़ता गया और उसके स्थान पर विविध राज्य एक दूसरे के विरुद्ध आपस में गुट बनाने लगे। बल्कन प्रायद्वीप, काला सागर और तुर्की साम्राज्य के सम्यन्ध में रशिया और इङ्ग्लैण्ड के स्वार्थ एक दूसरे के विरुद्ध थे। इसलिये इङ्ग्लैण्ड ने फ्रांस और पीट्समौन्ट के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ गुट तैयार किया। फ्रीमिशन युद्ध (१८५४-५६) में इङ्ग्लैण्ड, फ्रांस और पीट्समौन्ट के इसी गुट ने रशिया को परास्त किया था। इटली की उदती हुई राष्ट्रीय भावना के लिये यह आवश्यक था, कि उत्तरी इटली के प्रदेशों से आस्ट्रियन शासन को समाप्त किया जावे। इसलिये १८५६ में पीट्समौन्ट के राजा ने फ्रांस के साथ मिलकर आस्ट्रिया के खिलाफ गुट तैयार किया। यह गुट इटली से आस्ट्रियन शासन का अन्त करने

में बहुत कुछ सफल हुआ। इसी प्रकार १८५६ में प्रशिया और आस्ट्रिया ने डेनमार्क के खिलाफ और १८६६ में प्रशिया और इटली ने आस्ट्रिया के खिलाफ युद्धों का निर्माण किया। इन उदाहरणों से यह भलो-भाँति समझा जा सकता है, कि सन् १८४८ के बाद यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से पवित्र मित्रमण्डल की भावना नष्ट हो चुकी थी और विविध राज्य अपने राष्ट्रीय उत्कर्ष के लिये एक दूसरे के विरुद्ध गुट बनाने में तत्पर हो गये थे।

१८७० तक पवित्र मित्रमण्डल का विचार यूरोप में पूर्णतया नष्ट हो गया था। वीएना की कांग्रेस ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की जिस पद्धति का प्रादुर्भाव किया था, वह अब सर्वांश में समाप्त हो गई थी। उसका स्थान अब विविध राज्यों की पारस्परिक गुटबन्दी ने ले लिया था। इस गुटबन्दी का उद्देश्य यह होता था, कि कोई राज्य या राज्यों का कोई गुट इतना अधिक शक्तियाली न हो जावे, कि अन्य राज्य उसके सम्मुख कोई चीज न रहें। राज्यों की शक्ति समुत्तुलित रहे, क्योंकि शक्ति के समुत्तुलन से ही शान्ति कायम रह सकती है, यह इन गुटबन्दीयों का आध्यात्मिक सिद्धान्त होता था। सन् १८७० के बाद यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जर्मनी के प्रधान मन्त्री बिस्मार्क का बहुत अधिक महत्त्व है। जिस प्रकार १८१४ से १८४८ तक यूरोपियन राजनीति का प्रधान सञ्चालक मैट्रनिच था, उसी प्रकार १८७० से शुरू कर प्रायः २० वर्ष तक यूरोप में बिस्मार्क का प्राधान्य रहा। १८७० के बाद की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को मली-भाँति समझने के लिये बिस्मार्क के कर्तृत्व पर ध्यान देना आवश्यक है। इस काल में यूरोपियन राजनीति का प्रधान नेता बिस्मार्क ही था।

सन् १८७०-७१ के युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस को बुरी तरह परास्त किया था। फ्रांस के लोग जर्मनी से अपने राष्ट्रीय श्रममान का बदला चुकाने के लिये व्याकुल थे। इसलिये स्वाभाविक रूप से बिस्मार्क की

प्रतिज्ञा की थी। इसी प्रकार यदि फ्रांस इटली पर आक्रमण करे, तो जर्मनी और आस्ट्रिया दोनों ने उसे सहायता देने का बचन दिया था। यह निश्चय किया गया था, कि यदि जर्मनी, आस्ट्रिया और इटली में से किसी का किसी अन्य एक राज्य के साथ युद्ध हो रहा हो, तो दूसरे उस राज्य की सहायता नहीं करेंगे। यह लिखना व्यर्थ है, कि इस गुट से जर्मनी की स्थिति बहुत सुरक्षित तथा दृढ़ हो गई थी। फ्रांस से उसे कोई भय नहीं रहा था, क्योंकि फ्रांस के साथ युद्ध होने की दशा में उसे इटली की सहायता का पूरा भरोसा था और यदि कोई अन्य राज्य फ्रांस की सहायता करने को उद्यत हो, तो आस्ट्रिया की शक्ति उसके साथ थी। इसी प्रकार रशिया के विरुद्ध आस्ट्रिया की सहायता का जर्मनी को पूरा भरोसा था।

किसी समय जर्मनी, आस्ट्रिया और इटली एक दूसरे के घोर शत्रु थे। बिस्मार्क ने ही आस्ट्रिया को जर्मन सघ से निकाल कर गहर किया था और इटली और आस्ट्रिया का युद्ध समाप्त हुए अभी अधिक दिन नहीं हुए थे। फिर क्या कारण है, जो ये राज्य आपस में इस प्रकार का गुट बनाने में समर्थ हुए? जर्मनी को इस गुट से प्रधान लाभ यह था, कि फ्रांस की तरफ से वह बहुत कुछ निश्चिन्त हो जाता था। इस गुट से उसे यह पूरा भरोसा था कि यदि फ्रांस ने कभी अपने राष्ट्रीय अपमान (१८७०) का बदला लेने का प्रयत्न किया, तो इटली, आस्ट्रिया और जर्मनी की सम्मिलित शक्ति के सम्मुख वह कुछ न कर सकेगा। आस्ट्रिया को इस गुट में शामिल होने से यह लाभ था, कि बाल्कन प्रायद्वीप सम्बन्धी नीति में उसे जर्मनी जैसे शक्तिशाली राज्य की सहायता प्राप्त होती थी। हम पहले बता चुके हैं, कि आस्ट्रिया की महत्वाकांक्षा इस समय बाल्कन प्रायद्वीप के राज्यों का अपने अधीन करने की थी। जर्मनी और इटली से आस्ट्रिया की शक्ति अब नष्ट हो चुकी थी। पश्चिम और दक्षिण की तरफ अपना प्रभाव स्थापित

करने में असफल होकर अग्रे आस्ट्रिया का ध्यान पूर्व के कमजोर राज्यों की तरफ आकृष्ट हुआ था और बोस्निया तथा हर्जोगोविना के प्रदेशों को वह अपने अधीन कर भी चुका था। पर रशिया भी बालकन प्रायद्वीप के इन्हीं प्रदेशों को अपने प्रभाव में लाना चाहता था। बालकन राज्यों की राष्ट्रीय भावना का लाभ उठा कर इस समय रशिया उन्हें सहायता देने के लिये विशेषतया उत्कण्ठित था और इस प्रकार आस्ट्रिया और रशिया के स्वार्थ इस क्षेत्र में बुरी तरह टकराते थे। रशिया के विरुद्ध अपनी शक्ति को कायम रखने के लिये आस्ट्रिया जर्मनी की सहायता को बहुत महत्त्व देता था। इटली जर्मनी और आस्ट्रिया के साथ त्रिगुट में क्यों शामिल हुआ, इसे समझ सकना भी कठिन नहीं है। हम पहले बता चुके हैं, कि उत्तरी अफ्रीका में इटली और फ्रांस के साम्राज्य विषयक हित एक दूसरे के विरुद्ध थे। इटली साम्राज्यवाद की दौड़ में बहुत पीछे रह गया था। वह चाहता था, कि अपने प्राचीन गौरव का पुनरुद्धार करे। इसीलिये वह त्रिगुट में शामिल हुआ था। पर यह ध्यान रखना चाहिये, कि एड्रियाटिक सागर के तट पर इटली और आस्ट्रिया के स्वार्थों में विरोध था। यद्यपि फ्रांस के विद्रोह से इटली जर्मनी और आस्ट्रिया के साथ मिल गया था, पर वस्तुतः आस्ट्रिया के साथ उसका हितविरोध बहुत अधिक था। यही कारण है, कि इटली इस त्रिगुट में बहुत देर तक कायम नहीं रह सका, और आगे चल कर वह इस त्रिगुट से न केवल निकल ही गया, पर उसके विरोधियों के साथ मिल गया।

आस्ट्रिया और इटली के साथ सन्धि करके जर्मनी की स्थिति बहुत सुरक्षित हो गई थी, पर रिस्मान इतने से ही सतुष्ट नहीं था। वह बहुत ही कूट नीतिगर्ह था। उसे रशिया से कोई प्रत्यक्ष निरोध नहीं था। आस्ट्रिया को अपने साथ में मिलाने के लिये ही उसने बालकन प्रायद्वीप में इन दोनों राज्यों के हित निरोध को प्रयुक्त किया था। पर वह चाहता था,

लोग व्याकुल हो रहे थे। पर अकेले रहते हुए फ्रांस के लिये यह असम्भव था, कि वह जर्मनी से बदला उतार सके। जब तक बिस्मार्क विद्यमान रहा, फ्रांस अपना सिर नहीं उठा सका। बिस्मार्क की कूटनीति के सम्मुख फ्रांसे राजनीतिज्ञ बिलकुल अप्रतिभ हो गये थे।

कैसर विलियम द्वितीय के जर्मन सम्राट् बनने पर बिस्मार्क की शक्ति क्षीण होने लगी। १८९० में वह अपने पद से पृथक् हो गया और उसका उत्तराधिकारी जनरल फ़ोन कैप्रीवी (१८९०-१८९४) बना। वह बहुत कमजोर शासक था और उसके समय में जर्मन नीति का सञ्चालन स्वयं सम्राट् विलियम करता था। १८९० से जर्मनी की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तन आना प्रारम्भ हुआ। इस समय बाल्कन प्रायद्वीप और काला सागर के सम्बन्ध में आस्ट्रिया और रशिया के हित परस्पर टकरा रहे थे। बिस्मार्क ने इस हित विरोध के होते हुए भी दोनों देशों के साथ सन्धि स्थापित की हुई थी। कैसर विलियम की सम्मति में आस्ट्रिया और रशिया के हित परस्पर इतने विरुद्ध थे, कि एक समय में उन दोनों के साथ सन्धि रख सकना असम्भव था। उसका खयाल था, कि पूर्वी यूरोप (बाल्कन प्रायद्वीप) की समस्या पर आस्ट्रिया और रशिया में युद्ध का छिड़ना अवश्यम्भावी है। अतः जर्मनी को यह निर्णय पहले से ही कर लेना चाहिये कि युद्ध की दशा में किसका साथ दे। कैसर विलियम का यह भी विचार था, कि जर्मनी के लिये आस्ट्रिया का साथ देना लाभप्रद है। कैसर विलियम, आस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के त्रिगुट को बहुत अधिक महत्त्व देता था और उसके लिये रशिया की मित्रता को कुर्बान करने को तैयार था। जर्मनी और रशिया में जो सन्धि सन् १८८७ में हुई थी, वह १८९० के जून मास में समाप्त हो जाती थी। यदि बिस्मार्क की नीति का अनुसरण किया जात, तो इस सन्धि को इस समय फिर दोहराया जाना चाहिये था, पर कैसर

विलियम ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी और रशिया तथा जर्मनी की सन्धि स्वयमेव समाप्त हो गई। फ्रांस के समान रशिया भी यूरोपियन राजनीति में अकेला रह गया।

इस दशा में यह अस्वाभाविक नहीं था, कि फ्रांस और रशिया परस्पर सन्धि कर लें। यह ठीक है, कि उनमें एक दूसरे से बहुत भिन्नता थी। फ्रांस क्रान्तिकारी प्रवृत्तियाँ की जन्मभूमि था, वही एक ऐसा महत्त्वपूर्ण यूरोपियन देश था, जहाँ रिपब्लिक स्थापित थी। दूसरी तरफ रशिया में एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन था। इन दोनों की सभ्यता, संस्कृति और परस्परान्धों में भी बहुत भेद था। पर यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ इस समय उन्हें परस्पर सन्धि करने के लिये प्रेरित कर रही थीं। फ्रांस को रशिया की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि फ्रांस की महत्त्वाकांक्षा जर्मनी से उदला उतारने की थी। दूसरी तरफ रशिया भी अकेला पड़ गया था, उसे भी किसी शक्तिशाली राज्य की सहायता अभीष्ट थी। इसके अतिरिक्त, रशिया को धन की आवश्यकता भी थी। एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन के उस जमाने में रशियन सरकार की आर्थिक दशा सन्तोषजनक नहीं थी। साम्राज्यविस्तार की विविध योजनाओं में रशियन सरकार बहुत रूचि कर रही थी, और इसे राष्ट्रीय आमदनी से पूरा नहीं किया जा सकता था। इसलिये रशिया को कर्ज की आवश्यकता थी। फ्रांसने इस कर्ज में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। रशिया और फ्रांस की सन्धि में इस बात से भी बड़ी सहायता मिली।

सन् १८६१ में फ्रांस के एक जहाजी बेड़े ने रशिया की यात्रा की। रशिया के जार अलेक्जेंडर तृतीय ने उसका बड़ी धूमधाम के साथ स्वागत किया। फ्रांस का क्रान्तिकारी राष्ट्रीय गीत पहले रशिया में प्रवेश भी नहीं पा सकता था। पर इस मौके पर जार अलेक्जेंडर तृतीय ने सिर झुका कर बड़े सम्मान के साथ इस क्रान्तिकारी गीत का

इङ्ग्लैण्ड का ध्यान स्वाभाविक रूप से इस गुट वी तरफ आकृष्ट हुआ और वहाँ के राजनीतिज्ञों ने यह भला भांति अनुभव किया, कि जर्मनी का विरोध करने के लिये यदि किन्हीं अन्य यूरोपियन राज्यों के साथ सन्धि की जा सकती है, तो वे फ्रांस और रशिया ही हैं।

पर फ्रांस और रशिया के साथ इङ्ग्लैण्ड का मेल कर सकना सुगम बात न थी। कारण यह कि इङ्ग्लैण्ड के अन्तर्राष्ट्रीय हित इन राज्यों के साथ भी टाकरा पाते थे। फ्रांस और इङ्ग्लैण्ड की दुश्मनी बहुत पुरानी थी। १७वीं, १८वीं और उन्नीसवीं सदियाँ में ये दोनों राज्य साम्राज्यवाद के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सघर्ष करते रहे थे। अमेरिका और भारत में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस को परास्त किया था और उसके प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर लिया था। उत्तरी अफ्रीका में भी ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी थे। हम पहले वर्णन कर चुके हैं, कि उन्नीसवीं सदी के अन्तिम वर्षों में भी इंग्लिष्ठ और सूडान के प्रश्न को लेकर इन दोनों राज्यों में रणभेगी का निनाद सुनाई देने लगा था। उस समय फ्रांस के कुछ राजनीतिज्ञ गम्भीरता के साथ यह विचार करने लगे थे, कि इङ्ग्लैण्ड के विरोध में जर्मनी के साथ सन्धि कर लेना ही लाभदायक है। इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस में कभी मित्रता नहीं हो सकती। पर बीसवीं सदी के प्रारम्भ में परिस्थिति में परिवर्तन प्रारम्भ हुआ। जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति से फ्रांस और इङ्ग्लैण्ड दोनों ही समान रूप से व्याकुल थे। उन्होंने आपस के झगड़ों को दूर कर परस्पर समझौता कर लेना ही उचित समझा। उस समय फ्रांस का पर राष्ट्र सचिव देल्कास था। उसे जर्मन लोगों से बहुत द्वेष था। उसकी प्रयत्न इच्छा थी, कि जर्मनी के खिलाफ गुट में, जिस प्रकार भी सम्भव हो, इङ्ग्लैण्ड को सम्मिलित कर लिया गया। १९०४ में उसे अपने प्रयत्न में सफलता हुई। इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस में परस्पर सन्धि हो गई, जिसका उद्देश्य यह था कि दोनों राज्य विदेशी राजनीति

स्थिति जिस प्रकार सुरक्षित व सुदृढ़ हो गई थी, कैसर विलियम द्वितीय के समय में उसमें यह भारी परिवर्तन आ गया था।

फ्रांस के परराष्ट्र सचिव देल्कास की नीति कुशलता से यूरोपियन राजनीति में एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। किन्तु परिस्थितियों में विस्मार्क ने इटली को अपने गुट में शामिल कर लिया था, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। उत्तरी अफ्रीका में फ्रांस और इटली के पारस्परिक विरोध के कारण ही विस्मार्क को यह सुवर्णद्वार प्राप्त हो गया था। पर १८७२ में देल्कास ने इटली के साथ समझौता कर लिया। इटली को ट्रिपोली में मनमानी करने का हक दे दिया गया और बदले में फ्रांस ने मोरक्का में मनमानी करने का हक प्राप्त कर लिया। इस प्रकार इटली को फ्रांस से भी भिन्नता स्थापित हो गई। यद्यपि इटली अब भी जर्मनी के गुट में शामिल था, पर फ्रांस के साथ भी उसका विरोध नहीं रहा था।